राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] अष्ठम विधान सभा के द्वितीय सत्र का 18 वां दिवस। [संख्या 14

शुक्रवार,

दिनांक 19 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11. बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रघुवर दयाल।

रामगढ़ (अलवर) डिस्पेन्सरी हेतु अतिरिक्त चिकित्सीय स्टाफ

396 **श्री रघुवर दयाल गोयल** (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रामगढ़ जिला अलवर डिस्पेन्सरी में वर्तमान में कितना मेडिकल स्टाफ कार्यरत है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जो नई डिस्पेन्सरी खोली जाती है उसमें कितने अधिकारी एवं कर्मचारियों को रखने का प्रावधान है?

(3) क्या राज्य सरकार तहसील एवं पंचायत समिति तथा व्यापारिक केन्द्र रामगढ़, अलवर की डिस्पेन्सरी पर डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या रामगढ़ डिस्पेन्सरी में कुछ गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच हुई है? यदि हां, तो किस अधिकारी के द्वारा? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) इस डिस्पेन्सरी में वर्तमान में निम्न स्टाफ कार्यरत है :-

डाक्टर-एक, कम्पाउण्डर-एक, नर्स/दाई-एक, वार्ड बॉय-चार।

(2) वर्तमान में नवीन डिस्पेन्सरी में निम्न पद सृजित करने का प्रावधान है :-

सी. ए. एस. डॉक्टर-एक, मेल नर्स श्रेणी-II-दो, प्रसाविका-एक, वार्ड बॉय/हरिजन-चार।

(3) समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर योजनाबद्ध तरीके से अन्य स्थानों के प्रस्तावों के साथ इस डिस्पेन्सरी के क्रमोन्नत किये जाने बाबत प्रस्ताव पर भी विचार करना सम्भव होगा।

(श्री छोगाराम बकोलिया)

(4) जी हां। नागरिकों द्वारा 13.5.1985 को एक शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच हेतु डा. बृजेन्द्र सिंह चौधरी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) को दिनांक 25.5.1985 को लगाया गया है। जांच की कार्यवाही चल रही है।

श्री रघुवर दयाल गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ में आज के समय करीब साढ़े सात हजार की आबादी है। रियासत के जमाने में करीब तीन-साढ़े तीन हजार की आबादी थी। उस वक्त इस डिस्पेन्सरी में एक डॉक्टर, दो कम्पाउण्डर्स, दो नर्सेज और फोर्थ क्लास के चार आदमी नियुक्त थे। बड़े दुख की बात है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिए आप।

श्री रघुवर दयाल गोयल : उस समय जब इतनी थोड़ी आबादी थी आसपास के गांवों की आबादी भी इतनी नहीं थी, आज रामगढ़ प्रॉपर की आबादी साढ़े सात हजार के करीब है और आसपास की दस पंचायतों की आबादी 35 हजार के लगभग है। फिर यह समझ में आने वाली बात नहीं है कि क्योंकर स्टाफ नहीं बढ़ाया जाय। एक डॉक्टर और एक कम्पाउण्डर क्या काम कर सकते हैं? न तो पूरी तरह से दवाई दे सकते हैं, न ही कोई अन्य किसी तरह से मरहम-पट्टी कर सकते हैं। मेरा निवेदन है, क्या सरकार यह बतायेगी कि इस प्रकार की नीति देहातों के प्रति क्यों है? आज जब डिस्पेन्सरी खोली जाती है....

श्री अध्यक्ष : पूछ लिया आपने, माननीय सदस्य।

श्री रघुवर दयाल गोयल : करीब तीन हजार की आबादी पर खोली जाती है जबकि आज रामगढ़ में साढ़े सात हजार की आबादी है तो क्यों नहीं संख्या बढ़ायी जाती, यह मेरा निवेदन है।

दूसरी बात है, जहां तक शिकायतों की बात है, शिकायत के लिए बताया कि 13-5 को हुई है, यह गलत है। इस से पूर्व मैं अपने स्तर पर ही 26-4 को और 10-4 को शिकायत कर चुका हूं। पब्लिक की शिकायत अलग से है। क्या यह उचित है कि दो महीने तक भी इस प्रकार की शिकायतों की कोई जांच नहीं हो। कृपया उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट जवाब आपको दिया है। उसमें मैंने तीसरे के अन्दर, माननीय सदस्य ने जो प्रथम प्रश्न पूछा है उसका सही जवाब दिया है। मैं सोचता हूं कि यह सफीशियेन्ट जवाब है। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा है कि शिकायतें की गयी हैं। शिकायतें तो की हैं और उसमें मैंने निवेदन किया कि उस पर इन्क्वायरी के लिए बृजेन्द्र पाल सिंह को 25-5-85 को आदेश दिया गया है और वह इन्क्वायरी कर रहे हैं लेकिन इन्क्वायरी करने पूर्व यह देखा गया है कि जो शिकायतकर्ता है उसका एक तो अंगूठा है, एक दस्तखत है पर कोई एड्रेस नहीं है। इसके लिए सरपंच को उन्होंने लिखा है कि सरपंच

(श्री छोगाराम बकोलिया)

एड्रेस और दूसरा बताये । शिकायतकर्ता से बातचीत करके शिकायतों के बारे में जानकारी मिल सकती है । माननीय सदस्य के पास कोई तथ्य यदि हों तो माननीय सदस्य इन्क्वायरी आफिसर को अपनी तथ्यात्मक टिप्पणी दे दें ।

श्री अध्यक्ष : इन्क्वायरी आफिसर को कह दें कि वह माननीय सदस्य से सम्पर्क कर लें ।

श्री रघुवर दयाल गोयल : 26-4-85 को मैंने अपने दस्तख्तों से एक शिकायत की है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह ।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्पेसिफिक शिकायत हुई है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नहीं अलाउ करूंगा ।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं एक जानकारी चाहता हूं जो शिकायत होती है उसकी ठीक समय में क्यों नहीं जांच की जाती है यह बड़ा ही व्यावहारिक सवाल है कि ठीक समय तक जांच करने की क्या एजेन्सीज हैं । इस प्रकार लम्बे समय तक पेण्डिग रहती हैं और गजेटेड आफिसर्स से हास्पिटल खाली पड़े हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हास्पिटल में छ. महीने से डाक्टर नहीं है । गांव वालों और मैने निजी तौर से शिकायत की है जिसकी कोई जांच नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें आप ।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि इस शिकायत के अन्दर रामगढ़ के एक नागरिक के अंगूठा दस्तख्त के द्वारा रिपोर्ट की है । शिकायतकर्ता का नाम नहीं है । जब इस प्रकार शिकायतकर्ता का नाम नहीं हो तो क्या इन्क्वायरी करेंगे ? लेकिन उसमें जो शिकायत लिखी है उन्होंने, जो कामन शिकायतें होती हैं वही दर्शायी हैं । शिकायत में लिखा है अथवा डाक्टर की दिनोदिन बढ़ती जा रही मनमानी, अनियमितता, लापरवाही, मरीजों को समय पर नहीं देखना, समय पर नहीं आना और समय से पूर्व चले जाना आदि हैं । अब यह जो शिकायतें हैं इनमें शिकायतकर्ता सिर्फ अंगूठा लगाकर अपना नाम पता नहीं दे तो इन्क्वायरी किस प्रकार कण्डक्ट कर सकते हैं । माननीय सदस्य के पास अगर कांक्रीट शिकायत हो, कांक्रीट उसके पास दस्तख्त हों तो अवश्य आपकी शिकायत को तत्परता से निपटायेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी ।

श्री रघुवर दयाल गोयल : इस से पूर्व 26 4 को मैंने अपने दस्तख्तों से....

श्री अध्यक्ष : आप से सम्पर्क कर लेंगे, मैंने कह दिया ।

श्री रघुवर दयाल गोयल : मैंने स्पेसिफिक शिकायत की है, साहब ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : पहले क्यों नहीं किया जब आपने 26-4 को स्वयं अपने दस्तख्तों से शिकायत की है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय के पास 13–5 की शिकायत आयी है....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उस से पहले की शिकायत है यह 26–4 की पहले की शिकायत है। 13–5 को इन्होंने जांच के आर्डर दिये हैं। जिनका अंगूठा नहीं है, जिनका नाम नहीं है। समझ मे आता है लेकिन जब एम. एल ए. साहब ने खुद ने की है तो उन से पूछ सकते थे आप।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कोई शिकायत हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। यह जो शिकायत मिली है उसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं। अगर आपके पास रजिस्टर हो तो You can produce it and we will enquire into it.

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : मैं पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि रामगढ़ की डिस्पेंसरी में औसतन मासिक कितने मरीज आते हैं ? क्या राज्य सरकार की इस तरह की नीति है कि औसतन ज्यादा संख्या हो जाय तो उन पर स्ट्रैंग्थ बढ़ायी जाय ? क्या उस हिसाब से इस रामगढ़ की डिस्पेन्सरी में और स्टाफ और डाक्टर की आवश्यकता नहीं है मरीजों को देखने के लिए ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जब विधायक शिकायत करता है तो उसकी अलग से फाइल रही है कि जिसमें विधायकों की शिकायतों की अलग से फाइल हो, मैं पालियामैण्ट का अनुभव बता सकता हूं कि वहां मन्त्रालय में हर मैम्बर आफ पालियामैण्ट की शिकायत की अलग फाइल होती है जिसमें उस पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है। यहां पर भी मन्त्री महोदय विधायकों की शिकायतों के लिए अलग से फाइल बनाने पर विशेष तौर से ध्यान देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो डिजायर की फाइल रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह शिकायत भी डिजायर ही है। यह विधायक की शिकायत भी Is a desire in indirect in indirect way.

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायतकर्ताओं में किसी माननीय सदस्य की शिकायत होगी तो उस का प्रायोरिटी से डिस्पोजल समय पर किया जायेगा, सरकार उसमें कोई कोर-कसर नहीं रखेगी....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : गायब कर दी गई तो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठें।

श्री छोगाराम बकोलिया : मगर शिकायत किसी मन-मुटाव के कारण से या पॉलिटिकल रीजन्स से करेंगे तो वह बात अलग से हो सकती है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने दूसरा जो प्रश्न किया था रामगढ़ की पापुलेशन के सम्बन्ध में, अकार्डिंग टू सैंस 1981 के हिसाब से वहां की पापुलेशन 6688 है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो एक ही बात है, आर्डर प्लीज ।

श्री छोगाराम बकोलिया : इस प्रकार से अगर पापुलेशन ज्यादा है तो उसके ऊपर हम वित्तीय प्रावधानों के अनुसार इस डिस्पेन्सरी को अपग्रेड करने का विचार कर सकेंगे । अगर वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होंगे, तो माननीय सदस्य की जो भावना है उसको हम मद्दे नजर रखेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न मुझे भी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अभी अपने उत्तर में यह कहा कि जो शिकायत आई है वह यह है कि डाक्टर साहब टाइम पर नहीं आते, मरीजों को अटेन्ड नहीं करते, तो क्या यह खास शिकायत नहीं है ? आप इसको ...

श्री अध्यक्ष : इन्होंने तो जांच शुरू करवा दी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : जांच तो हर बात की होगी, लेकिन मंत्री महोदय इसको गंभीर शिकायत नहीं मानते....

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, गंभीर शिकायत माना है तथा शिकायतकर्ता के अनुसार जांच की है ।

श्री भंवरलाल शर्मा . अभी आपने यह कहा था कि डाक्टर टाइम पर नहीं आता है, मरीजों को अटेन्ड नहीं करता है, शिकायत तो है पर आप इसको गंभीर शिकायत नहीं मानते हैं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : इसका उत्तर है आप एड्रेस देवेंगे, ठिकाना देवेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य बैठ जाएं । श्री लालचन्द – आप एक सवाल पूछ लें सप्लीमेन्टरी अलाउ नहीं करूंगा ।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई सप्लीमेन्टरी नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो एक बात कह रहा हूं मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया हाउस के अन्दर, वह जवाब....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें, कृपया बैठें ...

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का जवाब....

श्री अध्यक्ष : जवाब ठीक है ।

श्री लालचन्द डूडी : यह कहना कि आपस के द्वेष से शिकायत की गई है, राग द्वेष से शिकायत कर्ता ने शिकायत की है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह नहीं कहा, कृपया बैठें....आर्डर प्लीज । आपने सुना नहीं....

श्री लालचन्द डूडी : यह सिद्धान्ततः बिल्कुल गलत तरीका है । फिर हमें यह कह

(श्री लालचन्द डूडी)

दें कि सदन इसी प्रकार से चलाना है, हाउस की गरिमा····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठें···

श्री लालचन्द डूडी : या हमें कह दें कि हाउस इसी तरह से चलाना है—यह बिल्कुल गलत तरीका है···

श्री अध्यक्ष : आप बैठें···

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

परिवार एवं शिशु कल्याण योजना के स्टाफ को सुविधायें

397. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या परिवार एवं शिशु कल्याण योजना, राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड से पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग के अधीन लेने के उपरान्त परियोजना कर्मचारियों के विगत के बकाया वेतन आदि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो यह कब तक कर दिया जायेगा?

(2) क्या उक्त परियोजना कर्मचारियों के राज्य सेवा में आ जाने के बाद भी उन्हें राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं, यथा पेन्शन आदि का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक इन्हें ये सुविधायें देने के नियम आदि बना दिये जावेंगे!

पंचायत मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) विगत का नियमित वेतन का भुगतान शेष नहीं है। वेतन निर्धारण एरियर एवं अन्य भत्तों आदि का कुछ भुगतान शेष है जिसे वित्त विभाग से राशि स्वीकृत कराने के पश्चात् शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

(2) परियोजना कर्मचारियों को राज्य सेवा में लेने सम्बन्धी प्रकरण अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या पंचायत एवं विकास विभाग को स्थानान्तरित होने बाद भी जो लोगों के जो जी. पी. एफ. और सी. पी. एफ के रुपये बाकी थे वह अभी तक बाकी हैं? इसके अलावा राज्य सरकार ने कब कब स्क्रिनिंग टेस्ट करके इसको स्थायी करने के लिए आदेश दिये? उनकी अब तक इस सम्बन्ध में सचिवालय में 40 बैठकें हो चुकी हैं, अध्यक्ष महोदय, 1963 से लेकर आज तक लेकिन राज्य सरकार के बार बार आदेश देने के बावजूद भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से और जान-बूझकर डिले करने के कारण से 17 पंचायत समितियों में जो कर्मचारी हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनका बकाया भुगतान, इनका स्क्रिनिंग टेस्ट और स्थायीकरण अब आप कब तक पूर्ण करवा देंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आ जाने दीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले करीब 6 लाख 22 हजार रुपया बाकी था उसका तो मूल रूप में इनको पेमेन्ट हो गया है। टी. ए. डी. ए. का एक लाख 90 हजार रुपया इनका बकाया है, वह वित्त विभाग के सामने है और मैं सोचता हूं कि जल्दी ही इनको भुगतान हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह स्पेशल योजना थी और 12 यूनिट्स खुली हुई थीं, पहले सेंट्रल एडेड थी, उसके बाद में सोशल वैलफयर बोर्ड में आई और अब पंचायती राज को ट्रांसफर हुई सन् 1981 में। चूंकि ये नॉन-गवर्नमेंट एम्पलाइज थे, फिर भी इनको रेगुलराइज करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और मैं सोचता हूं कि सरकार इनके फेवर में कन्सीडर्ड ओपीनियन रखेगी। यह मेरा निवेदन है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने आदेश दिये, सचिवालय से आदेश चले गये, डाइरेक्टरेट में चले गये इनको स्थायीकरण करने के और स्क्रिनिंग करने के। डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ के यहां पर ये लोग बार बार जाते रहे, ज्ञापन देते रहे, सचिवालय स्तर पर मिटिंग्स हुई लेकिन राज्य सरकार के आदेशों की इस तरह से डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ जान-बूझकर अवहेलना कर रहा है। इन कर्मचारियों को एक अधिकारी की लापरवाही से इतनी हानि हो रही है। डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ को सरकार से सीधा सीधा निर्देश दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी डाइरेक्टर सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहा है। सरकार के आदेश मेरे पास हैं लेकिन वह आज तक उनकी पालना नहीं कर रहा है? उस डाइरेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करें। वह सरकार के आदेशों की अवहेलना कब तक करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि 1-1-1963 से इनका स्क्रिनिंग टैस्ट होने वाला और स्थायीकरण होने वाला था वह कब तक हो जायेगा? क्योंकि स्क्रिनिंग टैस्ट और स्थायीकरण नहीं होने के कारण इनके अधीनस्थ जो कर्मचारी थे उसका स्क्रिनिंग टैस्ट हो चुका है और जो पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट में थे वह अब उनसे वरिष्ट हो गये हैं, उनसे ज्यादा वेतन हो गया है, उनके नीचे जो काम करने वाले थे, जो इनके कनिष्ठ थे वह वरिष्ठ हो गये हैं। तो इनका स्क्रिनिंग टैस्ट और स्थायीकरण कब करेंगे और जिस डायरेक्टर की गलती के कारण इनको नुकसान हुआ है उसको दूर करके इन कर्मचारियों को लाभ पहुंचा देंगे? यह मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछ रहे थे?

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को श्री माधोपुर पंचायत समिति के सम्बन्ध में, जानकारी देना चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने फरमाया कि तनख्वाह बाकी नहीं है. योजना पहले सेंट्रल एडेड पर चलती थी लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है श्रीमाधोपुर पचायत समिति के कर्मचारियों की दो माह की तनख्वाह बाकी है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इनकी

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

जी. पी. एफ. की जो भी कटौती थी वह इनके खाते में आज तक जमा नहीं हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करवा कर इनको जल्दी से जल्दी भुगतान करवायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि इनको एड-हाक कि बेसिक पर एपाइन्टमेंट मिला, टाइम ओरियन्टेड प्रोग्राम था, 5 साल के बाद इनको परमानेन्ट करने की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन सिम्पैथेटिकली सरकार ने इनकी कन्डीशन्स को देखकर इनको मौका दिया। मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य तो, उल्टा केस आप बिगाड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं सिम्पैथेटिकली देख रहे हैं, हम इनको रेगुलराइज करना चाहते हैं। आप फरमा रहे हैं कि इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, टी. ए. डी. ए. के लिए तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मामला फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के पास विचाराधीन है, जल्दी से जल्दी हो जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, कोई अहसास की बात नहीं है, बेरी वेतन आयोग के अन्तर्गत इनका मामला विचाराधीन था, बेरी वेतन आयोग ने इनकी बात स्वीकार कर ली, बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार कर ली....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने कह दिया कि जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1-1-63 से स्क्रिनिंग टैस्ट–और स्थायीकरण कब तक हो जायेगा....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कह दिया कि जल्दी से जल्दी करेंगे।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय ने यह कहा कि आप केस बिगाड़ देंगे इसलिए हम यह सोचें कि हाउस में किसी की जायज बात रखेंगे तो उनका केस बिगड़ जायेगा, अगर ऐसी बात है तो आइन्दा....

श्री अध्यक्ष : क्या चीज ?

श्री लालचन्द डूडी : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हम सिम्पैथेटिकली कन्सीडर कर रहे हैं लेकिन आप सवाल उठाकर उसको बिगाड़ रहे हैं। हमें यह चिन्ता हो रही है कि आइन्दा अगर किसी की जायज बात है तो हाउस में न रखें अगर हम जायज बात रखेंगे तो क्या वह बिगाड़ना होगा....

श्री अध्यक्ष : पर्टीकूलर केस की बात है, जनरल की नहीं, माननीय सदस्य जनरल से मत लिंक करिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा। (व्यवधान) माननीय सदस्य कृपया बैठें। आर्डर आर्डर माननीय सदस्य कृपया बैठें।

माड़ा योजना के अन्तर्गत जमवा रामगढ़ क्षेत्र में कार्य

398. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माडा योजना में तहसील जमवा-रामगढ़ की किस पंचायत में क्या योजना स्वीकृत को गयी थी ? क्या वह पूरी हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) पंचायत साऊ, पंचायत इन्द्रगढ़, पंचायत नटाटा की योजना कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) माडा योजना के अन्तर्गत तहसील जमवा रामगढ़ की 23 पंचायतों में एनीकट, प्राथमिक शाला भवन पेयजल कूप, आश्रम स्कूल निर्माण की 70 योजनायें स्वीकृत की गयी थी इनमें से 42 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं शेष पर कार्य चल रहा है। योजनाओं की पंचायतवार सूची 'क' अ है। योजनाओं के अपूर्ण रहने का कारण प्राथमिकशाला भवनों का निर्माण कार्य सरपंचों के माध्यम से होने से समय अधिक लगना, पेयजल कूपों के निर्माण में सख्त पत्थर व अधिक गहराई पर पानी निकलना तथा एककट एनी का कार्य अपूर्ण रहने का कारण ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़कर भाग जाना है।

उक्त निर्माण की योजनाओं के अतिरिक्त माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्रोत्साहन, ग्रामीण गृह निर्माण, छायादार, फलदार पौधों का वितरण, कूप गहरे कराना एवं हिस्सा पूंजी अनुदान की योजनायें भी कार्यान्वित की जाती हैं।

(2) ग्राम साऊ पंचायत पापड़ में आता है। अलग से साऊ पंचायत नहीं है। पंचायत पापड़ में स्वीकृत एक प्राथमिक शाला भवन तथा पंचायत इन्द्रगढ़ में स्वीकृत एक कूप निर्माण की योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि ये काम कब स्वीकृत किये गये, नम्बर एक आपने कहा कि सरपन्चों के द्वारा कराये जाने के कारण देर लगी। मैं समझती हूं कि इसको आप शुद्ध करिये क्योंकि आपने कहा कि सरपन्चों के द्वारा कराये जाने के कारण देर हुई तो आपने उनको पैसा क्यों नहीं रिलीज कराया। अब यह कब तक पूरे कर दिये जायेंगे।

इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगी कि हमने जो इन पंचायतों में एनीकट बनवाने लिये प्रस्ताव भेजे हैं आपने उसकी स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं की।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्य कब कब स्वीकृत किये गये तो यह एनीकट के काम और दूसरे काम सभी एक साथ ही स्वीकृत किये गये। दोनों को साथ ही बता दूं। ग्राम पंचायत बिलोद में एक एनीकट जो स्वीकृत किया

(श्री छोगाराम बकोलिया)

गया था 81-82 में, पूर्ण हुआ 83-84 में। इसी प्रकार थली में एक एनीकट स्वीकृत हुआ 82-83 में और पूरा हुआ 83-84 में श्रीरामपुरा पंचायत समिति चावण्डिया में एक एनीकट स्वीकृत स्वीकृत हुआ सन् 81-82 में और पूरा हुआ 82-83 में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उन एनीकट का नाम गिना रहे हैं जो कि पूरे हो चुके हैं, जो पूरे नहीं हुये हैं उनके नाम नहीं बता रहे हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, सारी चीजें बता रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूरे हो चुके हैं उनके उत्तर नहीं चाहिये। जो पूरे नहीं हुए हैं और अधूरे पड़े हैं उनके बारे में सूचना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने अपने उत्तर में दोनों के बारे में सवाल किया था इसलिए पूरा जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, समय खराब कर रहे हैं, काम की बात कर नहीं रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि यह कार्य स्वीकृत कब हुए और यह कब तक पूर्ण हो जायेंगे।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं तो आपको सभी बातें बता रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने भी जनरल सवाल पूछा है। आपने भी 77 कार्यों के बारे में पूछा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो काम पूरे नहीं हुए हैं उनके बारे में बतावें। कि वह पूरे क्यों नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : कारण बता दिये ना। प्रश्न में बताया है।

श्री छोगाराम बकोलिया : जो काम पूरे नहीं हैं और जो अधूरे पड़े हैं उसके कारण बताउंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक तो 36 ऐनीकट मन्जूर किए थे सन् 83 में वह काम पूरे नहीं किये गये और कई की स्वीकृति नहीं दी गई। दूसरा जो 6 साल से मन्जूर शुदा कार्य हैं वह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं इसमें किसका दोष है।

इसके अतिरिक्त माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्रोत्साहन, छायादार फलदार पौधों का वितरण व कूप गहरे कराना यह भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि यह काम कब तक पूरे करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री छोगाराम बकोलिया : यह जो योजनायें स्वीकृत की गई थी उसमें संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ही कार्य सैंक्शन किये

(श्री छोगाराम बकोलिया)

गये थे। जो एनीकट सैंक्शन किये गये थे और आपने जो छायादार और फलदार पौधों के मामले में प्रश्न किया उसके अन्दर हमने 52, 356 पौधों को वितरित किया गया यह जो कार्य अधूरे पड़े हैं वह तत्काल पूरे कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि पंचायत नटाटा में जो एनीकट के प्रस्ताव हमने भेजे थे उनको आपने स्वीकार किया है या नहीं किया और अगर नहीं किया तो क्यों।

श्री छोगाराम बकोलिया : आपने तीन जगह के बारे में पूछा है साऊ, नटाटा और इन्द्रगढ़, इनमें एनीकट का बताऊं या पाठशालाओं का।

श्री अध्यक्ष : एनीकट का पूछ रही है।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, पंचायत साऊ में पाठशाला और एनीकट का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : यह तो सिर्फ एनीकट के बारे में जो प्रस्ताव हैं उनके बारे में पूछ रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी की पंचायतें है उनमें तो काम होना चाहिये और दूसरी में नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, वहां पर काम पूरे होने चाहिये।

श्री छोगाराम बकोलिया : सभी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर, कृपया जवाब देने दीजिये। श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह पूछना चाहूंगा कि क्या माडा योजना के अन्तर्गत जमवारामगढ़ पंचायत समिति में कुए बनाने के लिए स्वीकृत की गयी थी और उसमें अधिकांश पूरे नहीं हुए हैं। पूरे नहीं होने का कारण यह है कि एक नलकूप का पूरा कराने के लिये आपने तो दस हजार या साढे बारह हजार रुपये दिये थे परन्तु एक नलकूप को पूरा करने में 21 हजार रुपये से कम लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिये यह स्थिति है। जो आपने राशि स्वीकृत की थी वह धनराशि पर्याप्त नहीं थी तो इस धन राशि को बढ़ाने का क्या आप विचार करेंगे। इसके अलावा आपने जो नलकूप बनाने के लिये दस हजार या 12 हजार जो भी रकम दी है उसमें तो आप हैण्ड पम्प ही लगादें तो वह आठ हजार में ही लग जायेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि माडा योजना के अन्तर्गत पेयजल योजना

12

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

के लिये आप हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करावें और जो एनीकट के कार्य अधूरे पड़े हैं उनको जल्दी पूरा करावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर दिलावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य कृपया बैठें। माननीय सदस्य कृपया बैठें। माननीय मन्त्री जी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, एनीकट के काम जो अधूरे पड़े हैं और आपने अपने उत्तर में कहा था कि अधूरा काम छोड़ कर ठेकेदार भाग गया तो यह काम आप पंचायतों के माध्यम से ही जैसा कि पहले होता था करवाना शुरू कर दें तो जल्दी पूरे हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप क्या कहती थीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती थी जो काम अधूरे पड़े हैं उनके बारे में।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय विधायक ने प्रश्न उठाया, यह सही है कि नलकूप के अन्दर पैसे की कमी पड़ी। उसके लिये हम और प्रोविजन करने की कोशिश करेंगे और जो 18 नलकूप अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा कराने के लिये 1,57,827 रुपये की जरूरत पड़ेगी। इस राशि की स्वीकृति होने के बाद यह कार्य काफी जल्दी पूरे हो जायेंगे। इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा कि एनीकट के कार्य पंचायतों के माध्यम से सरपंचों के द्वारा कराये जायं इसके लिये भी उसका औचित्य देखकर गहराई से इस पर विचार करेंगे?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर सात पंचायतें हैं जिनके लिये एनीकट के बारे में पंचायतों के नाम से प्रस्ताव आये हैं और मैंने जो प्रस्ताव भेजे हैं एनीकट के उनको आप पूरे करायेंगे या नहीं? और करायेंगे तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के प्रस्ताव होंगे तो हम इस वित्तीय वर्ष में अवश्य विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि माडा योजना के अन्तर्गत जनजाति के व्यक्तियों को जो व्यक्तिगत लाभ के लिए सीधे अनुदान और ऋण दिया जा रहा है और जो व्यक्तिगत लाभ योजना के अन्तर्गत पैसा उपलब्ध है वह हर साल लैप्स होता है। यह पैसा पंचायत समितियों को देना चाहिए जिससे लोगों को ऋण और अनुदान मिल सके।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है नीति से सम्बन्धित है और इससे अलग प्रश्न किया है इस प्रश्न के दायरे में मैं समझता हू ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। 399

लाडनूं तहसील के ग्रामवासियों से प्राप्त राशि का दुरुपयोग

399. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या लाडनूं तहसील के ग्राम कोयल, खोखरी और बेड़ की जनता से दस हजार रुपये जलदाय विभाग में जमा करवाने के नाम से लेकर गबन करने की शिकायत पूर्व मुख्य मंत्री जी को की गई थी? यदि हां, तो कब तथा क्या शिकायत की ओर उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य मंत्री के जांच के आदेश के बाद भी जिलाधीश नागौर ने अभी तक कोई जांच नहीं की? यदि हां, तो क्यों? यदि की है, तो कृपया जांच रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) अब इस मामले में क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय से यहां के पत्र संख्या (प्र. शा.) सी. एम. एस. आर., एम. एस. ए. /83/140 दिनांक 21.1.1983 द्वारा एक शिकायत जो श्री हरजी राम प्रधान पंचायत समिति द्वारा की गई थी, को जांच के लिए भिजवाया गया था उस पर उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को जांच करने के आदेश क्रमांक सतर्कता/जांच/83/250 दिनांक 23.4.1983 को दिये गये थे। उप खण्ड अधिकारी डीडवाना ने जांच रिपोर्ट क्रमांक पीए/85/806 दिनांक 25.9.1983 के द्वारा भिजवाते हुए लिखा कि शिकायतकर्ता (स्वयं श्री हरजी राम बुरड़क) बावजूद नोटिस तामील के जांच में साक्ष्य नहीं पेश कर रहे हैं। इसी प्रकार सरपंच बेड, कायेल, व खोखरी भी जांच की सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार शिकायत के सम्बन्ध में साक्ष्य सबूत आदि पेश नहीं करने से व रुचि न लेने से आगे जांच स्वतः ही नहीं हो सकी।

(2) यह सही नहीं कि मुख्य मंत्री महोदय के आदेशों के बाद भी जिलाधीश नागौर ने अभी तक कोई जांच नहीं की। जांच की प्रगति का विवरण प्रश्न के भाग एक के उत्तर में स्पष्ट में कर दिया गया है।

(3) भाग संख्या एक के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है।

श्री हरजी राम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न यह पूछा था कि अगर जांच रिपोर्ट मिली हो तो प्रति सदन के पटल पर रखें, वह मुझे नहीं मिली। दूसरी बात एस. डी. ओ. ने जांच करने के

(श्री हरजी राम बुरडक)

बाद जो जांच के नोटिस दिये थे वह सरपंच वार्ड पंच और गांव के लोग उनसे मिलने उनके स्थान पर गये, जहां के लिए नोटिस मिला था। वह शाम तक बैठे रहे परन्तु एस. डी. ओ. नहीं आया। यह कहना कि जवाब दे दिया, यह गलत है। गांव वालों की शिकायतें भी पंचायत का प्रस्ताव था, दस हजार रुपये के गबन का मामला था। डीडवाना के रास्ते में जो गांव पड़ते थे उन्होंने भी उनसे पूछा था। असली सवाल यह है कि वहां के तत्कालीन अधिशाषी अभियंता रघुनाथ थे उन्होंने इस मामले की जांच की थी कि दस हजार रुपये का गबन हुआ है उसके बाद यह शिकायतें मेरी तरफ से व पंचायत की तरफ से की गई थी। इसमें मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को दुबारा देखें और जांच करने के आदेश दें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीखवाइज एस. डी. ओ. से रिपोर्ट आई थी कि इनको नोटिस दिया गया है, बावजूद इसके यह यहां नहीं आये। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अभी तक कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई तारीख पेशी तक नहीं दी, या नहीं आये। आप और सरपंच साहब कोई भी साक्ष्य या कोई भी रिपोर्ट देना चाहते हैं कि किन व्यक्तियों ने पैसे लिये और किस समय लिये किस के सामने लिये, क्या डाक्यूमेंट्स देना चाहते हैं आप, अभी भी जांच चालू है बन्द नहीं हुई है। इसलिये आप तारीख बता दें विधान सभा के सत्र के बाद, आप उस तारीख को रखवा दें तो हम एस. डी. ओ. को वहां पहुंचाने की व्यवस्था कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री गोविन्द सिंह। प्रश्न संख्या 400।

अजमेर में कैन्सर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना

400. **गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान कैंसर रिसर्च सोसाइटी, अजमेर द्वारा अजमेर में छः करोड़ की लागत वाले कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट व हास्पिटल के निर्माण, स्थापना, रख रखाव व उसे स्वयं के खर्च से चलाने के लिए वर्ष 1978-79 में अनापत्ति पत्र के लिए राज्य सरकार से आवेदन किया गया था? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या राज्य में कैंसर के उपचार के लिए कोई माकूल व्यवस्था है?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्री छोगा राम बकोलिया) : (1) राजस्थान कैंसर रिसर्च सोसाइटी अजमेर द्वारा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट व हास्पिटल की स्थापना बाबत प्रारम्भिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण तथा उपकरणों के क्रय हेतु रुपये दो करोड़ का खर्च आंका गया था इसके अतिरिक्त बतौर रनिंग केपिटल रुपये एक करोड़ की राशि भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चाही गई थी। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार सोसाइटी द्वारा सरकार से डेढ़ करोड़ की अनुदान राशि प्रस्तावित की गई थी। सरकार की ओर से अनुदान के रूप में इतनी बड़ी राशि दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) राज्य में कैंसर की चिकित्सा के लिए सन्तोष जनक व्यवस्था है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कैंसर की बीमारी का उपचार मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उसके लिये पर्याप्त व्यवस्था है मुझे दुःख है कि राजस्थान में इसके उपचार की कोई व्यवस्था सिवाय कोबाल्ट के एक-दो करंट लगाने के, राज्य में नहीं है। यह एक संस्था जिसका जन्म 1978 में हुआ था उसमें करीब पचास हजार रुपये खर्च करके इसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और सरकार से कहा कि हमारे वित्तीय संसाधन क्या होंगे वह बतायें मैं शुक्रगुजार हूं भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी का कि उन्होंने अपने स्तर से जो टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट है कैंसर की, उसके सबसे बड़े जो उस समय डाक्टर थे डा. जसरावाला उनसे यह रिपोर्ट बनवाई। उसके आधार पर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई उस पर जो सोसाइटी है उसने कहा था, कि हम केवल इतना चाहते हैं और मैं आपको पुनः दोहराना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट की बात आपने बतायी है सोसायटी ने आपसे और राजस्थान सरकार से कहा कि हम इसके लिये सरकार से कोई धन नहीं चाहते, राजस्थान सरकार इस इंस्टीट्यूट के लिये जमीन के मेक्षानब रेट पर दे दे बाकी 6 करोड़ रुपये हम अपने संसाधनों से जो तैयार कर रखे हैं उनसे इस इंस्टीट्यूट को बनाना चाहते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक तो यह बात पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में भी यह संसाधन अपने ढंग से इस इंस्टीट्यूट को बनाना चाहते हैं, क्या वह अंश्योरेंस अनापत्ति पत्र इस के साथ देने को तैयार हैं, एक बात।

श्री अध्यक्ष : With recurring expenditure. अपनी तरफ से मकान बनाना चाहते हैं या रेकरिंग एक्सपेंडीचर।

श्री गोविन्द सिंह : यह भी है साहब करीब छः करोड़ रुपये की उनकी योजना है। छः करोड़ में से चार करोड़ रुपये तो भवन और इक्वीपमेंट वगैरा में लगायेंगे और दो करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपाजिट में रखकर उससे करीब बीस-तीस लाख रुपये साल के उनको मिलेंगे उससे इसको चलाना चाहते हैं। यह उन्होंने तत्कालीन मुख्य मन्त्री और उसके बाद जो मुख्य मंत्रीजी आये उनको भी बताया था। एक मानवता की भावना से, राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट करना चाहती है और सोसाइटी बनी है तो उसमें है, आपभी जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, हम भी जानते हैं कि इस प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनकम टैक्स के द्वारा एक सौ दस परसेंट रिबेट मिलती। जो उद्योगपति हैं पैसे वाले लोग है जो इंसान की सेवा करना चाहते हैं वे इस पैसे को इसमें लगा सकें वे केवल अनापत्ति पत्र जो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। इसमें एक ही बाधा है कि एस. एम. एस के लोग चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय, जवाब दें। आप पहले तो अन्तर वाला जवाब दे दो कि उसमें आप क्या सोचते हो। सारा पैसा लगा कर इंस्टीट्यूट बजाने वाली बात है। जमीन भी पैसा देकर चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : यह कैंसर की माकूल व्यवस्था कहां-कहां है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, एक तो इन्होंने यह चार्ज लगाया कि इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, मैं इसमें इतना सी कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हम इस कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट को खोलने के लिए अलग से और प्रावधान करने के लिए कई कार्यवाहियां कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं एन-ओ. सी. का जवाब दे दूंगा। जयपुर में रीजनल....

श्री अध्यक्ष : अजमेर के बारे में पूछा है उसका आप जवाब दे दो।

श्री छोगाराम बकोलिया : अजमेर के बारे में जो माननीय सदस्य अपनी तरफ से प्रपोजल बता रहे हैं अगर इसमें सत्यता है और छः करोड़ रुपये का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री छोगाराम बकोलिया : अगर इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से पूरा खर्चा वहन करके रेकरिंग अमाउन्ट अगर देना चाहती है तो हम तो उनका वेलकम करेंगे। and we have no objection to such sort of instituties.

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : धन्यवाद।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सरकार के पास प्रपोजल आया हुआ है।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि प्रपोजल था पहले पर डेढ़ करोड़ रुपये की मांग की गई थी अनुदान की राशि में और जो माननीय सदस्य जिनका नाम रेफरेंस में कहा गया उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपया मांगा है सरकार से।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, सूचना आ गई।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि राजस्थान में कैंसर रोग के निदान की समुचित व्यवस्था है....

श्री अध्यक्ष : संतोषजनक व्यवस्था है।

श्री रमजान खां : मैं यह जानना चाहता हूं कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक मशीन जो सेक के काम में आती है कोबाल्ट मशीन वह भी अमूमन खराब पड़ी रहती है और जब कभी भी कैंसर का रोगी सिकाव कराने के लिए आता है तो एक ही जवाब मिलता है कि कोबाल्ट की मशीन खराब पड़ी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस पुरानी मशीन को बदलकर इसकी जगह नयी कोबाल्ट मशीन खरीदने का विचार रखती है ?

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

(श्रीमती विद्या पाठक)

मंत्रीजी की सन्तोषजनक और माकूल व्यवस्था को चैलेंज करते हुए क्वेश्चन के पार्ट नं 2 के सन्दर्भ में पूछना चाहती हूं कि मन्त्री महोदय क्या आपकी यह जानकारी में है कि जयपुर के बाजार में, कैंसर जो असाध्य रोग है और जिसके रोगी के बचने की सम्भावना बहुत कम है और अस्पताल में वह तभी जाता है जब उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है क्या ऐसे रोगियों को जो दवाइयां मिल रही हैं वह स्पूरस, मिलावटी और खराब मिलती है । इन्जेक्शन ऐसे हैं कि जिनको आप बिना माइक्रोस्कोप एम्पूल्स को देखें तो उसमें क्रिस्टल्स नजर आते हैं और ऐसा मैंने एक एम्प्यूल सदन की मेज पर भी रखा था तो क्या आपके कान खड़े हुए कि जो मैंने एम्प्यूल रखा है उसकी जांच करवाई जाये ।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने अभी कहा कि इसके लिए समुचित रकम की इतनी मोटी रकम की व्यवस्था नहीं है । क्या राजस्थान सरकार कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए जितना और नाच गाने और स्ट्रीट डांसर्स के लिए खर्चा करना चाहती है वह प्राथमिकता इस असाध्य रोग को देने के लिए रखती है या नहीं ? राजनैतिक सोच की बात है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जयपुर की व्यवस्था के लिए कहा था और उसमें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कैंसर के लिए पेथोलोजी विभाग में बायोप्सी, साइटोलोजी, फ्रोजेन सेक्शन व बोनमरो सुविधा की व्यवस्था है । न्यूक्लियर मेडिसिन में गामा केमरा तथा फास्ट रेक्टीलानियर आर्गन इमेजिंग की व्यवस्था है । रेडियो डायग्नोसिस द्वारा अल्ट्रा साउण्ड सोनेग्राफी की भी टेस्टिंग होती है । नाक कान व गला विभाग द्वारा माइक्रो सर्जरी का कार्य होता है और गायनोकालाजी एवं आब्स्ट्रेटिक्स विभाग में कोल्पो स्कोपी की भी व्यवस्था है । इसके साथ ही सर्जरी विभाग, में शल्य चिकित्सा. रेडियो थेरेपी विभाग में, कोबाल्ट 60 टेली थेरेपी, डीप एक्सरे, सुपर फिसियल थेरेपी, कीमो थेरेपी, रेडियो आयसोटोप थेरेपी व इम्यूनो थेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है । यह जयपुर में इतनी सुविधायें उपलब्ध हैं । इसके अलावा भी...

श्री भंवरलाल शर्मा : आप समझ गये क्या ?

श्री छोगाराम बकोलिया : जवाब तो सुनो ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री महोदय आप समझ गये क्या खुद तो ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कोबाल्ट यूनिट के लिए कहा गया, एस. एम. एस. हास्पीटल के लिए तो एक और नया कोबाल्ट यूनिट खरीदने के लिए आदेश दे दिये गये हैं यह माननीय सदस्य की इनफर्मेशन के लिए कहना चाहता हूं और इसके अलावा भी हमने जयपुर में रीजनल कैंसर सेन्टर स्थापित करने के लिए हमारे माननीय चिकित्सा मन्त्री जी ने केन्द्रीय मन्त्री जी को लिखा है जो कि 6।। करोड़ रुपये की लागत से बनेगा । उसके बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी वापिस उनको याद दिलाया है कि, वह इस पर कार्यवाही करें और भारत सरकार

18

(श्री छोगाराम बकोलिया)

के मन्त्री जीने कहा कि हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं और गौर कर रहें हैं। कि रीजनल कैंसर सेन्टर स्थापित हो सके उसके लिए कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए हम पूर्णतया सजग है और इसके लिए रीजनल कैंसर सेन्टर खोलने के लिए भी पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....माननीय सदस्य बैठें हैं।

श्रीमती विद्या पाठक ने एक दो प्रश्न पूछे थे दवाइयों के बारे में। बाजार में जो दवाइयां बिकती हैं वह मिलावटी होती है उसके बारे में पूछा था। कृपया उसके बारे में जानकारी हो तो बता दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : दवाइयों की खरीद के बारे में जो कैंसर के बारे में रिपोर्ट बताई है यह अजमेर के प्रश्न से मिलता जुलता नहीं है और इसकी इन्फार्मेशन एटटैंडम मेरे पास अभी नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने तो सारे रिकार्ड तोड़ दिये। यहां पर एक इन्जेक्शन एफ. एफ. यू. एम्प्यूल 250 की शिकायत की गयी उसके लिए कान खड़े हुए या नहीं। इसकी चीफ ड्रग इन्सपेक्टर से जांच करवाई जावे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या इससे सम्बन्धित नही है। तत्काल जवाब देना सम्भव नही है। इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।.... आर्डर प्लीज....पर्टीकुलर इन्जेक्शन की बात कर रही हैं वह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं बता रही हूं कि इस सवाल से कैसे सम्बन्धित है। इन्होंने कहा है कि कैंसर के उपचार के लिए माकूल और संतोषजनक व्यवस्था है। यह संतोषजनक व्यवस्था है क्या कि दवाइयां गलत मिलती रहे और वह जांच नहीं करायें। यह नहीं कह सकते कि हमें जानकारी नहीं हैं। पूरे हाउस को जानकारी है, पूरे राजस्थान को अखबारों के माध्यम से जानकारी है और इन्हें जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया।

श्री छोगाराम बकोलिया : यह माकूल तो आपने अपनी तरफ से जोड़ा है मैंने तो संतोषप्रद कहा है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मन्त्री महोदय, अब आप जांच करवायेंगे क्या ?

श्री छोगाराम बकोलिया : आप जानकारी में लायेंगे तो जरूर जांच करवायेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : तीन बार जानकारी हो गई अब क्या जानकारी होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य एक एक पूछे । आप सब बड़े हो गये हैं । नियमों का पालन करें, कृपया ।

माननीय सदस्या बोल रही हैं वह सक्षम हैं । उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है । वह स्वयं सक्षम हैं ।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या ने शिकायत की है उसकी जांच की आवश्यकता है, वह मै जांच करवा लूंगा ।

श्री हरजीराम रड़क : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया था कि कैंसर के इलाज की समुचित व्यवस्था है जब कि पूरक प्रश्न के उत्तर में यह कह रहे हैं कि अभी भारत सरकार को राजस्थान 6।। सरकार ने करोड़ की योजना भेजी है कैंसर इन्स्टीट्यूट के लिए—

श्री अध्यक्ष : आप गलत समझ रहे है उसमें लिखा है कि संतोषजनक व्यवस्था है समुचित नहीं लिखा है । समुचित और संतोषजनक में बहुत बड़ा फर्क है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : जब संतोषजनक व्यवस्था है तो दूसरे की जरूरत नहीं है । और अगर जरूरत है और भारत सरकार को लिखा है तो अजमेर की यह संस्था सिर्फ इजाजत ही मांग रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष : वह तो कह दिया इन्होंने ।

श्री लक्ष्मण सिंह

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री ने फरमाया कि राज्य सरकार से 1।। करोड़ की इसमें सहायता मांगी गयी है ।

श्री अध्यक्ष : वह तो बात ही खतम हो गई, वह तो छः करोड़ देने को तैयार हैं ।

श्री लक्ष्मण सिंह ; अगर 1।। करोड़ राजस्थान सरकार को नहीं दे सकते तो फिर आवश्यकता पड़ने पर कितनी राशि राज्य सरकार दे सकती है ?

श्री अध्यक्ष : वह देने का सवाल ही नहीं है छः करोड़ तो वह खुद ही दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

कृपया बैठें । इससे सम्बन्धित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया था एक बात तो अभी मन्त्री महोदय ने अन्त में बताया कि हम भी इस तरह की थोड़ी शुरूआत करने की कार्यवाही कर रहे हैं । तो मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पास संसाधनों की कमी है और इसलिए 6।। करोड़ रुपया इकट्ठा करना निकट भविष्य में सम्भव नहीं है । तो एक संस्था जब इसी प्रोजेक्ट को लेकर आपके सामने आ रही है और अगर कभी आप महसूस करें कि हम इसको रन करना चाहते है तो जब चाहें तब इसको ले लें । मैं आपको अण्डरटेकिंग करा दूंगा कि जब भी राजस्थान सरकार इसको स्वयं रन करने के लिए लेना चाहें तो ले लें....

श्री अध्यक्ष : यह कह दिया इन्होंने। ····माननीय सदस्य ···

श्री गोविन्द सिंह गूजर : यह पेरेलल कार्यवाही और कर रहे हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय, आपने अभी अभी आश्वासन दिया है कि आप दवा की जांच करवा लेंगे तो आप कृपया बतायें कि अब वह दवा कहां है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज····माननीय सदस्या, मंत्री महोदय से आप क्या पूछना चाहती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : I am not questions the House.

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री महोदय से जबाव पूछ रही हैं। दवा तो आपने मंत्री महोदय को दी नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्री महोदय को प्राप्त कर लेनी चाहिये थी। जैसे ही पता लगा प्राप्त कर लेनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या कृपया बैठें। श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी : (बिलाड़ा) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो नम्बर दो का प्रश्न है····

अनेक माननीय सदस्य : प्रश्न दो नम्बरी है ?

श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी : सवाल के भाग दो का जो इन्होंने उत्तर दिया कि पूरे राजस्थान में कैंसर की उपचार की संतोषजनक व्यवस्था है तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में वर्तमान में कैंसर के उपचार के लिए क्या व्यवस्था है ?····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठें ?····आर्डर प्लीज····

श्री छोगाराम बकोलिया (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जबाब दे दूं····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लीजिए····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती थी कि क्या सदन में कोई चीज रखी जाती है। तो क्या आपकी इजाजत से रखी है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं इजाजत से नहीं रखी है। मैं कह रहा हूं कि नहीं रखी गई थी माननीय सदस्या, कृपया बिराजें। आर्डर प्लीज। कृपया इस प्रकर में नहीं आवें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

या तो आपको वह कम्प्यूल वापस लौटा देना चाहिये था, नहीं तो आप कहां से लायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। माननीय सदस्या बैठें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो जैसे शासन उड़ा दे वैसे ही हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठें। अब कोई सप्लीमेंट्री अलाऊ नहीं किया जावेगा।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो भाव में कहा है कि हम थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं राज्य सरकार इस रीजनल केन्सर सेंटर को स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। 8-4-85 को हमारे हैल्थ मिनिस्टर ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा।....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री छोगाराम बकोलिया : संक्षेप में बता रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

श्री छोगाराम बकोलिया : उसके बाद में 18-4-85 को केन्द्रीय मंत्री जी का यह पत्र आया है

"My dear Mr. Singh,

Kindly refer to your letter No.F.6(8) MPH/83/Gr. II dated 8th April, 1985, regarding establishment of regional cancer and research centre in Jaipur. I am getting the matter examined."

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मंत्री जी कृपया आप बैठें। पूर्ण हो गया जवाब।

नैक्स्ट। स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न सं 89

(दिनांक 4 जुलाई, 1985)

श्री रामदेव !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रतन लाल ताम्बी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 जुलाई, 1985)

ग्राम पंचायत सरपंचों द्वारा पंचायत राशि का दुरुपयोग

105 **श्री रतन लाल ताम्बी** : (जहाजपुर) क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जहाजपुर पंचायत समिति के अन्तर्गत किस किस पंचायत के सरपंच ने पंचायत राशि को बैंक एवं डाकघरों मे नियमानुसार जमा न करा कर कितनी कितनी राशि का दुरुपयोग किया है ?

(2) जनवरी, 1982 से जून 1985 तक प्रत्येक माह बैंक डाकघरों एवं उस पंचायत में कितनी कितनी राशि जमा रही है ? कृपया प्रत्येक पंचायत का उक्त अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अधिक राशि को शेष रखकर दुरुपयोग करने के मामलों मे किस किस दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें। यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो उसका क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि पूर्व पंचायतों के सरपंचो ने नई पंचायतों में शेष राशि नये सरपंच को पूरी सभला दी है ? नहीं, तो किस किस सरपंच ने राशि कब कब चार्ज में विलम्ब से दी है ? उनके विरुद्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायत मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) पंचायत समिति द्वारा सरपंच पडेर, रावतखेडा तथा ऊंचा को नोटिस दिया गया है। निर्धारित सीमा से निरंतर अधिक राशि रखने वाले सरपंचों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही के लिए जिलाधीश को लिख दिया गया है।

(4) सरपंचों द्वारा चार्ज में राशि सम्भालने की सूचना का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। श्रीमती प्रेम कंवर भूतपूर्व सरपंच, रोपा द्वारा चार्ज नहीं दिया गया जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, एक तो जो विवरण मंत्री महोदय ने हमको दिया है, वह प्रश्न के अनुसार पूर्ण नहीं है। दूसरा दो तीन सरपंचों के अतिरिक्त जिनके पास सर्वाधिक राशि है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की"। तीसरा सवाल यह है कि विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी और बी डी ओ, में तीन तीन एजेन्सिया पचायतों के निरीक्षण के लिए है। उसके बावजूद जहाजपुर पंचायत समिति में जो मेरे पास सूची है उसके अनुसार लाखों रुपया सरपंच के पास निजी उपयोग में आ रहे है। मैं चाहता हूं जिन अधिकारियों ने ढिलाई की है समय पर इन्सपेक्सन नहीं किया इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग हो रहा है उनके खिलाफ आप कुछ कार्यवाही करेंगे और जिन लोगों के पास राशि अत्यधिक बैलेंस मे है वह एक महीने

(श्री रतन लाल ताम्बी)

में आप बैंक या डाकखाने में जमा कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य इनफर्मेशन की की फरमा रहे हैं 58 पेजेज में इन्फर्मेशन दी गई है और हर एक सरपंच के बारे में दी है। माननीय सदस्य, पेज नं० 2, 24, 30 और 45 भी देखें तो हमने क्या एक्शन लिया है क्या कार्यवाही की है उनका भी विवरण दिया गया है। जहां तक बी डी. ओ. का और दूसरे अधिकारियों का सवाल है अगर उनका वास्तव में इन्वाल्वमेंट है और गलती है और उनके इनएक्शन के कारण नुकसान हुआ है तो मैं बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लूंगा।

श्री रतन लाल ताम्बी : जो राशि सरपंचों के पास अत्यधिक है उसको कब तक आप बैंक या डाकखानों में जमा करवा देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही, आज से कोई महीना भर पहले ही एक जनरल आर्डर किया है कि नियमानुसार ही सरपंचों को राशि अपने पास रखनी चाहिए बाकी की राशि जमा करा देनी चाहिये। उसके बाद भी अगर कोई सरपंच उसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।

श्री रतन लाल ताम्बी : आपने जो विवरण दिया है इसमें 23 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें सर्वाधिक राशि जमा है। आपने कहा कि हमने लिख दिया है किसी के पास यह लिखने की कार्यवाही तो वर्षों से चल रही है। मैं निश्चित अवधि चाहता हूं किसी के पास एक साल से, किसी के पास दो साल से है तो एक तो निश्चित अवधि में पैसा जमा कराने की व्यवस्था करेंगे एक तो मैं यह चाह रहा था। दूसरा जैसा मैंने निवेदन किया, आपने कहा है कि हमने लिख दिया है मैं चाहता हूं कि बी डी ओ, ए डी ई ओ, पंचायत प्रसार अधिकारी इनकी जिम्मेदारी क्या है ? आपने किसी व्यवस्था में, नियमों में निर्धारित कर रखा है ? यदि है तो उसके अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं होती।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : एक सरपंच कितनी राशि अपने पास रख सकता है और कितनी अवधि तक रख सकता है ?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप बी डी ओ के माध्यम से रिकवरीज कराने चाहते हैं लेकिन बी. डी. ओ. को पी. डी. आर. एक्ट के तहत कोई पावर नहीं है और बी डी. ओ रिकवरी करने में डिफिकल्टी फील करता है तो क्या आप किसी सक्षम अधिकारी को या बी. डी. ओ. को पी डी आर एक्ट के तहत पावर देंगे ताकि रिकवरी की प्रोसीडिंग्ज को अधिक सक्षम बनाने का प्रयत्न कर सकें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ताम्बी जी का प्रश्न है, एक तो भूतपूर्व पंचायत राज मंत्री ने जो प्रश्न किया, मैं परसनली फील करता हूं, सरकार फील करती है कि जो 20 रुपये का प्रावधान है कि सरपंच 20 रुपये और अगर

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

वहां बैंक या पोस्ट ग्राफिस नहीं है तो 100 रुपये तक रख सकता है....

श्री दिग्विजय सिंह : 20 रुपये नहीं है। 200 रु. का है.... । ग्राप चैक कर लें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं चैक कर लूंगा पर जो मैं कह रहा हूं। वह सही है। जहां तक जहांजपुर पंचायत समिति का सवाल है जिस जिस सरपंच के खिलाफ पाया है ग्रनियमितता हुई है, सरपंच के खिलाफ भी कार्यवाही की है। ग्रौर यदि किसी ने नियमों के खिलाफ उल्लंघन किया है ग्रौर माननीय सदस्य खास तौर से इन्फर्मेशन फरमा दें तो....

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : पंचायतों का ग्राडिट होता है....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्राडिट होता ....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : परमानेंट व्यवस्था व्यवस्था कीजिये इसकी....

श्री ग्रध्यक्ष ग्रार्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, सुराना साहब ने जो फरमाया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बी. डी. ग्रोज को पी. डी. ग्रार. एक्ट के तहत....

(12.00 मध्याह्न)

ग्रगर सरकार फील करेगी कि उनको कोई एक्स्ट्रा पावर देना हो तो Certainly we will consider it.

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : बी. डी. ग्रो. को नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : I know it.

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य....माननीय सदस्य।

श्री देवी लाल जी।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज ताम्बी साहब सरपंच के बारे में प्रश्न करयो मंत्री जी सूं। म्हारा गांव को सरपंच है ग्रौर डेढ़ सो मन धान मजदूरा को खायोड़ो है ग्रौर ऊंकी कार्यवाही सी. बी. ग्राई. ग्रठै जयपुर सूं जांच हो गई दो बारी। पांच हजार को एक गबन निकल्यो। ऊंको चालान हो गयो ग्रौर व सरपंच ने ये ताम्बी साहब भाटी साहब से कह बाकी बात खतम करा दी....

(व्यवधान)

पांच हजार को गबन करयो वो गबन तो सरकार को है ग्रौर डेढ़ सौ मन धान 120 जना का 13 दिन को मस्टरोल एक ग्रौर सात दिन को मस्टर रोल एक ग्रौर वह धान बाकी है, वह धान बाकी दिलवाबो, ग्रा म्हारी निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने इस प्रश्न का स्थगन चाहा है 117 का स्थगन मांगा है। इसलिये मैं इसको पुनः स्थगित करता हूं। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, औषधियो की खरीद में वास्तव में बहुत बडी गड़बड़िया हुई हैं। यह जिन्दगी का प्रश्न है। आयुर्वेद औषधि नकली खरीदी जाय तो जिन्दगी का प्रश्न है....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था....।

(व्यवधान)

माननीय नाथू सिंह जी, माननीय देवीलाल जी बैठें ....।

(व्यवधान)

श्री देवीलाल : .... घर से निकल्यो हूं म्हारे घरा पहुंच जाऊं जदै जदै....

(व्यधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज....।

अनेक माननीय सदस्य : उनको डराया धमकाया जा रहा है....।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरो पर है। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय देवी लाल जी को डराया, धमकाया जा रहा है। इनकी जिन्दगी को खतरा पैदा हो गया है,...

(व्यवधान)

सुरक्षा की गारन्टी होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन के आदेशों की पालना करें, माननीय सदस्य....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उनको डरा कर बिठाया गया है।

अध्यक्ष : आसन ने बैठाया है, आसन के आदेशों से बैठें है। कृपया शान्त रहे, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर रूल्ड आउट।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप आसन की तरफ नहीं देखते हैं, आसन ने उनको बिठाया है।...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अगर हाऊस में माननीय सदस्य की यह हालत है तो बाहर क्या होगा ?

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठें, माननीय माथूसिंह जी, कृपया बैठें.... आर्डर प्लीज। शासन ने आदेश दिये है और उस पर माननीय सदस्य बैठें हैं। व्यवस्था बनाये रखने में मदद करें।.....

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 जुलाई, 1985)

इन्दिरा गांधी नहर कालोनी, रामगढ़ (जैसलमेर) का निर्माण कार्य

89. **श्री रामदेव** (मूंडवा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर कालोनी रामगढ़ जिला जैसलमेर में निर्माण सामग्री हेतु चूना की सप्लाई बीकानेर व गोटन (नागोर) से ली गई ?

(2) क्या स्वीकृत एग्रीमेन्ट के अनुसार संबंधित ठेकेदारों द्वारा चूना वास्तविक रुप से उक्त स्थानों से सप्लाई किया गया ?

(3) क्या सम्बन्धित ठेकेदारों को वास्तविक ढुलाई हेतु भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भिन्न भिन्न श्रोतों से रामगढ़ कॉलोनी के निर्माण कार्यों के लिये तथा-कथित लाये गये चूने की मात्रा व ब्यौरा नहीं रखा गया।

(2) व (3) हालांकि कुछ ठेकेदारों ने गोटन या बीकानेर से चूना लाने की शर्त निविदाओं में रखी थी, लेकिन रामगढ़ में चूना उपलब्ध होने के फल स्वरुप अधिशाषी अभियंता ने जांच करवाकर चूना रामगढ़ से ही लेने हेतु नियमानुसार आदेश प्रसारित किये एवं भुगतान उसी के अनुसार किया गया।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर शहर के पास आरक्षित भूमि

509. **सुश्री गिरिजा व्यास** (उदयपुर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उदयपुर शहर व उसके आस-पास 'ग्रीन बेल्ट' के नाम से कुछ भूमि को आरक्षित किया गया है ?

(2) इस प्रकार की आरक्षित भूमि का क्या उपयोग होगा, और उसमें से काश्त और आबादी के लिये भूमिहीन व आवास-हीन व्यक्तियों को भूमि देने की भी क्या कोई व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) उदयपुर शहर एवं उसके आस पास के लिए उदयपुर शहर के प्रारुप मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के नाम से भूमि आर-क्षित किए जाने का प्रस्ताव है।

(राजस्व मंत्री)

(2) उदयपुर शहर के प्रारूप मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के प्रस्ताव के अनुसार ऐसी भूमि में कृसी वन, संरक्षण, पशुपालन तथा कृषि आधारित कार्यो एव ग्रामीण सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। उक्त ग्रीन बेल्ट के क्षेत्र में भूमिहीन को कृषि के लिए तथा गांवों के आवासहीन व्यक्तियों को सम्बंधित गावों के लिए पारित साधारण आबादी विस्तार योजनाओं में भूखण्ड दिए जा सकते हैं।

सीलिंग अधिनियम के तहत अधिग्रहीत भूमि

510. श्रीडूंगरराम पंवार (टीबी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सर्वश्री जंगीरकौर, मानकौर, मुख्त्यारसिंह, बलदेवसिंह,, बलवीर सिंह, गमदूरसिंह वगैरा साकिन मसानी तहसील टीबी जिला श्री गंगानगर के विरुद्ध सीलिंग नियम के तहत अधिग्रहण होने वाला कमाण्ड 738 बीघा 15 बिस्वा रकबा छुपाने का प्रकरण प्रकाश में आया है ?

(2) क्या उक्त संबंध में कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कृपया शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त प्रकरण उप सचिव, उपनिवेशन, राज. जयपुर को अगस्त, 1984 में भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। इस प्रकरण में राजस्व मण्डल के सदस्य द्वारा विस्तृत जांच करने के आदेश दिये गये है।

(शिकायत के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

तहसीलदार, लाडनूं के विरुद्ध शिकायतें

511. श्री हरजी राम बुरडक(लाडनूं) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार लाडनूं के खिलाफ कई शिकायतें जिलाधीश नागौर व राज्य सरकार व राजस्व मण्डल को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब कब कौन कौनसी शिकायतें, किस 2 के द्वारा की गई ? तथा उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? कृपया शिकायतों का विवरण मय उन पर की गई कार्यवाही के सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन शिकायतों पर कार्यवाही अभी नहीं हुई है, उन पर कब तक कार्यवाही की जायेगी, और अभी तक कार्यवाही न होने के कारण क्या हैं ? व किस स्तर पर देरी हुई ? कृपया विवरण सदन को मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। तहसीलदार लाडनूं श्री घमंडा के विरुद्ध सर्व श्री कन्हैयालाल मेठी अध्यक्ष नगर पालिका लाडनूं, फुलेखा अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी आई लाडनूं, एवं दुर्गा प्रसाद सैनी के द्वारा की गई दो

(राजस्व मंत्री)

शिकायते राजस्व मण्डल में प्राप्त हुई थी जिन्हे दिनांक 9-1-85 को वास्ते जांच जिलाधीश नागोर को भेजा गया है। जिलाधीश नागोर ने उपरोक्त दोनों शिकायतों में अंकित बिन्दुओं की जांच अतिरिक्त जिलाधीश (सीलिंग) नागोर द्वारा करा रहे है।

उपरोक्त शिकायतें मुख्य रुप मे इस आशय की है कि श्री घमंदास तहसीलदार लाडनूं द्वारा (1) दिनांक 27-10-84 को कब्जा सुद, पट्टा सुद चार दिवारी से गिरी भूमि श्री महावीर हायरसैकेण्डरी स्कूल की भूमि, एवं अन्य कई मकानों को 15-16 व्यक्तियों के नाम जरियें रजिस्ट्री के बेचान करवाने, खरीददारों में तहसीलदार लाडनूं के नजदीकी रिश्तेदार शामिल होने एवं उनके रजिस्ट्री के दिन लाडनूं में उपस्थित नहीं होने (2) वर्षो से बसे हुए लोगों को अतिक्रमी मानकर बड़ी संख्या मे लोगों को नोटिस दिये जाने, एवं (3) नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अड़चन पैदा करने और ऐसी भूमि को 145 सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत कुर्क कर अपने कब्जे में लेने के सम्बन्ध में है।

(2) शिकायतों की जांच अतिरिक्त जिलाधीश (सीलिंग) नागोर द्वारा करायी जा रही है। जांच अधिकारी द्वारा शीघ्र ही जांच सम्पन्न करा जांच प्रतिवेदन पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

डूंडलोद कस्बे में द्रुतगामी बस सेवा

512. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले के डुन्डलोद कस्बे में द्रुतगामी सेवाओं के रुकने का आदेश द्रुतगामी आगार जयपुर द्वारा दिनांक 17-0-1984 क्रमांक 8365 जारी किये गये है, और इनकी पालनार्थ दिनांक 14-12-1984 को क्रमांक 9769 द्वारा पुनः आदेश जारी किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों की पालना नहीं हुई है और अब भी द्रुतगामी सेवाओं के नहीं रुकने से वहां की जनता को असुविधाएं है?

(3) कब तक डुन्डलोद में द्रुतगामी सेवाओं के रुकने का मुकम्मिल प्रबन्ध हो जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जयपुर-सीकर-झुन्झुनू-पिलानी व लुहारू मार्ग पर संचालित सभी द्रुतगामी सेवायें डुन्डलोद कस्बे में रुकने की व्यवस्था कर दी गई है तथा डुन्डलोद कस्बे में एक सहायक यातायात निरीक्षक को दिनांक 28-6-85 से पदस्थापित कर द्रुतगामी सेवाओं को रुकवाने हेतु पाबन्द कर दिया गया है। निर्देशों की अवहेलना करने वाले चालक/परिचालक को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश भी क्रमांक 1122 दिनांक 2-7-85 द्वारा प्रसारित कर दिये गये हैं।

खनिज क्षेत्रों में सड़कें

513. **श्री हरिमोहन शर्मा** (बूंदी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हरिमोहन शर्मा)

खनिज क्षेत्रों में सड़क बनाने हेतु राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

खनिज क्षेत्रों में सम्पर्क सड़क बनाने का मुख्य उद्देश्य खनिज बाहुल्य क्षेत्रों में खनिज आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। किसी भी सम्पर्क सड़क का निर्माण करने से पूर्व उस सड़क से लाभान्वित होने वाले खनन-पट्टों की संख्या, क्षेत्र में उपलब्ध खनिज की किस्म व मात्रा, खनिज ढोने वाले वाहनों की आवागमन की संख्या तथा सड़क निर्माण के खर्चे के मुकाबले क्षेत्र से राज्य को खनिजों के खनन व निर्गम से होने वाली आय में वृद्धि के अनुपात को दृष्टिगत रखा जाता है। जिन सड़कों के बनने से खनिज उत्पादन तथा राजकीय आय बढ़ने की संभावना हो, उन सड़कों का निर्माण कराया जाता है।

सांचोर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

514. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील जिला जालोर में एक क्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर में खोला गया है ? अगर हां, तो कबसे ? इसमें कितनी शैय्याओं की व्यवस्था कबसे होगी, एवं इसमें कितने डाक्टर्स एव कितने लेडी डाक्टर्स होंगे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम चीतलवाना तहसील सांचोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर किया गया है ? अगर हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम अरणाय तहसील सांचोर में गांव वालों द्वारा डिस्पेन्सरी के लिये उपयुक्त भवन बना दिया गया है, परन्तु सरकारी आश्वासन के बावजूद अभी तक इसमें डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त बने अस्पताल में सरकार द्वारा डिस्पेन्सरी मंजूर करके डाक्टर की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(4) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में कई सब सेन्टर परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य विभाग के बने हुए पड़े हैं ? परन्तु उनमें कोई स्टाफ नहीं है ? अगर हां, तो ऐसे सब सेन्टर कहां कहां पर हैं एवं उन मे स्टाफ कब से नहीं है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। उनमें स्टाफ की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि सांचोर में कई स्थानों पर हैल्थ एड पोस्ट खुले हुए है. परन्तु वहा पर कोई स्टाफ तैनात नही है ? अगर हां, तो कहां कहां पर, कब से स्टाफ तैनात नही है ? अब उक्त एडपोस्टों में स्टाफ की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां । वर्ष 1983-84 में चितलवाना में सहायक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है।

(3) ग्राम अरणाय तहसील सांचोर में डिस्पेन्सरी हेतु भवन बनने की कोई सूचना विभाग के पास नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है।

(4) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

रिक्त पदों की पूर्ति, प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर कर दी जावेगी।

(5) सांचोर में तीन एडपोस्ट खुले हुये हैं जिनमें दो पर स्टाफ पहले से तैनात हैं तथा एक पर स्टाफ के पदस्थापन के आदेश जारी कर दिये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

हनुमानगढ़ व सरदार शहर के राजकीय चिकित्सालय

515. **श्री शोपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हनुमानगढ़ व सरदारशहर के राजकीय हॉस्पिटल में कितने बेड हैं?

(2) पिछले दो वर्ष में दोनों हॉस्पिटल्स के आउटडोर व इन्डोर पेशेन्ट्स की संख्या कितनी रही? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) हनुमानगढ़ व सरदारशहर के हॉस्पिटल्स में डाक्टर्स व अन्य स्टॉफ की संख्या कितनी है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल को पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री जी ने 120 बेड का घोषित कर उद्घाटन कर दिया था? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(5) क्या यह सही है कि हॉस्पिटल निर्माण कमेटी द्वारा 3 लाख रुपये औजारों तथा अन्य सामान के लिए जमा करा दिए गये है?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ एवं सरदार शहर के प्रत्येक राजकीय चिकित्सालय में 50 रोगी शैय्यायें स्वीकृत है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी को भेट किया गया चैक रद्द (निरस्त) किया गया तथा पुनः प्रेषित किया गया चैक बैंक द्वारा बिना क्लियरेन्स लौटाया गया पुनः ड्राफ्ट आने पर उनकी राशि राज कोष में जमा कराई गई है। मामला विचाराधीन है।

(स्वास्थ्य मंत्री)

(5) जी हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

राजकीय आयुर्वेदिक रसायन शाला, अजमेर

516. **श्री हरि शंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक रसायन शाला, अजमेर द्वारा एवं उसके नियन्त्रण में निर्माण की जाने वाली आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के उपयोग में आने वाली कच्ची औषधियों अथवा कच्चे माल को क्रय करने के केलेन्डर में अव्यवस्था तथा अनियमितता के कारण औषधि निर्माण हेतु कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों आदि को लम्बे लम्बे अन्तराल तक बिना काम के रहना पड़ता है और कई बार कार्य की अधिकता रहती है ?

(2) कृपया 1983-84, 1984-85 एवं 30-6-85 तक की अवधि में प्रत्येक महीने में क्रय की गई कच्ची औषधियों अथवा कच्चे माल की मात्रा एवं मूल्य तथा उत्पादन की तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कच्ची औषधियों के क्रय बाबत प्रक्रिया निर्धारित है तथा इस हेतु केलेन्डर में राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर के स्तर पर कोई अनियमितता नहीं है। यह सही है कि विगत समय में औषधियों का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाना सम्भव नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप रसायनशालाओं में कार्यरत स्टाफ का पूरा उपयोग नहीं हो सका।

(2) तालिका सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जे. के. लोन महिला चिकित्सालय कोटा

517. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के जे. के. लोन महिला चिकित्सालय में मार्च माह में कितने मासूम बच्चों की मौत हुई ? क्या यह सही है कि इन बच्चों की मौत डाक्टरों के द्वारा समुचित देखभाल न किए जाने तथा रात्रि में डाक्टरों के मौजूद न रहने से हुई है ? यदि हाँ, तो शिशु मरीजों की देखभाल की क्या पुख्ता व्यवस्था की जा रही है ? कर्तव्यहीनता के दोषी डाक्टरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) समूचे महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह में कितने डाक्टरों की ड्यूटी रहती है ?

उत्तर

(1) जे. के. लोन महिला चिकित्सालय, कोटा में मार्च, 1985 में 19 बच्चों की मृत्यु गम्भीर रोगों के कारण हुई है। इसमें चिकित्सकों की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। शिशु मरीजों की देखभाल की रात्रि में उचित व्यवस्था है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति-गृह, कोटा में एक वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) एव नौ चिकित्सकों को चिकित्सालय समय में ड्यूटी रहती हैं। चिकित्सालय समय के अतिरिक्त शेष समय में एक चिकित्सक की ड्यूटी अनवरत रहती है।

इन्दिरा गांधी नहर निर्माण के उपयोग में ली गई ईंटें

518. **श्री रघुवर दयाल** (रामगढ़) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1983 से लेकर अब तक भट्टों पर घटिया किस्म की टायल/ईंटें बनाने के सम्बन्ध में मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा कब कब मुख्य अभियन्ता को अपनी जांच रिपोर्ट भेजी गयी है ?

(2) इस जांच के आधार पर कितने लाख टाइलें/ईंटों का निर्माण घटिया स्तर पर पाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इन भट्टों द्वारा निर्मित टायल/ईंटों का नहर के निर्माण में उपयोग किया गया ? यदि हां, तो कितनी टायल व ईंटों का ?

(4) क्या यह सही है कि इस उपयोग के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता को जानकारी दी गई ? क्या मुख्य अभियन्ता ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा 1 अप्रेल, 83 के बाद निम्न प्रकार विभिन्न भट्टों पर घटिया किस्म की टाइल/ईंटें बनाने के सबंध में जानकारी दी गई :–

1 बुर्जी 1202.5 से 1309 मुख्य नहर के मध्य 22 भट्टों पर टाइल बनाने के संबंध में जुलाई 84 में परिक्षण प्रतिवेदन दिया गया।

2. बिरसलपुर शाखा की बुर्जी 102, 104 142 व 156 पर स्थित भट्टों पर टाइलों का निर्माण के सबंध में जुलाई, 84 में निरीक्षण प्रतिवेदन दिया गया।

(2) निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विस्तृत जांच करने के पश्चात् ही सही जानकारी मिल पायेगी।

(3) उन्ही टाइलों का उपयोग किया गया है जिन्हे पुन: पूरी जांच कर एवं पुन: पूरे ध्यान से वर्गीकरण उपरान्त उपयोगी आंका गया। कुल 5,25,000 टाइलें इस प्रकार उपयोग में लाई गई जो सर्वथा उपयुक्त पाई गई।

(4) नहर पर घटिया स्तर की टाइलों

(इंदिरा गांधी नहर मंत्री)

का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य अभियंता ने स्पष्ट आदेश दिये कि कहीं भी घटिया स्तर की टाइलों का उपयोग कैनाल लाइनिंग में न किया जाए। अधिशाषी अभियन्ता ने अपने स्टॉफ से टाइल छंटवा कर सही टाइलों का उपयोग कर बुर्जी 1202.5 से 1257 तक की लाइनिंग पूरी की जहां 17 फुट पानी रह चुका है और कार्य अच्छा हुआ है।

इन्दिरा गांधी नहर कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

519. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड तथा मुख्य अभियन्ता के पास किन किन इंजीनियर ओवर सियर व अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह शिकायत प्राप्त हुई कि यह अधिकारी कर्मचारी बेनामी राजस्थान नहर पर ठेका लेते हैं, व अन्य प्रकार से कार्य करते हैं? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में किसी स्तर पर कोई जांच की गई है? यदि हां, तो किसके द्वारा व उसका क्या परिणाम निकला?

(3) क्या जांच के परिणामस्वरूप कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब व किस प्रकार से?

उत्तर

(1) मुख्य अभियन्ता कार्यालय में निम्नलिखित कर्मचारियों व अधिकारियों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है कि वे राजस्थान नहर पर बेनामी ठेके लेते हैं।

1. श्री किशनचन्द, उप अभियन्ता (यांत्रिक)
2. „ लाबूराम, उप अभियन्ता (यांत्रिक)
3. „ एस.के. शर्मा उप अभियन्ता (यांत्रिक)
4. „ जे.पी. माथुर, सहा. अभियंता (यांत्रिक)
5. „ बी.के. मित्तल, अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)
6. श्री सेवाराम, समयपाल

(2) उपरोक्त वर्णित क्रम संख्या 1 श्री किशन चन्द, उप अभियन्ता (यांत्रिक) के संबंध में इस संगठन के प्रवीक्षण अभियन्ता, यांत्रिक वृत फलोदी द्वारा जांच की जा रही है व जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। शेष अधिकारियों व कर्मचारियों की शिकायत दिनांक 10-7-85 को ही प्राप्त हुई थी एवं यह जांच भी प्रवीक्षण अभियन्ता, यांत्रिक वृत, फलोदी को ही सौंपी गई है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

(3) दोनों प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात ही आगे कार्यवाही संभव होगी।

नगरपालिका क्षेत्र लाखेरी का औद्योगिकरण

520 श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या लाखेरी (बूंदी) नगरपालिका

(श्री मांगीलाल मेघावल)

क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है ? यदि हां, तो कब और अब तक कितने व्यक्तियों को वित्त निगम द्वारा ऋण दिया गया है ? कृपया व्यक्तिवार राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि घोषित नहीं हुआ है, तो क्यों ? अब कब तक घोषित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) लाखेरी (बूंदी) में कोई औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। अतः ऋण देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) लाखेरी में औद्योगिक क्षमता नहीं होने के कारण कोई औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव लाखेरी में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु विचाराधीन नहीं है।

भू-राजस्व अधिभार की कायमी व वसूली

521. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सोजत व मारवाड़ जंक्शन तहसीलों में भू-राजस्व अधिभार की कायमी व वसूली गैर कानूनी ढंग से की जाती है ?

(2) क्या यह भी सच है कि भू-राजस्व अधिभार की कायमी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (17) में परिभाषित जोत की परिभाषा को नहीं माना जा रहा है ?

(3) प्रश्न का भाग (2) का उत्तर अगर ना हो तो बताया जावे कि ग्राम पाचुण्डा खुर्द, बगडी तहसील सोजत व देवली आऊवा, गुडानवामानी व भाडए तहसील मारवाड़ जक्शन के किन किन कृषकों ने भू-राजस्व अधिभार की गलत कायमी बाबत सन् 1976 में ऐतराज किया ?

(4) ग्राम पाचुण्डा खुर्द बगडी, धीनावास तहसील सोजत में किन किन में कितना कितना भू राजस्व अधिभार किस किस जोत का किस किस वर्ष का बाकी है ?

(5) प्रश्न के भाग (4) में बताई सूची में प्रत्येक जोत का प्रत्येक कृषक पर किस किस वर्ष का कितना कितना अधिभार कायम किया गया ? प्रत्येक कृषक का प्रत्येक जोत का कुल लगान व उस पर देय कृपया अधिभार का विवरण सदन पटल पर रखें ?

(6) प्रश्न के भाग (4) में बताई सूची के एक से अधिक काश्तकारों द्वारा धारित जोत पर धारा 4 के तहत भू-राजस्व अधिभार कायम करते वक्त क्या क्या आधार अपनाया गया ?

(7) प्रश्न के भाग (4) में किन किन मामलों में एक से अधिक जोत के क्षेत्र व लगान को भू-राजस्व अधिभार कायम करने हेतु जोड़ा गया, व किस प्रावधान के अनुसार जोड़ा गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) ग्राम बगड़ी तहसील सोजत के

(राजस्व मंत्री)

श्री टीकम खां पि. शुभा मिरवो सा. बगड़ी ने सन् 1976 में भू-राजस्व अधिभार की गलत मांग कायमी हेतु ऐतराज किया था।

(4) इन ग्रामों में बकाया भू-राजस्व अधिभार की वर्षवार एवं खातेवार पूर्ण विवरण की सूची संलग्न है।

(5) सूची संलग्न है।

(6) राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत भू-राजस्व अधिभार की कायमी इस अधिनियम की धारा 3 में दिये गये सिद्धान्तों के आधार पर की जाती है।

(7) प्रश्न के भाग 4 के संदर्भ में संलग्न सूची में दर्शाये गये काश्तकारों के मामलों में एक से अधिक जोत के क्षेत्र व लगान को भू-राजस्व अधिभार कायम करने हेतु जोड़ा गया जो कि भू-राजस्व (अधिभार) अधिनियम, 1960 एवं राजस्व (बी) विभाग के परिपत्र संख्या एफ 6 (51) राज/बी/ग्रुप-1/60 दिनांक 16-2-62 के निर्देशानुसार कायम किया गया (आदेश की प्रति संलग्न है)

(सूचियां विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वन और खनिज संपदा पर आधारित उद्योग

522. श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में वन सम्पदा और खनिज सम्पदा पर आधारित सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाने की क्या कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(2) यदि हां, तो ये उद्योग किस प्रकार के होंगे, तथा कहां और कब तक स्थापित कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वन सम्पदा और खनिज सम्पदा पर आधारित सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सरपंच लुहारा (निवाई) के विरुद्ध गबन का मामला

523. श्री ग्यारसी लाल (निवाई) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लुहारा तहसील निवाई जिला टोंक के सरपंच के विरुद्ध पंचायत की राशि गबन करने का मामला दर्ज किया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

(2) वर्तमान में उपरोक्त पंचायत का काम काज किस को दिया गया है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में पंचायत का काम

(पंचायत राज मंत्री)

काज पंचायत ही कर रही है। किसी अन्य को नहीं दिया गया है।

निर्यात एवं विपणन निगम की स्थापना

524. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम-का थाना)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार लघु उद्योग के निर्मित्त होने वाले उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में निर्यात एवं विपणन निगम की स्थापना का विचार कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि लघु उद्योग निगम ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने सुझाव प्रेषित किये हैं ?

(3) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार लघु उद्योगों को शोषण से बचाने के लिए उक्त प्रकार के निगम के गठन का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) लघु उद्योग निगम के समानान्तर ही पृथक से नये निगम का गठन व्यवहारिक नहीं होगा।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

525. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) : क्या पचायत व स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में कितने शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वर्ष 1984-85 में कितनी दुकानों का आवंटन हुआ ? इनमें से कितनी दुकानों का कब्जा दिया गया व कितनी दुकानों का कब्जा देना बाकी है ?

(2) कितनी दुकानें अपूर्ण हैं ? यह सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के माध्यम से वर्ष 1984-85 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए दुकानों का निर्माण एवं आवंटन सम्बन्धी विवरण संलग्न है। अभी तक किसी दुकान का कब्जा नहीं दिया गया है।

(2) सभी दुकानें पूर्ण हो चुकी हैं। एक दुकान पानी की पाइप लाइन टूट जाने से क्षतिग्रस्त हो गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

ग्राम पंचायतों द्वारा पशुओं की नीलामी

526 **श्री देवीसिह भाटी** (कोलायत) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में कांजी हाउस (फाटक) में निर्धारित समय तक पशु का दावा नहीं करने की स्थिति में पंचायत द्वारा एक माह के अन्दर पशु मालिक द्वारा चराई खर्चा आदि देने की सूरत में पशु वापिस दे दिया जाता है, अन्यथा उसकी नीलामी कर दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत द्वारा पशु के नीलामी की पशु मालिक को सही रूप से सूचना नहीं मिल पाती है ?

(3) क्या राज्य सरकार को ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी कार्यवाही कर समय से पूर्व कागजी खाना पूर्ति कर नीलामी करने की भी शिकायतें भी समय-समय पर मिलती रहती हैं ?

(4) क्या सरकार पशु पालकों को अनावश्यक विवादों व परेशानियों से राहत दिलाने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा पशु नीलामी के बाद एक सप्ताह के अन्दर पशु की हुलिया सहित सूचना जिलाधीश कार्यालय को देने की अनिवार्यता कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ । राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियमों के नियम 201 में ऐसे प्रावधान है ।

(2) नियमों के नियम 201 में नोटिस प्रकाशित करने के प्रावधान हैं, जिसके अनुसार नोटिस पशु पकड़ने के स्थान से निकटतम गांवों में प्रकाशित किया जाता है ।

(3) इस प्रकार की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(4) नियमों में ऐसा कोई संशोधन अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

इन्दिरा गांधी नहर को उपलब्ध जल

527. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर की क्षमता के अनुपात में राजस्थान को कम पानी मिल रहा है ? यदि हां, तो एक अप्रेल, 1983 अब तक कब-कब कितना-कितना पानी कम मिल रहा है ?

(2) हिस्से का पूरा पानी लेने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) नहर की क्षमता के अनुपात में पानी नहीं बाँटा जाता है । 21 सितम्बर, 1984 से 20 जून, 1985 तक की (पौंग बॉंध डिपलिशन) अवधि में इन्दिरा गांधी नहर की औसत कैपेसिटी फैक्टर एवं सिंचाई हेतु पानी की औसत आवश्यकता 4611 क्यूसेक्स के विरुद्ध 3780 क्यूसेक्स ही पानी उपलब्ध हो पाया । इस प्रकार इस अवधि में औसत कमी 831 क्यूसेक्स एवं कुल कमी 0.45 एम. ए. एफ. की रही । एक अप्रेल, 1983 से वांछित सूचना परि-

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

शिष्ट (क) पर संलग्न है। इस वर्ष पौंग बांध में पानी के कम भराव व शीतकालीन वर्षा कम होने के कारण जल की उपलब्धि कम रही।

(2) हिस्सेदार राज्यों के पानी का हिस्सा भाखड़ा व्यास प्रबन्ध की तकनीकी समिति की बैठक निर्धारित किया जाता है, तथा पानी की कमी बेशी का लेखा जोखा सिंचाई विभाग द्वारा रखा जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अजमेर में खनिज पदार्थों का भण्डार

528. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर जिले में उच्च किस्म का क्वार्टर्स, फैल्सफार आदि खनिज पदार्थों के विशाल भण्डार हैं, जिनका उपयोग सिरेमिक उद्योग में किया जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कॉमन फेसेलिटी सेन्टर एवं प्रशिक्षण केन्द्र नसीराबाद के आस-पास स्थापित करने के प्रस्ताव लघु उद्योग सेवा संस्थान (भारत सरकार) जयपुर द्वारा एवं जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर द्वारा माह अप्रेल-मई, 1984 में प्राप्त हुए हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इस उद्योग को नसीराबाद में स्थापित करने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस उद्योग को सातवीं योजना के प्रारम्भिक वर्षों में ही लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

तहसील तथा एस. डी. ओ. कार्यालय, पाली के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

529. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में पिछले 1 अप्रेल, 1984 से 31 मई, 1985 तक तहसील तथा एस. डी. ओ. कार्यालय में किन किन क. लिपिक, व लिपिक व टी. आर. ए ऑफिस कानूनगो वगैरह के स्थानान्तरण किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं ? जो बाद में फिर उसी स्थान पर पहुंच गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1984 से 31 मई, 1985 तक कुल 217 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं। सूची सलग्न है। परिशिष्ट "क"

(राजस्व मंत्री)

(2) ऐसे 12 कर्मचारी हैं जो फिर उसी कार्यालय में स्थानान्तरण होकर पहुंच गये हैं। सूची संलग्न है। परिशिष्ट "ग"

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

नमक उत्पादन क्षेत्र

530. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) :

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में नमक उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं और वर्तमान में नमक उत्पादन के कौन-कौन से स्रोत किस-किस के अधिकार में है ?

(2 क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी नमक उत्पादन के स्रोत एक ही प्राधिकरण के अधीन कर दिये जायं ताकि योजनाबद्ध तरीके से इनका समुचित विकास हो सके ? क्या सरकार इसी सन्दर्भ में सांभर साल्ट्स के बारे में भारत सरकार से वार्ता करेगी ?

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि यदि सभी नमक स्रोत एक ही प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्य करें, तो राज्य में नमक पर आधारित उद्योग स्थापित करने में सुविधा रहेगी, और राज्य में रोजगार की समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) राज्य के सभी नमक उत्पादन स्रोतों को एक प्राधिकरण के अधीन किये जाने की कोई योजना नहीं है किन्तु सांभर साल्ट भारत सरकार से वापस राज्य सरकार द्वारा लिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) इस विषय पर अभी विचार नहीं किया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

राज्य के रुग्ण उद्योग

531. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षों में रुग्ण उद्योगों को नीलाम किया गया ? यदि हां, तो किन-किन को कब किस-किस मूल्य पर किस प्रक्रिया से ?

(2) क्या यह सही है कि जिन लोगों ने इन उद्योगों को खरीदा है, उन्होंने उनमें पुनः उद्योग चालू किया है ? यदि हां, तो किन-किन ने व उनको वित्त निगम ने कब-कब कितना-कितना ऋण दिया ?

(3) क्या यह सही है कि ऋण प्राप्त करने के बाद कुछ उद्योग पुनः बन्द हो गये ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे उद्योगों में वित्त निगम की कितनी-कितनी बकाया है ?

उत्तर

(1) जी हां। पिछले पांच वर्षों में निगम ने 221 इकाइयों की परिसम्पत्तियों का विक्रय खुली नीलामी अथवा ऋणी की

उद्योग मंत्री)

सहमति से किया है। विक्रय की गई इकाइयों की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। निगम द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) जी हां। 221 इकाइयों में से 167 इकाइयों के खरीददारों ने इन इकाइयों में उत्पादन पुनः शुरू किया है। इसमें से निगम ने मात्र 9 इकाइयों को ऋण दिया है। इन सबका विवरण सूची "ब" में संलग्न किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। जिन इकाइयों को पुनः उद्योग प्रारम्भ करने हेतु और ऋण दिया गया है, वे सभी सुचारू रूप से चल रही हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विकास अधिकारियों के रिक्त पद

532. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पंचायत समितियों में कुल कितने विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समितियों में इन रिक्तियों की पूर्तियां क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या विकास अधिकारी के लिये पंचायत प्रसार अधिकारियों के चयन का कोई आधार है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या अन्य विभागों से विकास अधिकारियों के पद पर चयन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या विभागीय पदोन्नति के द्वारा विकास अधिकारियों के पदों की पूर्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) विकास अधिकारियों के पदों पर अन्य विभागों से लगाये गये अधिकारी क्या पंचायती राज्य के लिये सफल सिद्ध हुए हैं ? यदि हां, तो कैसे जबकि यह अधिकारी इन कार्यों के लिये प्रशिक्षित ही नहीं है ? यदि सफल सिद्ध नहीं हुए हैं, तो इनकी नियुक्ति का औचित्य क्या है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) तीन विकास अधिकारी आदेशों की प्रतीक्षा में हैं। इनके पदस्थापन की कार्यवाही की जा रही है। शेष विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पदस्थापन विकास अधिकारी पद पर करने हेतु कार्मिक विभाग को अनुरोध किया गया है।

(3) जी नहीं। विकास अधिकारी पद पर चयन हेतु राजस्थान सिविल सर्विसेज (स्पेशल सलेक्शन एण्ड स्पेशल कन्डीशन्स आफ सर्विस आफ विकास अधिकारिज) नियम 1982 बने हुए हैं, उनके अन्तर्गत पंचायत प्रसार अधिकारियों

(पंचायत राज मंत्री)

का विकास अधिकारी पद पर चयन का प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां। यह चयन विकास अधिकारी स्पेशल चयन नियम 1982 के अन्तर्गत किया गया है।

(5) जी हां। नहीं की गई। विकास अधिकारियों के पदों को भरने हेतु अलग नियम बने हुए हैं इस प्रकार राजस्थान सिविल सर्विसेज (स्पेशल सलेक्शन एण्ड स्पेशल कन्डीशन्स आफ सर्विस आफ विकास अधिकारिज") रूल्स 1982 के अन्तर्गत उक्त पद भरे गये हैं।

(6) जी हां, जिलाधीशों से इस बारे में स्पेशल रिपोर्ट मंगवाई गई है इसके आधार पर अधिकांश का कार्य संतोषप्रद है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जयपुर के सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान

533. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को जयपुर नगर में सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों की जानकारी है।

(2) क्या सरकार ऐसे संस्थानों को भवन बनवाने के लिए रियायती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड व जयपुर नगर-परिषद से उनके पास पड़े भूखण्डों की सूची व जानकारी उपलब्ध की है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं।

मांवडाकलां (नीम का थाना) में पेयजल व्यवस्था

534. **श्री सुन्दरलाल** (सूरजगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मांवड़ाकलां, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में वर्ष 1982 में पानी की पाइप लाइन डाली गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाइप लाइन पूरे गांव में नहीं डाली गई ? यदि हां, तो कौन कौन से मोहल्लों में नहीं डाली गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं डाली गई, उनमें पाइप लाइन डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

42

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। जिन मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं डाली गई, उनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। हरिजन मोहल्ले में कार्य प्रगति पर है, एवं शेष मोहल्लों धन उपलब्धि के अनुसार पाइप लाइन डाली जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

नगर विकास न्यासों का गठन

535. **श्री माला राम** (खेतड़ी) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर, पाली व ब्यावर के सुव्यवस्थित विकास हेतु वहां पर नगर विकास न्यास स्थापित किये जाने का निर्णय पूर्व मंत्री मंडल द्वारा लिया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय जन-प्रतिनिधियों, विधायकों द्वारा इस बारे में समय-समय पर सरकार से मांग की जाती रही है? यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह भी सही है कि इन शहरों में नगर विकास न्यास न होने से इन शहरों के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा भूमियों का अवैध हस्तान्तरण, बेचान एवं अतिक्रमण किया जा रहा है? यदि हां, तो इन्हें रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

(4) क्या सरकार यह मानती है कि न्यासों के अभाव में इन शहरों के विकास में बाधा आ रही है, तथा शहरी क्षेत्र के नागरिक उन सुविधाओं से वंचित हैं, जो कि नगरीय क्षेत्र में रहने पर मिलनी चाहिए?

(5) क्या सरकार अब इन शहरों में विकास न्यास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अभी राज्य सरकार का न्यास गठन करने का विचार नहीं है।

(3) ऐसे मामले विभाग की जानकारी में नहीं है।

(4) जी नहीं, इन शहरों में नगर पालिकाओं द्वारा नागरिकों को सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

(5) जी नहीं। फिलहाल राज्य सरकार का कोई नये न्यास के गठन का विचार नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के पास का नाला

536. **श्री राज कुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के पास नाला अवरुद्ध हो जाने से हर वर्ष इस अस्पताल के

(श्री राज कुमार जयपाल)

आस-पास बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जो मरीजों के लिये काफी हानिकारक है ?

(2) सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है, और कब तक ?

उत्तर

(1) अजमेर में जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के सामने वाले मार्ग पर अतिवृष्टि हो जाने से कुछ समय के लिये वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है। इसके लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया बनाई जा चुकी है। अब वर्षा के पानी का निकास और भी सुगम हो गया है।

(2) पानी के निकास को सुगम करने के लिये पुलिया का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा चुका है।

सुजानगढ़ में निगम का डिपो

537. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ में राजस्थान पथ परिवहन निगम का डिपो शहर से काफी दूर है ?

(2) क्या यह सही है कि डिपो के दूर होने से यात्रियों व निगम के कर्मचारियों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जन हित में शहर में उप डिपो खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सुजानगढ़ में राजस्थान परिवहन निगम का कोई डिपो ही स्थापित नहीं है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महुवा (सवाई माधोपुर) के हैण्ड पम्प्स

538. **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुवा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति महुवा, जिला सवाई माधोपुर के कितने गांवों में हैण्ड पम्प लग चुके हैं ? किस-किस गांव में सन् 1985-86 में लगने की योजना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन गांवों में हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, वे अधिकतर खराब हैं ? खराब हैण्ड पम्प कब तक ठीक करवा दिये जायेंगे ?

(3) क्या खराब हैण्ड पम्पों को ग्रीष्म ऋतु में ही ठीक करवा दिया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कस्बा महुवा में रिजरवायर (टंकी) की हालत खराब है जिससे वह कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है ? यदि हां तो इसे ठीक कराने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि कस्बा महुवा में बने रिजरवायर की क्षमता बहुत कम है ? यदि हां, तो रिजरवायर की क्षमता बढ़ाने

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

को क्या प्रभावशाली कदम विभाग द्वारा लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पं. स. महुवा जिला सवाईमाधोपुर के 62 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं। वर्ष 85-86 में 30 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाने की योजना है। ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रखा दी गई है।

(2) जी नहीं। खराब हैण्ड पम्पों को हैण्ड पम्प रिपेयर अभियान के दौरान ठीक कर दिया गया है। 8 हैण्ड पम्प अवरूद्ध पाये गये जिनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प तकनिकि उपयुक्तता एवं धन उपलब्धि के अनुसार लगाये जावेंगे।

(3) जी हां। खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कर दिया गया है।

(4) जी हां। अस्थाई रूप से टकी की मरम्मत का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जावेगा।

(5) जी हां। धन उपलब्धि के अनुसार पुनर्गठित योजना स्वीकृत कर क्रियांनिवित जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

छीपा बड़ोद व छबड़ा के चिकित्सा उपकेन्द्रों पर स्टाफ

539. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा)

श्री प्रभू लाल(नैनवा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) छीपा बड़ोद व छबड़ा पंचायत समितियों के कितने उप केन्द्र ऐसे हैं जिनमें चिकित्सीय व अन्य स्टाफ नहीं है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रिक्त पदों की कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रखी गई है।

(2) प्रशिक्षित प्रसाविकाओं के उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य जिलों के साथ प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर को क्षति

540. **श्री बिरद मल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष एवं अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 1982-83 में मरकरी वेपर फिटिंग, 125 वाट लेम्प सहित, की खरीद में रु. 56,222.65 की न्यास कोष को हानि पहुंचाई जिस का उल्लेख लोकल फन्ड आडिट ने भी अपने आडिट आक्षेप संख्या 6 में किया है?

(श्री बिरद मल सिंघवी)

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार दोषी व्यक्तियों से राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट की धारा 93 (ए) के अन्तर्गत उक्त हानि की राशि कब तक वसूल कर लेगी एवं उनके विरुद्ध इंडियन पेनल कोड के अनुसार कब तक, क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि लोकल फण्ड आडिट ने अपने आक्षेप में वित्तीय वर्ष 1982-83 में मरकरी वेपर फिटिंग, 125 वाट लैम्प सहित की खरीद में न्यास कोष को रुपये 56222.65 की हानि बतलायी है।

(2) न्यास से प्रतिपालना रिपोर्ट मांगी गयी है। प्रतिपालना रिपोर्ट एवं आडिट आक्षेप के परीक्षण के पश्चात् ही यदि आवश्यक हुआ तो राशि वसूली करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

राजस्थान राज्य बीज निगम

541. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य बीज निगम की संचालन मण्डल की 64वीं बैठक के प्रारम्भ होने से पूर्व संचालन मण्डल के कुछ सदस्यों ने निगम के अध्यक्ष को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो कृपया ज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उस ज्ञापन में निगम की कार्य प्रणाली के कारण निगम को हुई हानि के संबंध में कुल कितने दोषों का उल्लेख था ?

(3) क्या संचालक मण्डल की उक्त बैठक में इस ज्ञापन पर कोई चर्चा हुई थी ? यदि हां, तो क्या विचार-विमर्श हुआ और निर्णय लिये गये ?

(4) क्या अध्यक्ष ने इस ज्ञापन में उल्लिखित बिन्दुओं पर कोई जांच कराने के आदेश दिये हैं ? यदि नहीं, तो अब कब तक जांच कराई जाएगी ? यदि जांच की गई है तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) संचालक मण्डल की 64 वीं बैठक से पूर्व संचालक मण्डल के कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया। यद्यपि श्री नाथूलाल माली, निदेशक द्वारा एक ज्ञापन शासन सचिवालय, राजस्थान में कृषि उत्पादन सचिव, पदेन अध्यक्ष राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन को उनके कक्ष में दिया गया था। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) उस ज्ञापन में निगम की कार्य प्रणाली एवं हानि आदि के संबंध में 5 दोषों का उल्लेख है।

(3) संचालक मण्डल की उक्त बैठक में इस ज्ञापन पर कोई चर्चा नहीं हुई ? इसलिए विचार विमर्श होने एवं निर्णय लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) अध्यक्ष द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित बिन्दुओं पर प्रबन्ध संचालक से टिप्पणी चाही है, जो उनको दे दी गई है।

(ज्ञापन के लिये परिशिष्ट-15 देखें)

46

कोलायत में किये गये नामान्तकरण

542 **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़) **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 1 में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वर्ष 1981-82 के अपने कार्यकाल मे कुल कितने नामान्तकरण तसदीक किये ? कृपया तसदीक किये गये नामान्तकरण के नाम पता व दिनांक सहित सूची ग्रामवार सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नामान्तकरण तसदीक करने से पूर्व राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त किये गये नामान्तकरण मे राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर किये गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उक्त अधिकारी द्वारा किये गये नामान्तकरण के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रति कृपया सदन के पटल पर रखे।

उत्तर

(1) उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1 मे तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वर्ष 81-82 में अपने कार्यकाल मे कुल 285 नामान्तकरण तसदीक किये। तसदीक किये गये नामान्तकरणो के नाम, पता व दिनांक सहित सूची ग्रामवार संलग्न है।

(2) जी हां। तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नं. 1 द्वारा 285 नामान्तकरण 1981-82 में तस्दीक किये गये थे, उनमे मे केवल 73 नामान्तकरणों पर राजस्व निरीक्षक के जांच के हस्ताक्षर नहीं है। 212 नामान्तकरणों में निरीक्षक के जांच के हस्ताक्षर हैं। शेष मामलों में निरीक्षक के हस्ताक्षर क्यों नहीं लिये गये, इस हेतु आयुक्त, उपनिवेशन को संबधित तहसीलदार के विरुद्ध जांच विधिवत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(3) उक्त अधिकारी के विरुद्ध किसी काश्तकार की कोई शिकायत नहीं हुई है। अतः शिकायती पत्र की प्रति प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से पुस्तकालय में) रखी गई)

जालोर के ग्रामों के होदों की मरम्मत

543. **श्री भगराज चौधरी** (आहोर): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भंवरानी बाला, मोतीसरी, बरवा, घाणा, किशनगढ़, (जिला जालोर) में पानी के होद काफी लबे अर्से से टूटे-फूटे होने के कारण उनमें कतई पानी नहीं भरा जाता है ?

(2) क्या सरकार इनकी शीघ्र मरम्मत करवाकर इनमें पानी भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार जनहित में ग्राम गुडा इन्द्रपुरा लेहाकला, तहसील आहोर, में शीघ्र पानी के होद बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्राम मोतीसरी व धाणा के होदों में पानी भरा जा रहा है तथा मंवरानी, बरवा, बाला एवं किशनगढ़ के होदों की मरम्मत हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। वर्ष 1985-86 के अन्त तक होद ठीक करा दिये जायेंगे।

(3) जी हां। धन उपलब्धि के अनुसार शीघ्र ही होद बनाये जा सकेंगे।

इंदिरा गांधी नहर पर कृषि भूमि का आवण्टन

1544 **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

(1) राज्य सरकार बाड़मेर जिले के निवासियों को इंदिरा गांधी नहर पर कृषि भूमि के आवटन में प्राथमिकता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

(2) यदि हां, तो क्या आवेदन के लिए सूचना जारी की गई? यदि नहीं, तो आवेदन कब तक लिये जायेंगे?

(3) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले में निरन्तर अकाल के कारण भी काश्तकारों को नहर पर कृषि भूमि का आवंटन करने से ही अकाल का स्थायी हल हो सकता है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इंदिरा गांधी नहर योजना में कृषि भूमि के स्थाइ आवंटन हेतु राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत नियम 7 में दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार भूमि आवटन किया जा सकेगा जब इसके सिचाई विभाग से चक प्लान प्राप्त होकर अभिलेख तैयार कर लिये जावेंगे, जिसके आधार पर उपलब्ध राजकीय भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड की जानकारी हो जायेगी तथा सिंचाई कार्यक्रम भी प्राप्त हो जावेगा।

(2) प्रश्न के भाग एक के अनुसार कार्यवाही होने पर आवेदन पत्र आमन्त्रित करने की सूचना जारी की जावेगी।

प्रश्न के भाग दो की कार्यवाही होने पर जिन काश्तकारों को नहरी क्षेत्र पर भूमि आवंटन होगी उनको अकाल से राहत मिलेगी।

रामदेव जी व भैरों बाबा के तीर्थ स्थलों तक बसों की व्यवस्था

545. **श्री हीरा सिंह चौहान** (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले की रायपुर तहसील में ग्राम बिरटिया खुर्द रामदेव जी का पवित्र तीर्थस्थल व कानूजा ग्राम भैरों बाबा का स्थान धार्मिक महत्व रखते हैं?

(2) क्या राज्य सरकार अपनी निर्धारित नीति के अनुरूप उक्त दोनों स्थानों को

(श्री हीरा सिंह चौहान)

रोडवेज बसों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या ब्यावर से कुशालपुर तक रोडवेज की बस हाई कोर्ट स्टे के कारण नहीं चलाई जा रही है ?

(4) यदि हां, तो जोधपुर से निमाज बस का रात्रि विश्राम कुशालपुरा करके इस मार्ग पर रोडवेज बस चलाने का क्या सरकार का विचार है ?

(5) क्या 10 हजार की आबादी के इस गांव से प्रातः 11 बजे पूर्व किसी तरफ जाने की बस उपलब्ध नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी नहीं। ग्राम बिराठिया खुर्द राष्ट्रीयकृत मार्ग से 4-5 कि. मी. दूर स्थित है जो कच्चा मार्ग है। इसी प्रकार ग्राम कुनेजा भी बर से सेन्नड़ों राष्ट्रीयकृत मार्ग के मध्य स्थित जाला चौकी स्टैण्ड से करीब 4-5 कि. मी. दूर है जो कच्चा मार्ग है।

(3) जी हां। यह बस सेवा दिनांक 28-10-84 से चलाई गई थी लेकिन दिनांक 5-2-85 को एक निजी वाहन स्वामी द्वारा जोधपुर उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण बन्द कर दी गई।

ब्यावर-कुशालपुरा वाया रायपुर मार्ग के अनुज्ञा पत्र लेने हेतु दिनांक 23-2-85 को पुनः आवेदन किया गया है। उक्त मार्ग का ब्यावर से रायपुर तक का भाग राष्ट्रीयकृत है, अतः रायपुर से कुशालपुरा तक का वृद्धिकरण चाहा गया है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा वृद्धिकरण हेतु मामला राजपत्र में प्रकाशित करा दिए जाने के बाद ही अनुज्ञा पत्र दिये जाने की कार्यवाही सम्भव होगी।

(4) जी हां। निमाज से कुशालपुरा मार्ग का सर्वे कराया जा रहा है। यदि मार्ग संचालन योग्य हुआ तो अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद ही जोधपुर निमाज बस सेवा को कुशालपुरा तक बढ़ाया जा सकेगा।

(5) यह सही नहीं है। निम्नलिखित मार्गों की प्राइवेट बसें प्रातः 11 बजे पूर्व कुशालपुरा होकर जाती है :-

1. हरिपुर से जेतारण
2. जेतारण से सोजत
3. रायपुर से बिलाडा

मूंडला माइनर से सिंचाई

547. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र की भटवाड़ा एवं हिंगोनिया पंचायत में मूंडला माइनर से सिंचाई होती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मूंडला माइनर में मिट्टी भरे होने की वजह से पानी ओवरफ्लो होता है, तथा नहर स्थान

(श्री हीरालाल आर्य)

स्थान पर टूटी हुई है, जिससे किसानों के खेतों में हर वर्ष पानी नहीं पहुंचता है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर की खुदाई कर नहर की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। गत वर्ष ही इसकी मिट्टी भी निकाली गई है तथा मरम्मत भी की गई है। इसके बाद इस नहर से 89 प्रतिशत सिंचाई हुई है।

(3) आवश्यकता नहीं है।

नगर विकास न्यास, गंगानगर द्वारा दूरभाष पर व्यय

548. **श्री केदार नाथ** (श्री गंगानगर) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

यू आई. टी. गंगानगर द्वारा स्थापना वर्ष से 31 मई, 1985 तक प्रतिवर्ष दूरभाष सेवाओं पर कितना व्यय हुआ ? कृपया माहवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर विकास न्यास, श्री गंगानगर द्वारा न्यास स्थापना वर्ष से 31 मई, 1985 तक दूरभाष सेवाओं पर व्यय की गई राशि का विवरण माहवार सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

चौकड़ी तोपखाना हजूरी (जयपुर) में नालियां

549. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि चौकडी तोपखाना हजूरी, जयपुर में अधिकांश सड़कों एवं गलियों में नालियां बनी हुई नहीं हैं, जिसके कारण समूचे इलाके में गन्दगी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां नालियां बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

मुख्य सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी हुई हैं। कुछ गलियों में कच्ची बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य हो चुका है। कुछ में नालियां भी बन चुकी हैं। कुछ भाग में अभी कार्य किया जाना शेष है। जो समय समय पर उपलब्ध आर्थिक साधनों की सीमाओं में कराया जावेगा।

राज्य के कृषि फार्म

550. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने कृषि फार्म हैं ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) इनमें से कितने फार्म घाटे में चल रहे हैं ?

(3) इन फार्मों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है और कितनी आय होती है ?

(3) इन फार्मों के अधीन कुल कितनी एकड़ जमीन है और उसमें कितनी एकड़ भूमि पर अभी तक खेती नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) राज्य में कृषि फार्मों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(अ) कृषि निदेशालय 12 ग्राह्य अनुसंधान फार्म ।

(ब) 1. मोहनलाल सुखाड़िया विश्व-विद्यालय कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा के अन्तर्गत 15 इनमें से दो (1) उम्मेदगंज

(2) रोजरी कामर्शियल फार्मस है ।

2. अन्य 8 ।

(स) राजस्थान राज्य बीज निगम के अधीन 16 कृषि फार्म।

(2) [1] कृषि निदेशालय के 12 फार्म ग्राह्य अनुसधान (Adoptive Research Centre) से संबंधित हैं अतः इनका मूल्यांकन इनमें किये गये अनुसंधान प्रयोगों (Research Experiments) के आधार पर किया जाता है इन फार्मों का मूल्यांकन लाभ हानि का नहीं होता है बल्कि प्रयोगात्मक होता है ।

[2] इसी प्रकार विश्वविद्यालय के खेत भी मुख्यतः कृषि अनुसंधान से सम्बन्धित है अतः इनमें भी लाभ हानि का प्रश्न नहीं उठता है ।

[3] राजस्थान राज्य बीज निगम को 14 कृषि फार्म माह अगस्त, 1983 व दो कृषि फार्म माह नवम्बर, 1984 को स्थानान्तरित हुए । इन खेतों पर वर्ष 1984-85 का लेखा तैयार किया जा रहा है । वर्ष 83-84 में पांच कृषि फार्म (रामपुरा, सुल्तानपुरा, कवाई, खेमरी व धरियाबाद) घाटे में रहे हैं ।

(3) विश्वविद्यालय से प्राप्त आय-व्यय के आंकड़े अनुसूची 1 एवं 2 में संलग्न है । राजस्थान राज्य बीज निगम के अधीनस्थ 14 फार्मों पर वर्ष 1983-84 में कुल व्यय रु. 14,19,973.71 किया गया व कुल आय रु. 15,71,651 53 हुआ । वर्ष 1984-85 का लेखा तैयार किया जा रहा है । शेष 2 कृषि फार्म निगम के पास माह नवम्बर से आये हैं अतः इनके आय-व्यय का ब्यौरा अभी तैयार हो रहा है ।

(4) [1] कृषि अनुसंधान केन्द्र सुखाड़िया विश्व-विद्यालय दुर्गापुरा, जयपुर कुल जमीन की सूचना संलग्न है (अनुसूची 3) । अलग-अलग फार्मों पर जमीन के हर एक भाग में अलग-अलग प्रतिवर्ष अनेक तरह के अनुसंधान कार्य किए जाते हैं जो कि वर्षा और सिंचाई की सुविधाओं पर निर्भर होता है ।

[2] राजस्थान राज्य बीज निगम 16 कृषि फार्मों की कुल भूमि 2091.3

(कृषि मन्त्री)

एकड़ है । इनमें से माटूण्डा व फरामिया फार्म बीज निगम को नवम्बर, 84 में हस्तान्तरित हुए हैं जिनकी कुल भूमि 225.5 एकड है, में 1983 मे इस पर खेती नहीं की गई है ।

(आय-व्यय के आंकड़े के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

नगरपालिका, सांगोद

551. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सांगोद नगरपालिका की गत 2 वर्षों में कुल कितनी आय किन-किन स्रोतों से हुई ? कृपया सूचना सदन के पटल पर रखें ।

(2) सांगोद नगरपालिका ने गत 3 वर्षों में कितना व्यय अपने वेतन भोगी कर्मचारियों व अधिकारियों पर किया व कितना व्यय विकास के कार्यों पर ? कृपया वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) सांगोद नगरपालिका बोर्ड की मासिक बैठक गत 3 वर्षों में किस-किस माह में नहीं हुई ? क्या मासिक बैठक (बोर्ड की जनरल मीटिंग) बुलवाना एक्ट के तहत अनिवार्य है ? यदि हां, तो उस हेतु क्या कार्यवाहीं बोर्ड के विरुद्ध करने का विचार है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका सांगोद में गत दो वर्षों में 17,31,074.81 पैसे की आय हुई । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) नगरपालिका सांगोद में गत 3 वर्षों में अपने वेतनभोगी कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर 15,40,278.80 रु. एवं विकास कार्यों पर 2,61,508.18 रु. व्यय किया गया । वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) नगरपालिका, सांगोद की मासिक बैठक गत तीन वर्षों में जिस-जिस माह में नहीं हुई, उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । नियमानुसार एक माह में एक जनरल बैठक बुलाना अनिवार्य है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जनजाति निगम एवं लैम्पस् के पदाधिकारियों द्वारा गबन

552. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जनजाति कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति निगम एव लैम्पस् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये गबन एवं दुरुपयोग के कितने मामले स्पष्ट हो चुके हैं तथा प्रत्येक मामलों में अब तक निगम एवं सहकारी विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में जनजाति निगम को अपनी अधीनस्थ लैम्पस् के माध्यम से डी. आर. आई. ऋण

52

(श्री खेमराज कटारा)

वितरण हेतु कितनी राशि दी गई थी ? उसके विरुद्ध लैम्पसवार प्रत्येक सदस्य को कितनी-कितनी राशि वितरित की गई ?

(3) जनजाति निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिये जाने का क्या प्रावधान है ? क्या प्रबन्ध निदेशक को स्वयं के मकान में रहते हुए 1500 रुपया मासिक मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ?

(4) जनजाति निगम में केडरवाइज कौन-कौन से पद कितनी संख्या में स्वीकृत हैं ? इन पर कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है ? इनमें से एस.सी.एस.टी. एवं अन्य वर्ग का केडरवाइज प्रतिशत क्या है ?

(5) जनजाति निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति की क्या प्रक्रिया है ? कृपया केडरवाइज विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) (अ) जनजाति निगम के 13 कर्मचारियों के गबन एव दुरुपयोग के मामले चल रहे हैं, जिनकी सूची (परिशिष्ट–1) संलग्न है।

(ब) लैम्पस् के 5 पदाधिकारियों के विरुद्ध गबन एवं दुरुपयोग के मामले धारा 74 के तहत दर्ज किये गये हैं जिसकी सूची (परिशिष्ट-2) संलग्न है।

(स) लैम्पस् के 60 कर्मचारियों के विरुद्ध गबन एवं दुरुपयोग के मामले धारा 74 के तहत दर्ज किये गये जिसमें से 40 निर्णित हुए तथा 20 की कार्यवाही चल रही है।

निगम द्वारा की गई कार्यवाही अंकित करदी गई है।

(2) यह सही है कि विभेदी ब्याज ऋण योजना के अन्तर्गत केवल वर्ष 1980 में एक बार राजस संघ ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया से 25.00 लाख रुपये का ऋण विभेदी ब्याज दर 4 प्रतिशत की दर पर प्राप्त किया था। यह योजना अक्टूबर, 80 से प्रारम्भ की गई थी तथा इसके अन्तर्गत लैम्पस् को उपलब्ध करायी गई रकम का विवरण (परिशिष्ट-3) पर संलग्न है।

उन सदस्यों की सूची जिनको इन वर्षों में उपरोक्त योजना में ऋण दिया गया है, समिति स्तर पर ही उपलब्ध रहती है, चूंकि लैम्पस दूर–दूर क्षेत्रों में हैं अतः उनसे यह सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा।

(3) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जाता है। प्रबन्ध निदेशक एवं महा प्रबन्धक के लिए निम्नानुसार प्रावधान रहे हैं :–

(1) कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12-10-79 के निर्णय के अनुसार प्रबन्ध निदेशक के मामले में राज्य सरकार द्वारा देय किराये के अतिरिक्त वेतन क

(जनजाति कल्याण मन्त्री)

20 /. एवं महा प्रबन्धक के मामले में 15 /. अधिक किराया स्वीकृत करने हेतु निर्णय लिया गया।

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 14-11-83 के निर्णय के अनुसार प्रबन्ध निदेशक, को आवासीय सुविधा हेतु संघ अपनी ओर से 1-7-83 से 1500/- रुपये तक के किराये पर मकान किराये पर लेकर प्रबन्ध निदेशक को उपलब्ध करवायेगा, इसके लिए प्रबन्ध निदेशक के वेतन से 10 /. तक की कटौती की जायेगी। तदनुसार भुगतान तथा कटौती की जा रही है।

प्रबन्ध निदेशक हिन्दू संयुक्त परिवार के मकान में किराये पर रह रहे हैं।

राज्य सरकार (राजकीय उपक्रम विभाग) द्वारा अध्यक्ष एवं कार्यकारी के लिए जो नियुक्ति की शर्तें निहित की हैं उसके तहत राजकीय अधिकारियों प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए आवासीय सुविधा हेतु जयपुर के बाहर 2,000/- रुपये किराये पर मकान लेने की सुविधा प्रदान की गई है एवं राज्य सरकार के उक्त संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 98 (1) बी. एस ई./79/पार्ट-II/359 दिनांक 25-6-85 में यह भी अंकित किया गया है कि वर्तमान में जो सुविधा जिन अधिकारियों को दी जा रही है उनमें जब तक वह उस पद पर कार्यरत है परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(4) जनजाति निगम के केडरवाइज स्ट्रेन्थ (संख्या) तथा वर्तमान में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या तथा एस. सी. एस. टी. का प्रतिशत की सूचना परिशिष्ट-4 में संलग्न है।

(5) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. एम्पलाइज सर्विस रेग्युलेशन, 1981 के नियम-5 एवं 6 में नियुक्ति की शर्तें तथा नियम 8 के तहत पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित है, प्रतिलिपि (परिशिष्ठ-5) संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान जन जाति विकास निगम के चुनाव

553. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान जन जाति क्षेत्रीय विकास निगम के संचालक मण्डल के चुनाव कब कराये गये थे? क्या यह चुनाव नियमों के तहत हुए थे? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) निगम के 9 वर्ष के कार्यकाल में संचालक मण्डल की बैठक कब-कब हुई? कृपया बैठकों की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सच है कि एक भी बैठक में कोरम पूर्ण नहीं हुआ? यदि हां, तो बैठकों में कार्य का संचालन किस आधार पर हुआ?

54

उत्तर

(1) राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ (पूर्व में निगम) के संचालक मण्डल के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं क्यों-कि संघ के उपनियम 33 के अनुसार संघ का प्रथम निदेशक बोर्ड सरकार द्वारा प्रथम बार तीन वर्ष की कालावधि के लिए नाम निदिष्ठ किया जा सकेगा तथा इसके पश्चात् 3-3 वर्ष की दो कालावधि के लिए और नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा। प्रथम सचालन मण्डल का मनोनयन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–4(24) सह./कृषि/ग्रुप-4/76 दिनांक 24-6-76 द्वारा 3 वर्ष के लिये किया गया तत्पश्चात राज्य सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 6 79 से 23.6.82 तक एवं इसके बाद पुनः समसख्यक आदेश दिनांक 25 अप्रेल, 85 से 3 वर्ष के लिये अवधि 23.6.85 तक बढ़ाई गई। आगे अवधि बढ़ाने हेतु कार्यवाही जारी है।

(2) संघ के 9 वर्ष के कार्यकाल में अब तक संचालक मण्डल की 21 बैठकें हुई दिनांकवार विवरण निम्न है :—

1.	27-7-76
2.	5-5-77
3.	9-3-78
4.	14-4-78
5	5-7-78
6.	16-[illegible]-78
7.	28-4-79
8.	24-4.79
9.	20-8-79
10.	8-2 80
11.	16/23-5-80
12.	18-8-80
13.	15/22-12-80
14.	18/25-6-81
15.	1/8-12-81
16.	4/1 -5-82
17.	20/27-1-83
18.	14/21- 1-83
19.	13/20-2-84
20.	22/29-10-84
21.	22/29-6-85

बैठकों का विचारणीय बिन्दु सलग्न है।

(3) जी नहीं। संचालक की अब तक 2 बैठकों में से 10 बैठकों में कोरम पूर्ण रहा। स्थगित बैठकें उप नियम धारा 37 के तहत आयोजित की गई।

(बिन्दु विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान आयुर्वेद रसायन शाला अजमेर

554. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान आयुर्वेदिक रसायनशाला, अजमेर हेतु मैमर्स सत्यनारायण मालपानी एण्ड सन्स नाहरगढ़ रोड जयपुर से दिनांक 5-1-1985 अमलते व गाजवान तथा 15,936 रुपये अड़तालीस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पैसे का जीरा मैसर्स मालपानी ट्रेडर्स, अनाज मण्डी जयपुर से 3,027 रुपये 50 पैसे की गुले गाजवान, दिनांक 8-1-1985 को 41,710 रुपये का चिरयता कड़वा मैसर्स गीता ट्रेडिंग कम्पनी, चांदपोल बाजार, जयपुर से तथा दिनांक 2-1-1985 को 21,103 रुपये 60 पैसे का जीरा आदि मैसर्स शंकर ट्रेडर्स, आगरा रोड, अजमेर से किन किन औषधियों के निर्माण हेतु खरीदने का कब व किसके द्वारा निर्णय लिया गया ? उक्त औषधियों के खरीदने हेतु कब-कब किस-किस माध्यम से निविदाएं आमन्त्रित करने हेतु विज्ञापित की गई, तथा किस-किस व्यापारी ने कब-कब व किन-किन शर्तों पर निविदाएँ प्रस्तुत की ? कृपया विज्ञापन प्राप्त निविदाओं एव क्रय आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औषधियां प्राप्त होने पर 30 जून, 1985 तक कितनी-कितनी मात्रा में कब व किस-किस औषधि का कितनी मात्रा में निर्माण किया गया ? और निर्मित औषधियों को किस-किस औषधि वितरण केन्द्र पर कब-कब सप्लाई की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त औषधियों के क्रय आदेश देने से पूर्व बाजार से भावों का जायजा भी लिया गया ? यदि हां, तो किस माध्यम से और इसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) इन व्यापारियों से कौनसी कच्ची औषधि कितनी धनराशि की क्रय की गयी, इसका विवरण (परिशिष्ट "क") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जिन औषधियों का निर्माण इन वस्तुओं से किया जाना था उसकी सूची (परिशिष्ट "ख") सदन के पटल पर रख दी गई है। औषधियों के निर्माण हेतु इन कच्ची औषधियों की निविदा जारी कर भण्डार क्रय समिति द्वारा दरें अनुमोदित करने के पश्चात् निदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा क्रय आदेश दिये गये। दरें जिस दिनांक को अनुमोदित की गयी उसकी सूचना परिशिष्ट "ख" में ही अंकित है।

इन औषधियों को खरीदने हेतु सदस्य सचिव एवं लेखाधिकारी निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राज अजमेर के द्वारा दिनांक 6.7.84 को निविदा विज्ञाप्ति प्रसारित की गयी जिसमें अन्तिम तिथि 23.8.84 रखी थी, जिसे जनसम्पर्क निदेशालय, राज. जयपुर को प्रमुख समाचार पत्रों में छपवाने हेतु भेजी गयी। जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक 3539 (84 दिनांक 7.7.84 द्वारा निम्न समाचार पत्रों को प्रकाशित करने हेतु भेजी गयी :-

1-दैनिक नवज्योति संयुक्त, जयपुर

2-नवभारत टाईम्स, दिल्ली

3-सा. इण्डियन ट्रेड जनरल, कलकत्ता।

इस निविदा की अन्तिम तिथि में प्रथम वृद्धि 10-9-84 तक तथा द्वितीय वृद्धि गुले गाजवान, गोंद कतीरा नीलोफर, जड़ासनी के अतिरिक्त अन्य आइटमों के लिए दिनांक 21.9.84 को गयी थी।

(आयुर्वेद मन्त्री)

जिन व्यापारियों के द्वारा इन वस्तुओं की निविदाएं प्रस्तुत की गयी उसका विवरण मय निविदा देने की दिनांक तथा व्यापारियों द्वारा दी गयी शर्तों सहित (परिशिष्ट "ग") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विज्ञापन, सम्बन्धित औषधियों के लिए प्राप्त निविदाओं एवं क्रय आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) निर्माण एवं वितरण का संलग्न परिशिष्ट क्रमशः "अ" एवं "ब" सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान आवासन बोर्ड में पंजीकरण

555. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्रों को आमन्त्रित करने पर ऐसे शहर कौन से हैं जिनमें 100 से कम आवेदनकर्त्ताओं ने भवन निर्माण हेतु अपने आवेदन पंजीकरण कराये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त किस-किस शहर में कितने-कितने आवेदन पंजीकृत किये गये थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान आवासन मण्डल ने 100 से कम पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने वाले शहरों में क्या पंजीकरण राशि लौटाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब ? कृपया सम्बन्धित निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त आवेदनों में प्राप्त कुल कितनी राशि आवासन मण्डल द्वारा लौटायी जा चुकी है, और कितनी राशि लौटायी जानी शेष है ? कृपया शहरवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" उपलब्ध है।

(2) सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) निर्णय की प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(4) सूची परिशिष्ट 'स" पर उपलब्ध है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

बराखन मार्ग ब्यावर पर अतिरिक्त बस व्यवस्था

556. **श्री माणक चन्द डाणी** (ब्यावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री माणक चन्द डाणी)

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में बराखन मार्ग पर अतिरिक्त बसों की मांग की गई है ? यदि हां, तो किन-किन माध्यमों से कब-कब मांग की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इस मार्ग का सर्वे किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसकी क्या सम्भावनाएं पाई गई हैं ?

(3) क्या उक्त मार्ग की बसों का समय रेल्वे एवं सरकारी कार्यालयों के समय को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है ? कृपया इस मार्ग पर चलने वाली बसों का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिनके माध्यम से जब जब मांग की गयी है दर्शाते हुये सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सर्वे किये जाने के पश्चात् निगम द्वारा इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना तैयार कर मोटरगाड़ी अधिनियम की धारा 68/ग/के अन्तर्गत दिनांक 26-7-1976 को प्रकाशित की जा चुकी है, जो वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष सुनवाई हेतु विचाराधीन है। इस मार्ग में बसों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) जी हां। बसों का विवरण निम्न प्रकार है :—

वाहन सं.	परमिट धारी का नाम
1. आरआरएल 3687	श्री नरेन्द्र सिंह
2. आरजेआई 371	श्री बजरंग बस सर्विस
3. फ्लीट परमिट की वाहन।	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

इस मार्ग पर निगम द्वारा भी अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र प्राप्त कर एक वापसी परिचक्र निम्न समयानुसार संचालित किया जा रहा है :—

ब्यावर	बराखन	बराखन	ब्यावर
1730	1930	1000	1200

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

कैपसटन मोटर व जय ड्रिवस प्रा. लि. की भूमि की अवाप्ति

557. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स कैपसटन मोटर व जय ड्रिवस प्रा. लि. को उनकी फैक्ट्री की अवाप्त की गई भूमि सरकार द्वारा वापस लौटा दी गई है ? यदि हां, तो कब, व इसका आधार क्या है ?

(2) उद्योग स्थापित करने के संदर्भ में क्या-क्या शर्तें एवं निबन्धन निर्धारित हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

(नगरीय विकास मंत्री)

(2) उद्योग हेतु भूमि को लीज पर देने के सम्बन्ध में जो अनुबंध पत्र इकाई के मालिक भागीदार अथवा निदेशक, उद्योग विभाग आदि से कराया जाता है। उसका प्रारूप संलग्न है।

(प्रारूप के लिये कृपया परिशिष्ट–21 देखें)

रंगरों की मोरी बस्ती (सांगानेर) का गन्दा पानी

558. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सांगानेर नगरपालिका में रंगरों की मोरी बस्ती, पीली का खाना वार्ड नं. 9, 10, 11 में कस्बे का गंदा पानी इकट्ठा होकर हमेशा भरा रहता है ?

(2) क्या उक्त पानी के निकास के लिये नाली निर्माण का कुछ कार्य वर्ष 1978-79 में किया गया था ? यदि हां, तो उस योजना की तकनीकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की उक्त स्थानों की समस्या की यथास्थिति को बनाये रखना चाहती है ? यदि नहीं, तो इसके सुधार के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कार्य कराया है ?

उत्तर

(1) वार्ड नं. 9 में पानी नहीं भरता है। वार्ड नं. 10 व 11 में पीली की खानों में पानी भर जाता है।

(2) वर्ष 1978-79 में उक्त पानी के निकास के लिये नाली निर्माण का कार्य नहीं करवाया गया था।

(3) वार्ड नं. 9 में नाली बनाई जा चुकी है। वार्ड नं. 10 व 11 में नाली निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी, परन्तु किसी भी ठेकेदार ने निविदा प्रस्तुत नहीं की। अब नगरपालिका ने कुछ कार्य आदेश दे दिये हैं तथा उनके द्वारा बकाया कार्य भी आर्थिक स्थिति के अनुसार शीघ्र प्रारम्भ करने के प्रयत्न जारी हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8-7-1985)

ग्राम पंचायत दुजार को प्रदत्त अनुदान का उपयोग

173. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, दुजार को 1 अप्रेल, 1980 से अब तक पंचायत समिति लाडनूं से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये अनुदान के रूप में मिली ? और वह किस-किस कार्य में कब-कब खर्च की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जो अनुदान पंचायत को मिला, वह पोस्ट आफिस में सेविंग खाते में जमा कराया गया ? यदि

(श्री हरजी राम बुरड़क)

हां, तो कब-कब, कितने-कितने रुपये तथा उनमें से कितने-कितने रुपये कब-कब सरपच ने उठाये, केश बुक में कब-कब जमा किये, किस किस कार्य में कब-कब खर्च किये, तथा पंचायत से कब-कब मंजूरी ली गई? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या इस मामले में कोई अनियमितताएं हुई हैं? यदि हां, तो क्या? उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) इसकी जांच जिलाधीश, नागौर द्वारा कराई जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री लाल चन्द, श्री चुन्नी लाल इन्दलिया और श्री रामदेव मूंडवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में पशुपालन विभाग की 32 बीघा भूमि जिलाधीश द्वारा अवैध रूप से आवंटन करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री डूंगर राम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से क्षेत्रीय वन संरक्षण अधिकारी उदयपुर द्वारा वन सम्पदा पर कब्जा करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नत्थी सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुखाड़िया विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसियेट्स को निर्धारित वेतनमान तथा अन्य सुविधायें न दिये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नवनीत लाल निनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा के किसानों से लगान का 50 गुना तक जुर्माना वसूल करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बिरद मल सिंघवी और श्री नारायण राम बेड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पुनासर तहसील ओसियां में एक व्यक्ति के घर पड़ी डकैती के मामले में किसी को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरि कुमार औदिच्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से फ्लोर मिल्स से 3 माह के उपभोग की अग्रिम राशि बिजली बोर्ड द्वारा मांगे जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रमजान खां, सदस्य विधान सभा की ओर से अजमेर शहर को जलप्रदाय करने हेतु ग्राम तिलोरा में 20 ट्यूब वेल्स खोदने की योजना के सम्बन्ध में।

(8) श्री जगजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से किशनगढ़ नगर में दूषित पेयजल वितरित किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरा सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत

(श्री अध्यक्ष)

रावडियावास की गोचर भूमि पर नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में।

(10) श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना क्षेत्र के पाटन गांव में सब तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(11) श्री काली चरण सराफ, सदस्य, विधान सभा को ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में बी. एड की छात्रा के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में।

(12) श्री चम्पा लाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सिवाना के फूलन ग्राम की सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा धनराशि हड़पने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर व जयपुर जिलों में वन विभाग द्वारा एनीकट निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगन्नाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से डी. आर. डी. ए. के तहत कूप निर्माण के सम्बन्ध में।

(3) श्री ग्यारसी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई विधान सभा क्षेत्र में बिजली के खुले तारों से मृत्यु के सम्बन्ध में। प्रश्न के माध्यम से चर्चा हो चुकी है।

(4) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम नलवता तहसील पीपल्दा के एक व्यक्ति का ट्रैक्टर जबरन ले जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले की क्रय विक्रय सहकारी समिति खानपुर में गबन के सम्बन्ध में।

(6) श्री मांगी लाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशोरायपाटन नगरपालिका में गन्दगी में सम्बन्ध में।

(7) श्री शोपत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों की छात्रवृति की राशि न बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिव चरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से करोली पंचायत समिति के कुछ गांवों में हुडको व माडा योजना के अन्तर्गत दी राशि का उपयोग न होने के सम्बन्ध में।

(9) श्री भंवर लाल शर्मा (सरदारशहर) सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदार शहर के महादेवी बिड़ला प्रसूती गृह में स्टाफ की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव अस्पष्ट है।

(10) श्री दाऊ दयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा नगर में यातायात की अव्यवस्था से दुर्घटना के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले में अवैध ड्राइविंग लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्याधर नगर और मुरलीपुरा आवासीय बस्तियों के मकानों के टूटने के सम्बन्ध में।

(13) श्री चुन्नी लाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुजानगढ़ शहर के पक्के नाले की सफाई न होने के सम्बन्ध में।

(14) श्री हंस राज मिढा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मण्डी जैतसर की हरिजन बस्ती में पाइप लाईन द्वारा जल सप्लाई नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री केदार नाथ सदस्य, विधान सभा की ओर गंगानगर शहर में वर्षा से बस्तियों में पानी भरने के सम्बन्ध में।

(16) श्री सम्पत सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से से कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिलेवार समान राशि उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में।

(17) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर से हरिद्वार के लिये बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री यदुनाथ सिंह, श्री नाथू सिंह और श्री मोहन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर मे सिमको फैक्टरी के मजदूरों की छटनी के सम्बन्ध में। इस विषय पर डा. उजला अरोड़ा का प्रस्ताव आया था जिसका उत्तर प्राप्त हो गया है। राज्य सरकार की ओर से इस पर वक्तव्य की तिथी शीघ्र तय की जायेगी।

(2) श्री नत्थी सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से एक अध्यापिका का वेतन जिलाधीश, भरतपुर द्वारा रोके जाने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि वाहन ऋण का दुरुपयोग करने के कारण अध्यापिका के वेतन से कटौती करने के आदेश नियमों के अनुसार ही दिया गया है। वेतन उठाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि अध्यापिका स्वयं अपना वेतन नहीं उठा रही है।

(2) श्री भगराज चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से आहोर तहसील के 25 गांवों में बिजली सुविधा न मिलने से कपास की फसल को हानि के सम्बन्ध में सरकार ने जानकारी दी है कि उपलब्धि के अनुसार बिजली 5 घण्टे नियमित रूप से दी गई है। अधिक समय बिजली की मांग की पूर्ति सम्भव नहीं हुई।

(3) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य विधान सभा की ओर से लखवाल गांव के, सरपंच द्वारा पुलिस को उग्रवादियों की सूचना देने के पश्चात् भी कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि सूचना मिलने पर जांच की गई तो अजनबी ग्राम के एक निवासी के रिश्तेदार पाये गये। उप पुलिस अधीक्षक ने भी जांच की तो अजनबी रिश्तेदार ही ज्ञात हुए। एस. एच. ओ. द्वारा सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम लालासर तहसील नोखा निवासी श्री नारायणराम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि रेवेन्यू इन्स्पेक्टर द्वारा अभियुक्त के पिता के समक्ष भूमि का नाप तोल करने पर गोचर भूमि से खेजड़ी का बड़ा पेड़ काटा गया सिद्ध हुआ। 20 मन लकड़ी मकान से कब्जे में ली गई। अतः गिरफ्तारी की गई।

(5) श्री मोतीलाल मीना, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की पिटाई व मुकदमों में फंसाये जाने के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि फैक्ट्री की भूमि पर 300 अतिक्रमणियों को फैक्ट्री ने अपने स्तर पर हटाया। पुलिस ने झोंपड़ियां नहीं हटाई और मारपीट भी नहीं की। शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस दल 28-6-85 को भेजा गया।

(6) श्री देवीसिंह भाटी, श्री मानिकचन्द सुराणा और श्री कल्याणसिंह कालवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निलम्बित पुलिस अधीक्षक से अलमारी की चाबी न लिए जाने और महत्वपूर्ण कागज गायब होने की आशंका के सम्बन्ध में। सरकार ने जानकारी दी है कि 9-7-85 को अलमारी में रखे गोपनीय दस्तावेज कमेटी की उपस्थिति में लिस्ट बना कर पुलिस अधीक्षक को सम्भला दिये गये थे।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। अतः मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किये हैं वे माननीय सदस्य बहुत संक्षेप में दो दो मिनिट में, क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, उनको मालूम है कि आगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है और एक स्टेटमेंट भी है और कृषि की महत्वपूर्ण डिमाण्ड भी है, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी बात संक्षेप में कहेंगे।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री रमजान खां (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तिलोरा के लिए आपने जानकारी चाही है लेकिन मेरे पास पत्र आया है....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के एक अधिकारी को जो रात को कार्यालय से अपने घर जा रहे थे पुलिस ने पकड़ा और....

श्री अध्यक्ष : बैठें, कृपया बैठें माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं.... आप बिना इजाजत बोल रहे है....आर्डर आर्डर माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप 295 पढ़ लीजिए....

श्री अध्यक्ष : मैंने पढ़ लिया है। आप 295 में मुझे देते हैं, आप उसको सीधा सदन में नहीं रखेंगे।....आर्डर प्लीज.... आपको नियमों की जानकारी होते हुए भी बोलते जाते हैं....

(व्यवधान)

एक एक करके बोलें, माननीय सदस्य।

श्री रमजान खां : तिलोरा के लिए आपने जानकारी के लिए भेजा है उसके लिए धन्यवाद। मगर मेरे पास यह पत्र आया है कि जयपुर से जाकर वहां ट्यूबवैल खोदना शुरू हो गया है। मेरा निवेदन है कि आपके पास जानकारी आए तब तक तो इसको स्थगित करा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझ से बात कर लें। आर्डर प्लीज।

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। 5 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव मैंने श्रीमान को पेश किया था। आज 19 तारीख हो गई है, मेरे विचार से दस दिन में तो मैच्योर हो जाना चाहिये था। पूरे राजस्थान के हित का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी के लिए भेजा हुआ है। जानकारी नहीं आये तो आप मुझ से मिल लीजिएगा। दूसरी व्यवस्था हो सकती है तो मैं कर दूंगा उसमें।

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रस्ताव भी था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक की बात हो गई।

श्री जगमालसिंह यादव : मेरा दूसरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। 8 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था श्रीमान को। आज तक 8 और 5 के प्रस्ताव मैच्योर नहीं हुए साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था—

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

कुछ स्थगन प्रस्तावों की जानकारी राज्य सरकार से मुझे कल ही मिली है, उन स्थगन प्रस्तावों पर मैं व्यवस्था दूंगा और जिनके ऊपर जानकारी आ गई है उनके बारे में भी सम्पर्क करके जानकारी मंगा कर व्यवस्था दूंगा और फिर भी जानकारी नहीं आई तो मैं अपनी व्यवस्था दूंगा ही।

(व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल पारडवाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना सा था....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक बात तो आप तय कर दें कि आप कितने दिनों तक सरकार से जानकारी प्राप्त होने की प्रतीक्षा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, कृपया बैठें।

प्रतीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। पूर्व में भी जानकारी मंगाई जाती रही है. दो तीन दिन में जानकारी मंगाते हैं। जिसमें अन्तरिम सूचना भेज दी है कि पूरी सूचना नहीं मिल पाई है तो उस प्रश्न के लिए उनको समय दे देते हैं लेकिन इसमें हमको प्रतीक्षा की बात नहीं है। अगर सरकार की तरफ से जानकारी नहीं आयेगी तो आसन को तो अपनी व्यवस्था देनी ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुक्तिलाल जी कह रहे थे कि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया था....

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे को स्थगन प्रस्ताव दिए 15 दिन हो गए हैं....

एक माननीय सदस्य : मेरा काल अटेन्शन मोशन था....

श्री अध्यक्ष : काल अटेन्शन की बात यहां पर नहीं होती आर्डर प्लीज—आर्डर आर्डर....माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : एक महीना हो गया है अभी तक जानकारी नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें....आर्डर प्लीज... माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा सत्र नहीं टूटे।

श्री अध्यक्ष : हमारा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारा सत्र नहीं टूटे।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था जरूर करेंगे। आपके सत्र का ध्यान रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुक्तिलाल जी कह रहे हैं कि 15 दिन से एडजोर्नमेंट मोशन की जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : 15 दिन तो नहीं है लेकिन चार पांच दिन हो गये हैं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह तय कर दें कि दो दिन में, तीन दिन में, इतने दिनों में जानकारी आ जाय।

श्री अध्यक्ष : आम तौर पर दो दिन में जानकारी लेते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें समय चाहते हैं। जिसमें जरूरी है और जिसको आसन जरूरी समझता है उसको समय दिया जाता है। उसमें समय देते हैं।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज पन्द्रह दिन हो गये हैं, 16 दिन हो गये बल्कि 17 दिन हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब की बात हो गई है। माननीय सदस्य मैंने कहा है कि मेरे पास जवाब आये हैं। उनको देख कर मैं व्यवस्था दूंगा। मैंने कब कहा कि नहीं आये हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज-मण्डी) : सरकार से जानकारी आयेगी तब तक तो ये छोटे छोटे जो आटे की चक्कियां वाले हैं उनके कनेक्शन कट जायेंगे। आर. एस. ई. बी. वालों ने उनको तीन तीन हजार तक एडवांस रुपये जमा कराने के नोटिस दिये हैं।

(व्यवधान)

आपके पास जानकारी आयेगी तब तक तो आर. एस. ई. बी. वाले उनके कनेक्शन काट देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव जो आते हैं, आप देखेंगे कि क्या होता है कि आपके कई प्रस्ताव आपके क्षेत्रों के हैं। मैं मानता हूं कि आपको उस पर चिन्ता हो सकती है कि आपको अविलम्ब जानकारी मिलनी चाहिए सरकार से और उसी हिसाब से अपना प्रोसीजर बना रखा है। अगर आप देखें तो बीस, तीस, चालीस स्थगन प्रस्ताव रोज आये और उनके ऊपर ...

(व्यवधान)

कृपया बैठें। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री जगमालसिंह ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, आपने स्थानान्तरणों के मामले में जो हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था आपने दो दिन में उसकी जानकारी देने के लिए कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी स्थानान्तरण उसी तरीके से उसी रीति से रोज हो रहे हैं हमारे पास उससे पीड़ित व्यक्ति रोज आ रहे हैं और आपके पास सरकार का जवाब नहीं आया है, अध्यक्ष महोदय। हम इस बात से दुःखी हैं और पीड़ित हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार को चिन्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से गरीब आदमियों को और गरीब कर्मचारियों को, पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को जिले के बाहर भेजा जा रहा है और उन पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है सरकार उनकी जान निकाल देना चाहती है। यह स्थगन प्रस्ताव हम कई माननीय सदस्यों ने मिल कर दिया है, सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है, अध्यक्ष महोदय और यह सरकार गरीब कर्मचारियों की जान से मार देना चाहती है, उनको जान से मार दे, उनको बाहर

66

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

निकाले, उनको सस्पेंड कर दे, उनको ट्रांसफर कर दे...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारे सदस्य इससे चिंतित हैं। पचासों मास्टरों की ट्रांसफर की लिस्ट निकल रही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य.... आर्डर प्लीज....श्री मालाराम....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों मास्टरों की ट्रांसफर लिस्ट निकल रही है। मेरे पास सैकड़ों कर्मचारी रोजना आ रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज... माननीय श्री भंवरलाल....आपस में बातचीत नहीं माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी बात को बिना किसी महत्व के नहीं कह रहा हूं। मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है। सैकड़ों कर्मचारी मेरे पास यहां आ रहे हैं, उनके बाल बच्चे यहां आकर पड़े हुए हैं। चपरासियों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर ट्रांसफर किया जा रहा है, एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जा रहा है। तृतीय श्रेणी के पचासों मास्टरों के ट्रांसफर बांसवाड़ा कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें.... कृपया बैठें तो सही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि व्यवस्था करेंगे, सारा सदन इससे चिंतित है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया बैठें माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन आपने यह व्यवस्था दी थी कि आज के बाद कोई ट्रांसफर नहीं होंगे....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, चार सौ वैद्यों के ट्रांसफर हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य.... आर्डर प्लीज....

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद चिकित्सकों को बाड़मेर जैसलमेर परिवर्तित किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा सुनने की कृपा करें।

(व्यवधान)

माननीय श्री लाल चन्द जी, बैठें कृपया।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैंने इस सदन में कहा था कि दो दिन में इसकी जानकारी मंगाऊंगा। सूचना ज

(श्री अध्यक्ष)

मुझे दी गयी वह यह कि उसके बाद कोई स्थानान्तरण आदेश नहीं निकला है।

(व्यवधान)

सुनिये न। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप बैठें तो सही न। मेरी बात तो सुनिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप बात ही नहीं सुनना चाहते। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : सरकार ने आपको यह जवाब दिया, यह तो आपका अपमान है, सदन का अपमान है। यह गलत जवाब क्यों दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। मैं यह कह रहा था कि इसके विपरीत अगर कोई ट्रांसफर्स हुए हैं तो माननीय सदस्य मुझे दें। मैं निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था के लिए बात करूंगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सैकड़ों हुए हैं आप कहां तक जानकारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, बैक डेट में हो रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : एक दो दिन में उसे रिलीव करने वाले हैं। 27 तारीख का तो उप-निदेशक जोधपुर का आर्डर है और उसके बाद 29 को जालोर वाले आफिसर का आर्डर है....

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, धोखा धड़ी से ट्रांसफर्स हुए हैं। धोखाधड़ी से अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर हुए हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, केवल डायरेक्टर परिवर्तन कर सकता है किसी विभाग में लेकिन शासन सचिव परिवर्तन कर रहे हैं। शासन सचिव जिनका कार्य परिवर्तन करने का नहीं है वह इस प्रकार का मिसयूज कर रहे हैं अपने अधिकारों का। आश्चर्य है कि डायरेक्टर तबादला कर रहा है और उसके बाद शासन सचिव परिवर्तन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री डूंगर राम पंवार (टोंक) : यदि सरकार में हिम्मत है तो आई.ए.एस., आर.ए.एस. इनको बाहर भेजो जो ज्यादा भ्रष्ट हैं और बार-बार उनकी शिकायत कर रही है जनता, उनको स्टेट से बाहर भेजो तब समझेंगे कि सरकार में कुछ हिम्मत है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य। गम्भीर मामला है।

श्री लाल चन्द डूडी (भादरा) : यह चिकित्सा विभाग की एक ट्रांसफर लिस्ट है मेरे पास। आप ताज्जुब करेंगे कि यह दाइयों की एक लिस्ट निकाली है और उनको जिले से बाहर भेजा है। दाइयों को कहीं कोई स्थान नहीं बतलाया और जिले से बाहर ट्रांसफर हो गये....

श्री हरीश शर्मा : यह बेइमानी कर रहे हैं, लूट रहे है मार रहे हैं। जनता का खून पी रहे हैं। लूट रहे हैं।

श्री लालचन्द : अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते है कि इस तरह के ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं होते और फिर एक दाई के लिए तो····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह सरकार क्यों मौन है। सरकार क्या कहना चाहती है। इतनी बडी कर्मचारियों को परेशानी और इसमें सरकार का करोड़ों रुपया ट्रांसफर में खर्चा, कौन सा पहाड़ टूट रहा है, अध्यक्ष महोदय, और यह बात कर रहे हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है ? हम इतना ही जानना चाहते हैं।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राज्य की उन्नति और विकास होगा क्या यही इक्कीसवीं शताब्दी का प्रमाण है, अध्यक्ष महोदय। यह 21 वीं शताब्दी नहीं है। इसका नोटिस दे रहे हैं सदन को। आपको धोखा क्यों दिया, आपके साथ धोखा क्यों किया। आपको गलत जबाव क्यों दिया, उनको डांटिये आप।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य श्री हरीश शर्मा। बैठें कृपया।

आपकी भावना को मैं समझ गया हूं। माननीय सदस्यों की भावनाओं को मैं समझ गया और मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से निश्चित से निश्चित प्रकार की व्यवस्था आपके सामने दूंगा। कृपया बैठें। मैं दूंगा व्यवस्था आप मेरी इतनी सी सुन लो न। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बात सुन लें। सवाल यह नहीं है, परेशानी यह नहीं है···

श्री नारायण सिंह : आप इन्हीं की सुनेंगे, दूसरों की बात कहने के लिए भी कुछ टाईम दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल जी बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, परेशानी यह है कि ट्रांसफर के आदेश निकाल दिये गये, आपको कह दिया कि अब हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो ट्रांसफर की लिस्ट निकाली है वह बहुत बड़ी लिस्ट है। अब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इतने जो 22-23 हजार लोगों के ट्रांसफर के आदेश निकाल दिए तो हमने आपके सामने यह रखा था कि अभी जो ट्रांसफर किये गये हैं, इनको रोकिये। इससे बड़ी परेशानी हो रही है, तो आपने कहा कि साहब, मैं इस पर व्यवस्था दूंगा। वह तो रुके नहीं वह आदेश निकल गये, उनकी अगर क्रियान्विति रुक जाए तो मैं समझता हूं इस समस्या का समाधान हो सकता है। आप आश्वस्त करिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने कहा कि इस बारे में मुझे व्यवस्था देनी है, मैंने कह दिया मैं व्यवस्था दूंगा इस पर। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : आदेश निकाले हैं। शिकायत करवायी तो यह समस्या कब रुकेगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें । समाप्त करें । श्री मोहन प्रकाश आप बैठें कृपया ।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : धौलपुर जिले में एक एक....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जनरल बात हो गई इसमें जिले की क्या बात कर रहे हैं आप । श्री नारायण सिंह । कृपया बैठें ।

श्री नारायण सिंह (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह फरमाया कि सरकार से जानकारी मिली है कि नहीं हो रहे हैं । हमारा निवेदन आप से यह है कि सरकार ने क्यों सरकुलर निकाला उसकी बैक डेट में वह आर्डर्स निकाल रहे हैं । आर्डर्स निकाल रहे हैं जुलाई के महीने के अन्दर और तारीख लग रही है जून की तो हम यह जानना चाहते हैं कि जुलाई के जो आर्डर्स उनको मिले हैं और डेट लगी हुई है पहले की, तो यह सरकार से जो आपके पास इन्फार्मेशन आयी है वह, श्रीमान, गलत है । हम यह चाहते हैं कि जुलाई के महीने के अन्दर कितने आदमियों के ट्रांसफर्स हुए हैं उनके ऊपर क्या ध्यान देंगे ?

श्री मोहन प्रकाश : डेढ़ महीने से कलेक्टर नहीं, कोई अधिकारी नहीं, जिनका हो गया है वह जा नहीं रहे और जो आने वाले हैं वह आ नहीं रहे ।

श्री अध्यक्ष : हां, बैठें माननीय सदस्य । अब सारी बात कह दी आपने समझ में आ गई मेरे, कृपया बैठें । श्री जगमाल सिंह ।

श्री नाथू सिंह : क्या हुआ इस बारे में ?

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा न कि मैं व्यवस्था दूंगा । इस पर मैंने कह दिया, पहले ही कह दिया । आप बड़ी जोर से बोल रहे थे, आप बड़े जोश में और तेजी से बोल रहे थे । तो मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पा रही थी ।

श्री जगमाल सिंह (यादव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान में वर्षा होने की खुशी....

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : मुझे भी कुछ कहना है । अध्यक्ष महोदय, आज से 10 दिन पहले मैंने जयपुर में जे. डी. ए. कमिश्नर और भूतपूर्व मुख्य सचिव के मामले में एडजर्नमेन्ट मोशन दिया था....

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व तो हो गये । माननीय सदस्य, भूतपूर्व नहीं आप बैठें । मुझसे बात करें कृपया बैठें । आर्डर प्लीज । श्री जगमाल सिंह ।

श्री भंवर लाल शर्मा : हमारे सदन से 2 भंवर लाल शर्मा नाम के व्यक्ति हैं । छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है ।....

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों को कान्सटीट्यूएंसी के हिसाब से पुकारता हूं ।

श्री भंवर लाल शर्मा : नहीं, जब आप बैठने के लिए माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कहते हैं तो उसमें मेरा नाम बोलते हैं । भंवर लाल जो सरदारशहर से चुने गये हैं वह या मैं कुछ अन्तर तो करिये ।

श्री अध्यक्ष : आइन्दा ध्यान रखेंगे इस बात को, आप उसको अपने ऊपर मत लें । आर्डर प्लीज ।

श्री जगमाल सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ सर्वत्र राजस्थान में बरसात होने की इस सदन को और राजस्थान की सारी जनता को खुशी महसूस हुई, दूसरी तरफ राजस्थान में बरसात होने से एक विभाग को बड़ी चिन्ता लगी, बड़ी भगदड़ हो रही है। कल का मैंने अपना जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह, महोदय, अलवर जिले और जयपुर जिले में सारी परियोजना के खिलाफ था। मैंने इसकी शिकायत भी की थी, योजना मंत्री को लिखा है, जिलाधीश अलवर को लिखा है और भू संरक्षण का जो उसका अलवर में एक्स-ई-एन बैठा है उसको लिखा है। 40 लाख का बजट पिछली बार अलवर जिले में दिया गया और उस 40 लाख के बजट के जरिये भू संरक्षण विभाग ने अलवर जिले में खास तौर से मेरे तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कुछ एनीकटों का निर्माण किया था। जब यह एनीकटों का निर्माण हो रहा था तो मैंने देखा कि एनिकट बन किस तरह से रहे हैं। महोदय, जब मैंने एनीकट्स को देखा तो मैंने लिखा, कलेक्टर साहब को लिखा, मैंने भू संरक्षण अधिकारी जो अलवर में बैठते हैं उसको लिखा, लिखित शिकायत की कि यह एनिकट्स जो बनाये गये हैं यह एनिकट्स यह बरसात का पानी नहीं झेल सकेंगे और वही हाल हुआ। वही हश्र हुआ उन एनीकट्स का। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 तारीख की रात को अलवर में जबरदस्त बरसात हुई है और आज जो जमीन के कटाव को यह सरकार रोकना चाहती थी, मैं मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूं अगर मेरी बात पर आप विश्वास नहीं करें तो अलवर जिले में जितने एनिकट बने हैं आप जाकर देख लीजिये वहां नामोनिशान नहीं रहा। 40 लाख रुपये का चूना लग गया राजस्थान की सरकार को। एक एनिकट नहीं, सारे एनीकट पानी में बह गये। एनीकट्स में से पानी के बहाव के लिए, अध्यक्ष महोदय, सीमेण्ट का उपयोग किया जाता है। राजस्थान सरकार ने 5 हजार कट्टे जारी किये सारे परियोजना अधिकारियों को कि इसका एनीकट बनाइये। उन 5 हजार कट्टों में से बमुश्किल एक हजार कट्टे एनीकट बनाने में नहीं लगाये और उसका यह परिणाम निकला कि पहली बरसात में सारे एनीकट साफ हो गये। अभी मेरे पास मेरे क्षेत्र के लोग आये उन्होंने बताया सारी परियोजना वालों की जीपें और कारें भागी घूम रही हैं कि इनको दोबारा बनवाओ। लेकिन मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि दुबारा लीपा पोती करें उसमें पहले आप स्वयं उस इलाके का दौरा कीजिये क्योंकि 40 लाख रुपये का बजट 1984-85 का आपने दिया और लगभग इतनी राशि का ही बजट अब यह राजस्थान सरकार फिर अलवर जिले में देने जा रही है। जहां एक एनीकट नहीं, महोदय, इसका उल्टा परिणाम निकला है, जहां एनीकट कच्चे बनाये, जहां एक खेत का पानी टूटकर दूसरे खेत में गया वहां दूसरा एनीकट टूटा दूसरे का पानी इकट्ठा होकर तीसरे में गया, खेत का पानी टूटा....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा महोदय,।

जहां तक इस एनीकट के उपयोग की बात है आज अगर जाकर देखें, अधिकारियों के

(श्री जगमाल सिंह यादव)

मार्फत आप रिपोर्ट मंगा लें, हालात यह हो गये जो भूमि का कटाव सरकार रोकना चाहती थी वहां नाले और नादियों का रूप धारण कर लिया, 4-4 फीट खड्डे पड़ गये उनके खेतों में, सरकार का 40 लाख बेकार गया और खेत जो भू संरक्षण करना चाहते थे उससे उल्टा भूमि का कटाव हुआ है, अध्यक्ष महोदय। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, मैंने लिखित में शिकायत की है। जब मैं अपने इलाके का दौरा करने गया तो मैंने सारी परियोजना की सीमेंट को बेचते हुए पकड़ा है। मैंने थानेदार को टेलिफोन किया। तहसीलदार, एस. डी. एम. और कलेक्टर से बात की कि परियोजना में जो सीमेंट लगनी चाहिये वह बाजार में बिक रही है, इसके बावजूद एस. पी. और कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। थानेदार के यहां रिपोर्ट दर्ज करायी। थानेदार ने पैसे खाकर, 8000 रुपये लेकर उसमें एफ. आर. लगा दी। इसकी मैंने शिकायत एन्टी करप्शन के डी. जी. को की। डी. जी. ने जांच करायी। जांच कराने के बाद यह रिपोर्ट सामने आयी है कि जितनी सीमेंट लगनी चाहिये थी उसमें से 10 पर्सेन्ट भी सारी परियोजना में नहीं लगाई गई है। आज तक उस थानेदार और परियोजना के अधिकारियों को सस्पेण्ड नहीं किया गया। नियमानुसार जिनके खिलाफ एन्टी करप्शन में मुकदमा दर्ज हो जाये उनको तुरन्त सस्पेण्ड किया जाना चाहिये था। मैं पूछना चाहता हूं इस राजस्थान सरकार से, इनको किसी को पता नहीं है, मैं बता रहा हूं सरकार को। किसानों की बात करती हैं सरकार कि किसानों को रियायत दे रहे है, मैं कहना चाहता हूं रहम करो आप लोग उन किसानों के प्रति जिनके आप खेत बनाना चाहते हैं, कटाव रोकना चाहते हैं। उनके खेतों को बरबाद होने से बचा लीजिये आप लोग। कोई जरुरत नहीं है मेरे क्षेत्र में और अलवर जिले में आपको एनीकट बनाने की। अगर एनीकट बनाने से उनकी जमीन का कटाव होता है, नदी और नालों को रोका जाता है, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय और सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे अलवर और खास कर मेरे तिजारा में इस तरह के एनीकटों की जरुरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : दो मिनट में मैं समाप्त करूंगा।

अगर एनीकट बनाना चाहते है, सरकार किसानों को बाकायदा कोई रिलीफ देना चाहती है, सरकार चाहती है कि किसानों को फायदा हो तो आप सौ की जगह चाहे पांच एनीकट बनायें लेकिन एनीकट ऐसे हों जिसमें खेतों का कटाव रुके, किसानों को फायदा मिले। वह किसान रोयेंगे इस सरकार जिनको अपने गड्डे भरने के लिये बाहर से मिट्टी लानी पड़ेगी, जिनके खेत आज काश्त के काबिल नहीं रहे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जरा सी इतनी बात कहना चाहता हूं, जिन अधिकारियों ने सीमेंट बेची है, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं इसकी व्यापक जांच हो। ए. ई. एन. की यह हिम्मत नहीं कि जो 5000 कट्टे सीमेंट बेच कर खा जाय। इसमें जयपुर और अलवर जिले में बैठे हुए अधिकारी और यहां तक कि हो सकता है सरकार का भी हाथ हो। इसकी व्यापक जांच होनी चाहिये। जो खेत बरबाद हो गये, जिनमें

72

(श्री जगमाल सिंह यादव)

गड्ढे पड़ गये सरकार अपने ऊपर दायित्व ले कि उन खेतों में हम पुनः भराव करवायेंगे ऐसे एनीकटों की कोई जरुरत नहीं है। उन अधिकारियों के खिलाफ जांच कराये। खुद मंत्री महोदय को मैं न्यौता देता हूं अलवर जिले में आयें, अलवर जिले में 40 लाख रुपये को किस तरह से चूना लगाया गया है, मैं साथ चल कर दिलाने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : इतना ही कहते हुए कि एनीकट के लिये कोई ऐसी योजना मेरे क्षेत्र में नहीं चाहिये, ऐसा विकास नहीं चाहिये। अगर विकास करना है तो सुदृढ़ करें। किसानों को जिसका फायदा मिले वह करें। विकास किसान की जमीन बचाने के लिए करें। मैं हाथ जोड़ता हूं इस सरकार के सामने, मेरे किसानों को बरबाद होने से बचायें। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगन्नाथ। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज कृपया बैठें।

श्री जगन्नाथ वर्मा (मनोहरथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कुछ सूचना देना चाहता हूं। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायतें मनोहरथाना में डी आर डी से ग्राम पंचायत जावर और ग्राम पंचायत खाताखेड़ी में दो निर्माण कार्य मंजूर हुए थे। मंजूर होने के बाद बी. डी. ओ. साहब ने पंचायत समिति में आर्डर भेज दिये। आर्डर भेजने के बाद दोनों किश्तें ग्राम पंचायत को दे दी गई। जब दो दो किश्तें ग्राम पंचायत को दी गई उसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य शुरु कर दिया। परन्तु वहां के प्रधान महोदय ने सरपंचों से कहा कि मेरा कमीशन दिया जाय नहीं तो मैं तुम्हारा काम बंद करवा दूंगा। जब ग्राम पंचायत के सरपंचों ने कमीशन देने के लिये मना किया तो प्रधान महोदय ने जिला प्रमुख से बात करके काम बंद करवा दिये। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायत खाताखेड़ी और ग्राम पंचायत जावर के निर्माणाधीन कुओं का काम वापस चालू कराया जाय और उनके जो पैसे खर्च हुए हैं उनको पैसे दिलायें जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री ग्यारसी लाल। आपका पूर्व में भी आ चुका है।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : नहीं साहब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : इस विषय में बोल चुके हैं आप।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : नहीं, साहब नहीं बोला हूं।

श्री अध्यक्ष : बिजली के तार के संबंध में ?

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : नहीं, साहब, नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष संक्षेप में।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : बहुत कम बोलता हूं, नया नया आदमी हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो मैं देख रहा हूं कितना कम बोलते हैं आप।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र निवाई वनस्थली के आसपास के जो गांव हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक तो मेरे क्षेत्र में जो बाहरसे चारा आता है, ट्रक वगैरह में जो भर कर आता है, जिसको खाखला बोलते वह करीब दो रुपये किलो बिकता है। इतना महंगा हो रहा है कि वहां पर जो किसान हैं, जो पशुपालन है वह उस चारे को नहीं खरीद सकते।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव किस पर है ?

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : दोनों पर है।

श्री अध्यक्ष : एक पर बोलेंगे।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : चारे पर भी दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दो तो होते ही नहीं हैं एक दिन में मंजूर। जो आपने पहले दिया वह मैंने मंजूर किया है। मैंने एक ही रेफर किया है।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : उस पर बोल देता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक ही रेफर किया है मैने दोनों पर नहीं बोलेंगे आप।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में थोड़ी सी हवा चलती है या जोरदार हवा का कोई झोंका आता है तो तार टूट कर गिर जाते हैं शहर के आसपास। गांव में तो होता ही है लेकिन शहर के आसपास जो छोटी मोटी ढाणियां हैं, उनमें वह तार टूट कर गिर जाते हैं। उनके गिरने पर बाकायदा लोग शिकायत करने जाते हैं ए. ई. एन. जे. ई. एन. के पास लेकिन तीन तीन, चार चार दिन तक वहां न कोई कर्मचारी जाता है, न उन वायरों को उठाया जाता है। उसका यह परिणाम हुआ, अध्यक्ष महोदय, अभी पांच सात दिन पहले एक भैंस, दो बैल और एक बछड़ा तत्काल वहीं मर गये। उसकी शिकायत, गांव वालों ने ए. ई. एन., जे. ई. एन. से की लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जो जानवर होते हैं वह यह तो समझते नहीं कि पोल के अन्दर बिजली आ रही है या वहां जो वायर पड़ा हुआ है उसमें बिजली आ रही है। एक गांव बायरा है मेरे वला, पोल के अन्दर लाइट थी, पोल जो लगा हुआ था उसको रोकने के लिये अलग से तार और लगता है उसके अन्दर बिजली आ रही थी। भैंस ने वहां जाकर अपना सिर खुजाया और खुजाने के साथ ही वह खतम हो गई। जिन कर्मचारियों की गांव में ड्यूटी लगाई जाती है वह कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचते। उस समय तो यह हुआ कि दो घण्टे बाद कर्मचारियों को गांव वालों ने ढूंढ लिया और ढूंढ कर उनको बुरी तरह से मारा। मैं वहां पहुंच गया था, बड़ी मुश्किल से वहां जाकर उनको बचाया। बचाने के बाद उनको हास्पिटल में भर्ती कराया।

अध्यक्ष महोदय आये दिन इस तरह की घटनाएं वहां होती रहती हैं। आपको थोड़े दिन पहले की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरे गांव के एक बहुत बड़े सेठ हैं जो अपने दोनों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर, अंगुलियां पकड़ कर सुबह के टाइम

(श्री ग्यारसी लाल परिडवाल)

जल्दी घूमने के लिये जाया करते थे। मैं शहर की बात ग्रापको ग्रर्ज कर रहा हूं। वहां पर वह वायर टूट कर गिरे हुए थे। मार्निग के टाइम में गांव में लोग साइकिल पर दूध लेकर ग्राते हैं तो साइकिल पर जो था उसके व्हील में वायर उलझ गया। उलझने पर उसको करंट लगा लेकिन उसकी तकदीर थी कि वह बच गया। उसने फोरन ए. ई. एन को जाकर यह खबर दी कि ग्रापके वायर टूटे पड़े हुए हैं वहां से फौरन वायर हटवायें ग्रौर लाइन बद करवायें वरना कोई मारा जायगा। ठीक उसके ग्राधा घंटे बाद हमारे गांव के ग्रच्छे गणमान्य व्यक्ति थे वह ग्रपने बच्चों को लेकर घूमने गये थे। एक बच्चा पीछे रह गया। एक बच्चे की ग्रंगुली पकड़े हुए थे। ज्यों ही उनका पैर वायर से टच हुग्रा, टच होने के साथ ही जोरदार उसने पछाड़ खायी। पछाड़ खाने के साथ ही उस बच्चे ने उनको पकड़ा क्योंकि वह वायर पर गिरे थे, गिरने के बाद वह बच्चा चिल्लाया। उस बच्चे ने उस बच्चे को पकड़ा तो वह बच्चा भी तार पर गिर गया। उनको देख कर जो तीसरा बच्चा भागा, उस तीसरे बच्चे ने भी जब उनको पकड़ने के लिये कहा कि पापा पापा, तो इतने में ही वह भी खतम हो गया। यानी, ग्रध्यक्ष महोदय, तीनों वहीं खतम हो गये। इस तरह की घटनाएं ग्राये दिन मेरे क्षेत्र में होती रहती है। मैने बिजली वाले ए. ई एन., जे ई. एन. साहब से रिक्वेस्ट की है। ग्राप लाइट तीन तीन चार चार साल तक डिमाण्ड नोटिस निकलने के बाद भी नहीं देते। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, तीन तीन साल से लोगों के डिमांड नोटिस निकले हुए हैं, उनके पैसे जमा है कृषि में, हाउस में, घरेलू उद्योग में, किसी को ग्राज वहां कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की लापरवाही करते हैं तीन घंटे तक किसी वार्ड या ढाणी में लाइट बंद हो जाय तो चार पांच दिन तक कोई सम्भालने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह की, ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे वहां कंडीशन है। इस लिये मेरा निवेदन है कि वहां इसके लिये ए ई. एन, जे. ई. एन को पाबन्द किया जाय या उनको वहां से तुरन्त हटाया जाय ग्रौर ऐसे ए. ई. एन., जे ई.एन. को रखा जाय जो वहां ईमानदारी ग्रौर सच्चाई के साथ काम कर सकें।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हीरालाल ग्रार्य।

श्री हीरालाल ग्रार्य (पीपल्दा) : ग्रध्यक्ष महोदय, कोटा की पुलिस जन जीवन के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रही है ग्रौर ग्रपराधियों से मिल कर....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप किस पर बोल रहे हैं, यह नहीं है माननीय सदस्य ? ग्राप तो पुलिस पर ग्रा गए।

श्री हीरालाल ग्रार्य : जी हां, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं उसी, जबरन ट्रैक्टर ले जाने के बारे में है, उसी पर ग्रा रहा हूं। पुलिस इस प्रकार से ग्रपराधियों से मिल कर ग्रपराधियों को संरक्षण देकर जनता की खुली लूट कर रही है। इसका एक उदाहरण मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। 30.4.1985 को मेरे क्षेत्र के ढलावता गांव के भैरोंलाल पुत्र बाजा ग्रपना ग्रनाज बेचने, सरसों बेचने कोटा मण्डी में ग्रपने ट्रेक्टर को लेकर गया। वहां प्रेम

(श्री हीरालाल आर्य)

भाटिया और दूसरे तीन और आए और ट्रैक्टर जबरन उठा कर ले गए। उस ट्रैक्टर पर जो ड्राइवर बैठा था उसके साथ उन्होंने जबरन मारपीट की और ट्रैक्टर को जबरदस्ती ले गए। उस ड्राइवर ने गुमानपुरा थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे ट्रैक्टर को जिसका नम्बर आर. आर. ओ. 8117 है उसको अपराधी लोग ले गए है कृपया मेरा ट्रैक्टर दिलाया जाय। तो गुमानपुरा थाने से उस व्यक्ति को भगा दिया कि यहां पर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम भग जाओ और उसको वहां से भगा दिया। तो फिर, वहां कुछ प्रभावशाली लोग थे उनके पास गया और उनसे निवदन किया कि मेरे ट्रैक्टर को भाटिया कम्पनी के कुछ लोग उठा कर ले गए हैं और पुलिस में गया तो वहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो उनके प्रभाव से फिर रिपोर्ट दर्ज की गई, रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ....

(12.42 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस ट्रैक्टर को बरामद किया। लेकिन बरामद करने के बाद भी अभी तक उस ट्रैक्टर को सबंधित व्यक्तियों को नहीं सभलाया जा रहा है और यह जो भैरू लाल है यह बार बार निवेदन कर रहा है कि मेरे ट्रैक्टर को मुझे सम्भलाया जाय। यह एम. पी. से मिला, कलक्टर से भी शिकायत की, कि गुमानपुरा थाने वाले मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं और जो भाटिया कम्पनी है जो ट्रैक्टर लोन दिलाने का काम करती है उससे मिल कर यह पुलिस मेरे ट्रैक्टर को बरामद नहीं कर रही है। यहां तक कि अदालत के आदेश के बावजूद भी उसमें से 26 पार्ट निकाल लिए और वहां से भाटिया कम्पनी के यहां से उठा कर पुलिस की मिलीभगत से दूसरे ट्रैक्टर से जोडकर उसको लाकर थाने में खड़ा कर दिया और कहा कि इसको ले जाओ। वह कहता है कि इसमें से 26 पार्ट कम हैं इसको मैं कैसे ले जाऊं? इसकी शिकायत वह सब से कर चुका। अब, उपाध्यक्ष महोदय, आप ही फरमाइये कि जनता किससे निवेदन करे। वहां का एस. पी. सुनने को तैयार नहीं। कलक्टर के पास गए वह भी सुनने को तैयार नहीं। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने आपको सूचना दी, आपने उसको महत्वपूर्ण न समझ कर रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे क्षेत्र की जनता इस घटना को देख कर बहुत क्षुब्ध है और आश्चर्य में है कि आखिर किसी व्यक्ति का ट्रैक्टर कोई अपराधी उठा कर ले जाय और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज न हो दबाने के बाद रिपोर्ट दर्ज हो फिर भी उसका ट्रैक्टर नहीं मिले। एस. पी. से शिकायत कर दी एम. पी. उसको सुनने को तैयार नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, साफ साफ इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, कि भाटिया एण्ड क. से उस गुमानपुरा थाने की पुलिस पैसा खा गई है और उस पैसे को एस पी. तक पहुंचाया है। इस घटना पर एस. पी भी चुप है। मेरे इलाके के किसान देख रहे है कि आखिर बारिश आ गई है यह किसान अपनी खेती को ठीक करेगा, बैंक वाले उसको जो ऋण है उसको चुकाने के लिए किश्ते जमा कराने के लिए पाबन्द कर रहे हैं, तकाजा कर रहे हैं, ब्याज बढ़ता जा रहा है। कृषि कार्य पिछड़ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। सारे किसानों की जमीनें हल जोतकर तैयार हो गई, बीज बोने जा रहे हैं लेकिन इस किसान

(श्री हीरालाल ग्रार्य)

का खेत पड़त पड़ है। ग्राश्चर्य है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कोटा की पुलिस किस प्रकार से ग्रपराधियों से मिली हुई है ग्रौर जन जीवन से खिलवाड़ कर रही है। ग्रापके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जो संबंधित ग्रपराधी हैं, जो कि पुलिस से मिले हुए हैं, उनसे गरीब किसानों को उसका ट्रैक्टर संभलाया जाय। उसकी कृषि का नुकसान हो रहा है ग्रौर ग्राथिक रूप से वह मर रहा है, उसकी घटना देखेंगे। उसके खेत को देख कर सारे गांव वाले तो क्या, क्षेत्र के लोग ग्राश्चर्य कर रहे हैं कि यह क्या हो रहा है? इस तरह की किसान विरोधी, ग्रपराधियों को पनाह देने वाली सरकार है। मैं समझता हूं कि पुलिस की ड्रेस में जो पुलिस धारी लोग बैठे हैं यह भी ग्रपराधी है जो जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि थानेदार ने जो रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसका ट्रैक्टर नहीं संभला रहे हैं इनको दंडित किया जाय ग्रौर ग्रविलम्ब किसान को पार्ट सहीत ट्रैक्टर संभलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह खाली जो ट्रैजरी बैंच है उसको प्रणाम करता हूं कि मेरी बात को मंत्री तक पहुंचा दे। एक घंटे का शून्यकाल है, उपाध्यक्ष, लेकिन खाली कमरे ग्रौर खाली महोदय कुर्सियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनको डांट फटकिए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : बजट सैशन है मुख्य मंत्री को बैठना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ट्रेजरीबैंच खाली पड़ी है जैसे इनको परवाह ही नहीं है, ग्राप ताडना दीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नोट हो रहा है, माननीय मंत्री जी बैठे हैं।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : शून्य में ही शून्यकाल चलता रहेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : या तो हमारे सारे स्थगन प्रस्ताव जो हम देते हैं वे राज्य सरकार को भेजें तो हम को संतोष हो कि हमारे स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था हुई या फिर कोई घणा घोरी तो हो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था तो ग्रासन देता है?

श्री दाऊदयाल जोशी : उस पर क्या एक्शन हुग्रा केवल ग्रखबारों में छप जाएगा यह पढ़ कर ही संतोष कर लें या फिर कोई कार्यवाही हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई हिदायत तो दीजिए, वह कम से कम ग्राकर बैठें तो सही।

श्री दाऊदयाल जोशी : शून्यकाल में तो बैठें, बाद में तो कहीं भी मटरगश्ती करें,

उपाध्यक्ष : मंत्री जी बैठे हुए हैं। श्री हरीश शर्मा।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है कि एक मंत्री बैठे हैं तो रिप्रेजेन्टेशन हो जाता है। पर यह एक्सेप्शनल केसेज तो ठीक है पर क्या साधारण तौर पर यह नियम बन गया है कि सरकार की ओर से केवल एक मंत्री बैठा रहे और कोई नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के नोटिस में आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : यह सदन की अवमानना है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरे मंत्री भी आ गए हैं। श्री हरीश शर्मा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और मंत्री जी कहां गए है घूम रहे है, बीमार हैं, कहां है ? सदन को सूचना तो दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं। हरीश जी सक्षम है अपनी बात कहने के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारी बात को गंभीरता से लें और इसका निदान निकालें हम तो यह चाहते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सिंचाई मंत्री) : बिल्कुल होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ××× फिरते हैं इधर उधर, हाउस में बैठते नही, हाउस की अवमानना कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सी पी. जोशी : यह ××× कौनसा शब्द है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ××× को एक्स-पंज किया जाय। नो आइडेंटिकल, नो आइ-डेंटिकल।

श्री नत्थीसिंह : यह असंसदीय नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह अन्याय है। बिल्कुल असंसदीय नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बता बता दीजिए ××× नहीं तो और क्या कहें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई असंसदीय नहीं है, मैंने जानबूझ कर प्रयोग किया है।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंटरी लेंग्वेज में थोडा चेंज नहीं आएगा तो मुस्कराहट कैसे आएगी, आइडें-टिकल को आप कैसे एक्सपंज करेंगे।

(व्यवधान)

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित किये गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको डांटिए ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : × × × फर कैसे इस बात को कहेंगे × × × बिल्कुल संसदीय शब्द ।

एक माननीय सदस्य : यह किस नियम के तहत एक्सपंज कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री सी पी. जोशी : आसन की व्यवस्था को चेलेन्ज नहीं किया जा सकता ।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, × × × को आपने एक्सपंज कर दिया तो जीवन में से मुस्कान चली जाएगी । रह ही नहीं जाएगा कुछ भी ।

श्री उपाध्यक्ष : यह जो माननीय सदस्या ने कहा है × × × इसको भी निकाला जाय, एक्सपंज नहीं किया जाय ।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : इस पर पुनर्विचार करें, हम तो आसन से यह कह रहे है संसदीय शब्द है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरीश जी बोल रहे हैं माननीय सदस्य, वह सक्षम हैं सारी चीज कहने के लिए ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: मटरगश्ती कोई असंसदीय शब्द नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह आसन की चीज है, आसन व्यवस्था देता है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: आसन केवल असंसदीय शब्दों को एक्सपंज कर सकता है ।

(व्यवधान)

यों तो आप सभी एक्पंज कर देंगे ।

श्री नाथूसिंह : एक्सपंज के भी नियम बने हुए हैं कि किसे किया जाना चाहिये, किसे नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : जी हां, इसमें दे रखे हैं ।

श्री नाथूसिंह : इसलिए जो अनपार्लियामेंट्री शब्द होते हैं वे ही एक्सपंज होते हैं और मैं समझता हूं कि × × × कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अनपार्लियामेंट्री है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें । श्री हरीश शर्मा ।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी विभाग किसानों के लिये ऐसी तलवार हो गयी जिससे मरता भी नहीं और उसका खून भी जाते है । खानपुर की एक सहकारी समिति है जहां पर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चेहरे पर शिकन नहीं डालेंगे ।

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री हरीश शर्मा : उस सहकारी समिति में आप देखेंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : शासन व्यवहार ही ऐसा करें और फिर वह रहे हैं कि शिकन न रहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या। हां, तो हरीश जी।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले की खानपुर की सहकारी समिति....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह अन्याय है, साहब।

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक) : ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई बोलने के लिये विषय, सामग्री नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा कि मरने से रोने से, यह शब्द असंसदीय है इसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश जी।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री हरीश जी।

श्री हरीश शर्मा : सहकारी विभाग इस कदर लूट रहा है आप देखिये। क्रय विक्रय सहकारी समिति खानपुर में केवल मात्र एक सेल्समैन पर पिचहत्तर हजार रुपये का गबन सिद्ध हो गया, आडिट में सिद्ध हो गया, जांच में सिद्ध हो गया लेकिन, उसकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी वे लगातार खाद में गबन, शक्कर में गबन कर रहे हैं। इस प्रकार आज वहां शक्कर नहीं मिल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख इस बात का है कि सहकारिता में जितने गबन हुए हैं मैं जानता हूं अधिकतर गबन की जिम्मेदारी व्यवस्थापकों पर है लेकिन एक जो सीधी सी बात आती है कि सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं लोकल सेल्फ बाडी के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गबन करते हैं जनप्रतिनिधि, मरता है व्यवस्थापक या सरकारी कर्मचारी। इस बारे में एक बार यह जो वली चीफ सेक्रेट्री थे उनसे मेरी बहुत तकरार हो गयी। मैंने उनसे कहा आप देखिये गबन के मामलों में आठ लोगों की फाइलें हैं। तो उन्होंने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, सेक्रेट्री ने कहा आप बहुत गरम हो रहे हैं पहले आप ठंडा पानी पीजिये और आप इस बारे में मुख्य मन्त्री से मिलें। अर्थात् वे फ्री हो गये और अध्यक्ष फ्री हो गया जो गबन करके किसानों का खून पी गये रिश्वत लेकर। और फिर जब जांच हुई तो उन्होंने उसको उच्च अधिकारियों को सौंप दिया और खुद बरी हो गये। आज तक उनकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई। आज इस स्थिति में पहुंच गये कि समिति बैठ गयी है। झालावाड़ बैंक से उनको लोन मिल सकता, न ये किसानों को लोन दे सकते, न उपभोक्ताओं को घासलेट दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस को-आपरेटिव संस्थाओं का आखिर उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य खाना

(श्री हरीश शर्मा)

ही केवल मात्र रह गया है। कानूनी तरीके से इस समिति में बैठ कर किसानों को, जनता को लूट कर खा जावो और आधा हिस्सा हमें दो हम कुछ भी नही कहेंगे, आधा हिस्सा तुम खाओ मौज करो। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यह सहकारी संस्था जनता के लिये काम करती है इस पर सरकार की विशेष निगाह होनी चाहिये। इसकी व्यवस्था यह हो कि को-आपरेटिव पर निगाह रखने के लिये जनता की, जन-प्रतिनिधियों की, और सरकार के प्रतिनिधियों की मिली-जुली जांच समिति बनायी जानी चाहिये ताकि अंकुश लगाया जा सके। सहकारी विभाग पर आज किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास आज एक सैल्समैन का केस है। क्रय विक्रय सहकारी समिति खानपुर के बारे में आज मेरा स्थगन प्रस्ताव है। उसकी स्थिति यह है कि समिति बैठ गयी है। अब यह बरसात हो गयी है किसान खेत जोतेंगे, हल चलायेंगे, आज उनको अच्छे बीज चाहिये, खाद चाहिये, उनको शक्कर चाहिये। न खाद मिले, न बीज मिले। केवल मात्र जो सामान भेजते हैं, जो अधिकारी हैं, वह शक्कर के अन्दर, खाद वगैरह का पिचहत्तर हजार एक बार खा चुके हैं और आडिट में सिद्ध हो गया, जांच में सिद्ध हो गया लेकिन एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की जा रही है। इस बात से सिद्ध हो रहा है कि सरकार अपने भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोत्साहन दे रही है, पाल रही है, पोस रही है, सहकारी विभाग को खा गये, दीमक लग गयी। अन्त में मैं यही कहूंगा कि तत्काल जांच करा कर किसानों बाबत प्रभावी कार्यवाही करें एवं सैल्समैन को निलम्बित करें।

श्री उपाध्यक्ष : मांगीलाल मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव द्वारा केशोरायपाटन नगरपालिका में फैल रही गन्दगी के बाबत आपके माध्यम से, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केशोरायपाटन नगरपालिका क्षेत्र में आम तौर पर गन्दगी रहती है, गन्दे पानी की नालियां अनुसूचित जाति के सुरक्षित वार्डों में आकर बन्द कर दी गयी है। सारी नगरपालिका का गन्दा पानी उन वार्डों में जाकर फैल जाता है। सफाई होती नहीं कचरें के ढेर यथावत दिखायी दे रहे हैं। गन्दे पानी से, कचरे के ढेर से गन्दगी इतनी फैल रही है कि जगह जगह बदबू सड़ती है। एक मकान से आम रास्ते में आने के लिये लोगों ने बड़े बड़े पत्थर रख रखे हैं और पत्थरों के सहारे ही वे चल कर जाते हैं, उससे गन्दगी को पार करते हैं। पानी इतना फैल रहा है कि गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के कच्चे मकान गिरने की स्थिति में है। मैंने स्वयं वहां की नगरपालिका के साथ जाकर उन वार्डों का अवलोकन किया, देखा, उन लोगों को बताया। उसके बाद भी नगरपालिका ध्यान नहीं देती है। नगर-पालिका के कर्मचारी आम तौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं वे वार्डों की सफाई भी नहीं करते हैं। अतः मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सफाई की व्यवस्था की जाये, उन अनुसूचित जाति के वार्डों में गन्दे पानी के निकास की नालियां बनायी जाय, वहां खुरंजे बनाये जाय। उन लोगों को होने वाले स्वास्थ्य के कुप्रभाव से बचाया जाय। चम्बल कमाण्ड एरिया जो मेरे क्षेत्र का है उसमें सीपेज का क्षेत्र होने

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

से आम तौर पर बरसात के दिनों में, गर्मी और सर्दी में भी मलेरिया होता है। तो इस स्थिति से मलेरिया फैलने से उन लोगों को बीमारी से मरना पड़ता है इस ओर सरकार विशेष ध्यान दें, मेरा आपसे यही अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : शोपत सिंह।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान उन गरीब छात्रों की तरफ जो अनुसूचित जाति और जन जाति के हैं और ऐसी बुरी हालत में समाज कल्याण द्वारा जो होस्टल्स चलाये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बैठे हैं। मैं आपके मार्फत उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपये हरिजनों के नाम से आप ले रहे हैं और आप यह जाहिर करते हैं बार बार और इस बात की बहुत बड़ी डींग हांकते हैं कि इन गरीबों के रक्षक हम ही हैं। वास्तव में उन छात्रों की हालत देखी जाय तो कैदियों से बदतर है। उनको किस तरह का भोजन दिया जाता है, उनसे किस तरह से व्यवहार किया जाता है। वे दर्दनाक हालत में हैं। छठी से लेकर ग्यारहवीं तक के जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग रहते हैं, राज्य सरकार उनको 100 रुपया और 106 रुपया देती है। छठी से आठवीं तक के बच्चों को 100) रुपया और आठवीं से ग्यारहवीं तक के बच्चों को 106) रुपया दिया जाता है। इससे कैसे गुजारा करेंगे आप अन्दाजा लगायें। मेरे पास उन होस्टल्स के विद्यार्थियों का एक लेटर आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी हालत बहुत ही खराब है। हमें भूखे पेट रह कर पढ़ना पड़ता है, पढ़ना क्या बहुत से विद्यार्थियों को छोड़ कर जाना पड़ता है। बीच में पढ़ाई छोड़ कर वे घर चले जाते हैं।

(1.00 म. प.)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी को कहूंगा कि थोड़ा ध्यान दें। मैं लिस्ट पढ़कर सुना रहा हूं। आप क्या दे रहे हैं, विद्यार्थियों ने लिखा है कि उसको प्रतिदिन 600 ग्राम आटा दिया जाता है। नाश्ते में 50 पैसे। 50 पैसे का नाश्ता। अब आप अन्दाज करें। 50 पैसे देते हैं क्योंकि वह अनुसूचित जाति का गिरिजन है। सब्जी 40 पैसे की रोज उसको मिलती है, दाल 20 ग्राम मिलती है और लकड़ी 1.25 किलो....

(व्यवधान)

दाल पचास ग्राम, यह जो लिस्ट उन्होंने भेजी है। लिस्ट में उनके कपड़े जूते और दूसरा सामान यह सारा इसमें शामिल है, चड्डी बनियान भी शामिल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी लिस्ट में हमारे जेल में रहने वाले बन्दियों की बता रहा हूं कि क्या मिलता है, कम्पेरिजन करें जरा। कैदियों को सुबह की चाय मिलती है। हमारे बच्चों को चाय दूध नहीं मिलता है। वह आदमी थोड़े हैं, यह तो गरीब का बच्चा है। सुबह चाय या कोई चीज नहीं मिलती है। केवल 50 पैसे का नाश्ता दिया जाता है। कैदियों को सुबह चाय मिलती है फिर कैदियों को नाश्ता मिलता है : 60 ग्राम चना और 20 ग्राम गुड़।

श्री उपाध्यक्ष : कैदियों को ? आपका खुद का अनुभव होगा ?

82

श्री शोपत सिंह : मुझे खुद अनुभव है। आपको भी अनुभव है परन्तु अब याद नहीं रहा होगा।

श्री नत्थी सिंह : यह तो दो तीन दिन में ही जेल से बाहर आ जाते थे।

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब जेल में कैदियों को चटनी मिलती है। 60 ग्राम दाल, सब्जी 200 ग्राम। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज जिन बच्चों को जो अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के हैं, जिनकी आबादी राजस्थान की 25 फीसदी और इससे ज्यादा है, उन बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा है ? आप बातें तो बहुत करते हैं। समाजवाद-समाजवाद की बात करते हैं, वोट ले लेते हो। सब कुछ करते हो उसकी ताकत से गद्दियों पर विराजमान हो। आपके बच्चों के लिये तो अलग जिन्दगी है मेहरबानी करें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और होस्टल की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी मगानगर से लेटर आया है, विद्यार्थियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई होस्टल नहीं, बच्चों की बुरी हालत है। अभी आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गयी, उपाध्यक्ष महोदय, बच्चों ने जो मुसीबत में हैं, परेशानी में है, एक नरक की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। आप थोड़ा बहुत ईमानदारी से और गरीबों के प्रति अगर कोई भावना है तो मेहरबानी करें जो करोड़ों रुपया इन योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं अनुसूचित जाति और जन जाति के नाम से, गिरिजनों के नाम से आप इस पैसे को खर्च कर रहे हैं। कम से कम इस तरह की व्यवस्था करें कि वहां पर रहने वाले बच्चों को कपड़ा मिले। होस्टल में पढ़ता है कहां से लायेगा। अभी जो समस्या अपने सारे देश के अन्दर है, जो हवा फैल रही है, हवा चल रही है, एक तरफ देश के अन्दर वह ताकतें हैं जो इस प्रथा के विरोध में है, वह चाहती हैं कि इन जातियों को, इन पिछड़े लोगों को, इन हरिजनों को कोई रियायत न दी जाय। पिछड़े हुए हैं उनको आगे न बढ़ने दिया जाय। दूसरी तरफ सरकार का काम भी वही कर रहे हैं। एक नरक की जिन्दगी जी रहे हैं। आप किसी संस्था में चले जायें जयपुर में भी है सारे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टस पर हैं। बच्चों के छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं। मेहरबानी कीजिए। गम्भीरता से विचार किया जाय। किसी के प्रति तो ईमानदार रहो। आप थोड़ी बहुत ईमानदारी तो करो। तो मेहरबानी करके आपसे एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि यह जो बात है बहुत गम्भीर बात है जहां हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं। मगर आपकी ऐसी व्यवस्था है, नरक की जिन्दगी है तो इसमें कौन आना चाहेगा। जो पढ़ना चाहता है उसका आप रास्ता रोकते हैं। हजारों बच्चों को जिनका इरादा पढ़ने का है जिनके मां-बाप पढ़ाना चाहते है शिक्षित करना चाहते है, आप उनको रोक रहे हैं जो बच्चे पढ़ रहे है वह भी छोड़कर जा रहे है स्कूलों को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै इतनी ही बात कहता हुआ कि मेहरबानी करके आप उस पर विचार करें इन छात्रों को जो कि आपके आवासीय छात्र हैं, जो होस्टल में रह रहे हैं, उनको रुपया छोड़े आप डाईट दें। 40 पैसे की सब्जी खिला-

(श्री शोपत सिंह)

कर आप क्या बनाना चाहते हैं? 100 रुपये में वे किस तरह से गुजारा करेंगे। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए होस्टल में दाखिला करवायें तो 300 रुपया महीना खर्च आयेगा, वहां इन बच्चों को 100 रुपया देंगे उसमें कपड़ा, चड्डी बनियान पायजामा सारा सामान है वह भी आप इस में देना चाहते है। मेहरबानी करके यह रुपयों की बात छोड़िये। इन बच्चों के लिये खाने की व्यवस्था करें। मीनू बना दीजिए कि कैसा खाना मिलेगा? कितना कपड़ा मिलेगा। रुपये की बात छोड़ो आप, हजार दो हजार, करोड़ दो करोड़ रुपया लग जायेगा। गरीबों, हरिजनों और गिरिजनों के नाम से आप करोड़ों रुपया हर साल खा रहे हैं उसमें से कुछ उनको भी खाने दीजिए। बात क्या है? तो आपके मार्फत बहुत गम्भीरता के साथ इस सवाल को रख रहा हूं जो पत्र लिखा है बच्चों ने, उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मर जायें चाहे सुसाइड करके मर जायें या सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। तो उनकी हालत खराब हो उससे पहले आपको अपने नियमों को साफ करके बनाना चाहिए। अगर आप केवल बात ही नहीं करते हैं तो इन गरीबों के लिए उनके लिए दिल में जगह होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया। आपने अभी अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रावासों की चर्चा सुनी...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो व्यवस्था रही है उसके अनुसार जो स्थगन प्रस्ताव का विषय है वह भी बोल दें तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : सदस्यों को मालूम है। वह अगर कोई भूल जाय तो पूछ लें कि मेरा कौनसा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री देवीसिंह भाटी : पूरे सदन को पता चल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर कोई सदस्य भूल जायें तो आसन से पूछ लें। अपने प्रस्ताव को ही भूल जाये तो।

श्री देवीसिंह भाटी : पूर्व में ऐसी व्यवस्था रही है कि जब भी नाम पुकारा जाता है तो विषय भी बताया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, आपके लिए करेंगे अगर ऐसी कोई बात हुयी तो।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक स्थगन प्रस्ताव की मैंने आपके माध्यम से राज्य सरकार को सूचना दी है कि यह सारे राजस्थान की पंचायत समितियों और सारे राजस्थान की समस्या है। एक मास्टर योजना है जिसमें अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को डिफरेंट डवलपमेंट वर्क्स के लिए पैसा दिया जाता है पंचायतों के माध्यम से। इसी प्रकार डिफरेंट एजेंसीज से गरीब को छप्पर के नाम से भी सहायता दी है राजस्थान भर में उस राशि का बड़ा भारी दुरुपयोग हुआ है। मेरी पंचायत समितियों में कुछ पंचायतें हैं, स्पेशली मैं आपको नं...

(श्री शिवचरण सिंह)

निवेदन करना चाहता हूं जिलपुर, रामपुर, चेतपुरा, बालिया, काशीपुरा, राजोर, मट्ठली, नारायणा इन पंचायतों में ही नहीं सारे राजस्थान की पंचायत समितियों के अन्दर माडा योजना के अन्दर जो धन दिया गया उसका दुरुपयोग हुआ है। गरीबों को छप्पर के नाम पर जो पैसा दिया गया वह सारा कागजों में है। डवलपमेंट एजेंसी और सरपंच लोग मिलकर उसके आधे पैसे को खा गये और सत्ताधारी दल के लोगों के लगाव में 108 न. आकर के उस पैसे का वेरीफिकेशन भी नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि माडा परियोजना के नाम पर जितना पैसा है, चाहे वह गरीब को छप्पर के नाम से हुडको ने दिया हो या और किसी एजेंसी से लिया गया हो उसका फिजीकल वेरीफिकेशन राज्य सरकार कराये तो राज्य सरकार को पता लग जायेगा कि गरीबों के नाम पर, वेलफेयर स्कीम के नाम पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का जितना धन आप लोगों ने अपव्यय के तौर पर नष्ट किया है उसकी आज क्या स्थिति है। आप राज्य सरकार को ताड़ना दे करके पाबद करिये कि वह फिजिकल वेरीफिकेशन कराये। एक जगह ही नहीं सारे राजस्थान में यह स्थितिहै। मेरे क्षेत्र में ही नहीं यह सारे राजस्थान का, माननीय सदस्य जो पक्ष में बैठे हैं वे भी देखें अपने क्षेत्रों में जा करके, उनको भी मालूम है, कहते हैं, लेकिन गलत कहते हुए इसलिए डरते हैं कि रोक न लग जाय बोलने में। लेकिन राजस्थान में इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि पंचायत समितियों के माध्यम से जो रुपये लिये गये हैं उनका एक प्रतिशत कार्य नहीं हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने क्षेत्र में, भरतपुर शहर के अलावा जो आपके बाकी बचे हुए गांव हैं उन पंचायतों के अन्दर तशरीफ ले जायं माडा योजना में आपके यह शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के जो कि वहां मैजोरिटी पोपुलेशन है उसमें जा करके अगर आप मुलाहिज फरमायेंगे तो सरपन्चों के बाबत में पायेंगे कि किस प्रकार इनका दुरुपयोग हुआ है। क्योंकि एक-एक पचायत समिति के अन्दर एक एक ओवरसियर होता है वेरिफिकेशन

(व्यवधान)

के लिए। उपाध्यक्ष महोदय को दुख है लेकिन ताड़ना नहीं देते हैं यही तो चक्कर है। आप इनको ताड़ना दें। 'इनको पाबन्द करें और सरकारी नौकरों की जैसे ऐनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है ऐसे ही सरकार मिनिस्टरों की ऐनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट करावे और उसमें एन्ट्री हो, जैसा ये काम करें वैसा चलायें तो आपके काम में आने वाला है। तो यह माडा योजना गरीब के छप्पर के नाम पर इस किस्म की 16 एजेंसियां हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 16 एजेंसियों का आपसे निवेदन करना है कि आप अपने क्षेत्र में जा करके फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और राज्य सरकार के जो लोग हैं इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करायें तो कितना बड़ा घपला निकलता है यह आपको मालूम हो जायेगा कि अनियमितता कहां है। छात्रावास का जो पैसा आपने भेजा, छात्रावासों के बारे में मेरा निवेदन है कि उसमें जो शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के छात्रावास हैं, मेरे क्षेत्र में एक छात्रावास है उसमें किस कदर भ्रष्टाचार है। यह सौ रुपये की इन्होंने बात कही है यह तथ्य असत्य है। 50/- से ज्यादा खर्च नहीं करते। समाज कल्याण विभाग के जो

(श्री शिवचरण सिंह)

अधिकारीगण वहां बैठे हैं अभी अंदाजा लगाइये, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं. उदयपुर डिवीजन के अन्दर छात्रावास बहुत ज्यादा ट्राइब्स और कास्ट के हैं और उदयपुर डिवीजन के अन्दर संस्थायें भी भरी पड़ी हैं। बल्कि कहना चाहिये कि वह अनुदान के ऊपर जीवित हैं। सारा समाज कल्याण का पैसा उधर डायवर्ट हो रहा है। आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पक्ष के दो चार पांच माननीय सदस्यों की एक कमेटी जाय, छात्रावासों का इन्सपेक्शन करे, निरीक्षण करे और देखने के बाद शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के नाम पर बहका करके वोट लेने वाले लोग उनकी कितनी परवाह करते हैं, यह देखें। अधिक नहीं करते हुए आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर): मेरे क्षेत्र में करीब 2.5 लाख की आबादी है। वहां पर सन् 1967 में श्रीमती महादेवी बिड़ला के नाम से एक प्रसूतिगृह का निर्माण हुआ। उस में वहां दो लाख की लागत से भवन बनकर तैयार हुआ और आज मैं उस प्रसूतिगृह की हालत अगर आपको बताऊं तो वहां पर न तो कोई स्टाफ है, न कोई डाक्टर है, न कोई नर्स है, न कोई कंपाउडर है, न कोई वार्ड बाय है। स्टाफ के नाम पर आज वहां पर बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि स्टाफ की जगह शहर के आवारा बड़े बड़े पालतू बकरे वहां बैठे मिलेंगे आपको इस स्थिति में। मेरा आपकी मार्फत सरकार से यह अनुरोध है कि सरदार शहर तहसील का पूरा क्षेत्र जिसमें करीब दो सौ गांव हैं और काफी लंबा चौड़ा इलाका है, सरदार शहर खुद की 50 हजार की आबादी है, उस क्षेत्र में मात्र दानदाता ने एक भवन बनवा दिया और भवन बनाने के बाद में पूरा सामान, पूरे जो चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित उपकरण थे वह सब उपलब्ध करा दिये फर्नीचर्स की व्यवस्था करा दी। आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि वह तमाम फर्नीचर या तो डाक्टरों के घरों में चला गया या बाजार में चला गया या बिक गया। आज फर्नीचर के नाम पर उस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है। फिर भी सरदार शहर के लोग काफी जागरूक हैं। हमने काफी प्रयत्न किया, बिड़ला बन्धुओं से वापस रिक्वेस्ट की कि 1967 में बिल्डिंग तैयार हो गयी और 1975 में सरकार को दे दी उसके बावजूद सूनी पड़ी बिल्डिंग तो टूटेगी, बिल्डिंग टूट गयी। उन्होंने पिछले साल कुछ पैसा और सेंक्शन किया। अभी उस बिल्डिंग में करीब 50-60 हजार रुपया और लगा करके उसकी मरम्मत करायी और व्हाइट वाश करवाकर बिल्डिंग तैयार करवा दी है। अब मेरा आपकी मार्फत यही अनुरोध है कि सरकार एक तरफ तो चिकित्सा व्यवस्था की दुहाई देती है और दूसरी तरफ वर्षों से आज से करीब 18 साल पहले दो लाख रुपये उस बिल्डिंग को बनाने में लगे है, आज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस महंगाई म उस भवन कितने रुपये में बन करके तैयार हो सकता है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मेरा मंत्री जी से यही अनुरोध है कि इस बात को आप गंभीरता से लेवें और वहां पर जो सी. एम.

(श्री भवरलाल शर्मा)

एच. ओ है वह भी प्रतिनियुक्ति पर है । जब हम लोगों ने काफी हल्ला गुल्ला किया तो प्रतिनियुक्ति में वहीं पर एक कार्यरत थी लेडी डाक्टर उस को वहा लगा दिया । तो ऐसा नहीं करके मेहरबानी करके नयी पोस्ट सैंक्शन करके क्योंकि वह महादेवी बिड़ला प्रसूतिगृह के नाम से अलग से हास्पिटल है, हास्पिटल की अलग बिल्डिंग है इसलिये उसमें पूरे स्टाफ लगाने की व्यवस्था फरमायें और जो भी शायिकायें वहां एक बार उपलब्ध करायी जा चुकी हैं अगर वह भी उपलब्ध करवाना है तो मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दानदाताओं की तरफ से उपकरण वगैरह, फर्नीचर वगैरह की दुबारा व्यवस्था कराऊंगा । पर कम से कम मंत्रीजी यह तो गारंटी तो दें कि पहले जो फर्नीचर था जो पहला फर्नीचर था वह कहां गया ? वह बाजारमें बिक गया, वह डाक्टरों के घरों में चला गया क्या हुआ, उसकी तो कृपया जांच करें दुबारा जो भी सामान वगैरह चाहिये वह दिलवाने की व्यवस्था करवाऊंगा और सरकार वहां इस बात की पूर्ण व्यवस्था करे । इसी प्रस्ताव के जरिये मैं सरकार की नींद खोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आपने जो समय दिया उसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि कोटा नगर जो औद्योगिक नगर है....

श्री उपाध्यक्ष : शुरूआत तो अच्छे शब्दों से किया कीजिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा नगर जो राजस्थान की औद्योगिक नगरी है उसकी तरफ राज्य सरकार जानती बूझती उपेक्षा की प्रवृत्ति अपनाये हुए है । उपाध्यक्ष जी, हमारी सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि 76 व्यक्ति पिछले दो सालों में भिन्न भिन्न चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण मर गये । 47 व्यक्ति कोई अपनी टांग कटा बैठा, कोई अपना हाथ कटा बैठा । करीब 144 व्यक्ति कोटा के और तहसील में दुर्घटनाओं के कारण पीड़ित हुए । सात व्यक्ति हैड इंजरी से ग्रस्त होकर जयपुर के अन्दर इलाज कराने के लिए आये, न्यूरो सर्जन कोटा में नहीं होने के कारण । उपाध्यक्ष जी, सबसे बडा चौराहा जहां पर आज से तीन साल पहले 16 वर्ष की बच्ची ज्योति मरी । गर्ल्स कालेज का चौराहा, बच्ची मरी, बड़ा रोष था लोगों में । लोग बड़े आन्दोलित हुए और फिर बड़ा आंदोलन हुआ । उसके बाद स्पीड ब्रेकर बनाया गया । उस स्पीड ब्रेकर के गलत बनाने के कारण तीन व्यक्ति मरे और आज फिर डेढ़ महीने पहले राजस्थान के दैनिक नवज्योति के सम्पादक की 16 वर्ष की बच्ची उस स्पीड ब्रेकर के कारण मरी । उपाध्यक्षजी, उस स्पीड ब्रेकर को चेन्ज करने वाला कोई नहीं है । बार बार निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जाते है पी. डब्ल्यू. डी. में कहते हैं, लेकिन वह क्षेत्र जैसा चल रहा है, चल रहा है । दूसरा चौराहा इन्स्ट्रूमेंटेशन पर जाकर है । आज से तीन साल पहले एक ट्रक के कारण तीन व्यक्ति मरे । स्पीड ब्रेकर बनाया गया । उस स्पीड ब्रेकर के कारण दो महीने के बाद दो व्यक्ति मर गये । उसके बाद फिर पांच व्यक्ति मरे लगातार घटना घटती चली जा

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

रही हैं । कोई देखने वाला नहीं है····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दैनिक जननायक के हैं, दैनिक नवज्योति की नहीं····

श्री दाऊदयाल जोशी : जननायक के सम्पादक की 16 वर्ष की बच्ची मरी। उपाध्यक्ष जी, कोटा में ऐसा कोई महीना नहीं जाता जब एक न एक व्यक्ति न मरा हो। बड़ी भोली जनता है। लोगों ने कहा कि यहां एक ट्रेक गार्ड बना दो तो वह ट्रेक गार्ड एक बहुत बड़ा भारी चबूतरा बन गया ग्रौर उस चबूतरे पर ग्रगरबत्तियां जलती रहती हैं। देवपुराजी विराज रहे हैं। लोग फिर भी मर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, रेलवे फाटक, रेलवे फाटक पर ग्राज से तीन महीने पहले एक टैक्सी से तीन व्यक्ति जा रहे हैं। तीनो व्यक्ति मर गये। लगातार मौते हो रही है। कोई देखने वाला ही नहीं है। जैसे बिना धणी की ठोर। कोटा नगर में ट्रैफिक व्यवस्था नहीं, ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था नही। वन वे की व्यवस्था नहीं। जयपुर की महानगरी में छोटी-छोटी गलियों में ग्राज ट्रैफिक सिग्नल के लिए लाइट की व्यवस्था की है लेकिन कोटा नगर जो महानगर है राजस्थान का सबसे बड़ा बढ़ा हुग्रा नगर है, जो 5 लाख 60 हजार की ग्राबादी को पलो कर रहा है। कोटा नगर के किसी भी एक चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण ग्राये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। ट्रैफिक सिग्नल नहीं, वन वे नहीं। ग्राज से 20 साल पहले 27 चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े होते थे ग्रब 27 से घटाकर 10 चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही खड़े होते हैं लेकिन उनको तो ग्रपना चन्दा इकट्ठा कर लेने की चिन्ता है। ट्रैफिक पुलिस कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी कोटा-बूंदी रोड पर। मिलेगी कोलावास रोड पर। मिलेगी कोटा-झालावाड़ रोड पर।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे व्यवस्थित जो चल रहा है इस सरकार में वह इम्मोरल ट्रैफिक।

श्री दाऊदयाल जोशी : उन चौराहों पर रेट बधो हुई है। मैं ट्रैफिक का एक सिपाही हूं। मुझे ग्रगर ग्राज की ड्यूटी कोटा-बूंदी रास्ते पर लगवानी है तो 150/- रुपये की टिप देनी पड़ेगी ग्रपने ग्रफसर को। मुझ से ग्रगर ग्रफसर नाराज हो गया तो वह रूट नहीं मिलेगा। उसको रूट दे देंगे कोलावास का। वहां 30/- रुपये टिप देनी पड़ेगी। मुझसे ग्रगर ग्रफसर ग्रौर भी ज्यादा नाराज हो गया तो 35-40 रुपये में कोलावास का रूट मिल जायेगा। सब जगह 10 चौराहों में से मुश्किल से 4 या 5 चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के व्यक्ति खड़े रहते हैं। कहीं कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं रहता। खड़े रहते हैं बड़ी भारी गाड़ी लेकर, मोटर साइकिल लेकर। ग्रापको ग्राश्चर्य होगा, ग्राप स्वयं जाते हैं भरतपुर की तरफ। ट्रैफिक का व्यक्ति, सरकारी गाड़ी, को तो छोड़िये, टैक्सी लेकर जाते है, न्यू ब्रान्ड टैक्सी, ग्रार. एस टी.। उससे ट्रैफिक कन्ट्रोल कर रहे हैं शहर के बाहर के इलाकों में। ट्रैफिक कन्ट्रोल नहीं कर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

रहे लूट-खसोट कर रहे हैं । यह बात पिछली बार मुख्य मन्त्री श्री शिवचरण माथर जी ने देखी जब वह दिल्ली जा रहे थे । ट्रकों की लाइन लगी पड़ी थी । उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई । पूछा, यह क्या है । वायरलैस से मेरी गाड़ी मे इत्तिला दो । तलाश करते-करते पता लगा कि लोगों को रोककर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष जी, आखिरकार यह ट्रैफिक व्यवस्था है क्या ? कोटा की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी सड़कें चिल्ला रही हैं । कोटा की आबादी जब 60 हजार थी तब स्टेट के टाइम में कोटा एन एच ने जो सड़कें बनायी थीं उनके अलावा एक भी एक्स्ट्रा सड़क नहीं है । वही पुरानी बबा आदम के जमाने की सड़कें हैं जिन सड़कों पर हैवी ट्रैफिक प्रतिदिन दौड़ रहा है, लगातार गाड़ियां बढ़ रही हैं । सरकार कोई समुचित व्यवस्था नहीं कर रही । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इसकी समुचित व्यवस्था करे । साथ ही कोटा में दुर्घटनायें बढ़ रही हैं, उसके लिए समुचित व्यवस्था करे । कोटा के हास्पिटल के अन्दर इन दुर्घटनाओं के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी समुचित व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव, अलवर जिले में ड्राईविंग लाइसेंस देने में अनियमिततायें और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार-इस से सम्बन्धित है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान में बसों की जो व्यवस्था रही है, उस से लोगों को पहले ही तकलीफ है, और ज्यादा तकलीफ यह हो गयी कि बसों का किराया भी बढ़ा दिया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने किराया तो बसों का बढ़ा दिया मगर उसकी व्यवस्था नहीं सुधार सकी । अभी पिछले इसी जून, 1985 के लास्ट वीक में ग्वालियर-कोटा मार्ग पर 22 नवम्बर की बस का चैकिंग हुआ । 60 यात्री थे । 60 में से 60 बिना टिकट यात्रा कर रहे थे । उसी तरह बस नम्बर 6507 का चैकिंग बारां-गुना रोड पर हुआ । 62 में से 30 यात्री । उन से पैसे ले लिये गये थे । ऐसा नहीं कि टिकट देने की प्रॉसेस में था और उस वक्त काउण्ट कर लिया । दोनों बसें, जिनका मैं हवाला दे रही हूं, दोनों के टिकट के पैसे चार्ज कर लिये गये थे पर वह अपने डेस्टिनेशन तक भी बिना टिकट ही थे । बारां-गुना रोड पर 62 में से 30 लोग बिना टिकट के थे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार बजट भाषण में भी कहा था, एक तिहाई रूट्स पर बसेज पथ परिवहन निगम चलाती है. लगभग 2200 बसेज चलाती हैं । 2200 बसेज के 22 करोड़ रुपये सरकार को देती है अलग अलग टैक्स के फार्म में । दो तिहाई बसेज चलती हैं प्राइवेट । प्राइवेट रूट्स पर। उन बसेज का नम्बर है 2500 के लगभग । उनकी आमदनी यदि 2200 के कॉरसपाण्डिंग्ली देखें तो 2500 रुपए होनी चाहिए पर यह लोग देते कितना हैं, कुल 6 करोड़ टैक्स । यानि, यह अव्यवस्था तो हो ही रही है पर इन प्राइवेट रूट्स पर चैकिंग की कोई व्यवस्था न सरकार की है और न निगम की दूसरा कोई करेगा क्यों । इस तरह से जो अव्यवस्था है, सरकार के पैसे का नुकसान

(श्रीमती विद्या पाठक)

है इसको रिकवर न करके बसों का किराया बढ़ा दें यह बहुत बड़े अपराध की बात है।

इससे भी बड़ा अपराध, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 दिसम्बर 1984 को हुआ। अलवर पथ परिवहन आगार से कुछ लाइसेंस दिये जाते हैं। लाइसेंस जो दिये जाते हैं, 26 दिसम्बर, 1984 को लाइसेंस नम्बर 754..., इसलिए बता रही हूं कि सरकार यह न कहे कि नेत्रहीन को लाइसेंस नहीं दिया। 26 दिसम्बर, 1984 को लाइसेंस नम्बर 75468/84, महू, मध्य प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति, इकबाल हुसैन, जो नेत्रहीन है, उसको ड्राईविंग लाइसेंस दिया गया। नेत्रहीन को ड्राईविंग लाइसेंस दिया गया। वह खुद मौजूद भी नहीं हुआ कि अपनी ट्रायल देने के लिए आया हो, सिर्फ फोटो आया, कागजात आये हैं। और यह तो केवल एक चीज है जो पकड़ी गयी है। इसी तरह अवैध लाइसेंस छोटे बच्चों, नाबालिग लोगों को वहां उस पथ परिवहन निगम ने इसी वर्ष 1985 में दिये हैं जिसकी जानकारी मिली है। हर बार इस तरह का रैकेट बना हुआ है लाइसेंस देने का। मध्य प्रदेश के कुछ व्यक्ति हर महीने कागजात लेकर आते हैं और यहां से पास करवा कर ले जाते हैं। कागजात में पता देते हैं अलवर का।

पता क्या देते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्कस के पास, कण्टेन के पास, रामगज के पास, इस तरह के पते देते हैं। कोई उसको वैरिफाई करता ही नहीं है। पास का मामला बहुत दूर निकल जाता है। इस तरह इन एजेन्टस को भयंकर रूप से फायदा हो रहा है। यह जन जीवन को खतरा बन गया है जिसके प्रति सरकार जागरूक नहीं है। इस नेत्रहीन को जो लाइसेंस दिया उसकी जांच हुई है। एक इन्सपेक्टर को सस्पेण्ड कर दिया गया, वहां के अधिकारी को भी सस्पेण्ड कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना नम्बर वहां के व्हीकल्स का नहीं है उससे ड्यौढ़े नम्बर वहां के लाइसेंसों के हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अलवर में 22 हजार लाइसेंस गाड़ियां हैं इनमें से कुछ अनलाइसेंस्ड भी होंगी। लाइसेंस जो स्वीकृत हुए वह हैं 40 हजार के करीब। मॉपेड वगैरह इस सब में शामिल नहीं है। यह फोर व्हीलर्स की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर पथ परिवहन निगम के अधिकारी, जिलाधिकारी को सस्पेण्ड किया। किसके आदेश से? मुख्य मन्त्री के आदेश से। अब, मुख्य मन्त्री महोदय के आदेश से जिसको सस्पेण्ड किया गया, उसकी जांच होनी चाहिए थी। मगर उसको अभी कुछ ही दिन पहले बहाल किया। बिना जांच के बहाल किया है। जांच के लिए 24 जून तक अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। इसके बिना उसको बहाल कर दिया। यह तो मुख्य मन्त्री महोदय के आदेश की हालत है। होना तो यह चाहिए था कि मुख्य मन्त्री का आदेश था तो उसकी जांच होती, जांच की रिपोर्ट मुख्य मन्त्री जी को जाती, उसके बाद फरदर कार्यवाही होती। इन्होंने तो सारा प्रॉसिजर, सारी चैनल्स को बाइ पास करके उसको बहाल कर दिया। ऐसी परिस्थिति जो बन गयी है, यह सरकार प्रशासन चलाती है, आम जनता का पैसा खाती है।

(श्रीमती विद्या पाठक)

जन जीवन को खतरा बना हुआ है। अन्धे को लाइसेन्स देकर उसमें बैठने वाले लोगों का क्या हाल होगा, यह इमेजिन करके मन कांपता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सरकार जो अन्धों को लाइसेंस दे दे इसको खुद ही इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए।

श्री शोपत सिंह : किसको ?

श्रीमती विद्या पाठक : सरकार को।

श्री शोपत सिंह : बड़ी मुश्किल से तो मिली है।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, इस इश्यु पर वक्तव्य दिलाया जाय। मन्त्री महोदय को एक बार कहना तो चाहिये कि अन्धे को लाइसेंस दिया गया। मन्त्री जी यह न कहें कि वह अन्धा नहीं था। क्योंकि रिकॉर्ड में, जिसमें आदेश दिया मुख्य मन्त्री जी ने और उसकी जांच भी नहीं हुई, सारी प्रशासनिक प्रक्रिया को बाई-पास किया गया। यह एक बड़ा भारी अपराध है और उसके बाद भी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसा तो नहीं कि देने वाला ही अन्धा हो।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीमती विद्या पाठक जी ने कहा है उसके सम्बन्ध में सरकार से वक्तव्य दिलावें। सरकार ने पहले उसको सस्पेण्ड किया और बिना जांच के उसको बहाल कर दिया। यह एक करोड़ रुपये का घपला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : इस तरीके से जिनके पास में सही प्रमाण-पत्र हैं उन लोगों को नौकरी मिलती नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार ने सुना है उसकी व्यवस्था दें आप।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा और जो ईमानदार कर्मचारी हैं उनके हौसले गिर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। ....माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के हौसले बढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक ऐसी ज्वलंत समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं, यदि कोई आदमी दुःखी हो और दुःखी आदमी के साथ भी राज्य सरकार धोखा करे इससे बुरी बात कौन सी हो सकती है। मैं समझता हूं जो परेशान है और दुःखी है उसके साथ तो साधारण आदमी भी मानवता का अच्छा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ईमानदारी से व्यवहार करता है। पर राज्य सरकार ने सन् 1981 में जयपुर नगर में जो बाढ़ आई और कच्ची बस्ती के लोग उसमें जो बर्बाद हुये उनके साथ धोखा किया यह पुस्तक जिसमें हमारे देश की होनहार प्रधान मंत्री और विश्व प्रख्यात महिला, हमारे यहां ही नहीं बल्कि विश्व की प्रख्यात महिला उनका चित्र इस पर छापा गया और उसमें कई मंत्रियों के नाम भी छापे, शिवचरणजी माथुर का भी नाम था—इसमें लिखा गया है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता में धन की कमी को बाधक नहीं बनने दिया जायेगा और बाढ़ से बेघर हुये लोगों को सुरक्षित एवं उपयुक्त स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से बसाया जायेगा। यह चित्र छापे हैं और चित्र छापे जाने के बाद सरकार ने जयपुर शहर की लगभग 17 कच्ची बस्तियां जो कि बाढ़ से ग्रस्त थीं उनसे यह कहा कि भाई आप यहां तो बसो मत और तुमको हम बहुत बढ़िया मकान दें देंगे। उसके लिए बहुत सुन्दर पुस्तक निकाली। यह पुस्तिकायें आजकल धोखा हैं। पानी के बारे पुस्तिका छापी थी बहुत चिकनी-चुपड़ी वह भी निकम्मी, बिजली घर की पुस्तिका छपी वह भी निकम्मी। जो अच्छी पुस्तिका होगी उसमें निश्चित रूप से धोखा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें लिखा गया है "बाढ़ प्रभावित कच्ची बस्ती निवासीधारी, सर्वेधारी निवासियों को एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिये विद्याधर नगर एवं मुरलीपुरा में निर्मित सस्ते मकानों का आवंटन"। यह पुस्तिक जयपुर विकास प्राधिकरण ने छापी है और उसमें कच्ची बस्ती के लोगों से यह गया है कि भाई, तुमको हम मकान देंगे मुरलीपुरा एवं विद्याधर नगर में। तो मुरलीपुरा में मकान बनाये गये 2008 और विद्यानगर में, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने 2016 मकान बनाये और यह कहा गया कि हम जो मकान देंगे वह 50 वर्ग गज का उसका क्षेत्रफल होगा, जिसमें कमरा होगा....

(व्यवधान)

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा लिखते जाइये, आप मेरी मदद करें, धोखा हुआ है बहुत बड़ा धोखा हुआ है..

श्री उपाध्यक्ष : लिखा जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप भी लिखते जाइये जरा, बड़ी कृपा होगी, मैं जरा कम पढ़ा लिखा आदमी हूं पुरानी बस्ती का हूं....

श्रीमती विद्या पाठक : यह काम शासन को करना पड़ रहा है, कितने खेद की बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो जरा ध्यान नहीं दे रहे है आप मेरी मदद करें।

श्री मोहन प्रकाश : आप सरकार की मदद कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपकी मदद चाह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक कमरा देंगे, रसोई घर, शौचालय एवं बरामदा होगा तथा आगे 5 फुट खाली स्थान फिर भावी निर्माण के लिये एक कमरे की जगह होगी और यह कहा गया कि मकान की लागत लगभग 8 हजार रुपये होगी।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अब उसमें क्या क्या होगा, एक कमरा होगा, रसोई होगी, स्नान घर होगा, शौचालय होगा, बरामदा होगा 5 फुट आगे खाली स्थान होगा और भावी निर्माण के लिए एक कमरे की जगह और होगी और 8 हजार रुपये कीमत होगी और 19 रुपये माहवार किश्त देनी पड़ेगी, यह बुकलेट में है। यह मेरी नहीं है, जयपुर विकास प्राधिकरण है, श्रीमती इन्दिरा गांधी का चित्र है, शिवचरणजी माथुर का चित्र है और उस समय जो मंत्री थे उनका चित्र है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सारी घोषणाओं के बाद और मंत्री के आश्वासन के बाद यह जनता को धोखा दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे साथ विद्याधर नगर और मुरलीपुरा पधारें, वहां पर आप चलेंगे किस संस्कृति वाला कमरा, केवल एक कमरा, कहा तो यह गया था कि कमरा होगा, रसोई होगी, बाथरुम होगा, बरामदा होगा, एक जगह और होगी वह तो, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आया ही नहीं और एक कमरे में आप मुझे बतायें श्वसुर भी सोये, सास भी सोये जरा आप विचार करें यह कौनसी संस्कृति है? लड़का और लड़के की बहू भी अपने सास-ससुर के साथ, उनके सामने एक कमरे में सो सकते हैं? मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, उसमें न एक टाण्ड है और न खिड़की है, बिल्कुल हिन्दू संस्कृति....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य को माडॅन मकानों का भविष्य बिलकुल नहीं पता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शुद्ध रूप से हिन्दू संस्कृति, धरती पर बैठकर कथा करें, अपना समान बक्सों में और कहीं रखें, धरती पर रखें, टांड की व्यवस्था नहीं बिल्कुल धरती पर रखें यह तो उसमें व्यवस्था रखी। टांड नहीं, खिड़की नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आप मेरे साथ वहां पर चल चलें और राज्य सरकार के बड़े से बड़े इंजीनयर को साथ लेकर चलें कम से कम न्याय करने के लिये। यदि आप कील गाड़ेंगे, आखिर जिसने अपना मकान लिया है उसमें कील तो गाड़ेगा, उस पर किसी न किसी का चित्र तो लगायेगा, श्रीमती इन्दिरा गांधी का चित्र लगाये या शिवचरणजी माथुर का लगाये, चाहे हरिदेव जोशी का लगाये, या गुलाबसिंह जी शक्तावत का लगायें उस पर....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भार्गव साहब का लगावें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह आदमी जब उसमें कील गाड़ेगा, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, तो जैसे ही कील ठोकेगा पिछले मकान वाला आकर उसकी खोपड़ी ठोकेगा। इसलिये, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा वह कील ठोकेगा, भाटा पड़ौस वाले मकान में निकल जायेगा, उसमें खिड़की निकल जायेगी। यह दशा है, आप चलकर देख लें। यह तो एक संस्कृति का नमूना है। जो मकान 8 हजार रुपये में देने वाली बात कही थी, यह मैंने उसका आपको चित्रण किया है। यह विद्याधर नगर, जयपुर के प्रसिद्ध शिल्पीकार, जिन्होंने जयपुर नगर को बसाया उनके नाम पर चीटिंग की गई है। मैं समझता हूं, विद्याधर जो बहुत बड़े इंजीनियर थे उनके नाम पर विद्याधर नगर बसाया। दूसरे का नाम दिया गया मुरलीपुरा, कि बेटे बाढ़ में भी रहो और दुःखी रहो तो भी मुरली बजाते रहो,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मस्त रहो। तो यह कोई मस्ती के मकान है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे सरकार ने जो रसोई की बात कही, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे टेबिल से दुगुना हिस्सा होगा कुछ उसका। उस दुगुने हिस्से में यहां पर तो चूल्हा है, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, जहां मेरी तरफ देखें, मेरे से जरा आंख से आंख मिलायें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। इधर तो चूला है और उधर, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, पास में इसके स्नानघर है। अब कोई यदि स्नान करे, जरा साबुन लगाये मले चले, लक्स साबुन तो उसका पानी छन से जाकर चूल्हे में गिरेगा। आप जरा विचार करें, मान्यवर, कहीं ऐसी बात है? रसोई और बाथरूम एक जगह। शौचालय और बाथरूम तो सब जगह एक साथ देखे हैं, यह कैसी संस्कृति है। धरती पर बैठो, शौचालय बराबर में यानि स्नानघर और रसोई एक में, शौचालय की दीवार, बराबर में लैट्रीन। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह सारी दशा है। पिछली बरसात में मकानों की पट्टियां गिर गई। आपको तो शायद मालूम है, भरतपुर के पास करौली की पट्टियां वहां गिर गई, दीवार गिर गई, गटर जो बन ये गये मैन रोड पर वह धसक गये। मेरा निवेदन करना है कि करौली की पट्टियां....

(व्यवधान)

आपको करौली का नाम बुरा लग रहा होगा मेरे ख्याल से, मेरा निवेदन है कि केवल कातले हैं छोटे-छोटे रसोई घर पर जो डाले गये हैं। यह तो रही दशा 8 हजार रुपये के मकान की। सरकार ने कहा था कि अनेकों प्रकार की सारी सुविधायें देंगे लेकिन मुझे दुःख है, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 19 रुपये माहवार की किश्त को बढ़ाकर 66 रुपये महीना कर दिया, यह गरीबों के साथ धोखा है....

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सदस्य 8 हजार रुपये की जगह 16 हजार रुपये हो गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बता रहा हूं। और जो 8 हजार की कीमत थी उसको सरकार ने बढ़ाकर 8 हजार से 17 हजार 800 रुपये कर दिये, 8 हजार से 17800 रुपये और 19 रुपये माहवार की जो किश्त थी उसको सरकार ने 66 रुपये माहवार कर दिया। मुझे बतायें क्या यह गरीबों के साथ धोखा नहीं है। बाढ़ से जो लोग दुखी थे, जो बे घर बार हो गये थे उनका कोई धणी-धोरी नहीं था उनको राज्य सरकार ने धोखा दिया, चीटिंग की। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को उनसे 66 रुपये महीना नहीं 19 रुपये महीना लेना चाहिये और 8 हजार की उसकी कीमत होनी चाहिये; 8 हजार में भी मिट्टी का मकान जिसमें टांड नहीं, खिड़की नहीं, किसी प्रकार की सुविधा नहीं और, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो आज उन पर पेनल्टी लगाई जा रही है, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है और जो 42 लाख रुपये कुल टोटल बताया है, 42 लाख में 20 लाख तो मूल है और 20 लाख रुपया उनसे ब्याज उस पर उनसे दण्ड का लिया जा रहा है यानि मूल से भी ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है। ब्याज के नोटिस दिये जा रहे है, 19 रुपये की जगह 66 रुपये

94

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

महीना दो वरना तुम्हारे मकान खाली करो, बेदखली की जा रही है, उनके मकान से गुदड़े निकाल-निकाल कर फेंके जा रहे हैं। एक ओर सरकार धोखा दे, 19 रुपये की बजाय 66 रुपये कर दे और 8 हजार रुपये की जगह 17800 रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेतावनी देना चाहता हूं राज्य सरकार को मैं चुनौती देता हूं क्योंकि मैं विद्याधर नगर और मुरलीपुरा से विधायक हूं मैं एक भी आदमी के सामान को नीलाम नही होने दूंगा और अगर किसी भी आदमी का सामान फेंका गया तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वैसे गुस्सा बहुत कम आता है लेकिन मैं समझता हूं कि फिर किसी फेंकने वाले को और सरकार को फेंकने में कमी नहीं रखूंगा।

श्री शिवराम शर्मा : विद्याधर नगर ही नहीं मुरलीपुरा का भी बटवारा नहीं हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे आप का समर्थन मिलेगा थोड़ा क्योंकि उसका थोड़ा हिस्सा आपके क्षेत्र में भी आता है। मैं चाहता था कि आप भी मुझे मदद करें लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे थे सुबह से ही। मैं जानता हूं कि आप तो मेरा साथ देंगे ही। अगर आप मेरा साथ नही देंगे तो मैं समझूंगा कि शिवरामजी मन्त्री बनने के चक्कर में एक भी शब्द नहीं बोले। मैने तो कहा था कि शिवरामजी मेरा समर्थन करेंगे। तो उपाध्यक्ष महोयद, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने उन लोगों को आश्वासन दिया था परन्तु इसके बाद में सरकार ने नौ हजार का मकान 12 हजार रुपये में बेच दिया और उन गरीब लोगों को उन मकानों से महरूम कर दिया। उन्होंने 9 हजार का मकान 12 हजार में बेच दिया और तीन हजार रुपये एक मकान में लाभ कमा लिया। इसका मतलब यह हुआ कि 90 लाख रुपये सरकार ने कमा लिये और वह भी उन गरीब लोगों के लिए बनाये गये मकानों से कमाये। जो 19 रुपये की किश्त थी वह 66 रुपये कर दी और वहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं। मैंने मसाले की बात आपको बता दी कि वहां पर पानी टपक रहा है। वहां पर मकान टूट रहे हैं। वहां पर कोई सार्वजनिक औषधालय नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कम्यूनिटि हाल नहीं, कोई कालेज नहीं, और, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आप जरा मेरे से एक मिनट आंख से आंख मिलावे, मेरी शकल की तरफ देखें। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई श्मशान नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है। आपको मालुम होगा कि लोग चांदपोल से श्मशान जाते हैं राम नाम सत्य करते हुए लेकिन उधर उल्टे 13 किलोमीटर दूरी से राम नाम सत्य करते हुए वह लोग आते हैं वहां पर श्मशान नहीं कोई कब्रिस्तान नहीं, अस्पताल नहीं, कोई स्कूल नही, कोई कालेज नहीं कोई सड़क नहीं और सन् 1983 से, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आने जाने का रास्ता था जिसमें तीन गढ्ढे पड़े हुए हैं उसमें लाइट की व्यवस्था नही है और अगर कोई गरीब आदमी रात को कच्ची बस्ती में अपनी कमाई करके, दस पन्द्रह रुपये रोज लेकर जायें और वहां पर चाकू दिखा कर उसको लूट ले तो आपने उन गरीब कच्ची बस्ती वाले लोगों को ले जाकर वहां पर बसाया। उनके साथ राज्य सरकार ने धोखा,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पड़ी की। फिर आपने उनकी किश्त बढ़ा दी और आपने उनकी सुरक्षा की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। वहां राशन की दुकान नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनको सारी सुख सुविधायें दिलावें और जो यातायात की व्यवस्था वहां ठप्प पड़ी हुई है....

(व्यवधान)

एक मिनट लूंगा। वहां पर बाढ़ आई तो राज्य सरकार ने कहा था कि जिन लोगों के मकान आंशिक रूप से टूट गये उन्हें सौ रुपया दिया जायेगा लेकिन जिनका कच्चा मकान टूट गया, ईंट वाला मकान, उन्होंने कच्चे में शामिल नहीं किया, पक्के मकान में शामिल किया। तो ईंट का मकान भी पक्का मकान और जिसने टीन डाल दिया वह भी पक्का मकान मान लिया। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर दो प्रकार की सूचियां बनी, एक तो वह कि जिनकी बॉडी टूट गयी और दूसरे वह मकान जो बह गये उन लोगों को 300) रुपया दिया जायेगा लेकिन उनको पैसे नहीं दिये गये और उनको मुरलीपुरा, विद्याधर नगर में ले जाकर बसाया और उनका जो पैसा है उसका समायोजन किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, वह 17 लाख रुपया कलेक्टरी में तहसील के खजाने में जमा पड़ा है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह उन गरीब लोगों के साथ सरकार ने धोखा किया है। आज विद्याधर नगर में और मुरलीपुरा में जिन लोगों को आठ हजार रुपये में मकान मिलेगा वह दिया जाये। सरकार उनकी दुरस्ती करे और वहां पर सारी सुख सुविधायें दी जायं। पांच फीट की जगह छोड़ी जाय और एक कमरा बनाने का स्थान देने का राज्य सरकार ने जो बात कही थी उसकी पालना करें और आठ हजार रुपये में मकान दिया जाये और 19 रुपये की महीने में किश्त ली जाये। उन गरीब कच्ची बस्ती वाले लोगों को आपने सताया है. श्री शिवचरणजी माथुर ने सताया था उसका परिणाम आप जानते है क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गरीब आत्मा को नहीं सताया जाय और सताया गया तो यह ज्यादा चलने वाला नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप 19) रुपये की किश्त लें और सभी प्रकार की सुविधायें उनको दें, मकान की कीमत आठ हजार रुपये लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल मेघवाल।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव जो है वह सुजानगढ़ शहर को जो गन्दा नाला है, जो गन्दे पानी की सफाई न होने की वजह से नाला बन करके म्यूनिसपैलिटी वालों ने एक ऐसे स्थान पर रोक दिया है। जहां हरिजनों की बस्ती है, अल्पसंख्यकों की बस्ती में रोकने की वजह से सारा का सारा गन्दा पानी उस बस्ती के चारों ओर फैल जाता

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

है। मेन रास्ता भी रुक जाता है। करीब दो किलोमीटर की दूरी पर यह गन्दा पानी इस तरह से फैला हुआ है कि बिलकुल ही एक आदमी आ जा नही सकता ? उन लोगों का जो वहां पर आने जाने का रास्ता है, खेत में काम करने वाले आते जाते हैं, उनकी कई बार बैल गाड़ियां और और ऊंट गाड़ियां टूट जाती हैं और वहा पर लोगों को इतनी परेशानी होती है कि आने जाने का रास्ता बिलकुल ही ठप्प पड़ा है यह बरसों मे पड़ा है। इसके लिये बारबार म्यूनिसिपैलिटी को कहा गया लेकिन उनकी तरफ से कोई ध्यान नही दिया गया। हरिजनों की परम हितैषी यह सरकार, अल्प सख्यकों का रास्ता बन्द, वहां पर बिलकुल ही अन्धेरा है, लोग रास्ते में इधर उधर आ जा नहीं सकते है, रास्ता बन्द है इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वार्ड नम्बर सात में जो पक्का नाला रुका हुआ है उसकी सफाई करने के लिये सरकार निर्देशित करें। इसके साथ साथ आगे दो किलोमीटर की दूरी पर जो तालाब है वहां पर भी पानी रुक जाता है और वह पानी चारो ओर फैला हुआ है वहां पर चारों ओर लोग बसे हुए हैं और आबादी है। वहां पर भी इतनी दुर्गन्ध आती है कि मैं सोचता हू कि अगर रास्ते की नालियों को साफ नही किया गया तो निकट भविष्य मे वहां पर महामारी फैलने का डर है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुन. सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस रास्ते में जो गन्दा पानी है उस को वहां से दूर किया जावे।जससे कि महामारी नही फैले और गरीब हरिजनों के आने जाने का रास्ता भी खुले। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : हंसराज मीणा, माननीय सदस्य, कृपया बहुत सक्षेप में अपनी बात कहें क्योंकि काफी स्थगन प्रस्ताव पर बोलने वाले है। आप अपनी बात छोटी करके कहें। सक्षेप में।

श्री हंसराज मीणा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही शार्ट में बोलूंगा चार मिनट में बोल लूंगा।

उपाध्यक्षजी, जयपर मन्डी में वह खड्डे तो जरूर खोदे हुए पड़े हैं जो कि चुनावों के समय में खोदे गये थे यह कल ही मेरे पास लेटर आया है कि हमारे खड्डे भरवाने के लिये काम करें। वहां पर एक बच्चा गिरकर पहले ही मर गया.एक आदमी का हाथ टूट गया और इस तरह से खड्डे जगह जगह पर खोदे गये। वहां पर जो पाइप डाले थे पता नहीं कौन उनको निकालकर ले गया। मेरे ख्याल से एक्स ई एन. सोनी साहब मेरे ख्याल से ले गये हैं। क्योंकि चुनाव के दिनों में उन्होंने चन्दा दिया होगा इसलिए शायद वह पाइप ले गये होंगे और उन्होंने लेजाकर पाइप बेच दिया होगा, इसकी आप जांच करवायें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह सूरतगढ़ में खड्डे खोदे गये, विजयनगर में भी खड्डे खोदे गये और जयसर में भी खड्डे खोदे गये थे। रावला अनूपगढ़ और घरसना में भी खड्डे जरूर खोदे गये पर उन लोगों को पानी नहीं मिला। वहां से पाइप लाइन उठाकर ले गये। उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने आंकड़े दिये हैं। वे देवीदासपुरा और शिव-

(श्री हंसराज मीणा)

रायसर में पानी दिया गया है, मेरे ख्याल से बिलकुल गलत है, उपाध्यक्ष महोदय ।

(1.48 म. प)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

कल ही तीन आदमी मेरे पास आये थे, आपने कहा था कि पेयजल का पानी उपलब्ध करा दिया गया है परन्तु वहां पर पेयजल का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है। लागेर और सिघरायसर में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है परन्तु मुझे तो चार महीने में सारा ही काम प्रगति पर दिखाई नहीं दे रहा है। रामसिंह मन्डी में पीने का पानी नहीं है। वहां पर जो पाइप थे वह उठाकर ले गये। मेरा यह निवेदन है कि इसकी जांच करायी जावे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्स ई एन सोनी ने वह पाईप बेच दिये हों। सरकार यहां पर घोषणा कर रही है कि यह कार्य पूरा हो गया है, पेयजल के लिये पानी दिया गया है परन्तु चार महीने से कोई पानी नहीं दिया गया है। अगर आपको आफिसरों पर विश्वास है तो आप अपने पार्टी के किसी भी आदमी को भेजकर जांच करालें और पता लगायें कि कार्य हो रहा है या असत्य आंकड़े आ रहे हैं अगर इसी तरह से असत्य आंकड़े दिये गये तो यह लटकते पतंग की तरह उड़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। इसमें क्या सही है वह नहीं बताया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम बहुत दुखी हैं। हो सकता है कि आज तो वह लोग प्यासे बैठे हैं कल मुझे भी प्यासा बैठना पड़ेगा। आखिर इस तरह से आप जनता को कितने दिन और दुखी करेंगे और ज्यादा दुखी होने पर यहां विधान सभा के अन्दर ही भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा यह बातें अब ज्यादा दिन तक बरदाश्त नहीं करूंगा। पहले वाले एम. एल. ए. भ्रष्ट थे जनता का खून चूसने वाले थे। मैं जनता का खून नहीं चूसूंगा मैं अपना खून जनता के लिए न्यौछावर कर सकता हूं। मैं उन लोगों की प्यास बुझाकर रहूंगा। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर इस प्रकार से असत्य आंकड़े यहां पर देगी तो यह कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं चुनौती देता हूं, आपका कोई भी माननीय विधायक वहां जाकर जांच कर ले कि पानी जा रहा है। अगर कहीं पर भी पानी जा रहा है तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज तक बर्दाश्त करता रहा, यह आखिरी हद आ गई है, लोगों के पत्र आने लग गये कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। इसीलिए पानी नहीं दिया गया क्योंकि मेरे ख्याल से एक्स. ई. एन साहब ने चन्दा ज्यादा दे दिया था, वह लुट गया, जिस वजह से आज पानी नहीं पहुंच रहा है। खड्डा खोद गये, उसमें पता नहीं कितना रुपया लगाया होगा, उन खड्डों का हिसाब किताब दीजिये। भूतपूर्व माननीय विधायक थे वह खड्डे में भरेंगे या रुपया किस ने भरा वह खड्डा खोदने वाला, अब एक्स. ई एन, की बारी है, हो सका तो सरकार को भी उसमें दफना देंगे, जय हिन्द।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार नाथ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर): माननीय सभापति महोदय, आसन ने जो व्यवस्था दी और मेरे स्थगन प्रस्ताव को लोक महत्व का नहीं मानते हुए उसको मैं बिना टिप्पणी के शिरोधार्य करता हूं, लेकिन एक आम चर्चा के लिए मैं निवेदन करता हूं कि अगर हम इस तरह प्रस्ताव लाते रहे तो कोई व्यवस्था हो कि कैसे पब्लिक ग्रिवांसेज को हम राज्य सरकार तक पहुंचाये। पहले पढ़ते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर मेम्बर पार्लियामेंट को अपनी बात करनी होती राजा को तो आसन जिसको आज स्पीकर कहते हैं, उस वक्त भी स्पीकर कहने लग गये, आपको सभापति भी कहते हैं, लेकिन संविधान में स्पीकर का दर्जा है, उसकी भावना के तहत हम आपको अर्ज करते हैं रोज रोज कि आप हमारी बात को सरकार से कहें। आज के जो राजा हैं उनसे कहें लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ज्यादातर वह बैंचेज खाली रहती है, खासकर मंत्री गणों की....

श्री सभापति : मंत्री जी बैठे हैं, सरकार मौजूद है।

श्री सम्पत सिंह : ले देकर एक ही मंत्री है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह भी हमारे गुलाब हैं।

श्री सभापति : गुलाब तो खुशबूदार होता है गुलाब है तो अच्छी बात है खुशबू आयेगी स्वयं भी खुशबू फैलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।

श्री सम्पत सिंह : स्कूल में पढ़ते थे कि मैया दीवारों के भी कान होते हैं, इसी विश्वास से इसी भावना से इन दीवारों से अर्ज करते हैं रोजाना, हो सकता है कि यहां तक हमारी बात भी पहुंचे। इसलिये स्थगन प्रस्ताव देते हैं वरना हम भी समझते हैं कि इतने स्थगन प्रस्ताव आते हैं तो यह प्रैक्टिकल नहीं लगता कि हाऊस का काम रोज-रोज स्थगित होता रहे, लेकिन कोई व्यवस्था हमें नहीं सूझती कि कैसे अपनी बात सदन में कहें और सरकार को कहें। लेकिन आपने जो व्यवस्था दी उस पर मैं दो मिनट में अपनी बात अर्ज करूंगा कि इसका उदाहरण है कि एक अध्यापक अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे और विषय क्या था, वह कर रहे थे क्लास को कि मैया गंगा नदी है यह मान सरोवर झील में गिरती है और जब इंस्पेक्टर कुदरती चले आये, पीछे से देख रहे थे, उन्होंने कहा कि यह क्या पढ़ा रहे हो, क्या गंगा कभी मान सरोवर में गिरती है? उन्होंने कहा कि साहब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो ऐसे ही गिरेगी। इसलिए हमारी बात अगर नहीं सुनी जायेगी तो हम इसी तरह से स्थगन प्रस्ताव का दुरुपयोग आप चाहे कहें, करेंगे, करते रहेंगे जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं सूझती है हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए।

श्री सभापति : आपको बोलने का मौका देते हैं इसलिये कि आप अपनी बात पहुंचायें सरकार के पास।

श्री सम्पत सिंह : यह तो ऐसे ही गिरती रहेगी जब तक सरकार नहीं सुनेगी हमारी बात।

मैंने अपने क्षेत्र की बात अर्ज की है, हालांकि आम राय यह है कि किसी भी एक क्षेत्र की बात लोक महत्व की नहीं होती,

(श्री सम्पत सिंह)

लेकिन मैंने बानगी के तौर पर अपने क्षेत्र की समस्या कही है वरना पूरे राजस्थान की यह समस्या है जहां बारिश हुई है। हमारे क्षेत्र में रूपा नदी पड़ती है, सभापति महोदय, वहां सिर के ऊपर तक पानी है इस वक्त मेरे पास कई चिट्ठियां आई हैं और बीमार आदमी को हम शहर नहीं ले जा सकते। वहां करीब दो सौ गांव ऐसे हैं जहां रास्ता रुका हुआ है नगर सीकरी क्षेत्र में अब आप बतायें कि अगर जयपुर शहर में किसी को दिक्कत होती है, अगर सिविल लाइन्स में किसी को दिक्कत होती है, क्या यही विषय रह गये हैं लोक महत्व के क्या हम राजस्थान के बाशिंदा नहीं है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम कोई खैरात नहीं चाहते हैं राजस्थान सरकार से, हम अगर कोई मांग करते हैं तो अपने हक की मांग करते हैं हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं राजस्थान में और सहायता के मामलों में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। यह हमारा हक नहीं है? आखिर एक गांव में ही नहीं एक नगर के अन्दर ही नहीं एक दिन आयेगा जब हम आपके जयपुर की सड़कों पर अपना आक्रोश जतायेंगे तब तो आप इस बात के लोक महत्व को समझेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे 24 घण्टे में से इस बात में टक टक करके जाते हैं जैसे कोई शहर से पैदल-पैदल चलकर के दवा लाये तो मैं निवेदन करना चाहता हूं पूरे कृषि उपज-मण्डी विपणन बोर्ड ने जो पैसा दिया, भरतपुर ने जो पैसा दिया राजस्थान में आप ब्यौरेवार देखलें हमको सबसे कम पैसा दिया गया है। इतनी तरतीब से पैसे को आपने बांटा है कि जो भी कृषि मण्डी हैं, जो भी कृषि मन्त्री आये सबने अपने अपने क्षेत्र में पैसा लगाया। यह वेल फेयर स्टेट है, सभापति महोदय, इसमें हुजूर गरीब परवर, माई-बाप कहने की हमारी कोई जरूरत नहीं है। जब हम आपके यूं मनवारे करेंगे तभी आप हमें पैसा देंगे। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने इतना इम्बैलेंस बांटा है उस पैसे को, आप बैराठ क्षेत्र को देखें एक-एक गांव में सड़क है और पैसा भरतपुर का है आप कोई पुराने कृषि मन्त्री का क्षेत्र देख लीजिये माननीय सभापति महोदय, यह बड़े अचरज की बात है कि इतना जुल्म और बेदर्दी से बंटवारा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। वह भी अपने क्षेत्र में कहीं रेलवे लाइन बिछाई अजमेर में तो वह आगरा में भी बिछाई। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा उन्होंने जहां जरूरत देखी और वहां पर काम किये लेकिन यहां पैसा हम दे रहे हैं और काम पश्चिमी राजस्थान में हो रहे हैं। कृषि मन्त्री के क्षेत्र में हो रहे हैं। यह जुल्म ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहता हूं।

स्माल एक बात मैंने निवेदन की है बहुत पहले रूस से एक टिलर आया करता था जो. टी. 14 और बड़ा ट्रैक्टर आया करता था वायलो रूस। आज वायलो रूस तो नहीं है, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वह बड़े काश्तकार के लिए है. लेकिन छोटे ट्रैक्टर वह भी नहीं हैं. कितने अचरज की बात है। कभी किसी कृषि मन्त्री ने इस बात को नहीं कहा। यहां राजस्थान की विधान सभा में नहीं कहा, न पार्लियामेंट में कहा किसी ने। आज एस्कार्टस पनप रहा है, आज फोर्ड ट्रैक्टर पनप रहा है और उनकी किमतों को आप देखें एक लाख से ऊपर

(श्री सम्पत सिंह)

सबकी कीमतें हैं। यह बड़ी साजिश है जो कम कीमत का ट्रैक्टर हो सकता था उसको बन्द कर दिया गया, लेकिन जो चुनाव लड़ाते हैं, करोड़ों-करोड़ों रुपयों का इतजाम करते हैं एक ट्रैक्टर नहीं महेन्द्रा जीपों का काफिला चुनाव में भेजते हैं, उनके ट्रैक्टर्स औने पौने में वह बिकेंगे। पीपे हैं, एक साल के बाद वह नमक का ढेर हो जाते हैं और किसान बर्बाद हो जाता है। मैंने यह बात अर्ज की है कि क्यों नहीं स्माल ट्रिटर्स आयें, क्यों नहीं इकोनोमिस्ट्स आयें जिससे किसानों का आक्रोश कम हो, हमारे खेत में फायदे की खेती हो वरना आज हम और आप घाटे में रहेंगे। जिनके पास जमीन कम है, जिनके पास जमीन नहीं है आज उनके पास दस रुपये का नोट नहीं है वह स्कूल में क्या फीस जमा करायेंगे? वह क्या अपना हाड़-मांस जमा करायेंगे? कितनी अचरज की बात है वेलफेयर स्टेट में कोई तवज्जोह नहीं है, किसी बात की तवज्जोह नहीं है, खास तौर से ग्रामीण इलाको में, इसलिये एक न एक दिन वह आ जायेगा जब आक्रोश आयेगा किसान को, गरीब किसान और मजदूर दृढ़ता से अपनी बात कहेगा, उस दिन चाहे, मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे यह व्यवस्था आप उस दिन भी दें कि यह लोक महत्व का नहीं है, लेकिन जन शक्ति वह चीज है जो हर आदमी से हर शासक से अपनी बात मनवा सकती है और उनको लोक महत्व का दर्जा दिलवा सकती है। सभापति महोदय, मैं आखिर में निवेदन करना चाहता हूं हमको खैरात नहीं चाहिए, हमको पब्लिक एक्सचेकर में अपना हिस्सा चाहिए और वह हमने दस-दस साल पहले जमा किया हुआ है मैंने एक सवाल पूछा था कि कृषि विपणन बोर्ड ने कितने रुपये लिये और जिलेवार क्या बटवारा किया गया उसका आज तक कोई जवाब नहीं और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि उसका जवाब इसी सत्र में आयेगा। लेकिन हम उस बात पर ज्यादा अफसोस भी नहीं करते हम हाय-तौबा भी नहीं करते और यह कह कर न सिर्फ मैं ही एक-एक लाख आदमी जो वहां हैं उसको इस बात की तसल्ली है। मंत्री महोदय, बहुत गम हैं, हमको मगर यह खुशी है कि हमारे चेहरों पर मांगी हुई हंसी तो नहीं है, आप खा जाइये हमारे पैसे को।

धन्यवाद।

(2.00 म. प.)

व्यवस्था का प्रश्न

शून्यकाल की अवधि

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली): पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय सभापति महोदय। मैं पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहा हूं। आज हाउस में जब से डिमाण्ड्स आई हैं तब से, माननीय सभापति महोदय जी, स्थगन प्रस्तावों के अन्दर जबकि एक घंटा तो क्वेश्चन का होता है और उसके बाद चार, चार और पांच, पांच घंटे इसमें निकल जाते हैं और रात को 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं और 11 बजे तक माननीय मन्त्री जी जवाब देते हैं। तो उस समय न तो, माननीय सभापति जी, सदस्य रहते हैं, सुबह से आये हुए आदमी शाम तक रात को 11 बजे तक बैठे रहें, 10 बजे तक बैठे रहें। कोई खाना खाकर आता है, कोई नहीं खाकर

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

आता है और कोई क्या करके आता है तो, माननीय सभापति जी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन की प्रक्रिया है, एडजर्नमेन्ट मोशन पर बोलने के लिए सबको समय दिया जाता है। आपको भी समय दिया जायेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी :....नहीं, नहीं मेरी बात सुनिये।

समय की बात नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, अगर अब स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य बोलते हैं तो आपकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद मेरा यह कहना है कि सरकार का जवाब आये उसको माननीय सदस्यों के पास भेज दीजिये और उसके बाद डिमाण्ड आये। अब जैसे माननीय सदस्य बोल रहे थे एग्रीकल्चर की डिमाण्ड है। मैं आपसे वैसे ही अर्ज करना चाहता हूं....

श्री सभापति : सदन की परम्परा रही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, मेरी बात तो सुन लीजिये....

श्री सभापति : हां, सुनाइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ....कि हाउस के अन्दर मैं आपसे ज्यादा रहा हूं। 20 वर्ष रहा हूं....

श्री सभापति : मैं मानता हूं, माननीय सदस्य। यह बात सही है लेकिन कानून तो उस समय भी वही था और आज भी वही है। प्रक्रिया तो वही है पहले वाली।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले यह प्रणाली नहीं थी। पहले यह प्रणाली नहीं थी कि स्थगन प्रस्ताव आये और उसके लिए 4 घंटे दिये जायें या 5 घंटे दिये जायें और डिमाण्ड के ऊपर नहीं दिये जायें। पहले यह प्रणाली नहीं थी। इस हाउस के अन्दर मैं देखता हूं मुझे आश्चर्य होता है कि चार, चार और पांच, पांच घंटे तक इसके अन्दर आप बोलने की इजाजत देते हैं माननीय सदस्यों को और दो मिनट की बात कहकर 15 मिनट ले लेते हैं, 10 मिनट ले लेते हैं और कोई तो 20 मिनट ले लेता है। यह तरीका गलत है, माननीय सभापति जी।

श्री सभापति : समयावधि का ध्यान रखा जायेगा। माननीय सदस्य आपके सुझावों का ध्यान रखा जायेगा।....

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं, नहीं आप इस बात की व्यवस्था देंगे ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके सुझाव का ध्यान रखा जायेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ....दो मिनट की कहें तो वह दो ही मिनट बोलें। 4 मिनट आप नहीं देंगे। इस बात की आप व्यवस्था देंगे और हमारी जो डिमाण्ड है वह डिमाण्ड चालू करें।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मेरे ऊपर एप्लाई मत कर देना।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका ध्यान रखा जायेगा। ....आर्डर प्लीज आर्डर...आपस में बातचीत नहीं। बोलें कृपया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :सभापति महोदय, मैंने जयपुर से हरिद्वार तक बस चलाये जाने के बारे में कहा है। यह बस पहले चलाई जाती थी लेकिन कुछ दिनों पहले बन्द कर दी गयी। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और हरिद्वार का अपना एक महत्व है। वहां से दिल्ली जाने के बाद यू.पी. की गाड़ियों का जिस तरह का महौल होता है वह तो जो यू. पी. जाने वाले हैं वही जानते है कि दिल्ली से हरिद्वार तक जाने के लिए कितनी भीड़-भाड़ का सामना करना पड़ता है और हरिद्वार यहां से कितने व्यक्ति जाते हैं इसका भी अनुमान कर लीजिये। लोग कोई बात बोलते हैं तो हरिद्वार जाते हैं, किसी के यहां किसी का देहावसान हो जाता है तो धार्मिक परम्परा के अनुसार वह अस्थि विसर्जन करने के लिए भी हरिद्वार ही जाना पसन्द करते हैं क्योंकि हरिद्वार मे जहां पतित पावनी गंगा बहती है उस जैसा तीर्थ अन्य नहीं माना गया है। सर्वोपरि है हरिद्वार और गंगा की वजह से हरिद्वार को सर्वोपरि माना गया है। मान्यवर सभापति महोदय, हरिद्वार अपने आप में महत्वपूर्ण है। गंगा जी जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन उसके साथ ही हरिद्वार पहुंचने के बाद यदि किसी यात्री के मन में है तो वह लक्ष्मण झूला जा सकता है, वह कठल जा सकता है, ज्वालापुर जा सकता है और साथ ही वह ऋषिकेश जा सकता है। मुनि की रेती गीता भवन इस तरह के वहां तीर्थ है। जगह-जगह पर स्थान स्थान पर, कदम कदम पर जहां मन को वह पर्वत श्रेणियां हर्षित करती है वहां का जल कितना पवित्र है, कितना शीतल है जो जाये वह अनुमान कर सकता है। गोमुख से निकलने के बाद जब मैदान में गंगा आती है तब ऋषिकेश लक्ष्मण झूला होते हुए वह हरिद्वार मे आती है। मान्यवर, इसके साथ ही आपको जानकारी है देहरादून और मंसूरी पास है, सहारनपुर और मेरठ पास है। यह इलाके अपने आप में बहुत महत्व के इलाके हैं। यदि कोई हरिद्वार जायेगा तो निश्चित रूप से वह वहां जाकर आयेगा। पास ही शाकुम्बरी देवी का मन्दिर है जो कि शिवाली की पहाड़ियों पर अचल खड़ा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वहां एक मन्दिर है मंशादेवी का। जो भी मन में कामना करता है वह रोपवे से वहां जाने का रास्ता है, दुर्गम स्थल है लेकिन सुरम्य है और जाने वालों के लिए मन में इच्छित मार्ग है। मंशा देवी के मन्दिर की महत्ता है कि जो वहां जायेगा वह मन में सोचेगा कि उसकी कामना पूरी होगी। तो इस तरह के महत्व का स्थान है, मैं समझती हूं कि वहां भारत माता का मन्दिर है जिसका शिलान्यास किया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो हमारे बीच में नहीं रहीं। लेकिन इस तरह से जो पवित्र स्थान है और भारत माता मन्दिर इस तरह का मन्दिर है कि जिसमें हमारी संस्कृतियां है और सारी सभ्यता के वहां पर दर्शन हो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, सरकार मे निवेदन है शायद गुलाब सिंह जी शक्तावत मंत्री महोदय, मेरी बात सुन रहे होंगे लिख रहे होंगे....

श्री सभापति : वह भी सुन रहे हैं और कमला जी भी सुन रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कमला जी बहुत अच्छी चित्रकार हैं। बैठी बैठी पत्तियां और फूल बनाती रहती हैं....

श्री सभापति: फूल पत्ती नहीं बना रहीं, वह बैठी बैठी लिख रही हैं आपकी बातें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सदस्या, मैंने जयपुर से हरिद्वार की बस की बात सुन ली और उसके महत्व की बात भी सुन रहा हूं।

श्री सभापति : आपका सुझाव भी बहुत अच्छा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें महत्व तो यह है कि आप रोज रोज पाप करो और रोज बस से चले जाओ और अपने पाप मोचन करके आ जाओ।

श्री सभापति : वह तो आपके और हमारे सब पर लागू होती है यह बात। सब के लिए लागू है यह बात तो।.... आपका सुझाव बहुत अच्छा है। वह नोट कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं नहीं जानती पाप और पुण्य क्या है। जो संसार में हो रहा है...

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या जब उपयोगी बात बोलती हैं तो मैं लिख लेती हूं जब कोई चीज उपयोगी की बात नहीं होती है तो मैं पेन्टिंग भी कर लेती हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी लिख रही थीं ना ?

श्रीमती कमला : मैं अभी पेन्टिंग नहीं कर रही थी।

श्री सभापति : अभी तो फूल पत्ती नहीं बना रही हैं अभी तो लिख रही थीं मैं मैं देख रहा हूं यहां से।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अक्सर देखती हूं पत्ती और फूल यों, यों, यों। या तो मन की कोई बात ऐसी अटकी हुई है उसको उतारना चाहती हैं मैं नहीं जानती।

श्री सभापति : यह तो आप आपस में जानें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह के महत्व के स्थान पर यदि राजस्थान से बाहर गुजरात से बस आती है, महाराष्ट्र की आती है, मैंने देखा है मध्यप्रदेश की बस आती है। राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसकी बस वहां नहीं जाती और यहां के जाने वाले यात्रियों को आज भी असुविधा होती है। मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहती थी, मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जगन्नाथ की लिखी हुई पुस्तक गंगा लहरी वह पढ़ें, उससे गंगा का महत्व आपके ध्यान में आयेगा। जिस तरह से गंगा उनके आग्रह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर ऊपर आती चली गई हमारे आग्रह से बस ही आ जाये।....

श्री सभापति : हां आपका आग्रह है जयपुर से हरिद्वार बस चलनी चाहिए। आप साफ शब्दों में कहें मंत्री महोदय को।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने यहां के माननीय सदस्यों से जानना चाहा कि वह इसमें रुचि रखते हैं या नहीं कि यहां से हरिद्वार बस चले तो मेरे पास अनेकों हमारे माननीय सदस्यों के पक्ष और विपक्ष के हस्ताक्षर हैं। आप कहें तो इस हस्ताक्षर अभियान को पूरा करके आपको दूं तब आप करो। मेरी इच्छा यह है कि आप इसके महत्व को समझें।

श्री सभापति : आपका सुझाव अच्छा है। मैं मेरी ओर से भी अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इस बारे में ध्यान दें। अच्छा सुझाव है आपका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहां के रोड़वेज के अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह किया। उन्होंने कहा हम चलाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं रोड़ा कहां अटका है। मान्यवर, इसको अविलम्ब चलाया जाये यह मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव आपकी मार्फत पेश किया था और उसका जवाब जो आज बताया गया वह सदन को गुमराह करने वाला है। सरकारी अफसरशाही इस तरह से मनमाने ढंग से काम करने लगे और भ्रमित कर दे यह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। पिछले सत्र में, माननीय सभापति महोदय, मैंने यह सवाल उठाया था कि भरतपुर स्थित राजस्थान पत्रिका के संवाददाता महेन्द्र चौमा को वहां के जिलाधीश इसलिये तंग करना चाहते थे क्योंकि राजा मानसिंह जी की 21 फरवरी को जो हत्या हुई इसको सरकारी बयान के मुताबिक मुठभेड़ बताया लेकिन अकेला वही एक संवाददाता था जिसने अपने अखबार को खबर दी कि यह मुठभेड़ नहीं खुली हत्या है....

श्री सभापति : अध्यापिका के वेतन के बारे में आपने कहा है।

श्री नत्थी सिंह : उन्हीं की पत्नि अध्यापिका है। उसके बाद उन्होंने एक समाचार दिया कि वहां के जिलाधीश का कुत्ता चिकित्सा के लिये दिल्ली जाता है यू आई टी की कार में। एक समाचार उन्होंने और दिया उस बीच में कि जो पक्षी विहार है उनमें बन्दिश लगा रखी है, उसमें कोई जायेगा, नहीं, मन्दिर में दर्शन के लिये मुश्किल से जाने देते हैं, वहां वे घुड़सवारी करते हैं। इसको पढ़कर उन्होंने 21-3-85 को, 21-2 की यह घटना है, 21-3-85 को उनकी पत्नि जो अध्यापिका हैं, उनके ऊपर तो कुछ कर नहीं पाये, उनकी पत्नि को यह कहकर सस्पेण्ड करने के आदेश दिये कि तुमने मोपेड का कर्जा लिया था 550 रुपया और तुमने 4400 रुपये की लूना खरीद ली है इसलिए नियमों के अन्तर्गत क्यों नहीं पूरी रकम वसूल की जाए और क्यों न सस्पेण्ड कर दिया जाए। वह आर्डर तामील नहीं हुआ, उसी दिन एक दूसरा आर्डर 403 नं. का उससे

(श्री नत्थी सिंह)

उसको सस्पेण्ड कर दिया। इस सदन में चर्चा उठी तो राज्य सरकार जागी। मुझे यह खुशी है, 17-4-85 को शिक्षा विभाग ने आदेश दिया कि यह जो निलम्बन आदेश था वह गलत था, इसको निरस्त किया जाता है और महेन्द्र चौमा की पत्नि चौमा की सर्विसेज बहाल की जाती है। निलम्बन का भी पूरा वेतन मिलेगा, यह आदेश दिया राज्य सरकार ने। अब आप देखिये इस के तीन दिन बाद 20-4-85 को, मार्च का तो पूरा वेतन मिल गया लेकिन 20-4-85 को जिलाधीश भरतपुर कोषाधिकारी को टेलीफोन करते हैं कि अप्रेल की इनकी तनख्वाह पास न की जाए। वहां की प्रधानाध्यापिका को कहते हैं इनकी तनख्वाह कैसे दे दी। बोली, सरकार का हुक्म था, मैं क्या करूं। उसके बाद 29-4-85 को वहां की प्रधानाध्यापिका ने चिट्ठी लिख दी कि किस आदेश के तहत इसकी तनख्वाह रोक सकते हैं। 30-4-85 को वह अध्यापिका निवेदन करती है ट्रेजरी आफिसर को कि मेरा तनख्वाह का बिल बनकर आया है इस नम्बर से इसको पास क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते हैं कि कारण बताइये कि जिलाधीश का हुकुम है। जब जिलाधीश महोदय को कहती है वह प्रधान अध्यापिका वे कहते हैं 21-3-85 को ही हमने 198 नम्बर का एक था आदेश दिया था। सभापति महोदय, 400 नं. का आदेश तो यह था कि कारण बताओ क्यों न आपके एक मुश्त वसूली कर ली जाये, 403 नं. का आर्डर यह था कि तुमको निलम्बित किया जाता है और 398 न. का आदेश 21-3-85 का बताते हैं। 17-4-85 को राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग ने उन आदेशों को निरस्त कर दिया फिर 398 नं. का बैक डेट में आर्डर बनाया गया उसके अन्दर कहते हैं कि मैंने एक मुश्त के लिए कहा था इसलिये इनको तनख्वाह नहीं दी जानी चाहिये। 21-5-85 को प्रधानाध्यापिका उनको चिट्ठी लिखती है कि मेरे पास तो 21-5-85 का जिलाधीश महोदय का आदेश आ गया है कि आपको तनख्वाह नहीं दी जाये इसलिए हमनेआपका वेतन रोक दिया है। अब स्थिति क्या है? 3-5-85 को वह अध्यापिका दरख्वास्त देती है ट्रेजरी आफिसर को कि 100 रुपये की बजाय 600 रुपये की किश्त किस तरह से काट रहे हैं? इजाद रकम थी वह तो 23-5-85 को ही जमा करा दी ट्रेजरी में तो यह तनख्वाह कैसे रोक दी गई। यह आदेश दिया कलेक्टर महोदय ने 21-4-85 को कि आपको तनख्वाह नहीं दी जायेगी। अब आपके पास क्या उत्तर है वह भी देख लीजिए। आज आपने क्या उत्तर दिया है कि साहब वह तो वेतन नहीं ले रही हैं। हमने आदेश यह दे दिया है कि 50 प्रतिशत वेतन की कटौती कर दी जाये और बाकी का आप उठा लें। यह कौन सा आदेश है, 28-5-85 को प्रधानाध्यापिका लिखती है कि जिलाधीश महोदय का यह आदेश है और इस जिलाधीश महोदय के आदेश के अनुसार अगर आप चाहें तो आधी तनख्वाह ले सकती हैं नहीं चाहती तो हम नहीं देंगे। जो निलम्बन है, सरकार ने जब मान ली बात, उनको बहाल कर दिया फिर जिलाधीश को ऐसी क्या पड़ी थी कि इनको पूरा वेतन न दिया जावे। पूरा वेतन रुकवा दिया आज तक पास नहीं हुआ फिर 28-5-85 को आधा काटो। कोई नियम नहीं है, 100 रुपये महीने का। यह जो मनमानी चल रही है, यह क्यों? कोशिश तो इन्होंने यह भी

106

(श्री नत्थी सिंह)

की थी कि धौलपुर में महेन्द्र चीमा के खिलाफ जो राजस्थान पत्रिका के संवाददाता हैं उनको एक कतल के केस में फंसाया जाये लेकिन वहां के एस पी ने दो टूक मना कर दिया मैं इस गड़बड़ में नहीं फंसूंगा। इस जिलाधीश की आदत बन गई है मनमानी करने की। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पिछले सत्र में भी हमने कहा था कि जो आफिसर्स राजा मानसिंह काण्ड में लिप्त रहे हैं उनकोहटाओ। सब हटे लेकिन उनको वहीं रखा जा रहा है। हमारे जिले के केन्द्र में राज्य मंत्री हैं उनका वर हस्त है। कहते हैं मुख्य मंत्री जी कि वहां के जो लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है राजा मानसिंह की हत्या का, कहते हैं कि कोई सरकारी अफसर तो रहे जिससे हमें संरक्षण प्राप्त हो सके। तो क्या उनको संरक्षण देने के लिये रखा हुआ है? कलैक्ट्री भरतपुर में यह फोटोस्टेट कापी लगाने के लिये भरतपुर के लोगों ने कहा ढाई हजार रुपया देंगे हमें जगह दो, उनको जगह नहीं दी, और सवाई माधोपुर के एक आदमी शर्मा जी को 100 रुपये में उनको जगह दे दी, और पान वाले को उसकी बगल वाली जगह 7100 रुपये लेकर दी। यह मनमानी की जा रही है, इस तरह का दमन किया जा रहा है। मेरी मांग है कि इस अध्यापिका को पूरा वेतन दिलाया जाये, 100 रुपये महीने काटने के आदेश हैं वही काटे जावें, उनका पूरा वेतन 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाया जाये। क्या अधिकार है उनको रोकने का? जिलाधीश ने जो मनमानी की है मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कि ऐसे अफसरों के खिलाफ जांच की जाये और उनको दंडित किया जाये, । उनकी जुर्रत कैसे हुई कि राज्य सरकार का हुकुम नहीं माने। इस सदन की भावनाओं का अपमान नहीं करे। आखिर वह समझते क्या हैं कि हम ही सब कुछ हैं ताकि नौकरशाही में ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिले उसके लिये यह जरूरी है कि भरतपुर के जिलाधीश के खिलाफ मैंने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच कराएं और देखें कि वह मनमानी न करें। एन आर ई पी का पैसा भी पंचायत समिति वालों को नहीं दिया, जो मेरे मन माफिक काम करेंगे उन्हीं को दूंगा, यह सब मनमानी है····

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री नत्थी सिंह : बर्दाश्त के बाहर हो रही है। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी जांच की जाये और इस अध्यापिका को न्याय दिलाया जाए, इनको पूरा वेतन मय ब्याज दिलाया जाये और 100 रुपये महीना ही काटा जाये यह मेरी मांग है।

श्री सभापति : श्री भगराज सिंह।

श्री मुक्ति लाल मोदी : सभापति महोदय, अध्यक्ष जी ने कहा था कि दो मिनट देंगे लेकिन किसी को दस मिनट देने लग गये, किसी को 15 मिनट देने लग गये। हाऊस को चलने नहीं देते····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कभी दो के तीन मिनट भी हो सकते हैं।

श्री मुक्ति लाल मोदी : सारे सदस्यों का नुकसान होता है····

श्री सभापति : आपके सुझाव का स्वागत है माननीय सदस्य नत्थी सिंह जी ने ज्यादा समय नहीं लिया है। आपके सुझावों को मान लिया है इसलिए उन्होंने बहुत कम समय लिया है····

107

श्री मुक्ति लाल मोदी : जितने स्थगन प्रस्ताव हैं, अध्यक्ष साहब से बात कर लीजिये, अपोजीशन लीडर से बात कर लें, आप दो मिनट का कहकर 10-15 मिनट देते हैं....

श्री सभापति : यही कह रहा हूं दो मिनट से अधिक नहीं बोलें

श्री मुक्ति लाल मोदी : जिस चीज की डिमान्ड है उस पर तो नहीं बोलने देते और स्थगन प्रस्ताव पर बोलने देते हो तो यहतरी का गलत हैं आपका। मैं आपसे कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : कभी आप भी बोलते हैं, बोलते रहते हैं तो क्या करें।

श्री मुक्ति लाल मोदी : मेरे बोलने की बात नहीं है, यह हाऊस की बात है। मेरे को तो आप नहीं बोलने देना, मेरी कोई बात नहीं है।

श्री सभापति : आपको अधिकार है बोलने का। दो मिनट के तीन मिनट भी हो जाते हैं कभी।

श्री मुक्ति लाल मोदी : मेरी बात छोड़ दीजिए। आप तो यह कहिये दो मिनट से ज्यादा नहीं देंगे।

श्री सभापति : मैं यही कह रहा हूं कि दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे। श्री भगराज चौधरी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया सुनें।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के अन्दर कृषि कुओं के अन्दर केवल 5 घण्टे बिजली दी जा रही है जो कि बहुत ही अपर्याप्त है। विशेषकर जिन क्षेत्रों के अन्दर कपास बोई जाती है उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही नाकाफी है। जालोर जिले के अन्दर आहोर तहसील के अन्दर 25-30 गांवों का ऐसा क्षेत्र है जहां कि कपास की खेती पिछले काफी वर्षों से बोई जा रही है। इस साल भी काफी बड़ा क्षेत्र कपास की बुआई के अन्तर्गत आया हुआ है और वहां पर सरकार द्वारा विद्युत मण्डल द्वारा केवल मात्र 5 घंटे बिजली देने के कारण से आज उस कपास की खेती की ऐसी हालत हो रही है कि कपास की खेती और कपास की फसल करीब करीब जलने जैसी स्थिति में हो गई है यह तो सौभाग्य मानिये कि थोड़े पहले कि स्केटर्ड रेन्स जालोर जिले में हुई है जिससे जलती हुई फसल को थोड़ी बहुत राहत मिल गई लेकिन जो यह बरसात हुई है यह पर्याप्त नहीं है। इस कारण से मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से कि जब एक तरफ तो राज्य सरकार उद्योगों को 10-12 घण्टे बिजली देने का विचार रखती है और दे रही है। तब मेरी समझ में नहीं आता कि कपास जैसी फसल जो कि कार्मशियल फसल है और जिसका उपयोग कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसका उत्पादन, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस फसल में हर 5-7 दिन के बाद में पानी देना पड़ता है इस झुलसी हुई गरमी में, अगर केवल मात्र सरकार पांच घण्टे बिजली देती रहेगी तो उस फसल में पानी कैसे पहुंचेगा। इधर आप देखिये कि किसान की एक दूसरी मुसी-

(श्री भगराज चौधरी)

बत और हो गई है–डीजल बहुत मंहगा है और क्रूड बहुत महगा है और इतना मंहगा क्रूड और डीजल होने के कारण से किसान लोग, बिजली नहीं मिलने के कारण से मशीनें भी चलाना चाहें तो मैं समझता हूं कुल मिलाकर उत्पादन इतना मंहगा हो जायेगा कि उनके लिये खेती करना और न करना भी बेकार हो जायगा और यह कृषि का उत्पादन एक लाभप्रद होने के बजाय हानिप्रद हो जाएगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार और राजस्थान का विद्युत मण्डल इस बात पर गंभीरता से बिचार करे कि जिन जिन क्षेत्रों में मिर्ची की फसल और कपास की फसल बोई हुई है वहां पर आप कम से कम पांच घण्टे से बढ़ाकर आठ घंटे दस घंटे बिजली देने का करें तो ज्यादा ठीक रहेगा····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपस में बातें न करें।

श्री भगराज चौधरी : और यदि उचित मात्रा में सरकार बिजली सप्लाई नहीं करेगी तो मैं समझता हूं यह जो फसल बोई गई है वह फसल जल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। अभी थोड़े दिन पहले इसके विरोध में किसानों ने अनशन करने का विचार किया, धरना देने का बिचार किया जिलाधीश कार्यालय के सामने और यहां पर विद्युत मण्डल में टेलीग्राम भी दिये और काफी कुछ अशान्ति पूर्ण वातावरण बन गया था। इसलिये मेरा पुनः निवेदन है कि सरकार ऐसी स्थिति न आने दे और उससे पहले ही आप इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और पांच घण्टे से बढ़ाकर कपास और मिर्ची का बोया हुआ क्षेत्र है। चाहे वह आहोर तहसील का हो, चाहे बिलाड़ा क्षेत्र का हो और चाहे औसियां क्षेत्र का हो और चाहे और कहीं भी हो मगर सैद्धान्तिक रूप से यह मान लें कि इन इलाकों में पांच घंटे से बढ़ाकर हमें 10 घंटे बिजली देनी चाहिये। मुझे आशा है कि इस पर गंभीरता से विचार करके कोई न कोई निर्णय जल्दी लेने का विचार करेगी।

श्री सभापति : श्री डूंगर राम पंवार :

श्री डूंगर राम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय,····मैं थोड़ा भूल चुका हूं····

(व्यवधान)

(2.25 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाऊस का बिजनेस ज्यादा है इसलिए कृपया समय का ख्याल रखें।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सबजेक्ट भूल गये, बता दीजिये। आप तो ऐसे ही बोल लें डूंगर राम जी।

श्री उपाध्यक्ष : लखवास गांव के सरपंच द्वारा पुलिस को उग्रवादियों की सूचना देने के पश्चात् भी कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम लखु वाली में....। अब मुझे याद आ गया। यह लखवाल नहीं

(व्यवधान)

लखूवाली ग्राम है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम लखूवाली जो रावतसर से हनुमानगढ़ रोड पर स्थित है, इस ग्राम में तीन अजनबी लोग आये, वे सरदार थे और सरपच ने उनका पता लगाया तो यह पता नहीं चल सका कि वे कहां के हैं। वे गांव से घूमते हुए एक सरदार पीलवा रोड पर जो हनुमानगढ़ रोड़ जाती है वहां पर उनको शक हुआ। उन दिनों यह चल रहा था घल्लू घारा सप्ताह। यह डर था और ऐसी हिदायत थी सरकार से सरपंचों को, प्रधानों को, नगरपालिका के चेयरमेनों को कि यह ध्यान रखा जाए कि ऐसा कोई सन्देह हो तो स्थानीय पुलिस को इत्तला करें। तो, उपाध्यक्ष जी, सरपंच ने लखूवाली हैड पर जो आर ए सी तैनात है, नजदीक में जवानों को इसकी इत्तला दी। आर ए सी के दो-चार जवान आ गए और उन्होंने उस सरदार के लिये कहा कि जब तक पुलिस न आ जाय तब तक आप इन्हें जाने की इजाजत न दें। तो रावतसर गाव नजदीक पड़ता है 7 किलोमीटर पर, रावतसर पुलिस को इत्तला दी क्योंकि लखूवाली गांव हनुमानगढ़ थानान्तंगत आता है। अब वे आ गये, रावतसर से थानेदार आ गये और उन्होंने वायरलेस किया रावतसर से हनुमानगढ़ से थानेदार पूनियाजो है या विश्नोई साहब का पता नही उनका, सब आ गये। तो, उपाध्यक्ष जी वहां पर काफी आदमी खड़े थे मोजिज उन्होंने अन्दर जाकर उनसे आध घंटे तक बात करके थानेदार जी बाहर आ करके उस सरपंच और गांव के मोजिज लोगों के गये पड़ गया। सरपंच को पीटा नही, बाकी नहीं छोड़ा। अगर सरपंच सामने बोलता तो थानेदार उसको पीटता। सरपंच ने इतना ही बोला कि उग्रवादी नहीं है तो हमें तो सरकार का इतना आदेश था कि शक सूबा होने पर सूचना करें। आप पता करें, अगर नहीं है और इनके रिश्तेदार हैं तो मैं कब कहता हूं कि उग्रवादी ही हैं। थानेदार जी ने कहा, नहीं नहीं मैं तुम्हें फंसा दूंगा मुकदमों में अगर सरपंच कहीं बोल लेता तो उसको पीटते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। गांव के कई लोग कहते हैं कि उसके थप्पड़ मारे और अगर वह बोलता तो उसकी पिटाई हो जाती। इस प्रकार का उसने अभद्र व्यवहार किया उस थानेदार ने और जवाब यह आया है कि कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार वहां की पुलिस ने झूठ बोला है। इस प्रकार के थानेदार जिसने सरपंच की बेइज्जती की है, उसको दण्डित किया जाय, इतना ही मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलियां। कृपया दो मिनट में।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष जी, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव नोखा तहसील के ग्राम लालासर के एक किसान के साथ पुलिस द्वारा की गई ज्यादती के बारे में था और आप ने इसको जानकारी के लिये भेजा और जो जानकारी दी गई, है, उपाध्यक्ष जी, यह कहानी बिलकुल बेबुनियाद और मन गढ़न्त कही गई है।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उपाध्यक्ष महोदय, लालासर गांव में किसान रायका जाति का है, उसके घर में जापा हुआ। उसकी खेती जो उसके खातेदारी हक में आती है वह उसने उसी गांव के नानूराम चौधरी को बेची लगभग 180 रुपये में लेकिन उस गांव का जो पटवारी था वह नाराज था। तीन महिने पहले उस किसान से उसने 500/- रु. मांगे थे। किसान ने कहा मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। और कहानी इस प्रकार गढ़ी कि तीन साल पहले उनका खेत जो है वह गांव से चिपटा हुआ आबादी था। गांव के लोगों ने उस रायके को कहा कि आबादी भूमि नहीं है तू तेरे खेत को दे। उसने कहा ले लो गोचर भूमि के लिये तो उसका नक्शा बनवा कर ग्राम पंचायत में दिया। आबादी का नक्शा स्वीकृत नहीं हुआ लेकिन गोचर भूमि का जो प्लान था, उपाध्यक्ष जी, उसके खेत खसरा नम्बर में वह मजूर हो गया और वह किसान चाहता था, कि गांव की आबादी में हो जाय तो वह दे दे लेकिन गांव का पटवारी बहुत नाराज था उस व्यक्ति से। 500/- रु. मांगे थे तीन महिने पहले। गरीब काश्तकार बोला अकाल है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पटवारी कहता है कि मैं मेरे को ओन्दा लटका दूंगा और यह कहा कि ऐसा फंसाऊंगा कि याद रखेगा। उस नाराजगी से पटवारी मौके की ताक में था। किसान ने अपने खेत में पुरानी खेजड़ी गिरी हुई गरीबी की हालत में, उसके घर में जापा, मजबूरी में उसी गांव के काश्तकार को 180/- रु. में बेची। पटवारी हल्के ने उस किसान से नाराजगी निकालने के लिये तहसीलदार नोखा को रिपोर्ट की, कि फलां किसान ने गोचर भूमि में से खेजड़ी काट कर बेच दी है, इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। सम्बन्धित तहसीलदार, नोखा राजस्व विभाग ने उस केस को उठा कर पुलिस में दे दिया, केस दायर करवा दिया और नोखा थानेदार ने उसके अधीनस्थ पुलिस चौकी जसरासर के मुंशी को फाइल दे दी। मुंशी से पटवारी मिलता है कि इसकी रड़क निकालनी है और पैसे भी अच्छे ढंग से लूटने हैं। जमादार गांव में गया, उपाध्यक्ष जी, बड़े खेद की बात है कि उस किसान के घर में औरी से बच्चे बीमार, घर में जापा, लेकिन फिर भी पुलिस के अधिकारी को कोई दया नहीं आई। साथ में श्रीमान् पटवारी भी गये, उसके घर में एक उसकी बच्ची खाट पर सिसक रही थी, मरने जैसी हालत में लेकिन उसके जा करके इस तरह से तंग किया कि उसके कपड़े उतारे सारे और उसको गिरफ्तार किया और गांव में उसको इस ढंग से घुमाया कि आज के युग में कोई आंख से देख नहीं सकता। उपाध्यक्ष जी, नंगा करके घुमाया और उसके बाद 200/- रु लिये लालासर गांव के गवांड में बैठ करके मैदान में 200/- रु. पुलिस ने लिये और खेजड़ी, खरीदने वाले नानूराम जाट से जो खेजड़ी की सूखी लकड़ी पड़ी थी वह बरामद की और 300/ रुपये उस नानूराम से और ले लिये। रुपये दे, नहीं तो तेरे को 20 साल के लिए गिरफ्तार करेंगे। 500/- रुपये नगद लेकर के और वहां से उस किसान को गिरफ्तार करके जसरासर और जसरासर से नोखा इस तरह की बेइज्जती की काश्तकार की, सरे आम बाजार में उसको घुमाया गया। उपाध्यक्ष जी, पुलिस के आदमी तो कुंवारी कन्या के साथ बलात्कार करते है उसको कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन एक गरीब

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

किसान जिसको एक खातेदारी, खेत की खेजड़ी की गरीबी की हालत में लकड़ी उठाने से यह हाल उस काश्तकार का किया है, किसान के साथ बहुत बुरी ज्यादती हुई है, इलाके में इसका भारी रिएक्शन है। उपाध्यक्ष जी, इतना ही नहीं उन्होंने घर में भी बेइज्जती करने की चेष्टा की थी पुलिस के आदमियों ने....

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, आपने दो मिनट के लिए कहा था 6 मिनट हो गये फिर आप कहेंगे। मैं आपसे कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी कि जिस बात को डिमाण्ड्स के ऊपर बोल सकते हैं, अभी उस बात को 20-20 मिनट तक एक एक करके बात बदलें तो यह उचित नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष जी। मैं कहता हूं आपने, उपाध्यक्ष जी ...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप मेरी बात सुनिये। आपने बीच में बाधा डाल दी है उससे सदन का समय और नष्ट हुआ है। आप जिस होशियारी से बात कर रहे हैं उससे समय और नष्ट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी, कृपया उलझेंगे नहीं। आपस में नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जितने भी माननीय सदस्य हैं, जिस बात पर बोलना चाहिए उस बात पर बोलते नहीं हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप विराजिये, मोदी जी। आप विराजिये नीचे आपको इस तरह से दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। आसन को है, आपको कोई हक नहीं है। आप विराजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदी जी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, एक व्यवस्था चाहूंगा कि मेरे स्थगन प्रस्ताव पर नीचे से राज्य सरकार को और आसन को जो इत्तला दी गयी है वह बेबुनियाद और गलत है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसी बात का बहाना बनाया उपाध्यक्ष जी, कि खेजड़ी गोचर भूमि में थी। आप जानते हैं, उपाध्यक्ष जी, गोचर भूमि ग्राम पंचायत के अधीनस्थ है। राजस्व विभाग की नहीं है। उसके बाद भी उस किसान के साथ ज्यादती की गयी है। मैं चाहूंगा आपके मार्फत उपाध्यक्ष जी, कि इस मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए। खेजड़ी गोचर भूमि में नहीं थी और अगर गोचर में थी तो उस किसान ने गोचर छोड़ी....

श्री उपाध्यक्ष : दोहरायें नहीं। बार बार नहीं दोहरायें। अपनी बात कह दीजिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं एक ही बात चाहता हूं कि आप इसकी दोबारा जांच करने लिए राज्य सरकार को आदेश दें। राज्य सरकार पुनः इस बात की जांच कराये ताकि उस काश्तकार को न्याय मिले और इलाके में इस तरह की किसान की इज्जत पर कोई धावा नहीं बोले, किसान की बेइज्जती नहीं करे। इसलिए मैं चाहूंगा कि गृह विभाग को आदेश देंगे और इस मामले की पुनः जांच करायें।

श्री उपाध्यक्ष : कितनी बार जांच करायेंगे। श्री मोती लाल मीणा।

(अनुपस्थित)

देवीसिंह जी भाटी। कृपया, भाटी साहब।

112

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : विषय बताइये। मेरे बीच में इन्टरप्ट मत करना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, निलम्बित पुलिस अधीक्षक से अलमारी की चाबी, इस पर उस रोज भी बोल चुके हैं आप। निलम्बित पुलिस अधीक्षक का प्रश्न पहले भी आप बोल चुके हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, मैंने नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा था।

श्री देवीसिंह भाटी : नही बोला हूं।

श्री शोपतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आया है।

श्री उपाध्यक्ष : अलमारी की चाबी, चाबी न लिये जाने और अलमारी के महत्वपूर्ण कागज गायब होने की आशंका, पहले आपने बोला है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह अलमारी की चाबी कोई साधारण चाबी नहीं है और न कोई साधारण अलमारी है। उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को एक अधिकारी की औरत छेड़ने के बारे में 26-3-85 को निलम्बित किया गया था और जैसे ही उनको निलम्बित किया गया उसके साथ ही जो भी जरूरी कागजात थे, चाहे अलमारी की चाबी थी जिसके अन्दर बड़े गुप्त दस्तावेज रहते हैं, उसकी चाबी दे देनी चाहिए थी लेकिन 26-3-85 को वह निलम्बित होते हैं और चाबी जैसा कि आपको राज्य सरकार ने सूचना दी है 4 महीने बाद में 9-7-85 को भी चाबी नहीं देते हैं। उसके बाद में वह अलमारी खोली जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का सिर्फ यह जवाब आ गया कि वह चाबी दे दी है और अलमारी खोल ली है। राज्य सरकार को जवाब के साथ यह भी सूचना देनी चाहिए थी कि यह बड़ा गम्भीर विषय है क्योंकि इसके अन्दर बड़े गुप्त दस्तावेज रहते है जिसके अन्दर वी वी. आई. पी जो विजिट करते हैं, उनके लिए जो ब्लू बैग होता है, वह भी इसके अन्दर रहता है और जो भी जरूरी कागजात हैं वह भी इसके अन्दर रहते हैं, लेकिन इतने विलम्ब से चाबी देने का क्या कारण रहा है। साथ ही जैसे चार्ज देना होता है हर कोई अपने चार्ज में जो भी आफिशियल चीज होती है वह सुपुर्द कर देता हैं। इस अलमारी के अन्दर ऐसे गुप्त जो जासूसी से सम्बन्धित और स्मगलर्स से सम्बन्धित ऐसे कागजात है जिसका उस एस. पी. के साथ सम्बन्ध था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि इतनी डिले करके चाबी जो दी गयी इसका क्या कारण रहा उसकी वह जांच कराये। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए वहां से डी आई.जी. ने बार बार लिखा, स्पेशल मैसेंजर भेजा गया और यहां से डी जी. ने लिखित में आदेश भेजा कि आप ए. आई. जी. फर्स्ट को यह चाबी सुपुर्द कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी चाबी नहीं दी गयी। स्पेशल मैसेंजर भेजा गया फिर भी चाबी नहीं दी गयी। आखिर इसका कारण क्या था इसके मूल में हमें जाना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस अलमारी की चाबी वह अपने साथ ले गये और इस वहम में कि वह तुरन्त ही रीइन्सटेट होकर आयेंगे और अपने गुप्त दस्तावेज वह निकाल लेंगे। अलग अलग गुप्तचर शाखाओं से जिसके अन्दर स्टेट की गुप्तचर शाखा

(श्री देवीसिंह भाटी)

और सेन्ट्रल सी.आई.डी. के जो अधिकारी थे उन्होंने जासूसी और स्मगलिंग की जो भी गतिविधियां थी, जो जो ऐसे संदिग्ध व्यक्ति थे और जिनका उनसे सीधा सम्बन्ध था इसके लिए उन्होंने सूचना दी। वह सारे लैटर आफिस में नहीं रखकर उस अलमारी के अन्दर रखे थे। इसलिए मैंने यह स्थगन दिया है कि उसके अन्दर ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिसमें वह एस.पी. डायरेक्ट इन्वाल्ड था उन जासूसों के साथ। उपाध्यक्ष महोदय, इस अलमारी की चाबी नहीं देने के कारण जिलाधीश ने एक कमेटी बनायी जिसके अन्दर ए. डी. एम., एस. पी. और डी. एस. पी. की एक कमेटी बनायी कि वह अपने सामने खोले लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको खोल ले क्योंकि वह जानते थे कि वह किसी और षड़यन्त्र में फसा देगा और काफी अर्से के बाद....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने सूचना दी है कि कमेटी की उपस्थिति में लिस्ट बनाकर पुलिस अधीक्षक को संभला दिये गये कागज।

श्री शोपत सिंह : किस तारीख को।

श्री उपाध्यक्ष : 9-4-85 को।

श्री देवीसिंह भाटी : उसका मैं कारण बताता हूं। 26-3-85 को निलम्बित होते हैं और 9-7-85 को चाबी दी गयी है, क्या कारण था कि 4 महीने तक चाबी अपने पास रखी, इसका मैं कारण जानना चाहता हूं राज्य सरकार से।

श्री उपाध्यक्ष : रिपीट मत कीजिए इसको बोल दीजिए। बस। बोलने वाले और भी दो हैं इसी विषय पर।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इस अलमारी के अन्दर वह कागजात थे जिसके अन्दर पाकिस्तान से हथियार स्मगल होकर इस राजस्थान की सीमा में आये थे, इसके लिए सैन्ट्रल सी. आई. डी. वालों के सूचना दी थी और जिसके अन्दर उस एस. पी. साहब ने कैम्प लगाकर जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनको पकड़ा नहीं और गलत दूसरे आदमियों के घुमा फिराकर कागजात बनाकर उस मामले को वहीं दबा दिया। उसके बारे में सैन्ट्रल सी. आई. डी. ने इत्तला की कि यह फलां फलां जासूस है और यह पाकिस्तान के ट्रेन्ड सिपाही हैं उनको आप पकड़िये लेकिन उसकी कार्यवाही नहीं की। सीधा उन्होंने पैसा लिया और उस मामले को वहीं दबा दिया और वह कागजात उस अलमारी अलमारी के अन्दर थे। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ यही कागजात नहीं, जितने भी....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

स्मगलर थे वहां उनके बारे में सी. आई. डी वालों ने लिखा कि यह संदिग्ध स्मगलर है यह स्मगलिंग की गतिविधि में भाग लेता है उसकी कार्यवाही की जाय उसकी कार्यवाही नहीं की, वह कागजात अलमारी में रख लिये....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी काफी देर बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वह कागजात अलमारी में रख लिये और स्मगलर की

(श्री देवीसिंह भाटी)

को थाने के द्वारा बुलाकर, पैसा लेकर उसको छोड़ दिया वह कागजात उसके अन्दर थे, उपाध्यक्ष महोदय । सिर्फ यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में दो मलेशियन गर्ल वहां वेटनरी कालेज और मेडिकल कालेज में पढ़ती हैं जिनके बारे में सी. आई. डी वालों ने सूचना दी कि वह जासूसी में संदिग्ध अवस्था में इस वक्त हमने घूमती हुई देखी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । उन मलेशियन गर्ल्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । जो वेटनरी स्टुडेंट हैं उसके साथ गलत सम्बन्ध जबर्दस्ती बना लिया कि मैं तुम्हारा भण्डा फोड़ कर दूंगा मुकदमे में फंसा दूंगा और उसके साथ जबर्दस्ती की । उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । उसके कागजात भी उस अलमारी में थे । उसका जो स्टेनो था उस एस. पी. का उसको इस कार्य में लगाया उसने भी जो एस. पी. अभी वहां लगा हुआ है, उनके हस्ताक्षर हैं उनके वह हस्ताक्षर बना करके जो चिट उस पर लगी हुई है उसको फाड़ करके वह कागजात निकाल ले । उस स्टेनो ने वह सारे कागजात स्लिप फाड़ करके निकाल लिए और दूसरी स्लिप उस पर लगा दी । यह जल्दबाजी में कमेटी वालों ने भी नहीं देखा । मैं चाहूंगा कि इसकी निश्चित रूप से जांच की जावे । यह कोई छोटा मोटा मसला नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय । इसके अन्दर पाकिस्तान के जासूसी के कागजात थे । इसके अन्दर वह आतंकवादी पंजाब वाले जो वहां से ट्रेंड होकर आते हैं उनके बारे में सूचना है....

श्री उपाध्यक्ष : रिपीटेशन हो रहा है, माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या फरमाया ।

श्री उपाध्यक्ष : वापिस वही बात आ रही है । आपने कह दिया है काफी ।

श्री देवीसिंह भाटी : वही बात नहीं है । मैं अलग अलग बात बता रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय । वह आतंकवादी अमृतपालसिंह जिसको हाल ही गिरफ्तार किया गया है जिसका एस पी. से सम्बन्ध था, जिससे सम्बन्धित कागजात थे, वह कागजात उस अलमारी में थे, उसमें बहुत बड़ा गिरोह शामिल था, अमृतपालसिंह की सारी सूचना थी, वह सारे कागजात उसमें थे, जिसकी सूचना के आधार पर अभी हाल ही में एक थानेदार ने गोली खाकर सूसाइड कर लिया कि मैं पकड़ा जाऊंगा । उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा मोटा मसला नहीं है कि अलमारी की चाबी मिल गई है । इसके अन्दर ऐसे दस्तावेज थे जिनकी निश्चित तौर पर जांच की जानी चाहिए थी लेकिन राज्य सरकार ने बार बार सूचना देने के उपरान्त भी....

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बहुत हो गया है ।.... बहुत आ गया है ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत बोलूंगा, बहुत गम्भीर मसला है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर राज्य सरकार को सूचना आ गई है, चाबी ले ली है, अब आप और क्या चाहेंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर राज्य सरकार से वक्तव्य हो, इसके ऊपर चर्चा हो। यह कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार बीकानेर के ढोलामारु विश्राम गृह में एक ब्रिटिश नेशनल था वह वहां आया और उसके बारे में सी. आई. डी. वालों ने सूचना दी लेकिन उसको बुला कर छोड़ दिया गया। न तो उसके पास पासपोर्ट था, न उसके पास वीसा था, इसके उपरान्त भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। वह सारे कागजात उसके अन्दर थे, उपाध्यक्ष महोदय। यह नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार वह कश्मीरसिंह भी पकड़ा गया था लेकिन उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस अलमारी में वह सारे कागजात मौजूद थे। बार बार सूचना देने के बाद भी, मेरे स्थगन प्रस्ताव को जो आपके माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया है उसके बाद में क्योंकि वह दो बार अदालत में मामला आ गया था, उसने एक अधिकारी की पत्नि को छेड़ा था उस मामले में दो बार पेशी पड़ चुकी थी। वह पेशी के ऊपर हाजिर नहीं हुआ। आखिर में जमानती वारण्ट निकला और वहां से जब वह गया। उसके बाद में वह एस. पी. बीकानेर जाता है और यह सारा षडयंत्र करके उस अलमारी से सारे दस्तावेज निकाल लेता है। राज्य सरकार ने इसके बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की। चार माह तक ऐसे कागजात, सीक्रेट पेपर उस अलमारी में रहते हैं, ऐसे दस्तावेजों की सूचना मिली, उनको आपने अपने अधिकार में क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं उस अलमारी को खोला....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी मैं बन्द करने वाला नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बहुत हो गया।.... माननीय सदस्य, यह स्थगन प्रस्ताव है काफी बोल लिए हैं आप। इस पर शायद सुराणा साहब भी बोलें.... माननीय भाटीजी.... माननीय भाटी जी।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सारी सूचना मैं दे रहा हूं, यह छोटी मोटी बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। राज्य सरकार अगर इस प्रकार के गम्भीर मामले में जिसके अन्दर देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हो उस पर गौर नहीं करे, उनको सूचना मिल जाय, आखिर में मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की तरफ से स्टेटमेंट हो। जब तक यहां स्टेटमेंट नहीं होता, राज्य सरकार कुछ नहीं कहती है, मैं बैठने वाला नहीं हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, सेंट्रल सी. आई. डी. से जो बार बार सूचनायें मिली हैं उसके उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं हो और स्टेट सी. आई. डी. वालों ने इस प्रकार की सूचना राज्य सरकार को भेजी लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसका मैं कारण जानना चाहता हूं कि चार माह तक उस आलमारी में क्या था जिसकी वजह से चाबी नहीं दे रहे थे। क्या यह सन्तोषजनक नहीं है कि जरूर उसमें ऐसी कोई चीज थी जिसके कारण से वह चाबी नहीं दे रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह चाबी नहीं देने की बात दस बार श्रा गई है।

(व्यवधान)

please conclude.

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के गुप्त दस्तावेज जो ऐसे श्रलमारी में बन्द हों, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स को, राज्य सरकार को श्रौर डी. श्राई. जी. को यह सूचना दे दी गई, मैं कारण जानना चाहता हूं कि वह श्रलमारी कब्जे में क्यों नहीं ली गई, वह दस्तावेज कब्जे में क्यों नहीं लिए गए।

श्री उपाध्यक्ष : बार बार रिपीट मत कीजिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री देवीसिंह भाटी : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कारण जानना चाहता हूं राज्य सरकार से, राज्य सरकार के गृह मंत्री को जो रिप्रजेंट कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : जो भी सूचना है वह राज्य सरकार ने दे दी है। बाद में श्राप श्रलग से बात कर लीजिए....राज्य सरकार के पास सूचना थी वह दे दी, श्रापको श्रौर जानकारी चाहिए वह श्रलग से जानकारी कर लें।

श्री शोपतसिंह : बहुत ही गम्भीर मामला है। एक एस. पी. श्रापको चार्ज नहीं देता है जिसको सस्पेंड किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : श्रलग से जानकारी कर लें।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं राज्य सरकार से....

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार को जो जानकारी देनी थी वह दे दी। दुबारा श्रौर क्या जानकारी लेना है वह बता दें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं श्रापके माध्यम से जानकारी मांग रहा हूं। राज्य सरकार मुझ को सदन में जानकारी दे कि चार माह तक बार बार यह लिखा गया कि इस श्रलमारी को खोला जाय, इसमें गुप्त दस्तवेज हैं, उस श्रलमारी को क्यों नहीं खोला गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटीजी, श्रगर श्रापको श्रौर कोई संतोष करना है तो कृपया श्रध्यक्षजी के कक्ष में जाकर बात कर लें।

श्री देवीसिंह भाटी : श्रध्यक्षजी को तो श्राप ही रिप्रजेण्ट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं श्रध्यक्ष के कक्ष में। मैं तो यहां बैठा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं तो यहां पर व्यवस्था चाहता हूं। क्योंकि यह गम्भीर विषय है, इसके बारे में जो समय पर हमने सूचना दे दी, इसके उपरान्त भी तुरन्त कार्यवाही हुई नहीं। हमारा स्थगन प्रस्ताव जाने के बाद वह एस. पी. बीकानेर जाता है श्रौर सारा षडयंत्र करके....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटीजी, कृपया....माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा गम्भीर विषय है, मैं राज्य सरकार से....

श्री उपाध्यक्ष : यह हाउस की डिग्निटि के विरुद्ध है, कृपया।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण मामला नहीं है, साधारण चाबी नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप शासन से क्या चाहते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : मैं यह चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें, भाटीजी कृपया, भाटीजी कृपया — माननीय माणकचन्दजी सुराना, आपका भी इसमें है। श्री कालवी साहब ने भी दिया है। तीनों का है, ठीक है।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तथ्य सदन में रखे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह तथ्य मामूली नहीं है। बहुत कम मौकों पर इंडियन पुलिस सर्विस के आदमियों को राज्य सरकार ने मौअत्तिल किया है। बहुत कम ऐसे मौके आये हैं जिसमें कभी आई. पी. एस. अफसर को, सुपरिटेंडेंट पुलिस को मुअत्तिल करने की नौबत आई हो, वह मुअत्तिल भी उसी के नीचे एडीशनल एस. पी. की पत्नि के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में किया गया है। साढे तीन महीने हो गए हैं उसको, उपाध्यक्ष महोदय। इस विधान सभा की कार्यवाही के फलस्वरूप ही वह मुअत्तिल हुए, अरेस्ट किए गए, मुकदमे का चालान हुआ उन पर। सबसे गम्भीर बात यह है कि राज्य सरकार सोती रही। जो अलमारी सुपरिटेंडेंट पुलिस के खुद के कमरे में है, खुद के आफिस में उनके कब्जे में होती है उसकी चाबी नया एस. पी. वहां चला गया लेकिन उस अलमारी की चाबी पुराने सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास रही, क्या वजह है ? उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय क्या करता रहा, मैं जानना चाहता हूं ? होम सेक्रेट्री, डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस आखिर उनकी कोई ड्यूटी है या कोई ड्यूटी नहीं। मुख्य मंत्रीजी जिन्होंने गृह मंत्रालय सम्भाल रखा है, उनकी ड्यूटी है और उनके नीचे के जो अधिकारी हैं गृह सचिव हैं, डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस हैं क्या करते हैं वे ? क्यों वह ऐसे मामले में सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस के पास चाबी रहने देते हैं जब कि आर्डर है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस अलमारी में ऐसे कागजात थे जिसमें कि इस एस पी. का सम्बन्ध तस्करों से है, जो बोर्डर पर तस्करी का सामान इधर से उधर ले जाते हैं भारत पाक बोर्डर पर, ऐसे गिरोह से इस एस. पी. का सम्बन्ध था। ऐसे गुप्त कागजात उस अलमारी में थे लेकिन उसके बावजूद जब हमने यहां पर एडजोर्नमेंट मोशन दिया, काल अटेंशन दिया तब राज्य सरकार उससे चाबी ले, राज्य सरकार साढे तीन माह तक कान में तेल डाल कर सो जाय, हम उनको जगायें तो फिर जग जाय, यह कुम्भकरण की नींद में यह सरकार, उपाध्यक्ष महोदय कब तक सोती रहेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला गम्भीर है और इसकी गम्भीरता इस बात से, और भी बढ़ जाती है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाबी उस दिन ली गई जिस दिन हमने यह स्थगन यहां पर रखा उस चाबी के लेने के पूर्व सूचना मिली, जब यह स्थगन प्रस्ताव गया, स्थगन प्रस्ताव की सूचना गई कि इस तरह का स्थगन प्रस्ताव आ गया, जब यहां विधान सभा मे चर्चा हुई उस बीच में मुग्रत्तिलशुदा एस. पी. ने अपने नीचे के कर्मचारियों से मिलकर क्योंकि उसी के नाम से वहाँ पर सील लगी हुई थी उस सील को तोड़ कर, उस अलमारी को खोला, उसमें से गुप्त कागजात गायब किये और वापस सील लगा दी अपने हस्ताक्षर की और चाबी नये एस. पी साहब के सुपुर्द कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा घटनाचक्र जो कुछ हुआ, इसमे राज्य सरकार उन महत्वपूर्ण कागजातों से महरूम तो हुई है जिससे इस मुग्रत्तिलशुदा रोहिताश कुमार के सम्बन्ध तस्करों के गिरोह से, पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह से साबित होते उसकी महत्वपूर्ण फाइलें उस आलमारी में थी, सरकार की लापरवाही से, सरकार की गफलत से वह सारे मौके इस मुग्रत्तिलशुदा एस. पी. को मिले और उसने आलमारी से वह कागजात भी गायब कर दिये। उसके बाद हमारे इस स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण के फलस्वरूप जब सारे सीक्रेट डाकूमेंट्स उसने निकाल लिये वह चाबी उसके बाद उनको सुपुर्द कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की इस निष्क्रियता के विरुद्ध हम यह स्थगन प्रस्ताव लाये हैं। इस निष्क्रियता से, इस कुम्भकर्णी नींद से सरकार को निश्चित रूप से जगना चाहिये। मैं चाहूंगा आप निर्देश देंगे कि इस सारे मसले पर वह जांच करेंगे, डायरेक्टर आफ जनरल आफ पुलिस जांच करेंगे, होम सेक्रेटरी साहब जांच करेंगे और इसमें किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और इस सदन को वापस सूचित करेंगे उन्होंने जो कार्यवाही की है उससे। इस विधान सभा की कार्यवाही समाप्त होने से पहले, इस सत्र के सत्रावसान से पहले इस सदन को वह सूचित करेंगे कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या सक्रिय कार्यवाही की है। मैं इसी निवेदन के साथ उपाध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

नहीं, मुकदमे का चालान हुआ है। इस मामले मे मुकदमा बनाया जाय, जांच की जाय, अनुसंधान किया जाय यह तो मैं मांग कर ही रहा हूं। इसका सम्पूर्ण अनुसंधान किया जाय और जो फाइलें गायब की हैं वह फाइलें वापस बरामद की जाय। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कल्याण सिंह कालवी।

श्री कल्याणसिंह कालवी (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया गया है राजस्थान के इतिहास में यह पहली घटना घटी है। एक आई. पी. एस. आफिसर का निलम्बित होना, उसके बाद उसका गिरफ्तार होना, उसके बाद जिस आलमारी में गुप्त दस्तावेज रहते हैं उसकी चाबी न देना और इसके साथ ही साथ उस आलमारी में जिस तरह की फाइलें थीं उन फाइलों के बारे में जो माननीय सदस्य ने जानकारी दी है कि वह स्मगलिंग से सम्बन्धित फाइलें थीं और पंजाब के अन्दर जो हथियार जाते थे, जिनके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं कि राजस्थान की बार्डर से होते हुए जाते थे,

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

उन हथियारों से सम्बन्धित फाइलें थीं, यहां एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी इसमे जुड़ जाता है। इसके साथ ही साथ दूसरी बात, यह ध्यान में आई है कि उस आलमारी का चेपा उखाड़ दिया गया, सील तोड़ दी गई, वापस सील लगा दी गई, उसमें जो फाइलें थीं वह गायब हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस आलमारी की कोई कीमत नहीं है, आलमारियां शहर में इस तरह की हजारों पड़ी हुई हैं, देश में लाखों पड़ी हुई हैं परन्तु उसके अन्दर जो फाइलें थी वह महत्वपूर्ण बात है। उन फाइलों का गायब हो जाना हमारे लिये सबसे अहम् विषय है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिये। य: चार पांच बातें है जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुई हैं। मैं वापस दोहरा देता हूं, एक आई. पी. एस. आफिसर का निलम्बित होना, आलमारी का चार्ज नहीं देना, चार्ज देने से पहले उसमें जो सीक्रेट दस्तावेज थे वह गायब हो जाना और गायब होने के बाद सरकार का कुछ नहीं करना, यह सारी की सारी बात ऐसी हैं जिन पर कि आप सरकार का ध्यान दिलायेंगे और इस केस का प्रसंग से मुकदमा दर्ज करवा कर, इसकी सारी की सारी जांच को जाकर उन फाइलों को वापस बरामद करेंगे, वसूल करेंगे। जो राष्ट्र की सुरक्षा से सम्बन्धित फाइलें हैं, सीक्रेट डाकूमेंट्स हैं उनको वापस लेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर नगर में कृषि भूमि रूपान्तरण शुल्क के रूप में 30 लाख की राशि वसूल करने के उपरांत भी नियमन न किया जाना

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री भंवर लाल शर्मा जयपुर नगर में कृषि भूमि रूपान्तरण शुल्क के रूप में 30 लाख की राशि वसूल करने के उपरान्त भी नियमन न किये जाने से उत्पन्न समस्याओं की ओर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव। सूक्ष्म में, शार्ट में कहें। बहुत काम हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि मैं जिस विषय पर इस समय बोल रहा हूं वह न माने मेरी प्रत्येक बात का खण्डन करें किन्तु यह उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायें क्योंकि जो भावना राज्य सरकार की है वही भावना इस समय मेरी है। दुर्भाग्य यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड यह जो संस्थायें हैं वह न मेरा कहना मान रही है, न राज्य सरकार का कहना मान रही है। यह जो समस्या है, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य जितने यहां चुनकर आये हैं चाहे वह शहर के हों, चाहे गांव के हों, सब सुनें। दुर्भाग्य मेरा यह है कि जो विधायक चुन कर आये हैं आज तक उन्होंने इस समस्या के बारे मे चिन्तन नहीं किया और वह इसकी गहराई को समझे नहीं। अन्य विषयों पर बार-बार यहां पर चर्चा होती है। मैंने पिछली बार भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था, अबकी बार आपकी कृपा से आया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मानवीय समस्या की ओर हमको ध्यान देना है। यह समस्या इसलिये पैदा हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि नगर विकास न्यास ने लोगों को भूखण्ड नहीं दिये, नगरपालिका ने लोगों को भूखण्ड नहीं दिये और हाउसिंग बोर्ड ने भी जब भूखण्ड नहीं

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

दिये तो फिर मजबूर होकर लोगों ने कृषि भूमि ली और कृषि भूमि पर अपने मकान बना लिये। यह समस्या खड़ी हुई राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, जयपुर विकास प्राधिकरण की उदासीनता के कारण। मैं यहां पर कोई गृह निर्माण सहकारी समितियों की तनिक भी वकालत करने के लिये खड़ा नही हुआ हूं, उनके द्वारा वे लोग सताये जा रहे हैं जिन गरीबों ने अपने मकान बना लिये इसलिये मेरा सारा निवेदन करना है। राज्य सरकार ने 3 अप्रेल, 1982 को, 2 अगस्त, 1983 को कई नोटिफिकेशन निकाले। मैं जयपुर शहर की ओर विशेषकर ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो 30 लाख की रकम छपी है, यह केवल विकास शुल्क की है। पूरे जयपुर शहर का 14 करोड़ रुपया जमा है। 24 करोड़ तो सम्पूर्ण राजस्थान का है परन्तु 14 करोड़ जयपुर का है। 14 करोड़ 30 लाख रुपया राज्य सरकार के खजाने में सन् 1981 से जमा है। अब करोड़ों का ब्याज आप लगा लें। कितना आखिरकार ब्याज है? सरकार ब्याज खा रही है। वेतन चुक रहे है, सरकारी ठाठ बाट हो रहे हैं। जिन गरीबों के मकानों का नियमन होना चाहिये था उनकी कास्ट बढ़ रही है, धीरे-धीरे कारीगर महगे हो रहे है, जमीन महंगी हो रही है, सामान महंगा हो रहा है। वह बैठा हुआ है कि मेरा नक्शा पास हो जाय या मेरा मकान जो बना हुआ है उसका नियमन हो जाय। मेरा सारा निवेदन करना यह है. वह गरीब दुखी है, राजस्थान भर में लोग दुखी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर शहर की ओर विशेषकर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जयपुर शहर में एक लाख से अधिक मकान हैं, दो हजार से अधिक बनी हुई दुकानें है। यह सारी बन गई। बन जाने के बाद लोगों ने जयपुर शहर मे केवल 74467 अपने नक्शे पेश किये। जब कृषि भूमि रूपान्तरण के लिये सरकार का यह नोटिफिकेशन आ। कि सुनहरा अवसर है। लूट लो, मास्टर प्लान के विपरीत है तो सरकारी भूमि में हो तो, नियमों के विपरीत हो तो, जो कुछ भी हो बस पैसा जमा करा। जैसे कोई लाटरी वाला कहता है लाटरी खुल रही है, आ जाओ, ले जाओ, लूट लो, जमा करा दो वैसे ही राजस्थान की गरीब जनता को धोखा दिया गया। यह यू राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, बड़ी मानवीयता का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब लोगो ने बैंक में जाकर कृषि भूमि रूपान्तरण की रकम जमा करा दी। इस जयपुर शहर मे लगभग 14 करोड़ तो कृषि भूमि रूपान्तरण के नाम पर जमा हुआ है। मैं यू आई टी का चेयरमैन रह चुका हूं इसलिये मुझे मालूम है। राज्य सरकार उत्तर देगी कि, साहब, 13 करोड़ 93 लाख 49 हजार रुपया जमा हुआ है। लगभग 14 करोड़ हो गया। मेरा निवेदन करना है, पैसा जमा है, लोग दुखी हैं। कितने लोग हैं? 74467 नियम यह था, राज्य सरकार ने जब जयपुर शहर को अरबन घोषित कर दिया, शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया 7 अक्टूबर, 1964 को तो फिर कृषि भूमि रूपान्तरण की रकम लेने के लिए राज्य सरकार अधिकृत हो नहीं थी ईमानदारी से तो। पर ले लिये, साहब आपने पैसे। लोगों से कहा, पैसे जमा कराओ कमान बना लिये, वरना मकान टूट जायेंगे। मकान टूटेंगे, लोगों ने रकम जमा करा दी। माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, जो दुकानें बनी हैं,

121

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

यह लैण्ड कानूनन रेजीडेंशियल एंड कामर्शियल है, दुकानों का तो यहां कोई सवाल ही नहीं है। अभी तक जो जानकारी है मैं निवेदन करूंगा कि 548 भवनों के मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं, कितने में से ? 74467 में से। अब राज्य सरकार कार्य पर वाहवाही लूटती है, मेरा तो आरोप तो सही है। यानी आधा पर्सेन्ट भी नहीं हुआ। मैं समझता हूं, आधा पर्सेन्ट भी लोगों के नक्शे पास नहीं किये हैं। जिनके पास किये हैं वह भी कंडीशनल हैं। जो मास्टर प्लान है उसको आपने चेंज ही नहीं किया। उसमें भी शर्तें लगा दी हैं कि सीलिंग से मुक्त हो जाय तो, यह हो तो, मास्टर प्लान में परिवर्तन हो जाय तो तुम्हारे नक्शे को पास समझना। यानी 74467 नक्शों में से केवल 548 भवन अनुमोदित हैं। मेरा निवेदन करना है, अब यहां पर सरकार विकास शुल्क के लिये कह रही है। विकास शुल्क के नाम पर 25 रुपया प्रति वर्ग गज का जमा कराओ। 200 वर्ग गज का प्लाट है तो 200 को 25 से गुणा कर लो। कितनी रकम हो गई ? 400 वर्ग गज का है तो 400 को 25 से गुणा कर लो, दस हजार रुपया आदमी एक मुश्त जमा कराये। किस बात का जमा करायें ? आप पहले काम तो करके दिखाओ। यानी बिना काम किये, बिना खर्चा किये आप 24 पर्सेन्ट ब्याज ले रहे हैं। प्रशासनिक खर्चे के मामे पर, वह नहीं लिया जाय।

(3.00 म.प.)

हिन्दुस्तान में कहीं पर 4 प्रतिशत होगा, कहीं पर 6 प्रतिशत होगा यह लूट नहीं है आखिरकार, 24 प्रतिशत ब्याज बिना ब्याज विकास किये। पहले आप विकास करवाइये और विकास कर देने के बाद लोगों की किश्त बांधियेगा। मेरे वाले समय में जब मैं यू. आई. टी का चेयरमैन था जितना विकास कार्य हो गया, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, कितना विकास हो गया सड़क बन गयी, नाली बन गयी, बिजली लग गई इतना विकास कार्य करके 4 प्रतिशत किश्त लेते थे इयरली और नक्शे पास किये अब क्या हो गया ? राज्य सरकार के आदेश भी यही हैं कि भाई चार किश्तों में करो। फिर यह जे. डी. ए. की मनमानी आखिरकार क्यों है। राज्य सरकार ने 3 अप्रेल, 1982 को यह स्पष्ट रूप से बात मानी है कि चार किश्तों में करना चाहिए लेकिन राज्य सरकार का आदेश नहीं मान रहे हैं। मेरे वाले आदेश तो इसलिये उसको तो आप यों नहीं मानेंगे, नहीं गिरधारी लाल जी भार्गव तो दूसरी पार्टी के थे, चेयरमैन वह जो आदेश दे गये उनको नहीं मानो पर भाई राज्य सरकार के आदेश तो मानो। मेरा निवेदन है कि आखिरकार कितनी योजनायें हैं यह नहीं मालुम। मंत्री महोदया जो मेरे सामने बैठी हैं कमला बहनजी उनसे निवेदन करूंगा कि उनका भी कहीं प्लाट होगा, उनके भी रिश्तेदारों के प्लाट होंगे कृषि भूमि में बड़ा मानवीयता का प्रश्न है। कोई आदमी दुखी होगा जब उसको कहीं मकान नहीं मिला, हाउसिंग बोर्ड का नहीं मिला, जे. डी. ए. का नहीं मिला, उसको कहीं जमीन नहीं है। अब उन्होंने कितनी योजना बनाई है यह नहीं मालुम। इसने 374 योजनायें कलेक्टर को सिफारिश करके भेजी थी। 374 योजनाओं में से 180 योजनाओं में कलेक्टर ने कृषि भूमि रूपान्तरण के आदेश दे दिये, इसका मतलब यह है कि 194 तो कलेक्टर

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

के पास ही पड़ी हुई हैं। इन 180 में से भी 136 योजनाओं में भवन मानचित्र अनुमोदित कर दिये गये, इनमें 548 भवन मानचित्र अनुमोदित कर दिये गये। मास्टर प्लान में तबदीली हुई नहीं, कहीं कोई गजट नोटिफिकेशन हमने देखा नहीं और आखिरकार, उपाध्यक्ष महोदय, 136 योजनायें अनुमोदित कर दी, एक सौ मान लो, तो 13,065 हुई वह कहां मास्टर प्लान में थे। केवल कपोल कल्पित मान चित्र पेश कर दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहीं नहीं आज वह क्या जमा करवायेगा कृषि भूमि रूपान्तरण की रकम जमा करवायेगा, 3 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से पेराफेरी शुल्क जमा करवायेगा, 25 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क वह व्यक्ति जमा करवायेगा और फिर वह व्यक्ति कास्ट आफ जमा करायेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह जो भार्गव साहब कह रहे हैं, मैं इस बात के लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको कहना चाहता हूं कि लाखों मकान बन गये, कोई एक दो की तो बात नहीं है। यह तो पांच वर्ष का सात वर्ष का किस्सा हो गया यह तो रोजाना का झगड़ा....उपाध्यक्ष जी वह झगड़ा तो....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदी जी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह झगड़ा तो है मैं भी कहने वाला हूं वरना सब लोग सब माननीय सदस्य हैं, सब एक दूसरे से मिले हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदी जी।

श्री सी. पी. जोशी : वेरी गुड।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जरा छोटे जोशी जी को तो गोपाल जी के रास्ते में जड़ी बूटी मिलती है वह पिलानी है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो माननीय सदस्य बात कह रहे हैं वह तो आपकी मेरी एक बात है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तो मेरा निवेदन है कि, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मुक्तिलाल मोदी : आज भी बन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले तो सोसायटी बनादी उसके बाद उन लोगों ने मकान बना लिये यह तो 10 वर्ष का झगड़ा है आज की कोई नई बात तो नहीं। दो लाख मकान बन गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी सोसाइटी है आज भी मकान बन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तो मेरा निवेदन यह था कि एक आदमी रूपान्तरण की रकम जमा कराये, कृषि भूमि रूपान्तरण के लोगों ने जमा करा दिये, पैराफेरी शुल्क जमा करायेगा, विकास शुल्क 25 रुपए प्रति गज के हिसाब से जमा करायेगा और कास्ट ग्राफ लैण्ड 10 रुपए प्रति गज के हिसाब से और देगा और कम्पाउंडिंग चार्ज देगा और उसके बाद नक्शा कब जारी होगा जब एक भूखण्ड पर 500/- रुपए और जे. डी. ए. में दे देगा। मेरा निवेदन कर देना है कि इस प्रकार के सारे नियमों के बाद, इतनी सारी रकम दे देने के बाद आखिर यह जमीन कितनी महंगी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपसे सारा निवेदन करना यह है कि कोई नक्शे पास नहीं किये गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और आज हालत यह है कि यह जो आपने जे. डी. ए. की बुकलेट दी है इस जे. डी. ए. की बुकलेट में 74,467....

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं मिनिस्टर साहब उसका जवाब ही नहीं देंगे बोल रहे हैं इसको डिमाण्ड पर बोलते तो जवाब तो मिलता कम से कम माननीय सदस्यों को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : 74,467, लोगों ने आवेदन दिये और इसी में जे. डी. ए. वाले जो मान रहे हैं 74467 और अपनी दूसरी रिपोर्ट में मान रहे हैं कि केवल 70 हजार लोगों ने भूखण्ड के नियमन के लिए प्रार्थना पत्र दिये। मेरा सारा निवेदन यह है कि 4467 का अन्तर तो यहीं पर आ गया। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज यह जो सारा सब कुछ माहौल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने अभी तो एक ही पन्ना पलटा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जी हां, एक ही साहब, आखिरकार मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं तो अभी इसको समाप्त करता हूं, मैं आपकी बड़ी कद्र करता हूं। राजस्थान का बड़ा अहमियत का प्रश्न है, सौभाग्य है कि आज कम से कम आया तो सही सदन में। मेरा निवेदन करना यह है कि आज कोई नक्शे पास नहीं हुये, लोगों की रकम जमा है और जयपुर में आधा परसेंट भी भवनों को अनुमोदित नहीं किया गया है। अब यह कहा गया कि मास्टर प्लान में परिवर्तन होगा जयपुर के मास्टर प्लान में, एक जून, 1984 के जयपुर नगर के मास्टर प्लान में परिवर्तन होगा यह घोषणा हुई। पिछला जो मास्टर प्लान बना, उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1964 में सर्वे होने लगा और 9 अक्टूबर, 1972 को इसका ड्राफ्ट मास्टर प्लान प्रकाशित हुआ और सन् 1976 में जाकर इस मास्टर प्लान को स्वीकृति मिली, 12 लाख खर्च हो गये। वह मास्टर प्लान अब कब बनेगा और जे. डी. ए. वाले कहते हैं कि हमने 28

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

सैक्टर के हिसाब से विचार करेंगे और जहां मर्जी आयेगा सेन्टर में रामनिवास बाग को सम्पूर्ण पार्क बना देंगे। जहां मर्जी आयेगी 3 फुट चौड़ी सड़क बना देंगे और उसके बाद जब प्रभाव आ जायेगा तो प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमि को जो अवाप्ति में पहले से बता रखी है उस को डी-एक्वायर करके नक्शे पास कर दिये जायेंगे। यह हुआ क्यों? राजस्थान के मुख्य सचिव आनन्द मोहन लाल जी सक्सेना और वर्तमान में जे. डी. ए. में भटनागर साहब है दोनों के नक्शे जे. डी. ए. के मालवीय नगर नाम की योजना जो हाउसिंग बोर्ड की योजना थी उस हाउसिंग बोर्ड की योजना में जो भूमि अवाप्ति में थी उसको डी-एक्वायर करके नक्शे पास कर दिये। फिर गरीबों ने आखिरकार क्या किया है। गरीबों के नक्शे पास नहीं होंगे। मालदार लोगों के नक्शे पास हो जायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक सैकिंड। जो आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है वह यह है कि शुल्क ले लिया, लेकिन नियमन नहीं किया गया। यह तो बहुत लम्बा विषय है। शुल्क जमा करा ली और नियमन नहीं किया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं पाइन्ट पर आ रहा हूं। मैं तो उसी पर आ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि यह जयपुर का ही मसला नहीं है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सारे राजस्थान का मसला है और जहां म्युनिसिपैलिटी है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदी जी।

(व्यवधान)

तो भार्गव साहब यह बहुत लम्बा विषय है, बहुत लम्बा... जो प्रश्न है...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं उसमें नहीं जा रहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मास्टर प्लान में यदि परिवर्तन करना है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लानिंग का मामला दूसरा है, यह तो बहुत लम्बा विषय है यह तो इसमें तो कितने ही ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं दूर नहीं जा रहा हूं मैं तो....

(व्यवधान)

मेरा निवेदन करना है कि मास्टर प्लान में बिना भेद भाव, किये कहां पर गरीब है कहीं पर अमीर हैं....

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सदन के नेता से इस बात का प्रस्ताव करवायें सब मिल करके कि साहब यह जो सारे राजस्थान का मसला है, यह जयपुर का ही नहीं है सारे राजस्थान का मसला है इसलिए माननीय नेता और दूसरे माननीय नेता उन पर दबाव दें और उस पर एक दिन की बहस रखवावें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोदी जी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सारा समय तो यों ही चला जायेगा वही फिर चार के चार बजेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने विश्वास दिलाया था कि तीन बजे तक खत्म हो जायेगा और माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 3 बजे तक बोलेंगे। फिर चार बजेंगे, सात बजेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा सारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत लम्बा है, बस....

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इन सैक्टर के चक्कर में नहीं पड़कर के एक कम्पलीट मास्टर प्लान जयपुर नगर के पूरे मास्टर प्लान में जहां तक सरकार ने कहा है, जो डेट डाली है इस डेट तक जहा पर मकान बन चुके हैं, सारे के सारे मकान जो मकान बन चुके, 30 अगस्त, 1985 तक जहां मकान बन चुके आगे भी मकान बन चुके हैं। जहां पर मकान बन चुके हैं सारे के सारे मकान बन चुके हैं वहां पर मास्टर प्लान में परिवर्तन किया जाना चाहिए भेदभाव के आधार पर नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा संक्षेप में। आपको 15 मिनट हो गए, आपके बाद भंवरलालजी बोलेंगे। फिर उत्तर देंगे। आपने विषय लंबा कर दिया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं पांच मिनट समाप्त करता हूं, मैं विषय लंबा नहीं करूंगा। मैं आखिरकार राजस्थान की जनता के सारे कष्टों को उजागर कर रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक मुश्त मास्टर प्लान में परिवर्तन होना चाहिए पीसमील परिवर्तन नहीं कि बड़ों को छोड़ दें, दूसरों को छोडकर नहीं होगा। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं, विकास शुल्क जो आज जे. डी. ए. मांग रहा है 25/- प्रति वर्ग गज से बिना काम करे ही, यह कहीं नियम ही नहीं है। 20 अगस्त, 1981 के पहले सोसाइटी ने जो विकास कार्य कराया है उनको अधिकार है। सोसाइटी ने विकास कराया है और जो करा लिया वह माइनस होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 20 अगस्त, 1981 के पहले सारे का सारा विकास का काम करने की सोसाइटी की जिम्मेवारी है, जिन्होंने जमीनें बेची हैं उनकी जिम्मेदारी है। आज जे. डी. ए. 25/- प्रति वर्ग गज किस बात के ले रहा है? जे. डी. ए. ने सोसाइटी से लिया हो 20-8-81 के बाद तो सोसायटी है नहीं, एक भी नहीं है। यह झगड़ा है 20-7-81 के पहले का साबित होता है, तो फिर विकास शुल्क ले नहीं सकते और वह भी बिना काम किए। नियमों में प्रावधान है राज्य सरकार ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि पहले जे.डी.ए. विकास के कार्य करे और जे.डी.ए. विकास कार्य करके फिर लोगों से ले। उसकी प्रोसी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कीमत नहीं लेगी बल्कि सरकार चौथाई रकम लेगी 6 महीने बाद, फिर चौथाई 6 महीने बाद और फिर चौथाई 6 महीने बाद यह सरकार ने खुद ने किया है कि चार वार्षिक किश्तों में लेना चाहिए जे.डी.ए. एक मुश्त किस बात पर ले रही हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर कहता हूं कि यदि नियमानुसार है तो नियमें में लिया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जे. डी. ए. को एक मुश्त लेने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय पर आइए । यह बहुत लंबा विषय कर दिया आपने ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यों तो विषय का कोई अन्त नहीं है । यह राजस्थान का मसला है कोई जयपुर का मसला नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, यों तो मेरे कोटपूतली में भी है, आपने विश्वास दिलाया था कि 3बजे डिबेट खतम हो जाएगी, यों तो 4-5 बज जायेंगे ।

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। माननीय सदस्य बार बार इस बात के लिए चिन्ता व्यक्त कर रहे है । आज जो मांग है, राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रांत है और काफी माननीय सदस्य इसमें अपने अमूल्य सुझाव देंगे पांच बजे प्रेस गैलेरी में भी लोग रहते नहीं है, जीरो हावर काफी समय से चल रहा है जो 3 बजे समाप्त हो जाय, घंटे भर तक उसके बारे में डिस्कशन हो जाय. शून्य काल तो...

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव है यह विषय तो बड़ा इम्पारटेंट है आज पूरा नही हो तो इसको मण्डे को रख दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है। आज सिर्फ नियमन की छूट और उनका नियमन नहीं करना है । नियमों में छूट ले लें, उसका नियमन नहीं किया गया, यह यह विषय है, यह एक पाइंट है । इसका अलग से आप नोटिस देना उस पर अलग से कार्यवाही की जाएगी ।

श्री पंकज पंचोली : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का प्रावधान है समय देने का ।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग विषय है, जैसा आपने सुझाव दिया वह अलग से आप रख देना ।

श्रीमती कमला : माननीय मेम्बर लोग जाना चाहते हैं दो दिन की छुट्टियों के लिए मीटिंग तो केंसिल हो गई ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो पाइन्ट है वह सारे राजस्थान से संबंधित है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यही तो कह रहा हूं कि यह सारे राजस्थान का नहीं है यह एक पाइन्ट है जिस पर आप ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, एक पाइन्ट है छोटा सा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय जे. डी. ए. को 25/- प्रति वर्गगज विकास शुल्क लेने का कोई अधिकार नहीं है यानि आपने काम किया नहीं, और बगैर काम करे एक पठानी ब्याज 24% ले रहे हैं। मेरा निवेदन करना यह है; उपाध्यक्ष महोदय, यदि अवाप्ति से भूमि को अलग करना है, मैं निवेदन करना चाहता हूं 10-10-79 को, 10-10-72 को जमीन अवाप्त की गई और आज राजस्थान के मुख्य मंत्री वर्तमान हरिदेवजी जोशी उनकी जमीन भी अवाप्ति में है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर उनकी जमीन भी अवाप्ति में है। जब उनकी जमीन का नियमन हो जाएगा, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के जमीन का नियमन हो जाएगा जे.डी.ए. के कमिश्नर है उनकी जमीन का नियमन हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि आखिर यह भेदभाव क्यों? बाकी जो लोग, गरीब है उनको अवाप्ति का भूत दिखाकर, आज विधायक नगर के आगे, अम्बाबाड़ी के आगे मकान बन गए, जवाहर नगर में, मोती कालोनी में मकान बन गए और इस प्रकार से आपका मालवीय नगर का जो एरिया है उसमें भटनागर साहब मुख्य अभियन्ता का नक्शा पास कर दिया गया। यह भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मास्टर प्लान में एक मुश्त परिवर्तन होना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है कि केवल मात्र जयपुर शहर में पानी बिजली के कनेक्शन पर रोक लगा दी गई। मैं समझता हूं कि यह लोगों का मूलभूत अधिकार है पानी बिजली के कनेक्शन लेना। इसलिए अन्त में निवेदन कर रहा हूं अनुसूचित जाति और जन जाति की जमीनें खरीद ली उनके बारे में मंत्रिमण्डल ने आर्डिनेंस निकाला था।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग चीज है वह इसमें नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उस संबंध में आपने कुछ नहीं कहा, मास्टर प्लान में परिवर्तन एक साथ किया जाय, यह मेरा और उसके लिए कमेटी बनाई जाय, उसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय, यह मेरा निवेदन है। उसके बाद विकास शुल्क जे. डी. ए. को लेने का, 24% ब्याज लेने का अधिकार नहीं है और उपाध्यक्ष महोदय 20-8-81 के पहले जो जमीनें बेचान हो गई हैं उनका नियमन होना चाहिए और यह अवाप्ति की कार्यवाही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयांतर हो गए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक मिनट उपाध्यक्ष, महोदय, मेरा आखिरी निवेदन यह है कि विकास शुल्क की किश्तें चार दफे में राज्य सरकार को लेने का अधिकार है पहले विकास करे जे.डी.ए. और विकास कर देने के बाद कहीं पर यदि विकास हो जाता है, और आखिरकार विकास शुल्क भी अलग अलग है शिवचरण जी माथुर की जमीन है, वहां पर विकास शुल्क लिया जाएगा 11.56 और अन्य प्रभावशाली आदमी हैं वहां लिया जायेगा 4/- और बसंत बिहार जो टौंक रोड पर है उस पर लिया जायेगा डेढ़ रुपया और वह भी जमा नहीं कराये। विकास शुल्क दर भी जयपुर शहर में एक नहीं है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

प्रभावशाली लोगों के लिए विकास शुल्क दूसरा होगा, अवाप्ति से मुक्त किया जाएगा और इस प्रकार जे. डी ए. मैं समझता हूं घोर अन्याय कर रहा है। जो आज इतने सारे नक्शे पास करके के लिये। 14 करोड़ और 30 लाख राज्य सरकार के खजाने में जमा हैं जयपुर का मैं समझता हूं जन जीवन दुखी है, जयपुर का ही जन जीवन दुखी नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान भर की प्राब्लम है। अन्य माननीय सदस्यों को भी आज आखिरकार वेदना होनी चाहिए। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा राज्य सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना करके इस मानवीय समस्या का समाधान निकालें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विकास और आवासन मन्त्री जी

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बोलूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर मेरा स्थगन प्रस्ताव है मैं सरकार से जानकारी करूंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनके बाद मुझे भी अवसर दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह समस्या एक मानवीय समस्या है। मनुष्य की कुछ आवश्यकतायें होती हैं। उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सिर ढकने के लिए मकान चाहिए और यह सिर ढकने के लिए मकान चाहिए इस आधार पर यह समस्या खड़ी हुई है। जयपुर शहर की जैसे-जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई, कुछ तो जयपुरवासियों ने संख्या बढ़ाई उसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई और कुछ आप लोग बाहर से आये उसके कारण वृद्धि हुई। मकान यहां कम, लोग ज्यादा तो लोगों ने फिर मकान बनाना शुरू किया। जमीन खाली थी, मकान बनाने थे, मकान बनाये गये, सोसाइटी बीच में आई। सरकार कुछ व्यवस्था नहीं कर सकी तो सोसाइटी ने यह काम हाथ में लिया तो, उपाध्यक्ष महोदय, सोसाइटी ने क्या किया ? सोसाइटी ने पहले तो जमीन की कीमत ली और जब जमीन बेची तो सोसाइटी कीमत लेकर चली गई और सोसाइटी ने डवलपमेंट चार्ज भी ले लिए यानि जो डवलपमेंट चार्जेज आज सरकार मांग रही है वह सोसाइटी पहले ही ले चुकी। अब सरकार में दम नहीं कि उनसे वसूल करे। सोसाइटी में जो डवलपमेंट का पैसा रखा है वह वसूल नहीं कर सकती, इसका कारण है सोसाइटीज जिनके कब्जे में हैं वे आपके आसपास ही होंगे।

(व्यवधान)

मैं नहीं जानता, किस-किस को आप जानते हों तो मुझे बता देना। यहाँ नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जिनका कब्जा है सोसायटीज में, सोसायटीज पर कब्जा कुछ लोगों का....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप काहे को ध्यान दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसी परिस्थिति में सोसायटी ने पैसा ले लिया, डवलपमेंट चार्जेज ले लिये और कहा मकान बना लो, अगर मकान टूटेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है। इस आशय से लोगों ने मकान बना लिये। अब सरकार की आंख खुली यानी मकान बने, ऐसा नहीं है कि ये मकान कोई जमीन के नीचे बने हों, धरती के ऊपर बने हैं। जहां यू. आई. टी. का स्टाफ रहता था, नगरपालिका का स्टाफ था, जो इसकी व्यवस्था करते हैं कि मकान नहीं बनें। उनकी देख-रेख में, उनकी निगरानी में रहते हुए यह सारे मकान बन गये। मकान बन चुके तो अब समस्या खड़ी हुई। जब मकान बन गये, तब सरकार ने कहा कि हम ये मकान तोड़ेंगे, यानि बने ये तब रोका नहीं, अब बन गये तो तोड़ेंगे। अब जिस व्यक्ति ने कीमत दी, डवलपमेंट चार्जेज दे दिये। अपना पैसा लगा कर मकान खड़ा कर दिया, अब उसका मकान तोड़ेंगे तो हलचल मच गयी। जब चुनाव आये तो उनको कहा बना लो हम नहीं तोड़ेंगे, चुनाव निकल गये तो फिर तोड़ेंगे। फिर चुनाव आये तब कहा अच्छा भई नहीं तोड़ेंगे और फिर चुनाव निकल गये, फिर तोड़ेंगे। जब चुनाव आते हैं तो बनते हैं, और चुनाव हो जाते हैं तब टूटते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जनता का क्या कसूर है। जिस व्यक्ति ने कानून की इजाजत मांगने की कोशिश की कि हम नियम से बनवायेंगे, कानून के अन्दर बनवायेंगे। आप कल्पना करिये कि एक कालोनी में 50 प्लाट हैं और 48 लोगों ने कानून तोड़ कर मकान बना लिये और दो आप सरीखे, जो कानून को मानने वाले व्यक्ति बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? जब आप घर जायेंगे, तो आपकी श्रीमती और मेरी माताजी आपको कहेंगी कि आप अच्छे आदमी हैं, 48 लोगों ने मकान बना लिये और आप घूम रहे हो यों ही, दिखता है कि मकान नहीं बनेगा। आप नेता बने फिरते हो। आपकी सरकार में बड़ी पूछ है। वे जब बात कहेंगी तो आपको लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं क्योंकि आपने नियम की पालना की, आपने मकान नहीं बनाया और जिन्होंने नियम की पालना नहीं की उनका मकान खड़ा हो गया। अब सरकार से मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस जमीन का आप क्या कर सकते हो, मकान तो बन गये आपकी राय से बन गये। आप उसको तुड़वा नहीं सकते। प्रभावशाली लोगों के मकान बन गये। जैसा माननीय गिरधारीलालजी ने कुछ लोगों के नाम लिये और पुष्पाजी अभी और नाम बतायेंगी, जिन जिन ने मकान बनाये हैं आप उन मकानों को तोड़ सकते नहीं। यह काहे की नाटकबाजी है। क्यों आप लोगों को परेशान करते हो। फिर आपको पैसा चाहिए था तो आपने कहा अच्छा भई तुमने जो बना लिये सो बना लिये अब तुम इसके पैसे जमा करवा दो। उसकी लीज फिक्सड कर दी एक तरफा बिना किसी से पूछे, बिना सलाह किये कि हम यह रेट आपसे लेंगे, और रेट लगे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लेंगे आप तो पैसे जमा करवा दो। तो लोगों ने कहा साहब नोटिस दे दो कि इसका इतना पैसा जमा करवाना है। आप हमको यह तो बतायें कि कितना पैसा जमा करवा दें किस बात के कितने कितने करायें। वे बोले हम नोटिस-वोटिस कुछ नहीं देंगे। तुम जो समझते हो उतने ही जमा करवा दो। आज आपने ऐसा कहीं दुनिया में राज देखा है कि तुम जो उचित समझते हो वह जमीन नाप करके पैराफिरी का टैक्स, डवलपमेंट चार्जेज यह सब मिला करके पैसे जमा करवा दो। इतना पैसा जमा करवाने के बाद भी तुम्हारा नियमन करते हैं या नहीं, हम चाहें उसको पैसा वापस दे देंगे। 10 साल बाद, 20 साल बाद जिनको नहीं देना चाहेंगे उनका नियमन कर देंगे। तो लोगों ने उस डर जो तलवार लटक रही थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ लोग थे जिन्होंने ये मकान बनाये। 50-50 या 150 वर्ग गज के जो मकान बनाये होंगे उसमें कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं होंगे, उसमें मुक्तिलालजी मोदी का मकान नहीं हो सकता, उसमें कोई बकोलिया जी का मकान नहीं हो सकता, मामूली साधारण तबके के लोग होंगे।

एक माननीय सदस्य : आरोप लगा रहे हैं मुक्तिलाल जी पर।

श्री भंवरलाल शर्मा : आरोप नहीं, हैसियत बता रहा हूं हैसियत बता रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं क्या? तो ऐसी स्थिति में उन गरीब लोगों से आप क्या चाहते हैं किस बात का पैसा लेना चाहते हैं? उन्होंने मकान बना लिये उसकी कीमत दी है, उन्होंने कीमत दी है, मुफ्त में नहीं बनाये एन्क्रोचमेंट नहीं किया है। अब उनसे किस बात का पैसा लेना चाहते है और आपने जो जमीन की कीमत मांगी वह दे दी, उसके बाद डवलपमेंट का पैसा किस बात का लेना चाहते हैं पैराफरी चार्जेज दो, अमुक चार्जेज दो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कानून के ज्ञाता हैं इसलिए एक बात और कहता हूं वर्तमान में इस राजस्थान के अन्दर यह जो कानून है इस कानून के रहते हुए कोई जमीन का कन्वर्जन नहीं कर सकते। या तो इन सब को अमेन्ड करो। सारे कानून, मास्टर प्लान का एक्ट, टिनेन्सी एक्ट आदि आदि जितने कानून जमीन से संबंधित हैं जब तक उनमें आप संशोधन नहीं करेंगे तब तक आप यह कुछ नहीं कर सकते। आप यह जानते थे, यह सरकार भी जानती थी कि इन नियमों के रहते हुए यह कन्वर्जन नहीं हो सकता फिर भी आपने पैसे ले लिये और आप जानते थे कि कन्वर्जन नहीं कर सकते उसके बाद आपने पैसे ले लिये। इससे ज्यादा चीटिंग और क्या हो सकता है। वे सौदा कर लें और उसके पैसे ले ले जिनका आप कुछ नहीं कर सकते यह जानते हुए कि आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद आप पैसा लेते हैं। It is a clear case of cheating.

श्री मुक्तिलाल मोदी : जिन्होंने शो रूम बना लिये कॉमर्शियल परपज के लिए, और चीजें बना ली जिससे सरकार को करोड़ों रुपयों की आय हो सकती है। एग्रीकल्चर जमीन पर शो रूम बना लिये और आज भी बन रहे हैं आज भी बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मोदी जी, कृपया बैठिये।

131

श्री भंवरलाल शर्मा : सुनिये, मोदी जी....

श्री मुक्तिलाल मोदी : सारे के सारे लोग हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के नहीं सारे लोग शामिल हैं इसमें असत्य बात नहीं कह रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें न तो मेरे आदमियों का सवाल है। न दूसरे आदमियों का सवाल है मैं नहीं कहता कि उसमें कांग्रेस के लोग हैं। यह तो गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास पिपुल, वे चाहे इनके हों या मेरे हों वे इस प्रदेश के नागरिक हैं। यह उन्होंने अधिकार प्राप्त किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो काम आप नहीं कर सकते हैं जिनके आप यह कन्वर्जन नहीं कर सकते तो आपको उनसे पैसे लेने का अधिकार क्या है ? पैसा तो ले लिया अब इसमें संशोधन किया जाय वह आप कर नहीं सकते तो आप कौन से अधिकार से कन्वर्जन करेंगे। आप उनको न ब्याज देंगे जो आपने पैसे ले रखे हैं। जयपुर की जनता आज परेशानी पड़ गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह पैसा क्यों रखा रखा है। आपकी नियत कन्वर्जन करने की है और अगर नियत नहीं है तो पैसा रखने का अधिकार नहीं है। यदि नियत है तो कन्वर्जन क्यों नहीं करते हैं आप। कौन सी परेशानी आ रही है ?

एक माननीय सदस्य : थोड़ा शोर्ट करवा दें साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको जब चेयर बोलती है तब तो आप शोर्ट करते नहीं है तब तो खूब बोलते हो और आज आप कह रहे हो कि शोर्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं शोर्ट ही कर देता हूं इसको।

आप जवाब देते वक्त यह बतायें कि आप किस बात के पैसे लेना चाहते हैं। जमीन के मालिक आप नहीं, जमीन की मालिक सोसायटी थी उन्होंने खरीदी पूरा पैसा देकर, जो मांगे उतने ही दिये। बल्कि यह और किया आपने कि अगर किसी को 300 गज दिया है, सोसायटी ने और कहा कि हमको कुछ प्लाट्स और चाहिए इसलिए हम कम करेंगे। वह कम अभी कर दिया और पैसे नहीं लौटाये। आज जो लुटा हुआ आदमी है, सब तरफ जिसको लूटा आपके रहते हुए, आपका राज रहते हुए जनता को सोसायटी ने लूटा, आपके कर्मचारियों ने मकान बना उस वक्त इल्लीगल बना रहे थे उस वक्त लूट लिया, उसके बाद सबके बाद आपने लूट लिया। यह अली बाबा चालीस चोरों ने लूट लिया इनको। अब इन गरीबों से क्या चाहते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि यह पैसे तो उनको लौटाइये। अगर आपकी बिल्कुल नियत आ ही गयी है यह पैसा हड़प करने की तो हड़प करके कम से कम रेगुलर तो उनको कर दो। यह तो ठीक है ना मोदी जी। तो यही कर दीजिये। मैं इतना ही चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। विकास एवं आयोजना मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय।

:(व्यवधान):

श्री उपाध्यक्ष : आपका समाधान किया जायेगा, ध्यानाकर्षण में आपका नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, बात सुन लीजिये। आप नहीं बोलने देते हैं मत बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

मेरा स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिए गया था, अब मंत्री महोदया सामने बैठी हैं जानकारी देने लिए, फिर मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर जानकारी कैसे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें।

सुश्री पुष्पा जैन : फिर भेजा क्यों जानकारी के लिए ? क्यों भेजा ?

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी के लिए गया, जानकारी तो आ जायेगी, आप प्रश्न पूछ लेना, आप प्रश्न के टाइम में पूछ लेना।

सुश्री पुष्पा जैन : जानकारी कहां से आयेगी, जानकारी तो मंत्री महोदया से आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या आप प्रश्न के टाइम पूछ लीजिये। प्रश्न होगा तब मैं टाइम दूंगा। शंका समाधान के लिए टाइम दूंगा आपको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये। दो तारीख को मेरा स्थगन प्रस्ताव गया था जानकारी के लिए और एक बार विषय आ जाने के बाद दुबारा बोलने नहीं देंगे आप।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी के लिए गया है। जानकारी आयेगी तब शंका का समाधान कर सकेंगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या एजेन्डा में नहीं है, जो कार्य सूची में नहीं है उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता।

सुश्री पुष्पा जैन : बोलना तो हमें है ही।

श्री उपाध्यक्ष : तब आप शंका समाधान कर लेना। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जयपुर शहर की जिस आवासीय समस्या का जिक्र किया और कुछ विसंगतियां, कुछ दिक्कतें पेश कीं और नियमीकरण की अपेक्षाएँ की हैं। इस संबंध में कोई दो राय नहीं है कि जयपुर शहर में आवास की समस्या बहुत गहन हुई और वह समस्या क्यों होती गयी, यह भी आप और हम सब जानते हैं कि जितना दबाव आबादी का बढ़ा है और जितनी बसने की व्यवस्थायें वांछित थी उसके मुकाबले में स्थानीय संस्थाओं को उसके बराबर में व्यवस्थायें करनी चाहिए थी वह समय रहते हुए नहीं की गयी। इन्सान की जो आवश्यकतायें हैं वह तो रुकती नहीं हैं और कानून के दायरे से बाहर भी जहां सम्भव होता है, उसकी कोशिश करता है कि वह अपनी इस समस्या को हल करे। यह वास्तविक है जिसको जेन्युअन समस्या कहते हैं। इसके साथ कुछ समस्यायें भी जुड़ गयी जो सोसायटी की थी। जब आम आदमी की मांग बढ़ी तो बहुत सी सोसायटीज ने उसको व्यापार बनवाया और उन्होंने बहुत सारी कृषि भूमि अलग अलग लोगों से खरीदकर उनके भू-खण्ड काटकर उसका लाभ उठाने की दृष्टि से या लोगों की जरूरत थी उसकी पूर्ति की दृष्टि से सोसायटी गठित की और उस काम को आरम्भ किया।

(श्रीमती कमला)

मुख्य मुद्दा यह है कि बढ़ती हुयी आबादी के प्रेशर के साथ में भी लोगों को बसाने का इतना सरल स्वाभाविक और स्वतः ही आबादी के बढ़ते हुए दौर को देखते हुए आगे से आगे बनाते चलें तो इस तरह की दिक्कत नहीं होती। लेकिन चूंकि यह समय के साथ नहीं चली इसलिए बहुत सारी समस्यायें एक साथ इकट्ठी हो गयी। गैर कानूनी बहुत सारे अनधिकृत मकानात भी बने, प्लाटस पर कब्जे भी हुए बहुत सी सोसायटीज बनीं, कई समस्यायें इसमें खड़ी हुयी आखिर जब बहुत समस्यायें इकट्ठी हुयी तो राज्य सरकार ने निर्णय किया कि आबादी की इस मांग को हम ना नहीं कर सकते कि इस नयी बसावट की जरूरत है। जब ना नहीं कर सकते हैं तो यह जरूरी है कि आज जो अनधिकृत कब्जे हो चुके हैं, अनधिकृत निर्माण हो चुके हैं या जो होने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं उनको सरकार तोड़े या उनको हटावे या नये सिरे से क्लीन स्लेट बनाने की चेष्टा करे। यह न उपयोगी था, न वह सम्भव था, न वह करना चाहिए था। इस दृष्टि से राज्य सरकार ने इसकी चर्चा की और चर्चा के बाद में बहुत सारे मुद्दों को ध्यान में लेकर के कि किस किस तरह की स्थितियां हैं, इन स्थितियों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जहां वह कब्जा कर चुके हैं उनको नियमित करने के लिए रूपान्तरण करने के लिए नियमों में कुछ रिलेक्सेशन किये, कुछ नियमों को बदला भी और कम से कम पचासों परिपत्र इस आशय के जारी किये। इस बिन्दु पर सरकार की मंशा ऐसी है, इस बिन्दु पर सरकार की मंशा ऐसी है, अगर यह स्थिति है तो ऐसा किया जाय और अगर यह स्थिति है तो ऐसा किया जाय। इसलिए सारे प्रावधान करने के बाद उनका स्पष्टीकरण करने के लिए भी काफी कुछ हिदायतें दी गयी और उसके तहत जे.डी.ए. को कार्य करने के लिए और जे.डी.ए. के तहत में कलेक्टर के तहत में कुछ अधिकारी जो भूमि रूपान्तरण के थे उनको लगाया गया, काम प्रारम्भ हुआ और बहुत सा काम अलग अलग एरियाज में बांटकर के उन्होंने काफी मात्रा में शुरू भी किया। उन्होंने अब तक जो हाऊसिंग सोसायटीज की योजनायें थी, जो 74 हजार 571 कुल आवेदन आये हैं उसमें लगभग 70 हजार 332 प्लाट के जो आवेदन थे वह सोसायटीज के थे। उनमें से उनको विचार करके जो स्वीकृत किये गये हैं 38, 464 किये गये और जो योजनायें अस्वीकृत की गयी हैं उनके भू-खण्डों की संख्या 19,783 है। जो अभी विचाराधीन हैं उनकी संख्या 12085 है। निजी लोगों ने जो आवेदन किये हैं उनकी कुल संख्या 4239 थी उनमें से स्वीकृत 1985 किये गये, विचाराधीन अभी 2254 हैं, खारिज किसी को भी नहीं किया गया। यह जो जे. डी. ए. के स्तर पर काम किया गया है उसके अन्तर्गत जो अतिरिक्त कलेक्टर और उनके साथ कुछ एप. डी. ओ. को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया, उन्होंने अपने स्तर पर कुल भू-खण्ड जिनकी जांच पड़ताल करके निर्णय किया 46012 और जो स्वीकृत किये गये उसमें 17,608 हैं और जो अस्वीकृत किये गये वह 28,404 थे। इनमें से 13,732 प्लाट्स ऐसे हैं कि जिनके लिए जे. डी. ए. ने यह कहा गया लिखकर दिया कि ये फलां फलां कार्य के लिए सुरक्षित हैं

(श्रीमती कमला)

इसलिये यहां पर आवासीय व्यवस्था को एप्रूव नहीं किया गया। बस्तियों को एप्रूव नहीं किया गया। बाकी अलग अलग कारणों से खारिज किये गये हैं। उसमें विशेष तौर से कुछ तो ऐसे हैं जैसे आम तौर पर यह कहें कि 50 प्रतिशत से ज्यादा या दो प्रतिशत से अधिक जिन आबादियों में या योजनाओं में पैसा जमा कराया जा चुका है उसको नियमित कर दिया जाय लेकिन बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जिनमें कि यह बहुत सारी बातें हैं जो आवश्यक हैं। उनको माना नहीं है। इसलिए बहुत सारी अस्वीकृत हुयी। ऐसी योजनायें जिनमें 2 प्रतिशत से कम सदस्यों ने भूमि रूपान्तरण शुल्क जमा कराया इस तरह की 60 हैं। योजनाओं का मानचित्र गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, ऐसी 94 हैं औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित भूमि होने के कारण आवासीय बस्ती एप्रूव नहीं हुयी ऐसी 38 हैं। गैर आवासीय क्षेत्र में योजना होने के कारण 53। सैक्टर नं 9 और 10 के री प्लानिंग से प्रभावित भूमि में होने के कारण जो एयरपोर्ट का एक्सपन्शन आदि में 25, विद्याधर नगर योजना में होने के कारण, बहुत से विद्याधर में थी। विद्याधर के अन्दर चूंकि गवर्नमेंट के लेवल पर टेकअप हो रही है इसलिए इसमें कोई समितियों को इजाजत नहीं है इसमें कुछ लोगों ने दिया था, वे 18 हैं। लाल कोठी योजना में होने के कारण 10। ये ऐसी हैं कि जे. डी. ए. कहता है कि हमने पहले जमीन ले रखी है एक्वायर कर रखी है, इसमें समितियां कह रही हैं कि हमारी है, 10 ऐसी हैं। हवाई अड्डे के विस्तार में होने के कारण 15, बाढ़ ग्रस्त सम्भाव्य क्षेत्र में होने के कारण 14, राजस्थान आवासन मण्डल के लिए निर्धारित, होने के कारण से 15, इस तरह से 322 जो योजनायें हैं जिनमें भू-खण्ड बहुत सारे हो सकते हैं। शायद यह जो हैं, वो है। उनको एप्रूव्ड अभी तक नहीं किया गया है या अस्वीकृत किया गया है। जो विचाराधीन योजनायें हैं उनमें कुछ योजनायें ऐसी है, 52 ऐसी हैं, जिनके लिए सम्बंधित गृह निर्माण सहकारी समितियों को संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हैं। नोटिस जारी किये हैं अखबारों में भी निकाला गया और एक बार नहीं दो बार अखबारों में दिया। लेकिन बहुत सी सोसायटी या मैम्बरान हैं वह उनके नक्शे एप्रूव कराने नही आते हैं तो इस तरह से सोसायटी को आगाह करने के लिए या काम कराने के लिए यदि हम लोग भी कुछ तकाजा करें तो बहुत सारी सोसायटी या प्लेट इसमें निकल सकते हैं। 380 ऐसी योजनायें बकाया हैं जिनके बारे में पूरा विवरण और मानचित्र है वह सोसायटी ने या मैम्बरान ने नहीं दिया है तो अधूरी सूचनाओं के अभाव में बहुत सारी पैंडिंग है। इसलिए इस तरह की जो स्थिति है इसमें कुछ तो सोसायटी की तरफ से, कुछ मैम्बरान की तरफ से यह भी है कि बैठे हैं, मकान भी बना रखे हैं रह भी रहे हैं क्या जरूरी है हाजरी जाकर दें बहुत से सोसायटी के कारण नही जा रहे हैं, ऐसे भी हैं। सोसायटी जिनके नाम से थी सोसायटी से चले गये, बेनामी थी या खत्म कर दी उसको कोई चिन्ता नहीं तो उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नही है। इस तरह की स्थिति है दो तीन केटेगरी ऐसी हैं, जिससे एप्रूव करने में असमर्थ हैं, उनका पूरा विवरण नहीं होने के कारण और शर्तें पूरा न

(श्रीमती कमला)

होने के कारण है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय जिनको रिजेक्ट किया गया है सोसायटी को भी बहुत कम निजी लोग हैं जिनको आपत्तियां होंगी लेकिन बहुत सी सोसायटी हैं। जैसे सरकार का यह साफ निर्देश हैं जहां आवासीय योजनायें बन रही हैं उस योजना में सहकारी समितियां भी हैं और जे. डी. ए. और आवासन मण्डल भी है और एक्वीजिशन के नोटिस के स्टेज पर भी आयी हुई हो और काम दोनों का एक ही हो तो सोसायटी को छोड़ देना चाहिए आवासन मण्डल और जे. डी. ए. उसमे मे विघड़ा होने चाहिए लेकिन किसी किसी मामले में दोनों आपस में पड़े हुए हैं कि यह जमीन तो हम लेंगे, हम करेंगे। आवासन मण्डल कहता है हम लेंगे हम करेंगे। सोसायटी कहती है हमने पहले ले रखी है, शुल्क जमा करा रखा है इस तरह सरकार के निर्देश हैं उनके विपरीत आप करते हैं। तो बहुत मे फैसले कुछ ऐसे हुए हैं उसके कारण भी लोगों में रोष हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन को ये ये सूचित करना है कि ये जो जन असंतोष है या बहुत सी अनियमितताओं के कारण लोगों को परेशानी है या कुछ लोग अपने निराकरण करने के लिए रास्ता ढूंढ़ना चाहते हैं तो वैसे सरकार के पास में अधिकार पहले से था कि वह इस तरह के मुद्दे हैं तो उनको बुलाकर के देख सकती है, निर्णय कर सकती है। बीच में माननीय राजस्व मंत्री जी ने ये मुद्दा राजस्व मण्डल को ट्रांसफर कर दिया कि यह मुद्दे वह देखें लेकिन राजस्व मंडल के पास में जो विचाराधीन मुद्दे हैं लगभग 18-20 हजार उनमें इनकी सबसे लोएस्ट प्रायरिटी बनती है इसीलिये कभी वे इसका निराकरण कर नहीं सकते थे और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि इन सारे फैसलों में और इतनी परेशानियों से भरे मुद्दे में मैं भी हाथ लगाऊं इसलिये राज्य सरकार ने एक रीवाइजरी आथोरिटी कायम की है जिसमें रेवेन्यू मिनिस्टर की अध्यक्षता में रेवन्यू सेक्रेटरी और ला सेक्रेटरी तीनों को मिला करके कमेटी या आथोरिटी बनायी गई है। इस तरह के मुद्दे जिसमें लोगों को असंतोष है कि यह हमारा व्यवस्थागत काम नहीं हुआ है, अनियमित हुआ है गलत ढंग से खारिज किया है वह इसमें रिवीजन करके रिलीफ ले सकते हैं। बाकी जितने और मामले ऐसे हैं जिनमें व्यक्तिशः इस तरह की योजनाओं में लोग आ नहीं रहे हैं आप भी मेहरबानी करके उनकी डिटेल्स ले करके अगर उनको मोटिवेट करें कि आपने नक्शा पेश नहीं किया तो नक्शा दीजिये आपने विवरण नहीं दिया तो विवरण दीजिये, जिससे आपके केस को फाइनलाइज करें। इसलिए ये जो पैसा दिया हुआ है और इसके तहत में जो कार्यवाही अपेक्षित है उसमें बहुत से मामलों में हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन फिर भी काफी मामले इस तरह से निस्तारित किये है और निस्तारित करने का मत भी है। लेकिन जो शर्तें हैं उनके तहत में अगर कोई दिक्कत है उनमें हम सभी को मिल करके उसमें मदद करने की जरूरत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ये कहा कि ये 25 रुपये जो आपने एक मुश्त शुल्क मांगा है ये किस बात का मांगा है, और एक मुश्त क्यों मांगते हो। एक मुश्त मांगने का प्रावधान नहीं है तीन किश्तों के अन्दर

(श्रीमती कमला)

इसका प्रावधान है लेकिन जो लोग समय निकल जाने पर भी किश्त नहीं चुकाते हैं और कदीम से मकान बना करके बैठे हुए हैं, न विकास शुल्क दे रहे हैं, न नक्शे पास करा रहे है उनको नोटिस देनी पड़ी है। आप एक मुश्त जमा करायें। इसीलिये इसमें कहीं हार्डशिप ओरिजिनल प्रावधान में नहीं है लेकिन जो डी-फाल्टर्स हैं उनके ऊपर जरूर सख्ती बरती गयी है। दूसरे, माननीय सदस्य ने कहा कि अनधिकृत बस्तियां जो हैं उनमें नल बिजली बन्द कर दिया है, वहां रहने वाले लोग किस तरह से जियेंगे। पहले एक बार इसको बन्द किया था लेकिन अभी काफी समय से इस तरह की बस्तियों में नल बिजली बराबर दिए जाने का प्रावधान है। जो लोग वहां रह रहे हैं उनको हार्डशिप नहीं हो हालांकि वे अनधिकृत रूप से रहते हैं। फिर भी उसका प्रावधान किया हुआ है जहां तक सरकार यह किस बात का पैसा ले रही है तो कानून का पैसा ले रही है और तो कोई बात नहीं है। कन्वर्जन के लिए जो कानून बना हुआ है और उसके तहत जो दरें निर्धारित हैं, वही ले रही है। कोई गैर कानूनी चीज सरकार नहीं ले रही है। तो यह बहुत सी बातें हैं जो आम तौर पर अखबारों में भी, विधान सभा में भी, वहां जन प्रतिनिधियों के माध्यम से भी उठाती रहती है। उनका एक थोड़ा सा विवरण मैंने आप के सामने प्रस्तुत किया है लेकिन इस समस्या को निपटाने में आप और हम सब इसमें जहां-जहां भी मदद कर सकते हैं करें हम अपने स्तर पर करेंगे और आप अपने स्तर पर करेंगे तो बहुत कुछ निराकरण संभव हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव। प्रश्न कर्ता जिन्होंने ध्यानाकर्षण किया था।

श्रीमती कमला : एक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा था कि कुछ बड़े बड़े लोगों ने अपने आने से सम्बन्धित बस्तियों को रेगुलराइज करा लिया है और कुछ सामान्य तौर पर हो जानी चाहिये थी वह नहीं हुई है तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सी ऐसी हैं जिनका होना है उनमें विलम्ब भी हो रहा है और उनको भी रेगुलराइज होना जरूरी है लेकिन जो खास तौर से....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस विषय को आप न छेड़ें। बहुत से लोग बोलेंगे। जैसा आप सफाई दे रही हो कुछ लोगों के बारे में—

श्रीमती कमला : सफाई नहीं दे रही हूं मैं तो वस्तुस्थिति ही कह रही हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : छेड़ेंगी तो कई लोग बोलेंगे....

श्रीमती कमला : बोलें तो उसमें हर्ज क्या है, मैं अगर नहीं बोलूंगी तो आप कहेंगे कि मैंने इसका कुछ बताया नहीं।

श्री नाथूसिंह : के.के. भटनागर, उनके पी. ए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, ये क्या बात है? कृपया बैठ जायं आप।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्रीमती कमला : ऐसा है कि मैं अगर जानकारी दो और वह नहीं बताऊंगी तो आप कहेंगे कुछ बताया नहीं। मैं तो आपको जो मेरे को जानकारी मिली है, वह बताना चाहती हूं। यह जिस सोसाइटी के बारे में आपने विवरण दिया उसी तरह से कुछ और सोसाइटीज की भी जमीनें हैं सेक्टर नं. 9 में, करीब 9 सोसाइटीज हैं जिनकी जमीन शामिल है। इनमें से कुछ सोसाइटी की जमीन ऐसी थी जो एरोड्रम एक्सटेंशन एरिया के अन्दर आ रही थी और इसलिये उन सारी योजनाओं को रोका हुआ था और अभी जो इनकी ए. बी. सी. डी. योजना थी जो कि एयरपोर्ट एक्सपेंशन स्कीम के अन्दर आती है उनको तो कंवर्ट नहीं किया। सिर्फ(ई)ऐसी है जो कि एरिये से बाहर आती है। एक तो उसको कंवर्ट किया है और इसके अलावा लक्ष्मीनारायणपुरी की जो योजना है उसको मंजूर किया है। एक कृष्णापुरी की बन और टू स्कीम्स को किया है....

श्री नाथू सिंह : इनको क्यों किया, क्योंकि इसमें भटनागर और चीफ सेक्रेटरी का मकान लगा हुआ था ?

श्रीमती कमला : उन्होंने ले लिया होगा बाद में कंवर्ट करा के लेकिन ये सिर्फ इसलिये किया है कि वह एयरपोर्ट एक्सपेंशन एरिया का जो रीमार्केशन है उसके बाहर है। बाकी उसकी जितनी योजनाएं हैं सोसाइटी की वह सब एयरपोर्ट एक्सटेंशन में आती हैं उन्हें कंवर्ट कराकर हाथोंहाथ प्लाट ले लिया हो गैर तरीके से ये तो मैं नहीं कह सकती लेकिन 'E' was outside the Airport Extension Scheme.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव। कृपया प्रश्न ही करें। भाषण नहीं। शंका जो है वह।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मंत्री महोदया ने आंकड़ों के जाल में फंसाने का प्रयास किया है यह मेरा आरोप है। सन् 1981 से केवल जयपुर शहर में 148।

श्रीमती कमला : आपने जो आंकड़े दिये हैं वही दिये हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं इस विभाग में काम कर चुका हूं। मुझे मालूम है अब आप मन्त्री हैं आपको इसी प्रकार का उत्तर देना चाहिये, पर बाहर की दुनिया में आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि बड़ी भारी मानवीय प्रोब्लेम है। अब मैं आपकी मजबूरियां समझ रहा हूं बोलने की, क्योंकि आपको तो बोलना था, आंकड़ों के जाल में फंसाना था मैं समझता हूं कि 14 करोड़ रुपये सन् 1981 से जमा हैं। 30 लाख रुपये विकास शुल्क का जमा है। विकास कहीं पर किया नहीं और यह आंकड़ों का जो जाल है ये जे. डी. ए. की जो वार्षिक रिपोर्ट दी है सन् 1984-85 की अभी हाल में प्रकाशित की है, इसमें कहा गया है कि हमारे पास कितने आये, सन् 1981 में हमारे पास आंकड़ों में इस तरह से है। इसमें कहा कि सन् 1981 के तहत 70 हजार अधिक भू-खंडों के नियमन के लिए, प्रार्थना पत्र, रूपान्तरण की राशि जे. डी. ए. को प्राप्त हुई। इस समस्या को सुलझाने के लिए जयपुर शहर को 28 सेक्टर्स में विभाजित कर दिया गया और जहां 50 /. जमा है, 50 /. का कानून कहां से आ गया ? यह

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

आपसे लोगों ने कहा था कि 50% तो जमा करा देना....

श्री उपाध्यक्ष : आप एक-एक प्रश्न कर लीजिये तो शंका का सही समाधान हो सकेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से 22 रुपये प्रति वर्ग गज विकास शुल्क लगाने का अधिकार किस प्रकार से जे. डी. ए. को दे दिया गया। यह मैं समझता हूं कहीं हमारे कानून में नहीं, कहीं कोई नियमों में नहीं; कोई प्रावधान नहीं है और फिर यह कह सकते हैं कि इसमें जिलाधीश जयपुर से कुल 74,467 भू-खण्डों के मामले में प्राधिकरण को प्राप्त हुए। यह चार हजार समथिंग का अन्तर तो मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, यहीं पर हो गया, मैं समझता हूं। इस लिये मेरा निवेदन करना यह है कि कहां पर तो यह 70 हजार और कहां पर 74 हजार की संख्या दी गयी तो मेरा निवेदन है कि 568 योजनाओं में 53.649 प्लाट हैं, सिफारिश कर दी गयी 30,818। 30,818 तो अभी तक कलेक्टर को जो नहीं भेजे गये हैं, वही हैं। मत्री महोदय, यहां पर आंकड़ों का जाल फैला रही है और कलेक्टर को जो सिफारिश की गयी है उस कलेक्टर महोदय ने केवल उनमें से सारी योजनाओं में से 136 योजनाओं में से मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, केवल 548 नक्शे वे कहते हैं कि हमने पास कर दिये, मेरा निवेदन करना है कि 548 नक्शे भी सशर्त पास किये गये हैं। उनमें कृषि भूमि रूपान्तरण पैराफेरी, 25 रुपये विकास शुल्क, नक्शा फीस। एक-एक नक्शे पर 5-5 सौ रुपये प्रतिग्कित जमा कराओ। इस प्रकार के सारे शुल्क लगा दिये। जो मैंने आपको प्रारम्भ में निवेदन किया था वे शुल्क लेने के बाद में भी नक्शा रूपान्तरण, पैराफेरी और विकास शुल्क और ये आपके लैंड कंपाउंडिंग फीस और जारी फीस 500 रुपये। एक प्लाट पर इतनी सारी रकम लेने के बाद भी यह नक्शे पास नहीं है। मेरा आरोप है कि 14.30 करोड़ रुपये जयपुर की जनता से जमा कराने के बाद भी एक भी नक्शा जे. डी. ए. पास नहीं कर सकती है। यह विकास शुल्क लेने का अधिकार कहां पर है और आप कहते हैं कि 25 रुपए लेने के जो नियम बनाये हैं नियमों में कहां प्रावधान है। राज्य सरकार का तीन, अप्रैल का सर्कुलर है कि जिसकी जमीन उस आवासीय योजना में आ रही है उसको भी डी-एक्वायर कराया जायेगा और दूसरी योजना में आ रही है तो उसको भी डी-एक्वायर किया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति की जमीन ली जायेगी तो उसको दूसरी जगह जमीन दी जायेगी। अब दूसरी जगह जमीन दी जा रही है केवल प्रभावशाली लोगों को और फिर से मेरा यह आरोप है कि राजस्थान के जो मुख्य सचिव जो वर्तमान में हैं उनकी जमीन जो पहले अवाप्ति में थी उस भूमि अवाप्ति को डी-एक्वायर किया गया। उनको जमीन दे दी गयी, भटनागर साहब को दे दी गयी। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, फिर से मेरा आरोप है कि राजस्थान के जो वर्तमान में मुख्य मन्त्री हैं इनकी जमीन भी सन् 1979 से अवाप्ति में है।

(व्यवधान)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

हरिदेव जोशी जी ने अपनी भूमि में प्लाट कैसे काट लिया शिवचरण माथुर का और इनका कैसे पास हो गया। मेरा सारा निवेदन करना है कि आखिरकार जो बड़े-बड़े प्रभावशाली लोग हैं उनकी जमीन डी-एक्वायर कर दी जायेगी और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी जमीन अम्बाबाड़ी की है, जो लोगों ने मकान बना लिये, जवाहर नगर का है, एयरोड्रम के जहां पर डी-एक्वायर करने जा रहे हैं वहां पर लोगों ने मकान बना लिया और इसकी रूल्स में प्रावधान है कि जहां पर मकान बन गये हैं 21 अक्टूबर, 81 से पहले उनको जमीनों को मुक्त करना पड़ेगा और उनके मकानों का नियमन करना पड़ेगा पर प्रभावशाली लोगों के लिये तो अवाप्ति की कार्रवाई कुछ है नहीं और यह विकास शुल्क वाली बात के सम्बन्ध में, जो बहन जी बता रही थीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिवचरण जी माथुर की जो लैण्ड है उस पर तो विकास शुल्क ले रहे हैं आप दूसरे प्रकार से। शिवचरण जी माथुर की जमीन पर 11 रुपए 56 पैसे, अन्य जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी जमीन पर चार रुपए प्रति वर्ग गज, बसंत विहार में एक रुपए पचास नए पैसे के हिसाब से ले रहे हैं।

श्री डूंगर राम पंवार : माथुर साहब की बात हो गयी है, मत्था मार कर रह गये।

श्री शोपत सिंह : जमीन किन की है ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इनमें बहुत सारे प्लाट्स कट गये। मेरा निवेदन है कि विकास शुल्क भी जयपुर शहर में अलग-अलग हिसाब से लिया जा रहा है। इसी प्रकार जो सोसायटीज 29.7.81 से पहले की है वह यदि अपना स्वयं का विकास कराना चाहती है तो उनसे विकास शुल्क ले नहीं सकते, जे. डी. ए. को यह अधिकार नहीं है। यह आपके नियमों में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि उनको विकास शुल्क लेने का कहीं पर कोई अधिकार नहीं है :

"All internal development works in the lands owned by the societies will be the responsibility of the housing co-operative societies registered on or before 20-8-1981 in respect of land held by them on such date and will have to be undertaken from their own resources. However, all co-operative societies will have the option to entrust the internal development works to the local bodies or the urban improvement trusts concerned and in cases in which they decide to do so, the actualdevelopment charges would be recovered from these societies by the local bodies."

यह लिखा हुआ है कि 20.7.81 से पहले जो सोसायटीज बनी हुई थीं उनसे आपको विकास शुल्क लेने का अधिकार नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय यह बता दें कि इन्होंने जयपुर शहर में 14 करोड़ 30 लाख रुपया जमा करने के बाद विकास कौनसी सोसायटी में किया। विकास किया बड़े-बड़े लोगों के लिए।

जहां बड़े-बड़े लोग हैं वहां सड़कें बना दीं, नालियां बना दीं और एक पैसा विकास शुल्क का नही लिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रिपीटीशन है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : गरीबों से विकास शुल्क ले रहे हैं इसी प्रकार अवाप्ति की कार्यवाही मनमाने ढंग से कर रहे है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा फिर निवेदन है, अभी जयपुर शहर में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो समय पर बेचारे पैसा जमा नहीं करा सके उनको समय दिया जाय। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जिन्होंने जमीन खरीद ली है उनका मार्गदर्शन किया जाय। मास्टर प्लान में एक मुश्त, बड़े छोटे का भेदभाव मिटाते हुए जमीन को डी-एक्वायर किया जाय। विकास शुल्क लेने का जे. डी. ए. कोई अधिकार नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह बिलकुल × × × असत्य है, आंकड़ों के आधार पर है। मैं आरोप लगाता हूं, जे. डी. ए. अधिकारियों ने, सरकारी अधिकारियों ने तीन अप्रेल का नोटिफिकेशन मौजूद है। कमला जी को तो ताड़ना देनी ही चाहिए जे. डी. ए. के अधिकारियों को कि तुमने हमारे नियमों का पालन क्यों नहीं किया। मैंने जो, मन्त्री महोदय, नियमों का हवाला दिया उनकी बात यहां पर छुपा रही हैं....

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

....मैं समझता हूं, धिक्कारात्मक यह स्टेटमैण्ट है, बिलकुल धोखा और × × × है। राजस्थान की जनता, मैं समझता हूं इसको कोसेगी, जयपुर की जनता कोसेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कायदे से चलिये। कृपया नियमों को पढ़िये। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इतना ही निवेदन करना चाहती हूं....

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स देखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो एक ही बात—

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्तावक। माननीय सदस्य, आप तो पुराने जानकार हैं। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा एक प्रश्न था....

सुश्री पुष्पा जैन : अच्छा, मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है?

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : मन्त्री महोदय एक एक का उत्तर देंगी या एक साथ देना चाहेंगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नल बिजली के कनैक्शन नहीं खुले है, यह बात भी है आज की तारीख में, मैं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रह रह कर कायदे याद करते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कृषि भूमि में मकान आज बने हुए हैं....

श्रीमती कमला : नल बिजली की कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई बस्ती ऐसी हो जहां पर रोक रखी हो तो बता दीजिए, कर देंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कृषि भूमि में जो मकान बने हुए है उनमें आज भी रोक है।

श्री उपाध्यक्ष : भंवरलाल जी।

मुक्तिलाल जी साहब, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिनका है वह बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे चार-पांच सवाल है, या तो आज उनको नोट कर लें।

कल्याणकारी आपकी सरकार है। तो क्या नागरिकों को सुविधायें देना आपका काम नहीं ?

श्रीमती कमला : है।

श्री भंवर लाल शर्मा : है। बस्तियों में जो लोग बस गये हैं वह क्या सैकण्ड क्लास के नागरिक हैं ?

श्रीमती कमला : जी नहीं, फर्स्ट क्लास के।

श्री भंवर लाल शर्मा : इन से आप लेंगे कन्वरजन चार्जेज। आपको क्या करना पड़ेगा ? सरकार को क्या करना पड़ेगा ? क्या मेहनत करनी पड़ेगी ? वह समझा दें जब आप उत्तर दें। आपने कहा कि कन्वरजन हमको करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। तो वह कुछ क्या करना पड़ेगा ? समझाइये। खर्चा करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा जिससे आपको यह उन से वसूली करनी चाहिए। कन्वरजन करके उन से जब पैसा ले लेते हैं इसका मतलब है, वह मालिक बन गये। जब मालिक बन गये तो जैसे और नागरिकों का विकास करती है, एरियाज का विकास करते हैं तो इनकी श्रेणी भी उसी में आ जायेगी। कन्वरजन चार्जेज भी ले रहे हैं और डवलपमेंण्ट चार्जेज भी ले रहे हैं। कन्वरजन के बाद तो वह सामान्य नागरिकों की स्थिति में आ जायेंगे तो फिर उनसे डवलपमेंण्ट चार्ज आप किस बात का लेते हैं ? यह समझाये आप।

श्रीमती कमला : समझाऊं पहले ?

श्री भंवर लाल शर्मा : नहीं, एक साथ बतायें आप। कुछ मामले इसलिए नहीं निपट रहे कि जे डी ए और हाउसिंग बोर्ड का आपस में झगड़ा है। तो इसका निपटारा कौन करेगा ? तीन झगड़े बताये आपने कि सोसायटी, जे डी ए और हाउसिंग बोर्ड का झगड़ा है। तो तीनों का झगड़ा है, या दो का भी झगड़ा है तो यह डिपार्टमेंटस के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बीच में है। उनका विवाद कौन निपटायेगा ? फिर आज खुद फरमा रही हैं कि सोसायटीज फर्जी थीं और पैसा लेकर चली गयीं, नक्शे पास करा नहीं रहीं। उन सोसाइटीज के अन्तर्गत जिन्होंने मकान खरीद लिए उनके नक्शे ....

श्रीमती कमला : कुछ सोसायटीज।

श्री भंवर लाल शर्मा : कौन पास करेगा ? वह सोसायटी नहीं तो इनकी क्या व्यवस्था करेंगे ? इनके नक्शे कहां से पास करायेंगे, यह समझा दें। अन्त में, आपने आपने कहा कि हमने एक रिवाइजिंग अथारिटी बना दी है ....

श्रीमती कमला : आप बीच में मत बोलिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा : रिवाइजिंग अथारिटी बनाई है तो इसने कब से काम शुरू किया, इसकी जानकारी है कि नहीं ? और जो मुख्य बात थी, मैंने आप से कहा था कि प्रदेश के विभिन्न कानून बने हुए हैं रैण्ट राइट से सम्बन्धित, उनके रहते कन्वरजन कर ही नहीं सकते। उनमें क्या सुधार करेंगे, कैसे करेंगे, यह समझा दें।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पुष्पा जी आपका कहना है, आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है। वह जानकारी लिए गया है। तो आप इस पर बोल सकती हैं। या तो उस पर बोल लीजिए आप....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था ....

श्री उपाध्यक्ष : आप आप्शन कर लीजिए कि आप उस पर बोलेंगी या इस पर प्रश्न करेंगी ?

सुश्री पुष्पा जैन : मैं तो बोल लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो उस पर खारिज करके बोलने की इजाजत दी जाती है। पुष्पा जी।

श्रीमती कमला : मैं भवरलाल जी के सवालों का जबाब दे लूं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे आप अवसर देंगे या नहीं, एक बार पूछती हू ? मेरी गाड़ी का टाइम हो रहा है। मुझे पिन्क सिटी से बाहर जाना है ....

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों का इकट्ठे खड़े होना अच्छा नहीं लगता। माननीय पुष्पा जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी गाड़ी का टाइम हो रहा है इसलिए मैं यह व्यवस्था मांग रही हूं। मुझे पिन्क सिटी से बाहर जाना है। दो प्रश्न पूछने हैं मुझे। आपको मालूम है, 5 बजे गाड़ी चली जाती है। मुझे यहां से जाना है।

श्री मुक्ति लाल मोदी माननीय

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

उपाध्यक्ष जी। मैं तो सवाल पूछूंगा, भाषण नहीं दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले यह।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य पुष्पा जी को पुकारा है मैंने।

सुश्री पुष्पा जैन : मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा जब विषय आयेगा मुझे अगली बार बोलने देंगे, यह नहीं कहेंगे कि सदन में विषय आ गया था। मुझे तो जाना है पर बोलने नहीं दे रहे। मेरी गाड़ी का टाइम हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे पिन्क सिटी से जाना है, पिन्क सिटी में बैठना है, मेरी गाड़ी जा रही है। दो प्रश्न पूछना चाहती हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी नाराजगी काबिले बर्दाश्त नहीं है। दो मिनट बैठिये। उजला जी बोलेंगी। उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूं, क्या सरकार ने 90 दिन में नक्शे पास करने का टाइम दिया था? एक बात। पास नहीं होंगे तो नियमानुसार हो जाने चाहिए थे। आपने यह कहा था कि 90 दिन में नक्शे पास कर दिए जायेंगे। दूसरा यह, आप कहती हैं कि हमने कोई नियम नहीं बनाया कि 25 रुपये मांगे हों। मेरे पास प्रूफ है जिसमें कहा है आपने कि विकास शुल्क की राशि जमा करानी पड़ेगी। आप गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्य, समिति की योजना गोविन्द नगर पश्चिम में आपका भूखण्ड 185, क्षेत्रफल इतना....

श्रीमती कमला : एक मुश्त नहीं मांगे, यह कहा मैंने। मांगे नहीं, यह नहीं कहा मैंने।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 25 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से मांगे। न केवल मांगे बल्कि यह कहा कि 15 दिन में जमा करायें। उपाध्यक्ष महोदय, क्या कोई आदमी 15 दिन में शुल्क की राशि जमा करा सकता है? इतनी हैसियत दे रखी है आपने? इतनी महगाई में किसके पास पैसा रखा है? इन दो प्रश्नों का उत्तर आप मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा जवाब पूछकर आप जवाब सुन लेना।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब मैं सुन लूंगा।

पुष्पा जी। कृपया प्रश्न ही कर लें जैसे उजला जी ने किया। 2-2, 3-3 प्रश्न कर लें।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : मन्त्री महोदया, आपने अभी अपने जवाब में कहा

(सुश्री पुष्पा जैन)

कि कुछ अधिकारियों ने, बड़े लोगों ने चलती गंगा में हाथ धो लिए होंगे, प्लाट ले लिये होंगे जब सोसायटीज का नियमन हो रहा था, तो वह कोई खास बात नहीं थी, मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला : मैंने कहा, यह मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने लिए होंगे तो उसका कन्वरजन, यह नहीं कि गैर तरीके से कन्वर्ट कर दिया। मैंने यह नहीं कहा कि गंगा में नहा लिये तो बहुत अच्छा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, ध्यानाकर्षण में यह चीज नहीं आयी है जो चीज आयी है वह लें।

सुश्री पुष्पा जैन : 10 दिन पहले एक स्थगन प्रस्ताव सरकार की जानकारी के गया हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप प्रस्ताव पर ही बोल लेना, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : और कोई मंत्री तो होता शायद मैं नहीं मानती लेकिन आपके जैसी प्रखर बुद्धि मंत्री महोदया, आप से मैं ऐसी उम्मीद नहीं करती थी। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ मन्त्री महोदया यह कहती हैं कि मास्टर प्लान में हवाई अड्डा विस्तार के लिए कुछ जमीन अवाप्त की जानी थी इसलिए उसका आबंटन रद्द कर दिया गया

(4.00 म. प.)

और उसको अवाप्त कर लिया गया। दूसरी तरफ मंत्री महोदया, हवाई अड्डे के विस्तार के लिये जिनकी जमीनों के आवंटन रद्द कर दिये गये थे, जिनका एक्वीजिशन हो गया था, जिनको अवार्ड दे दिया गया था, यू. आई. टी ने जिस पर कब्जा कर लिया था, यू आई टी. के नाम जो जमीन दर्ज हो गई थी उस जमीन को उसके बाद अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया उनका नियमन कर दिया गया। यह किस अधिकार के तहत? क्या इसमें आपको घपला नजर नहीं आता? क्या इसमें कोई षड़यन्त्र नहीं हुआ? क्या किसी अधिकारी ने कानून का उल्लघन नहीं किया?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से कहना चाहती हूं कि न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति, सिद्धार्थ नगर, सैक्टर-9 के मामले में नियमों का उल्लघन हुआ है। यह वह जमीन है जिसका हवाई अड्डे के विस्तार के लिये आवन्टन रद्द कर दिया गया था, जिसका यू आई. टी ने एक्वीजिशन कर लिया सरकार ने एवार्ड दे दिया, यू. आई. टी ने कब्जा कर लिया। लेकिन यू आई. टी. के नाम वह जमीन दर्ज हो गई उसके बाद सारे नियमों को ताक में रख दिया गया। जे. डी. ए. के नगर पिता कहूं या क्या कहूं, श्री के. के. भटनागर ने जो जे. डी. ए. के सर्वेसर्वा बने हुए हैं, जो सारे नगर को लूट कर खा रहे हैं, जिनको आपने अधिकार दे दिया है उस कुर्सी पर बैठाकर, अपने रिश्तेदारों के नाम से प्लाट्स ले लिये। उन्होंने प्लाट्स अकेले नहीं लिये, उन्होंने मुख्य सचिव को कान्फिडेन्स में लिया। मुख्य सचिव को भी प्लाटस दिल-

(सुश्री पुष्पा जैन)

चाये, उनकी पत्नी के नाम पर प्लाट्स दिलवाये, उनके बच्चों के नाम प्लाट्स दिलवाये। और फिर इन दोनों अधिकारियों ने सारी सीमा लांघकर, सारे नियमों का उल्लंघन कर इन जमीनों को अवाप्ति से मुक्त करवा लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया, को एक सोसाइटी का नाम और बताना चाहती हूं लक्ष्मीनारायणपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति, विजय नगर, सेक्टर-9। मन्त्री महोदया, यह जमीन है वह जो विजयसिंह जी को पोलट्री फार्म 10 के लिये दी गई थी। दस साल पूरे हो जाने के बाद इसका एक्सटेंशन नहीं किया गया था। तो लिहाजा जमीन किसकी हुई? जमीन आपने पोलट्री फार्म के लिये दी थी एक लिमिटेड पीरियड के लिये। वह पीरियड जब समाप्त हो गया तो, मैं यह जानना चाहूंगी कि वह जमीन श्री विजयसिंह की हुई या सरकार की? अगर सरकार की तो सरकार ने विजयसिंह जी को खातेदारी राइट्स कैसे दिये, सरकार ने उनके नाम पर एक्वीजिशन का नोटिस कैसे दे दिया? उपाध्यक्ष महोदय, विजयसिंह जी को लैण्ड एक्वीजिशन का नोटिस दे दिया। उनके नाम खातेदारी नहीं थी लेकिन 1982 में उनको खातेदार बना दिया गया। उनके नाम एक्वीजिशन का नोटिस आपने इसलिये भेजा ताकि वह मुआवजे के हकदार हो जायें। लेकिन उसके बाद श्री के. के. भटनागर और मुख्य सचिव श्री आनन्द मोहन लाल जी ने साजिश रची कि मुआवजा काफी नहीं है, इसको टुकड़ों में प्लाट्स बनाकर यदि बेच दिया जाय तो तुम करोड़पति हो सकते हो, हमें तो सिर्फ कुछ प्लाट्स ही देने पड़ेंगे। लिहाजा उनको खातेदारी राइट्स दे दिये गये 1982 में। 1981 में पहले के खातेदारी राइट्स होने चाहिये थे, क्या यह नियम नहीं था? यह रजिस्टर्ड होने चाहिये थे, क्या यह नियम नहीं था? एग्रीमेंट प्रिपेयर्ड होना चाहिये था, क्या यह नियम नहीं था? लेकिन सारे नियमों को ताक में रखकर आखिर वह जमीन अवाप्ति से मुक्त हुई....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

तो मैं जानना चाहती हूं मन्त्री महोदया, कि आखिर किस अधिकार के तहत हुई? क्या श्री के. के. भटनागर से आप इस सवाल का जवाब नहीं पूछेंगी? क्या इस मामले कि जांच नहीं करवायेंगी? अगर जांच नहीं हुई तो आज भी वह जे. डी ए. के आयुक्त क्या घपला नहीं करेंगे? जे. डी. ए. के उच्चाधिकारी इस तरह के घपले कर रहे हैं और जे. डी. ए. से गरीबों की जमीनों का नियमन नहीं हो रहा है, उनके साथ धांधलेबाजी हो रही है वह बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मन्त्री महोदया, मैं बताना चाहती हूं कुछ सोसायटीज ऐसी भी हैं जो आज 17-17 साल से रजिस्टर्ड है, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हैं उसके बावजूद उनकी अवाप्ति से मुक्त नहीं किया गया है, उनका नियमन नहीं किया जा रहा है। आज लोग निराश हो रहे हैं, उन पर बिजली-पानी का प्रतिबन्ध लगा रखा है। लोगों ने अनजाने में प्लाट्स ले लिये, गरीब लोग हैं। जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनको जमीन का राइट नहीं दिया जा सकता, उनकी जमीनों को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन जमीनों को रेगुलराइज कर दिया चुनांचे मुख्य सचिव खुद....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति, सिद्धार्थ नगर, सेक्टर 9 में 2 भू-खण्ड श्री के. के. भटनागर ने नम्बर 18 व नम्बर 19 अपने सुपुत्र श्री दीपक भटनागर के नाम से ले लिये, प्लाट नम्बर 20 श्रीमती सुधा भटनागर धर्मपत्नी श्री के. के. भटनागर के नाम से ले लिया तीनों भू-खण्ड 820 वर्ग गज के हैं। भटनागर साहब ने एक भू-खण्ड और न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति में मोती डूंगरी के पीछे लिया है और बदले में उन्होंने प्लाट्स काटने का अधिकार दे दिया....

(व्यवधान)

आदरणीय मोदी साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप कृपया मुझे बोलने दें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : इसके साथ साथ आनन्द मोहनलाल जी ने जो इस राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हैं बहती गंगा में हाथ धो लिया। प्लाट नम्बर 67 श्रीमती सरोज लाल धर्मपत्नी श्री आनन्द मोहनलाल, प्लाट नम्बर 68 आनन्द मोहनलाल ने अपने नाम ले लिया। यह 850 वर्ग गज के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पास जहां इन्दिरा प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है, प्लाट नम्बर 39 जो 465 वर्ग गज का दिखाया गया है वास्तव में 650 वर्ग गज का है। यह भू-खण्ड भी श्री आनन्द-मोहनलाल जी ने अपने नाम से ले लिया। यही नहीं श्री के. के. भटनागर ने अपने भाई जो पंजाब की सर्विसेज में हैं, श्री पूनम भटनागर के नाम से प्लाट्स ले लिये। मन्त्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आप इस बात की जानकारी करेंगे कि आखिर इन सारे प्लाट्स का पैसा इन दोनों अधिकारियों ने कहां से चुकाया, कैसे चुकाया ? क्या कोई विवरण उनके हिसाब में....

श्री सी. पी. जोशी : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

व्यवस्था का प्रश्न

पूर्व सूचना दिये बिना अधिकारी पर आरोप

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल 273 के अन्तर्गत किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाने से पहले लिखकर देना आवश्यक है, मैं अपनी जानकारी के लिये चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्या ने चैम्बर को राइटिंग में लिख कर दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं दिया है।

सुश्री पुष्पा जैन : दिया है दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रस्ताव आया है। मैंने इनको कहा है, कृपया व्यक्तिगत तौर पर आरोप नहीं लगाये। मैं मानता हूं कृपया....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): Do not try to save the culprits.

श्री सी. पी. जोशी : I do not try to save any culprit.

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायें।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री सी. पी. जोशी : मैं भी आपके कहने से नहीं बैठूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने कुछ ले लिया गया होगा इसलिये बकालत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायें यह नियमों में है, मैं मानता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस तरह का स्थगन प्रस्ताव दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं मिल ली हूं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन से नियमों में लिखा हुआ है कि सरकारी आफिसर के खिलाफ आरोप लगाने से पहले सूचना दी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तिगत आरोप लगाने....

श्री भैरोंसिह शेखावत : कौन से नियमों में है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल होता है, नियमों में भी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नियम मुझे याद है, आप बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : नियम आपने भी देखें हैं और मैंने भी देखें है....

श्री सी. पी. जोशी : रूल 273 है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नियम आपने भी देखें हैं, और मैंने भी देखें हैं....

(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला 'राजस्थान पत्रिका में पहले आ चुका है....

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकारी आफिसर नहीं हैं हम पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी वजह बतायी है। 19-2-84 को भूखण्ड लिये गये हैं लेकिन भूखण्ड अगस्त, 1981 से पहले दिखा दिये हैं। किस लिये ? क्योंकि 1981 से लेकर....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर !

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : किस बात का पाइन्ट आफ आर्डर ?

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह हर वक्त पाइन्ट आफ आर्डर उठा देते हैं, क्या उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : दोषी लोगों को बचाने के प्रयास को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : यही भटनागर साहब जनता पार्टी के राज में थे तब तो वह अच्छे थे और अब गलत हो गये। इतने दिन तो ठीक थे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इनका पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह पाइन्ट आफ आर्डर उठा ही नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह उठा सकते हैं। He cannot raise it. hear me.

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, उठा सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो बोल रही हैं उसके लिये पहले नोटिस दिया हुआ है। यह आपत्ति उठा ही नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह उठा सकते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्यों नहीं उठा सकते हैं यह सुनिये आप कि क्यों नहीं उठा सकते हैं।....

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है अन्डर रूल 273।

सुश्री पुष्पा जैन : जोशी साहब, मुझे दो मिनट बोलने दें मैंने नाम दे रखा है।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : आप तो उनसे मिले हुए हैं।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय. I want to quote Rule 273 : "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of reply."

मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है वह अफसर अच्छा है या बुरा है इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जनता पार्टी के राज में क्या होता था यह भी जानता हूं....

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अरोप नहीं लगा रहे हैं यह तो सूचना दे रहे हैं जो तथ्य हैं। आरोप तो वह होते है जिसमें आपकी पुष्टी करनी हो। यह जो नाम बतला रही हैं कि जिन लोगों ने वहां पर प्लाट खरीदा है या उसमें जिन लोगों को खरीदना बाकी है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों को चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में भ्रष्टाचार को बढ़ाने की बात नहीं हो सकती है। नियमों में तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात होती है। माननीय सदस्या तो यह बात बता रही हैं। कि जिन लोगों ने सन् 81 में प्लाट लिये उसकी सूचना दे रही हैं....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सूचना देने की बात ठीक है पर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप तो उस श्रेणी में आता है कि नहीं। जिन लोगों के प्लाट उस सहकारी समिति में है उनके नाम माननीय सदस्या ने उसे पढ़ कर सुनाये हैं, इसमें कहां आरोप लग रहा है?

श्री सी. पी. जोशी : वास्तविक बात यह है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय जोशी जी आप बैठिये । आप बिराजिये ।

श्री मोहन प्रकाश : नियमों में भ्रष्टाचार को बढाने के लिये कहां लिखा है । इसमें तो दोषी लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की किसी की भी मंशा नहीं है । आप बैठिये माननीय सदस्य ।

श्री मोहन प्रकाश : यह तो सूचना दे रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष जी को रूलिंग आ जाये फिर पुष्पा जी बोलें ।

श्री सी. पी. जोशी : मेरी बात सुनिये । क्या इन्होंने नामजद सूचना दे रखी है ?

श्री नाथूसिंह : नामजद सूचना दे चुकी हैं, आप यह नहीं कह सकते हैं । हम नाम दे चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष जी की रूलिंग आने दीजिये ताकि बाद में आगे कार्यवाही चले ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुश्री पुष्पा जी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : सोसायटी के किसको प्लाट है उसका नाम बताया है और मानचित्र भी बताया हैं फिर आरोप कहां यह तो स्पष्ट बताया है आरोप तो वह होता है जो कि सिद्ध नहीं हो, यहां तो सैक्टर नम्बर बता दिया, सहकारी समिति का नाम बता दिया, प्लाट नम्बर बता दिया किसके नाम अलाट हुआ यह बता दिया, नाम बता दिया कि इतने बाई इतने का है, फिर यह आरोप कहां है, यह तो स्पष्ट है ।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुने । मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है आपको पहले उस पर व्यवस्था देनी पड़ेगी ।
I cannot be interrupted by any other Member. I oppose this. I do not like it.

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, आप अगर व्यवस्था दे रहें है तो मेरी पूरी बात सुनिये ।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यय महोदय, आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी वरना कल यह अखबारो में आयेगा । यदि आरोप सही है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये । लेकिन मिनिस्टर साहब उसका जवाब न ही दे पाये यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने लिख कर दिया है । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपको क्या तकलीफ है ।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य आप रूलिंग पार्टी के सदस्य है, डाक्यूमेन्ट्री प्रूफ इनके खिलाफ में साबित हो चुके हैं पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप रूलिंग देने दें। माननीय सदस्य जोशी जी। माननीय सदस्य जोशी जी।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न ऐसा है कि आज जो ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव था वह एक प्रश्न था नामजद प्रश्न था और इस लिये उसमें यह चल रहा था कि सुश्री पुष्पा जी ने यह कहा कि इस तरह का मेरा स्थगन प्रस्ताव है मुझे ऐसा लगता है कि स्थगन प्रस्ताव में उन्होंने नाम नहीं दिये। अगर नाम दिये हैं तो स्थगन प्रस्ताव अलग से है उसका मिनिस्टर को अलग से नोटिस गया है, अलग से नोटिस दिया है उसका जवाब आयेगा। आज आप, बोल सकती हैं तो सिर्फ इस पाइन्ट पर बोल सकती है उस पर आज नहीं बोल सकती, नाम नहीं ले सकती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो उस पर दुबारा बोलेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : वह नहीं इसमें जो रिप्लाई आयेगा मैंने आज इसलिये नहीं कहा मुझे यह पता नहीं था कि उसमें नाम है उसमें नाम दिया है तो मैं आज नहीं देता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें नाम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें नाम दिया है तो फिर आज उस पर नहीं बोल सकती है नाम है तो कम से कम आज नहीं बोल सकती हैं। क्योंकि इस पर आपने नोटिस नहीं दिया है। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इसमें किसी का नाम नहीं, नोटिस नहीं दिया गया है इस लिये आज आप इस पर नहीं बोलें।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय आप एक बार फिर मिट्टी पलीत करायोगे उस आफिसर की।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आनन्द मोहनलाल जी की और के. के. भटनागर साहब का नाम नहीं लूंगी।

श्री सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सब कार्यवाही को एक्सपन्ज किया जाय वरना तो कल यह खबर अखबारों में आयेगी। मैंने आपका ध्यान रूल 273 की ओर आकर्षित किया है और आपने रुलिंग दी है कि माननीय सदस्या का प्रस्ताव इसमें कवर नहीं होता है तो वह एक्सपंज होना चाहिये फिर ध्यानाकर्षण का मतलब ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा...

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्या का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है वह नियमों के अन्तर्गत पर व्यू में नहीं आता है इसलिये इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य श्री सी. पी. जोशी ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया,

(श्री उपाध्यक्ष)

उस वक्त यह ध्यान में लाया गया इसलिये इसको रोका गया लेकिन पिछली कार्यवाही है इसको एक्सपंज करना मुनासिब नहीं समझता। अब आगे के लिये नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री सी पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी पूरी बात सुने।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य के एतराज को मानता हूं लेकिन कार्यवाही हो चुकी। अब पाइन्ट आफ आर्डर के बाद मैंने उसको रोक दिया, पहले नाम आजु के पर आगे नहीं आयेंगे।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कल यह बात अखबारों में आयेगी और इस प्रकार से आफिसर्स को को-डाउन करने की प्रेक्टिस दिस इज रोंग प्रेक्टिस। डेमोक्रेसी में यह परम्परा अच्छी नहीं है कि कोई भी आदमी आरोप लगादें। मैं यह नहीं कहता कि दोषी लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिये या दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही नहीं हो....

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो नए एम. एल. एज. चुन कर आये है उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये कि किस प्रकार से विधान सभा में बोला जाय। मुझे तो इनकी दाडी बढी हुई देख कर दया आती है। यह क्यों कि हर वक्त उठकर खड़े हो जाते हैं और सदन का समय जाया करते हैं।

श्री सी पी. जोशी : I am not here on your mercy.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य गिरधारी लाल जी, माननीय सदस्य गिरधारी लालजी। आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय नेता महोदय, एक मिनट। अगर आज जोशीजी झगड़ा नहीं करते तो कल इनका नाम अखबारों में कैसे आता है। क्योंकि आज तो इन्होंने कोई बोलनें के लिये दिया नहीं है। इसलिये इन्होंने तय कर लिया कि किसी न किसी पाइन्ट पर झगड़ा करके अपना नाम अखबारों में लाया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

एक माननीय सदस्य : क्या जोशी जी, आप भी दो आफिसरों को राजी करने के लिए कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य....

श्री मुक्ति लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय पांच बजने को हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मोदीजी। कृपया बैठे। मैं निवेदन करूंगा कि जो पाइन्ट आफ आर्डर माननीय सदस्य सी. पी. जोशी ने उठाया है वह पाइन्ट आफ आर्डर सही था, ठीक था।

(व्यवधान)

श्री सी पी. जोशी : I want to be explunge, This is not the way; action should be taken against him ...

जिसका जवाब नहीं दे सके तो ऐसी कार्यवाही नहीं रहनी चाहिये। वह कम नहीं है।

श्री शोपतसिंह : जोशीजी आप तो क्रान्तिकारी हैं। आपको क्या जरूरत है।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपको पता नहीं है, आपका जवाब नहीं आवेगा। भैरोसिंह जी ने दे दिया था....

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दाढ़ी वालों को....

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष जी, यह उचित नहीं है।

श्री सम्पत सिंह : पांइन्ट ग्राफ आर्डर।

श्री शोपत सिंह : नाम आये तो किसी अच्छी बात के लिये, खराब बात के लिए नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में सम्बोधित मत करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : श्री जोशी जी, मत बचाओ दोषी लोगों को।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह जी। भंवरलाल जी, कृपया आपस में सम्बोधित नहीं करें।

श्री सम्पत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाली माननीय सदस्या ने जो नाम कहा वह मैं समझता हूँ कह सकती हैं, इसको साकेद में मैं अर्ज करना चाहता हूँ जो सेकिंड पार्ट में कहा है, 273 के सेक्शन में कहा है कि अगर पब्लिक इन्टरेस्ट डैमेज नहीं होता है तो वह कह सकता है, डेरोगेटरी शब्द भी कह सकती है। वह इस प्रकार है :

Provided that the speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation.

श्री उपाध्यक्ष : यह एप्लीकेबल नहीं है, मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री सम्पत सिंह : जहां पब्लिक इन्टरेस्ट सर्व होती है, ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं व्यवस्था दे चुका हूं, कानून मैं भी जानता हूं, बिलकुल ठीक व्यवस्था दी है मैंने, कृपया बैठें।

श्री सम्पत सिंह : मैं भरतपुर का आदमी हूं....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर नगर में कृषि भूमि रूपान्तरण शुल्क के रूप में 30 लाख की राशि वसूल करने के उपरान्त भी नियमन न किया जाना

सुश्री पुष्पा जैन : भूमि रूपान्तरण के मामले में स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिलाधीश महोदय कृषि भूमि रूपान्तरण जे. डी. सिंघल ने अपने फैसले में बताया कि 1983 में विकास प्राधिकरण की योजना की भूमि को मास्टर प्लान में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए बताया है इसी आधार पर 30 अप्रेल, 1984 को अतिरिक्त जिलाधीश भूमि रूपान्तरण ने इस योजना के लिए कुल 1364 भू-खण्डों में से आवंटित 1030 के आवेदन पत्र खारिज कर दिये। इन पर मुख्य सचिव, राजस्थान को की गई। इस पर जे. डी. ए. ने 16 फरवरी, 1985 को एक पत्र भेजा जिसमें ई ब्लाक जिसमें उन्होंने स्वयं प्लाट लिये थे, योजना की भूमि मास्टर प्लान में आवासीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखी है। इसी आधार पर अतिरिक्त जिलाधीश भूमि रूपान्तरण ने इस योजना के 116 भूखण्डों को आवासीय रूपान्तरण के आदेश किसी भी शर्त को तोड़े बिना रूपान्तरण भूमि का बेचान ठीक है। अब क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया कंक्लूड करें। बहुत समय हो गया।

सुश्री पुष्पा जैन : वही कर रही हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यही कहा था कि जो रूपान्तरण शुल्क है वह अलग-अलग लगाया है। किसी से कैसे किया, किसी से कैसे किया। उपाध्यक्ष महोदय, अब अब आप मुझे कहेंगे, लेकिन जे. डी. ए. के आयुक्त श्री के. के. भटनागर जो यह भू-खण्ड थे....

श्री उपाध्यक्ष : आप नाम फिर ले रही हैं। मैं एक्सपंज कर रहा हूं। यह गलत बात है।

सुश्री पुष्पा जैन : अच्छा चलो जे. डी. ए. आयुक्त कह देती हूं ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आयुक्त ही कहा है। भटनागर कहें तो आपत्ति होती है....

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : हमारा यह कहना है कि कहीं पर कोई तथ्य है और यहां पर किसी चीज की जानकारी देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था मैं दे चुका हूं इस पर।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष जी, एक मिनट।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल नहीं।

श्री मोहन प्रकाश : आरोप लगाये वह सही हैं अगर तथ्य सही हैं तो यह वास्तविकता है—

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह चुका हूं इसमें अगर, मगर कुछ मत कहें।

सुश्री पुष्पा जैन : जे डी. ए. के आयुक्त ने 34 रुपए पचास पैसे प्लस छः रु. पचास पै. रूपान्तरण शुल्क के कुल 41/- रु. वर्ग गज के हिसाब से दिये, क्यों? यह तो ग्यारह रुपए का जिक्र कर रहे थे और छः रुपये पचास पैसे अलग से दिये गये। मंत्री महोदय से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अलग-अलग सोसायटीज से अलग-अलग कंवर्जन शुल्क जो लिया गया उसके पीछे क्या कारण रहा?

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : यह कंवर्जन शुल्क नहीं है, विकास शुल्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अच्छी तरह से परिचित हैं इस मामले में।

सुश्री पुष्पा जैन : हां विकास शुल्क, धन्यवाद, आपने करेक्ट कर दिया।

श्री शिवराम शर्मा : मैं आपको भी अच्छी तरह से जानता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह विभाग आपको ही देना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह आ गये हैं इनसे अच्छी जानकारी मिलेगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष जी, आप एक दिन का समय इसके लिये तय कर लें। राजस्थान में, कंवर्जन के मामले में करोड़ों रुपये की गड़बड़ है....

श्री उपाध्यक्ष : आपका कहना ठीक है, यह अलग से उठायें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुक्ति लाल जी मोदी क्या खाकर आये हैं इनकी जांच करानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच बजने वाले हैं, ढाई घण्टे हो गये हैं इस पर।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की व्यग्रता को देखते हुए मैं समाप्त करती हूं और मन्त्री महोदया से कहना चाहती हूं कि मैं आपसे आशा करूं कि आप इस सारे मामले की जांच करायेंगी इन दोनों अधिकारियों ने किस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर नियमों का उल्लंघन किया है, उस बाबत आप जांच करके इनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगी?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह भी जानना चाहती हूं कि जो इन्होंने यानि इन दोनों अधिकारियों ने जो पैसा दिया उसका भुगतान चैक से किया या कैसे किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया उसमें इसका इन्द्राज हुआ है

(सुश्री पुष्पा जैन)

या नहीं हुआ। आप सारे मामले की जांच करेंगी तो स्वतः मालूम पड़ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या। श्री हरिकुमार औदिच्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : भूमि रूपान्तरण शुल्क पर हम भी बोलेंगे। इस मामले में अध्यक्ष जी ने और आपने भी विश्वास दिलाया था कि हम बोलेंगे। पांच बजने को हैं तीन घण्टे हो गये, यह कोई तरीका है। आपने कहा था कि मांग खत्म हो जायेगी, चर्चा ही शुरू नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं बिलकुल शुरू नहीं करने दूंगा इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं मेरी प्रार्थना है आप मांग शुरू करायें।

श्री उपाध्यक्ष : आसन महसूस करता है दो-दो मिनट बोल लीलिजे

(व्यवधान)

दो नहीं तीन मिनट।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दो-दो मिनट करते हुए तीन घण्टे हो गये हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि रूपान्तरण के नाम पर जे. डी. ए. ने ही नहीं बल्कि राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी कस्बों में चौदह करोड़ का डाका डाला है। तीन साल तक बराबर पैसा जमा करने के बाद....

श्री उपाध्यक्ष : आप रिपीट नहीं कीजिये, कृपया संक्षेप में दूसरा प्रश्न उठायें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं।

जिन्होंने 1981 में पैसा जमा करा दिया

(व्यवधान)

आप वहां के आयुक्त को हटायें, जो छोटी जगह पर ए.डी.एम. बैठें हुए हैं कंवर्जन के आप विडम्बना देखिये कोटा में, खेरड़ली में, जो वस्तियां हैं वह आज की नहीं हैं वह 1971 की बनी हुई नहीं हैं या 1981 की बनी हुई नहीं हैं, वह 1960 और 55 की बनी हुई हैं जहां पर किसी प्रकार के विकास की आवश्यकता नहीं है। बिजली का एक खम्भा न तो यू. आई. टी. ने लगाया न सरकार ने लगाया। यहां एक फुट मचान नहीं लगाया और डवलपमेंट चार्जेज मांगते हैं। गरीब लोगों ने तो वह भी जमा करा दिये लेकिन आपको ताज्जुब होगा 91 के नोटिस आज भी उनको ही मिलते हैं और जिन्होंने पैसा जमा नहीं कराया रूपान्तरण का वह अधिकारियों से सांठगांठ करके मौज मार रहे हैं। आप रिकार्ड देखिये। भूमि रूपान्तरण का किस-किस पार्टी का, कितना-

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

कितना पैसा सहकारी समितियों को, बात नहीं, इण्डीविजुअल से जमा किया है, उन बस्तियों में इन्डीविजुअल से कितना पैसा जमा किया कब-कब पैसा जमा किया कितने रेगुलर कर दिये गये बाकी जो बचे हैं वह कब तक कर देंगे। आखिरकार अधिकारी इसी प्रकार लूटते रहेंगे, क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : सरकार तो यह चाहती है यह बोलें, आप इजाजत देते हैं, मेरी बात सुनें; सरकार चाहती है कि प्रश्न पर कोई न बोले, आप उनको इजाजत देते हैं कि बोलें और राजस्थान का सवाल है, न कि जयपुर का सवाल है।

श्रीमती कमला : आप विराजें अभी तो जयपुर का ही है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं अनुरोध करूंगा मुझे मंत्री महोदय से एक बात पूछनी है कि या तो कामर्शियल पर्पज या या जागीरदारों की जो एग्रीकल्चर लैंड थी जिसे चौमू हाउस, सामोद हाउस उनके अन्दर भी रूपान्तरण चार्ज वसूल करें, उनको वसूल नहीं करते हैं तब यह दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, जो पूछे हैं उनका जवाब दे दूं....

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : मेरी सुन लीजिये साहब

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब का इकट्ठा दे देना—

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से जो आज जवाब दिया है उसके बारे में 2-3 बातें पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने एक बिन्दु यह ध्यान में लाया है कि....

श्री बिहारीलाल पारीक : यह व्यवस्था का प्रश्न थोड़े ही है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें। कृपया विराजें तो सही आप।

श्री कालीचरण सराफ।

(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह कृषि भूमि रूपान्तरण का शुल्क जमा किया गया था तब सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि 90 दिन में स्वतः ही यह रूपान्तरण हो जायेगा तो क्या 14 करोड़ रुपया जो सरकार ने लिया और आज 4 साल से कई

158

(श्री कालीचरण सराफ)

लोगों की भूमि का रूपान्तरण नहीं हुआ तो क्या इनको सरकार ब्याज देगी—नम्बर 1 और दूसरा मन्त्री महोदय ने बताया कि 74571 आवेदन जो प्राप्त हुए उनमें से 19783 अस्वीकृत हो गए तो जो आवेदन अस्वीकृत हुए क्या उनके मकान तोड़े जायेंगे या उनकी क्या व्यवस्था की जायेगी ? इसके बारे में मन्त्री महोदया स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन प्रकाश।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं सिर्फ एक-दो बिन्दुओं पर माननीय मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो यह समस्या सिर्फ जयपुर की नहीं है। हर जो राजस्थान कस्बों का शहर है यह बढ़ रहा है और उसमें हो क्या रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उसको आप अलग से रख देना।

श्री मोहन प्रकाश : इसमें आ जायेगा वह।

श्री उपाध्यक्ष : आ जायेगा नहीं। लम्बा नहीं।

श्री मोहन प्रकाश : मैं आपको बता रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : इसको अलग से रखना आप। आप और मोदी जी अलग से रखना।

श्री मोहन प्रकाश : ...सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से भयंकर शोषण उन लोगों का हो रहा है जिनकी जमीनें कस्बों और शहरों के किनारे पर हैं। दूसरे, मैं बता दूं कि जो गांव, जो पंचायत उसके करीब है शहरों के या गांव के भी स्कूल बनाना चाहते है, पैसा इकट्ठा कर लिया लेकिन जहां स्कूल भवन नहीं है, स्कूल भवन जैसी चीज के लिए जो जन-सहयोग से बन रहा है वहां भी भूमि रूपान्तरण करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई गांव वालों को उठानी पड़ती है। तो और तो और इन सब चीजों की भी स्पष्ट नीति सरकार की नहीं होने से बहुत ज्यादा कठिनाइयां किसानों को हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। एक सवाल पूछें आप।

श्रीमती कमला : सवाल पूछना, भाषण नहीं देना।

श्री उपाध्यक्ष : एक प्रश्न ...माननीय मुक्तिलाल जी साहब, अब तक तो यह बोल जाते।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। ऐसा कौन सा अधिकारी जे. डी. ए. में बैठा है जिसने जे. डी. ए. में आने के बाद नाजायज रूप से जमीन प्राप्त नहीं की हो—एक। दूसरे जो लाल कोठी योजना थी, उपाध्यक्ष महोदय, उस लाल कोठी योजना के अन्दर 1964 में जिन लोगों को अवार्ड घोषित हुआ था उन्हें नहीं देकर जे. डी. ए. के आफिसर्स ने नाजायज रूप से अब जाकर कुछ जो सोसायटीज बनी हुई थीं उनसे पैसे लेकर उनका कब्जा करवा दिया और आफिसर्स ने मिलीभगत करके उस जमीन को बांट करके नाजायज

(श्री नाथूसिंह)

रूप से उस जमीन पर कब्जा करके प्लाट लेकर बैठे हैं। इनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक मिनट के लिए।

श्रीमती कमला : अब काहे का भई, बोलने दो।

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिये, माननीय सदस्य, व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है ...कृपया बैठें....बिराजिये।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, एक सवाल।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इस विषय के ज्ञाता श्री शिवराम जी बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवराम जी।

श्री शिवराम शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय अभी यह जो जे. डी. ए. द्वारा कन्वर्जन और डवलपमेंट का मामला माननीय सदस्यों ने रखा है, वास्तव में सन् 1981 में लोगों ने कन्वर्जन जमा करवा दिया और आज तक भी वह कन्वर्जन, कन्वर्जन में नहीं बदल रहा है और डवलपमेंट शुल्क भी जो लोगों से लिया जा रहा है बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। मैंने बार-बार सरकार से कहा है और इसकी जो प्रक्रिया है नक्शे पास करने की और डवलपमेंट की किश्तों की जो प्रक्रिया है, उसमें कोई चीज अटक जाये तो एक टेबल पर बैठकर लोगों के सारे कैसेज को सुलटा दिया जायें। माननीय मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे सी-स्कीम को को भी पहले बसाया था, एक रुपया गज में उनका अलाटमेंट किया था, आज इनका 25 रुपया गज है कन्वर्जन, पैराफेरी, पैराफेरी न मालूम मकान का नक्शा पास करवाओ तो पैनल्टी अलग-तो यह जो सारी ऐसी जटिल समस्यायें हैं, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप और कलेक्टर साहब तथा जे डी. ए. से सम्बन्धित जो अधिकारी हैं उनको एक साथ बैठाकर जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जयपुर की आम जनता को उसका निपटारा कराने का विचार रखती हैं और कुछ रियायतें देना चाहती हैं डवलपमेंट में। किश्तों के नोटिस आ चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय एक मुश्त किश्तें लेने के लिए नोटिस आ चुके हैं डवलपमेंट के। यह एक मुश्त कोई दे नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाली माननीय सदस्या एक तथ्य, जो ध्यान में लाई हैं अगर विजयनगर एरिया के अन्दर जमीन गवर्नमेंट की थी और किसी स्पेसिफिक परपज के लिए दी गयी थी, लीज पर दी गयी थी तो किसी अधिकारी ने अगर खातेदारी भी कर दी है तो भी वह खातेदारी करने के अधिकृत नहीं थे

(श्रीमती कमला)

और अगर आज उस खातेदारी को कराके वह मुआवजा ले रहे हैं तो यह मामला दर-असल में गम्भीर है, सोचने का है और मैं तुरन्त जांच करके, अगर ऐसी स्थिति है तो आज के वक्त में जो भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है उसको आवश्यक तौर से करूंगी। क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक इसी तरह का मामला मुर्गी पालन के लिए जमीन लीज पर दी गयी थी उसकी खातेदारी करा ली। गवर्नमेंट ने उसके लिए आदेश जारी किये हैं कि जैसे माइनर बच्चों का है कि चाहे कोई खातेदारी करा ले तो भी वह खातेदारी वेलिड नहीं है कानून की निगाह में उसी तरह से लीज पर दी हुई इस तरह की जो जमीनें हैं उनका भी कोई आफिसर या अलाटी मिलकर खातेदारी करा लेता है तो वह कानून की निगाह में उसकी कहीं वेलिडिटी नहीं है। इसलिये इसको निरस्त किया जाये। इस तरह के आदेश दिये हैं, उसी प्रकार से इसमें भी कार्यवाही की जा सकती है। जहां आपने दूसरी बात यह कही है कि बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं कि जो बहुत समय से रजिस्टर्ड हैं और आवासीय कार्यक्रम हाथ में लेना चाहती हैं उनके मामलों का निपटारा नहीं किया जा रहा है। किस कारण से नहीं किया जा रहा है। मैं, माननीय सदस्यों से एक निवेदन यह करना चाहती हूं कि जनरल बात न कह कर आपकी निगाह में जो जो भी स्पेसिफिक मामले है चाहे सोसाइटीज के हैं, चाहे कन्वर्शन के नहीं होने के हैं या रेट्स के हैं या कोई विसंगतियों के हैं तो आप स्पेसिफिक मुद्दे जो भी लायेंगे, मैं अधिकारियों को आपके साथ बैठाकर उनका तुरन्त से तुरन्त निराकरण करने की चेष्टा करूंगी जिससे कि बहुत से मुद्दे इस तरह से हल हो जायें।

दूसरी बात जो आप ध्यान में लाई है कि अधिकारियों ने कई जगह पर प्लाट्स ले रखे है। यह अधिनियम में भी और रूल्स में भी प्रोवाइडेड है कि किसी व्यक्ति के पास अगर जयपुर शहर में कोई मकान है या प्लाट है तो वह दूसरा नयी बस्ती में नहीं ले सकता है सिर्फ वह ले सकते हैं जो कि घनी बस्ती में बसते हैं या जिनके एक पुश्तैनी रूप में रहने की जगह है। दूसरे जो मेजर फेमिलीज हैं उनके लिए नहीं है। सिर्फ उनको सरकार ने छूट दी है। एक ही फेमिली में एक आदमी दो-दो और तीन-तीन प्लाट्स अपने नाम से या अपनी पत्नी या बच्चों के नाम से ले वह नहीं ले सकता है और अगर किसी अधिकारी ने लिये हैं तो हम उसके खिलाफ कार्यवारी करेंगे।

माननीय सदस्या ने एक बात यह भी पूछी कि अलग अलग जगह में अलग अलग कन्वर्शन चार्जेज क्यों लगा रखे के। इसलिए लगा रखे हैं कि जोन में इस क्षेत्र को बांटा हुआ है। जो सिटी के मध्य में है चूंकि उनकी रेट्स ज्यादा हैं और जो पैरीफरीज के अन्दर एरियाज हैं उनकी रेट्स कम हैं इसलिये जिस तरह की लोकेलिटी में वह बसे हुए हैं और जिन नियमों के तहत जिस जिस जोन में जो जो डवलपमेंट चार्जेज लागू कर रखे है उसी हिसाब से लगा रखे है। अगर लागू किये हुए चार्जेज में भी कम लिये हैं तो उसकी जांच कराने का जरूर एक मुद्दा बनता है।

(श्रीमती कमला)

माननीय श्री भंवरलाल जी ने पूछा कि आप कन्वर्जन चार्जेज लेते क्यों हैं। दरअसल ये इसके पीछे थ्योरी इतनी है कि एग्रीकल्चर लैण्ड जो है वह जब किसी एक मुद्दे के लिए कन्वर्ट होती है तो उसका रेगूलर लगान नहीं आता, तो उस रेगूलर लगान का जो घाटा है उसके पेटे कन्वर्जन चार्जेज का, उस थ्योरी के साथ कुछ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कानूनी प्रावधान है और चूंकि इस तरह से एग्रीकल्चर लैण्ड, आवासीय भूमि के लिए होगी तो इस तरह के चार्जेज होंगे, कार्मशियल के लिए होगी तो यह चार्जेज होंगे और इन्डस्ट्रियल परपज के लिए होगी तो ऐसा होगा, होटल के लिए, सिनेमा के लिए सब के लिए अलग अलग बना रखे हैं। उसी के तहत में इसको लिया जा रहा है। आपने एक सवाल यह पूछा कि यह रिवाइजरी अथोरिटी कब से काम करना शुरू करेगी तो इसका गठन भी हो गया है, इसका गजट नोटीफिकेशन भी हो गया है और कल कुछ केसेस की सुनवाई भी है। कल से शुरू हो रही है, शनिवार से। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ बिन्दु माननीय सदस्य ने उठाये थे मैंने कहा है लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करना चाहती हूं जो भी मुद्दे आपकी निगाह में हैं उन मुद्दों को आप निश्चित रूप से बतायें, हम उनके लिए कलेक्टर के लेवल से बात करनी होगी, उस तरीके से जे० डी० ए० के साथ बात करके या फिर आपके साथ बैठकर उसको निपटायेंगे। मुझे मालूम है बहुत से मुद्दे अनावश्यक रूप से डिले भी हो रहे हैं। अनावश्यक रूप से लेट हुए हैं, उनको हम निस्तारण करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा सदस्य, विधान सभा ने कोटा नगर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा है इसके संबंध में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज समय बहुत ज्यादा हो गया है डिमाण्ड के लिये समय बचा नहीं है इसको सोमवार के लिये रख दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसको सोमवार को रख दें?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37-कृषि

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

माननीय मंत्री जी मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी स्वीकृति से मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 47 करोड़ 85 लाख 41 हजार रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय:-

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) :

1. कृषि विभाग द्वारा कृषकों को उचित मात्रा में उन्नत किस्म का बीज दिलाने एवं तकनीकि ज्ञान प्रदान करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) :

2. खाद, कीटनाशक दवाइयों तथा कृषि के काम आने वाले यंत्रों को कम कीमत पर दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. कृषि उत्पादनों का कृषकों को लाभकारी मूल्य दिये जाने पर चर्चा के लिये।

4. कृषि के काम आने वाले यंत्रों तथा डीजल व ट्रैक्टरों पर मिलने वाला कर्ज लोन नगद दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. सुधरे बीज सस्ती कीमत पर देने पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) :

6. कृषकों को आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु व्यापक शिक्षा एवं यंत्रों के क्रय हेतु कर्ज समय पर दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

7. कृषि विभाग के कृषि विस्तार कार्यक्रम को लागू करने में उन्नत खाद, उर्वरक एवं बीज का अभाव समाप्त करने में असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) :

8. किसानों को समय पर बीज उपलब्ध नहीं कराने एवं राज्य के बाहर से खराब बीज खरीदने तथा व्यापारियों को खराब बीज बेचने को छूट दिये जाने पर नियन्त्रण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. कृषि उत्पादन एवं विकास हेतु कृषि विभाग के अभिकरण से किये जाने वाले कार्यक्रम को व्यवहारिक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

10. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले को कृषि उपकरणों हेतु ऋण व अनुदान दिलाने में असफल रही जिस पर चर्चा के लिये।

11. राज्य सरकार उत्तम बीज व खाद उपलब्ध कराने में निष्क्रिय रही जिस पर चर्चा के लिये।

12. बांसवाड़ा जिले के काश्तकारों को कृषि औजार उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल):

13. कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

(श्री बिहारी लाल पारीक)

14. किसानों को समय पर अच्छी किस्म का खाद व बीज देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) :

15. समय पर विभाग द्वारा अच्छे बीज की व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) :

16. बीकानेर डिविजन में कृषि विश्वविद्यालय न खोलने के कारण जनता में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

17. कृषि कार्यकर्ताओं और कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा किसानों से सम्पर्क न करने पर भी कृषि पर हो रहे व्यय का सदुपयोग न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अंदक अली (फतेहपुर) :

18. रेगिस्तान क्षेत्र में कृषि विकास हेतु विशेष कार्यक्रम बनाने पर चर्चा के लिये।

19. फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़) :

20. खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को अधिक विद्युत कनेक्शन सुविधायें देने में बड़े, छोटे किसानों के साथ किये जा रहे भेद-भाव को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. कृषि हेतु समय पर खाद व बीज उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) :

22. कृषि बीज निगम द्वारा किसानों को सही समय पर सही बीज वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. दूदू और नरेना में कृषि उपज मंडियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. कृषि उपज मंडियों का चुनाव समय पर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. कृषि विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त कराने पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :

26. चौमू क्षेत्र में कृषि हेतु खाद व बीज समय पर उपलब्ध न होने से कृषकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

27. राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय के अभाव से युवकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश बैरागी (हिण्डोली) :

28. बून्दी जिले में कृषि की बिगड़ती हुई हालत पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) :

29. लालसोट में कृषि उपज मण्डी का निर्माण शीघ्र करवाकर क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं को शीघ्र दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) :

30. कृषकों को प्रमाणित नये बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. राज्य के कृषि प्रधान होने से राजस्थान में कृषि के लिये नई तकनीकी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

32. किसानों को कृषि उत्पादन का वाजिब दाम दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) :

33. गंगानगर जिले में कृषि विश्व-विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) :

34. कृषि उत्पादन को सस्ता करने हेतु उद्योगों की भांति किसानों को अनुदान देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) :

35. कृषि को उन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमजान खां (पुष्कर) :

36. कृषि उपज मण्डियों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

37. पाली जिले में कृषि को उन्नत बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरतगढ़) :

38. पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध कराने में कृषि विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

39. कृषि विस्तार कार्यक्रम की अनुपयोगिता व इस पर हो रहे धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा):

40. अलवर जिले में कृषि विद्यालय अधिकारियों तथा बीज विक्रेताओं की मिलीभगत होने से बीज का समय पर वितरण नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

41. अलवर जिले में बीज विक्रेताओं द्वारा बाजरे का नकली व मंहगा बीज बेचने को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

165

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

42 चौला, मूंग, ग्वार आदि का प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

43. नवलगढ़ जिला झुंझुनूं की पंचायत समिति क्षेत्र में कृषि विस्तार कार्यक्रम चालू न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा केलिये।

44. कृषि उपज मण्डी के चुनाव क्षेत्रों में हर नागरिक को उम्मीदवार बनने का मौका देने पर चर्चा के लिये।

45. बाजरे का प्रमाणित बीज का समय पर वितरण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टी.बी.) :

46. कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित बीज की जगह गलत बीज वितरण करने से उत्पन्न, उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

47. कृषि निदेशालय में कार्यरत आर. पी. एस. सी. से उत्तीर्ण आशुलिपिकों को स्थायी नही किये जाने व विभाग द्वारा यू. डी सी. कम स्टेनों को जो आयोग द्वारा उत्तीर्ण नहीं है को उत्तीर्ण आशुलिपिकों से वरिष्ठतम मानकर उनका स्थायी करण करने से संबंधी अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

48. सीकर जिले में कृषि विस्तार कार्यक्रमों एवं बीज गुणन स्रोतों के सम्पूर्ण विकास के न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

49. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी फार्म विकसित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

50. कृषि कार्यक्रम के विस्तार एवं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षक तथा विस्तार कार्यकर्ताओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) :

51. कृषि विस्तार कार्यक्रम का लाभ कृषकों तक नहीं पहुंचने एवं बीज-खाद विपणन की व्यवस्थायें दोष पूर्ण होने से किसानों को समय पर उचित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) :

52 राज्य में मिट्टी की जांच के लिये लैबोरेटरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

53. उन्नत किस्म के नाम पर गुजरात से खरीदे रोगयुक्त बीज से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

54. किसानों को सही रेट पर समुन्नत बीज वितरण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

55 कृषि जिन्सों का किसानों को सही मूल्य नहीं देने पर चर्चा के लिये।

166

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) :

56. कृषि विस्तार कार्यक्रम को पहले की तरह ही पंचायती राज संस्थाओं की मारफत चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

57. सरकारी कृषि फार्म-सादड़ी की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

58. कृषि कार्यों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) :

59. उदयपुर जिले की बस्सी से कन्तोडा रोड को कृषि उपज मण्डी द्वारा पूरी कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

60. कोटा-बूंदी में जीवाणु-खाद उत्पादक प्रयोगशाला के पुन: स्थानान्तरण करने पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनसिंह (रानीवाड़ा) :

61. रानीवाड़ा क्षेत्र में किसानों को उन्नत किस्म के बीज देने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

62. राजस्थान में कृषि पैदावार का काश्तकारों को उचित मूल्य न मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी(बस्सी):

श्री परसादीलाल मीणा(लालसोट) :

श्री प्रभूदयाल मीणा (सिकराय) :

श्री जयनारायण बैरवा (फागी) :

63 बीज निगम के भवन निर्माण हेतु दो वर्ष पूर्व किये गये भुगतान से निगम को हुए ब्याज के नुकसान पर चर्चा के लिये।

64. राजस्थान बीज निगम द्वारा कलकत्ता की पार्टी को भुगतान कर देने के उपरान्त भी जूट बैग्स आज तक भी पार्टी द्वारा सप्लाई नहीं किये जाने से निगम को हुई हानि पर चर्चा के लिये।

65. राजस्थान बीज निगम द्वारा केरेटस की खरीद के कारण हुए धन के अपव्यय से हुई हानि की पूर्ति हेतु विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

66. राजस्थान बीज निगम द्वारा गत चार वर्षों के लेखे तैयार नहीं किये जाने के उपरान्त भी सरकार द्वारा विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

67. राजस्थान बीज निगम की गत कई वर्षों से लाखों रुपयों की बकाया राशि वसूल नहीं कर पाने से निगम को होने वाली मूल धन एवं ब्याज की हानि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

68 राजस्थान बीज निगम द्वारा घटिया किस्म का मक्का, बाजरा, ज्वार व गेहूं को क्रय करने से निगम को हुई क्षति पर चर्चा के लिये।

(श्री जयनारायण बैरवा)

69. बीज निगम द्वारा मालवीय नगर में क्रय की गई भूमि जो वर्ष 1981 की बाढ़ में बह गई उससे सात लाख रुपये की राशि वसूल नहीं किये जाने से सरकार द्वारा राजस्थान बीज निगम में विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

70. राजस्थान बीज निगम द्वारा गुजरात से चार हजार क्विंटल निम्न श्रेणी का बाजरे का बीज खरीदने एवं इसे कीटाणु रहित बनाने के लिए बारह लाख की दवाइयों के कारण निगम को हुई हानि पर चर्चा के लिये।

श्री राजेश (थानागाजी) :

71. प्रमाणित बीज की बिक्री पर नियंत्रण न होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

72. विभाग द्वारा किसानों को समय पर बीज खाद एवं दवाइयां उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) :

73. कृषि सूचना अधिकारी कार्यालय में कलाकार आदि के कई पदों के समाप्त कर देने के फलस्वरूप लाखों की कीमत के मुद्रण यन्त्रों के बेकार पड़े रहने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

74. राजस्थान में कृषि विकास को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

75. कृषकों को उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. इटावा केन्द्र पर सरसों की खरीद में बरती जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

77. कृषि उपज मण्डी समिति इटावा में कृषकों के हितों के प्रति उपेक्षा बरते जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. इटावा केन्द्र पर सरसों की खरीद में किसानों को समय पर कीमत नहीं चुकाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. कृषि उपज मण्डी समिति इटावा के यार्ड में कृषक विश्राम गृह व केटल शेड के बनाने में बरती जा रही उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

80. कृषि उपज मण्डी समिति इटावा के यार्ड में पीने के पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. कृषि उपज मंडी समिति इटावा द्वारा मंडी यार्ड में कार्यालय व व्यापारियों की सुविधा हेतु ही राशि खर्च कर कृषकों के हितों की उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

82. कृषि विभाग में कार्यरत अधिकारियों की संख्या कम किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. कृषि विभाग द्वारा कृषि को उन्नत किये जाने में विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा):

84. कृषि विकास के वैज्ञानिक उपाय तथा कृषि उत्पादकों का उचित मूल्य दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर):

85. किसानों को कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाले उपकरणों में 20 प्रतिशत की अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):

86. जालौर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

87. काश्तकारों को फसलों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

88. उन्नत बीजों एवं रसायनिक खाद समय पर किसानों को वितरण करने में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर):

89. नगर कृषि उपज मण्डी यार्ड चार वर्ष पूर्व तय हो जाने पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरा राम (डीडवाना):

90. गेहूं, सरसों, रायड़ा व अन्य कृषि उत्पादनों की सरकार द्वारा खरीद की समुचित व्यवस्था राज्य की सभी मण्डीयों में करने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा):

91. धौलपुर जिले में किसानों को उत्तम एवं सस्ता बीज उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्र शेखर (खैरथल):

92. अलवर जिले में प्याज की फसल को व्यापारिक फसल के रूप में मानकर अधिक सुविधा देने पर चर्चा के लिये।

93. कृषि आदान पखवाड़ा के तहत कृषकों को समय पर खाद, बीज आदि की सही वितरण व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर):

94. जिला डूंगरपुर में कृषकों को अधिक सुविधा दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मूल चन्द मीणा (टोडाभीम):

95. नागल पहाड़ी पर कृषि पैदावार बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. टोडा भीम विधान सभा क्षेत्र में कृषकों को अधिक साधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मोढ़ा (सूरतगढ़):

97. चक नम्बर 37 पी. बी. सी. कृषि उपज मंडी के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य पर चर्चा के लिये।

(श्री हंसराज मीणा)

98. श्री विजयनगर कृषि उपज मण्डी समिति के अधीन सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल (महुआ) :

99. महुआ क्षेत्र में कृषि हेतु कीटनाशक दवाएं, खाद व बीज में भारी मिलावट व समय पर उनका वितरण न किये जाने के कारण उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) :

100. नागौर जिले में लघु सीमान्त कृषकों को बांटे गये मिनिकिट, बीज खाद में हुए घोटालों पर चर्चा के लिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

101. फसल में रोगों के रोकथाम के लिए तुरन्त तकनीकी सहायता देने बाबत चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

102. राजस्थान में रसायनिक खाद की दरें ऊंची होने से कृषकों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

103. कृषि उपज मंडी बाड़मेर एवं बालोतरा के नवनिर्मित भवन गोदामों आदि की जीर्ण शीर्ण अवस्था होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

104. राज्य में कृषि विश्वविद्यालय के अभाव के कारण उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

105 झालावाड़ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मे व्याप्त भारी भ्रष्टाचार कर उच्च अधिकारियों द्वारा अभिकरण की राशि हड़प कर जाने पर चर्चा के लिये।

106 झालावाड़ जिले की कृषि उपज मंडी समिति अकलेरा द्वारा पंचायत मुख्यालय घनावद को पक्के लिंक द रोड से नहीं जोड़ने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

107 उदयपुर विश्वविद्यालय में कृषि संकाय में परीक्षा पद्धति बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108 राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना अविलम्ब करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. नाथद्वारा क्षेत्र में उपलब्ध जमीन में ड्राईलैंड फार्मिंग की योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

110 राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि पर अधिकाधिक उत्पादन की कोई ठोस योजना प्रस्तुत करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

111 रासायनिक खाद के असंतुलित और अन्धाधुन्ध उपयोग से भूमि की उत्पादन शक्ति में कमी से कृषक को अवगत कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री यदुनाथ सिंह)

112. कृषि उत्पादक को समता मूल्य दिलाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

113. कृषि उपज मण्डी द्वारा नगर सीकरी क्षेत्र में सड़कें एवं मण्डी यार्ड का निर्माण नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

114. भरतपुर, अलवर के बीच नगर में कृषि कालेज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115 डीग कृषि उपज मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से व्यापारी एवं किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) :

116. फसलों का बीमा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. बानसूर क्षेत्र में अच्छे बीज अच्छे कीटनाशक एवं विशेशज्ञों की राय से किसानों को उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

118. बानसूर तहसील में कृषि उपज मंडी का कार्यालय एवं मंडी यार्ड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

119. उच्च अधिकारियों द्वारा विभाग में की गई नियुक्तियों में हुए भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

120. फसल में कीड़ा लगने से रोकथाम करने व इससे उत्पन्न हानि का मुआवजा दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

121. जयपुर जिले में वर्ष 1981 में आयी भीषण बाढ़ से तहसील चाकसू एवं बस्सी में खराब हुयी कृषि भूमि जिसमें खेती सम्भव नहीं उस भूमि का विभाग द्वारा सर्वेक्षण कर योजना नहीं बनाने व किसानों को उचित परामर्श नहीं देने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

122. कृषि उपज मण्डी समिति अनाज जयपुर द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कें जटवाड़ा से बड़वा कृषि फार्म वाया टहूटड़ा, पडासोली बैनाड़ा से कूंथाड़ा, जटवाड़ा से पाटण, तूंगा से देवगांव बनी सड़कों पर डामर न कराये जाने से सड़कों के टूटने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. कृषि उपज मण्डी समिति कोटपूतली से पंचायत समिति शाहपुरा व विराट नगर को अनुचित व अव्यवहारिक होते हुये भी कृषि उपज मण्डी समिति अनाज जयपुर में सम्मिलित किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

124. किसानों को अपनी उपज का उचित दाम दिलाने की दृष्टि से प्रस्तावित व स्वीकृत मन्डी यार्ड बस्सी एवं शाहपुरा में से शाहपुरा (जयपुर) का कार्य पूर्ण करा देने व बस्सी मण्डी यार्ड के निर्माण का कार्य आरम्भ ही नहीं किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

125. कृषि उपज मण्डी समिति अनाज जयपुर द्वारा सम्पर्क सड़कें बनाने में पंचायत समिति शाहपुरा, विराटनगर जमवा रामगढ़ आमेर, सांगानेर, कोटवाड़ा के अनुपात में पंचायत समिति बस्सी की उपेक्षा किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

126. किसानों को अपनी उपज मण्डी तक लाने के लिये कृषि उपज मण्डी समिति अनाज जयपुर द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कें जटवाड़ा से पाटन, तूंगा से देवगांव, बस्सी से सांभरिया अपूर्ण अवस्था में होने से किसानों को सुविधा सुलभ न होने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (सराड़ा) :

127. कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत बीज की वितरण व्यवस्था समय में करने और किसानों को बुवाई की तारीख सही रूप से बताये जाने की आवश्यतका पर चर्चा के लिये।

138. किसानों को अपने कृषि सम्बन्धी साज-सामान लाने ले जाने में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

129. कृषकों को दिये जाने वाले बीज के अनुरूप मौसम भूमि की किस्म की जांच करके बीज वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. बीज निगम द्वारा घटिया स्तर का बीज दिये जाने से किसानों को होने वाली हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को सब्जी के उन्नत बीज दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. कृषकों को फलदार वृक्ष वितरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. कृषकों को अपनी भूमि सुधार के लिये कर्जा दिलाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. जिला कृषि विभाग ग्रामीण क्षेत्र में सही कार्य नहीं करने से किसानों को कृषि सम्बन्धी लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के किसानों को कृषि उपज मण्डी समिति का लाभ देने हेतु उप-कृषि उपज मण्डी समिति का गठन किया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136 राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

137. डूंगरपुर जिले में कृषि की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

138. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को कृषि प्रयोजनार्थ ऋण सुविधा सुलभ कराने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री पोकरलाल परिहार)

139. काश्तकारों को कृषि कार्य हेतु खाद बीज सुलभ कराने हेतु चर्चा के लिये।

140. कृषि अधिकारियों को आफिस छोड़ किसानों के बीच जाकर कृषि सम्बन्धी नयी तकनीक सिखाने हेतु चर्चा के लिये।

141. काश्तकारों को कृषि उपज मण्डियों के मार्फत अनाज का व्यापार करने में प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये।

142. कृषि उपज मण्डियों में निरीक्षण की व्यवस्था बाबत चर्चा के लिये।

143. कृषि उपज मण्डियों में बिचौलिया/दलालों पर रोक लगायी जाकर कांश्तकारों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

श्री भूदरमल वर्मा (दौसा):

श्री प्रभूदयाल मीणा (सिकराय):

144. कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई की सिकन्दरा चौराहे पर यार्ड मण्डी समिति की स्थापना किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

145. किसानों की उपज, मण्डी तक पहुंचाने के लिये पंचायत समिति सिकराय दौसा, लालसोट, बांदीकुई में सम्पर्क सड़कें बनाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

146. किसानों को उन्नत किस्म का बीज एव शुद्ध कीटनाशक औषधियां उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

147. कृषि उपज मण्डी समिति अनाज, दौसा को नवनिर्मित मन्डी में स्थान्तरित किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

148. दुर्गापुरा नर्सरी से पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता के अनुसार पंचायत समिति बस्सी, दौसा, सिकराय, बांदीकुई, लालसोट, चाकसू को ग्राम, नींबू व अमरूद के फलदार पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

149. जयपुर जिले की पंचायत समिति दौसा, सिकराय, बांदीकुई, लालसोट एवं बस्सी में खारड़ी भूमि की जांच कर उसको उपजाऊ बनाने हेतु जिप्सम खाद सस्ती दरों पर किसान को उपलब्ध कराये जाने एवं उत्पादन बढ़ाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

श्री जयनारायण बैरवा (फागी):

श्री प्रभूदयाल मीणा (सिकराय):

150. कृषि उपज मण्डी समिति चाकसू की फागी में यार्ड मण्डी बनाये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):

151. कृषि विस्तार कार्यक्रम खाद बीज की समय पर अनुपलब्धि पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा):

152. कृषि विभाग राज्य में फसलों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं व

173

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

कीड़ों में खास तौर से कातरा कीटाणुओं को नष्ट करने में कृषि विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

153. बीकानेर जिले व चूरू जिले व नागौर जिले में मोठ की फसल में पिछले कई वर्षों से चली आ रही सफेद बीमारी की जांच करके बीमारी का पता लगाने व खत्म करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

154 छोटे किसानों को खेती करने एवं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए योजनाबद्ध रूप से खाद एवं उर्वरक तथा उपकरण की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

155. सरकार काश्तकारों की फसलों में लगी कई प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के बारे में उपाय करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

156. राज्य में काश्तकारों को खेती में काम आने वाले उपकरणों व औजारों ट्रैक्टरों व ट्रोलियों आदि का लाभ देने में असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मोटाराम (सिवाना) :

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) :

157. लघु एवं सीमान्त कृषकों को ऋण एवं खाद बीज की विशेष सहायता देने पर चर्चा के लिये।

श्री मोटाराम (सिवाना) :

158. कृषि आदान पखवाड़ों में ऋण एवं बीज खाद वितरण की सुव्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) :

159. कृषि आदान पखवाड़ों में ऋण एवं बीज खाद वितरण की सुव्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

160. बाली उपखण्ड मुख्यालय पर कृषि उपखण्ड अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री उदयराम धाकड़ (बड़ी सादड़ी) :

161. बड़ी सादड़ी क्षेत्र में बीज वितरण में की गयी धांधलियों की चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

162. चम्बल क्षेत्र में कृषि स्टाफ के कम किया जाने से कृषि कार्य में रुकावट एवं कृषक वर्ग में असन्तोष फैलने पर चर्चा के लिये।

163. कृषि विभाग में पौध संरक्षण यूनिटों को फिर से चालू करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

164 गांवों में लगाये जाने वाले प्रदर्शनों के खर्च में बढ़ोतरी करने को प्राथमिकता दी जाने पर चर्चा के लिये।

165. कृषि विभाग में राज्य सरकार की रोस्टर प्रणाली लागू करवायी जाने पर चर्चा के लिये।

166. केशवरायपाटन क्षेत्र में गन्ने की उन्नत किस्मों की खेती करवायी जावे

174

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

के लिए उपयुक्त खाद और उर्वरक दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

167. पौध संरक्षण कार्य हेतु कृषि यन्त्रों के लिए बहुतायत से कृषकों को अनुदान वितरण करने पर चर्चा के लिये ।

168. उन्नत बीजों की तरह दवाइयां भी लघु सीमान्त कृषकों को 100% अनुदान पर दी जाने पर चर्चा के लिये ।

169. केशवरायपाटन क्षेत्र के कृषकों को कृषि विस्तार की जानकारी हेतु देश के प्रमुख कृषि केन्द्रों का दौरा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लियें ।

170. केशवरायपाटन क्षेत्र कृषि उपज की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने से इस क्षेत्र में कार्यरत स्टाफ को देश के महत्वपूर्ण कृषि फार्मों एवं अनुसंधान केन्द्रों का दौरा करवाया जाने पर चर्चा के लिये ।

171. पौध संरक्षण कार्य को केशवरायपाटन क्षेत्र में विशेष तौर से प्राथमिकता के आधार पर चालू कर नया स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

172. केशवरायपाटन क्षेत्र में चावल (धान) की नई बीमारी रोधक किस्में ही विभाग द्वारा बुवाई जाने पर चर्चा के लिये ।

173. केशवरायपाटन तहसील में सोयाबीन का विशेष अभियान चलाकर क्षेत्र बढ़ाने, उन्नत किस्में वितरित करने एवं उन्नत खेती की जाने पर चर्चा के लिये ।

174. केशवरायपाटन क्षेत्र की कृषि उपजों को सुगमता पूर्वक बेचने के लिये कृषि उपज मण्डी कारपरेशन को मान्यता दिलाई जाने पर चर्चा के लिये ।

175. पौध संरक्षण में दलहन एवं तिलहन फसलों पर काम आने वाली दवाइयों को पूरे क्षेत्र के लिये अनुदान पर बेचने के विषय पर चर्चा के लिये ।

176. दलहन एवं तिलहन में होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु क्षेत्रवार बीजोपचार दवाइयों की वितरण व्यवस्था की जाने पर चर्चा के लिये ।

177. वर्ष 1984-85 के केशवरायपाटन क्षेत्र में चावल की फसल में भयकर बीमारियों से हुए नुकसान को मध्यनजर रखते हुए दवाइयों की पूर्व में ही व्यवस्था करवाई जाने पर चर्चा के लिये ।

178. चम्बल क्षेत्र में हर वर्ष चने में विभिन्न कीड़ों के लगने से करीब 50 से 70 प्रतिशत क्षतिपूर्ति हेतु दवाइयों पर विशेष अनुदान राशि स्वीकृत कर कृषकों को राहत देने पर चर्चा के लिए ।

179. केशवरायपाटन क्षेत्र में गन्ने की फसल को विभिन्न कीड़ों एवं बीमारियों से बचाने हेतु शुगर मिल के जमा कोष से दवाइयां कृषकों को दिलाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री अमर चन्द (गंगरार) :

180. कृषि विभाग द्वारा किसानों को खाद तथा उच्च स्तर का बीज वितरण

(श्री भ्रमर चन्द)

समय पर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

181. कृषि विभाग द्वारा कृषकों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मी नारायण किसान (फुलेरा):

182. मेरे निर्वाचन क्षेत्र फुलेरा में कृषि उपज मण्डी समिति किशनगढ़-रेनवाल के द्वारा ली जा रही भूमि बाढ़ की चपेट में आने से विभाग को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये ।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) :

183. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की सेवाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

184. तिलहन एवं दलहन के लिए उन्नत बीजों की वितरण व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

185. कृषि औजार एवं कीटनाशक दवाइयों की वितरण व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

186. सिरोही जिले में मिट्टी एवं जल के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला स्थापना पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुधा (मण्डावा) :

187. कृषि के काम में आने वाले विभिन्न खाद व बीजों का समय पर वितरण न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा) :

188. सपोटरा क्षेत्र के लिए मउंरायल ग्राम में बीज वितरण की व्यवस्था कराने की चर्चा के लिये ।

189. सपोटरा क्षेत्र में मूंगफली की फसल में प्रत्येक वर्ष कीड़ा लग जाने पर भी कीटनाशक दवाइयों का प्रबन्ध नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये ।

190. सपोटरा क्षेत्र में भूमि को समतल बनाने हेतु कर्जे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन) :

191. हिण्डौन क्षेत्र में कृषकों को समय पर बीज वितरण नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी(बस्सी) :

श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) :

192. किसानों को आने वाली वस्तुयें जैसे बीज रासायनिक खाद,सीमेन्ट तथा लोहा आदि की निरन्तर बढ़ रही कीमतों को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

176

(श्री प्रभूदयाल मीणा)

193. किसानों को घटिया किस्म के डीजल पम्पसैट मंहगी कीमत पर बेचने पर सरकार का कोई अंकुश न होने तथा तकनीकी परीक्षण किए बिना पैसे के बल पर आई. एस. आई. मार्का की मोहर लगवाकर किसानों के साथ हो रहे धोखे के संदर्भ में चर्चा के लिये।

194. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को स्वीकृत ऋण की प्रथम किस्त देने के बाद ऋण का उपयोग करने के उपरान्त भी ऋण की द्वितीय व तृतीय किस्त नहीं देने से कृषि उत्पादन पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) :

195. झुन्झुनू जिले के किसानों को कृषि हेतु उन्नत किस्म के खाद व बीज उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

196. झुन्झुनू जिले में बीज संवर्धन एवं वितरण में भेद भाव पर चर्चा के लिये।

197. उदयपुरवाटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कृषि के लिये संसाधनों का विस्तार कर किसानों को आवश्यक जानकारी कराने पर चर्चा के लिये।

198. उदयपुर वाटी निर्वाचन क्षेत्र में गोबर गैस प्लान्ट हेतु सहायता एवं अनुदान उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

199. उदयपुरवाटी निर्वाचन क्षेत्र में बहु फसलीय योजना के बारे में किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. कृषि उपज का किसानों को उचित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

201. उद्योगों के समान कृषकों को जनरेटर व डीजल पम्प लगाने हेतु अनुदान देने पर चर्चा के लिये।

202. जिन पंचायत समितियों में कृषि प्रसार अधिकारियों के पद समाप्त किये गए थे, को पुनः अनावश्यक रूप से रखने पर चर्चा के लिये।

203. लघु सीमान्त कृषकों को वितरण किए बीज तथा खाद के मिनीकीट में किये जा रहे घोटालों पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

204. राज्य में की जा रही खाद की बिक्री की थैलियों में कम खाद होने व इसकी जानकारी विभाग को होते हुए भी कार्यवाही न करने बाबत चर्चा के लिये।

205. कोटा स्थित उम्मेदगंज फार्म से गलत तरीकों से हुई सरसों की बिक्री व उसमें व्याप्त घोटालों पर चर्चा के लिये।

206. कोटा जिले उम्मेदगंज फार्म पर हुए मटर बिक्री काण्ड में मुख्य अपराधियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही न कर निरपराध व्यक्तियों को फंसाने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

207. राज्य में शंकर ज्वार का नकली बीज मंगाकर किसानों को दिए जाने पर चर्चा के लिये।

208. कोटा जिले के विभागीय चल-चित्र प्रचार वाहन के खराब होने व वर्षो से ठीक न करवाने पर चर्चा के लिये।

209. कोटा में कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर किसानों को सम्यक सलाह न देने पर चर्चा के लिये।

210. कोटा स्थित कृषि विभाग में वाहनों का दुरुपयोग किए जाने पर चर्चा के लिये।

211. इस वर्ष सरसों की फसल में कीड़ा लगने व विभाग द्वारा उसे बचा नहीं पाने पर चर्चा के लिये।

212. कोटा नगर में फल विकास अधिकारी के समाप्त किए पद को पुनः सृजित करने पर चर्चा के लिये।

213. कृषि विभाग में पदोन्नतियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

214. राज्य के कृषि फार्मों में प्रति वर्ष हो रहे भारी नुकसान पर चर्चा के लिये।

215. राज्य में स्थित कृषि फार्म्स में व्याप्त घोटालों पर चर्चा के लिये।

216. कोटा जिले के देवली, सावन-भादों तथा कनवास आदि ग्रामों में उत्पादित मसूर की फसल में प्रति वर्ष लगने वाले कीड़े से फसल को बचाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

217 खेती वाड़ी के कार्य हेतु बाजार में बिकने वाली नकली औषधियों को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

218. सुल्तानपुर में कृषि उपज मण्डी घोषित करने पर चर्चा के लिये।

219. कोटा जिले के कृषकों को खाद तथा बीज समय पर न दिए जाने पर चर्चा के लिये।

220. सीमोद में कृषि उपज मण्डी कमेटी को गौण मण्डी घोषित करवाने पर चर्चा के लिये।

221. कृषि उपज मण्डी समिति के नियमित चुनाव शीघ्र करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कल्याणसिंह कालवी (डूंगाना) :

222. कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उत्पादन के खरीद में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

223. कृषि विभाग व कृषि उद्योग निगम के औजार व मशीनें बेकार पड़ी रहने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

224. प्रदेश में कृषि विस्तार विकास एवं अनुसंधान की अधिक आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. बीज प्रमाणिकरण खरीद व वितरण के तरीकों पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

226. तहसील बस्सी, ग्राम मोहनपुरा के अनुसूचित जाति के कृषकों को विभाग द्वारा उन्नत किस्म का बीज समय पर न दिए जाने पर चर्चा के लिये।

227. तहसील बस्सी ग्राम मोहनपुरा के कृषकों को कृषि औजारों के उपयोग की समुचित जानकारी विभाग द्वारा नहीं देने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

228. अनुसूचित जाति के लघु कृषकों को निःशुल्क फलदार पौधे उपलब्ध कराये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

229. जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम दयालपुरा, खेड़लावास, कामोरी पाटण, बाढ़ बापूपुरा की मिट्टी का परिक्षण कर किसानों को खेती के मामले में सलाह देने में विभाग को असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):

230. जिला बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय के खोलने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

231. जिला बीकानेर व जैसलमेर में सघन अनाज भण्डार बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

232. प्रदेश में कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के औचित्य पर चर्चा के लिये।

233. प्रदेश में उर्वरक लक्षण नियंत्रण में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

234. ग्रामीण अंचल में कृषि की उन्नत विधियों का प्रदर्शन करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

235. दालों की विकास योजना में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

236. अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रचार एवं प्रसार के कार्यक्रम में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

237. जिला बीकानेर में मैस प्लांट कार्यक्रम की असफतला पर चर्चा के लिये।

238. जिला गंगानगर एवं बीकानेर में खाद और उर्वरक वितरण में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

239. बीज सवर्धन और वितरण में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

240. भूमि सुधार में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

241. पौध संरक्षण हेतु विभाग द्वारा किसानों को सही व समय पर दिशा निर्देश देने में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

242. कृषि शिक्षा के प्रचार व प्रसार के कार्यक्रम में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

243. जिला बीकानेर तथा जैसलमेर में वन और चरागाह विकास की ओर सरकार का विशेष ध्यान दिलाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

244. लघु तथा सीमान्त कृषक को बीज तथा खाद आदि के लिए सहायतार्थ

(श्री देवीसिंह भाटी)

अनुदान बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

245. प्रजनन फलोद्यानों की स्थापना के औचित्य पर चर्चा के लिये।

246. फसलों की पैदावार तथा क्षेत्रफल के बारे में समय पर सूचना देने हेतु विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

247. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के सहायतार्थ अनुदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

248. कृषि विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु सहायतार्थ अनुदान बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

249. जिला जैसलमेर व बीकानेर में भूमि विकास में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

250. पंचायती राज संस्थाओं को कर्ज बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

251. जिला बीकानेर के ग्रामीण अंचल में भण्डागार बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

252. जिला बीकानेर एवं गंगानगर मे उर्वरक के लिए भूमि परीक्षण मे विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

253. जिला बीकानेर एवं गंगानगर में खाद एवं उर्वरक की बढ़ती कीमतों से अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

254. वनस्पति बीज उत्पादन योजना के प्रचार एवं प्रसार में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

255. जिला बीकानेर व गंगानगर में राइजोबियम कल्चर सवर्धन योजना के प्रचार एवं प्रसार में विभागीय निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

256. भू-सिलींग में प्राप्त आवंटित भूमि में कृषि उत्पादन एवं विकास हेतु सहायता एवं अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

257. सरकार द्वारा कृषि इन्जीनियरिंग में विशेष रुचि न लेने पर चर्चा के लिये।

258. विभाग द्वारा कृषि अनुसंधान में विशेष रुचि न लेने पर चर्चा के लिये।

259. कृषि विपणन और गुण नियंत्रण में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

260. जिला बीकानेर में तिलहन की विकास योजनाओं को सही रूप से लागू करने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

261. जिला बीकानेर, तहसील कोलायत की कृषि उपज मण्डी की सड़क इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर. डी. 910 से मानकासर-भलूरी तक जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. वाणिज्यिक फसलों को प्रोत्साहन देने पर विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

263. जिला बीकानेर एवं गंगानगर में खाद एवं उर्वरक की बढ़ी कीमतों पर अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

264. सीमावर्ती क्षेत्र के कृषकों को खेती हेतु उत्तम बीज खरीद करने के लिये विशेष ऋण देने पर चर्चा के लिये ।

265. जिला बीकानेर की कोलायत तहसील के काश्तकारों को उन्नत बीज दिलाने की पूर्ण व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये ।

266. कृषि उपकरण अनुदानित राशि पर उपलब्ध कराने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

267. नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहन फसल का विस्तार करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

268. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कपास की गहन उपज बढ़ाने व प्रोत्साहन देने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

269. फसलों की पैदावार तथा क्षेत्र-फल के अनुमानों के बारे में समय पर सूचना देने की असफलता पर चर्चा के लिये ।

270. विपणन निदेशालय के अनाव-श्यक कर भार की चर्चा के लिये ।

271. प्रदेश में रोपणियों की स्थापना करने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

272. जिला बीकानेर तहसील कोला-यत के ग्राम रायकला से बरसलपुर कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

273. जिला बीकानेर में गोबर गैस संयन्त्रों की स्थापना में राज्य कोष के भारी दुरुपयोग पर चर्चा के लिये ।

274. जिला बीकानेर तहसील कोला-यत के ग्राम खारी चारणान की सड़क को सुरजड़ा, भगनेऊ व इन्दिरा गांधी नहर की आर. डी. 837 तक कृषि उपज मण्डी के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर) :

275. कृषि विस्तार केन्द्रों में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

276. कृषि विस्तार केन्द्रों को और अधिक उपयोगी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री पन्नालाल मीणा (बागीडोरा) :

277. कृषकों को खाद बीज उपलब्ध कराने में की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री पन्नालाल मीणा (बागीडोरा) :

278 कृषि में उपयोग आने वाली दवाइयों के लिये अनुदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

279. लघु कृषकों को कृषि औजारों में अनुदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

280 कृषकों को सस्ता खाद उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

281 कृषि के लिए सही व सस्ता बीज उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) :

282. कृषि जन्य वस्तुओं की कीमत कम होने पर चर्चा के लिये।

283. कृषि कार्य में काम आनेवाली कीटनाशक दवाओं पर, अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

284. कृषि उपज मण्डियों में हो रहे कृषकों के शोषण पर चर्चा के लिये।

285. कृषि में कीड़ा लग जाने पर समय पर दवा छिड़कने की सलाह न दिये जाने पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

286. कृषि योग्य उत्तम बीज समय पर उपलब्ध न कराये जाने से कृषि उत्पादन में हो रही कमी पर चर्चा के लिये।

287. कृषि भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) :

288. कृषकों को गोबर गैस प्लान्ट लगाने हेतु अंशदान व अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 37 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द गुर्जर।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : एक निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय। आपने फरमाया था एक इधर से बोलेंगे और एक उधर से जो मैंने कहा हमारे नेता हैं नाथूराम जी मिर्धा बोलेंगे। मैंने लिखकर भी दिया है। उनको बहस शुरू करने का मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नाथूराम जी साहब।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : प्वाइंट ऑफ आर्डर। इस 50 मेजर हैड के अन्तर्गत 19 और 20 डिमाण्ड है मण्डी विकास, यह लघु सिंचाई में आती है और अब यह मांग सख्या 37 कृषि में डाल दी गई है जबकि ऐसे मामलों पर पहले बहस हो चुकी है।

एक माननीय सदस्य : उसी में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नाथूराम जी मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कृषि की इस मांग पर मैं, कुछ विचार सदन के माननीय सदस्यों के सामने, आपके सामने रखना चाहता हूं। यह हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और आने वाले 100 वर्षों तक भी यह कृषि प्रधान देश

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रहेगा। यह बात और यह राय कोई मेरी नहीं है इस देश में जो कृषि आयोग बना था 71 में और जिसने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी 75 में उसमें इसका एक बहुत महत्वपूर्ण चेप्टर लिखा हुआ है जिसमें इस बात को बहुत जोर देकर कहा गया है कि इस देश में चाहे हम कितना ही औद्योगिकरण करें आने वाले 100 साल तक भी यह हमारा देश जिस तरह से इसका दावा है और जिस तरह से आबादी बढ़ती रहती है, कृषि प्रधान देश रहेगा और आबादी का बहुत बडा हिस्सा जमीन पर ही गुजर करेगा और जमीन पर ही अपनी जिन्दगी बितायेगा। इसलिए इस कृषि प्रधान देश में, पूरे देश का जिक्र करता हूं, राजस्थान भी उसी का हिस्सा है क्योंकि आप और हम देख लें इस बात को कि आजादी के 38-39 वर्षों के बाद भी इस देश में जो जनसंख्या....

(4.45 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

जमीन पर अपना गुजर करती थी उस आबादी का परसेन्टेज वो का वो है जो आजादी के वक्त में था। आज भी हमारे देश के 75 प्रतिशत, 78/77 प्रतिशत लोग काश्त करके अपना गुजर करते हैं और जमीन के साथ में जुड़ा हुआ पशुपालन का धन्धा भी है और यह भी जमीन से जुड़ा हुआ धन्धा है उस पर बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा आधारित है। इसलिए हमें हमेशा आने वाली योजनाओं में इस कृषि के ऊपर बहुत ही विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कृषि का उत्पादन बढ़ा है और उत्पादन जब हम आजाद हुए थे उस समय इस देश का उत्पादन करीब 50 मिलियन टन के आस पास था और आज इस देश का उत्पादन करीब 150 मिलियन टन के आस पास है। और आज कृषि की जमीन और खेती करने का रकबा भी बढ़ा है और निश्चित तौर पर देश में जो कुछ भी हमने कृषि के टेक्निक और टेक्नोलाजी को अपनाया है उस दृष्टि से भी इस देश में हमारी प्रोडक्टिविटी भी पर एकड़ और पर हैक्टर कुछ फसलों में ज्यादा बढ़ी है, कुछ फसलों में कम बढ़ी है परन्तु अभी भी हमारी देश की पर हैक्टर कहीं पर एकड़ कहें जो प्रोडक्टीविटी है वह प्रोडक्टीविटी दुनिया के कृषि प्रधान और विकसित देशों में सब तरह के धानों में तिलहन में, कपास में, जितनी भी हमारी फसलें हैं उनमें कम्परेटिवली बहुत कम है। इसलिए पर एकड़ और पर यूनिट प्रोडक्टीविटी बढ़ाने की अभी भी गुंजाइश है और इसी के लिए विशेष तौर पर जोर देना है। खेती बाड़ी की जमीन कितनी अवलेबल है उस लिमिट पर हम पहुंच गये हैं जबकि उन जमीनों का विकास और उन जमीनों का खेती का एरिया बढ़ाने की गुंजाइश बहुत सीमित है। बहुत कुछ ऐसी जमीनें रह गई हैं, मार्जिनल लैण्ड है और बहुत सी जो कुछ बहुत अच्छी थी, वे लगातार बिगड़ती जा रही हैं। उसके कई कारण हैं और बिगाड़ भी जमीनों का काफी हो रहा है। बहुत सी जमीनें इनक्लाइन बन गई, बहुत सी जमीनों में रेवाइन्ज बन गये और बहुत सी जमीने उजड़ती चली जा रही हैं उन जमीनों का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रकबा भी करीब 70 मिलियन हैक्टेयर के आसपास है पूरे देश का। राजस्थान की पूरी फिगर ठीक से याद नहीं अभी स्टेटिक्स की बुक आई थी मैंने अभी उसको देखा नहीं। मैं सोचता हूं काफी होना चाहिए। और जमीनें बढ़ी हैं और जमीन में खेती बढ़ाने की अब गुंजाइश तो बहुत कम है इसलिए पर यूनिट प्रोडक्टिवीटी बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसके लिए जो विशेष तौर से खेत के साथ जुड़ी हुई समस्यायें हैं और जिनके जरिये से हम खेती का उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं पर यूनिट लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो जमीन का सवाल आता है जमीन का जहां तक सवाल है। हमने बहुत से कानून बनाये और उन कानूनों का इम्पलीमेंटेशन भी बहुतों में हुआ लेकिन अभी बहुत बाकी है खास तौर से सीलिंग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सीलिंग के बारे में एक कानून बना इस राजस्थान में बहुत पुराना कानून बहुत वर्षों पहले बना फिर उसके बाद दूसरा कानून बना, अब इन दोनों कानूनों के बीच में जो मतभेद है उसकी वजह से भी काफी मामले उलझे पड़े हुए हैं तो जमीन की निश्चिन्तता किसान के दिमाग में हो। हमने 1654 और 1955 में टिनेन्सी एक्ट बनाया था और उस समय हमने कहा था इस तारीख को उस पर जो काबिज है वह उसका खातेदार है। यह एक बड़ा दुनियावी कानून था अब उस कानून के अन्दर कई तरह के एक्सपेशन्स समय-समय पर जिस तरह से आते चले गये सीलिंग की वजह से कई लोगों को अभी तक खातेदारी का पता नहीं है किस जगह उनके राइट्स हैं। उन जमीनों के राइट्स के लिए उन लोगों को पता नहीं, उन जमीनों के विकास और उसके अन्दर तरक्की की जो गुंजाइश बनती है वह पैदा ही नहीं होती क्योंकि किसी को राइट्स का पता नहीं है। इसलिए पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो इनपुट चाहिये उतना उसके अन्दर नहीं होता। कुछ कानूनों में इस प्रकार की बातें इतनी उलझा दी गई हैं जो खातेदार को राइट्स मिले थे 1955 में टिनेन्सी एक्ट के वक्त उनको वापिस लिया गया। खातेदारी के राइट्स नहीं देने चाहिये। मैंने पहले भी कहा था इस सदन में इशारा किया था आज भी इशारा करना चाहता हूं। मन्दिरों के नाम से पुजारी या मन्दिर के नाम से आज जो कुछ खातेदारी किसी के रिकार्ड में थी उन दिनों में उनको वापिस खदेड़ दिया गया और जमीनें उन लोगों की छुड़ा लीं। बेचारे जिन लोगों ने कुएं बना लिये जमीनों का विकास कर दिया उनको एक रात में यह कह दिया कि वह उसका खातेदार नहीं है फिर कहेंगे उनको निकालो। निकलने के बाद निकालो तो नहीं इनसे पूरा पैसा वसूल करो इसी के साथ साथ होल्डिंग के बारे में बिजली के सवाल को लेकर होल्डिंग और जमीन के बारे में लोगों को जानबूझ कर मजबूरी से बटवारा करना पड़ा। साढ़े बारह बीघा जमीन से ज्यादा बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकते। लोगों ने पैसे लगाये और जमीनों के होल्डिंग्स को छुड़वाया। अब यह कानून बनाया जा रहा है इस प्रकार की होल्डिंग्स नहीं छुड़वायेंगे। सारे आफिसर्स जिन्होंने होल्डिंग्स तोड़े थे और जिन्होंने ऐसे रजिस्ट्रेशन को कर लिया उनके खिलाफ एन्क्वायरी करो कि उन्होंने होल्डिंग्स को कैसे तोड़ दिया। भाई राज-

1854

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्थान के होल्डिंग्स काफी बड़े बड़े हैं और उन होल्डिंग्स को बिजली की वजह से तोड़ दिया या किस तरह से कर दिया तो सारे मामलों को कर दिया। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं ये छोटे मोटे उदाहरण देकर बहुत बातें है, मैंने कमला जी को लिखा भी था उन्होंने सुझाव भी मांगे थे। सब माननीय सदस्यों को उन्होंने बड़ा सुन्दर सा पत्र लिखा था। मैं सोचता था कि इस प्रकार की कठिनाइयों को मेम्बरों को सोच समझ कर उन कानूनों में सुधार करने की जरूरत है, सुझाव देना था और उन कानूनों में परिवर्तन होना चाहिये। कानूनों में इतने नियम और फिर उनके भी नियम, इतने नियम इस सम्बन्ध में हो गये हैं कि आसानी से एक किसान के पूरे कानून समझ में आ भी नहीं सकते हैं। क्या इन कानूनों का सिम्पलीफिकेशन होना जरूरी नहीं है? ताकि जमीनों के अन्दर किसान को पता लगे कि मैं कहां पर खड़ा हूं मेरा हक क्या है, कितनी जमीन मेरे पास रहेगी। उस जमीन के ऊपर इन्डीविजुअली कितना डवलपमेंट और किस प्रकार का विकास का काम करूं, तो यह जमीन का मामला बड़ा अहम मामला है।

खेती की प्रोडक्टिविटि बढ़ाने की दृष्टि से और खास तौर से ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि सिचाई के मामले में चर्चा हो गई पर एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे याद है जब मैं यहां कृषि मंत्री था तो राजस्थान के बहुत से इलाकों में जहां पर डीप वाटर है और अच्छा पानी है, उस पानी को एक्सप्लाइट करने के लिए राज्य सरकार को स्टेट ट्यूब वैल्स की योजना बनानी थी। योजना बनी, वह शुरू भी हुई थी but it was nipped in the lend. वहीं पर खतम हो गई। कोई इस पर विचार नहीं हुआ। जो किसान अपना कुआ बनाता है या ट्यूबवैल बनाता है सरफेज को टेन्चाइज करके पानी निकाले। नीचे पानी है, यह वैज्ञानिक तौर पर सर्वे भी हो चुका है। डीप वाटर राजस्थान के बहुत से इलाकों में है और उस डीप वाटर को बाहर निकाल करके एक किसान अगर उस काम को करे तो जो कई लोगों को लाभ मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता है। क्योंकि राजस्थान में जो मेजर वाटर पोटेंशियल है चाहे वह राजस्थान केनाल से आने वाला हो या और कहीं से आने का हो उसमें कुछ किया है और करने की कोशिश जारी है। मध्यम योजनायें जहां बन सकती थी वे बनाई जा रही हैं पर जब तक आप खेतो की सिंचाई के लिए...

सदन की कार्यवाही विधान सभा के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग पारित हो, जब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: सदन की आज्ञा से सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 37 पर विचार

श्री नाथू राम मिर्धा: तो मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान के कई इलाकों में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

डीप वाटर एक्वीफर है और उसको अगर काम में ले करके किसान को पानी की सिंचाई की फेसिलिटी नहीं कर पायेंगे इस स्टेट की तरफ से तो जो बहुत से राज्यों ने कर रखी है चाहे आप हरियाणा में देखें, चाहें आप यू. पी. में देखें, चाहें आप बिहार में देख लें। स्टेट ट्यूब वेल सब जगह काम करते हैं तो डीप एक्वीफर ट्यूब वेल बना करके हर किसान को चाहें आप थोड़ा थोड़ा पानी दें। आप 10 बीघा में दें, 15 बीघा में दें, 10 एकड़ में दें पर इस प्रकार के ट्यूब वेल बना करके जब तक पानी डीप लेवल से नहीं निकालेंगे तब तक जमीन की प्रोडक्टिविटि बढ़ना मुश्किल है क्योंकि आज भी जो यह हमारा मरु प्रदेश है वह रेन फाल की इन्टेन्सिटि पर निर्भर करता है। इस पानी का ठीक तरह से उपयोग हो करके जो आज सडीन बना रहे है या छोटे बान्ध बना रहे हैं, उनका पानी आता है कुओं में ऊपर और डीप परलोकेशन के लिये भी आजकल तो साइन्टिफिक इतने री-चार्जिंग के तरीके बन बन गए हैं तो हम वाटर का री-चार्जिंग और वाटर का उपयोग अगर राजस्थान में किसानों के लिए नहीं करेंगे तो हमारा पर एकड़ या पर हेक्टर या पर यूनिट, मैं समझूं एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि वेगरिंग आफ नेचर मानसून आप देखते हैं पांच साल में एक आध बार ठीक होता है बाकी तीन-चार साल में कोई दो साल सूखा रहता है, दो साल अकाल पड़ता है तो इस तरह से राजस्थान की प्रोडक्टिविटि आगे नहीं आयेगी।

मैंने जैसा कहा हर चीज की प्रोडक्टिविटि बढ़ी है-कपास की बढ़ी है हमारे देश में, खाद्यान्न बढ़े हैं, तिलहन बढ़ा है पर आज भी हम आत्म निर्भर अपने आपको नहीं कर सकते हैं। आज भी बहुत सी चीजें एक दफा तो ज्यादा हो जाती है और दूसरी दफा इम्पोर्ट करनी पड़ती है, आज भी हमको बहुत सी चीजें, यह चीनी एक दफा तो ज्यादा हो जाती है दूसरी दफा बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है कई दफा काटन ज्यादा हो जाती है और दूसरी दफा काटन बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। यह भी कुछ इकानोमिक जो तरीका है, उस पर भी गंभीरता से विचार करके देखना होगा क्योंकि अभी हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। बाई दी एण्ड आफ दी सेंचुरी हमने 100 करोड़ पापूलेशन का फोरकास्ट किया है, इस देश में और 100 करोड़ पापूलेशन के लिए इस देश में कृषि से उत्पादन होने वाली कितनी कितनी चीजें चाहेंगी, उसका पूरा विवरण हमने इस राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट में पूरी तरह से देश के सामने रखी है। अब कौन उन चीजों को देखता है और उसके हिसाब से प्रोडक्शन और प्रोग्राम रखने के लिए हर काम को गहराई से देखना चाहिये, क्योंकि आखिर कृषि है जिसमें कुछ पालिसीज का डिसिजन तो केन्द्र सरकार करती है पर ज्यादातर चीजों का फैसला राज्य सरकारों को करना पड़ता है और राज्य सरकारों को मेरा खास तौर से निवेदन है कि कृषि आयोग की रिपोर्ट और इसमें दी हुई सिफारिशों और खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया सुझाव और किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नया स्ट्रक्चर खड़ा करना, किस प्रकार से स्टेट लेवल पर इस स्ट्रक्चर को बनाना, किस तरह मिनिस्ट्री का अपना ताल मेल बैठना। ये बहुत ही इम्पारटेन्ट रिकमन्डेशन्स जिनको आखिर हर स्टेट को अपने यहां लागू करना है। केन्द्र के साथ क्या रिलेशन हो, वह एक अलग चेप्टर है। एक दिन मैं बैठा था। मुख्य मंत्र

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जी के यहां पर और मुख्य सचिव जी भी थे, बहुत से लोग भी थे, बड़े बड़े प्राफिसर्स भी थे, उन्होंने कहा हम देखेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेन्जेज करें कि किस प्रकार कृषि में उत्पादन की दृष्टि से नये टेक्निक अपनाये जायं, उनको देखने की जरूरत है और मैं खास तौर से स्टेट ट्यूब वैल की जब बात कहता हूं या प्राइवेट ट्यूब वैल की बात करता हूं तो आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं। जो पहले के ट्यूब वैल हमारे इलाके में हैं वह 33 से 36 हजार में बना करके देते थे वह आज 80 हजार से लेकर 1 लाख 20 हजार में बना कर देते हैं। इतनी रेट आपने ऊंची कर दी बताइये किसान 1 लाख 20 हजार का ट्यूब वैल बना करके कैसे तो उसका ब्याज चुकायेगा और कैसे उसकी रकम चुक पायेगी। मशीनें हमारे पास बहुत सीमित हैं। ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का करीब करीब काम खतम हो गया। उसके अन्दर जो आज लोग बैठे हैं, उनका किसान से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है। ग्राउण्ड वाटर बोर्ड बनाया था बहुत उमंग के साथ में और उसके साथ में बड़ी बड़ी रिग्स मंगाई थी और आज तो रिग्स बहुत अच्छे तरीके की बनाई हुई है जो एक दिन में दो ट्यूब वैल बना सकती है इतनी उसके पास ताकत है इसलिए ट्यूब वैल के आर्गेनाइजेशन को बढ़ावे, ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का आर्गेनाइजेशन राजस्थान में एक दफा सबसे बेस्ट माना जाता था, हिन्दुस्तान में वह आज सबसे नीचे पहुंच चुका है। इसको हम कैसे ठीक करें, इस पर मैं जोर देना चाहता हूं कि आप ध्यान करें।

अब मैं खास तौर से कुछ बातें रिसर्च के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इतना महत्वपूर्ण विषय है और रिसर्च के बारे में कमीशन ने अलग से भी रिपोर्ट की है और बड़ा भारी डिविजन किया है, इसकी क्या जिम्मेदारी है रिसर्च के बारे में। रिसर्च के बारे में हमने कहा है फन्डामेन्टल रिसर्च करने का काम इस देश में बहुत पिछड़ चुका है। जो पहले शुरू शुरू में कुछ हुआ था। वह अब इन वर्षों में फन्डामेन्टल रिसर्च का काम बिलकुल बन्द कर दिया है, करीब करीब बन्द है। बहुत कम लोग फन्डामेन्टल रिसर्च का काम करते हैं बाकी तो ज्यादातर अप्लाइड रिसर्च के ऊपर लोग काम करते हैं। हमने यह कहा है मुख्य तौर से रिसर्च का काम विश्वविद्यालयों के जिम्मे छोड़ना चाहिये और विश्वविद्यालय हमारे पास में कृषि के कुछ प्रान्तों में चार हैं, कहीं पांच है तो कहीं तीन और दो ही है पर हमारे राजस्थान में तो कृषि का विश्वविद्यालय एक ही है। यह बड़ी दुर्भाग्य-पूर्ण स्थिति है और आई. सी. ई. आर. टी. से हमारी रोज लड़ाई होती रहती है कि आपके इस कृषि कालेज को जो उदयपुर में है जो आपको ऐड देते हैं इसको भी बन्द करेंगे जब तक आप एग्रीकल्चर युनिवर्सिटि इसको बनायेंगे। उदयपुर में पहले सोचा तो यह था कि एग्रीकल्चर युनि-वर्सिटि हम बना रहे हैं पर उसको भी एम. बी. कालेज के साथ मिलाने से, उसका दर्जा हल्का हो गया। वह कृषि विश्वविद्यालय रहा ही नहीं। अब वह कृषि विश्वविद्यालय नहीं रहा तो हमारे उसके कैम्पस हैं वह भी विश्वविद्यालय के हिस्से नहीं रहे तो आज जो कुछ भी अपन लड़ झगड़ के ऐड ला रहे हैं पर उसका दर्जा इतना हल्का हो गया है कि उस दर्जे के अन्दर फण्डामैन्टल रिसर्च की तो आज

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बात कोई सोचने वाला है ही नहीं और फण्डामेंटल रिसर्च के लिये अगर ठीक तरह से नहीं सोचेंगे तो खास तौर से रिसर्च, आपको सब को मालूम है कि एक बीज कृषि के अन्दर उत्पादन करने के लिए 20 से 25 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी करता है। एक अगर अच्छा बीज हो तो 20 से 25 पर्सेन्ट तक बढ़ोतरी होती है। हमारे यहां पर शुरू शुरू में कुछ काम हुआ, गेहूं में कुछ बीज निकला, कुछ अच्छा बीज निकला, अच्छे साइंटिस्ट भी थे। यहां तो एक तरह से सारा मामला ठप्प नजर आता है। आज बाजरे के बारे में जो राजस्थान देश का सबसे बड़ा गुजरात और राजस्थान जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो बाजरा प्रोडक्शन के अन्दर है। आज हमको बिल्कुल पता नहीं है कि हम बाजरे का कौन सा बीज कहां से ला रहे हैं, हम यहां पर बाजरे के बीज के उत्पादन के लिए फण्डामैन्टल सीड के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, उसका उत्पादन करने के लिए फण्डामैन्टल सीड उत्पादन करने की, रिसर्च करने का जिम्मा विश्वविद्यालयों का और उनके अधीन फार्मों का है। दूसरा जिम्मा है एन. एस. सी. का तो बड़े बड़े फार्म्स उनके यहां पर भी हैं तो वह फन्डामैन्टल बीज लाकर कुछ कर रहे हैं पर आज भी बीजों के मामले में देश में बड़ी तकलीफ है, साफ-सुथरे तरीके के बीज कि यह बाजरे का शुद्ध और अच्छा बीज है, यह अमुक क्राप का अच्छा बीज है। आज जो मेन क्राप हैं उसके बीज अच्छे नहीं हैं। ठीक है, कभी कभी किसी को 1-2 सुधरे हुए बीज किसी को मिल गये हों क्या हुआ। ज्वार हमारे यहां की इम्पारटेंट क्राप है हमारे पास क्या व्यवस्था है ज्वार का बीज देने के लिए, तिल हमारे यहां पर बहुत होता है, सफेद भी होता है, काला भी होता है। तिल के बारे में अन्दर आइल सीड वालों ने रिसर्च करके कुछ आइल सीड के बीज निकाले हैं आन्ध्र प्रदेश के अन्दर पर यहां कितने पहुंचते है मुझे पता नहीं, वह किट्स भी बांटते हैं छोटे लोगों को, किसानों को मुझे पता नहीं राजस्थान में कितने किट्स आ रहे हैं। आइल सीड्स के बारे में तिल में और भी कितने लोगों को कितने बांटे जाते हैं, उनके साथ में पैकेज प्रोग्राम, पैकेजेज भी रहते हैं, सारी उसमें भूमिका रहती है पर मैं सोचता हूं राजस्थान में बड़ा भारी पोटेंशियल है ज्वार का प्रोडक्शन बढ़ाने का, बाजरे का प्रोडक्शन बढ़ाने का, चौले का प्रोडक्शन बढ़ाने का, ज्वार का प्रोडक्शन बढ़ाने का। इनके बारे में आज भी हमारे यहां मक्के के कुछ एक दो बीज हैं राजस्थान में, पर इनके अलावा इन फसलों के बीज आज भी व्यवस्थित तरीके से हम किसानों को यह कहकर दे सकें कि यह ज्यादा उपज देने वाले बीज है। पर मुझे कोई सुव्यवस्थित बीज नजर नहीं आती है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, प्राइवेट लोगों की खुली हुई हैं, कुछ एन. एस. सी. के डीपोज खुले हुए हैं, जिस जिसका हाथ पड़ता है जैसी जिसको थैली मिल जाती है जिसका जैसा ट्रेन्ड लगा लिया जो कुछ बीज मिल गया किसान लेकर चला आता है। पर इस तरह से बीजों का जब तक सुधार नहीं होगा, पर हैक्टेयर, पर यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने में हमको जबरदस्त धक्का लग रहा है इसलिए अच्छे बीजों का उत्पादन फण्डामैन्टल सही बीज और फिर उसका, सही मल्टीप्लिकेशन। आज आप देखिये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पंचायत राज और फार्म्स हमारे पास कई फार्म्स हैं। स्टेट के बहुत से फार्म्स तो यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर दिये उनको भी देखें कि वे सुचारु रूप से चलने चाहिए लेकिन वह भी नहीं चल पाते। बहुत से फार्म्स स्टेट के भी बेकार पड़े हुए हैं जहां पर सीड का प्रोडक्शन करने का मल्टीप्लाई करने का उसकी जो व्यवस्था है वह सब बेकार पड़ी हुई है। जहां कहीं मैं जाता हूं पंचायत समिति के जो कुछ छोटे मोटे, सौ एकड़ के आपने दे रखे हैं देखिये क्या कर रखे हैं उन्होंने सब लोगों ने खास तौर से मैं भाटी साहब से निवेदन करूंगा कि किसी को तो लीज पर दे रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है क्या उन फार्म्स को हमने इस कल्पना से बनाया था कि पंचायत समिति कुछ बीज अच्छे पैदा करके लोगों को बांटे। उसके बारे में कोई आज व्यवस्था नहीं, तो बीजों का उत्पादन, उनमें सही तरीके से उन्नत किस्म निकालना, इसके बारे में ध्यान देने की आज आवश्यकता है। इस प्रान्तीय लेविल पर विशेष तौर से 'जो हमारी फसलें यहां पैदा होती हैं और जिसके लिए जो वैज्ञानिक तरीका और जो रास्ता राष्ट्रीय कृषि आयोग ने एक स्पेशल रिपोर्ट देकर सीड्स के ऊपर पर्टिकुलरली इसी के बारे में लिखा है। मैं समझता हूं आप पढ़िये उनकी सिफारिशों को फिर देखिये, कितनी सिफारिशें उसमें से इम्पलीमेंट होती हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीज एक महत्वपूर्ण उसका आधार है और जिसके बारे में मेरे हिसाब से अभी कोई सही व्यवस्था नहीं है जिससे हम यह कह सकें कि यह बीज जो हम बांट रहे हैं यह उन्नत किस्म का है और यह फलां जगह उत्पादन किया हुआ है और यह सर्टिफाइड बीज है, अच्छा निकलेगा। हमारे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिए उसमें विस्चेज भी होते हैं उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, मर्जी आती है जो कोई आकर लाइसेंस ले जाता है और लाइसेंसी चाहे जिसको लेकरके ठप्पा लगा देता है तो बीजों का सही वितरण और सही दर्जे का बीज जब तक किसानों के पास नहीं पहुंचेगा तब तक उसको लाभ नहीं मिलेगा।

जहां तक दूसरे इनपुट्स का सवाल है। दो दो शब्द मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहता हूं। प्रश्न आता है खाद के बारे में खाद का जो अपना मेन वितरण है वह आपका कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिये होता है, चाहे वह हमारा क्रय विक्रय सघ से होता हो और दूसरे हमारी इफको एजेन्सी है जो खाद पैदा करती है जहां तक भावों का सवाल है उसके बारे में तो आपका और हमारा हाथ बहुत ज्यादा नहीं है। सही बात है वह भाव तो ऊपर से तय होते हैं पर खादों के वितरण के बारे में भी कुछ जो प्राइवेट कम्पनियां खाद पैदा करती हैं और कुछ लोग उनके जो एजेण्ट्स हैं उन खादों में मिक्सर की समस्या अभी भी मौजूद है और बहुत से लोग वह खाद जो खरीदते हैं उन लोगों से खरीदते हैं उनमें मिक्सचर भी है और बोरियां भी, कट्टे भी कम हैं तोल के अन्दर इन चीजों के बारे में विशेष तौर से देख-रेख होनी चाहिए। कोआपरेटिव सोसायटीज के मैम्बर्स हैं और सोसायटी के जरिये जिनको इनपुट्स मिलती है चाहे क्रेडिट मिले चाहे वह आपका खाद मिले उन लोगों को तो वह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खाद, जो गवर्नमेन्ट की तरफ से आता है वह खाद तो ठीक मिलता है और लोगों को समय पर भी मिल जाता है इसलिए जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन का सिलसिला है और प्राइवेट कम्पनियों से जो खाद पैदा होता है उसमें मिक्सचर की प्रोब्लम है और आम तौर से तो अच्छी जमीन होती है और जब खाद की मांग ज्यादा होती है उस वक्त में यह मिक्सचर और इस प्रकार की कठिनाइयां ज्यादा होने की गुंजाइश रहती है। अकाल के वक्त में तो खाद का प्रयोग ही घट जाता है। अभी यहां पर सिंचाई के ऊपर ही खाद का प्रयोग ज्यादा निर्भर करता है और बरसात के दिनों में इन फसलों में तो खाद का प्रयोग अभी बहुत कम है तो खाद के बारे में इन सुविधाओं के साथ कुछ आपको एनर्जी इनपुट्स की बातें कहना चाहता हूं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पर हैक्टेयर या पर यूनिट आप एनर्जी इनपुट क्या करते हैं इसके ऊपर बड़ा भारी निर्भर करता है आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एनीमल एनर्जी भी काम में आती है और दूसरी तरह की एनर्जी भी काम में आती है। नेशनल कमीशन ने इस मामले में तीन स्टेजेज के ऊपर मैकेनाइजेशन के बारे में जोर देकर कहा है वह तीन स्टेजेज एग्रीकल्चर की क्या है। खासतौर से एक तो ट्रेक्टर्स और मशीनरीज के बारे में या पावर ट्रिलर्स के बारे में कहा है। हमारे यहां पर देश में आज भी चाहे बैल और ऊंट और हल चलाने के काम में आते हों आप देखिये कि इस मरु प्रदेश में आपके ट्रेक्टरों की संख्या बहुत है, लोग ताज्जुब भी करते हैं राजस्थान में क्यों हैं। राजस्थान में इसलिए हैं कि यहां पर वर्षा बड़ी अनसर्टेन है जब पहली बरसात आती है तो जल्दी से जल्दी आदमी अपनी काश्त करना चाहता है इसलिए ट्रेक्टर का यहां पर बड़ा भारी महत्व है। एक जानवर रोज 2-3 बीघा का, नागौर जैसा बैल है वह करीब 3-4 बीघा धरती काश्त करता है। दूसरी तरफ कोटा वाले बैल तो 2 बीघा काश्त भी नहीं करता कई तरह के बैल हैं। कई तरह के जानवर हैं, कई तरह के लोग हैं तो मेरा कहने का मतलब जानवर भी रहेंगे इस देश में। जानवर भी मोटिव पावर है और उसका भी ब्रीड को इम्प्रूव करके कितने बैल चाहियेंगे, यह भी कृषि आयोग ने बताया है मैकेनाइजेशन ड्रिलिंग और जमीन को सुधारने के लिए जरूरी है और इसलिए छोटे काश्तकारों के लिए छोटे पावर ट्रेक्टर और बड़े पावर ट्रेक्टर, दूसरी जमीनों के 35, 37-50 हार्स पावर तक के ट्रेक्टर चाहिए। इनका उपयोग राजस्थान में बढ़ा है पर मैं खास तौर से आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से और कमला जी से कि इस ट्रेक्टर का आज क्या हाल है इस ट्रेक्टर की प्रोडक्शन की कास्ट जितनी है उतना ही गवर्नमेंट का टैक्स है जितना जबरदस्त गवर्नमेंट का टैक्स इस ट्रेक्टर के ऊपर है 40 से 50 हजार रुपये तक कास्ट आफ प्रोडक्शन है और 50 हजार रुपये इसके ऊपर टैक्स है यह बहुत हैवी पड़ता है और इस वजह से ग्राम लोगों के पास जो कि थोड़े छोटे दर्जे के किसान हैं उनके पास भी ट्रेक्टर्स हों और वह भी अपने मोटिव पावर को बढ़ा सकें एनर्जी इनपुट को यह हालात उनके पास पहुंच नहीं पाती आम तौर से जो किसान खरीदते हैं जिसको समझा जाता है बड़ा मालदार काश्तकार है 75 परसेन्ट तो लोन लेते हैं बैंक्स से और 25 परसेन्ट के लिए वह 10 जगह से जुटाता है 10 रिश्तेदारों में जाता है तब जाकर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

25 परसेन्ट जुटा पाती है और इसके बावजूद भी इतने हैवी टैक्सेज है। हम लोगों को जो कृषि प्रधान इलाके के हैं, आवाज नहीं उठानी चाहिए कि यह ट्रैक्टर पर टैक्स इतना हैवी कर रखा है? इस मशीन के बारे में जिसको नेशनल कृषि आयोग ने एग्रीकल्चर के लिए जरूरी इम्पुट माना है, हम भारत सरकार से बात करें। जब वे पूंजीपतियों पर से टैक्स घटा सकते हैं तो काश्तकारों का जो मोस्ट पावरफुल इम्पुट है उस पर टैक्स को कम क्यों नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के सभी लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ट्रैक्टर पर इतना हैवी टैक्स है।

दूसरा मैकेनाइजेशन के बारे में जोर देकर के हमने कहा है कि पम्पिंग आफ दा वाटर, इरिगेशन के लिए मोटरें चाहिए, मशीनें चाहिए, चाहे वह सबमर्सीबिल पम्प हों, चाहे वह दूसरी तरह के पम्प हों। उनके ऊपर भी आप देखिये कि इन पिछले पांच-सात वर्षों में हम कितने बढ़े हैं और इन पर कितना हैवी टैक्स बढ़ा है। इसके बारे में विचार करने की बात है। आज लाव-बैल से कुआ चला कर खेती करके कोई एग्रीकल्चर को पनपा नहीं सकता। इसलिए बिजली और उसके साथ में मोटर और मशीन चाहिए। यह पानी के पम्पिंग के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए यह स्टेट ट्यूबवैल की या किसी की भी योजना बनायें तो देखें कि पावर उसके साथ में जुड़ी है। पावर की आज हालत क्या है? कैसी हालत है? आपने पहले भी बताया था कि हम तो हमेशा ही पांच-सात साल पिछड़े रहेंगे पावर के मामले में। डिमाण्ड ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगी। वास्तव में हालत बहुत खराब है। इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पावर इज असेंसल।

और थर्ड स्टेज जिस पर मैकेनाइजेशन रिकमण्ड किया नेशनल कमीशन ने और उससे जरूर आप सब भी सहमत होंगे, वह है हार्वेस्टिंग की स्टेज। खेती-बाड़ी में कई दफा बारिश जल्दी आने की गुंजायश रहती है कई दफा लाटें नहीं निकलतीं हैं। उसके बारे में थ्रेशर्स, पावर थ्रेशर और दूसरी तरह की मशीनें हैं। इन मशीनों के लिए मैंने कल्पना करके राजस्थान में बहुत पहले बनाया था कृषि का एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन। पहले तो डिपार्टमेंट था फिर कारपोरेशन बना। उसमें आज क्या हो रहा है? वह तो खांड बेच रही है। वह एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन जिसको छोटे किसानों को यंत्र बना करके देना चाहिए, वह काम तो आज ठप्प है। आप देखिये क्या दुर्गति हुई है उस कारपोरेशन की। आज कृषि के यन्त्र बनाने का काम वह करता नहीं है। और कृषि यन्त्र बना करके यदि हम किसानों को दें नहीं, बैल के लिए, ट्रैक्टर के लिए या ऊंट के लिए तो क्या करेगा वह कारपोरेशन? किस काम का है? उस कारपोरेशन को बिगाड़ दिया। ग्राउण्ड वाटर बोर्ड को खत्म कर दिया। ये जरूरी-जरूरी आर्गेनाइजेशन्स थे, जिनकी तरफ मैंने सोचा आज मौका है, कुछ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। जितनी एग्रीकल्चर से कंसर्न की चीजें थीं वह सब की सब आज ठप्प हैं। आप विचार करें, सोच-विचार करें कि ये कार्पोरेशन अच्छी तरह से चलें। भारद्वाज

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जी आज यहां हैं नहीं, कहीं चले गए हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसे चेयरमैन, बुद्धिमान लोग बैठे हों और फिर वे खाण्ड बेचने का काम करें, बेटी के बापों, यह तो उचित नहीं है। कुछ तो विचार करो कि यह कार्पोरेशन क्यों बनाया, किसलिए बनाया और इस काम के लिए आप....

श्री कल्याणसिंह कालवी : और खांड भी विदेशी।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा था कि एक तो विश्वविद्यालय बनाइये पूरा मजबूत और जो कुछ ग्राउण्ड वाटर के बारे में पावरफुल रिग्स मगाने की बात नहीं वे ज्यादा मगाइये। एग्रीकल्चर कार्पोरेशन को ठीक बनाइये। यह कार्पोरेशन लेवलिंग का काम करता था, आज उसकी मशीनें कहां हैं सारी खतम, सारा किसानों के खेत सुधारने का काम करता था लेवलिंग करता था, सारा मामला खतम। तो जो काम करने के साधन थे। कृषि के लिए वह तो सारे कर दिए आपने ठण्डे और फिर कहेंगे कि कृषि की मांग पर बहस करो। क्या बहस करें, बताओ? मेरा निवेदन है कि कृषि के मामले में जो जरूरी चीजें थी वह तो जड़ से ही करीब-करीब साफ हो गई। अब वापस पौधा लगाओ और पनपाओ तो कुछ कृषि के लिए आगे करने की गुंजायश बन सकती है।

मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता था, खासतौर से आपका यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है इसमें दाल और तिलहन को बड़ी इम्पोर्टेंस दी गयी है। क्यों, है ना जोशी जी? अब इस दाल और तिलहन के बारे में आपने 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या किया, मुझे बताओ? बीस सूत्री कार्यक्रम में आपने भूमि के प्लाट काट दिए या मार्जिनल जमीन दे दी, वह सब ठीक है। मुझे उसमें कोई झगड़ा नहीं पर दाल और तिलहन को बढ़ाने के लिए आपने आपके बीस सूत्री कार्यक्रम में क्या कार्यवाही की? मैं आपको कहता हूं कि न तो आपके पास दालों का बीज है, न तिलहन का बीज है, और न कोई आपने किट्स सिस्टम पैदा करके बांटे हैं। भारत सरकार कुछ कहती है लेकिन राजस्थान में कितने किट्स बांटे हैं स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दोनों वस्तुयें कृषि के लिए जरूरी हैं। क्या करते हैं हम कि कभी तो इतना तेल मंगा लेते हैं जरूरत थी देश में दस लाख टन तेल की, अब की मगा लिया बीस लाख टन तेल। चुनाव का वर्ष है, मगाय लो ताकि लोगों में फोड़ा नहीं पड़े। थाने तो फोड़ा नहीं पड़े पर दूसरा वाला तो मर गया। नतीजा यह कि कभी तो मंगा ली ऊन तो मर गए शेफर्ड्स, कभी मगवा लो तेल तो मार दो किसान को। तो मेरा कहना यह है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नीतियों के अन्दर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में कोआर्डीनेशन आफ पालिसी डिसीजन करने में भी आप लोगों का हाथ होना चाहिए, आपका सजेशन होना चाहिए। दाल और तिलहन के बारे में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर जो कुछ होना चाहिए था मेरे हिसाब से अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आंकड़े तो काफी बनाये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आंकडे तो बनाए हुए हैं। मैं तो दूसरा आंकड़ा देख्या कि कितनी जमीन वे, काई कियों, कितना प्लाट दिया। पर मेरे कहने का मतलब है कि दाल और तिलहन का इम्पोर्टेंट आइटम है। इन्दिराजी से मैंने खास तौर से रिक्वेस्ट की थी कि इसको जोड़ों आप। दाल और तिलहन बिना छोटे काश्तकार कुछ नहीं कर पायेंगे। अच्छा बीज नही देंगे, इस पर जोर नहीं देंगे तो देश में दाल भी खाने को नहीं मिलेगी और तेल का छमका भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको इम्पोर्टेन्ट समझ कर बीस सूत्री कार्यक्रम मे इसको जोड़ा था और कमीशन ने भी इस बात की सिफारिश की थी गवर्नमेंट आफ इंडिया को। उस पर अमल होने के लिए यह जरूरी बात है, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा था।

अब मैं थोड़ी-सी बात आखिर में मार्केटिंग के ऊपर कहना चाहूंगा। मार्केटिंग और वेयर हाऊसिंग के क्या हाल हैं? आज राजस्थान का वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन क्या कर रहा है, जोशी जी साहब। सिवाय भाड़ा कमाने के कोई उसका काम नहीं है। बाणिये की बोरियां रखता है और उसका भाड़ा कमाता है। क्या वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन बनाने के पीछे यही आइड़िया था?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके भी आंकड़े तो खूब हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आंकड़े तो, भैरोंसिंह जी साहब, मैं समझता हूं कि निल के बराबर हैं। मेरे कहने का मतलब यह था कि यह संस्था बनाई थी इस उद्देश्य से, यह मार्केटिंग सोसाइटियां इसलिए बनाई थीं कि भाई, किसानों की जरूरत की सब चीजों का, इम्पुट्स का वे भण्डारण करके टाइम पर बांटें और किसान की उपज आवे तो फिर उसको वेयर हाउस में ले जाकर के रखें और किसान को उसके पेटे 70-75 फीसदी पैसे दें ताकि किसान उतावली में नहीं बेच दे, गरीब मारा नहीं जाय। अब क्या हुआ सरसों के अन्दर? जो कुछ लोग रिटेन कर सके उनको तो थोड़ा बहुत पैसा मिल गया लेकिन जो छोटे किसान रिटेन नहीं कर सके वे मारे गए। तो कुल मिला कर मार्केटिंग व्यवस्था के ऊपर किसान का भाग्य निर्भर करता है वह जो पैदा करे उन सारासी चीजों के भाव किसान को नहीं मिलें और उसके लिए जो कुछ यंत्र बनाए गये थे वह यंत्र मरे पड़े रहे तो क्या होगा? कितनी आज हमारी राजस्थान की मार्केटिंग सोसायटीज जिन्दा हैं और सही काम कर रही हैं? मैं सोसायटियों की बात ज्यादा नहीं कहता। आपने अभियान चलाया था सोसायटियों बारे में। को-आपरेटिव सोसायटियों के लिए सब जगह अभियान चलाया कि किस किस ने क्या क्या काम किया, खराब किया, बुरा किया, क्या क्या गड़बड़ घोटाले किए। उन सारे कागजों से रजिस्ट्रार के दफ्तर म भर गए दो तीन कमरे। क्या उसका नतीजा कुछ भी निकला? आज मार्केटिंग सोसायटीज मरी पड़ी हैं। आपने कोई काम करने को कहा, सरसों खरीदने के लिए कहा तो सोसायटियां तो मरी हुई हैं, कौन खरीदे? कोई काम करने वाला नहीं। नाफेड आया तो मार्केटिंग सोसायटीज डिफंक्ड थीं, कौन करे इस काम को? यह तो बड़ा आपरेटस है। किसानों की मार्केटिंग व्यवस्था गांव से

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लेकर ऊपर तक है, इसके लिए जो गांव गांव में को-आपरेटिव सोसायटीज के गोडाउन्स बनाए गए हैं कितनों में आज कबूतर बोल रहे हैं। क्या पड़ा है उन गोडाउन्स में ? इम्पुटस आप उनको नहीं देते। कोई चीज किसान को लेकर रखें वह भी नहीं। यह भण्डारण व्यवस्था इसलिए की गयी थी कि कभी इमरजेंसी पड़ जाय तो फूड कार्पोरेशन को तैयार रहना चाहिए या दूसरी कोई एजेंसी हो, उसको तैयार रहना चाहिए। इसलिए वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन राजस्थान के और भारत सरकार दोनों के बने। बने तो इस काम के लिए थे कि काश्तकारों के माल को हार्वेस्ट के वक्त में खरीद कर मार्केटिंग सोसायटियों को एजेंट बना कर इस काम को करें। और 75 पर्सेंट एडवांस उनको दें। जब उपयुक्त वक्त होगा और मार्केट में जब बराबर मांग के अनुसार माल मिल जाएगा तो भाव भी ऊंचे-नीचे में नहीं होंगे। .... आपका जो करने का काम है वह तो करते नहीं हैं। पूरा का पूरा, सारा का सारा प्राइवेट ट्रेड के हाथ में छोड़ा हुआ है। मर्जी आये जो भाव हो जाता है। आपके पास जो बहुत से कृषि के जिंस हैं उन चीजों के भाव मर्जी आये जो हो जाते हैं। किसी चीज को ले लें, चाहे शुगर को ले लें, चाहे कपास को ले लें। अगर आपके पास सही मार्केटिंग व्यवस्था हो, अगर मार्केटिंग सोसायटी ठीक ढंग से काम करती हों, अगर यह वेयर हाउसेज जिस काम के लिये बने हैं उसी काम को करते हों, तब तो किसानों को फायदा हो नहीं तो व्यापार का काम करने वाले लोगों का माल लेकर, भर कर आप किराया कमाओ। इसके लिये वेयर हाउसेज थोड़े बनाये थे। वेयर हाउसेज बने थे किसानों के लिये, किसानों की मार्केटिंग व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिये। जो कुछ भी आज जिस चीज के अपरेटस बने थे वह तो उसके काम नहीं आवें जो अपरेटस जरूरी समझ कर बनाये थे वह सारे नहीं जायं, उल्टे या हो जाय बंद फिर क्या होगा। फिर एग्रीकल्चर प्राडक्शन राम भरोसे; जो होगा सो होगा। ज्यादा हो जायगा, ठीक, नहीं होगा ठीक। वास्तव में किसान तो अपनी पूरी कोशिश करता है किसान पूरी कोशिश करके जैसा ज्ञान होता है उसके अनुसार वह अच्छा बीज भी लाता है दौड़-धूप भी करता है। उस होती है जितनी कोशिश करता है; तभी यह प्रोडक्शन बढ़ा है। इसलिये कई दफा जब आप बहुत जोर से ऊंचे खड़े होकर कहते हो कि हमने इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया राम भरोसे बढ़ा है भई, ये काई बढ़ायो। आपकी तरफ से तो ये जितने औजार घड़या है जिका सगला खोट निकलिया है। जितने औजार और यंत्र आपने बनाये वह सारे उल्टे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इन चीजों की जिन चीजों के लिये बनाया है उनका उपयोग सही हो, वह आपकी इंस्टीट्यूशन काम करें, उनकी जमावट ठीक हो, जिस काम के लिये बने है उसको वह करें। तो यह सारा ही कोआर्डिनेशन नीचे से ऊपर तक होना चाहिये।

मैंने रिसर्च से शुरू किया, अब मैं थोड़े से शब्द एक्सटेंशन के बारे में कह दूं। एक्सटेंशन की आपकी एजेन्सी है। किसान के पास नया ज्ञान कौन पहुंचाये ? बड़ी भारी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एक्सटेंशन की एजेन्सी यूनिवर्सिटी के पास भी है और जो कालेज हैं उनके पास भी है और आपकी तो जोरदार ही है, भाटी साहब, आपकी एक्सटेंशन एजेन्सी चारों तरफ फैली हुई है। अब आप पता करो गांवों में जाओ तब आज कितना ग्राम सेवक गांवों में जावे है, करता लोगों ने समझावे है, अर काई म्हाको फायदो करे, अर काई म्हाने दिरावे, काई फायदो करे ? वह मैंने कहा भी। पंचायतों का विकास घणा जगहा चोखा है। पर वह काम आज कृषि विस्तार का नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं। वह काम सब अधूरा रहा यही मैं कह रहा हूं। इस लिये कृषि विस्तार के काम के लिये, जैसा मैंने कहा, कुछ परिवर्तन अपरेटस में करने की बात है। जिला लेवल पर सांइटिस्ट जाकर के इस नयी सूझबूझ को वहां पर नहीं रखें कि कौनसी क्राप के एरिया को बदल कर कौनसी क्राप की डिमांड देश में है, जरूरत है तो खेती को सही दिशा कैसे मिलेगी ? किसने सोचा है आज इन बातों को ? हमें उन बहुत सी चीजों की जरूरत है, जो जमीन में पैदा नहीं होती। बहुत सी चीजें ऐसी पैदा होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। इसलिये हमको क्राप पैटर्न बदलने पड़ेंगे। पर कौन सोचता है इनके बारे में ? कौन सोचेगा जिला लेवल पर, कौन सोचेगा स्टेट लेवल पर कि राजस्थान का फाइनल क्राप पेटर्न परिवर्तित करके किस जिले का, किस इलाके का क्या हो? और कितनी चीजें कैसी पैदा हों कितने आदमियों की जरूरत है इसकी पूर्ति का नक्शा किसके दिमाग में है ? कृषि आयोग की रिपोर्ट के अन्दर सब बंधे बंधाये पोथे पड़े हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इनको जरा उघेड़िये, देखिये, पढ़िये। जो चीजें आपने जिस काम के लिये बनायी है उनको कीजिये। बहुत बातें कही जा सकती हैं पर मैं आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता।

यह को-आपरेटिव का जो मूवमेंट है इसमें आप सारे किसानों को नहीं बांध पाये। आज बहुत किसान आउट साइड दी को-आपरेटिव हैं। जो आउट साइड दी को-आपरेटिव है उन किसानों के बीज का क्या होगा उनके क्रेडिट का क्या होगा, कोई पता नहीं है, राम भरोसे हैं। जो आउट साइट दी कोअपरेटिव किसान रहते हैं वह अपने कहीं से जाके लावें तो लावें।

बैंकों की क्या हालत है ? क्रेडिट देने के लिये आपकी दो-तीन व्यवस्थाएं हैं। नेशनलाइज्ड बैंक है, रूरल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं सहकारी बैंक हैं। उनमें क्या हालत हो रही है वह सब आप ज्यादा अपने अपने इलाके में जानते हैं कि क्रेडिट लेने के बारे में कोई इण्डिविजुअल जाता है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे वह वहां पर ठगा जाता है। सोसायटी की क्रेडिट लेने के बारे में भी क्या क्या काम होता है, वह अलग बात है। वह दो-तीन तरह के लोन देती है जिसमें मीडियम और लांग टर्म लोन तो किसानों को बहुत थोड़े दिये जाते हैं। शार्ट टर्म लोन बहुत लोगों को दिये जाते हैं। उसमें भी कई तरह की गड़बड़ी है। खैर, छोड़िये उन गड़बड़ों को। आपको यही कहना चाहता हूं, जो बहुत से किसान आउट साइड दी को-आपरेटिव बाकी हैं, उनकी छोटी-छोटी होल्डिंग हैं। क्रेडिट, फाइनेन्स के बारे में वे जाते हैं तो They are not

(श्री नाथूराम मिर्धा)

given any credit, and if they are given, they are given very less, and most of that again goes in 'rishwat' and bribes आज हम किसान को क्रेडिट से नहीं बचा पाते, चीजें उसको नहीं दे पाते, कोई इन्पुटर्स उसको टाइम पर नहीं मिल पाते। एक जगह कहीं पैकेज नहीं है। किसान को दर-दर नहीं फिरना पड़े और उसको सब चीजें एक जगह मिल जायें, कुछ ये व्यवस्थायें हमने लिखी हैं, सुझायी हैं। सारी सिफारिशें हैं उस कमीशन की रिपोर्ट में भी। अभी तो मुख्य मंत्री देख रहे हैं इस काम को। मुख्य मंत्री जी को 36 महकमों में कहां कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने की फुर्सत है, कहां देखने को यह सब पड़ा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बड़े अहम् मसले हैं। कृषि उत्पादन अभी देश में बहुत ज्यादा बढ़ाना है। आबादी बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। आबादी बढ़ने का जो सोचा था उस कल्पना से आगे चल रहे हैं, पीछे नहीं हैं। जो हमने सोचा था 96 करोड़ वह होगी, अब 100 करोड़। आप चाहे कितना ही फेमिली प्लानिंग का जोर लगा लो, यह सौ करोड़ से कम रहने वाली नहीं है। तो इतने मुंडों को खिलाना, उन सबको कपड़े पहनाना, उन सबको काम देना है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, आज आपके राजस्थान में मेरे को दो-चार-पांच-दस केस जुबानी मालूम है कि जो बेस्ट जमीनें खेती की थी जिनको बेचारे किसानों ने सैकड़ों सालों में आबाद किया है उन जमीनों पर उद्योग वाले जाकर कब्जा कर लेते हैं और उन बेचारों को हांक कर निकाल देते हैं। मैं सिरोही इलाके की बात बता सकता हूं, बहुत मेरे पास केसेज आये हैं। मुझे रोना आता है उन केसेज को देख कर। उन बेचारों की बेस्ट जमीनें छीन लीं। जहां जहां उजाड़ जमीन पड़ी है, बेकार पड़ी है, पथरीली पड़ी है, कंकरीली पड़ी है, उद्योग को जमने में वहां क्या लगता है। पर नहीं, जमीन की कीमत जिकी सूखड़ा काड़ अर पैसा वसूल कर जाय अर बाकी खतम। आप देखिये, किसानों के जो अच्छी जमीने हैं, सिंचाई की जमीनें हैं उन जमीनों पर कब्जे किये जा रहे हैं। यह केन्टोनमेंट बोर्ड आज लार पड़ी है। खा जायगी किसानों के सब खेतों को। बेस्ट से बेस्ट जमीनें यह सब लेकर बैठी हैं। खराब खराब, याने जाओ मेरे कहने का मतलब यह है कि जरूरत से ज्यादा जमीन पर जिस प्रकार का इंस्टीट्यूशन कार्ट्रेण्ड है कब्जा करने का, इसको रोकना चाहिये, यह रूलिंग पार्टी वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं जरूरत हुवे जित्ती ही वा मांगे। यह आपके सोचने का सवाल है। जमीनें सीमित हैं, हर चीज के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसलिये इन सारी चीजों के अन्दर मैंने कुछ इशारे किये हैं। बहुत बातें हैं उन सारी बातों को न तो मैं कह सकता हूं। मैंने काफी समय ले लिया सदन का। आगे बोलने वाले भी बहुत लोग हैं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कृषि के विषय में जो दो शब्द आपसे निवेदन किये हैं उन पर आप विचार कीजिये और जो कुछ स्कीम मैंने बतायी हैं उन पर आप ध्यान दीजिये। स्टेट ट्यूब वैल्स के बारे में खास तौर से ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद): सभापति महोदय, खेती महज एक व्यवसाय नहीं है बल्कि एक परम्परा है, भारतीयों के जीवन की एक शैली है जिसने सदियों से हमारे रीति रिवाजों को, हमारे व्यवहार को, हमारी परम्पराओं को संवारा है, सजाया है। सभापति महोदय, इसका एक कारण है कि भारतवर्ष के करीब 68 प्रतिशत लोग सीधे तौर पर खेती पर निर्भर हैं और करीब 22 प्रतिशत अन्य लोग अप्रत्यक्ष रूप से खेती के ऊपर निर्भर हैं। कुल मिला कर 90 प्रतिशत लोग आज खेती पर अपना जीवन-यापन करते हैं। जिस व्यवसाय में देश के 90 प्रतिशत लोग लगे हुए हों, निश्चित तौर पर वह व्यवसाय सिर्फ व्यवसाय नहीं जीवन की एक शैली है। यही कारण है, सभापति महोदय, कि हमारे यहां के बहुत से रीति-रिवाज, त्यौहार और पर्व खेती के जो अवसर हैं, खेती की जो परम्परायें हैं उन से निर्धारित हैं। यही नहीं, सभापति महोदय, हमारी राष्ट्रीय आय में खेती करीब 50 प्रतिशत अदा करती है। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा कमाने में, अर्जित करने में खेती का बहुत बड़ा हाथ है। सभापति महोदय, खेती न केवल एक प्रमुख व्यवसाय है, आय का साधन है, विदेशी मुद्रा का साधन है बल्कि हमारी भूख और पशुओं की भूख मिटाने का एक सबसे बड़ा साधन है। सभापति महोदय, मैं आपको और सदन को जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि आज भी इस दुनिया में एक सैकण्ड में करीब 1500 लोग भूख से मरते हैं जबकि दुनिया के जो सम्पन्न देश हैं उनके पास 30 मिलियन टन अनाज भंडारों में बेकार रखा हुआ है। यह या तो समुद्र में फेंक दिया जाता है या जानवरों को खिला दिया जाता है या वह सामान किसी दूसरे रूप से उन देशों में, जिनके पास अनाज की कमी है, भेजा जाता है, राजनैतिक रूप से उसका लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। सभापति महोदय, यही नहीं, करीब 500 मिलियन लोग आज विश्व में भूख से और कुपोषण से ग्रस्त हैं। ऐसी जहां परिस्थितियां हों, सभापति महोदय, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के किसान ने इतनी कड़ी मेहनत से और सरकार ने उनको जो सुविधायें और कांग्रेस पार्टी ने जो नीतियां निर्धारित की उनके कारण देश के अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। सभापति महोदय, आप भी जानते हैं और सारे सदस्य भी जानते हैं कि एक समय था जब हम अनाज के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर थे। आज सौभाग्य से वह स्थिति नहीं है, इसका श्रेय जाता है हमारे काश्तकार भाइयों को। इसके साथ साथ मैं इस अवसर पर उस महान नेता को भी याद करना चाहूंगा जिसने जय किसान का नारा दिया। वह एक अवसर था जब अमेरिका हमारे पर दबाव डाल रहा था कि हम दूसरे देशों के साथ किस तरह का व्यवहार करें। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान का नारा देकर देश की जो कृषि की नीति है उसको बढ़ावा देकर इस बात की कोशिश की और सन् 1950 और 1951 में जो देश 50 मिलियन टन अनाज पैदा करता था वह आज 1984–85 में बढ़ कर, जैसा मिर्धा साहब ने बताया, 150 मिलियन टन हो गया। यह तिगुनी वृद्धि किसान की मेहनत और कांग्रेस सरकार की नीति की देन है लेकिन, सभापति महोदय, इसके बावजूद भी आज हमारा उत्पादन जो प्रति हैक्टेयर या प्रति एकड़ होना चाहिए उसके हिसाब से हम बहुत पिछड़े हुए हैं। सभापति महोदय,

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

जापान जितना गेहूं पैदा करता है एक एकड़ में उसका हम आधा भाग पैदा करते हैं। इसी प्रकार जावा जो गन्ना पैदा करता है उसका एक तिहाई भाग पैदा करते हैं एक एकड़ में। यही नहीं, सभापति महोदय, आज जो चावल हम पैदा कर रहे हैं वह इटली के मुकाबले में चौथाई है। इस दिशा में हमें बहुत आगे बढ़ना होगा। मैं इस अवसर पर, सभापति महोदय, आपका और माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे योजना आयोग के सलाहकार ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन आफ नेचुरल रिसोर्सेज की बैठक में यह बात बताई थी कि आज हमारा देश पर्यावरण विनाश के कगार पर बैठा हुआ है और आज जो अफ्रीकी देशों में हो रहा है वह 10 साल बाद हिन्दुस्तान में भी होगा। सभापति महोदय, आज अफ्रीकी देशों की बुरी हालत है, प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से नाश करने के कारण आज वह देश मरु के कगार पर बैठे हैं। हमारे योजना आयोग के सलाहकार हैं कि चेतावनी के परिप्रेक्ष में भी हमें सोचना होगा, हमारी नीति को बनाना होगा। हम आज खाद्यान्नों के मामले में बहुत कुछ आत्मनिर्भर हैं लेकिन मुझे इस अवसर पर याद आता है इन्दिरा गांधी का वह वाक्य, इन्दिरा गांधी के वह शब्द जो उन्होंने हमारे देश को कहे थे। उन्होंने कहा था कि क्या हमारी धरती इस शताब्दी के अन्त तक 100 करोड़ की जनसंख्या का बोझ जिस स्तर पर हम आज हैं उससे ऊंचे स्तर पर उठा सकेगी? यह उन्होंने सवाल किया था हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, कर्मचारी और देश के जो किसान हैं, उनसे। वैसे अभी मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य मिर्धा साहब ने बताया कि हमें जो योजना आगे बनानी है वह इस बात को दृष्टि में रख कर बनानी है कि जब हम इक्कीसवीं सदी में पदार्पण करेंगे तो हमारी क्या नीति होनी चाहिये, क्या हमारे पास संसाधन हैं और उससे हमें कितना आगे बढ़ना है। सभापति महोदय, राजीव गांधी ने भी बराबर इस बात पर जोर दिया है कि हमको इस बात की तैयारी करनी है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा भारत देकर जाय. इक्कीसवीं सदी की जो पैदाइश आने वाली है उस पैदाइश को हम इस लायक बनायें कि जो कुछ हमारे पास है उसमे ज्यादा दें ताकि वह हमें कोसे नहीं, यह नहीं कहे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और हमें भुखमरी की हालत में छोड़ कर चले गये। इस बात को देखते हुए, सभापति महोदय, कुछ मुद्दों पर माननीय मिर्धा साहब ने सदन का और आपका ध्यान आकर्षित किया है उनसे अलग कुछ और मुद्दे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके ऊपर हमारे राजस्थान के कृषि के वैज्ञानिक, राजस्थान के कृषि के अधिकारी, राजस्थान के कर्मचारी और जो देश को खेती के ऊपर निर्भर 90% जनता है उसको विचार करना है।

सभापति महोदय, आज हमारे देश में जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है वह इतनी बड़ी चुनौती है कि यदि हमने उस पर काबू नहीं किया, 100 करोड़ की जनसंख्या जो आगे जाकर 30 वर्षों के बाद होने वाली है उसके ऊपर काबू नहीं किया, उसके लिए तैयारी नहीं की तो हमारे देश की भी वह हालत हो सकती है जो आज इथोपियां और अफ्रीकी देशों की हो रही है। इसलिए,

198

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज हमारे देश में भी खेती के ऊपर काम करने वाली 25 /. जनता अण्डर एम्प्लाइड है उनको पूरा काम खेती के ऊपर नहीं मिलता और खेती पर निर्भर रहने वाली 25 /. जनता ऐसी है जो कि डिसगाइज्ड एम्प्लायमेंट के रूप में है जो कि काम नहीं करती लेकिन दिखती यह है कि वह खेती के ऊपर है। इस प्रकार करीब 50 /. लोग जो खेती के व्यवसाय में लगे हुए हैं आज हमें उनको कुछ काम धन्धा देना है पूरे समय काम देना है। उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। हम यहां खेती के बढ़ाने की, अन्न के ज्यादा उत्पादन की और जिन्सों के ज्यादा उत्पादन की बात करते हैं लेकिन सभापति महोदय, हमें खेती के ऊपर जो बोझ है, खेती के ऊपर जो भार है उसको कम करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। हमें खेती में लगे लोगों को हार्टिकल्चर बागवानी फार्म फारेस्टरी काटेज इण्डस्ट्री और इसी प्रकार पशु पालन की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा, उधर ले जाना पड़ेगा ताकि खेती की भूमि के ऊपर जो कि बहुत सीमित है, अधिक भार नहीं पड़े। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज बहुत सारे अनुसंधान गुलाबों के ऊपर, अमरूदों के ऊपर और कई जिन्सों के ऊपर जो हार्टिकल्चर के अन्दर आती हैं किये जाते हैं लेकिन मेरा निजी तजुर्बा है, मेरा निजी अनुभव है कि इनके किये जा रहे वास्तविक कार्य से जो लाभ मिलना चाहिये वह लोगों को आज नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बीजों की है। आज हालत हमारे राजस्थान की, सभापति महोदय यह है कि हम गुजरात और दूसरी जगहों से सीड मंगा रहे हैं। आज हमारे पास बहुत सारे फार्म हैं, आज हमारे पास राष्ट्रीय बीज निगम है, हमारे स्टेट का बीज निगम है, भारत सरकार के कृषि फार्म हैं हमारे कृषि के फार्म लेकिन उन सबके बावजूद भी आज हम देश के किसानों को अच्छी क्वालिटी का जो बीज चाहिये वह बीज नहीं दे पा रहे हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। जब तक हम समस्या को हल नहीं कर पायेंगे, मैं समझता हूं, तब तक कृषि में जो तरक्की करना चाहते हैं खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं वह नहीं बढ़ा पायेंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं बाजरे का। बाजरे का बीज गये साल भी हमने मंगाया था गुजरात से। खराब निकला, पैदावार नहीं हुई और किसानों का उससे नुकसान हुआ। इस साल जिस बाजरे के बीज को गुजरात सरकार ने लेने से इनकार कर दिया, न जाने किन कारणों से हमारे यहां उसको खरीदा गया। उसमें लाखों रुपये खर्च हुए। भगवान जाने वह बीज जब खेतों में जायेगा तो उसमें पैदावार होगी या क्या होगी? मैं सभापति महोदय, आपके मार्फत जानना चाहता हूं कृषि मंत्री महोदया से कि क्या कारण था कि ऐसा बीज हमें लेना पड़ा, इतना खर्चा हमें करना पड़ा, जबकि हमें कटु अनुभव है विगत वर्षों का?

इसी तरह, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी कृषि की भूमि की उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। जब उत्पादन क्षमता कम होगी तो निश्चित तौर से जो हमारी

199-200

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

पैदावार है वह भी कम होगी। आज, सभापति महोदय, करीब 13 किलो नाइट्रोजन एक एकड़ फसल जो हम बोते है उस एक फसल में ही चला जाता है बाद में वह खेती के उन पौधों के काम में भी नहीं आती है। उस 13 किलो नाइट्रोजन से हम दूसरे खाद की पूर्ति करने की कोशिश करते है लेकिन सभापति महोदय, आज हम इतना हैवी डोज फर्टिलाइजर का दे रहे हैं वह इतना ज्यादा है कि उसके कुपरिणाम सामने आ चुके हैं। सभापति महोदय, मैंने एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ी है पंजाब में एक हैक्टेयर में करीब 143 3 किलो खाद दे रहे हैं उसके मुकाबले यूनाइटेड स्टेट ग्राफ अमेरिका में 45. 5 किलो दिया जाता है, हमारे से करीब तीन गुणा कम रूस में 31.6 किलो दिया जा रहा है हमारे से चार गुणा कम और कनाडा में तो इससे भी कम 27.6 किलो खाद वे देते है। तो यह जो कृत्रिम खाद है, जिसे हम कहते है अंग्रेजी खाद, उसके देने से भी काफी नुकसान है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कृषि मंत्री महोदय से, कृषि विभाग के अधिकारियों से कि हमारे जो रिफ्यूजेज हैं जो वेस्ट हैं शहरों के, उसकी खाद बहुत अच्छा बन सकती है, उसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। हमारी जो ट्रेडिशनल मेन्योर हैं जानवरों का गोबर है, उससे हम खाद देते हैं उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पेड़ों से जो ग्रीन खाद मिलती है उसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इन खादों की हमारे विभाग के द्वारा, मैंने उनका यह प्रतिवेदन पढ़ा है, कोई खास योजना इस विवरण में नहीं बतायी गयी। सभापति महोदय, आज हमारे सुबबूल पौधा होता है जो इन्दिरा जी लायी थीं, उन्होंने उसका प्रचार किया है.... .

श्री मोहन प्रकाश : नहीं, साहब वे नहीं लायी थीं। एक सर्वोदयी कार्यकर्ता लाये थे जिन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम में प्लान्टेशन किया और उन्होंने फिर इन्दिरा गांधी के सामने उसको रखा।

श्री सभापति : आप बोलें जब करेक्ट कर दें। उनकी नालेज में तो यही नाम है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप बोलें जब बोल देना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को जो पता है, ज्ञान है उसमें तो उनका नाम है। जब आप बोलें तब करेक्ट कर दें। आर्डर प्लीज।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सुबबुल के पौधे में जितनी नाइट्रोजन है उससे काफी हद तक खाद की कमी पूरी हो सकती है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे पौधे हैं जैसे खेजड़ी का पौधा, सभापति महोदय जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा पाया जाता है और अकाल के लिए तो यह एक तरह से वरदान है। खेजड़ी के पौधे में सबसे बड़ी खासियत ही यह है कि उसके एक पौधे के नाइट्रोजन से पैदावार काफी होती है। तो इस प्रकार के जो दूसरे तरीके हैं खाद के, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि हमें उनको भी पनपाना चाहिए। इस वर्ष खाद के लिए 3.3 हजार टन का जो प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं हमारी बड़ी

200

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

हुई मांग के सन्दर्भ में वह काफी कम है। सभापति महोदय, हम खेती की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारे पास काफी भूमि है लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो खेती योग्य भूमि हमारे पास उपलब्ध है उसके केवल 1/5 भाग में सिंचाई के द्वारा खेती होती है और 4/5 हिस्सा भूमि पर खेती के लिए आज भी हम बरसात के ऊपर, जिसका बहुत दिनों से इन्तजार कर रहे हैं निर्भर है। बहुत ही अनिश्चित भविष्य है, सभापति महोदय, हमारे काश्तकारों का इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि का जितना अधिक से अधिक रकबा सिंचाई में आ सके, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें हमारी योजना इस प्रकार से बनानी चाहिए कि कम से कम आधी भूमि तो सिंचित हो, ताकि बार-बार जो के अकाल पड़ने से काश्तकारों के भाग्य के साथ जो खिलवाड़ होता है वह हमारे यहां नहीं हो। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : थोड़ा शार्ट करें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : शार्ट ही कर रहा हूं।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन कर रहा था, जैसा कि माननीय गिरधारी लाल जी ने कहा कि फसल का रुटीन होना चाहिए। आज हमारे काश्तकारों की मनोवृति बन गयी है और कृषि अधिकारी, विस्तार कार्यकर्ता हैं, यह सारे इस बात को काश्तकारों को समझा नहीं पाते हैं कि कौन सी फसल कितने समय के अन्तराल के बाद बोनी चाहिए और एक फसल को बार-बार बोने से क्या नुकसान होता है। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जो गांवों की संरचना थी वह कम्युनिटी बेसिस पर थी। उसकी जगह आज हमने पंचायतें कायम कर दीं, कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियां कायम कर दीं, कुछ और दूसरी ऐसी संस्थायें कायम कर दीं। पहले जो काम विलेज कम्युनिटी करती थीं वे आज यह संस्थायें कर रही हैं। मैं इस सम्बन्ध यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने भी, सभापति महोदय, आपके समय में देखा होगा कि बीज भी लोग बाग एक पाटे के ऊपर ले जाते थे और जब पैदावार होती तो उससे दुगुना या तिगुना देते थे। इसी प्रकार धन की एक व्यवस्था थी, काम करने की एक व्यवस्था थी। काश्तकार अपने आपस में मिल कर एक ही आदमी के खेत में जाकर एक दिन हल चला लेते और दूसरे दिन दूसरे खेत में चला लेते। इस प्रकार से उनकी व्यवस्था थी। लेकिन आज हमने तरक्की के इरादे से जो ग्राम सेवक सहकारी समितियां कायम की हैं, दूसरी जो ऐसी चीजें कायम की हैं और उनके जो परिणाम सामने आये है वे इतने उत्साहवर्धक नहीं हैं। आज ग्राम सेवा सहकारी समितियां गांवों की जो आवश्यकतायें हैं, काश्तकारों की जो आवश्यकतायें हैं, उनको पूरा करने में पूरी नहीं उतरी हैं। आज उनका मात्र एक काम रह गया है कि गांवों में राशन की चीजों का विक्रय करें, और सरकार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसका वितरण करें और उनकी वसूली करें। लेकिन जो एक योजना थी कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास एक ट्रैक्टर होगा, जैसा कि अभी कहा गया कि सब आदमी ट्रैक्टर नहीं

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

ला सकते इसलिए पूरे गांव का एक ट्रैक्टर हो। ग्राम सेवक सहकारी समिति ट्रैक्टर के माध्यम से सारे गांव में हल चलाने का काम करें। इसी तरह छटाई का काम करें, बीज और दूसरी चीजों की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : संक्षेप में।

इसी प्रकार मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां कृषि मूल्य आयोग बना हुआ है। सभापति महोदय, कृषि मूल्य आयोग एक तरफा कार्यवाही करता है। वह मूल्य तो निर्धारित कर देता है लेकिन जो लागत है, आम किसानों की कितनी लागत आती है। वह सही निर्धारित नहीं हो रही है और जिन जिन से भी निर्धारित की जाती है उनकी संख्या बहुत कम है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि लागत क्या आती है। उसे निर्धारित करने के सम्बन्ध में ध्यान दें। सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया जल्दी करें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : बस, तीन मिनट और लूंगा।

एक कृषि शिक्षा की बात, हमारे यहां कृषि विस्तार कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम, जैसा, सभापति महोदय, आप भी जानते हैं वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहा है। मजबूरी है सरकार की, हो सकता है कि उसको खत्म नहीं करें। लेकिन बहुत ही नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम बुरी तरह असफल है। 700 से लेकर 1000 घर के ऊपर एक विस्तार कार्यकर्ता 15 दिन के अन्दर जायेगा। न तो वे जाते हैं, न ही जाने की कोशिश करते हैं। और न ही कृषि के सम्बन्ध में जो नई तकनीकी आ रही है उसको उन तक पहुंचाते हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह से कीड़ों और दूसरी बीमारियों का हाल यह है कि कहीं मेहनत से किसान जो पैदावार करता है उसको 10–15 भाग कीड़े खा जाते हैं और बाकी 10-15 प्रतिशत भाग, जैसा कि कृषि विभाग ने बताया है इस पुस्तिका में, चूहे खा जाते हैं। करीब एक चौथाई भाग तो किसानों की मेहनत का इनके पेट में चला जाता है। इसके सम्बन्ध में निश्चित तौर पर कार्यवाही करनी चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व दो तीन सुझाव और रखना चाहता हूं। जैसा अभी यहां माननीय मिर्धा जी ने सुझाव रखा कि कृषि विश्वविद्यालय के लिए निश्चित तौर पर गम्भीरता से सोचना चाहिए, इस सम्बन्ध में इस सदन में पहले भी काफी चर्चा हुई है, पूर्व की विधान सभा में काफी चर्चा हुई, काफी पहल करने की कोशिश की गयी....

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है रिसर्च के मामले में। दूसरा यह निवेदन करूंगा कि अनुसंधान को लेबोरेटरी से लेकर के खेत तक भी पहुंचाना है। बड़ी सेमीनार होती हैं लेकिन, सभापति महोदय, वह खेत तक नहीं पहुंचा पाती है तकनीक को। काश्तकार को जो खेत में काम करता है उसका कोई लाभ नहीं मिलता है।

अन्त में, सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा जो कि हमारे मिर्धा जी जिस कृषि आयोग के अध्यक्ष थे उसने भी अपनी पुस्तक में कहा है कि एक केन्द्रीय एग्रीकल्चर सर्विस की स्थापना करनी चाहिए ताकि इस क्षेत्र में बैठने वाले लोग जो वास्तव में इस विषय के भिज्ञ हैं, जानकार हैं वे इसे अच्छी तरह से सम्भाल सकें। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री कल्याण सिंह कालवी।

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय सभापति महोदय, अपने प्रदेश में खेती और पशुपालन दो मूल धन्धे हैं जो देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं और उनको जीवन देने का काम करते हैं। यह रोजगार देने का उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम भी करते हैं। आज इस विभाग को सबसे शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है जिससे कि हमारे लोगों को खाने कमाने का जरिया मिल सके और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने की व्यवस्था की जा सके और इसके साथ-साथ आम आदमी में खुशहाली लायी जा सके।

मैं सबसे पहले तो जो प्रगति प्रतिवेदन वितरित किया गया है उसके पेज नं. 2 पर जो अंकित है उस बारे में कहूंगा। हमारे यहां पर गत साल के लक्ष्य की उपलब्धियों में और इस साल जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उनमें अन्तर है। इसमें पहला ही चार्ट यह बताता है कि जहां विनाश का विकास की ओर बढ़ना चाहिये, विभाग को इनक्रीजिंग रिटर्नस मिलने चाहिये वह ह्रास की तरफ जा रहा है डिमिनिशिंग रिटर्नस मिल रहे हैं। मैं आंकड़ों के जाल में ज्यादा न उलझकर थोड़ी-सी बात ही आपके सामने निवेदन करूंगा।

कृषि विभाग प्रशासनिक विभाग नहीं है। यह कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाला विभाग नहीं है विशुद्ध रूप से टैक्निकल विभाग है और इस विभाग को एक टेक्निकल विभाग की मान्यता मिलनी चाहिए। उनके कर्मचारियों को उसी तरह की सुविधा मिलनी चाहिए जो टेक्निकल विभाग के कर्मचारियों को मिलें। आज ये अपने आप में एक वैज्ञानिक होते हैं, उसी तरह की पढ़ाई करनी होती है तो उसी तरह की सुविधायें होनी चाहिए। आज जहां तक इस विभाग के निदेशक का प्रश्न है वह प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति है। मैंने पशुपालन की डिमान्ड के दिन भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रहा हूं कि यह टैक्निकल विभाग है, उनके उच्च पद पर आसीन पदाधिकारी को टैक्निशियन होना चाहिए

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं होना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मेरी इन व्यक्तियों से कोई विशेष शिकायत है या उनकी कार्यकुशलता में, कार्यक्षमता में इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी इन्टेलिजेंसी पर मेरा कोई सन्देह नहीं। इस सेवा में जो पदाधिकारी हैं उनका तो, आज इन योग्यताओं के आधार पर मैं प्रशंसक हूं। लेकिन जहां तक विभाग की प्रगति का सवाल है, सम्पूर्ण जानकारी का सवाल है उसमें इस विभाग के टेक्निकल आदमी को ही उच्च पद पर आसीन रहना चाहिए ताकि उनका कार्य कुशलता से हो। आज हमारे यहां पर इस विभाग ने मुख्य रूप से विस्तार का काम किया है। इस विस्तार में उसको सफलता भी मिली, सराहनीय कार्य हुए। परन्तु आज समय आ गया है जबकि इन सारी चीजों का पुनरावलोकन करना पड़ेगा उनका, रीअसेस करना पड़ेगा और किस तरह की आवश्यकता है उसके अनुसार इस सारे विस्तार कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार लाना होगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा, परिवर्द्धन लाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तब जाकर के इस सारी चीज का लाभ हम उत्तम परिवारों तक पहुंचा सकते हैं। अब हम ने जितना एक्सटेंशन वर्क किया, इन्टेंसिव वर्क किया उसके साथ दो बातों की आवश्यकता हो जाती है। कृषि को सुचारु रूप से चलाने के लिए मैनेजमेंट और रिसर्च की सारी की सारी व्यवस्थायें की जाय। आज मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि कृषि विभाग के विस्तार की चैनल इतनी लम्बी हो गयी है कि रिसर्च सेंटर में जो ज्ञान पैदा होता है उस ज्ञान को आम किसान तक पहुंचाते पहुंचाते बहुत लम्बा समय लग जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपसे निवेदन करूंगा, दुर्गापुरा में एक ज्वार का बीज विकसित हुआ था सफेद ज्वार 1965-66 में। आज भी किसान के पास जाते हैं, तो वह कहते हैं कि दुर्गापुरा सफेद बीज चाहिए जबकि आज उससे लेटेस्ट विकसित बीज है दुर्गापुरा-जे। वह गांवों में किसान तक आज तक नहीं पहुंचा है, किसान आज भी उस 20 साल पहले वाले दुर्गापुरा सफेद ज्वार की मांग करता है। यह आज हमारे सामने सबसे बड़ी कमी की बात है।

आज इस विभाग में वैज्ञानिक तौर-तरीके विकसित करने के लिये वाटर मैनेजमेंट इस विभाग को देना होगा। नहर से पानी कब खोला जाय, कुओं को पानी कब दें, बांध से पानी कब खोला जाय, यह सारे का सारा जो वाटर मैनेजमेंट का काम है यह कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी चीज है। यह सारे का सारा कृषि विभाग को देना होगा। मैंने पहले ही कहा है कि इस विभाग को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा। यह नहीं कि अलग-अलग निगम बनाकर के, अलग-अलग ब्रांचेज करके इस विभाग को कमजोर कर दिया जाय। उससे राजस्थान का कृषि उत्पादन बढ़ नहीं पायेगा। आज हमारे यहां पर जितनी कृषि भूमि उपलब्ध है उस भूमि का जिस तरह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। आज चाहे राजस्थान कनाल की जमीन ले लीजिए, चाहे चम्बल की जमीन ले लीजिए बारानी भूमि ले लीजिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की है कि हमारे पास जितनी उपलब्ध भूमि है

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

उस भूमि का प्रोपर यूटिलाइजेशन हो जिससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्नस प्राप्त हो सकें। आज लैण्ड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट का लैण्ड यूटिलाइजेशन का काम भी कृषि विभाग को देना पड़ेगा जिससे कि हमारे यहां पर कृषि जन्य उत्पादन को बढ़ाया जा सके। आज हमारा दुर्भाग्य है कि इंदिरा नहर में भी जो उपलब्ध कृषि योग्य भूमि है उसका यूटिलाइजेशन 33 प्रतिशत है। चम्बल योजना में जो राजस्थान की दूसरी नम्बर की योजना है कुल उपयोगिता का प्रतिशत 42 है। इन सारी चीजों में सुधार लाने की सबसे बड़ी जरूरत आज हमारे यहां है कि जितनी कृषि योग्य जमीन है उसमें रीक्लेमेशन कैसे किया जाय, उसमें सुधार कैसे करें, जो भूमि ऊसर हो चुकी है उसके अन्दर उत्पादकता कैसे बढ़ायी जाय, कैसे पैदा करें। हमारा यह दुर्भाग्य है कि पहले तो पानी नहीं फिर नहर के कारण सीपेज हो रहा है। वहां पर क्षारीय भूमि और लवणीय भूमि का प्रतिशत बढ़ता जाता है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि क्षारीय भूमि बढ़ने का जो तरीका होता है वह एक से दो और दो से तीन का तरीका नहीं होता है इसका बढ़ने का तरीका है एक से दो, दो चार, चार से आठ और सोलह। इस तरह से मल्टीप्लाई होता जाता है। इसकी रफ्तार को समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले कुछ समय के अन्दर हमारे यहां पर कृषि योग्य भूमि बहुत कम बचेगी।

जहां तक भू-संरक्षण का सवाल है सब तरह की भूमि का बचाव करना चाहिए।

(6.00 म. प.)

पानी के कटाव से उसका बचाव करना चाहिये। वाटर लॉगिंग और सीपेज से बचाव की एक स्कीम बनी थी। इस काम को आज तेज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आप कहते हैं कि इकालॉजिकल प्रोब्लम्स के अन्दर यदि इस भू-संरक्षण के काम को हमने तेज गति से नहीं किया तो हमारे यहां जो ट्रेडिशनल फार्मिंग का सिस्टम था वह बदल चुका है। मेकेनिकल फार्मिंग का और मेकेनाइजेशन का आज युग आ गया है। जिस तरह से हम खेती करते जा रहे हैं, खेती का विस्तार होता जा रहा है उसके अनुसार इन सारी चीजों के बचाव की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाकर के इनको पाइन्ट्स के अन्दर में निवेदन करना चाहूंगा।

जहां तक भूमि परीक्षण का सवाल है और जिस गति से भूमि पर परीक्षण होना चाहिये, सर्वेक्षण होना चाहिये उसकी गति भी बदलनी पड़ेगी। हमने अपने यहां पर एरियल सर्वे का एक सिस्टम विकसित किया है उसको तेज गति देने की, उसके लिए साधन जुटाने की आवश्यकता है ताकि हमको यह पता चल सके कि कौन सी जमीन किस तरह की है। उस जमीन का पता चल जाय, उसके टेक्सचर का चल जाय तो उसके अन्दर कौन सी फसल पैदा हो सकती है इसका निर्णय लेने में बड़ी आसानी रहती है।

आज जहां तक प्रोडक्शन और प्रोग्राम की बात है, दोनों को आगे बढ़ाने की बड़ी

(श्री कल्याण सिंह कालवी)

दुविधा है। हमारे देश के अन्दर हरित क्रांति आयी और इस क्रांति के अन्दर सफलता भी मिली। इसका श्रेय कृषि विभाग को जाता है हमारा उत्पादन भी बढ़ा है, प्रति हैक्टेयर और प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है परन्तु इस हरित क्रांति का जो लाभ किसानों को मिलना चाहिये था वह लाभ किसानों को नहीं मिला। इस कारण किसान के अन्दर न तो खुशहाली आयी है, न उसकी मेहनत का उसको उचित दाम मिला है। आज अपना सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही होना चाहिये कि इस विभाग का प्रत्येक आदमी संवेदनशील हो किसान के प्रति। इस विभाग का लक्ष्य यह होना चाहिये कि खेती का धन्धा करने वाले आदमियों के अन्दर सबसे पहले खुशहाली कैसे लायी जाय, उसकी माली हालत कैसे सुधारी जाय और उसके जरिये से उत्पादन बढ़ा करके हम देश के आम आदमी का पेट कैसे भरें। पहला लक्ष्य यह होना चाहिये। यह नहीं है कि हम केवल उत्पादन बढ़ाते जायं और देश के लोगों का पेट भरते जायं उत्पादन करने वाले व्यक्ति के अन्दर भी खुशहाली आनी चाहिये उसकी भी माली हालत सुधरनी चाहिये। उस हरित क्रांति के अन्दर हम इस लक्ष्य को एचीव करने के अन्दर सफल नहीं हुए हैं। आज राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है परन्तु जहां तक इस आय की बढ़ोतरी के अन्दर, व्यक्ति की आय की बढ़ोतरी के अन्दर इन सारी चीजों का जो योगदान होना चाहिये वह हमारे यहां पर नहीं है। आज उचित मूल्य मिलने की बात कर रहे हैं, इस पर आगे आऊंगा परन्तु जहां तक उचित मूल्य मिलने की बात है मूल्य निर्धारित होना चाहिये। लागत के आधार पर मूल्य मिलना चाहिये, पैरिटी उद्योगों में पैदा होने वाली चीजों के दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से कृषि जन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ने चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जब बाजरे का भाव 125 रुपये क्विन्टल था, मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर का मूल्य था 21 700 रुपये जबकि आज बाजरे की कीमत 150 रुपये क्विन्टल है परन्तु मैसी फर्ग्यूसन की कीमत लाख रुपये के आसपास है। ट्रैक्टर की कीमत पांच गुना बढ़ गयी है परन्तु बाजरे की कीमत के अन्दर 17–18 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कृषि के काम आने वाली वस्तुओं की कीमतें जो उद्योगों में पैदा होती हैं, इन 15 सालों में 5-5 गुनी बढ़ गयी हैं परन्तु कृषिजन्य जो चीजें हैं, कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी कीमतें 17-18 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। इसलिये आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस कृषि को एक उद्योग के रूप में विकसित करना पड़ेगा। कृषि आज अपने आप में एक धन्धा नहीं है। कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करके; उद्योगों को जिस तरह की सुविधायें हमारे यहां पर दी जाती हैं उसी तरह की सारी की सारी सुविधायें कृषि को देनी पड़ेंगी। उद्योग में पैदा हुई चीजों की कीमतों का जो आधार होता है उसी आधार को कृषि क्षेत्र में मानना पड़ेगा और जिस तरह से उद्योग अपने आप में पूर्ण रूप से इन्श्योर्ड होता है, बीमा किया हुआ होता है उसी तरह से कृषि का धन्धा भी अपने आप में पूर्ण रूप से बीमा किया हुआ होना चाहिये। इससे किसान

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

को अपनी की हुई मेहनत का उचित दाम, परिणाम मिलने की गारन्टी रहेगी। तभी जाकर उसे उस ओर काम करने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आज है क्या? खेती अपने आप मे नफे का धन्धा नही है, घाटे का धन्धा बन चुकी है परन्तु किसान के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण से मजबूरन उसको ट्रेडिशनल फार्मिंग का काम करना पड़ रहा है। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस कृषि को लाभप्रद धन्धा बना करके इसको मजदूरी का धन्धा नहीं रहने दिया जाय, इसको एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाय। उद्योग को जिस तरह से कर्जा मिलता है, उद्योग को जिस तरह से बिजली मिलती है, उद्योग को जिस तरह से पानी मिलता है उसी तरह से सारी की सारी व्यवस्थायें कृषि मे भी सरकार को करनी होंगी चाहे वह पानी नहर से दें, चाहे वह पानी बंधे से, चाहे वह एनीकट्स से दें, चाहे ट्यूबवेल्स से दे और चाहे ओपन वैल से दें। उद्योग के अन्दर कच्चे माल की जरूरत होती है उस कच्चे माल की व्यवस्था उचित मूल्य पर सरकार जिस तरह करती है उसी तरह से कृषि में काम आने वाले जितने भी इनपुट्स हैं। उन सब की भी व्यवस्था करने के लिये सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के बारे में जितनी भी अपनी योजनायें हैं-चाहे वह विस्तार की हों, चाहे वह सघन कृषि हों, चाहे वह मैनेजमेंट की हों, इन सारी व्यवस्थाओं का पुनरावलोकन करना पड़ेगा। इस सारे के सारे ढांचे में आज सुधार की सबसे बड़ी आवश्यकता है और उस सुधार के लिये हमें तैयार रहना पड़ेगा।....

श्री सभापति : थोड़ा संक्षेप में माननीय सदस्य, काइंडली।

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक अनुसंधान की बात थी मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके सामने कहा था कि आज रिसर्च वर्क हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पास में है और आज जितने विस्तार की आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता अनुसंधान की है। जितना हम रिसर्च वर्क करेंगे, उतनी हमारे यहां किसानों के अन्दर ऐक्टिविटी आ सकती है। वह किसी भी चीज को अपना लेता है परंतु उसको जानकारी देना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसंधान के कार्य की जानकारी जितनी शीघ्र किसान को मिलनी चाहिये उतनी शीघ्रता से आज तक मिल नहीं पायी है और इसलिये उस तक जानकारी पहुंचाने की हमको समुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था करने के लिये आज प्रचार-प्रसार के अनेक साधन हैं। आपके पास में टी. वी. है, आपके पास में रेडियो है, आपके पास में अखबार है। विभाग की पत्रिकायें निकल सकती है, विभाग का पेपर निकल सकता है। ये सारे के सारे साधन किसान तक जाने चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर रिसर्च की स्थिति है कि यहां पर हमारे सात एडेप्टिव रिसर्च केन्द्र हैं और सात उनके उप केन्द्र है। राजस्थान जैसे बहुत बड़े प्रदेश में जहां केरल जैसे स्टेट में भी बड़ा एक-एक जिला है इस तरह के केन्द्र ज्यादा से ज्यादा स्थापित होने चाहिये क्योंकि भौगोलिक

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

बनावट हमारे यहां इस तरह की है कि एक जिले में एक तरह की है तो दूसरे जिले के अन्दर दूसरे तरह की है। उन जिलों के अन्दर जो हमारा क्राप पैटर्न है वह भी विभिन्न तरह का है। इसलिये रिसर्च सेंटर्स हमको ज्यादा से ज्यादा स्थापित करके इस काम को ज्यादा से ज्यादा विस्तार से लेना पड़ेगा। अभी रिसर्च का काम यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी करे परन्तु विभाग और यूनिवर्सिटी में जहां रिसर्च का वर्क होता है, अनुसंधान का वर्क होता है ज्यादा से ज्यादा सामंजस्य रहना चाहिये ताकि यूनिवर्सिटी जो रिसर्च करती है उसकी जानकारी विभाग को हो और विभाग को जितनी जानकारी हो वह शीघ्र से शीघ्र किसान तक पहुंचे। इस बात की आज सबसे बड़ी जरूरत है।

सीड मल्टीप्लिकेशन का काम, बीज गणना का काम इसके हमारे यहां पर अनेक फार्म थे जो कृषि विभाग के पास में थे। मेरे को कहना पड़ता है कि उन फार्मों की जो हालत है वह बड़ी दयनीय है। पहले उनको पंचायत समितियों को सौंप दिया गया और अब पंचायत समितियों से यूनिवर्सिटी को सौंप दिया गया। उन अधिकांश फार्म्स में बीज प्रजनन का, बीज उत्पादन का काम नहीं हो रहा है। आज हमारे यहां पर यदि कोई सबसे प्रमुख चीज है तो वह चीज है केवल बीज और बीज के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा हमारे यहां पर कृषि को कैसे बढ़ावा दे सकें। आज इन सारी चीजों के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा।

लघु सिंचाई का काम विभाग की देख-रेख में होना चाहिये, यह इरिगेशन विभाग को नहीं देना चाहिये। इरिगेशन के पास में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं। लघु सिंचाई के चाहे एनीकट्स हों या ग्रोमाइट ट्यूबवेल्स इनका काम राजकीय स्तर पर योजना बना करके इसी विभाग की निगरानी के अन्दर होना चाहिये ताकि ये छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स किसानों को सीधा फायदा पहुंचा सकें।

आज जहां तक सहकारिता का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि इस विभाग की प्रगति के अन्दर यदि कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वह सहकारिता विभाग स्वयं है। न उसने कहीं ऋण देने की समुचित व्यवस्था की है, न ऋण की वसूली की कहीं समुचित व्यवस्था की है। न बीज के वितरण की कहीं समुचित व्यवस्था है, न पेस्टिसाइड, कीटनाशक औषधियों के वितरण की समुचित व्यवस्था कहीं हुई है। और न उसके पास कोई उत्पादन, जिन्स खरीदने की पूंजी है। यह सारी की सारी कमियां हैं। जिस सहकारिता के आधार पर हम कृषि का विकास करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से किसान को सुविधायें सुलभ कराना चाहते हैं वह सारा का सारा काम करने में यह सहकारिता विभाग पूर्ण रूप से असफल रहा है। इसको कहने में मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है।

आज भूमि सुधार की बात है....

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त।

श्री कल्याणसिंह कालवी : कई पाइन्ट छोड़ देता हूं। जहां तक भूमि सुधार का सवाल है, जैसा कि मैंने निवेदन किया था, बढ़ते हुए रेगिस्तान के कारण हमारी भूमि

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

कृषि के अयोग्य बनती जा रही है। समय-समय पर जहां बाढ़ आती है वहां नाले-खाड़ों से जमीन खेती के अयोग्य होती जाती है। जहां बाढ़ आकर सिल्टिंग कर देती है, मिट्टी डाल देती है वहां पर जमीन खराब होती जाती है। इसी तरह से वाटर लागिंग और सीपेज से भी जमीन कृषि के अयोग्य बनती जा रही है। इन सारी चीजों की रोकथाम के लिए हमको काम करना पड़ेगा, पर दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं कि हमारे यहां चम्बल के क्षेत्र में, इन्दिरा गांधी नहर के क्षेत्र में डी. पी ए. पी. और डी डी. पी. के क्षेत्र में जिस तरह का काम होना चाहिए था उस तरह का काम हो नहीं रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेगिस्तानी जिलों के अन्दर जहां भू सुधार और भू संरक्षण का काम होना चाहिए था, हो नहीं रहा है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि डैजर्ट भूमि, मरु भूमि को री-क्लेम करके उसको फिर से उपज के योग्य कैसे बनाया जा सकता है इस तरह के पेपर मैंने इस विभाग के आज तक देखे नहीं हैं, केवल बातें सुनी हैं। इस तरह का पेपर, या इस तरह की कोई जानकारी आज तक मिली नहीं है। आज चम्बल क्षेत्र के अन्दर होम फार्मिंग डवलपमेंट स्कीम जिस स्कीम को लागू करने के लिए विश्व बैंक से बहुत बड़ी सहायता मिली थी और केन्द्र सरकार से भी बहुत बड़ी सहायता मिली थी, किसान के लिए वरदान सबित हो रही है पर दुर्भाग्य से पिछले कई दिनों से इस योजना को खटाई में डाल दिया गया है। इस फार्मिंग डवलपमेंट के पास करोड़ों रुपये के औजार हैं बेकार पड़े हैं। सभापति महोदय- मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के टाइम में जो बुलडोजर्स, जिनकी एक-एक की कीमत लाखों रुपये थी, मंगाये गये थे वह आज दिन तक लकड़ी के खोखों में बन्द पड़े हैं, उनको काम में नहीं लिया जा रहा है। हमारे यहां की लाखों-करोड़ों रुपये की पूंजी इस स्कीम में लग चुकी है। उस पूंजी का किसान को जो लाभ पहुंचना चाहिये था वह लाभ हमारे यहां नहीं पहुंच पा रहा है।

आज फल विकास का काम है। आज कृषि विभाग के पास यह बड़ा काम है परन्तु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि पहले तो यह काम सहकारी समितियों को सौंप दिया गया कि फल विकास का काम वह करेगी, लेकिन वह इस काम को करने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। सहकारी समितियों के जिस तरह के आंकड़े हैं कि 55 हजार फलदार पौधें आदिवासी क्षेत्रों में बांटे गये, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पौधे तो बांट दिये गये परन्तु वह जीवित कितने रहे, इसका भी कभी सर्वे किया? पौधे बांटने से किसी का विकास नहीं हो सकता। पौधे जीवित रहें, पौधों के फल लगें और फल लगने के बाद आदिवासी परिवार के बच्चों का उस फल से पेट भरे तब जाकर हम कह सकते हैं कि पाजिटिव रिटर्नस मिले हैं, पाजिटिव परिणाम आये।

आज बेयर बंडिंग का काम है। कम से कम हर जिले के अन्दर बेयर बंडिंग का काम करने की जरूरत है। परन्तु विभाग उसको नहीं कर पाता। विभाग के नाम पर प्राइवेट पार्टीज यह काम कर रही हैं और वह उससे लाखों-करोड़ों रुपये कमा रही हैं। जिस काम को विभाग को करके किसानों को

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

लाभ पहुंचाना चाहिए था वह नहीं पहुंचा रहा है। किसान तक वह पौध पहुंच रहे हैं प्राइवेट पार्टीज के थ्रू जिसके माध्यम से वह पार्टीज आज करोड़पति होती जा रही हैं। विभाग उस बारे में कुछ काम नहीं कर रहा है। पौधे संरक्षण की नर्सरी होनी चाहिए, पौध संरक्षण का काम होना चाहिए। वाणिज्यिक फसलें पैदा करने की जानकारी देनी चाहिए।

शुष्क खेती पर मैं जरूर आऊंगा। शुष्क खेती का विकास अपने आप में एक विज्ञान है....

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में ही कह दें।

श्री कल्याणसिंह कालवी : हां वह अपने में विज्ञान है। उस विज्ञान को राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश के अन्दर विकसित करना बहुत ही जरूरी है लेकिन उसका क्रॉप पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। शुष्क खेती के अन्दर उन्नत बीज किस तरह के हों उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ शुष्क खेती की सारी की सारी जानकारी ग्राम किसान को देनी पड़ेगी। इसकी सबसे बड़ी आज हमारे यहां पर आवश्यकता महसूस की जा रही है।

आज इसके साथ ही साथ इसकी जो अलग अलग ब्रान्चेज हैं उन पर आपका 5-7 मिनट लूंगा।

श्री सभापति : बहुत लम्बा हो जायेगा। काफी सदस्यों को बोलना है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप प्वॉइन्ट रेज करें पर थोड़ा संक्षेप में।

श्री कल्याण सिंह कालवी : आप कहें तो मैं....

श्री सभापति : नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहता लेकिन थोड़ा संक्षेप में कह दें।

श्री देवीसिंह भाटी : हमारी पार्टी से एक आप ही बोल रहे हैं हमारे लिए।

श्री कल्याण सिंह कालवी : जहां तक राज्य बीज निगम का सवाल है, इस राज्य बीज निगम की जब से स्थापना हुई है, इसने काम भी किया है, सराहनीय काम। जहां तक बीज के सर्टिफिकेट, बीज की टैस्टिंग, बीज की मात्रा, जितनी हमारी मांग है उससे ज्यादा उसकी पूर्ति की व्यवस्था करने की बात है सारे के सारे काम ठीक हैं, इनके पास जिस तरह की मशीनें होनी चाहिए वह मशीनें भी पर्याप्त हैं परन्तु आज मैं एक बात आप से निवेदन करना चाहूंगा। इस बीज निगम का मैं तारीफ करता हूं। परन्तु उसके साथ ही साथ निगम बीज वितरण की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसके अन्दर पूर्ण रूप से असफल रहा है। यह निगम कह सकता है कि हमने वितरण की व्यवस्था सहकारी समितियों को दे दी। यह कह सकता है कि हमने एग्रो सर्विसेज सेन्टर को दे दी, यह कह सकता है कि हमने प्राइवेट पार्टीज को दे दी परन्तु जहां बीज समय पर वितरित होना चाहिए वह वितरित नहीं हुआ।

इसके साथ ही साथ मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर उन्नत बीज के वितरण के अन्दर घोटाले हुए हैं, उन घोटालों की, मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि गैर-

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

कार जांच करे। आज जितनी भी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं उन्होंने री-वैलिडेट की छाप अपने पास बना रखी है, उसकी छाप लगा देते हैं और पिछले साल के बीज को इस समय बेच देते हैं, या अपने खेत पर पैदा हुई बाजरी को नकली थैलियों के अन्दर बन्द करके वापस बेच देते हैं। इस सारी की सारी व्यवस्था को चैक करने का जो जिम्मा है वह राज्य सरकार को लेना पड़ेगा।

इनकी कानून व्यवस्था रखने वाली एजेन्सीज हैं चाहे वह पुलिस हो, चाहे रेवेन्यू हो, प्रशासनिक विभाग हो उनको इस बात की सारी की सारी देख-रेख करनी पड़ेगी कि कहीं राजस्थान के अन्दर नकली बीज तो नहीं मिल रहा है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां 20 अप्रेल को राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अन्दर कई जगह बारिश हो गयी। विभाग का बीज उस समय वितरित होना शुरू नहीं हुआ था परन्तु हमारे यहां पर उन्नत किस्म का बीज हर जगह डिपो पर से लेकर लोग बांट रहे थे। उस पर री वैलिडेट की हुई की छाप भी लगी थी। मैं जानता हूं कि विभाग ने उतनी मात्रा के अन्दर बीज वैलिडेट नहीं किया था। विभाग के पास जो बीज गुजरात से आना था वह भी तब तक विभाग के पास पहुंचा नहीं था। विभाग को उसे रोगाणु मुक्त करने के लिए बाहर से दवाई मंगाकर उसका ट्रीटमेण्ट करना चाहिए था वह भी उसके बाद हुआ है किन्तु हमारे पास तो बीज पहले से ही उपलब्ध हो गया था। इस सारी चीज के ऊपर चैक करने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।

आज बीज के जो आंकड़े दिये गये हैं वह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 1984-85 के अन्दर अनुमानित आंकड़े थे 7 59 और सशोधित आंकड़े थे 58 09। आप इनका अन्तर देखें, 51 का ! टन्स में। उसके बाद इस साल का जो लक्ष्य रखा गया है केवल 22 का है। यह कुछ हमारी समझ में नहीं आता। या तो यह प्रिन्टिंग मिस्टेक है। सात से अठावन और अठावन से वापस बाइस, यह कुछ हमारी समझ में नहीं आयी बात।

जिस तरह का बीज निगम ने काम किया लेकिन पिछले साल में सहकारिता विभाग ने वित्त वितरण व्यवस्था को दोषपूर्ण बनाकर इस सारी चीज के ऊपर इनको जो यश मिलना चाहिए था उस पर पानी फेर दिया। आज सब जगह इस तरह की चर्चा होने लगी है कि दोषपूर्ण बीज वितरित होता है। कई जगह उसका जर्मिशन का जो पर्सेण्टेज होना चाहिए, वह बहुत कम है। सारी चीजों को आज सम्भालना पड़ेगा। इस बीज निगम के काम के अन्दर, मेरे को जहां तक जानकारी है, कृषि विभाग का खुद का और सहकारिता का सबसे ज्यादा दोष है। विभाग, बीज कितना चाहिए इसके आंकड़े मंगाता है। आंकड़े हमारे यहां पर फर्जी बनाने का आम रिवाज चल चुका है। फर्जी आंकड़े जाते हैं उसके अनुसार बीज वितरण करना पड़ता है। ये वितरित नहीं करते, स्टॉक में पड़ा रह जाता है। और स्टाक में पड़ा रह जाता है इसलिए री-वेलिडेट की छाप लगाकर उसी

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

बीज को वापस बांट दिया जाता है। यह सारी की सारी दोषपूर्ण व्यवस्था है। इस सारी व्यवस्था को आज सबसे पहले सुधारने की आवश्यकता है। इसी तरह का काम सहकारिता विभाग करता है। अपनी मांग ज्यादा भेज देता है, उतनी चीज वह खरीद नहीं पाता और खरीद लेता है तो उसको वितरित नहीं कर पाता। यह सारी की सारी चीजें हैं जो आज हमारे सामने हैं।

आज हर निगम जो अलग-अलग बनता है या जो हर ब्रांच एग्रीकल्चरल की होती है उसमें स्पेशलाइज्ड आदमी होने चाहिए, विशेष विशेषज्ञ होने चाहिए। उनको इसी विभाग की विशेष ट्रेनिंग देकर के उनको इसी विभाग में एब्जोर्ब कर देना चाहिये ताकि उनका भविष्य उसी विभाग के साथ जुड़ जाय। वह पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट की बनिस्पत सिस्टर डिपार्टमेन्ट को ही अपना पेरेन्ट डिपार्टमेंट मानने लग जायें, इस तरह की व्यवस्थायें भी हमको करनी पड़ेंगी। आज फाउण्डेशन सीड्स का काम हमारे यहां दो संस्थान करते हैं-एक यूनिवर्सिटी करती है और दूसरा एन एफ. सी. करती है। मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहूंगा कि फाउण्डेशन सीड जहां किसान तक समय पर पहुंचना चाहिये वह समय पर नहीं पहुंचता। फाउण्डेशन सीड हमारे पास जून में पहुंचना चाहिये था तब तक बारिश हो चुकी थी लेकिन फाउण्डेशन सीड किसान तक नहीं पहुंचा। सबसे पहली जरूरत इसी की होती है। फाउण्डेशन सीड पैदा करने वाली दोनों एजेन्सीज हैं इनका और बीज निगम का सामांजस्य होना चाहिए तभी जाकर सारा का सारा कर सकते हैं।

आप क्रॉप पैटर्न का सवाल है। जरूरत के हिसाब से आज क्रॉप पैटर्न समय-समय पर बदलना होगा। पहले जिन इलाकों में ज्वार पैदा करते थे आज बाजरी पैदा कर रहे हैं, जिन इलाकों में मोठ पैदा करते थे आज ग्वार पैदा करने लग गये, वहां मूंग पैदा करने लग गये। क्रॉप पैटर्न बदलने के लिए जितना ज्यादा यह विभाग सैसिटिव रहेगा उतना ही ज्यादा उत्पादन में फायदा मिलेगा और किसान को लाभ मिलेगा। यह जानकारी देनी चाहिये। लूणकरणसर जैसे रेगिस्तानी इलाके में मूंगफली का क्या काम था परन्तु आज हिन्दुस्तान के अन्दर रिकार्ड तोड़ मूंगफली उत्पादन होती है तो लूणकरणसर में होती है। जीरा उत्पादन का सांचोर जैसे इलाके में क्या काम था, लेकिन यदि आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन होता है तो सांचोर में। राजस्थान में मसाले उत्पादन के अन्दर कोई हामी नहीं भर रहा था कि यहां मसाले पैदा होंगे। अग्रणी थे गुजरात और महाराष्ट्र लेकिन अब मसाले पैदा करने के अन्दर, कामर्शियल क्रॉप पैदा करने के अन्दर राजस्थान ने इन सब को पीछे रख दिया है। परन्तु जहां इनके विस्तार की जरूरत है आज विभाग को इसके अन्दर ज्यादा सक्रिय होकर काम करना पड़ेगा। और जहां इन सारी चीजों की पैदावार बढ़ाने के लिए विभाग ने काम किया है, मैं कोई कंजूसी नहीं बरतता, इसके लिए मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा।

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

आज जहां एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन का सवाल है और जैसा कि माननीय श्री मिर्धा साहब ने कहाकि एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन इसलिये बना था कि किसानों को वह औजार दें, किसानों को मशीनरी दें, बड़ी मशीनरी जिसको किसान खरीद नहीं सकता, जैसे बुलडोजर्स हैं, बड़े ट्रेक्टर्स हैं जो जमीन को समतल कर सकें कमबाइन्ड हारवेस्टर्स हैं। यह सारी की सारी मशीनें जो किसान खरीद नहीं सकता एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन किराये के ऊपर उनके लिए मशीनों की व्यवस्था करेगा। परन्तु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन ने औजार बनाये उनमें अधिकतर औजार डिफेक्टिव हैं। आज वह औजार करोड़ों रुपयों की बेकार सम्पत्ति के रूप मे जगह जगह बिखरे पड़े हैं। आज हम बिजली के ऊपर, किसान पर टैक्स लगाना चाहते हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने औजार एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के, जितने औजार कृषि विभाग के, जितने औजार और मशीनरी होम फार्म डवलपमेंट स्कीम के राजस्थान के अन्दर जगह-जगह बिखरे पड़े हैं, जिनको जंग खा रही है उनको यदि इकट्ठा करके स्क्रेप के भाव में भी बेच दिया जाय तो भी वह आज करोड़ों रुपये के होते हैं। आज बिजली पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं इन सारी व्यवस्थाओं को देखने की जरूरत है। आज जहां एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन को इन सारी चीजों की व्यवस्था करनी चाहिये। वह उसकी जगह जैसा कि श्री मिर्धा साहब ने कहा था कि या तो चीनी बेच रहा है या खाद बेच रहा है। यह काम एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन का नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : टोंक टेनेरीज की खानें और बेचेगे।

श्री कल्याणसिंह कालवी : हां, यह टोंक टेनेरीज की खानें और बेचेगे। यह सारे के सारे धन्धे एग्रो इण्डस्ट्रियल के कार्पोरेशन नहीं है। आज इन सारी चीजों की समुचित व्यवस्था करने की सबसे बड़ी जरूरत है। जहां तक मार्केटिंग का सवाल है, आज सारा का सारा क्रय-विक्रय का काम, जो कृषि उत्पादन से सम्बन्धित है, जैसे कृषि उत्पादन जिन्स है वह सारा का सारा काम विभाग के जिम्मे देना होगा। आप अलग बोर्ड बना सकते हैं, अलग निगम बना सकते हैं परन्तु उसकी सारी की सारी निगरानी आज विभाग को करनी पड़ेगी।

आज भण्डार व्यवस्था की बहुत दयनीय स्थिति है। मार्केटिंग सोसायटीज के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस कृषि विभाग को बदनाम कराने में यदि सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो मार्केटिंग सोसाइटीज का है। वितरण की व्यवस्था इनके जिम्मे हैं प्रोक्योरमेन्ट की व्यवस्था उनके जिम्मे है, खरीद की व्यवस्था उनके जिम्मे है और वह दोनों ही काम करने के अन्दर हमारे यहां की मार्केटिंग व्यवस्था पूर्ण रूप से असफल रही है।

आज जहां तक कृषि विपणन बोर्ड का सवाल है, उसमें जिस तरह की कमियां हैं, जिस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, जिस तरह से दलालों के मार्फत माल खरीदा जाता है और खरीदने की व्यवस्था है, जो बोली देने की व्यवस्था है, वह सारी की सारी अत्यन्त दोषपूर्ण है। मैं इन बातों के सम्बन्ध में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। क्योंकि मैंने पहले ही पत्र लिखकर

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

जानकारी दे दी थी कि इन सारी की सारी दोषपूर्ण व्यवस्थाओं को सुधारा जाना चाहिये।

हमारे यहां उत्पादन की खरीद की समुचित व्यवस्था होनी ही चाहिये। यदि यह खरीद की व्यवस्था हमारे यहां नहीं हुई तो हमको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आन फार्म डवलपमेंट की स्कीम को खटाई में डाल दिया गया है भूमि सुधार वाली। आज इसको वापस शुरू करें। पहले मंत्रों से ज्यादा भार किसान पर डाला जा रहा था और यह तय नहीं कर पा रहा था विभाग कि किसान कितना देगा? आज केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है और 50 प्रतिशत किसान का लगेगा। उस योजना को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय बनाना चाहिए। जैसी कि पहले दालों और तिलहन के बारे में थी। आज तिलहन के बारे में राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्दर में सबसे अग्रणीय हो सकता है यदि समुचित व्यवस्था की जाय। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिये। जिस तरह का प्रोत्साहन मिलना चाहिये उस तरह का आज प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। कोटा में सोयाबीन पैदा करने की एक सघन योजना चालू की गयी थी और सोयाबीन पैदा करने के लिये कोटा के किसान प्रोत्साहित हुए थे परन्तु मध्य प्रदेश में सोयाबीन पैदा करने के लिए किसानों को जो इंसेटिव दिये जा रहे हैं उस तरह की सुविधायें, उस तरह का प्रोत्साहन हमारे प्रदेश के अन्दर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि पैदावार बढ़ानी है तो इन सारी चीजों की हमारे लिए व्यवस्था करनी होगी।

पहले यूनिवर्सिटी के बारे में एक बात आई थी। राजस्थान जैसे प्रदेश से जहां हम यह उम्मीद करते हैं कि इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य समाप्त हो जायेगा तो अकेला राजस्थान प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान की बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने की व्यवस्था कर देगा। हमारे यहां कृषि का इतना विकास हो रहा है परन्तु आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां पर कृषि विश्वविद्यालय नहीं। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को हमारे यहां पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। आज कृषि उत्पादन का जहां तक सवाल है और मार्केटिंग व्यवस्था का सवाल है वह मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग स्थापित करके हम कृषि जिन्सों का लाभ ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके, यह सारी की सारी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। यदि कृषि आधारित उद्योग हमारे यहां विकसित नहीं हुये तो हमारे यहां का कच्चा माल जो कि कृषि के द्वारा पैदा होता है, सारा का सारा बाहर जाता रहेगा। बाहर उद्योग के अन्दर उसको तैयार माल रूपान्तरित करके दूसरे प्रदेश लाभ उठायेंगे, दूसरे लोग लाभ उठायेंगे, हमारे किसानों और प्रदेश को लाभ नहीं होगा।

आज सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता था वह कृषि विभाग की बात थी। कृषि विभाग का जो काम हमारे यहां पर चालू किया गया है वह केवल एक टैस्ट

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

के रूप में किया जा रहा है। जैसे टैस्ट विभाग बना हो, उस तरह से किया जा रहा है। इसको मास प्रोग्राम के रूप में स्वीकार करके कृषि बीमा की व्यवस्था हमको करनी चाहिये ताकि किसान को अपनी की हुई मेहनत का लाभ मिलने की गारन्टी रहे।

इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कृषि मूल्य आयोग के बारे में। हालांकि यह अपना कार्य क्षेत्र नहीं है परन्तु फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि मूल्य आयोग जब कीमतें तय करता है उस समय चाहे औपचारिकता के रूप में ही हो, वह प्रदेश के कृषि मन्त्री और प्रदेश के मुख्य मन्त्री को बुलाता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान यहीं जाकर पिटता है जब कृषि मूल्य आयोग प्रोक्योरमेन्ट की कीमत तय करता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कीमत का आधार साफ होना चाहिये लागत मूल्य कि किसान की फसल का लागत मूल्य क्या है। उसके साथ ही साथ मूल्य का सूचकांक क्या है, कितनी प्राइस इन्डेक्स बढ़ गई। उसके साथ ही साथ तीसरी बात मुद्रा स्फीति कि इन्फलेशन कितना हुआ। इन तीनों का आधार मानकर के आपको कीमत मुकर्रर करनी चाहिये। जब कीमत मुकर्रर हो जाती है, तो उसके बाद में एफ.सी.आई. को इतना सैंसिटिव होना चाहिये, इतना सक्रिय होना चाहिये कि वह उस कीमत पर 20 पर्सेंट से ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होने दे। मान लो आपने कीमत मुकर्रर कर दी 150, ज्योंही कीमत 170 जाती है उसी समय वह खरीदने की व्यवस्था कर दे, ताकि कीमतें और ऊपर नहीं जाय। नहीं, नहीं, बेचने की व्यवस्था कर दे जिससे कि वह कीमतें और ऊपर नहीं जायं। मान लो कीमतें नीचे आ गई तो उसी समय 150 के भाव से खरीदने लग जाय जिससे कि कीमतें और नीचे नहीं जायं। खरीदने और बेचने दोनों के काम के अन्दर उसको सबसे ज्यादा सैंसिटिव होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा तभी जाकर किसान को उचित मूल्य मिलने का प्रबन्ध हो सकता है।

मैं इतना ही कह कर कृषि के बारे में दो बातें पुनः निवेदन करना चाहता हूं। पहला कि इस कृषि विभाग को राजस्थान जैसे प्रदेश का सबसे सशक्त विभाग बनाया जाय। दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि इस कृषि को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाय जिससे कि आम किसान को लाभ मिल सके। इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महेन्द्र कुमार परमार।

(अनुपस्थित)

श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, यह तो सर्व विदित है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा राज्य भी कृषि के क्षेत्र में काफी अग्रणी है। कृषि विभाग का जो लेखा-

(श्री सूरजपाल सिंह)

जोखा विभाग के द्वारा दिया गया है मैं उन आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो कुछ सुझाव जिससे कि इस प्रदेश के अन्दर खेती में होने वाली पैदावार बढ़ सके। कुछ सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। खेती के लिये सबसे आवश्यक वस्तु है बीज और हमारे प्रदेश में खरीफ में बहुतायत में बाजरा बोया जाता है लेकिन आज बीज की क्या हालत है यह किसी से भी छुपी हुई नहीं है हम आंकड़ों में चाहे यह बात कह दें कि हमने समय पर इतने हजार क्विन्टल बीज उपलब्ध करा दिया, मगर क्या विभाग ने यह बताने की चेष्टा की कि सर्व प्रथम जब वर्षा हुई थी उस समय हमारे राज्य के किसी भी भाग के अन्दर सर्टीफाइड बीज उपलब्ध था या नहीं था। यह मेरी चुनौती है, पिछले साल भी अनसर्टिफाइड बीज इधर-उधर से छाण-छूण कर काश्तकारों ने बोया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमने प्रदेश में बीज निगम की स्थापना की है तो क्या उनका दायित्व नहीं हो जाता है कि वर्षा आने से पूर्व बीज की पूर्ण व्यवस्था हमारे केन्द्रों पर, हर मार्केटिंग सोसाइटी या हर जिले के अन्दर करे। हर वर्ष यही स्थिति पैदा होती है। किसान को बीज समय पर नहीं मिलता है और बीज अच्छा नहीं मिलता है। अगर किसान को समय पर बीज नहीं मिलेगा या किसान को बीज अच्छा नहीं मिलेगा प्रति एकड़ या प्रति हैक्टर उत्पादन बढ़ाने की बात जो हम करते हैं मैं समझता हूं यह गलत बात होगी। जब हम बीज ही किसानों को अच्छा नहीं दे सकते तो प्रति हैक्टर या प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने की बात करना क्या उचित है? यह उचित प्रतीत नहीं होता। मेरा निवेदन है कि विभाग को सर्वप्रथम यह प्रयास करना चाहिये, यह चेष्टा करनी चाहिये कि हम किसानों को समय पर अच्छा बीज उपलब्ध करायें जिससे कि हमारे प्रदेश के 90 प्रतिशत लोग जो कृषि पर आधारित हैं उनको पूरी आय मिल सके। आज के आधुनिक युग में एक एकड़ में खेती करने में प्रति एकड़ करीब 1200 रुपया खर्चा आता है। अगर हम उनको उन्नत बीज, लेटेस्ट पेस्टीसाइड्स, पानी इत्यादि समय पर नहीं दे सकते हैं तो हम प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने की बात करें वह होना सम्भव नहीं होगा। आज हालात यह हैं कि हमारे यहां पर किसानों को जो भी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं जिनके माध्यम से अथवा अन्य संस्थानों के माध्यम से कोआपरेटिव के शार्ट टर्म लॉन्स इत्यादि मुहैया कराते हैं वह उनको समय पर उपलब्ध नहीं होता है और वह जब समय पर उपलब्ध नहीं होता है उसकी वजह से उनको कई प्रकार की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। किस-किस की तरफ देखें, चाहे वह फर्टीलाइजर हो, चाहे वह पेस्टीसाइड्स हों, चाहे बीज के भाव हों, निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि के अनुपात से किसानों को जो उत्पादन करते हैं उसका मूल्य उचित नहीं मिलता है तो हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी कि हम किसानों को समय पर अच्छा बीज उपलब्ध करायें, समय पर पेस्टीसाइड्स उपलब्ध करायें, समय पर उर्वरक उपलब्ध करायें। यह चेष्टा अगर कर सकें तो यह आज जो हमारा बड़ा लम्बा चौड़ा कृषि विभाग है उसके अन्दर कर्मचारियों और

217 2/16

(श्री सूरजपाल सिंह)

अधिकारियों की संख्या की मैं समझता हूं कि कमी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे राजस्थान में कृषि जगत में उन्नति नहीं हुई है, हमारा उत्पादन बढ़ा है, हमारा उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़ा है, मगर जिस अनुपात से बढ़ना चाहिये था उस अनुपात में हमारे आंकड़े चाहे यह बता दें कि 50 लाख टन से 56 लाख टन हो गया, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। आज गुजरात में आप जाकर देखिए कि वहां के लोगों का लैण्ड होल्डिंग क्या है? वह मैं समझता हूं कि 10, 15, या 20 एकड़ से ज्यादा उनका लैण्ड होल्डिंग नहीं है। आज खेड़ा जिले में आप देखें उनकी इनकम प्रति एकड़ क्या है हमें उसके स्तर पर पहुंचने के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी हमारे क्रोप पैटर्न को चेन्ज करना पड़ेगा। हमारी जो लेटेस्ट टक्नीक्स है जो अनुसंधान हमारे यहां पर विश्वविद्यालयों में होता है जो भी नयी नयी किस्म निकलती हैं उनकी जानकारी हम हमारे काश्तकारों को समय पर देकर उन लोगों को लाभ पहुंचा सकेंगे एक्सटेंसिव काम करके अगर हम उनके अन्दर चेतना लावें और जागृति लायें तो उस जागृति लाने के के लिये हम एक ही तरीके से काम कर सकते हैं और वह है हमारे क्रोप पैटर्न को चेन्ज करना। हालांकि हमारे प्रदेश में कृषि की बहुतायत है लोगों के पास लैण्ड होल्डिंग्स है, मगर हम खेती के काम से ज्यादा इनकम नहीं ले सकते हैं हमें क्रोप पैटर्न को चेन्ज करना पड़ेगा। अगर एक ही क्रोप को एक ही जमीन पर करते रहे तो जो पैदावार पहले साल में व दूसरे साल में कम होगी तीसरे साल में वही पैदावार अगर की गयी तो वह उससे भी कम होगी। तो रोटेशनल क्रोपिंग होना चाहिए। अगर इस साल हम मिर्ची बोयें तो दूसरे साल वहां पर गेहूं बोना चाहिये और तीसरे साल कोई तीसरी चीज बोनी चाहिये। बीज का उत्पादन भी एक ही जमीन पर बार बार करेंगे तो उससे उत्पादन में कमी होगी। जैसे हमारे जालोर जिले में लोग जीरा बो रहे है तो जीरा ही बो रहे हैं फिर हम यह कहते है कि हमें भाव नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह सरसों बो रहे हैं तो एक पैटर्न चल गया है, सरसों वहां से चली ठेठ अलवर तक सभी जगह पर सरसों ही सरसों नजर आ रही है। अब सरसों ही पैदा करते हैं फिर कहते हैं कि हमें हमारे भाव नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे विभाग के लोगों को किसानों तक जाकर उनको जानकारी देनी पड़ेगी। उनको वहां जाकर समझाना पड़ेगा, अपने क्रोप पैटर्न को चेन्ज करना पड़ेगा। आप दो तीन चार किस्म की खेती करें। जैसे मिर्ची की क्या हालत थी? जब किसान ने मिर्ची की खेती की थी तो उस समय मिर्ची दस रुपये किलो थी और आज वही मिर्ची तीस रुपये किलो हो गयी है तो अगर हम इसको चेन्ज करके एक योजनाबद्ध तरीके से खेती करते हैं तो एक तरफ तो हम उत्पादन बढ़ाने की बात करते है उसके साथ-साथ किसान की माली हालत जो आज हो रही है, वह ठीक है कि एक किसान के घर में दस आदमी हैं तो वह सभी काम करने वाले हैं वह दस के दस काम करते हैं। अगर आप उनकी डेली वेजेज जोड़कर देखें, अगर उसका साल भर का हिसाब मिलावें तो किसान को उसकी साल भर की मजदूरी मिलने के सिवाय उस खेती करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि हर चीज की कीमत रात और दिन बढ़ रही है। इसके लिए कृषि विभाग में जो

(श्री सूरजपाल सिंह)

अधिकारी बैठे हुए हैं उनको जाना होगा गांवों में। जो फील्ड वर्कर्स हैं उनको सलेक्ट करना पड़ेगा, जो नये-नये अनुसंधान हो रहे है उनसे लोगों को अवगत कराना पड़ेगा, क्राप पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, उनको आगाह करें। यह सारी चीजें करेंगे तो हम उत्पादन को बढ़ा सकेंगे, प्रति हैक्टेयर हम इनकम बढ़ायेंगे जिससे किसानों की माली हालत सुधरेगी। यह विभाग को करना चाहिये। उन्होंने चेष्टा की है पैदावार को बढ़ाने के लिए, मगर हम अग्रणी तभी बनेंगे जब प्रति हैक्टेयर हम दूसरे राज्यों के मुकाबले इनकम देने में सक्षम होंगे, तभी हम कह सकेंगे हमारा राज्य कृषि के क्षेत्र में अन्य राज्यों के मुकाबले आगे बढ़ा है। अन्यथा ठीक है हमारा क्षेत्रफल बहुत है और इसके अन्दर पचास या साठ लाख टन पैदावार करते है लेकिन यह पैदावार पर्याप्त नही है। आपके विभाग ने जो यूनिवर्सिटी उदयपुर में स्थापित की उसके अन्दर आपको चेंज करना होगा उदयपुर के अन्दर वह मिनरल्स बेस्ड एरिया है, अगर कोई मिनरल्स का काम हो तो समझ में आता है, मगर उसके साथ में वहां अन्य होम साइंस पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा रहे हैं। बीकानेर के अन्दर वेटरनेरी कालेज है, एग्रीकल्चर के पाइंट आफ व्यू से सारी सुविधायें उपलब्ध हैं, ऐसे स्थान पर हमें एक विश्वविद्यालय को चाहे जोधपुर में खोलें, बीकानेर में खोलें उपयुक्त स्थान को देखकर खोलें, मगर ऐसी जगह आप उस विश्वविद्यालय की स्थापना कीजिए ताकि उसके अन्दर रिसर्च कर सके और रिसर्च करके हम नये-नये अनुसंधान करके नई टेक्नीक को आगे बढ़ायेंगे तभी प्रदेश के अन्दर जो उन्नति होने की बात है, वह हो सकेगी ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सूरजपाल सिंह : थोड़ा ही समय लूंगा।

किसानों को यह शार्ट टर्म्स लोन के अन्तर्गत लोन दिया जाता है। उसके अन्दर जिस इलाके की भूमि सेलाइन है जहां फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता, आप वहां भी लोन देते हैं कि साठ प्रतिशत खाद के लिये देंगे और चालीस प्रतिशत दूसरे कम्पोनेंट्स के लिए देंगे, जहां खाद काम नहीं आती वहां आपको खाद देने की आवश्यकता क्या है। मेरा यह निवेदन है कि जहां की जमीन सेलाइन है वहां के लिए हमें इन नियमों के अन्दर संशोधन करना चाहिए। स्थिति यह बनती है कि जो पैसे हम खाद के लिए देते हैं वह दस या बीस रुपए कम में बेचकर किसान कुई आयल या बीज लायेगा। इस प्रकार से किसानों को नुकसान होता है, इस नुकसान से बचने के लिए, हमें यह कहें कि लोन बढ़ा दिया गया है, हमें स्थिति देखकर यथा स्थिति को देखकर यह सारी चीज करनी चाहिए ताकि किसान को जो नुकसान होती है वह नहीं हो सके। मेरा जोर इस बात पर है, हम कृषि में प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कंसन्ट्रेट खेती चाहे हम कम जमीन पर खेती करें, मगर कंसन्ट्रेट खेती करें उसको समय पर अच्छा बीज दे सकें, समय पर खाद दे सकें समय पर उसको पानी दे सकें और समय पर उसमें पेस्टिसाइड दे सकें इस टेक्नोलाजी से और इस आधुनिक तरीके से अगर हम इसको उपयुक्त समझकर खेती करेंगे तो हमारी प्रति हैक्टेयर ...

218

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सूरजपाल सिंह : पैदावार बढ़ायेंगे और हम आगे बढ़ेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रघुवर दयाल।

श्री रघुवर दयाल गोयल (रामगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि के माध्यम से अपना जीवन-यापन करती है। समय समय पर सरकार किसानों की हितैषी होने की थोथी घोषणायें करती है और उनका शोषण करती है। यह उनके हितों की किस प्रकार अनदेखी करती है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के नजदीक है। सम्बन्ध, सम्बन्धी, रिश्तेदारियां हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं और हमारे यहां के किसान दिल्ली भी जाते हैं। हरियाणा के किसान हमारे यहां पर, पंजाब के किसान हमारे यहां पर आते रहते हैं। जब राजस्थान के किसान पंजाब के किसान, हरियाणा के किसानों को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब के किसान राजस्थान के किसानों के मुकाबले ज्यादा समृद्धिशाली और ज्यादा अच्छा रहन-सहन वाले नजर आते हैं। उनका आपस में विचार विमर्श होता है कि क्या कारण है आपके यहां पैदावार ज्यादा होती है मैं आपको बताऊं कि हरियाणा और पंजाब की सरकार किस प्रकार किसानों को प्रोत्साहन देती है, किस प्रकार उनको समय-समयसहायता देती है। महोदय, हरियाणा और पंजाब के किसानों को सिंचाई के लिए नहरों की सुविधा है। हमारे यहां के मुकाबले उनको फर्टिलाइजर आठ प्रतिशत कम की दर पर मिलता है, ट्रैक्टर चार प्रतिशत कम की दर पर मिलता है, ट्रैक्टर ट्राली आठ प्रतिशत कम की दर पर मिलती है, पेस्टिसाइड चार प्रतिशत कम की दर पर मिलता है और बीज जो उनका होम उत्पादन होता है, प्यारे बीज होते हैं हमारे मुकाबले चार प्रतिशत कम की दर पर मिलता है और हाई स्पीड डीजल जो सिंचाई का मुख्य साधन है, जो सिंचाई के बहुत काम आता है, वह हमारे मुकाबले में आठ प्रतिशत की दर पर मिलता है। कैसी विडम्बना है कि हमारे यहां सिंचाई के साधनों के लिए हमको डीजल जलाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, वह आठ प्रतिशत की ज्यादा दर पर मिलता है, जबकि वहां पर दोनों प्रान्तों में नहरों का पानी उपलब्ध होता है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं यदि हमारी सरकार भी इसी प्रकार से जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा या गुजरात की सरकार किसानों को प्रोत्साहन देती है. उनकी आवश्यकता की चीजों पर उनकी पैदावार की चीजों पर सेल्स टैक्स नहीं देती है, मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि वह भी किसानों को प्रोत्साहन दे और जो आवश्यक चीजें हैं उन पर सेल्स टैक्स बिल्कुल माफ कर दे। इस सम्बन्ध में कमला बहन से जब वह अलवर पधारी थीं मैंने उनसे निवेदन किया था आज भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसानों की सुविधा, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर आवश्यक रूप से विचार करें।

अब मैं बिजली के सम्बन्ध में निवेदन

219 · 220

(श्री रघुवर दयाल)

करूंगा। बिजली विभाग किसानों को बिजली काटकर देता है। जब रात को किसान खेत में पानी देने के लिए जाता है तो सांप का डर रहता है, बिच्छु का डर रहता है, उसे घर का डर रहता है कि चोरी नहीं हो जाय। इसलिए इस संबंध में यदि आप उन भावनाओं को सही माने तो मेरा निवेदन यह है कि आप किसानों को दिन में बिजली निश्चित रूप से देने की व्यवस्था करेंगे।

किसानों का उत्पादन जब बाजार में आता है और बाजार में आप देखें किस प्रकार की विडम्बना है कि सेल्स टैक्स हम लेते हैं, उनको इन्पुट्स या फर्टिलाइजर देते हैं तो अपनी रेट पर देते हैं और जब उनकी पैदावार आती है तो भारत सरकार रेट तय करती है। हमारे यहां भी वही रेट है और हरियाणा और पंजाब में भी वही रेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार उनको पांच रुपये प्रति बोरी के हिसाब से अलग से उनको बोनस के रूप में देती है जबकि राजस्थान सरकार के यहां कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन बातों पर विचार करें और हरियाणा और पंजाब या गुजरात की सरकार जिस प्रकार से किसानों को प्रोत्साहन देती है उसी प्रकार हम अपने किसानों को प्रोत्साहन दें।

एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे राजस्थान के किसानों को जब भी किसी लोन की आवश्यकता होती है चाहे कुएं बनाने के लिए चाहे डीजल पम्प से खरीदने के लिए, चाहे अन्य आवश्यक कार्यों के लिए पैसा ले, उसको हर बार पटवारी के पास जाकर अपनी जमाबन्दी को अपनी गिरदावरी की नकल देनी पड़ती है इस प्रकार का उनके पास कोई साधन नहीं है कि जैसे उनको कोई टाइटल मिल जाये और उसको दिखाकर जहां कहीं से उपलब्ध हो सके, उस टाइटल के आधार पर उसको उधार मिले और उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन बातों पर विचार करें और किस प्रकार से किसानों की मदद करें। एक निवेदन करूं, कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं और कृषि विस्तार कार्यक्रम में जो काम चल रहे हैं उसको मैं समझता हूं कि कोई काम नहीं हुए हैं। उनको यदि पंचायतों को दे दें तो वह दोनों कामों को अच्छी तरह से कर सकेंगे। इससे पंचायतों को ग्राम सचिव मिल जायेंगे और कृषि विस्तार के लिए जिस प्रकार का काम उनको सौंपा गया है उस काम के लिए भी उनको क्षेत्र मिल जायेगा।

छोटे छोटे बांध जो इस तरह मौजूद हैं उनके संबंध में मैं आपसे निवेदन करूं कि इन बरसात के दिनों में वह इस प्रकार से भर जाते हैं कि कई जगह उनमें कटाव हो जाता है और खरीफ की फसल को बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इन बांधों की देखभाल इस प्रकार से की जाए कि उनमें पानी भी भर जाए और रबी की फसल जिस समय आए उस पानी को उसमें से काम में लिया जाये, इससे दोनों बातें हो जायेगी।

महोदय, देहात में जहां अधिकतर किसान और मजदूर रहते हैं वहां की उपेक्षा नहीं की जाये। वहां के विकास के लिए भी ध्यान रखा जाये। आने जाने के साधन और

(श्री रघुवर दयाल)

चिकित्सालय, पढ़ाई की सुविधा, बिजली की सुविधा- पेयजल की सुविधा इस बारे में भी आप बहुत गंभीरता से विचार करें। ग्रामीण क्षेत्रों को हम बिलकुल ही अनदेखी कर रहे हैं। उनके ऊपर हम बिलकुल लापरवाह हो गए। यदि ऐसा होता रहा तो निश्चित रूप से आप यह बात मान लीजिए कि ग्रामीण और देहात क्षेत्र खाली हो जायेंगे और शहरों में जिस प्रकार लोग आ आ कर बस रहे हैं, और शहर बढ़ रहे हैं; शहर बढ़ते जायेंगे और कृषि के प्रति जो उपेक्षापूर्ण नीति है वह बढ़ती चली जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, कृषि शिक्षा के संबंध में मैं निवेदन करूं कि यह मानी हुई बात है कि आज राजस्थान में जितने भी कृषि के अधिकारी हैं वह अधिकतर राजस्थान के बाहर के हैं और उसका कारण केवल यही है कि यहां पर अनुसंधान केन्द्र या इस प्रकार की पढ़ाई का कोई स्थान अन्य प्रान्तों के मुकाबले बहुत कम है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको शुरूआत की जाये। सुखाड़िया कृषि अनुसंधान केन्द्र जो हमारे नौगांव अलवर में चालू है उसमें ऐसी कृषि की पढ़ाई चालू कर दी जाये, प्राथमिक रूप से यही व्यवस्था लागू कर दी जाए तो यह कृषि के संबंध में बहुत ही अच्छा विचार होगा।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री रघुवर दयाल गोयल : मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं।

अंत में मैं आपसे निवेदन करूं कि कृषकों की फसल योजना लागू की जाये और प्राकृतिक आपदाओं से जिस प्रकार से कई स्थानों पर कटाव हो जाता है खेतों का उसको रोका जाये और जब कभी प्राकृतिक आपदा या कोई बीमारी लग जाये तो सामुहिक रूप से उस पर इस प्रकार से निःशुल्क छिड़काव दवादारू का किया जाये जिससे प्राकृतिक आपदाओं का जो भय और डर दूर हो जाये।

अंत में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूगा। महोदय, यह बड़ी ही विचित्र और विडम्बना की बात है और बड़ी दुखभरी बात है कि कृषकों को जब कोई किसी चीज को आवश्यकता होती है और जो औद्योगिक माल पक्के रूप में आता है, जिसकी रेट सरकार तय कर देती है, वह सामान कृषक को उस तय की हुई कीमत से ऊंचा मिलता है जबकि कृषक को जब पैदावार बाजार में आती है और उसको सपोर्ट प्राइस पर भी खरीदने की व्यवस्था नहीं होती। तो यह बड़े दुख की बात है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल गोयल : मैंने कुछ विचार आपके सामने रखे हैं आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि कृषि मंत्री महोदय इन पर विचार करेंगे, सरकार इन पर विचार करेगी और जहां तक हो सके कृषकों को सहायता करने की कोशिश करें।

श्री सभापति : श्री मोहन छंगाणी।

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बात कहूंगा। सब माननीय सदस्यों ने आज कृषि के बारे में....

श्री शोपत सिंह : कांग्रेस का टाइम दिया है इधर।

श्री मोहन छंगाणी : मैं कांग्रेसी रहा हूं इसमें मुझे शर्म नहीं आती।

श्री सभापति : मिले-जुले ही हैं।

श्री मोहन छंगाणी : आपके इलाके के बारे में बात कहूंगा। आज माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव दिये और सुझाव ऐसे आये कि कृषि की जितनी संस्थायें हैं डिपार्टमेंट समेत...

श्री सभापति : थोड़ा शार्ट में कहना। विद्वान बहुत हैं आप इसलिए मैं फिर निवेदन कर दूं आपसे।

श्री मोहन छंगाणी : मैं भी कभी आपकी जगह बैठता हूं इसका लिहाज रखिये।

श्री सभापति : लिहाज रखा है। संक्षेप में कहें।

श्री मोहन छंगाणी : तो आज काफी तफसील से माननीय सदस्य नाथूराम जी ने इस विषय पर प्रकाश डाला। अब बहुत कुछ कहने को तो बाकी नहीं रहा, पर थोड़ा बहुत मैं कहना चाहता हूं। एक तो सब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा का पूरा फेल हो गया चाहे सीड के उत्पादन में, वितरण में, उसके ट्रीटमेंट में, क्रेडिट के बारे में सब तरह की जो भी किसान की समस्यायें हैं उत्पादन की समस्या में खास तौर से उसके हल करने में कृषि विभाग नाकामयाब रहा। मैं तो, सभापति महोदय, यह चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी ने बजट में सुझाव दिया है कि 10 प्रतिशत हमें प्रशासनिक व्यय में कमी करनी है, इसलिए क्यों नहीं यह सोचा जाये कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया जाये जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में कहते हैं....

श्री सभापति : यह आप कह रहे हैं क्या ?

श्री मोहन छंगाणी : मैं कह रहा हूं इसलिए कि मैं कृषि मन्त्री भी रह चुका हूं। मेरा तो यही आक्रोश है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी और भूल तब कर दी जब उदयपुर में कृषि विद्यालय खोल दिया। सभापति महोदय,...

एक माननीय सदस्य : जयपुर में तो है ही।

श्री मोहन छंगाणी : इसीलिए दुर्भाग्य है यह...

श्री सभापति : आपके यहां खुलवा लो। मन्त्री महोदय ने करेक्ट कर दिया आपको। वह कृषि विश्वविद्यालय नहीं है उदयपुर विश्वविद्यालय नाम है उसका।

श्री मोहन छंगाणी : मैं बोलूंगा अच्छी तरह से अभी।

श्री सभापति : हां बोलें।

श्री मोहन छंगाणी : सभापति महोदय, जब लैण्ड ग्रान्ट कालेजेज अमेरिका में कृषि क्रांति के केटेलिस्ट रहे हैं। उसी को आधार मानकर अमेरिका ने भारतवर्ष को 4 कालेजेज

(श्री मोहन छंगाणी)

दिये। एक पंजाब में दिया, एक यू पी. में दिया, एक महाराष्ट्र में दिया। यह दूसरी बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने, जो सक्षम सरकार है, अपने खर्चे से दूसरा लैण्ड ग्रान्ट कालेज खोला अपने यहां पर। अब उदयपुर में लैण्ड ग्रान्ट कालेज खोला गया और अब यूनिवर्सिटी हो गयी है। यूनिवर्सिटी हो गयी तो जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां खेती के बजाय घरेलू शिक्षा दी जाती है जो ग्राफी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हमें कोई एतराज नहीं, कम से कम यह सरकार इतनी सक्षम है कि वहां यूनिवर्सिटी खोल दी। सभापति महोदय, लैण्ड ग्रान्ट कालेज सही माने में अमेरिका में कृषि क्रांति लाये। उनके मैन फंक्शन्स हैं एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च और एक्सटेन्शन। चार फंक्शन्स हैं। आज इतने लैण्ड ग्रान्ट कालेजेज हैं अमेरिका में कि कभी कभी अमेरिकी सरकार और अमेरिकी जनता खुद सोचती है कि आया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आवश्यकता है या नहीं। यों भी अमेरिका में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ कितनी क्राप कौनसी होनी चाहिए, कैसी प्राइस होनी चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए वही सारा तय करता है। एग्रीकल्चर का जो मैन काम है वह सारा का सारा लैण्ड ग्रान्ट कालेजेज करते हैं। अब लैण्ड ग्रान्ट कालेज तो हमने उदयपुर में खोल दी, सभापति महोदय। इसके बारे में मेरे वक्त मे मेरे कमिश्नर थे मिस्टर सूद उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और हम चाहते थे कि एनीमल हस्बेन्डरी का और एग्रीकल्चर का काम चाहे चम्बल की तरफ जाये, चाहे गंगानगर की तरफ जाये पर कम से कम उदयपुर से तो हटे। वहां माइका इंस्टीट्यूट खोल दीजिए। बड़ी यूनिवर्सिटी खोलिये। यही यूनिवर्सिटी आप कन्वर्ट कर दीजिए उदयपुर में पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और उदयपुर का कोई वास्ता नहीं है। सभापति महोदय, आप खुद जानते है और मन्त्री महोदय मेरे साथी बैठे हैं वह भी जानते हैं, उदयपुर में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय इसीलिए हुआ कि जो निर्णायक थे उस समय लैण्ड ग्रान्ट कालेज को खोलने के इसीलिए उदयपुर का स्थान चुना। मेरे ख्याल में, सभापति महोदय, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का कि यूनिवर्सिटी वहां खुली। सभापति महोदय, आप मानेंगे नहीं....

श्री सभापति : उस समय तो आप भी सहमत थे।

श्री मोहन छंगाणी : नहीं, मैं नहीं था। मैने तो उसको संभाला और अब तो सम्भलने काबिल भी नहीं रहा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एग्रीकल्चर मन्त्री थे तब आप क्यों नहीं ले गये फलोदी में।

श्री सभापति : हां, इस प्रश्न का भी जवाब दे दीजिये।

श्री शोपतसिंह : इसीलिए छोडकर आ गये आप।

श्री मोहन छंगाणी : सभापति महोदय, उस समय सूद साहब और यू. आई टी वगैरह में चर्चा हुई और जो उनकी कैम्पस की लैण्ड थी वह करीब 40 लाख रुपये में बिक सकती है ऐसी भी चर्चा चली और उस 40 लाख रुपये को गंगानगर और चम्बल में

(श्री मोहन छंगाणी)

बांट दिया जाये। कुछ सरकार से ग्रान्ट लेकर कम से कम एग्रीकल्चर के सारे प्रोग्राम, कृषि के सारे प्रोग्राम गंगानगर एरिया में चलें ताकि कोई खेती बाड़ी और कृषि उत्पादन में किसी लैण्ड ग्रान्ट कालेज का इम्पेक्ट रहे, यह तो सिद्ध कर सकें। हमारे राजस्थान में, सभापति महोदय, इवेलुएशन उल्टा चलता है। यहां तो बन्दर से पहले कहते हैं आदमी पैदा हुआ और हम यहां आदमी को बन्दर बनाते हैं। लैण्ड ग्रान्ट कालेज इतनी बड़ी कालेज, इतनी अमेरिका से मदद उसके बाद उदयपुर में खुली। उदयपुर में आज हम भूगोल पढ़ें और होमेस्टिक साइन्स पढ़ें यह, सभापति महोदय, आप ही सोचें क्योंकि आप उदयपुर संभाग के हैं कि इस तरह को शायद कोई भी सोच समझ वाला आदमी एप्रूव नहीं करेगा।

(7.00 रात्रि)

अभी भी कोई वक्त नहीं गया है, मैं जब कहता हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बन्द कर दिया जाये तो भी खेती बाड़ी का उत्पादन वैसे का वैसा रहेगा, तो मैं सोच समझ कर कह रहा हूं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सारा काम अगर यूनिवर्सिटी से सुचारु रूप से चलता तो अच्छी तरह से चला सकते थे। आज, सभापति महोदय, कम से कम 50 हजार से लाख आदमी कह रहे हैं लैब की नालेज फील्ड तक पहुंचाई जाये। यह कहना आसान है परन्तु उसके लिये कोई न कोई मशीनरी चाहिये मैकेनिज्म चाहिये। एक लैंड ग्रान्ट कालेज अमेरिका में 50 हजार से लाख आदमियों को ट्रेण्ड करते हैं साल में। चाहे सीड की किस्म हो, चाहे इन्सेक्टीसाइड-पैस्टीसाइड का उपयोग हो चाहे मैकेनिज्म के नये तरीके हों, उनकी प्रयोग हो चाहे जितने भी प्लांट बिल्डिंग से लेकर सारे ज्ञान हों 50 हजार से लाख आदमियों को हर साल एक लैण्ड ग्रान्ट कालेज अमरीका में हो सकता है। इसलिये जब हम कहते हैं कि लैब से फील्ड तक कैसे जाये ज्ञान। उस ज्ञान को ले जाने का एक ही तरीका है कैटालिस्ट की यूनिवर्सिटी को बनाना ही पड़ेगा। चाहे आप आज बनाओ चाहे कल बनाओ। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में जब एक यूनिवर्सिटी दी गई तो वहां आन्दोलन चले, कि एक यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलता, क्योंकि इकोलाजी, ज्योग्राफिकल कंडीशन्स, सायल कन्डीशन एरिया वाइज डिफरेंट है। इसलिये दूसरी यूनिवर्सिटी उनको अकोला में खोलनी पड़ी ड्राई फार्मिंग के लिये सिर्फ वहां की कंडीशन्स को देखते हुए। और लैण्ड ग्रान्ट कालेज के पैटर्न पर ही वह यूनिवर्सिटी खुली। तो मैं सोचता हूं कि हमारी सरकार कम से कम इतनी सक्षम है कि जो हमने बिगाड़ किया है आज तक उसमें कुछ सुधार तो करें दो और राजस्थान के भले के लिये जो भी कदम उठा सको उसको उठाने का प्रयास तो करो। जो प्रयास हुए उनको दबा दिया गया, दफन कर दिया गया, उनको कम से कम निकाल कर उसके बारे में सोच विचार तो करो। अगर लैण्ड ग्रान्ट कालेज के रूप में यह यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है तो मैं चाहता हूं कि उदयपुर से गंगानगर शिफ्ट कर दी जाये, बीकानेर शिफ्ट कर दी जाये या कोटा शिफ्ट कर दी जाये क्योंकि हमारा सब से अच्छा एग्रीकल्चर एरिया जिसमें सीड हो, टेक्नोलाजी हो उसके विस्तार के लिये सही कदम उठा सकते हैं और यूनिवर्सिटी सारी की सारी लैब बन सकती है

22ड़

(श्री मोहन छंगाणी)

ट्रेनिंग के लिये। तो, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से, कांग्रेस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में सोचें, विचार करें और इस मूल को ठीक करें।

आज मैंने कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया जाये उसके पीछे यही धारणा थी, आज सारे सदस्यों ने सुझाव दिये सीड के बारे में कि सीड सप्लाई नहीं कर सकते। सभापति महोदय, सही बात तो यह है कि बाजरे का सीड हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। न गुजरात से मगाने की जरूरत है न महाराष्ट्र से मगाने की जरूरत है और सीड का उत्पादन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे यहां बड़े पैमाने पर खेती होती है। सभापति महोदय, करीब 1। करोड़ एकड़ में बाजारा होता है राजस्थान में और आप, सभापति महोदय, अचरज करेंगे जब हिन्दुस्तान ने कहा था कि हमारा उत्पादन बहुत बढ़ गया, 71 में बहुत बढ़ गया तो सबसे बड़ा योगदान उस समय, आज जो रेगिस्तान कहलाता है, उसने बाजरे का उत्पादन करके दिया। आज सवा करोड़ एकड़ के लिये आप क्या सोचते हैं? आपने कभी सोचा कि ड्राई फार्मिंग हम कैसे करेंगे? किस तरह से करोड़ों एकड़ ड्राई फार्मिंग होता है, इससे भी ज्यादा होता है? मैंने बाजरा का एरिया बताया। मक्का, ज्वार और दूसरी फसलों का एरिया पड़ा ही है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात है कि जो हाई ब्रीड सीड जैसे क्लाइमेटिक कन्डीशन में उपजेगा वेही हाई ब्रीड सीड अच्छी अनुपात में होगा। आज महाराष्ट्र का सीड चार-पांच तरीके के बाजरे का बीज होता है। जिस तरह का रेनफाल होता है, जिस तरह की टेक्नालाजी होती है उस डिफरेंट सोइल सिस्टम के हिसाब से हाई ब्रीड बीज का उत्पादन होता है। आज हम बाजरा, मक्का और ज्वार का हाई ब्रीड बीज उत्पादन नहीं कर सकते इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। राजस्थान का इतना बड़ा एरिया और बाजरा, मक्का और ज्वार के तीन ही हाई ब्रीड सीड निकले हैं। बाकी तो इम्प्रूड वेरायटी के सीड हैं या कम्पोजिट वेरायटी के सीड हैं। सभापति महोदय, आज हमारे रिसर्च के बारे में बातें चलीं। रिसर्च के मामले में. सही मायने में, हम पिछड़े हुए ही नहीं एक दम बैकवर्ड हैं। किसी एरिया में हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक जैसे-तैसे हमने गेहूं का बीज बरसों पहले बनाया था, वह सीड भी बाद में बोगस निकला। जब से नयी टेक्नालाजी, नयी प्रेक्टीस यहां एग्रीकल्चर में आयी, हमारे राजस्थान का योगदान कुछ नहीं रहा। यह भी हमारे लिए कोई अच्छे लक्षण नहीं हैं। अगर हमारे जैसा प्रदेश, जिसमें सब क्षमतायें हैं उसके बाद भी इस टेक्नालाजी में पदार्पण भी नहीं कर पाये, कितने शर्म की बात है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि यह निर्णय लिया जाय कि जिस सीड की हमें जरूरत है वह चाहे बाजरे की हो, चाहे मक्का की हो, चाहे ज्वार की हो चाहे गेहूं की उसके ऊपर पहले हाई लेवल रिसर्च की जाय। गेहूं का तो कम्पोजिट सीड होता है। सभापति महोदय, न हम गेहूं के सीड में आगे बढ़े हैं न गेहूं के सीड के मामले में। यह मान्यता है कि सब सीड हाई ब्रीड और कम्पोजिट का जेनेटिक डीजनरेशन तीन साल के बाद शुरू हो जाता है। अगर तीन साल में हमने उनकी वंशावल

(श्री मोहन छंगाणी)

नहीं बदली तो वह सीड मर जाता है। अपने यहां दो ट्रेडिंग स्टेशन है-एक उटकमण्ड में और एक हिमाचल में। वे लगातार पता लगाते रहते हैं कि कौन सा सीड मर रहा है, कौन-से सीड में रेसिस्टेंस अभी तक कायम है। आज जैसे सोलनिका है, कल्याण सोना है ये आज तक जीवित हैं जबकि ये कभी के खतम हो जाने चाहिए। आज तक हम उसी सीड को, उसी मरे हुए घोड़े को लादकर चल रहे हैं। बहुत सारी डिसीज उसमें लगती है और हम उसका उपचार भी नहीं कर सकते। इनसेक्टिसाइड्स की जितनी फिलासफी है, जितना ज्ञान है उसका कोई उपयोग नहीं हुआ आज तक जबकि हम हर तीसरे साल नया बीज उत्पादन करके भी काश्तकारों को नहीं दे सकते। इसलिए, सभापति महोदय, सीड टैक्नालाजी, सीड का उत्पादन, सीड का वितरण, सीड के बारे में जब तक हाई लेवल का कम्प्लीट रिसर्च नहीं होगा, अच्छे-अच्छे ब्रीडर्स नहीं होंगे हम कृषि में तरक्की नहीं कर पायेंगे। सभापति महोदय मैं आपको बताऊं, मेरे एक मित्र थे श्री वास्तव डाक्टर, वह अच्छे ब्रीडर थे। डाक्टर बोरलाग के पास रहे तो उस समय यह समस्या चल रही थी कि उस समय जो मैक्सिकन सीड और दूसरा-दो किस्म के सीड आये थे वह सीड चल नहीं रहे थे। इसलिए नहीं चल रहे थे कि सीड की चपाती में कुछ बदबू आती थी, सुगन्ध थी। उसका रंग भी हम को अच्छा नहीं लग रहा था। सभापति महोदय, जिसको हम कहते हैं कलसा की वेल्यु, चपाती बनाने की, वह कलसा की वेल्यु भी अच्छी नहीं थी। तो उस के आधार पर कैसे ... की उत्पादन किया जाय ताकि हम जो कंजूमर्स हैं, गेहूं खाने वाले लोग हैं, उनको कम से कम पसन्द आये रुचि के हिसाब से, इस पर बहुत रिसर्च चली। रिसर्च के बाद वहां सीड भी चले। सीड की टैक्नालाजी भी डवलप हुई। सभापति महोदय हमारा, राजस्थान का उस समय से सीड टैक्नालोजी से सम्बन्ध रहा पर आज, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से पूछिये तो सही कि कोई ऐसा भी हमारा अचीवमेंट हुआ है इस क्षेत्र में कि जिससे राजस्थान का नहीं नाम हो। नाम लेवा भी नहीं है, इसलिए कि आज सीड की टैक्नालाजी में एक तरह का केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बना हुआ है, जैसे हम कहते हैं कि कृषि उपज मण्डियां फैल हो गयीं, कोआपरेटिव फैल हो गयी, सीड हम दे नहीं पाते यह संस्थायें, जैसा माननीय नाथूराम जी ने बताया कि आज शक्कर बेच रहा है और कल को भैरोंसिंह जी शेखावत कह रहे थे कि चमड़ा बेचने की तैयारी में लगी हुई है। अगर यही काम करना है तो एग्रो इण्डस्ट्रीज को। मैं एक बार, सभापति महोदय, गया सुमेरपुर। मैंने गुजरात के खूब दौरे किये हैं, एक-एक पंचायत समिति में हाई ब्रीड सीड बेचा है, इम्प्रूव्ड सीड बेचा है इसलिए मुझे अनुभव है और सौराष्ट्र में भी जहां की फ्लोरा-फौना और सारी सोइल अपने राजस्थान जैसी है। आज हिन्दुस्तान की टोटल मूंगफली का प्रोडक्शन 70 से 80 प्रतिशत सिर्फ गुजरात करता है। जहां औसत रेनफाल कम है। सुमेरपुर गया था। वहां कौन-सी कॉटन क्राप और थी, कुछ दूसरी क्रोप थी। वहां आज भी, सभापति महोदय, शेरशाह सूरी के समय के औजार उपयोग होते हैं। आज हमारे इरिगेशन कम पड़ता है तो हम प्रोटेक्टिव इरिगेशन करते हैं। कभी-कभी मोयश्चर को

(श्री मोहन छंगाणी)

रीटेन करना पड़ता है हम को। मोइश्चर रीटेन करें, उसके स्पेशल औजार होते है। उनको तो छोड़िये, जो साधारण बीडिंग के औजार है। उनमें भी शेरशाह सूरी के बाद आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ हैं। एग्रो इन्डस्ट्रीज को मेरा ख्याल है. सभापति महोदय, शीघ्र बंद कर देना चाहिए। अगर पैसा कमाने का धंधा सरकार करे तो जमीनें और सारी चीजें सरकार ही बेच लेगी। उसमें एग्रो इण्डस्ट्रीज का नाम देने की क्या जरूरत है? भारद्वाज साहब बेठे हैं न। कोई आवश्यकता ही नहीं है....

श्री सभापति : वे अभी यहां नहीं है।

श्री मोहन छंगाणी : नहीं हैं तो मेरा दुर्भाग्य है वह एग्रो इण्डस्ट्रीज के चेयरमैन बने हुए हैं।

श्री शोपत सिंह : वे बुलडोजर बेच रहे हैं।

श्री मोहन छंगाणी : कुछ भी बेचें। एग्रो इण्डस्ट्रीज का जो भी कन्सेप्ट—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको ही बेचते हैं....

(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : नहीं हैं, वे अभी होते तो मैं उनसे शिकवा शिकायत करता कि आपकी एग्रो इन्डस्ट्रीज की यह हालत है कि यह जो पम्प हैं अपने टाटा वगैरह के उसको पी. एच. ई. डी. को कैसे सप्लाई किया जाए। इस तरह के काम अगर एग्रो इन्डस्ट्रीज करें, शुरूआत में जब स्थापित हुई थी उसके उद्देश्य से हट करके काम करे तो एग्रीकल्चर के लिये फायदा क्या है? ऐसे इन्स्टीट्यूशन जो किसान की समस्या को हल नहीं कर पायें, उन इन्स्टीट्यूशन को शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर दिया जाय। मैं सभापति महोदय आपको दावे के साथ कहता हूं कि एग्रीकल्चर के उत्पादन में तब भी कोई फर्क नहीं आयेगा इसलिये मैं कहता हूं कि किसान की समस्या अपने मूल राज से जुड़ी हुई है, अपनी मूल समस्या से जुड़ी हुई है। यह साधारण बात नहीं है। एक बड़े विचारक ने लिखा है कि किसान को साधारण मत समझो, यह 37 सभ्यतायें खा गया है अब जो नई टेक्नोलोजी आयेगी, आप बात करेंगे कि हम 21 वीं शताब्दी में जा रहे हैं, इक्कीसवीं नहीं आप 24 वीं में जाइये, पच्चीसवीं में जाइये। मैं यह नहीं कहता हूं कि इक्कीसवीं में ही आप बड़े आराम से जाइये लेकिन यह किसान कई सभ्यताओं को खा चुका है चाहे आस्टेक की हो, चाहे ग्रीस की हो, चाहे यूनान की हो, किसी की हो। 37 जो मेजर सभ्यतायें ह्यूमन हिस्टी में हुई हैं उसको सिर्फ किसान ने खाया है और अगर किसान की समस्या हल नहीं हुई तो कोई सभ्यता, कोई टेक्नोलोजी हो यह अपने आप नीलकंड की तरह हजम कर जायगा। सभापति महोदय, इसलिये किसान के बारे में जब अपन सोचें तो बहुत ही अच्छी तरह से सोचें। अपने जनता पार्टी के माननीय नेता महोदय ने सुझाया कि भाई फलां नहीं होना चाहिये, फलां नहीं होना चाहिये कृषि विभाग में। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, अधिकारियों से सम्बन्ध रहे हैं—

(व्यवधान)

में एग्रो इन्डस्ट्रीज, कृषि विभाग और आप कहें तो और आगे बढ़ जाऊं, और आगे बढ़ जाए....

(श्री मोहन छंगाणी)

सभापति महोदय, सम्बन्ध रहे हैं अच्छे अच्छे आफिसर है। मैं कहता हूं, यतीन्द्र सिंह जी जब मेरे पास कमाण्ड ऐरिया डवलपमेंट आया तब ये चम्बल कमान्ड में थे। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं पर सवाल यह है कि एग्रीकल्चर को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, इसका एक्सटेंशन करना चाहते हैं, किसान को सीड, क्रेडिट, यह सारा का सारा देना चाहते है तो इसको अपेक्स करना पड़ेगा।

एक बात माननीय भैरोंसिंह जी ने कही कि पहले एक जैसी ऐजेन्सी थी, जैसा अपने डवलपमेंट कमिश्नर। मेरे पास मनोत साहब थे प्रिंसिपिल सेक्रेटरी थे। सब इण्टीग्रेटेड था, आज बेचारे तेजकुमार जी के पास कुछ नहीं है। राम का नाम है। सभापति महोदय, उसकी क्रेडिट भी ले ली, 20 प्रोग्राम भी ले लिया। अब तो राम का नाम है, आप उसको कहे यहीं ले, दूसरा लेगा तो फंसेगा, इसलिये राम का नाम लें।

(व्यवधान)

इसलिये अपेक्स पर हम सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तोड़ रहे है। जिस तरह से पेकेज प्रोग्राम की तरह हम फील्ड लेवल पर पहुंचना चाहते है, चाहे क्रेडिट हो, सीड हो, चाहे खाद्यान्न हो और चाहे जितनी भी स्कीम हों वह एक रूप में ऊपर तक जुड़ी रहती थीं और सारी की सारी पेकेज प्रोग्राम के रूप में हमारे किसान को मिलती थी। वहीं से हमने तोड़ना शुरु कर दिया। तोड़ दिया तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं। सारा जो स्ट्रक्चर है, इसको आप तोड़दें मेरा मानना है कि किसान पर उसका कोई असर नहीं होगा। सभापति महोदय, एक्सटेंशन का मूल चढ़ा हुआ है। मैंने जब पहली बार इस सीड को उगाना शुरु किया तो मैं वन आफ दी फर्स्ट हाई ब्रीड का उगाने वाला था। हाई ब्रीड का लोगों ने बड़ा ऐतराज किया। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि यह सीड-वीड क्या है। पहले मैंने उसको कार्मशियल क्राप का रूप दिया, उसके बाद फाउन्डेशन सीड वगैरह का जो भी था।

श्री शोपत सिंह : हमने भी लिया है।

श्री मोहन छंगाणी : आपने लिया तो मैं पहले वाला हूं।

श्री शोपत सिंह : जो भी आपके कुलिग थे, सबने लिया है।

श्री मोहन छंगाणी : जो भी लिया। तो उस समय किसान उस हाई ब्रीड को लेने को तैयार नहीं था। वहां स्पेशलिस्ट फार्मर होने चाहिए। जो फार्मर एन्टरप्रिन्योर हो, ऐसे फार्मर को चूज करें। हमारे इलाके में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर साथ थे, उन्होंने चूंज किया साहब, फार्मर चूज कर दिया तो भी काश्तकार माने नहीं। काश्तकार मानने को तैयार नहीं तो आखिर में मैंने उगाया और उगाने पर जब मेरी फसल जबरदस्त हुई तो सारे काश्तकार देखने को आये और दूसरे साल वे भी शुरू हो गये। यह दूसरी बात है कि तीसरी साल बाद सीड में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और सारे काश्तकार डूब गये। पर, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक्सटेंशन में इन्ट्रोडक्शन, एक्विटेंस और एडाप्शन ये तीन स्टेजेज महत्वपूर्ण हैं।

(श्री मोहन छंगाणी)

डिमान्ट्रेशन होता है, आपने बात कह दी। आपकी बात काश्तकार मानेगा नहीं। जो ऐसा नीलकठ है कि 37 सम्यताओं को खा गया वह काश्तकार मान जाय और वह भी भारतवर्ष का काश्तकार, यह तो नामुमकिन चीज है। पर ज्योंही डिमान्टेशन देंगे कि देख लें, तुम्हारे सामने यह बीज बोया आपके सामने यह पेस्टिसाइज दिये और यह फर्टिलाइजर हमने दिया। जब वह यह देखेगा तो देखते ही काश्तकार फोरन एडाप्ट करेगा। यह अच्छा तरीका है खेती का। यह कुछ हमको मुनाफा देगी जब तक काश्तकार को कोई मुनाफा नहीं मिले, काश्तकार के पीछे पड़ना नहीं चाहिए। आज माननीय सदस्यों ने कई सवाल उठाये, एग्रीकल्चर प्राइस, रेमुनरेटिव प्राइस यह सही है। जब नेहरू जी ने खेती बाड़ी में कास्ट इकोनोमी इन्ट्रोड्यूज कर ली करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, यह दूसरा प्रश्न है पर जब खेती-बाड़ी में कास्ट इकोनोमी आ गई और खेती का आधार कितना मुनाफा कितना घाटा, कितनी कास्ट आती है, इनपुट और आउट पुट रेशो खेती में निकलना शुरू हो गया तो उस खेती के बाद यदि आप काश्तकार को प्राइसेज नहीं देंगे तो काश्तकार क्रान्ति करेगा। काश्तकार यह सहन करने वाला नहीं है कि आज 150)रु. के भाव से बाजरा पड़े। आपको मजबूर होकर काश्तकार को अच्छी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर फर्टिलाजर की कीमत बढ़ती हैं, अगर फर्टिलाजर का क्षेत्र बढ़ता है, अच्छी बात है या बुरी बात, यह दूसरी बात है। फर्टिलाजर की कास्ट बढ़ती है, बिजली की कास्ट बढ़ती है, जितनी इनपुट्स है, उनकी कास्ट बढ़ती है तो काश्तकार आपसे वह भाव मांगेगा, मजबूरन सरकार से चाहेगा। अगर बिजली की दर उसे पोसाती नहीं है तो बिजली की दर घटवायेगा. अगर उसके इरिगेशन की रेट ज्यादा है तो इरिगेशन की रेट घटवायेगा। आज कास्ट इकोनोमी फार्म में अमेरिका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज अमेरिका की एग्रीकल्चर इकोनोमी, टोटल इकोनोमी सब्सिडी पर चल रही है। आज कोई भी काश्तकार बड़े से बड़ा काश्तकार जहां हजार एकड़ के फार्म हैं, 15 हजार एकड़ के फार्म हैं, जहां फ्यूडिलिज्म नहीं आता है, फार्म प्रोड्यूम टोटल इकोनोमी के हिसाब से करता है। यह दूसरी बात है कि हमारे यहां सारी की सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटि लैण्ड रिफार्म से जुड़ी हुई है। हम छोटे फार्म चाहते हैं। आज चरण सिंह जी जैसे आदमी कहते हैं, छोटे फार्म दो। आज लैण्ड सबसे बड़ा एम्पलायमेंट का साधन है। हमारे यहां 17 एकड़ के बाद आपकी केपिटल का जो लैण्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाता है आपके जो मजदुर है उनका भी डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जायेगा और मैन और आउट पुट जो रेशो घटता जाता है। 17 एकड़ का मेक्सिमम इरिगेटेड लैण्ड को मानकर चलते हैं इसलिए लैन्ड रिफार्म के साथ एग्रीकल्चर पूरी की पूरी जुडी हुई है। सभापति महोदय, इसलिये मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटि में जो चेंजेज कराना चाहें, जैसा भी आप ठीक समझें चाहे क्रेडिट के इन्स्टीट्यूशन हों चाहे इनपुट्स के इन्स्टीट्यूशन हों, नये तरीके से सोच करके, नये तरीके से उनका इस्तेमाल करना चाहिए तभी जाकर राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है।

माननीय कालबी साहब ने कहा साइल कन्जरवेशन, खास तौर से अपने ऐरिया की

(श्री मोहन छंगाणी)

बात करना चाहूंगा। हमारे ऐरिया में जो बड़े बड़े रेगिस्तान आये हुए हैं उसका कोई आधार नहीं है। सचमुच एग्रीकल्चर के अन्दर साइल कन्जरवेशन रेगिस्तान में कराई जाय। मैं, सभापति महोदय देख रहा हूं, इसलिये जल्दी कर रहा हूं। जिस तरह सोइल कन्जरवेशन आज होती है उस तरह से गलत हैं। सोइल कन्जरवेशन रेगिस्तान में अभी तक हम पेटर्न से करते हैं, एक खेत को यूनिट मानकर करते हैं। उस खेत को यूनिट मानना सरासर साइन्टिफिकली गलत है क्योंकि उस एरिया में खेत की टाप सोइल तो रहती नहीं सोइल जितनी उपजाऊ रहती है वह तो दो-तीन इन्च की रहती है। टाप सोइल हमारी तीन-तीन इन्च तो क्या सारे के सारे खेत उड़ जाते हैं। टाप सोइल दूसरी जगह चली जाती है। जब टाप सोइल ही नहीं रहती हैं तो सोइल कन्जरवेशन किसको कहते हो? सोइल कन्जरवेशन करने के वास्ते पूरा का पूरा रेगिस्तान का ऐरिया लेना पड़ता है तब जाकर सोइल कन्जरवेशन होती है। नहीं तो सोइल कन्जरवेशन के आप जो आंकड़े दे रहे हैं कि इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, यह सरासर बोगस है, यह झूठ है। जब तक आपके रेगिस्तान में कन्जरवेशन के लिए कम से कम एक खेत को यूनिट मानेंगे, सारे ऐरिया को यूनिट नहीं मानेंगे और सारे एरिया की किस तरह सोइल कन्जरवेशन हो सबको आधार मानकर हम प्रोग्राम नहीं बनायेंगे, प्लान नहीं बनायेंगे तब तक न तो आपकी टाप सोइल रहेगी, न आपका खेत रहेगा, न वहां खेती होगी। इसके बाद भी, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि खेती के बारे में जब हम रेगिस्तान में सोच रहे हैं, यह मेरी साइन्टिफिक मान्यता है कि रेगिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वह हल है। अब उस एरिया की सारी की सारी अर्थव्यवस्था को बदलेंगे नहीं सभापति महोदय, जब तक वहां कुछ होने वाला नहीं है।

श्री सभापति : किसान क्या करता है अगर हल नहीं चलाता है तो?

श्री मोहन छंगाणी : मैं समाप्त ही कर देता हूं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापति जी, यह...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ा उस पक्ष से बोल लें उसके बाद आप बोलेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सारी लड़ाई तो मैंने लड़ी, माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आज सारे हिन्दुस्तान के कोई भी प्रान्त ने वह बीज नहीं खरीदा, पंजाब ने नहीं खरीदा, हरियाणा ने नहीं खरीदा और दूसरे दूसरे प्रान्तों ने नहीं खरीदा परन्तु राजस्थान ने गुजरात से बीज खरीदा और मैं आपको, माननीय सभापति महोदय, यह बताना चाहता हूं कि गुजरात का वह बीज पिछले साल कोटपुतली के अन्दर गया, वह बिल्कुल नहीं उगा। इस साल भी राजस्थान सरकार ने बीज भण्डार की तरफ से वहां बीज खरीदा और दूसरे जो व्यापारी हैं जिनको लाइसेंस दे रखा है सरकार ने वह भी गुजरात से बीज लाये।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

माननीय सभापति जी, यह जो बीज है अब की बार भी, सारे पंजाब, हरियाणा और दूसरी स्टेटों ने उस बीज को नहीं खरीदा पर राजस्थान सरकार ने गुजरात से बीज खरीदा। उसके बाद आप, माननीय सभापति जी, सुनें, 4 करोड़ रुपये की दवाई आयी सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट से और उसबीज में मिलाई गयी और मिला करके अब किसानों को वह बीज दे रहे हैं। अरे भई सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट का रुपया हो या राजस्थान सरकार का रुपया रुपया तो देश का है। वह दवाई अमरीका से आयी, सभापति महोदय जी, स्विटजरलैण्ड से आयी, हां स्विटजरलैण्ड से आई वह दवाई तो, माननीय सभापति जी, आज जो इतना बड़ा टैक्स लगता है किसानों के ऊपर बिजली का समझ लें, पानी का समझ लें, दूसरे दूसरे टैक्स लगते हैं, माननीय सभापति जी उन टैक्सों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि सरकार के अन्दर जो बैठने वाले लोग है वह अपने इस पैसे को अपना नहीं समझते हैं, वह सरकार के पैसे को सरकारी पैसा समझते हैं, अगर अपना पैसा समझते तो आज न तो बीज खरीदते न दवाईयां आती न किसानो को वह बीज दिया जाता। तो मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आज वह बीज किसानों के नहीं उगा तो सरकार मुआवजा दे उन किसानों को और नहीं तो उन किसानों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी कि राजस्थान सरकार ने सबसे बड़ी गलती यह की है कि जो सारे हिन्दुस्तान का बेस है, राजस्थान का बेस है उसमें आई. ए. एस. अधिकारी बैठा रखे हैं। एग्रीकल्चर आफिसर को, एग्रीकल्चर के टैक्नीकल आदमी को वहां डायरेक्टर बनना चाहिए लेकिन वहां डायरैक्टर बनाती राजस्थान सरकार। आज वैटनरी के अन्दर, आई. ए. एस आफिसर, एग्रीकल्चर के अन्दर आई. ए. एस. आफिसर, इन्होंने बहुत बड़ा षडयंत्र मचा रखा है। मैं राजस्थान सरकार से यह कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय जी, मैं फारेन के अन्दर गया, वहां पर प्लानिंग कमीशन से बात की, हर अलग अलग डिपार्टमेन्ट से बात की वहां पर....

(व्यवधान)

रशिया गया था मैं, जर्मनी गया था, चैकोस्लोवाकिया गया था, और कन्ट्रीज में गया था, माननीय सभापति जी, वहां पर मैंने देखा—

श्री सभापति : आपने यह बात तो कई बार कह दी पहले।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इन्होंने पूछा है साहब तब बताया है नहीं तो मैं बताता भी नहीं।

तो, माननीय सभापति जी, मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेन्ट हो उसका आफिसर अगर बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा तो वह सारी चीजों को जानेगा कि किसको दुख है, किसान को दुख है, तकलीफ है, क्या है, क्या नहीं है। आज आई. ए एस. क्या जानें कि किसानों को क्या तकलीफ है और क्या नहीं है

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं माननीय सभापति जी, सरकार किसानों को मुफ्त में बीज देती है, बीज भण्डार की तरफ से और सरकार की तरफ से उसके अन्द

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

लाखों रुप्ये का घोटाला हुआ है । माननीय सभापति जी, उसके अन्दर जो थैलो 20 किलो या 30 किलो या 5 किलो की या जो कुछ भी दी जाती है मुफ्त के अन्दर किसानों को, उसके अन्दर किसी में एक किलो बीज कमती है किसी में डढ़ किलो बीज कमती है किसी में आधा किलो बीज कमती है । माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं अगर मैं यह बात जो जो बातें बोल रहा हूं वह गलत हो तो माननीय मंत्रीजी बोलें कि झूठ बात कहता है । दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी....

श्री सभापति : हां, संक्षिप्त में कह दें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलो, खूब बोलो आप ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर दवाइयों का एक्ट बहुत वर्षों पहले, अंग्रेजों के वक्त में बना था और वह एक्ट आज भी चलता आ रहा है । न तो सेन्ट्ल गवर्नमैन्ट यह सोचती है कि दवाइयां जो इन किसानों को दी जाती हैं तरह तरह की दवाइयां और तरह तरह के पेड़ों के लिए मैं, माननीय सभापति जी, यह कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि सेन्ट्ल गवर्नमैन्ट से बात करें और बात करके राजस्थान सरकार दवाइयों की फैक्ट्री लगावे । आज एग्रो ग्राम इण्डस्ट्रीज के अन्दर जैसा कि माननीय नाथूराम जी ने कहा था कि आज उसके अन्दर घाटा ही घाटा है । तो जैसा उसके अन्दर घाटा है, मैं यह कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि आज दवाइयां जितनी बनती हैं राजस्थान के अन्दर और राजस्थान के बाहर, आज मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि जितनी प्योरिटी उसके अन्दर होनी चाहिए वह प्योरिटी नहीं है । उसके अन्दर किसान को बहुत बड़ा नुकसान है । इतना ज्यादा नुकसान है कि मैं आपसे, माननीय सभापति जी, कहना नहीं चाहता हूं । राजस्थान सरकार से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार ने एक तरीका बना रखा है, सेन्ट्ल गवर्नमैन्ट ने एक तरीका बना रखा है कि लाइसेंस प्रणाली बन्द कर दें । आज लाइसेंस प्रणाली खुली होती तो ज्यादा फैक्ट्रीज होतीं, ज्यादा उनको अच्छी दवाइयां मिलतीं और अच्छी दवाईयां नहीं मिलती तो फिर सरकार उनको बन्द करती । तो मैं एक बात यह भी कहका चाहता हूं, सभापति जी । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : संक्षेप में कहें ।

श्रीमुक्तिलाल मोदी : अजी साहब मैं तो देखिये जल्दी जल्दी कर रहा हूं । सारी लड़ाई तो मैंने लड़ी है । मैं तो सारी बात सरकार को बता रहा हूं ।

श्री सभापति : हां, अच्छी बात कर रहे हैं आप, पर संक्षेप में कहें । कृपया संक्षिप्त में कहें, माननीय सदस्य ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, और एक बात यह कहना चाहता हूं

श्री सभापति : हां, कहिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कि राजस्थान के अन्दर यह जो कृषि उपज मण्डियां हैं उनके अन्दर भी राजस्थान सरकार ने कृषि उपज मण्डियों में रुपया तो खूब लगाया। यह ठीक है कि कृषि उपज मण्डी बनी पर वहां पर राजस्थान सरकार के या मेरे या आपके या सब माननीय सदस्यों के या अफसरों के ऐसे आदमी लगे हुए हैं, माननीय सभापति जी, कि जो कृषि मण्डी के अन्दर उन व्यापारियों का फायदा करते हैं और कृषि के अन्दर जितना फायदा होना चाहिए, कृषि मण्डियों में फायदा होना चाहिए, उनसे गांवों के अन्दर सड़क है, स्कूल है या और कोई चीज बननी चाहिए वह नहीं बन पाती है। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उन कृषि मंडियों की जो व्यवस्था है वह सुधारी जावे। और मैं यह भी कहना चाहूंगा सरकार से कि जो आज जयपुर के माननीय सदस्य सुबह से लेकर शाम तक रोला मचाते हैं, हर रोज यहां रोला मचाते हैं, माननीय सभापतिजी, से प्लानिंग बना करके जैसे हाउसिंग बोर्ड मकान बनाते हैं वह भी यह छोड़ता है कि भाई एक मंजिल का मकान बना दो, दो मंजिल के मकान बना दो और आपके जो हाउसिंग बोर्ड ने मकान बनाये हैं उसमें भी जमीन एग्रीकल्चर की गई है आस पास की। 16 किलोमीटर तो सांगानेर में गई 16 किलोमीटर चौमू की तरफ की गई 10 किलोमीटर अजमेर रोड के साइड में गई और 10-12 किलोमीटर आगरा रोड़ की तरफ की गई है। आप देखिये सारी एग्रीकल्चर की जमीन में छोटे छोटे मकान बने हैं और उन मकानों में सुबह से लेकर शाम तक बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कोआपरेटिव सोसायटी बन गई है भाई भतीजों की।

श्री सभापति : यह तो हाऊसिंग बोर्ड की बात हो गई, कृषि की बात कहें आप।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं यही कह रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, यह एग्रीकल्चर के अन्दर जो एग्रीकल्चर की जमीनें सोसायटियों ने ली है, सरकार को यह पाबन्दी लगानी चाहिए कि एक मंजिल का मकान नहीं बनेगा और हाऊसिंग बोर्ड को यह पाबन्दी लगानी चाहिए कि पांच और छः मंजिला मकान बनाना चाहिए।....

श्री सभापति : अपनी कृषि की डिमाण्ड है, हाऊसिंग बोर्ड में कहां उलझ गए माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसमें एग्रीकल्चर की भूमि आती है इसलिए चिल्लाता हूं। मेरे तो न कोई एग्रीकल्चर की जमीन है, न मेरे कोई मकान लेना है। मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है परन्तु सुबह से शाम तक जो हायतोबा मचाते हैं उसकी बात कहता हूं।

श्री सभापति : अब संक्षेप में कहें। बहुत अच्छी-2 बातें कह दीं आपने, अब समाप्त करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बहुत अच्छे-2 सुझाव दे दिए आपने, कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सुनिये।

दूसरी बात यह बताता हूं कि यह सारा जो मैं कह रहा हूं उसमें किसानों की जमीनों का सवाल है। किसान लोभ में आकर जमीन बेच देता है फिर उसके बाद परेशान

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

होता है, किसी के चार बच्चे, किसी के तीन बच्चे, किसी के दो बच्चे, वह कहता है सुबह से लेकर शाम तक कि नौकरी दिलाओ। अब नौकरी कहां से मिले, बताओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक किसान के अन्दर, खेती के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : आपके कितने बच्चे थे मोदी जी।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे क्या बच्चे। आप भी बच्चा ही हो।

श्री सभापति : शिवराम जी आपसे यह कह रहे हैं कि आप भी इनके बच्चे ही हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : जरा संक्षिप्त में कह दें और समाप्त कर दें। आपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, अब समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापति जी, मैं एक बात और....

श्री सभापति : इनका महत्व कम हो जायेगा आप लम्बा बोलें जाओगे तो।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप बीच बीच में बोल जाते हो तब मैं क्या करूं। माननीय सभापति जी, यह बीज भण्डार है उसके अन्दर उसको बन्द कर देना चाहिए। एग्रो इण्डस्ट्री को बन्द कर देना चाहिए।

श्री सभापति : मंत्री महोदय कृपया नोट करें वे क्या कह रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अभी चार पांच रगड़े हैं, जो खाद का काम है, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, माननीय सभापति जी, जो पैसा है वह हमारे खून का ही तो है। सरकार बैंक से भी ले तो चुकाना हमको ही तो पड़ेगा। सरकार भले ही किसी और से से उधार ले यह चुकाना हमको पड़ेगा क्योंकि सरकार गारण्टी देती है और हम सरकार के अन्दर हैं, जनता के अन्दर रहते हैं। इसलिए टैक्स तो हमारे पर ही पड़ेगा, माननीय सभापति जी। वह घाटे की चीजें हैं सरकार के अन्दर ....

श्री सभापति : बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं आपने, धन्यवाद, अब कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अजी सुनिये तो। मैं तो दस मिनट भी नहीं बोला हूं।

श्री सभापति : बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, अब कृपया समाप्त करें। बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं अब कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तीसरी बात यह है, माननीय सभापति जी....

श्री सभापति : अब समाप्त करें। पहले वाले सुझावों का महत्व कम हो जाएगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सुनो तो.... पांच मिनट और।

श्री सभापति : पांच मिनट नहीं, दो मिनट में कह दीजिए। सिर्फ दो मिनट प्लीज।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ऐसा है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यूनिवर्सिटिज उठा देना चाहिए, न तो यूनिवर्सिटि उठेंगी न कोई बात होगी मैं आपसे साफ कहता हूं। मेरा सुझाव है, यह कमलाजी की भी बात है, उनका भी सुझाव था और शिक्षा मंत्रीजी थे उनका भी सुझाव था कि जितने कालेज हैं....

श्री सभापति : माननीय शक्तावत साहब कृपया सुनें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : राजस्थान के अन्दर, गंगानगर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, माननीय सभापति जी, उस में सब में एग्रीकल्चर करा दो और एग्रीकल्चर कालेज बना दो उनको। जहां जरूरत हो वहां और कालेज खोल दो और सब कुछ कर दो, मेरे को कोई एतराज वाली बात नहीं है। परन्तु जितना स्टाफ आज एग्रीकल्चर का गांवों में लगा हुआ है और एग्रीकल्चर अफसर हैं उन सब लोगों का आप लेक्चरार बना दो, किसी को क्या बना दो, किसी को कुछ भी बना दो। तो मेरा यह कहना है, माननीय सभापतिजी, उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर के अन्दर किसानों के लड़के आयेंगे, दूसरे लोगों के लड़के आयेंगे। आज बीकानेर में इन्दिरा नहर के अन्दर जरूरत है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उस इन्दिरा नहर के अन्दर, जो यहां पर एक-एक कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर 15-15, 20-20 आदमी हैं उनको उधर इन्दिरा नहर की तरफ लगा दो। उनको तनख्वाह भी फोकट की क्यों देते हो। एक आदमी ही बहुत है। तो मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, दूसरे बड़े-2 फार्मों के लिए आपको सोसाइटी बना करके....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इन्दिरा नहर के बड़े-बड़े फार्म बनाने चाहिए सरकार को और वहां स्कूलें, डिस्पेंसरियां और जो भी सुविधायें हों उनको देनी चाहिए और जो प्रोफिट हो वह कोआपरेटिव सोसाइटी में लगा सकते हैं, उनको देना चाहिए सरकार की तो वहां पर चोरी नहीं होगी, बेइमानी नहीं होगी और काफी उन्नति होगी।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उनके लड़के आपसे नौकरी नहीं मांगेंगे, यही मेरा कहना है, माननीय सभापतिजी, आपसे कि सरकार से जो मैंने कहा है सरकार उन बातों को सोचेगी, विचारेगी और अपना काम करेगी।

श्री सभापति : श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी। कृपया दो तीन मिनट में अपनी बात कह दें। उसके बाद सरकार की ओर से डिमाण्ड पेश होगी।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा): सभापतिजी, मैंने भी इस सम्बन्ध में स्थान-प्रस्ताव दिया हुआ था। अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी थी।

श्री सभापति : आप भी बोलेंगे । दो-दो मिनट सबको दे देंगे । ज्यादा लम्बा समय नहीं है ।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव भी है····

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थगन प्रस्ताव तो दिन में हो गए सब के ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान जयपुर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : संक्षेप में कह दें कृपया ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : बहुत संक्षेप में, माननीय सभापति महोदय । मेरा स्थगन प्रस्ताव भी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ।

जयपुर जिले में न तो कोई सिंचाई बांध है और यहां के कुओं में पानी का स्तर भी नीचे चला गया है । अधिकांश कुए सूख चुके हैं । यदि उनके बारे में गंभीरता से सरकार ने कोई विचार नहीं किया तो मेरा यह मानना है कि इससे सिंचाई की क्षमता कुओं की कम होगी और हमारा उत्पादन जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आज गंगानगर के बाद उत्पादन की दृष्टि से दूसरे नम्बर का जिला है वह पीछे चला जाएगा । इसलिए इस संदर्भ में मेरा एक ही निवेदन है कि कृषि विभाग वाले कई बार कुओं को गहरा करने के लिए सूची अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड को देते हैं । पंचायत समितियां देती हैं लेकिन अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड वाले आज तक अपनी मशीनें कुओं पर नहीं भेजते । वह बेचारा किसान परेशान रहता है । इसलिए मेरा सर्व प्रथम तो यह सुझाव है कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड को या तो कृषि विभाग के अधीन किया जावे और यदि आप कृषि विभाग के अधीन नहीं देते हैं तो कृषि विभाग को कृषि के कुओं को गहरा करने के लिए अपने स्वयं के साधन जुटाए और जिन काश्तकारों को जरूरत है, आप पैसा लीजिए, मुफ्त में नहीं करायेंगे लेकिन जिन किसानों को कुओं को गहरा कराने की आवश्यकता है उनके यहां बोरिंग कराने के लिए मशीन भेजिए, यह व्यवस्था राजस्थान सरकार को करनी चाहिए । मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वह अपने जवाब में यह कहें कि जयपुर जिले में जो किसानों के कुए सूख गए हैं या सूखने जा रहे हैं और पानी का स्तर नीचे चला गया है, कुओं की सिंचाई क्षमता कम हो गई है, ऐसे कुओं को गहरा करने के बारे में सरकार क्या करने जा रही है ।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिले में खास तौर से मैं तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं, खारडा जमीन होती जा रही है । कुओं में पानी जहरीला और खारा निकलने लग गया है । पहले जहां पानी मीठा था वहां आज खारा पानी पैदा हो गया है और इन सारी परिस्थितियों में आवश्यकता इस बात की है कि इन जमीनों को टैस्ट किया जावे, उस जमीन का परीक्षण हो, उस पानी का परीक्षण हो और उसके संदर्भ में कृषि विभाग उन किसानों को यह राय दें कि इस पानी से

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

इस जमीन में यह फसल बोई जा सकती है, यह फसल अच्छी हो सकती है लेकिन इस मामले में कृषि विभाग विफल रहा है। मेरा यह निवेदन है कि जहां जमीन खारड़ी हो गई है उस जमीन को ठीक करने के बारे में भी कृषि विभाग व्यवस्था करे। पानी मिट्टी का परीक्षण कर किसानों को उचित सलाह दे।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिले में ढूंढ नदी के किनारे पर बाढ़ आई और उस बाढ़ से वहां के किसानों के खेत इतने खराब हुए है कि वहां आज खेती नहीं हो रही है। उस जमीन में कौन सा पौधा लगायें, कौन सी खेती की जा सकती है, उसके बारे में कृषि विभाग निष्क्रिय रहा है और आज तक उस बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लिए कोई योजना तैयार नहीं की और उसके कारण वहां का जो किसान खेती करता था आज वह भूमिहीन की श्रेणी में बैठा है। उनके लिए कृषि विभाग ने यह सोचा नहीं कि हम उनके बारे में कौन सी राय दें। उस मिट्टी का परीक्षण करें कि वहां कौनसे फलदार पौधे लगाये जा सकते हैं। मेरा एक ही विनम्र निवेदन यह है कि डेजर्ट एरिया के लिये जो बेर के पेड़ निकाले हैं वह पौधे उन किसानों को उपलब्ध कराये जायें, समय समय पर मांग के अनुसार दिये जायें। वह पौधे यदि उस जमीन में लग सकते हैं तो इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है, खेती सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं भू-संरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं। भू-संरक्षण का एक अलग कार्यालय तो यहां तो जरूर स्थित है लेकिन दुर्भाग्य है जयपुर जिले का, जयपुर जिले में भू-संरक्षण विभाग की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। या तो उनको बजट नहीं मिलता है। उन्होंने सर्वे किया। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में आज से दो-तीन साल पहले सर्वे किया था उसका काम आज तक आरम्भ नहीं हुआ जब आपके पास धन नहीं तो आप सर्वे कराने में क्यों पैसा बरबाद करते हो मेरा विनम्र निवेदन है कि भू-संरक्षण का काम जयपुर जिले में, जयपुर जिले में न सही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जरूर किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : हमारी भी सोचो।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : अब मैं क्या करूं।

कृषि उपज मंडी समिति के बारे में मेरा एक निवेदन है। यार्ड समिति शाहपुरा और बस्सी दोनों एक साथ मजूर हुई थी, शाहपुरा और बस्सी में एक बननी चाहिये थी। बस्सी वालों ने जमीन निःशुल्क उपलब्ध करायी, शाहपुरा में शायद जमीन खरीद कर मोल ली होगी। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि शाहपुरा यार्ड मंडी बन चुकी है, बस्सी में जो जमीन मुफ्त में दी थी उसकी सुरक्षा के लिये डंडा तक भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब दोनों योजना साथ-साथ स्वीकृत हुई थी, आप हमको भी साथ लेकर चलिये, बस्सी भी आप ही की है। बस्सी में जो यार्ड मंडी है उसको आप शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करें। मैं तो मेरे जयपुर जिले की बस्सी के लिये कह रहा हूं।

श्री शोपतसिंह : कृषि मंत्री तो दूसरे हैं, मुख्य मंत्री है। यह तो जवाब देने के लिये है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय तो सारे राजस्थान के हैं, माननीय सदस्य।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिये 'बैंक गावों की ओर" एक अभियान चलाया था। इस अभियान के अन्तर्गत 2458 ऋण आवेदन पत्र मौके पर जाकर तैयार करवाये गये थे। दूसरे दिन इन प्रार्थना पत्रों की जाच हुई और तीसरे दिन जो स्वीकृत हो सकते थे उनको स्वीकृति दी गई और प्रथम किश्त का पैसा उनको दिया गया। दुर्भाग्य यह रहा, 1970 में जो लोन एप्लीकेशन मंजूर हुई थीं उनमें से 1427 को मौके पर लोन दिया गया। 1427 में प्रथम किश्त मिली है। उसमें 50 प्रतिशत लोगों को दूसरी किश्त नहीं मिली। और तीसरी किश्त का तो पता नहीं है। आज स्थिति यह है कि जिन लोगों ने कुआं के लिये प्रथम किश्त प्राप्त की है उन्होंने कुआं पूरा बना लिया कहीं से लोगों से कर्ज ले लिया, किसी का कुआ आज भी अधूरा बना हुआ है। बैंक उनको कर्ज नहीं दे रहा है। बैंक के अन्दर एक परेशानी और है कि एक साल की अवधि अगर निकल जाती है तो उसके बाद राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास उनके लिये पुनर्भरण नहीं करता है। उसके कारण जयपुर जिले के किसानों को आज भी द्वितीय और तृतीय किश्त का पैसा नहीं मिला। इसका कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जहां कहीं भी खामी रही है उन किसानों, जो आज दूसरी और तीसरी किश्त से वंचित रह गये हैं, को पैसा दिलाया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, कृषि में सबसे बड़ा योगदान बीज वितरण का है। बीज निगम में प्रबन्धक....

श्री सभापति : जरा शोर्ट में कह दें।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मैं शोर्ट में ही कहूंगा। प्रबन्धक अच्छे आदमी हैं। लेकिन पता नहीं वहां कौनसा स्टाफ ऐसा है जो इस निगम को घाटे की ओर ले जाता जा रहा है। प्रबन्धक महोदय के बस की बात भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, चार वर्ष से....

(व्यवधान)

मैं उस प्रबन्धक के कोई मसका नहीं लगा रहा हूं। वह भले आदमी है, भले आदमी को भला आदमी कहना चाहिए। मैं यह नहीं कहता। भले आदमी हैं इसलिए वह कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वहां।

श्री शोपत सिंह : निकालो उसको।

श्री सभापति : आपस में बातचीत नहीं, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, चार वर्ष से वहां अकाउंट तैयार नहीं हुए। अकाउंट तैयार नहीं हुए तो उस निगम के बारे में आप

238

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

कैसे जान सकते है वह घाटे में जा रहा है या नफे मे जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अकाउट्स को पूरा करने के लिये लाखों रुपये ओवर टाइम के रूप में वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिये जा चुके हैं। यह कैसी विडम्बना है कि जो संस्था करोड़ों रुपयों का लेनदेन करती है उस संस्था का कोई हिसाब नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा, लेखे कब तक तैयार हो जायेंगे, सरकार इस सम्बन्ध में हमें विश्वास दिलाये। माननीय सभापति महोदय, निगम का पैसा, लाखों रुपया लोगों में बकाया है, चाहे वह सीड ग्रोवर्स में हो, चाहे इनके डीलर्स मे हो। मुझे एक प्रश्न का उत्तर आज ही मिला है जिसमें कहा गया है कि एक वर्ष का 28 लाख रुपया बकाया है। शेष वर्ष के लिए जवाब दिया है सरकार ने कि लेखे तैयार नहीं है इसलिए सूची नहीं दी जा सकती है और यह नहीं बताया जा सकता है कि कितना रुपया बकाया है। जिस संस्था को यह पता नहीं हो कि हमारी राशि कितनी उधार में गई हुई है, कितना पैसा लोगों मे बकाया है, उस संस्था का क्या हाल होगा? यह व्यापारिक संस्थान है। व्यापारिक संस्थान है तो इसकी यह जिम्मेदारी है कि यह इस प्रकार का हिसाब ठीक रखे और जिन लोगों में बकाया है उनसे समय पर वसूल करें।

माननीय सभापति महोदय, अभी मुक्तिलालजी मोदी और अन्य सदस्यों ने जिक्र किया, गुजरात से रोग ग्रस्त बाजरा इन्होंने खरीदा है बी. जे. 104, चार हजार क्विंटल बाजरा खरीदा गया। उपचार के लिए बाहर से दवा मगानी पड़ी। लाखों रुपया उस दवा में लगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : करोड़ों।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : करोड़ों मे होगा मुझे पता नही कितने की दवा लगी। यह तो राज्य सरकार जवाब मे बतायेगी।

श्री सभापति : आप शोर्ट में कह दीजिए अगर आपको पता नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : यह राजस्थान सरकार बतादेगी जवाब मे कि जो रोगग्रस्त बाजरा खरीदा गया था उस बाजरे पर कितने रुपये की दवा खर्च हुई है। यह जो स्वीकृत बाजरा आया है, आज भी मेरे ख्याल से हम यह विश्वास नहीं कर सकते है कि इस रोग ग्रस्त बाजरे को हम अगर काश्तकारों को वितरित करेंगे तो उससे खेती होगी या नहीं होगी। सरकार इस बारे में हमें यह विश्वास दिलाये कि इस रोग ग्रस्त बाजरे को दवा लगा कर ठीक कर दिया है और यदि इससे कृषि उत्पादन नहीं हुआ तो काश्तकारों को इसके हर्जाने की जिम्मेदारी सरकार स्वयं उठाने को तैयार हो। अन्यथा जो रोग ग्रस्त बाजरा खरीदने मे गड़बड़ हुई है उसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को दोषी ठहराया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इस बारे में मैं सरकार से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या गुजरात से आने वाला बी. जे. 104 बाजरा रोग ग्रस्त था? यदि हां, तो इसे क्यों लाया गया? यदि नहीं तो, इसके उपचार के लिये स्विटजरलैण्ड से दवा मगवा कर क्यों राशि बरबाद की गई? क्या निगम

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

इसके बीज के रोग रहित होने की गारंटी देता है ?

माननीय सभापति महोदय सोयाबीन का बीज इन्होंने खरीदा। मध्य प्रदेश में दो हजार क्विंटल बीज खरीदा गया 810 रुपये क्विंटल के भाव से। आज निगम इसे 500 रुपये क्विंटल पर बेच रहा है। इसमें निगम को 6.20 लाख रुपये का घाटा होगा। अगर जरूरी नहीं था तो क्यों यह बीज खरीदा गया सस्ता बेच रहे है वह इसलिए बेच रहे है कि यह बीज लेने को कोई तैयार नहीं। तो प्रथम तो बीज आवश्यकतानुसार मंगाया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, राजकीय बीज की बिक्री में से भी करोड़ों रुपये का बीज निगम को घाटा हुआ है। आज 30 हजार क्विंटल गेहूं जो 350/- रुपये के भाव से खरीदा था 170/- क्विंटल से इन्होंने बेचा है जिससे कम से कम 30 लाख रुपये की हानि हुई और इस प्रकार बाजरा 850/- में खरीदा और 62 और 90 और 105/- क्विंटल में बेचा है। इससे लाखों रुपये का घाटा निगम को हुआ। मक्का 1000 क्विंटल 450/- क्विंटल से खरीदी और 101 और 121 के बीच में मक्का बिकी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : सभापति महोदय, एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से, निगम को जूट के कैनवास बैग्स 40 किलो के बैग्स की आवश्यकता थी, निगम ने टेण्डर आमन्त्रित किए और कलकत्ता की एक पार्टी को आर्डर दे दिया। 6 लाख उसने फर्जी बिल्टी देकर ले लिए और दो साल तक निगम सोया रहा उससे वसूली की कार्यवाही नहीं की धोखाधड़ी की कार्यवाही का पुलिस में केस नहीं दिया। वह हमारा रिश्तेदार था क्या जिसके लिए हम बैठे रहे और इन्तजार करते रहे कि वह बैग भेजेगा और अब थोड़े से आ गए उसके बारे में सरकार ने कह दिया कि बैग्स प्राप्त हो गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 6 लाख रुपये निगम से उसने धोखा देकर लिए उसमें जरूर निगम के अधिकारियों की सांठगांठ होगी और वह कौन अधिकारी है जिसकी सांठगांठ से 6 लाख रुपये गए और वह कौन अधिकारी है जिसने दो साल तक उसके खिलाफ पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करवाई और रिकवरी की कार्यवाही नहीं की। उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शोपतसिंह जी बोलेंगे। मेरा निवेदन था माननीय सदस्य, कि आज जितने मान्यता प्राप्त दल हैं उनके एक-एक सदस्य बोलें। लोक दल के नेता महोदय, माननीय मिर्धा साहब बोल लिए हैं। मैं निवेदन करता हूं आप में से एक कोई बोल लें उसके बाद कांग्रेस के बोलेंगे और उसके बाद डिमाण्ड पास होगी, एक आप तय कर लें। मेरा अनुरोध है आपसे, सहयोग करें आसन का।

(व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले तो दूसरी चीजों में बोलने दिया माननीय सदस्यों को, जब मैंने दो बजे जाकर माननीय अध्यक्षजी

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

के सामने कहा, रिक्वेस्ट की और यह बात कही....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपके सुझाव से ही हाउस ठीक चल रहा है, कृपया विराजें।

श्री शोपतसिंह जी।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 37 पर अपने विचार पेश कर रहा हूं और कटौती प्रस्ताव जो मैंने दिये हैं खाद, कीटनाशक दवाइयों और कृषि के काम आने वाले यन्त्रों पर कम कीमत करना, कृषि उत्पादन पर कृषकों को लाभकारी मूल्य दिलाये जाने, कृषि के काम आने वाले यन्त्रों, डीजल पम्प सैट्स व ट्रैक्टर पर मिलने वाले बैंक लोन्स, नकद दिये जाने और इसके साथ साथ उन्नत बीज सस्ती कीमत पर दिया जाय और पांचवां मेरा कटमोशन है जनाब, गंगानगर जिले में एग्रीकल्चर कालेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाय, सूरतगढ़, गंगानगर कहीं किसी भी जगह गंगानगर जिले में जहां आपको जगह मिले। माननीय सभापति महोदय, मैंने सभी स्रोताओं के।

(व्यवधान)

बड़े ध्यान से विचार सुने, हां, स्रोताओं के, माननीय सदस्यों के....

श्री सभापति : छंगाणी साहब करेक्ट कर रहे हैं आपको, वह स्रोता नहीं थे।

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति महोदय मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, किसी व्यक्ति के आप हाथ बांध दो और उसके आगे थाली में लड्डू रखदो और कहो बेटा खाओ तो क्या खा सकता है चाहे कितने ही इम्प्रूव्ड बीज दे दें, यूनिवर्सिटी दे दें अगर किसान की हालत आर्थिक तौर पर ठीक नहीं होगी तो सारे का सारा काम धरा रह जायगा। माननीय सभापति महोदय, सन् 58 में मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। सन् 1958 की बात है 27 साल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की मैंने 2-3 लाइन पढ़ी थी वह सन् 1931 में रशिया गये थे और स्टालिन से मिले थे। छंगाणी साहब भी हमारे लीडर रहे हैं सी. पी. आई. के वह थोथी तारीफ कर रहे थे अमेरिका की मैं सोच रहा था कि हो क्या गया ?

श्री सभापति : आपने दल का नाम गलत बोल दिया, वह सी. पी. आई. के नहीं हैं।

श्री शोपतसिंह : सी. पी. आई. के थे, हमारे लीडर थे मगर समय का फर्क है। तो मैंने दो ही लाइनें पढ़ी थी रविन्द्रनाथ टैगोर की जब वह रशिया गये थे, उन्होंने रशिया से लैटर्स लिखे हैं। उन्होंने जब रशिया मे गये और वहां खेती की प्रोग्रेस देखी 13 साल के अरसे में, 1918 की क्रांति के बाद में, 1931 में गये तो उन्होंने किसान के बारे में कहा कि काश मेरे देश मे भी इसी तरह किसान की सोचने वाला नेता होता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह लाइन बोल दें आप।

श्री शोपतसिंह : हां, मैं कह रहा हूं,

(श्री शोपतसिंह)

उन्होंने कहा कि मेरे देश का, हिन्दुस्तान का किसान उस दीपक की तरह है जो सारे तेल का मैल अपने ऊपर ले लेता है, अपने पर अन्धेरा रखता है और लोगों के पेट भरता है लोगों को कपड़ देता है खुद नगा रहता है, खुद भूखा रहता है लोगों के पेट भरता है, खुद मक्खन पैदा करता है और दिल्ली में और जयपुर में बैठे लोगों को, कोठियों में लोगों को पहुंचाता है, खुद दूध पैदा करता है और उसके बच्चों को कभी दूध नसीब नहीं होता, सारे का सारा दूध जयपुर में जाएगा, दिल्ली में जाएगा। आपको फिक्र इस बात की नहीं है कि यह किसान पैदा कर रहा है उसके पास कितना बचता है।

माननीय सभापति महोदय, यह सारे का सारा काम जभी होगा जब किसान की आर्थिक हालत आप ठीक नहीं करोगे तब तक किसान के कोई काम नहीं आपकी टेक्नोलोजी, कितनी बड़ी टेक्नोलोजी ले जाइए, आप उदयपुर में आदिवासियों में ले जाइए टेक्नोलोजी, कौन अडाप्ट करेगा उस टेक्नोलोजी को? मैंने देखा है, मेरा तजुर्बा है, सन् 1955 में नहीं, सन् 1952 में मैं राजनीति में आया और मैंने देखा उस इलाके को, उस इलाके में खारा पानी होता था, मेरे इलाके में। वह रेगिस्तान का पार्ट था, हनुमानगढ़, गंगानगर का इलाका, गंग कैनाल को छोड़ के That was the part of desert. मैंने देखा है और उसके बाद मैंने यह भी देखा है कि वहां पर नहरें आई, आपने जमीनें दी, मैं नहीं कहता कि गरीबों को जमीनें नहीं दीं, मिली हैं, चाहे बहुत थोड़े हिस्से में मिली हों, आपने हरिजनों को जमीनें दी हैं, आपने रिफ्यूजीज को जमीनें दी। आज आप जाकर देखिए वह जमीनें कहा है, कहां है वह जमीनें, ले गये लोग। जिस प्रकार से शहर की किसी आबादी में से, बढ़िया आबादी में से लोगों को बेदखल कर देते हैं सेठ और बड़े बड़े आफिसर्स खरीद लेते हैं बगले, उनको बाहर झोंपड़ियों में बैठा देते हैं, कच्ची बस्तियों में बैठा देते हैं। इसी प्रकार से वहां का किसान गरीब था, आपने जमीन दे दी मगर उनके साथ, बेगुनाह किसानों के साथ, हरिजनों के साथ में, क्या किया आपने? गन्दी से गन्दी जमीन दी आपने और उसकी कीमत 17 हजार, और मेरे ख्याल में छंगाणी साहब थे 1975 में, बड़े प्रोग्रेसिव हैं, 41 हजार लिए, उस भूमिहीन किसान से कीमत आपने 17 हजार से, जो हमने 1970 में आन्दोलन से लड़कर ली थी उसकी आपने कीमत की 31 हजार 41 हजार और हमारी सरकार दो लाख में मुरब्बा देकर नीलाम कर रही है कि आओ, बड़े सो पावे। आप क्या देश में तरक्की करेंगे? किसके भरोसे कह रहे हैं?

आज जो किसान पैदा करे वह भूखा रहे जो किसान पैदा करे वह झोंपड़ी में रहे और आप सारी दुनियां के सारे साधन समेट करे शहरों में और शहरों में भी गन्दी बस्तियों में नहीं, सारे के सारे कोठियों में, आखिर कौन सी-स्कीम में पैसा लग रहा है, बेशर्मी के साथ एक-एक बगला एक-एक करोड़ का बन रहा है। आपने कभी सोचा, आपने कभी देखा कि वह पैसा कहां से आया? प्रोड्यूस कौन करता है सवाल सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने का नहीं है अगर किसान की हालत ठीक नहीं होगी तो आपके कल कारखाने सारे बन्द हो जायेंगे। यह सारे के सारे जो भी आप तरक्की के सपने ले रहे हैं विकास के सपने ले रहे हैं। आज

242

(श्री शोपतसिंह)

रूस ने तरक्की क्यों की? पूछ सकता हूं वह कितना रौंदा गया, दो-दो युद्धों में रौंदा गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में रूस को रौंद दिया, सेकेण्ड वर्ल्ड वार में रूस को रौंद दिया, करोड़ों लोग मारे गए मगर आज उसकी तरक्की के क्या कारण हैं, माननीय सभापति महोदय,

(व्यवधान)

हां, हां, चाइना में, चाइना को प्रोडक्शन कितनी है, चाइना की प्रोडक्शन है वह हमारे से फाइव टाइम ज्यादा है उसने अनाज पैदा किया लेकिन सभापति महोदय, अभी जो बात कह रहा था हम आपसे पूछते है हमारे पड़ौस में पंजाब है, हमारा आना जाना है पंजाब में रिश्तेदारियां हैं, और हरियाणा ने तरक्की की है कभी आपने सोचा है? क्या आप सोचते हैं कि आपने मेक्सिकन गेहूं का बीज दे दिया इसलिए तरक्की कर गए वो, आप क्या सोचते हैं कि आप बीज ले आए आपकी यूनिवर्सिटी ने बीज पैदा कर दिया लुधियाना यूनिवर्सिटी ने, उसका एक सहयोग है कुछ हद तक मगर सबसे बड़ा कारण पंजाब को तरक्की का है कि पंजाब के किसान की माली हालत ठीक है, हरियाणा के किसान की माली हालत ठीक उसको फैसेलिटीज मिली हुई हैं। आप क्या करते हो, हमारी सरकार ने तो यह किया मारुती पर तो टैक्स हटा दिया मगर ट्रैक्टर का कम नहीं किया आपने। सभापति महोदय, एक साइड में जाइए राजस्थान के किसान की हालत क्या है 90 फीसदी राजस्थान का किसान सूदखोरों के कब्जे में हैं, उसका पंजा, सूदखोर का पंजा उसके गले पड़ा हुआ है, आप क्या बात करते हो, डेवलपमेंट की कैसी बात करते हो उस किसान की। काश्तकार को जब तक सूदखोरों के पंजे से हटाओगे नहीं कौन करेगा तरक्की, कैसे करोगे खेती? आपने बड़ा अच्छा किया, अभी हमारे इस देश के नए पूंजीपतियों को जो जो समाजवाद के नाम पर बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, क्या किया बैंक खोल रहे हैं, आप बैंक खोल रहे हैं गांव गांव में किस लिए खोल रहे हैं यह तो सूदखोरी की इंस्टीट्यूशन है, आपके बैंक सूदखोरी के इंस्टीट्यूशन है, सभापति महोदय, ।

सभापति महोदय, मैं किसान का बेटा हूं। मैंने सूद दिया है और दे रहा हूं और अभी भी सूद दे रहा हूं। मैंने देखा है मेरे इलाके के सेठों को 12 महीने के बाद कभी एक साल बाद में आपको रुपये लिखते हैं रुपया पैसा, पैसा रुपया ब्याज लिया करते थे आपने बैंक की इंस्टीट्यूशन को भेजा है गांवों मे शहरों में 6 महीने बाद में रुपये का ब्याज लगा कर दुबारा रुपये ले लेते हैं सूद-दर-सूद। यह हालत क्या है आपने सूदखोरों को गांव में भेज दिया जो हमारा बनिया साल में लिखता था रुपया, हमारे ताऊ 6 महीने बाद में लिखने लग गये और तीन साल बाद डबल से भी ज्यादा हो जाता है पैसा। आपने किसान को कभी बचाया नहीं सोचा नहीं उसका खलिहान जल जाय। आपको फिक्र नहीं फसल टिड्डी खा जाय, उसकी फसल बीमार पड़ जाय उसकी आपने परवाह नहीं की और दूसरी प्राकृतिक चीजों से उसको नुकसान हो जाय गड्डे पड जांय, ओले पड़ जांय, आंधी आ जांय, तूफान आ जांय, बाढ़ आ जांय, आपने क्या इमदाद की

(श्री शोपतसिंह)

है उनकी, वह कैसे उतरेगा कर्जा ? आपको इस बात का ख्याल नहीं है ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री शोपत सिंह : नहीं मैं तो बन्द करदेता हूं ।

श्री सभापति : नहीं, बन्द तो नहीं, आप संक्षिप्त कर दें ।

श्री शोपत सिंह : तो, सभापति महोदय, जब तक इन बातों का ख्याल नहीं करोगे किसान की तरक्की नहीं कर सकते । आपको बेसिकली आज किसानों को छुड़ाना उस पंजे से जो उसे नोच रखा है । हमारे गंगानगर जिले की बात आती है तो बहुत से लोग कहते हैं, अभी हमारे गंगानगर जिले की क्या हालत है

(8.00 रात्रि)

आपने जमीन पर रुपये लगा दिये, किश्त उस पर लगा दी । पंजाब में हमारे पड़ौस में पंजाब है, जब वहां नरमे की फसल तबाह हो गयी तो 11 करोड़ रुपये ले गये, हरियाणा के लोग ले गये । मगर हमारा कोई कुछ नहीं है । हमारे तो सारे मिनिस्टर उदयपुर डिविजन के हैं इनको उदयपुर के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता । हमेशा यही स्थिति रही है इस राजस्थान की....

श्री सभापति कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, जब हमारे यहां पर कोई प्राकृतिक विपदा आती है । पंजाब में, पंजाब की सरकार और पंजाब के लोग लड़ कर ले लेते हैं । आपने कभी खाली नाम से, आज सुबह मेरे पास में जवाब आया है सभापति महोदय, आप कौन से काश्तकारों की बात कर रहे हो, कौनसी कृषि की बात कर रहे हो, मैं बहिन कमला से पूछना चाहता हूं, जीर्णोद्धार लोगों की आपने राजस्थान में बारी काट दी, किस लिए काट दी....

श्रीमती कमला : जरा धीमे बोलें ।

श्री शोपत सिंह : शौक है, मैं बोलना नहीं चाहता, किसानों की बात कर रहे हैं ...

श्री सभापति : ऐसा है मंत्री महोदया कह रही हैं माननीय सदस्य....

श्री शोपत सिंह : 35 साल से लगातार यहां कहना छोड़ दिया, मुझे कह रहे हैं भाषण दे रहे हैं धीरे बोलूं ।....

(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं नहीं माननीय मंत्री महोदय, यह कह रही हैं कि थोड़ा धीरे बोलो तो समझ में आये....

श्री शोपत सिंह : नहीं, नहीं, धीरे नहीं बोला जायेगा, यह नहीं हो सकता....

श्री सभापति : आपकी आवाज इनको सुनाई नहीं पड़ रही है....

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : आप चाहते हैं, आप किसानों का खून चूस कर यह कहीं कि

(श्री शोपत सिंह)

आप शांति से बोलें, रामायण पाठ नहीं होगा हमसे....

श्री सभापति : नहीं, रामायण पाठ तो नहीं कर रहे आप, माननीय सदस्य, थोड़ा धीरे बोलें....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, थोड़ा धीरे कहें। कहने का अभिप्राय है माननीय मंत्री महोदय का....

(व्यवधान)

आपकी बात फालो नहीं कर रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, अवाज इको कर हो रही है।

श्री शोपतसिंह : माननीय कमला जी बात मेरी समझ में आ गयी है। जब सवाल आता है उस किसान का, उन लोगों का आता है।....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी आवाज से डरती थोड़े ही, वह कह रही हैं कि आप जरा धीरे बोलें....

श्री शोपत सिंह : लूटखोरों के पंजे से आप छुड़ा नहीं सकते, आप उसकी कोई कुछ इमदाद करें नहीं, और बैठ कर सोचें....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : कि हमारे लिए वो अनाज के भण्डार भर देगा....

श्री सभापति : काफी कह दिया है आपने। कृपया संक्षिप्त करें। काफी समय हो गया।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में ही अपनी बात कहता हूं—

श्री सभापति : कृपया दो मिनट में समाप्त करें—

श्री शोपत सिंह : आपने ट्रेक्टर हमको लोन पर दिया, हमें डीजल पम्प भी दिया, आप 20 सूत्री प्रोग्राम में भैंस भी दे रहे हो, आप 20 सूत्री प्रोग्राम में उन गरीब किसानों को गधा दे रहे हैं, ऊंट गाड़ी दे रहे हैं, भैंसा गाड़ी दे रहे हैं तो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आखिरकार यह पैसा आप किस लिए देते हैं? पैसा तो हमें देना है, मय ब्याज उस बैंक का पैसा हमको चुकाना है। किसान को नहीं बेचा है, आप किसान को जलील करते हैं। पैसा आप देते उस बैंक को, कम्पनी के मालिक को? पैसा आप हमारे हाथ में दीजिये। आज अगर यह पैसा रुपया नकद उन गरीबों के हाथ में देते। 1000 रुपये वाली भैंस आप उसको 1500 रुपये में देते हैं। अगर उसकी जेब में पैसा होगा तो वह घूम कर ले लेंगे। अगर दो हजार रुपये की भैंस है तो आप 2500 रुपये में ले लेंगे, दो हजार रुपये का ऊंट उसे 2500 रुपये में मिलेगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य लोन की डिमाण्ड हो उस दिन बताना आज तो कृषि की डिमाण्ड है। सहकारिता की डिमाण्ड में ऋण आता है। इनका काम ऋण देने का नहीं है माननीय सदस्य।

श्री शोपत सिंह : मैं थोड़ा पढ़ दूं आपकी समझ में आ जायेगा।

श्री सभापति : नहीं, मेरे समझ में तो आया हुआ है। मैं जानता हूं इस बात को—

श्री शोपत सिंह : डिमजन यह कर दें, माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात सोचता हूं मेहरबानी करो आप और कुछ आप कर नहीं सकते। यह रुपये जो हमें दे रहे हैं तो वह हमारे हाथ में क्यों नहीं देते आप। आप सारे के सारे उन सेठों से सेठों की कम्पनियों से चन्दे ले लेते हो चुनावों में और मर्जी आये उस भाव वसूलने के लिये उनको आप छोड़ देते हो गरीबों को खाने के लिए कि अब उनको खावो, करो तुम वसूल यह किस तरह से होगा। आपके पास रुपये होंगे, माननीय सभापति महोदय, मार्केट में चले जाइये, मैं अलवर और भरतपुर के इलाके में गया। 3500/- रुपये में आपको बाजार में डीजल इन्जिन मिल जायेगा तीन हार्स पावर का, चार हार्स पावर का, पांच हार्स पावर का....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री शोपत सिंह : और यदि आप दुकान पर लेंगे तो 4500/- रुपये में और 5200/- रुपये में मिलेगा। आपने सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को करेप्ट कर दिया; This is any allegation रिश्वत, यह आपके बैंकिंग सिस्टम में थोड़ी बहुत ईमानदारी थी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री शोपत सिंह : वह भी समाप्त कर दी। आपने इनको कोई भी मार्केटिंग फैसेलिटी प्रोवाइड नहीं की। मैं रेट के बारे में कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : संक्षिप्त करें।

श्री शोपत सिंह : मैं संक्षिप्त ही कर रहा हूं। मैं दो-तीन बात कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आप अन्दाजा लगाये 20 रुपये....

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आप कहें कि जुनून आ गया। इस पार्टी में जुनूनों की सरकार आयी। हमारे विरोध के संजय गांधी को जुनून के आये, इमरजेंसी के दौरान चार सूत्रीय प्रोग्राम दिया, पांच सूत्री प्रोग्राम दिया, वन लगा। यह वन के लिए किस को आप भाषण दे रहे हैं। किसान की तो प्रोड्यूस, किसान के लिए तो इन्कम है। हम सोचें माननीय सभापति महोदय, अभी मैं घर जा कर आया हूं, वर्षा आयी नहीं, नहर की गारन्टी नहीं, बिजली की गारन्टी नहीं तो हमारे क्या साधन हैं। अब हमने इरादे कीकर बोने के कर लिये हैं। कीकर बोवें, सब खेतों में कीकर बोयेंगे। कहां से खायेंगे आप चीनी, कहां से खायेंगे आप गेहूं की यह चपातियां जो आपकी नरम-

2476

(श्री शोपत सिंह)

नरम चपाती मेक्सिकन गेहूं की अच्छी नहीं लगती है. आपको तो फार्मी की अच्छी लगती है। 250/- रुपये के भाव से आप मार्केट में खरीद रहे हों। यह मेक्सिकन मिलेगी नहीं। हम पेड़ पौधे ही उगायेंगे, पेड़ ही इन्कम का सोर्स है किसानों का। आप उसको नर्सरी दे दीजिये गावों में, दीजिये उसके नजदीक ले जाइये नर्सरी, उसको अच्छे से अच्छे पेड़ दीजिये। नहीं दे रहे हैं आप। आज भटक रहा है किसान....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शोपत सिंह : क्योंकि उनको जरूरत है, बीमारी के मौके पर....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।....

श्री शोपत सिंह : शादी के मौके उसको जरूरत हो, वे पटवारी के पीछे जायेंगे, वे जमींदार के पीछे जायेंगे....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : इस तरह नहीं चलेगा यह देश। इस देश के अन्दर वोही चीज चलेगी। जो किसान के हित में हो, वोही करनी चाहिए आपको, पर कौन करें, कौन करेंगे बात। संजय गांधी जी की बात, अब एक फोबिया हो गया, गांधी जी को इस बात का फोबिया हो गया, और किसी को वन का फोबिया हो गया। यह फोबिये पर चल रहे हैं, सारे के सारे। एक बात, मैं आखिर में और कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

धन्यवाद।

श्री शोपत सिंह : सत्ता पक्ष में जो मित्र लोग बैठे हैं, जो माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं उनसे एक बात कह रहा हू। आपको....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मित्र वापस क्यों ले लिया Why did you extract the word "Mitra"?

श्री शोपत सिंह : मैं माननीय सदस्य कह रहा हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : फिर यह वापस क्यों ले लिया?

श्री शोपत सिंह : शायद आपको अच्छा नहीं लगे। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, सारे माननीय सदस्य बैठे हैं। ये आपने जो अब तक चुनाव जीते हैं।

(व्यवधान)

ऐसे देश थोड़े ही चलता है, लहरों से थोड़े ही हो जाता है, यह लहरों पर सवार हो रहा है, सारा देश। जनता पार्टी की लहर आयी और जिस तरह आंध्र में भैंसे पेड़ों पर चढ़ गयी, भैंसे पेड़ों पर चढ़ गयी, लहर के साथ में भैंसे पेड़ों पर चढ़ गयी। इसलिए आप जरा गहरायी से सोचिये कभी यह न तो इन्दिरा गांधी रोज मरेगी। ऐसे क्या आधार होगा आपका यहां आने का। मैं पूछ सकता हूं कौन सा आधार

(श्री शोपत सिंह)

होगा ? इसलिए मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं ये जितने भी, अगर राजीव गांधी को माइन्स कर दें तो आपकी हैसियत क्या रहेगी ? जब कांग्रेस में....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मरी नहीं, The greastest 'Kurbani' for this nation.

श्री शोपत सिंह : मरी नहीं। मैं जानता हूं उसको, माननीय भाटी जी। आप जैसे रखवाले नहीं बचा सकें, दुर्भाग्य है इस देश का, बचा नहीं सकें अपने लीडर को तो आप इस देश को कैसे बचायेंगे ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : हां, आखिरबात कह दें।

श्री शोपत सिंह : यह मेरी बात नहीं है, राज आपके हाथ में है, किसानों को खुशहाल करेंगे फायदा आपको मिलेगा। और यह हमेशा आंधी का तूफान हमेशा नहीं आयेगा और मैंसे हमेशा पेड़ों पर नहीं चढ़ेंगी। ये आ गये आप ठीक है, नागपुर के थे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह रिपीट हो रहा है बार बार। Plase do not repeal.

श्री शोपत सिंह : इसलिए यह आपके हित में है। और उस किसान की जमीन के बारे में रविन्द्र नाथ टेगोर ने मुझे कम्युनिस्ट बना दिया। मगर आपके दिल पर क्या असर करेगी मुझे मालूम नहीं।

श्री सभापति : मै निवेदन कर रहा था कि अगर कोई माननीय सदस्य बोलना नहीं चाहते है तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि वो उत्तर दें।

(व्यवधान)

आगे फिर समय मिलेगा।

श्री मोहन प्रकाश : किसान को बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : कौन किसान है ?

श्री मोहन प्रकाश : यह किसानों की पार्टी है।

श्री सभापति : एक सदस्य बोल लें,

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान कृषि विभाग मांगों की ओर दिलाना चाहता हूं। वैसे राजस्थान और बल्कि और पूरे देश की जो 80 प्रतिशत जनता है वह गांवों में रहती है और जो गांवों में रहती है उसका मुख्य धन्धा खेती है, खेती में आज हालत यह है कि गांवों में जो किसान वर्ग है, उसकी माली हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है....

(व्यवधान)

248

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर। आपस में बातचीत नहीं। कृपया शान्ति रहें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : जब किसान की माली हालत दिन प्रतिदिन गिरती जायेगी तो उस गांव में रहने वाले आम आदमी की भी माली हालत गिरेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : जब किसान की माली हालत ठीक होगी तो ग्राम मजदूर, चाहे किसी भी जाति का कोई भी धन्धे करने वाला हो निश्चित रूप से उनकी हालत भी ठीक होगी। अतः मेरा निवेदन है कि आप खेती पर सबसे ज्यादा ध्यान देवें और राजस्थान सरकार का जो बजट है वह ज्यादा से ज्यादा कृषि पर खर्च किया जावे। सबसे पहली व्यवस्था और ध्यान राजस्थान सरकार को कृषि पर देने की आवश्यकता है। वह न होने के नाते जो ज्ञान की बात कृषि विभाग द्वारा दी जाती है वह किन्हीं गांवों में किसान को नहीं पहुंचने मात्र है। और इससे तो अच्छा यहहै कि महकमा ही नहीं रहे।आज इसकी आवश्यकता नहीं है। गरीब किसान को इससे कोई राहत नहीं है दूसरा आपने ज्ञान और सहायता के बाद जो कर रखा है वह बीज का कर रखा है। बीज ऐसे-ऐसे दिये जाते हैं जो कि उगते नहीं हैं। मैं खुद कई बार एक क्विंटल चने का बीज यहां से खरीद कर ले गया था, एक भी चना नहीं उगा। और कइयों के कुछ नहीं हुआ, खेत खाली रह गये। यह तो यहां के बीज निगम की और बीज की हालत है जिसने उस समय जिस समय चने 300/- रुपये क्विंटल के भाव से बिक रहा था और बीज 500/- रु क्विंटल का मिला था यह तो हालत है, किसको काश्तकार कहने जाये, गरीब आदमी कहां जायेगा कहां तक पहुंचेगा। जहां तक फायदे का सवाल है, काश्तकार को चाहे बैंक से चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे कोआपरेटिव बैंक हो बगैर रिश्वत दिये गांव में रहने वाले काश्तकार को एक पैसा नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें सुधार करने की कोशिश करें।

इसके अलावा फसलों को जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को भी कोई देखभाल सरकार की तरफ से नहीं है. जो कीटनाशक दवाइयां आती हैं उनमें सबमें मिलावट की कोई रोकथाम नहीं है। जहां विभाग ने यह कहा कि हम तो 10,000 नमूने स्टेन्डर्डाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे लेकिन यह बात ही बात है। सब की मिली....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : हुयी बात है। दूसरी, इसके अलावा जो बिक्री व्यवस्था है उसकी हालत भी खराब है, भावों की हालत भी खराब है। राजस्थान सरकार ने कल सरसों के लिए कहा था कि हम खरीदेंगे लेकिन हालत यह हुयी कि कहीं सरसों नहीं खरीदी और खरीदी हैं तो उन लोगों ने खरीदी है जिन लोगों ने....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : सेठों के गोदामों में भरी थी।

इसके अलावा मेरा निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की एक दो समस्यायें हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। फुलेरा क्षेत्र में आपने एक कृषि मंडी कायम कर रखी है वह कृषि मंडी वहां पर पास में रहने वाले किसानों का खून चूसती है। उस कृषि मंडी के अधिकारी, यहां डायरेक्टेट और बोर्ड के जो अधिकारी हैं वह सारे के सारे मिलकर गरीब किसानों का टैक्स सारे का सारा खा गये 2 लाख रुपये महीने की इन्कम है। एक लाख रुपये की तो खातों में सही जमा खर्च होती है एक लाख रुपये ऊपर के ऊपर खाते हैं। पांच साल हो ..

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : गये उस कृषि मंडी को बने, पांच साल में पांच लाख हो गये पांच लाख में से एक पैसे का काम उन्होंने नहीं किया और हालात यह है कि यहां जयपुर से अधिकारी जाते हैं वहां फुलेरा और सांभर में नंगे नाच करते हैं, शराब पीते हैं। वहां के सैकेट्री के खाते में तीन लाख रु. के चैक....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : जाता है, तो इस प्रकार के वहां पर हालात हैं। इसके अलावा कृषि मंडी के लिए जो वहां जमीन ली जा रही है। वह ऐसे स्थान पर ली जा रही है। जहां आज की तारीख में पवन यहां हैं अगर नदी आ रही हो तो उसके ऊपर से तीन-तीन फुट पानी चल रहा होगा। वह जमीन कृषि मंडी लिए एक्वायर की जा रहा है। उसका एक मात्र कारण यह कि कृषि मंडी और बाजार में 25 बीघा भूमि उस कृषि मंडी के सैकेट्री और वहां के अधिकारियों ने मिलकर उसे बीच में रखी है ताकि एक ओर तो कृषि मंडी बन जाए और दूसरी ओर बाजार रह जाये और जो बीच की जमीन है वह पांच-सात लाख रुपये की हो जाये इसको कोड़ियों के भाव खरीद कर। इस प्रकार से सौदा करके वह काश्तकार और जनता के साथ साजिश करने में लगे हुए हैं।

ऐसी ही हालत उद्योग विभाग की है। उन्होंने कल कहा था, औद्योगिक एरिया भी ऐसे स्थान पर कायम किया है जिस पर तीन तीन फीट पानी चलता है इसलिए वहां पर कोई उद्योग नहीं लगा। इसी प्रकार कृषि मंडी के एरिये में भी पानी भरता रहेगा और कोई दुकानदार जायेगा नहीं, और जायेगा तो इस सरकार से बॉड भराकर जायेगा कि हमारी कोई सम्पत्ति का नुकसान हो गया तो आपको देना पड़ेगा। पिछले सालों में जो पानी बरसा और जो नदी आयी उसमें तीन-तीन फीट पानी ऊपर निकला....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : कितने मकान बहे और उनको कितना मुआवजा दिया सरकार यह काम न करे यह मेरा

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

आपसे निवेदन है। किशनगढ़ रेनवाल कृषि मण्डी के लिए....

श्री सभापति : समाप्त करें। समाप्त करें। कृपया....समाप्त करें—

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : की जो जमीन ली जा रही है उसको कहीं भी ले लीजिए। किसी....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : एरिया में ले लीजिये। उस एरिया में नहीं लेने देंगे अगर ले भी ली तो उसके लिए हमको आन्दोलन करना पड़ेगा और वहां के....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें मैं माननीय सदस्य का नाम पुकार रहा हूं। कृपया समाप्त करें। श्री लालचन्द डूडी। ....दो मिनट के लिए। श्री लालचन्द।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : सेकेट्री और अधिकारी जो लाखों रुपये खा गया उसको हटाकर....

श्री सभापति : श्री लालचन्द डूडी।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : के ऐसे चोर अधिकारी को जो कि वहां की सारी जनता का....

श्री सभापति : श्री लालचन्द डूडी।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : सारा खून पी गया। उसको हटाया जाय। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री लालचन्द डूडी। कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री सभापति : यह अनुग्रह करें आप। इसके बाद रिप्लाई।

श्री लालचन्द डूडी : (भादरा) दो मिनट में ही। माननीय सभापति जी—

श्री मोहन प्रकाश : नहीं साहब।

श्री सभापति : आप ऐसे बोलिये। आपके चीफ व्हीप साहब ने आपका नाम इसमें से काट दिया था।

श्री लालचन्द डूडी : यूनिवर्सिटी से लेकर के

(व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप भी जाने के मूड में हैं दो दिन की छुट्टी आ रही है माननीय सदस्यगण लालचन्द डूडी।

(व्यवधान)

आर्डर। कृपया बोलें।

श्री लालचन्द डूडी : बिक्री तक श्री नाथूराम मिर्धा ने एग्रीकल्चर के बारे में सारा किस्सा कहा और मैं उन सारी बातों का समर्थन करते हुए कुछ एक बातें और

(श्री लालचन्द डूडी)

बतला देना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन आपसे कर दूं कि हरियाणा और पंजाब में प्रति हैक्टेयर कम से कम जो गेहूं की इल्ड है वह 40 क्विन्टल्स है और राजस्थान के अन्दर प्रति हैक्टेयर गेहूं की इल्ड है 10-12 क्विन्टल, मतलब राजस्थान की जो कोस्ट प्रोडक्शन प्राइज है वह ज्यादा पड़ी है उसके बावजूद भी राजस्थान के किसान को खेती के काम में आने वाली चीजों पर पंजाब के किसान के मुकाबले में ज्यादा खर्च करना पड़ता है फार एग्जाम्पल राजस्थान के अन्दर ट्रैक्टर पर टैक्स पंजाब के अन्दर नहीं। राजस्थान के अन्दर ट्रैक्टर के टायर के ऊपर टैक्स पंजाब में नहीं, राजस्थान के अन्दर बिजली ज्यादा महंगी पंजाब के अन्दर कम और उसके साथ-साथ, राजस्थान और पंजाब के बीच में, राजस्थान और हरियाणा के बीच में डीजल की कीमत का फर्क एक लीटर के ऊपर 82 पैसे। डीजल के ऊपर एक लीटर के ऊपर 82 पैसे का फर्क राजस्थान और हरियाणा के किसान का है। और उसके साथ, सभापति जी, आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे।

एक माननीय सदस्य : जरा ध्यान दें मन्त्री जी 82 पैसे का फर्क।

श्री शोपत सिंह : ये तो कीचड़ में फंस गये।

श्री लालचन्द डूडी : राजस्थान के अन्दर खाद के अन्दर किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। गेहूं की फिक्सड प्राइज के बाद पंजाब और हरियाणा के अन्दर किसान को बोनस मिले और राजस्थान के अन्दर बहुत सी जगह पर तो फिक्सड प्राइज के ऊपर गेहूं और दूसरी चीजें खरीदी ही नहीं जा रही तो इस तरह से यह फिक्सड प्राइज जो गवर्नमेंट आफ इन्डिया तय करती है उसमें भी राजस्थान के किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता है। और इस तरह से राजस्थान का किसान देश के बाकी किसानों से कमजोर होता जा रहा है। सभापति महोदय, इस बात के ऊपर अगर विचार किया गया हम तो यह चाहते थे कि और पापुलेशन का भार जमीन के ऊपर से कम हो। उसका तरीका था कि किसान को बचत हो। उस बचत के पैसे से किसान खेती से किसी दूसरे धन्धे में जाय। आज किसान की स्थिति है कि बचत तो दूर रही उसको तो घर से ही खर्च करना पड़ रहा है। तो इस खेती को जब तक किसानों को, गांव के किसानों को पूरी कीमत कम्परेटिवली दूसरी चीजों की बढ़ती है, उसके बराबर और पूरी कीमत नहीं बढ़ायी जायेगी तब तक राजस्थान के किसान का फायदा नहीं होगा। सभापति जी, उसके साथ जिस तरह की स्कीम चल रही है, पहले काफी दफा चर्चा आयी और यह एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जो कर रहे हैं, जिस तरह का काम, मुझे उसके ऊपर तो सुनकर तो बड़ी हंसी आती है, बड़े डायरेक्टर्स बना दिये, बड़े डिप्टी डायरेक्टर्स बना दिये, बड़े और कोई बना दिया और हर जगह इसमें नयी पोस्ट आयी। पता नहीं कितने अधिकारियों के, जिला कृषि अधिकारियों के पद सृजित किये गये हैं और, सभापतिजी, उन सबको मिलाकर नतीजा क्या निकला है? मीटिंग्स,

(श्री लालचन्द डूडी)

हुई जयपुर में, जयपुर की मीटिंग गंगानगर हो गयी, गंगानगर की मीटिंग हनुमानगढ़ में हो गयी और उस सारे का नतीजा, एक ग्राम सेवक उनके गांव में चला जाता है और वह अपने घर बैठ जाता है और कह देता है कि साहब मैंने किसानों को सारा कुछ बतला दिया है और सब ट्रेनिंग दे दी। किसान जब उससे पूछता है कि ग्रामसेवकजी, बोलिये, दवाई कहां मिलेगी इस बात का मुझे मालूम नहीं, ये खाद कहां मिलेगी, मुझे मालूम नहीं। इस तरह का अभी सुझाव आया था थोड़ी देर पहले, किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि किसान कहने से नहीं मान रहा है, डीमान्सट्रेशन से ही मानेगा इस प्रक्रिया की बजाय सरकार को सुझाव देना चाहता हूं अगर सरकार थोड़ा समझें तो ये जो आपका सुपरवाइजर है और आपका ग्रामसेवक है या डीमांस्ट्रेशन देने वाली है उसका जितना एरिया है उसके अन्दर उसको पीस आफ लैंड दस एकड़, पांच एकड़, 15 एकड़ का दे दिया जावे और वह सारे एक्सपेरिमेंट, सारी नयी दवाइयां, सारे नये बीज, उनके इस्तेमाल आदि सारे का सारा उस पीस आफ लैंड के ऊपर बांट दीजिये और उसके ऊपर उनके जिले के अधिकारी, उनके डिपार्टमेंट के दूसरे अधिकारी और वैज्ञानिक भी, वहां जाकर डीमांस्ट्रेशन करें। वहां गांव के सामने पैदावार को बढ़ावें। लोगों को भी समझ में आयेगा और लोग कुछ समझेंगे भी। अब आपका जो ये एक्सटेंशन का मामला चल रहा है ये बिलकुल गलत है....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें आपने दो मिनट मांगे थे।

श्री लालचन्द डूडी : जीपें दिलाने की डीजल खतम करने की ओर इसके लिये बढ़िया-बढ़िया मकान बनाने के, इन बातों के ऊपर पैसा जा रहा है। इस बात से किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : नोट कर रहे हैं मन्त्री महोदय, उधर कर रहे हैं नोट मन्त्री महोदया उनकी तरफ से।

श्री लालचन्द डूडी : सभापतिजी, मैं बतलाना चाहूंगा....

श्री सभापति : जल्दी से कह दें आप।

श्री लालचन्द डूडी : एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर आधारित छोटे-छोटे उद्योग जब तक गांव के अन्दर स्थापित नहीं होंगे वह सब्जियों पर आधारित हो, फलों पर आधारित हो, दूसरे प्रोड्यूस और ममालों पर आधारित हो तब तक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर आधारित छोटे-छोटे उद्योग गांव में और छोटी-छोटी जगह पर नहीं होंगे तब तक इसमें कोई विशेष उत्पादन नहीं होगा। अगर ऐसे उद्योग स्थापित हो जाय तो उससे भी किसानों को, और एग्रीकल्चरल प्रोफेसी को भी लाभ ज्यादा होगा....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उनके ऊपर ध्यान देना चाहिये और गांवों के अन्दर सबसे बड़ी समस्या आजकल जो है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री लालचन्द डूडी : ट्यूबवेल के पानी से और फर्टिलाइजर से जमीन की नेचर बदल गयी उसके लिये हमें फ्लोर टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग के यूनिट्स ग्राम में हैडक्वार्टर के ऊपर हैं, और उसकी पूरी डिटेल्स हो, उसकी टेस्टिंग हो और वह गांव के किसान को बतलायी जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। धन्यवाद। कृषि मन्त्री महोदया बहस का उत्तर देंगी।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, कुछ पॉइन्ट्स नोट कराने हैं....

श्री सभापति : मेरा निवेदन है, मैंने अनुरोध किया था आपसे कि बी जे पी के एक सदस्य बोले हैं, जनता पार्टी के एक सदस्य बोले हैं, आपके तीन सदस्य बोल लिये हैं। आप सहयोग करें इस आसन को, कृपया सहयोग करें, और अवसर मिलेगा, कृपया सहयोग करें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : (रामगंज मंडी) : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी जब कृषि की चर्चा चल रही है तो जो बाजरा गुजरात से खरीदा गया डी ए. पी. 104, उसकी खरीद के बारे में भारत सरकार और राजस्थान की टीम ने यह पता लगाया कि ये बाजरे का बीज है अगर मान लगा दिया गया तो इससे बीमारी का संदेह है और उसके बाद में केन्द्र सरकार को लिखा गया और केन्द्र सरकार के इशारे पर ने करोड़ रुपये की टोनों कम्पनी से औषधि मंगायी गयी और उस औषधि के आने के बाद जो आपके पास बाजरा आया उसके ट्रीटमेंट के बाद ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात तो बता दी गयी है पहले। माननीय सदस्य बता चुके हैं इसको....

श्री हरिकुमार औदिच्य : सरकार इस बात का जवाब दे कि जो सीड यहां पर पहुंचायी गयी है उसका ट्रीटमेंट होने के साथ....

श्री सभापति : इसका उत्तर मिलेगा अभी....

श्री हरिकुमार औदिच्य : हवाई जहाज से यहां पहुंचायी है उसका ट्रीटमेंट होने के साथ....

श्री सभापति : इसका उत्तर मिलेगा आपको अभी —

श्री हरिकुमार औदिच्य : वही कर देंगे वर्ना....

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आप क्यों इन्टरप्ट कर रहे हैं....

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा था यह विषय हो गया था....

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह सुन रहे हैं लेकिन इन्टरप्ट क्यों कर रहे हैं ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि यह जो बाजरा है उसके ट्रीटमेंट के बाद सात दिन के अन्दर-अन्दर उसकी बुवाई हो जानी चाहिये और अगर बुवाई नहीं हुई तो उस खाद का खर्चा और उस बीज का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा

2581

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

जो लाखों करोड़ों रुपये का खर्चा हुआ राजस्थान सरकार का उसके लिये मैं मन्त्री महोदय, से जानना चाहूंगा कि उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर आयेगी । और इसके साथ-साथ करीब 25 पर्सेंट तो, माननीय सभापति महोदय बाजरे की बुवाई हो गयी । अब जो बाजरा आपके पास बचा है कितना उसका आप ट्रीटमेंट कर पायेंगे और अगर मान लीजिये बिना ट्रीटमेंट के अगर रह गया तो किसान की 14 हजार क्विन्टल की आवश्यकता है । राजस्थान के अन्दर बाजरे की उसकी पूर्ति किस प्रकार से करायेंगी इन दो बातों का जवाब आप दे देंगी ।

एक बात और निवेदन करना चाहता था जैसा जिक्र कर रहे थे कृषि का सीधा-सीधा सम्बन्ध, माननीय सभापति महोदय, किसान से है और किसान को बिजली, खाद और बीज इन तीन बातों की आवश्यकता होती है । बिजली की पहले बड़ी चर्चा हुई है । आज राजस्थान के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या कृषि विभाग को जानकारी है कि कितने किसानों के बिजली के कनेक्शन्स के एप्लिकेशन्स पेंडिंग हैं । अगर इन्डस्ट्रीज के सवाल आते हैं तो इन्डस्ट्रीज वालों की वकालत इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट कर लेती है, रीको कर लेता है, पर किसान के बिजली के कनेक्शन की चिन्ता कौन करेगा ? आज राजस्थान के अन्दर किसान के चार-चार साल से कनेक्शन्स की एप्लिकेशन्स पेंडिंग चल रही हैं उसकी जानकारी हमारे कृषि विभाग के पास है क्या ? एक बात ।

दूसरा पानी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जैसा अन्य सदस्यों ने विचार व्यक्त किये पर रामगंज क्षेत्र में ज्यादा समस्या है खानों के कारण 200-200, 150-150 फीट नीचे कुओं का लेवल चला गया । कृषि विभाग इसके बारे में सम्बन्धित डिपार्टमेंट से मिलकर या जियोलोजिकल सर्वे वालों से मिलकर यह जांच कराये कि यह पानी का लेवल कुओं के अन्दर गिरता जा रहा है और किसान के सामने कृषि के लिये पानी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी । इन दो बातों का जवाब कृषि विभाग दे । किसान की वकालत तो सब करते हैं, कृषि की बातें सब करते हैं लेकिन किसान की जो दिक्कतें हैं उनके बारे में सरकार का कृषि विभाग क्या कर रहा है ? एक तो बाजरे के बारे में जो राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपया इस बीज के काम में लगा दिया गया है और दवाओं के लिये बर्बाद किया गया इसकी जवाबदारी कौन मढ़ेगा । दूसरा पानी बिजली के कनेक्शन्स का है कुओं का पानी जाने के बारे में प्रश्न है, इन दो एक बातों के बारे में जब कृषि मंत्री महोदया जवाब दें तब जवाब दें ।

श्री सभापति : कृषि मंत्री महोदया उत्तर देंगी ।

श्री सम्पत सिंह : पांच पाइंटस नोट कराने दें साहब आप....

श्री सभापति : नोट करा दें आप ।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय मंत्री महोदय को विनम्र सुझावों के

(श्री सम्पत सिंह)

रूप में ये बिन्दु नोट कराना चाहता हूं। एक तो कृषि को उद्योग घोषित किया जाय। राजस्थान की सरकार- इसमें अपना कोई विचार बनाये, कोई राजनैतिक सोच डवलप करे। अगर कहीं दूसरी जगह ऐसा नहीं हुआ हो। दूसरे जो चकबन्दी, हमारी स्कैट्टर्ड जमीन है, दो बीघा यहां पर है, दो बीघा परली तरफ है गांव के, दो बीघा उस जंगल में है तो हमारे नजदीक में उत्तर प्रदेश है वहां चकबन्दी हुई है, रिश्तेदारियां है, वहां हमने बड़ा अच्छा प्रभाव देखा है। वहां का एक ही चक है चाहे झोंपड़ी किसान डाल ले बड़ी अच्छी देखभाल करता है और छोटी सी लागत में अपनी खेती को प्राफिटेबल बना सकता है। चकबन्दी होनी चाहिए। राजस्थान में तो होल्डिंग ज्यादा-ज्यादा बड़ी बड़ी भी हैं और बहुत फैली हुई हैं। सरकार कुछ इरादा करे चकबन्दी खेतों की करने का।

दूसरे, जो कीमत है यानि गेहूं पर जो लागत आती है जो सरकारी फार्म पर आती है वही दे दिया करें। वरन् समता मूल्य के लिए हम निवेदन करेंगे माननीय मंत्री महोदया से। प्लास्टिक की जूती अगर किसान खरीदेगा बाजार से, प्लास्टिक की चप्पल अगर खरीदेगा तो उस पर तो कीमत लिखी हुई है लेकिन उसको प्रोड्यूस पर कोई कीमत नहीं है। कब कौन सी बिड हो जाय तब तो ठीक है, वरन् अपने माल को वापस ले आवे। समता मूल्य होना चाहिए। आखिर किसान को सारी चीजें बाजार से मुफ्त में तो मिलती नहीं, खरीदनी पड़ती हैं। मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इस नीति पर विचार करें।

तीसरे, जो छोटे ट्रैक्टर्स आये, और खासकर रशियन मशीनें, जिनकी साख यहां बड़ी थी। डी टी 14 ट्रैक्टर्स उसके लिए बहुत वैल्युएबल साबित हुआ था। पता नहीं किस नीति के तहत उसको हमारे देश से गायब कर दिया गया?

चौथा मेरा निवेदन था कि सरप्लस प्रोड्यूस जिस किसान पर नहीं होता, बेचेगा तो वह एक दाना भी नहीं। उसके पास कैश यहां से आयेगा जिससे दूसरी चीजें वह खरीद सके। तो राजस्थान सरकार खासकर कृषि मन्त्रालय ध्यान दे कि ऐसे किसान के लिए हमारे को क्या व्यवस्था करनी चाहिए जिसके पास सरप्लस प्रोड्यूस नहीं है।

पांचवा, जो शेयर क्रॉपर है यानि बटाई पर खेती कर रहा है उसके पास न बेचने को कुछ है, न खरीदने को कुछ है। खेती करने के लिए भी कोई चीज नहीं है। आप कहेंगे कि उसको हम देते हैं कीमत मैंस वगैरह की, तो ऐसी छंटाई में तो गांव में सिर्फ 5-7 परिवार आ पाते हैं। दूसरे बाकी बंटाई के काश्तकार हैं, पश्चिम बंगाल में उनके लिए प्रावधान किये गये हैं, खातेदारी तक देने लगे हैं। यहां न तो पटवारी दर्ज करता है उस की जिन्स कि यह काश्त कर रहा है, शेयर क्रॉपर है। उसकी बाबत सरकार का क्या ख्याल है? यही संक्षेप में निवेदन करना चाहता था। किसान की यह बहुत जरूरी चीजें हैं। एक बार यह कदम उठ जाय तो सारे लोग आपको याद करेंगे। जय हिन्द।

श्री सभापति : कृषि मंत्री महोदया।

2576

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कृषि की मांगों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने काफी घण्टों तक इसका विश्लेषण किया। कमी-खामियों को इंगित किया और बहुत कुछ मुद्दों के सुझाव भी दिये। कुछ आधार भूत व्यवस्थाओं को परिवर्तन के लिये भी अपनी बातें कहीं। मैंने सभी माननीय सदस्यों के जितने भी मुख्य-मुख्य उनके सुझाव थे, उनको दर्ज किया है। उनमें से कुछ के बारे में मैं आप से निवेदन भी करूंगी और कुछ के बारे में आपको लिखकर भी भेजूंगी। माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था आज भी मूल रूप से कृषि पर आधारित है। और जैसा माननीय नाथूराम साहब ने कहा था कि आने वाले अनेक वर्षों तक भी यही हमारा मूल आधार रहने वाला है। इस मूल आधार को हम किस दृष्टि से देखें और किस दृष्टि से चलें, इसी की चर्चा आज सभी लोगों ने दिन भर मे की। माननीय सभापति महोदय, एक और इस देश का भी और इस प्रदेश का भी, खास तौर से राजस्थान में भूमि की इतनी बड़ी उपलब्धि कि लगभग आज जितना इन्सान है-3 करोड़ 43 लाख लगभग उतनी ही 3 करोड़ 43 लाख हैक्टेयर के करीब यहां भूमि है। हालांकि जो काश्त काबिल भूमि है वह 190 लाख ही अभी कूती गयी है। लेकिन जितना इन्सान है और जितनी धरती है उसको हम हमारा आधारभूत तत्व मानकर अगर खेती के बारे में सोचें तो सबसे बड़ी चीज यही है कि जितना ज्यादा और कौन कौन से इम्पुट्स, हम किस किस ढंग से अपने इस धरती और इस धरती के इन्सान के लिए रखें जिस से एक ओर खेती, खेती करने वाले के लिए उद्योग साबित हो दूसरी तरफ इस प्रदेश और इस राज्य के लिए खेती सम्पन्नता का आधार बने और तीसरी तरफ इस प्रदेश और अन्य प्रदेशों के माध्यम से इस देश में खेती के आधार पर बहुत से उद्योगों का, बहुत सी प्रगति का और बहुत से तरक्की के रास्ते पर चलने मे सामर्थ्यवान हो सकें। इसी दृष्टि से आजादी के बाद में जैसे ही जनतान्त्रिक हकूमत आयी। उसने सबसे पहले इस तरफ नजर डाली कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जन शक्ति, इतनी धरती और अनेक स्थानों पर तो कुदरत की भी मेहरबानी, उसके बावजूद यह देश आजाद हुआ तो झोली पसार कर, सिर नीचा करके अनेक राज्यों से सड़ागला अनाज ऊंची कीमत पर लाने मजबूर हुआ। इस वास्ते देश के पहले प्रधान मंत्री पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू ने देश का सबसे पहला कर्तव्य समझा कि जिस देश को इतने बलिदान के बाद आजाद किया वह देश अगर पेट की भूख स्वयं की धरती से और स्वयं के इंसानों से नहीं मिटा सकेगा तो इसकी आजादी कभी भी जा सकती है। इसलिए देश की भूख और देश की सीमाओं की रक्षा अगर हम स्वयं नहीं कर सकेंगे तो देश की आजादी कभी भी जा सकती है यह उन्होंने पाचाना और समझा। इसलिए उन्होंने देश की इस आर्थिक ढांचे-कृषि को आधारभूत व्यवस्थायें देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, जहां पानी को बांधने की जरूरत है, पानी बांधकर बिजली उत्पादन करने की जरूरत है, किसान के लिए फर्टिलाइजर के कारखाने लगाने की जरूरत है और आधुनिक युग के उपकरण देखकर उसकी खेती को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है और उसके साथ उसे मदद चाहिए तो

(श्रीमती कमला)

ऋण और दूसरे साधनों से उसे खेती में ज्यादा से ज्यादा क्षमता वान बनाना है, इन तमाम बहुमुखी व्यवस्थाओं को इस प्रकार से मुस्तैदी के साथ, किस प्रकार व्यापक, प्रभावी ढंग से हम देश को दे सकें, जिस से कि इतनी जबर्दस्त जन शक्ति, इतना बड़ा भारतमाता का फैलाव, इसको हम एक दूसरे से मिलाकर इतना तैयार कर सकें कि हमको किसी देश के आगे हाथ, झोली फैलाने की जरूरत नहीं रहे, हम अपना काम अपनी स्वयं की धरती और अपनी मेहनत से कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, अनेक योजनाओं के माध्यम से देश में इस प्रकार के कार्यक्रम बनाये गये, कितनी ही कमियां हम महसूस करते हैं क्योंकि हम और तेजी से बढ़ना चाहते हैं, कमियां निकालना चाहते हैं। निकालना जरूरी है क्योंकि जितने कम समय में जितना ज्यादा काम हम कर सकें, वह हमारी सबसे ज्यादा उपलब्धि होगी। उसके बावजूद हम यह समझते हैं, एक ओर जहां पर भूमि सुधारों के जरिये, किसान को खातेदारी देकर, उस जमीन में उसकी रुचि पैदा करके और एक ओर प्रजातांत्रिक ढांचा कायम करके किसान के प्रतिनिधियों के ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट में बैठाकर, उनकी इज्जत बढ़ा कर, उसका हौसला बुलन्द करके और उसे देश की नीतियों के निर्धारण में, अपनी तकदीर के बनाने में और इस देश के भविष्य के अन्दर भागीदार बनने में जो हिस्सा प्रदान किया वह अपने आप में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है जो इस सूनी धरती, सूखी धरती में पैदा करने के लिए आगे से आगे उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जैसा और जगह हुआ उसी प्रकार से राजस्थान में भी एक ओर उसे वित्तीय साधन देने की व्यवस्थायें की गयीं, एक ओर आज के नये उपकरण देने की व्यवस्थायें की गयीं, खाद-बीज और जल की व्यवस्थाओं के लिये कोशिश की गई और जितना जितना आगे बढ़ते गये उतनी उतनी बड़ी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के अन्दर भी हमने किसानों को अपनी हैसियत सुधारने के लिए और जमीन पर ज्यादा पैदा करने के लिए काम किया। माननीय सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि राजस्थान में आज जितना मेहनती किसान है और जितनी धरती काश्त काबिल है और उसमें से जितना अच्छा किस्म का बीज है उसको हम जितना स्तर से, जितना तरीके से, जितनी मुस्तैदी से बढ़ा सकते थे, हम नहीं बढ़ा पाये। उसके दो तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो यह है कि खेती को सिर्फ जमीन में बीज डालकर ज्यादा पैदा करने वाला तरीका मानने से खेती नहीं बढ़ सकती। खेती एक वैज्ञानिक काम है, वैज्ञानिक धन्धा है। उस वैज्ञानिक काम हम वैज्ञानिक ढंग से उतनी ही पैमाने से, जिस प्रकार बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि राजस्थान में कृषि विद्यालय का न बनना हमारे पिछड़ेपन का कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बहुत से राज्यों में दो-दो, तीन-तीन कृषि विद्यालय हैं। जिस प्रकार हम कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से हर वर्ष करोड़ों अरबों रुपया भारत सरकार की तरफ से, आई सी ए आर की तरफ से रिसर्च के लिए, एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए और जितना भी फाउण्डेशन वर्क खेती का आप

25

(श्रीमती कमला)

बढ़ाने के लिए इस युग में कुछ भी जो रिसर्च हो चुकी है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रचार-प्रसार के लिए यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो मदद आज राज्यों को मिली है और जिसके कारण वह आगे बढ़े हैं, उससे आज हम महरूम रहे हैं। उनका घाटा हमको पड़ रहा है।

आज भी हम इस बात को महसूस करते हैं कि इस राज्य में जहां एक और युनिवर्सिटी की बात करते हैं अगर दो भी करें तो इतने बड़े राज्य के लिए कोई ज्यादा नहीं है लेकिन जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आपको सोचने की जरूरत है और मैं यह समझती हूं कि अब हाई टाइम की हमको सोचना है कि राजस्थान के राज्य में कृषि के महकमे को, कृषि के काम को तेजी से वैज्ञानिक आधार पर आज के युग की उपादेयता को लेते हुये अगर तैयार करना है तो इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जल्दी से जल्दी होनी जरूरी है। इस मुख्य मुद्दे के अलावा, माननीय सभापति महोदय, खेती के जो इनपुट्स हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जरूरी तो हमने ही बताई है....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अजी आप शान्ति रखो न, पता नहीं किस किस को जरूरत महसूस हो चुकी....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जरूरी के लिए हमने ही बता दी, आप तो क्रियान्वित करो न....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह कोई बहुत छोटी सी आॅलपिन नहीं है जिसको कोई ही देख सके, बाकी नहीं देख सके....यह तो बहुत बड़ा इलाका है जिसको सब देख सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आॅलपिन नहीं है यह तो मैं भी जानता हूं लेकिन आप भाषण मत दो....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अजी आप बीच में मत बोलिए, बिराजिये।....

श्री सभापति : माननीय सदस्य सुनिये....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह कोई तरीका है क्या ?....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आवश्यकता तो खुद माननीय सदस्यों ने प्रतिपादित की है....

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : बिराजिये, बिराजिये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कोई मंत्रीजी के कहने की चीज है क्या...

श्री सभापति : मंत्री महोदया इस चीज को स्वीकार कर रही हैं...इसकी आवश्यकता को महसूस कर रही हैं...

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आपको बिना बोले चैन नहीं पड़ता है क्या ? क्या बात है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया सुनें।

श्रीमती कमला : आपको बिना बोले चैन नहीं पड़ता है क्या ?

श्री सभापति : जब आप लोग बोल रहे थे तब वह सुन रही थीं, माननीय सदस्य कृपया सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भाषण से काम नहीं होगा।

श्री सभापति : वह आवश्यकता महसूस करती है, उन्होंने कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो हमने ही कह दिया।

श्रीमती कमला : आपने सब कह दिया, तो फिर मुझे क्या कहना, बैठ जाऊं क्या ?

श्री सभापति : नहीं कृपया बोलें।

श्रीमती कमला : क्या बात हुई ये।

श्री सभापति : नहीं कृपया बोलें आर्डर, प्लीज आर्डर।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं, कृपया थोड़ा सुनने की कोशिश करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका ही राज नहीं रहेगा ?

श्रीमती कमला : राज आपने भी किया है, हमने भी किया है, फिर आप भी कर सकते हो, फिर हम भी कर सकते हैं, प्रजातन्त्र है, किसी का ठेका है क्या ? आप अपने कर्तव्य पर हो, हम भी अपने कर्तव्य पर हैं, कल आपके भी हो सकते हैं, यह क्या बात हुई ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बोलें।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, यह बात ठीक है कि जितनी भी आपकी खेती की प्रगति हुई है उसमें नये जमाने की रफ्तार के साथ में किसान ने बहुत कुछ पकड़ा है, और उसने खुद ने भी पकड़ कर के काम किया है। लेकिन यह बात भी हम नो नहीं कर सकते कि हमारी सरकार, चाहे आपकी भी बीच में या हमारी है इतने दिनों से सरकार के जरिये से जो किसान तक जो हमने सुविधायें पहुंचाई। नई टैक्नोलोजी के बारे में उसे बताने की चेष्टा

(श्रीमती कमला)

की है चाहे प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे वह खुद देखकर आया हो ' इसके माध्यम से आज हमारे खाद्यान्न में भी वृद्धि हुई है दूसरे तौर तरीकों में भी वृद्धि हुई है और यह कहना कि आपने कुछ नहीं किया, माननीय छगाणी जी ने कहा कि इस महकमे को बन्द कर देना चाहिये और इस महकमे की जरूरत ही नहीं है। महज इस महकमे को बन्द करने से काम नहीं चलेगा। इस महकमे का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, इस महकमे से संचालन का जो तरीका है, इस महकमे में तकनीकी आदमियों को बैठा कर के और समय समय पर उनको रिफ्रेशर कोर्सेज और नई टेक्नोलोजी से बार बार अवगत कराते रहने के लिये जिस प्रकार से ग्राम अधिकारी उसका काम करता हो उसी तरह से ऊपर तक के सचिव स्तर के अधिकारी काम करें यह इसके साथ दूसरी जरूरत है विश्वविद्यालय के बाद में। इसमें हमारी कमी रही हमने आम तौर पर सचिव के स्तर पर, चाहे अध्यक्ष के पद पर जहां गैर तकनीकी आदमियों को हमने बैठाया उससे भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि पिछले समय में किसान ने अपनी मेहनत से और राज्य सरकार ने अपने तरीकों से चाहे वित्तीय साधन देकर के, चाहे टेक्नोलाजी देकर के, चाहे इनपुट्स को ज्यादा से ज्यादा उस तक पहुंचा करके इस बात की चेष्टा की है, हमने अपने स्टेट का उत्पादन बढ़ाया है।

माननीय सभापति महोदय, 1955 में जहां इस राज्य में कुल 39.98 लाख टन पैदा होता था, वह 1966-67 में आकर के 48.26 लेक टन्स हुआ, आज हमारा यह 84-85 में 79.18 के करीब जो है आज आया है और सैवथ प्लान में हम यह सोच रहे हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन 113 लाख टन के करीब हम पहुंचा सकेंगे। जिस प्रकार की हमारी योजना और जिस प्रकार का हमारा कार्यक्रम है।

इसके साथ में यह भी बात हमको देखने की है कि हमने जो प्रतिशत पर बीघा या पर एकड़ जो हमारी पैदावार है उसको बढ़ाने की दृष्टि से भी इसकी जांच की है और हम यह कह सकते हैं कि जहां एक ओर बड़े पैमाने पर एरिया को हमने बढ़ाया है उसके साथ में प्रति हैक्टेयर जो हमारी पैदावार है वह भी गेहूं की दृष्टि से बढ़ी है, और दूसरे जिन्स की दृष्टि से भी बढ़ी है।

जहां तक दलहन का सवाल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जब हमने अपना काम शुरू किया था उस वक्त में 11 लाख टन हमारा उत्पादन था आज कोशिश करने के बाद में 14 लाख, उसके बाद में 24 लाख 80 हजार टन तक हम अपने दलहन के उत्पादन को ले जाना चाहते हैं। इसमें खास तौर से आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि इसमें मूंग की जो पैदावार है यह खास तौर से डिपार्टमेंट की तरफ से नई टैक्नोलोजी और एक बड़े काप लेने के लिए जो खेती की जाती है इसने हमारे स्टेट को काफी फायदा किया है और इसमें लगभग 5 हजार टन मूंग का अतिरिक्त उत्पादन भी हुआ है और उसमें कीड़ा वगैराह या बीमारी वगैराह भी कम लगती है और किसान को एक अतिरिक्त फसल भी उससे मिलती है।

श्री गोपाल सिंह : इसमें भी आ गई है जो बाजरी में आती है।

श्रीमती कमला : वह आती है लेकिन उसके बावजूद भी किसान को दो क्राप के बीच में एक थर्ड क्राप लगभग पूरे स्टेट के अन्दर 5 हजार टन की मिली है। और इसमें जो बीमारी लगती है। इस बीमारी के लिये भी कुछ हमने पेस्टीसाइड का प्रयोग किया है, कुछ जगह उसका प्रयोग सफल हुआ है, और कुछ जगह, अलवर जैसी साइड में, उन्होंने बताया है उनके यहां पर सफल नहीं हुई है। उसके कुछ आल्टरनेटिव भी हम सोचते हैं।

और इसके अलावा, सभापति महोदय, तिलहन का उत्पादन हमारे यहां बहुत मामूली सा था, लगभग 2 लाख टन के करीब आज यह तिलहन का उत्पादन लाख या 12 टन के करीब बढ़कर के हुआ है। और तिलहन के उत्पादन में आपने सभी ने देखा है कि जहां अलवर, भरतपुर तक केवल सरसों सीमित थी पिछले कुछ वर्षों में कुछ कृषि विभाग की कोशिशों से और कुछ इस तरह से कि पानी कम होने से, बरसात कम होने से, मेहनत कम होने से, कीमती कम लगने से किसान ने खुद ने इस बात को अपनाया। और कई वर्षों से जहां यह सोचते थे कि बरसात नहीं हुई, या कम हुई, तो हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाय, तो इसको इन्ट्रोड्यूस किया गया कि जब बरसात कम हो तो सरसों लेने से किसान उसमें से बहुत कुछ अपना खर्चा निकाल सकता है। और बहुत से जिलों में आज बहुत अच्छी सरसों की फसल हुई है और अलवर और भरतपुर से बाहर दूसरे जिलों में जाकर के भी सरसों का अच्छा उत्पादन हुआ है। आज सरसों की प्रति एकड़ उत्पादकता है, लगभग दुगुनी बढ़ी है।

श्री शोपत सिंह : हमको क्या मिला ?

श्रीमती कमला : हां उस पर भी आ रही हूं। इसी तरह से इस राज्य में....

श्री शोपत सिंह : हमको तो पैसा उतना ही मिला है....

श्रीमती कमला : उस पर भी मैं आ रही हूं। आप तसल्ली रखें....अन्त तक मैं बोलूं उसके बाद बताना....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप तसल्ली रखें, सुनें, आप इनको....आपकी बात भी तो इन्होंने बड़े तसल्ली से सुनी थी....

श्रीमती कमला : हमारे राज्य में सोयाबीन की खेती लगभग नहीं के बराबर थी। थोड़े समय पहले कोटा में इसको शुरू किया गया और कोटा में थोड़ी बहुत खेती इसकी हुई। आज इस सोयाबीन की खेती को भी काफी कुछ बढ़ावा मिला है, बून्दी, झालावाड़, चित्तौड़, कुछ भाग बांसवाड़ा में सोयाबीन की खेती है। सोयाबीन की खेती को राज्य में काफी कुछ बढ़ावा मिला है। उससे किसानों को लाभ भी मिला है। इसी तरह माननीय सभापति महोदय, कपास का उत्पादन हमारे स्टेट में बहुत अच्छा बढ़ा। 1955 में मात्र 1 लाख टन गांठ होती थी, जो बढ़ते बढ़ते आज हम 4 लाख 41 हजार टन तक पहुंचे अगले वक्त तक, 8 लाख तक के करीब पहुंच जायेंगे....

श्री शोपत सिंह : 50 प्रतिशत हुई है ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सबसे बड़ी उल्लेखनीय प्रगति डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है वह यह है कि एक तो उसकी प्रति एकड़ उत्पादकता में लगभग 100 पर्सेन्ट वृद्धि हुई है और आज राज्य का तीसरे स्थान पर औसत उत्पादन के अन्दर और उत्पादकता के अन्दर कण्ट्री के अन्दर दूसरे स्थान पर यह स्टेट है। इसके लिए किसान की मेहनत को भी हम दाद देते हैं और विभाग ने भी इसके अन्दर काफी कोशिश की है। इसलिए हम सिर्फ यही कह दें कि विभाग ने कुछ भी मदद नहीं की ऐसी बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से गन्ने के उत्पादन में भी जहां सिर्फ 4.48 लेक टन था वह आज 13 लाख 69 हजार टन के करीब पहुंचा है और आने वाले समय में लगभग 22-23 लाख टन तो हम पहुंच सकते हैं इसके साथ-साथ सभापति महोदय, उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग खाद है हालांकि जो बीज का मामला है उसमें बहुत सारी कन्ट्रोवर्सी है, बहुत सारी समस्यायें हैं, बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं लेकिन खाद का जहां तक वितरण हमने किया है किसान ने उसको अपनाया है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकार्ड है। जहां 1 318 लाख टन पहले खपत होती थी वह आज खपत 2 06 लाख टन खाद की खपत होती है और उम्मीद यह की जाती है कि यह आने वाले समय में लगभग पांच लाख टन इसकी खपत होने लग जायेगी। इससे यह जाहिर है कि उसी वक्त किसान खाद की मांग करता है जब उसका उत्पादन उसकी मोइश्चर और उसको जो है न पानी की उपलब्धता होती है अन्यथा सूखे खेतों में खाद उतना नहीं चल पाता है इसलिए इसकी दृष्टि से पैदावार भी उसी वजह से हुआ।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो हमारे फलों के फार्म के पौधों और प्लान्टेशन जो हमारी बन्जर भूमि है उसका उपयोग हमारा किसान जो एनीसलरीज के धन्धे है चाहे पशुपालन के, चाहे डेयरी में या सारे भी इसके साथ साथ बढ़े हैं और किसान जो उपलब्धता है उसको हमने काम में लिया है। इसके साथ साथ में सभापति महोदय, दूसरा हमारा जो एक महत्वपूर्ण है किसान को हमको इन्वेस्टमेंट, उसके अन्दर क्रेडिट। यह प्रोडक्शन के स्टेज पर आज को-आपरेटिव सैक्टर में इतना बड़ा पैमाने पर किसान को हम ऋण देते हैं उस कारण से अपनी खेती को बढ़ाने के लिए उसको मौका मिलेगा और उसका उत्पादन जो है मैंने आपको बताया है। लेकिन जो मार्केटिंग स्टेज पर आता है जब उस मार्केटिंग स्टेज पर जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि मार्केटिंग स्टेज पर जब हम आते हैं तब किसान का जितना भी प्रोडक्शन किया हुआ है उसकी कीमत नहीं मिलती है और न ही राज्य के आम आदमी को उसका लाभ मिलता है। जहां तक ही इसको सुधारने की कोशिश की गयी है। एक ओर कृषि विपणन मण्डियों का निर्माण किया गया है दूसरी तरफ हमारा जो सहकारिता का ढांचा है उसको भी इसीलिये बनाया गया है और इन दोनों के सहयोग से यह आम नीति सरकार की रही है कि किसान जो अपना प्रोडक्शन करे उसको मजबूरी में इस तरह की कीमत

(श्रीमती कमला)

पर निकालने के लिए वह मजबूर नहीं हो कि उसका अपना कोस्ट आफ प्रोडक्शन भी न मिले। लेकिन ऐसा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें काफी खामियां है और हमारी करोड़ों रुपयों की लागत की मण्डियां बनी। 37 मण्डियों से 77 मंडियां बन चुकी हैं इसमें 36 करोड़ रुपया लगभग लग चुका है उपमण्डियां भी बनी है ग्रामीण मण्डियां भी बनी हैं सड़कें भी बनी हैं जिससे किसान अपने प्रोड्यूस को बिना ट्रान्सपोर्ट की सुविधाओं के गांव ही कौड़ी के दाम बेचने को मजबूर नहीं हो लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी कमी है उसके एक्सप्लायटेशन को रोकने के लिये या उसको वाजिब दाम दिलाने के लिये या जिस वक्त बेचना चाहे उसको मोहलतके लिये वही यह है कि जितनी बड़ी सहकारिता का हमने ढांचा बनाया है उसके साथ हमने इस नीति को जोड़ा कि जिस वक्त किसान अपना प्रोड्यूस लायेगा उस वक्त बाजार में अगर उसको भाव सही नहीं मिलता है तो सहकारिता के गोदाम में रखेगा और उसको बैंक में प्लेज लोन 80 प्रतिशत या 70 प्रतिशत जो भी मार्केटिंग रेट है वह मिलेगी और वह अपना जरूरी काम चलायेगा और जिस वक्त उसको लगेगा कि आज भाव ठीक है उस वक्त वह सोसाइटी को कहेगा कि आज मेरा प्रोड्यूस आप बेच दीजिये मुझे भाव ठीक लगता है। उस वक्त उसकी प्रोड्यूस बिक जावेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह जो मार्केटिंग कालिन्क यह बहुत बड़े पैमाने पर मिसींग और इसका बैंक से मार्केटिंग सोसाइटी का कोई ताल्लुक नहीं है। मार्केटिंग सोसाइटी में किसान को सुविधा देने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये आज सबसे ज्यादा किसान एक्सप्लायटेशन का हो रहा है वह इस स्टेज पर हो रहा है जिस स्टेज पर किसान को मजबूत करने के लिये हम वर्षों से कोशिश कर रहे हैं तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि उपज मण्डियां जो बन रही हैं वह कृषि उपज मण्डियां उसके एक्सप्लायटेशन को उतनी ही हद तक रोक पाती है कि कृषि उपज मण्डियों के जरिये सड़कें बनी हैं तो अच्छी मण्डियां जहां हो तब जब भाव अच्छे मिलें वह वहां लगा लें। दूसरा यह रिलीफ मिले कि गुपचुप जो व्यापारी उसकी फसल को मरजी आवें जिस भाव न लेकर के खुले आम उसकी कीमत उसको सही मिल जावे। उसको सुविधा मिल सकती है। उसके अलावा उसको रखने का माद्दा है वह बढ़ाने की दृष्टि से जब वह चाहे बेचे इस दृष्टि से मार्केटिंग सोसाइटी में ले जावे। सभापति महोदय, मण्डियों में अभी किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिये इस मार्केटिंग स्टेज पर हमें किसान को और ज्यादा रिलीफ दिलाने की जरूरत है इसमें कोई शक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय जो बड़ा इम्पुट हमारी खेती के लिये बहुत जरूरी है जो आप सब लोग जानते हैं वह पानी। पानी दो तीन तरह से उपलब्ध है चाहे सरफेस वाटर हो, चाहे ग्राउण्ड वाटर हो उस सारे को हम किस तरह से उपयोग करें इस दृष्टि से हमने बहुत सी बड़ी बड़ी योजनायें सिंचाई की बनायी, बहुत सी मध्यम योजनायें भी बनायी हमने इस दृष्टि से ज्यादा महत्व दिया अभी तक की जितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाएं

264

(श्रीमती कमला)

किसानों के लाभ दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा क्षेत्र हमारे राजस्थान में ऐसा है जहां नहरे नहीं है जहां बान्ध नहीं है जहां पर श्रोतों को बांधकर इकट्ठा करके जो सरफेस वाटर ग्राता है उसको रोका जाय, उसको कन्जर्व किया जाय इस वाटर कन्जरवेशन स्कीम के ऊपर हमने इतना ध्यान नहीं दिया यह समझा कि यह बड़ी और मध्यम योजनायें हैं यह सारी कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली है। पर नतीजा यह हुआ है कि जिन एरियाज में यह बहुत बड़ा साधन था उसका इतना व्यापक पैमाने पर या इतनी बड़ी धनराशि न मिलने से बहुत से जो पुराने बान्ध थे वह टूट गये नये बान्ध बने नहीं जो कटाव हो रहा था वह नहीं रूका एनीकट नहीं बने और न ही गाइड बान्ध नहीं बने और जितना पानी फलो था, उसको रोक नहीं पाये। खेत भी खराब हुए, गांव भी खराब हुए, बहुत सा खेती का एरिया ग्राज दुरूह हो गया। एक जो बड़ी चीज देखने की है वह यह है कि जहां एक ओर से इस राजस्थान की धरती पर बहने वाले सारे पानी की बून्द बून्द करके हमें रोकना है, उसका उपयोग करना है उसके साथ ग्रन्दर से बरसने वाला पानी है उस पानी को भी कन्जर्व करने के लिये व्यापक पैमाने पर हमें धन राशि का प्रावधान करना होगा और तीसरी तरफ जैसा कि माननीय नाथूरामजी साहब ने कहा और हम लोगों ने भी इस बात पर काफी तकाजा करके जितना ग्राउण्ड वाटर इस धरती के ग्रन्दर सर्वे कराकर के ग्राउण्ड वाटर को भी उसी तरह एक्सप्लाइट किया जाना जरूरी है और उसके लिये तीन व्यवस्थायें जरूरी है एक तो यह है कि उसका सर्वे करके पता लगाया जाये कि किस किस जगह किस किस स्ट्रान्टम में पानी मौजूद है दूसरा ऐसी ऐजेन्सी होनी चाहिए कि जहां पर बान्ध नहीं सरकार खुद बनाती है उसी तरह ट्यूबवैल लगाने का काम भी सरकार की तरफ से व्यवस्था की जावे और जो किसान उसका उपयोग करें उसमें सिचाई की दरें जिस तरह से ली जाती है उसी तरह से दरें ली जाय ग्रन्यथा किसान के वस की बात नहीं है इतने गहरे इतने महगे ट्यूबवैल्स को लगा सके इसलिये यही कारण है राज्य सरकार ने लगभग ढाई साल पहले राजस्थान वाटर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन बनाया लेकिन ग्रभी तक न तो उसने कोई सर्वे किया है और न उसने कोई पैसा इनवेस्ट किया है ट्यूब वैल लगाने के लिये भी कोई योजना हाथ में नहीं ली है। एक जो महत्वपूर्ण इनपुट है, पानी का है उसके तीन सोर्सेज ग्रलावा है एक तो बिजली से पानी खींचना, कुए बनाने के मामले में भी हम उसको बहुत छोटी समझते हैं माननीय सभापति महोदय, कुग्रा भी ग्रपने ग्राप में इतना जरूरी है कि कुए के लिये हम साल में कुछ ऐसे महीनों जिनमे किसान फ्री रहता है या खेती का सीजन नहीं होता है उस वक्त मात्र किसान को सीमेण्ट देकर वह भी ग्रच्छी क्वालिटी की सीमेण्ट और कुग्रों के निर्माण के लिये भरपूर पैसा मिले, भरपूर लोहा मिले और भरपूर सीमेण्ट मिले तो यह कार्यक्रम भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाकर के हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं इसके ग्रलवा जो बिजली का मामला है ग्राप और हम सभी जानते हैं कि ग्राज जितनी बिजली राज्य के ग्रन्दर उपलब्ध है इस बिजली को हम इतना ज्यादा किसान को दे सकें, खेती के काम को तरक्की पर ले जा सकें उतना ही हमारी

(श्रीमती कमला)

खेती का काम आगे बढ़ सकता है। इसलिए यह जो एक बड़ा इम्पोर्टेन्ट इनपुट है इसके बारे में हम इस प्रकार से सोच सकते हैं इस पानी को यह जहां कहीं भी स्टेट में है उसको हम हर तरह से एक्सप्लोइट करें यूज करें उसको रोकें, किसान की धरती पर उसको पहुंचाने की चेष्टा करें। यह कहना चाहता हूं जो विविध प्रकार की व्यवस्थायें हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा माननीय नाथूराम जी साहब ने भी कहा था कि एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में कई कमीशन्स ने बहुत ही इम्पोर्टेन्ट और बहुत ही उपयोगी सिफारिशें की हैं।

(9.00 रात्रि)

लेकिन उन सिफारिशों को देखते नहीं, पढ़ते नहीं हैं अध्ययन नहीं करते हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं। मेरा फिर यह कहना है कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं इनका विश्लेषण, इनका अध्ययन, इनकी अनुपालना और इनको धरती पर उतारने का काम आम तौर पर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उनके एक्सटेन्शन प्रोग्राम के माध्यम से होता है बहुत कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जा रहा है लेकिन वह इसलिए उतना सम्भव नहीं क्योंकि वह नाम मात्र के लिये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं वैसे वह मल्टी पर्पज यूनिवर्सिटी है। इसका लाभ इसलिए इतना नहीं मिल रहा है। आज तक जो अनुसंधान हुए हैं यह लोगों तक पहुंचाये, नयी टेक्नालाजी आई उसको लोगों तक पहुंचाये हमारे राज्य में आवश्यकता के मुताबिक कहां-कहां किस-किस को लागू करना है, हम उसी जमीन पर ज्यादा पैदावार कर सकते हैं और जो ड्राई फारमिंग का इम्प्रूवमेंट का सिस्टम है वह भी एक एक सारा रिसर्च सिस्टम का बहुत बड़ा अंग है। हम समझते हैं इतना बड़ा रिसर्च प्रोग्राम जो आज के युग में इस कृषि उद्योग को बढ़ाने के लिए जरूरी है यह हमारा सबसे कमजोर हथियार है। जिसको हमको बढ़ाने के लिए भारत सरकार से आई. सी. आर. से कोशिश करके व्यवस्था करना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को उत्पादन का सही भाव नहीं मिले इसके, लिए मैंने एक बात पहले से ही आपको कही है, लेकिन एक बात आप और हम सभी जानते हैं जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि किसान इतने बड़े पैमाने पर क्रेडिट लेता है, उस क्रेडिट से पैदावार करता है और पैदावार करने के बाद वह बाजार में जाता है तो उसको इतना पैसा नहीं मिल पाता है। एक तरफ जहां उसके शोषण को रोकने के लिए इन संस्थाओं को कारगर बनाना भी जरूरी है वहां साथ में जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का सवाल है उसमें हमें किसान वर्ग का हित संरक्षित करने के लिए इस बात को भी देखना कि इस वक्त किस आइटम का एक्सपोर्ट हो सकता है और किस वक्त इसका इम्पोर्ट किया जाना है। जिससे किसान जो पैदा करता है उसको अपनी चीज का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले; और यह एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जो केन्द्र में बैठते हैं उनको इस बारे में, भारत सरकार को राज्य सरकार की तरफ से तकाजा करके हमें करना चाहिए....

- 26

श्री शोपत सिंह : एक धरती पुत्र बैठा है हमारा।

श्रीमती कमला : बहुत बैठे हैं ऐसी बात नहीं है एक ही बैठा हो।

श्री शोपत सिंह : कुर्सी पर बैठा है हमारा धरती पुत्र।

श्रीमती कमला : इसका तो मुझे पता नहीं, जनता ने बहुतों को भेजा है। इसके अलावा एक जो बड़ा काम राज्य सरकार को करना है वह यह है कि कृषि जिन्सों के उत्पादन के आधार पर जितने उद्योग लगने के हैं उन उद्योगों की बड़ी तस्वीर हमको बनानी चाहिए और आज जितना भी रा उत्पादन यहां से जाता है या बिकता है उसकी इतनी कीमत नहीं मिलती। आज अगर इस राज्य के अन्दर कृषि उत्पादनों के आधार पर ज्यादा से ज्यादा हम उद्योग लगाते हैं तो किसान को बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है और किसान उस दिशा में प्रेरित होकर काम कर सकता है। इसलिए राज्य सरकार का यह प्रयत्न होगा कि हम आने वाले समय में, सेवंथ प्लान में, ज्यादा से ज्यादा कृषि के ऊपर आधारित उद्योगों को लगाने का काम करें और किसान को इस दिशा में काफी मदद करने का काम कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बाजरे के बारे में इसके बीज के बारे में कई सवाल पैदा किये हैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हर साल की भांति राजस्थान सरकार को भी जितना बीज चाहिए होता है उसकी दृष्टि से उस बीज के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से जहां जहां भी बीज पैदा किया जाता है वह अपना रिजर्वेशन कराती है और दो बार फसल के दौरान राज्य सरकार की टीमें उनको जाकर विजिट करती हैं। आज तक कभी ऐसी बीमारी बाजरे में नहीं लगी, इस बार ही जब बीज पड़ने को था उस वक्त उस बीमारी की सूचना आई, हमारे अधिकारियों ने जाकर उसको देखा और देखने के बाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ फिर जाकर देखा, इसकी जांच की और किस प्रकार की बीमारी है इसके बाबत मैं निवेदन करूं विश्लेषण किया और आई.सी.आर. की टीम को बुलाकर दिखाया कि इस प्रकार की इसमें बीमारी लगी है ऐसी बीमारी से लगा हुआ बीज हम अगर किसान को देते हैं तो यह किसी काम का नहीं। आई.सी. आर. ने अपने स्तर पर कृषि मंत्रालय से बात की और उन्होंने यह रास्ता सुझाया कि अगर अपरान नाम का एक केमिकल जो कि फर्म के पास है वह हमें उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि आज दूसरी जगह से बीज उगाने की या लाने की अल्टरनेट नहीं है और अगर यह बीज किसानों तक नहीं पहुंचा तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इस बीज को ट्रीट करने के लिए फलां मेडिसन मिल जाती है तो इस बीज के अन्दर कोई खराबी नहीं रहेगी और उसको हमको करना चाहिए। भारत सरकार को जब यह लिखा गया तो भारत सरकार ने, मंत्रालय ने, इसको माननीय प्रधान मन्त्रीजी को रेफर किया उन्होंने इस बात के ऊपर इजाजत दी कि हम केमिकल को मंगवाये और यह करीब 12 टन मगवाया गया जो एक करोड़ रुपये की कीमत का था। भारत सरकार ने पचास प्रतिशत | का

(श्रीमती कमला)

खर्चा खुद ने उसका बाद में माना और पचास प्रतिशत खर्चा उसका राज्य सरकार ने दिया।

श्री शोपत सिंह : उन अधिकारियों को भारत भूषण वूषण या भारत रत्न दिलायें।

श्रीमती कमला : अब तक लगभग 18 हजार क्विटल बीज ट्रीट करके वापिस थैलियों में बन्द करके उन पर लेवल लगाकर सारे इलाकों में पहुंचाया जा चुका है और वितरण भी हो चुका है। जब हमने ट्रीट किया जैसा अखबारों ने पब्लिसिटी की उसके बाद मे किसी भी काश्तकार ने जो प्राइवेट डीलर्स थे जिनका ट्रीट नहीं हुआ था उनको नही लिया तो प्राइवेट डीलर्स ने आकर अपने बीज को हमसे ट्रीट कराया और उनका बाद में बीज ट्रीट हुआ। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जब दूसरे राज्यों, यहां से बीज पहुंचा और उनको पता लगा कि राजस्थान वालों ने इसको ट्रीट किया है और इससे हम अपने किसानों को बचा सकते हैं तो उन्होंने हमसे और भारत सरकार से मांग की, वह उपलब्ध नही था इसलिए वह बीज ट्रीट नहीं हो सका। माननीय सदस्यों नें इस सम्बन्ध में दो तीन सवाल पूछे कि अगर यह सीड ट्रीट नहीं होगा तो आप उसका क्या मुआवजा देंगे और दूसरा इस सीड के ऊपर जो खर्चा किया गया है उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो जिम्मेदार है वह राज्य सरकार है उसने खर्चा उठा ही लिया है। जहां तक किसान की बात है, जनरेशन नहीं होता है उसकी जिम्मेदार सरकार होगी उसमें दूसरी बात नहीं है, कोई राज्य सरकार या दूसरी एजेंसी जिम्मेदार नहीं हो सकती, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है इसमें कहीं कोई खराबी नहीं आयेगी क्योंकि आई.सी.आर. की विश्लेषण टीम ने यहां जांच की है उन्होंने इस बात का पुख्ता एश्योर किया है कि राज्य सरकार को कि इसको ट्रीट किया है। इसलिए, उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, छंगाणी जी ने ड्राई फार्मिंग के लिए काफी जोर दिया वह बात सही है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में ड्राई फार्मिंग टेक्निक अपनाना हमारी खेती को बढ़ाने के लिए जो सूखे इलाके के अन्दर काश्तकार हैं उनको खेती से लाभ दिलाने के लिए बहुत जरूरी है। पिछले कुछ अर्से से 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर भी इस काम को डाला, लेकिन मैं मानती हूं कि जितनी मुस्तैदी से, जितनी एक्सपेक्टेड वे में करना चाहिए और टेक्नालाजी विकसित करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन उस के लिए जो प्रेसक्राइब हैं उनको हमें जितना पापुलराइज करना चाहिए वह नहीं कर पाये हैं। इसको हमें आने वाले समय में करना लाजिमी है। माननीय सभापति महोदय, बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर जिले की ओर उनके इलाके की दो-तीन समस्याओं के बारे में कहा। एक तो जैसा मैंने खुद कहा था कि जयपुर जिले में भी रेगिस्तानी इलाकों की तरह और पहाड़ी इलाकों की तरह पानी की समस्या बहुत भयंकर हो गई है। कुओं में पानी नीचे चला गया है, खारा हो गया या खराब हो गया है। उसकी उपलब्धि किसानों को नहीं हो रही है, इसके लिए

(श्रीमती. कमला)

कुएं गहरे कराने की मशीनें हैं या बहुत कुएं बनाने की बात है या जो कुओं के अन्दर पानी खराब हो गया है उसके विकल्प में ट्यूबवेल लगाने का मसला है इन सब के बारे में अभी कोई योजना इस तरह की बनी नहीं है और मैंने स्वयं ने अपने स्तर से माननीय मुख्य मन्त्री जी को निवेदन किया है और लिखा कि इस प्रकार की स्थिति है इसलिए दो-तीन रास्ते निकाले जाने चाहिए एक तो इस जिले के अन्दर ज्यादा से ज्यादा रिग मशीनों का इन्तजाम किया जाये जिससे जहां-जहां भी किसान उनको कर सके वह करायें।

और जो रिग मशीन है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है आपरेट करने की कि किसान अपने लेवल पर सामान्यतः नहीं करा पाते इसलिए 50 पर्सेंट सबसीडाइज करने का चाहे वह अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड को सबसीडाइज करें या किसान को सबसीडाइज करें ताकि हम पानी की व्यवस्था कर सकें।

दूसरी, माननीय सदस्य, ने कहा है कि जिले में भूरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैंने दो तीन दिन पहले एक सवाल के जवाब में माननीय सदस्यों को अवगत कराया था कि कुछ समय पहले तक भारत सरकार ने पाबन्दी लगा रखी थी कि इतने छोटे किसान इतने एरिया में अगर नहीं होगा तो इसका प्रावधान नहीं करेंगे। अभी उन्होंने इस शर्त को रिलेक्स किया है और आने वाले समय में इसमें जयपुर जिले को सब्सटेन्शल वे में कुछ मदद मिल सके इसकी हम चेष्टा करेंगे।

जहां तक उनकी मण्डी बनने का सवाल है मैं तो सोच नहीं रही थी कि उनकी मण्डी पहले कदम पर ही है। कोशिश करके और तकाजा करके उस मण्डी के काम को आगे बढ़ायेंगे।

भूमि विकास बैंक के ऋणों का जहां तक सवाल है, आपने जिन लोगों को आइडेन्टीफाई किया उनको देने के लिए तय किया। किसी को प्रथम किश्त भी नहीं मिली है, किसी को द्वितीय किश्त भी नहीं मिली है, इसके लिए तकाजा करके भूमि विकास बैंक से जल्दी से जल्दी निपटारा किया जावेगा।

बीज निगम के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि 4 वर्षों से अकाउन्ट्स ही फाइनेलाइज नहीं हुए। यह बात सही है और पिछले काफी वर्षों के अकाउन्ट्स पैन्डिंग हैं जिनको उन्होंने पिछले समय में बहुत मेहनत करके किया है। मैंने अभी जानकारी की तो उनका कहना था कि जितना बैकलाग था वर्क का उसके हिसाब से स्टाफ नहीं होने से उनको बहुत दिक्कत हो रही है। अभी उनको स्टाफ गवर्नमेण्ट ने प्रोवाइड किया है और यह आने वाले साल के अन्दर चारों साल का अकाउन्ट तैयार कर लेंगे। ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है।

मैं समझती हूं कि जो माननीय सदस्यों ने कुछ मुख्य मुद्दे उठाये थे और कृषि की आम जरूरतें हैं आज राज्य में जो आधारभूत ढांचा है और बेसिक नीड्स को पूरा करना है उस दृष्टि से हमें काफी कुछ करना बाकी है लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूं कि हम भी उन राज्यों में से जरूर हैं जो राज्य आगे बढ़ने की तैयारी

(श्रीमती कमला)

में हैं और अपना कदम आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सभापति जी से निवेदन करूंगी कि मांग को पारित किया जाये।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने बाजरे के बीज के लिए कहा कि हमने 18 हजार क्वि. बाजरे का बीज अलग-अलग स्थानों पर हमने भेज दिया है। मैंने जो भारत सरकार की चिट्ठी गयी है और उस चिट्ठी में आपको जो गाइडलाइन्स दी हैं उन गाइडलाइन्स में एक बात यह भी है कि ट्रीटमेन्ट के सात दिन के अन्दर उसका सोइंग नहीं हुआ तो बाजरे का बीज ठीक नहीं है जरमीनेशन ठीक नहीं होगा जो इनकी 11 तारीख के बाद में आपका यह सारा ट्रीटमेन्ट प्रारम्भ हुआ और बरसात आई है अपने यहां 12 तारीख को तो जून से लेकर 12 तारीख तक जुलाई की लगभग एक महीना निकल गया यह सात दिन में उपयोग करने वाली बात नहीं रहेगी तो बाजरे का जर्मीनेशन कैसे रहेगा, इसकी मैं जानकारी चाहता हूं।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : दूसरा सवाल सुन लें। श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कृषि उत्पादन को सस्ता बनाने के लिए क्या सरकार उत्पादन के काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं डीजल, खाद, बीज, सीमेण्ट, पेस्टीसाइड्स, डीजल पम्प, ट्रेक्टर्स और अन्य कृषि उपकरण हैं, सारी वस्तुओं पर क्या सरकार किसानों को अनुदान देने का विचार रखती है—एक प्रश्न तो यह है।

दूसरे यदि कृषि उत्पादन सस्ता करने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता सरकार देने पर विचार रखती है? अगर दे सकती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं दे सकती है तो फिर क्या कृषि उत्पादन की लागत के आधार पर लाभप्रद मूल्य देने की सरकार की क्या नीति है? केवल मात्र आप यह कृषि मूल्य आयोग के द्वारा जो आप कीमत तय करते हैं वह लाभप्रद मूल्य नहीं हैं। आप अगर दुगुनी कीमत में भी कृषि उत्पादन के देने के लिए हम कहें तो भी वह लाभप्रद मूल्य नहीं होंगे। तो सरकार की निश्चित नीति होनी चाहिए कि या तो कृषि के काम में आने वाली वस्तु हैं वह सस्ती दीजिए या फिर सस्ती नहीं दे पाते हैं तो फिर किसान को कम से कम उसकी लागत का मूल्य अच्छा मिले, रेम्युनरेटिव प्राइस मिले उसके लिए सरकार की क्या नीति है?

तीसरे सहकारी बैंकों के मार्फत सहकारी बैंकों के अलावा जो दूसरे आपके कमर्शियल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं या दूसरे बैंक हैं उन बैंकों की मार्फत किसानों को जो कर्जा दिया जाता है उन कर्जों पर उन बैंकों द्वारा मूलधन से भी दुगना यानि दुगना, तिगुना और चार गुना तक ब्याज वसूल किया जाता है और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि 40 हजार रुपया किसान ने लिया तो चार साल बाद में 80 हजार रुपये से ज्यादा वसूल किया गया है--इस

270

(श्री भगराज चौधरी)

प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं तो क्या सरकार इन बैंकों को भी पाबन्द करने का विचार रखती है कि कम से कम किसान जितना ऋण लेता है उतने ऋण के बराबर ही आप ब्याज ले पायेंगे चाहे अर्सा चाहे कितना भी हो जाये ब्याज चुकाने में लेकिन मूलधन से ज्यादा आपको ब्याज नहीं मिलेगा। क्या इस प्रकार की नीति सरकार अपनाने का विचार रखती है ?

एक प्रश्न और है। कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग लगाने के लिए क्या जिलेवार आपने कुछ सर्वे करा रखा है ? यदि सर्वे नहीं करवा रखा है तो क्या शीघ्र ही किन-किन जिलों में किस-किस प्रकार के उद्योग लगाना मुफीद रहेगा। इसके बारे में क्या सरकार सर्वे कराने का विचार रखती है ?

श्री सभापति : श्री कल्याण सिंह कालवी।

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय सभापति महोदय, सरकार की तरफ से जिस तरह का उत्तर आया है यदि उसमें माननीय मन्त्री महोदय का नाम हटा दिया जाये तो उनका इस तरह का भाषण था जैसे कि विपक्ष के लोग बोल रहे हों—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही मैं कह रहा था।

श्री कल्याण सिंह कालवी : उन्होंने यही कहा कि यूनीवर्सिटी होनी चाहिए, विषय विशेषज्ञ इस डिपार्टमेण्ट के हैड होने चाहिए ढांचे में सुधार होना चाहिए, मार्केटिंग में जो शोषण हो रहा है क्रय-विक्रय में वह बन्द होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि ट्यूबवैल की जरूरत है उस पर अनुदान देना चाहिए। डीजल आधारित जो पम्प सैट्स जो लोग कुओं पर लगाते हैं जैसे उद्योगों में उनको अनुदान दिया जाता है वैसे ही दिया जाना चाहिए, बिजली की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, उत्पादन का सही मूल्य मिलना चाहिए, कृषि उत्पादन आधारित उद्योग लगने चाहिए और एप्रोन का जो ट्रीटमेन्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। यह इन्होंने कहा कि होना तो सब चाहिए। कृषि आधारित उद्योग धन्धों के बारे में केवल एक सेन्टेन्स कहा कि 7वीं फाइव ईयर प्लान के अन्दर हम कृषि उत्पादन आधारित धन्धे देश में लगाना चाहते हैं और बाकी चीजों पर सरकार को क्या करना चाहिए, क्या करने जा रही है इसका हमें सही उत्तर मिलना चाहिए यह नहीं कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए।

श्रीमती कमला : जो अपेक्षित चीज है उसके लिए यह थोड़े ही कह सकते हैं कि जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह कालवी : सरकार इसके बारे में क्या करने जा रही है ?

श्रीमती कमला : कोई भी सरकार एक वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में सारी चीजों की जरूरत पूरी नहीं कर सकती।

271

(श्रीमती कमला)

इसलिए मैंने यह भी कहा फिर भी जितना हम एडवान्स्ड हैं वह हमारी दृष्टि से कम नहीं है। यह भी मैंने कहा है।

श्री सभापति : श्री मोहन छंगाणी।

श्री शोपत सिंह : अब आपको कितने वर्ष और चाहिये ठीक करने के लिए ?

श्रीमती कमला : यह तो रेगुलर प्रोसेस है।

श्री सभापति : श्री मोहन छंगाणी।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह कालवी : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने जो कहा है उसकी बात नहीं कहकर दूसरी कह रहा हूं। आज हमारे यहां पर कृषि लाभप्रद धन्धा नहीं रहा इसलिए खेती करने की बनिस्बत लोग पेड़ लगाने जा रहे हैं। कोई यूकेलिप्टस लगा रहा है, कोई सूबबूल लगा रहा है और यहां तक कि हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कोई कीकर लगा रहा है। इसका मतलब यह है कि खेती हमारे यहां पर लाभप्रद धन्धा नहीं रहा और खेती की जगह पेड़ लगाना लाभप्रद हो गया है। यह विभाग के सामने और सरकार के सामने यह राजस्थान के विकास के हित में सबसे बड़ा चेलेन्ज है उसको चेलेन्ज के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री मोहन छंगाणी।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है इसको आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि फूडग्रेन के मुकाबले में कमर्शियल क्राप उपयोगी होगी तो किसान बोयेगा। कमर्शियल क्राप के मुकाबले में भी प्लान्टेशन अगर ज्यादा लाभप्रद है तो कुछ एरिया के अन्दर वह भी बोयेगा। तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसान खेती से बिलकुल टूट गया है और खेती अब कर ही नहीं रहा और कोई व्यवस्था ही नहीं मिल रही है और सब कुछ सत्यानाश हो गया है। आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : हो जायेगा नहीं हुआ तो।

श्रीमती कमला : क्या हो जायेगा। आज तक नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा और आज तक आगे बढ़े हैं तो अब भी आगे बढ़ेंगे। आप बिलकुल निराश व्यक्ति की सी बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपने सवाल पूछ लिया उत्तर देंगे। श्री मोहन छंगाणी।

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय सभापति महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि खेती का सत्यानाश हो गया है लेकिन यह कहा है कि लोग खेती को छोड़कर दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खेती का लाभप्रद धन्धा नहीं रहा और इस खेती को लाभप्रद धन्धा बना करके हिन्दुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पेट भरने की व्यवस्था इस तरह की नीति सरकार को बनानी चाहिए।

272

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री कल्याणसिंह कालवी : और उस तरह की नीति और योजना की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए।

श्रीमती कमला : यह इस स्टेट में नहीं सारी दुनिया में ही खेती इतनी लाभप्रद नहीं है जितनी दूसरी चीजें है यह तो आप जानते है, इस स्टेट की थोड़ी बात है इट इज आल ओवर दी वर्ल्ड।

श्री सभापति : श्री मोहन छंगाणी।

श्री मोहन छंगाणी : सभापति महोदय, पहले तो मैं कमला बहिन को मन्त्री जी को धन्यवाद दूं कि उन्होंने किसान की बेटी की तरह जवाब दिया है यह सबसे अच्छी बात है जो भी प्राब्लम्ज हैं उनको बताना चाहिये, दूसरी बात है, बता देंगी, थोड़ा सा स्पष्ट पूछना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि, जो मन्त्री महोदया ने बताया फंगीसाइड के बारे में उसकी सात दिन के अन्दर अन्दर बोआई होनी चाहिये....

श्री सभापति : वह प्रश्न तो पूछ लिया जवाब आ गया उसका....

श्री मोहन छंगाणी : उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं उस फंगीसाइड अरगट की जो बीमारी होती है उसमें सायल और एयर ट्रीटमेंट होने जरूरी हैं। खाली सीड का ही ट्रीटमेंट ही जरूरी नहीं होता है सायल ट्रीटमेंट भी जरूरी है और एयर ट्रीटमेंट भी जरूरी है जब जाकर अरगट की बीमारी रुकती है क्या डिपार्टमेंट ने ऐसे कोई कदम उठाये हैं जो सात दिन की बुआई चार दिन के अन्दर करने के अलावा सायल और एयर ट्रीटमेंट का भी हो। दूसरा, सभापति महोदय मन्त्री महोदय ने जो बताया कि सोयाबीन और बैसाखी मूंग वगैरह यह डिपार्टमेंट का योगदान है। मैं सभापति महोदय, इसको मानने के लिए तैयार नही हूं 25 साल से बैसाखी मूंग और जगह चल रहे है सोयाबीन भी फेल हो गया, बैसाखी मूंग सिवाय बासवाड़ा और कुछ एरिया के अलावा कहीं चला नहीं इसलिये तिलहन और दाल में कोई भी हमारा बड़ा योगदान नही रहा इसके बारे में कोई बताने की कृपा करेंगे मन्त्री महोदया कि क्या क्या स्पेसिफिक योगदान रहा।

श्री सभापति : कृषि मन्त्री महोदय, कृपया जवाब दें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछना है।

श्री सभापति : हां पूछ लीजिए।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : श्री मोहन प्रकाश।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं दो तीन विषयों पर कृषि मन्त्री महोदया जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक तो ...

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री मोहन प्रकाश : कीटनाशक दवाइयां कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में संसद में

(श्री मोहन प्रकाश)

भी चर्चा हुई है कि उन देशों से आयात की जा रही है जहां पर कि वह बैन लगा दिया गया है और वह जो कीटनाशक दवाइयां हैं वह हमारी मिट्टी के लिए उपयोगी नहीं हैं। नं. दो, कि फसल बीमा की योजना की घोषणा बजट के प्रस्तावित भाषण में मुख्य मन्त्री जी ने की थी। लेकिन उसमें कोई स्पष्ट योजना नहीं है कि किस फसल पर कितना कैसे दिया जायेगा तो मैं यह जानकारी चाहता हूं जैसे हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी ने लागू की थी कि ओला पर, आग लगने से और सूखे पर और इस तरह से रोग लगने पर तीन सौ रुपया प्रति एकड़ न्यूनतम दिया जायेगा जो फसल बीमा वाले प्रश्न स्पष्ट कर दें। नं. 3, कि कृषि विश्व विद्यालय का सवाल उठा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह शिक्षा विभाग से सम्बन्धित हो सकता है, फिर भी संसद के अन्दर श्री बूटा सिंह जी ने यह घोषणा की कि अगर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय खोलना चाहता है तो केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में तीन बार घोषणा कर चुकी है और तीन बार घटाई में पड़ चुका है। हम यह चाहते हैं कि अलग से कृषि विश्वविद्यालय खुले और जब केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और आई.सी.आर. शत प्रतिशत उस पर अनुदान देती है तब कृषि मंत्री का यह कहना कि कृषि विश्वविद्यालय खुलना चाहिये यह चाहिए शब्द नहीं खुलेगा इस तरह का कुछ वह सदन आश्वासन को दें।

श्री सभापति : श्री भैरू लाल भारद्वाज।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मन्त्रीजी के कथानुसार और माननीय सदन के अनेक सदस्यों के कथानुसार यह बात सही है कि किसानों को कृषि जन्य वस्तुओं का मूल्य सही नहीं मिलता है। मौजूदा जो सरकार ने व्यवस्थायें की हैं। जैसे कृषि उपज मंडी की उससे कोई लाभ नहीं मिला है और जो क्रय-विक्रय संघ के जरिये खरीदने की बात सोची गई थी वह क्रियान्वित नहीं की जा रही है।....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए क्या सरकार कृषि जन्य वस्तुओं के भावों में और जीवनोपयोगी अन्य वस्तुयें जो कारखानों में पैदा होती हैं उन दोनों के बीच में कोई सामंजस्य बैठाने का इरादा रखती है। एक बात। ताकि उससे न महंगाई का फर्क रहे सगाई का रहे। अगर कारखाना की जीवन उपयोगी वस्तुयें ऊंचे भाव में जायेंगी तो उससे तारतम्य बिठाने से किसानों की चीजें ऊंचे भाव पर चली जायेगी अगर वह नीचे जायेंगी तो वह भी नीचे जायेंगी फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी।....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछें। भाषण नहीं दें।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : तो मैं एक तो यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या यह सरकार इस प्रकार का इरादा रखती है कि इस तरह का सामंजस्य बैठाने जा रही है? दूसरा

274

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

निवेदन करना चाहता हूं कि जो कृषि विश्व-विद्यालय के बारे में आम तौर पर कभी के बारे में चलता है और सब लोग महसूस करते हैं क्या जयपुर जिले का राजस्थान का सबसे पुराना कृषि का कालेज जोबनेर और खास तौर से दुर्गापुरा जैसा यह फार्म क्या सरकार भविष्य में यह इरादा रखती है कि जोबनेर या जयपुर के बीच में कोई विश्व-विद्यालय खोलेगी। एक तो यह पूछना चाहता हूं। एक और छोटी सी बात....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर....

एक माननीय सदस्य : ये एग्रो इण्डस्ट्रीज वाले चीनी कब तक बेचेंगे....

श्री भैरू लाल भारद्वाज : सुधरे हुए बीजों का काम देने का काम बीज निगम का यानि सरकार का हो गया तो क्या अब बीजों की खराबी के कारण कभी सरकार को नुकसान होगा तो क्या उस सरकार का सारी खेती का नुकसान बीज निगम के द्वारा सरकार देने का इरादा रखती है। यह तीन बातें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री नारायण राम बेड़ा।

श्री मोहन प्रकाश : एक प्रश्न।

श्री सभापति : आपने पूछ लिया। माननीय सदस्य आपने पूछ लिया।

श्री मोहन प्रकाश : यह एग्रो इण्डस्ट्रीज कब तक चीनी बेचेगी ? जैम जैली इस तरह की जो चीजें हैं जैसे और अन्य प्रदेशों में है हमारे टमाटर आठ आने का पांच किलो बिक जाता है।....

श्री सभापति : आपने पूछ लिया माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : और चार रुपये किलो में बिकता है। उसका भी कुछ करेंगे।

श्री सभापति : श्री नारायण राम बेड़ा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नारायण राम बेड़ा : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदया ने यह बताया कि खाद्यान्न में तेल में, तिलहन में और डेयरी में, पशुपालन में सब दृष्टि से बढ़ोतरी हुयी है मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसान की प्रतिव्यक्ति आय में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी हुई है।

श्री सभापति : कृषि मंत्री महोदया, कृपया जवाब दें।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय,....

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सभापति महोदय,

(व्यवधान)

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया। आप कृपया बैठें माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सब का ही जबाब दे देंगे। फिर नहीं तो बार बार देंगे उससे क्या फायदा। मैं तो एक बात पूछता हूं माननीय सभापति जी, जो 104 नं. का बाजरी बीज आया वह सरकार के उन आफिसरों ने और डीलर भी, क्योंकि उनको सरकार ले आतो है इसलिए डीलर भी ले आते हैं और फिर दवाई भी आयी तो मेरा यह माननीय मंत्री जी से कहना है कि जो कुछ अब कर दिया वह तो ठीक है परन्तु आगे यह आश्वासन देंगे कि जब तक वह बीज जो न तो डीलर लायेंगे न सरकार लायेगी। टैस्ट करके और सारी जानकारी करके फिर दूसरी स्टेट्स से खरीदेंगे। यह तो कम से कम आगे के लिए कर दें।

श्री सभापति : मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, बाजरे का ट्रीट किया हुआ बीज सात दिन से अगर ज्यादा निकल गये तो उपयोगी नहीं होगा इसका एक रेफरेंस माननीय विरोधी दल के नेता ने दिया है। मैंने भी इसके बारे में जानकारी की है। माननीय विरोधी दल के नेता महोदय को यही निवेदन करना चाहती हूं कि विभाग के और आई. सी. आर. के बीच में जो डिस-कशन हुये हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में जो ए गल्स पर बातचीत की गयी है उसके हिसाब से सात दिन की उसके अन्दर कोई पाबंदी नहीं है। उस ट्रीट किये हैं

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी गाईड लाइन्स में लिखा हुआ है—

श्रीमती कमला : उसी संदर्भ में कह रही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कागज मंगा कर देख लीजिए। प्लान प्रोटेक्शन...

श्रीमती कमला : आप यह कह रहे हैं तो मैं उसको बारे मामले को देखकर ही फिर कुछ कह सकती हूं क्योंकि आपके कहने के बाद में मैंने इस बात को कन्फर्म किया। उनका कहना यह है कि इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अगर इस तरह की कोई पाबंदी है

(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : मान्यवर मन्त्री महोदया। तीन दिन में उग जायेगा तीसरे दिन उगती है बजासे।

श्रीमती कमला : आप बीच में मत बोलिये। वह बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

भाई, बोल रहे हैं ना। आपसे आगे खड़े हुए बोल रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं तो नहीं समझेंगे क्या?

276

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विरोधी दल के नेता महोदय का जवाब दे रही हैं। आप कृपया शान्त रहें। वह जवाब दे रही हैं।

श्रीमती कमला : आप अकेले ही किसान नहीं हैं करोड़ों किसान पड़े हैं। इतने उतावले मत हो।

श्री सभापति : कृपया जवाब दें।

श्रीमती कमला : इसलिए विरोधी दल के नेता। महोदय मेरा इतना ही कहना है कि अगर इस तरह का लैटर है कि और उस लैटर के बावजूद भी अगर अभी इन्होंने मुझे यह कहा है कि कोई इस तरह की पाबन्दी नहीं लगायी है या बतायी है तो मैं इस मामले को देखकर के फिर बता सकूंगी। जहां तक इम्पुट्स पर सब्सिडी देने का माननीय सदस्य ने पूछा, जितनी सब्सिडी आज के दिन हम दे सकते हैं, दे रहे हैं उससे ज्यादा अभी सब्सिडी दिये जाने का अभी मेरी निगाह में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये मैं इस बारे मे कोई आपको आश्वासन नहीं दे सकती हूं।

जहां तक फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि आपका क्या योगदान है सोयाबीन की खेती के प्रसार में काफी योगदान है, जैसा उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहती हूं सीड पर हमने 200 रुपया पर क्विन्टल पर सब्सिडी दिया है। इसके अलावा जो इनसेक्टिसाइड्स हैं उस पर 100) रुपये हमने सब्सिडी दी है। इसके अलावा जो डिमोन्सट्रेशन है वह भी हमने जगह-जगह लगाये हैं और पिट्स दिये हैं मौके के ऊपर जिससे कि उसका उपयोग कर सकें तो जितना भी एक्सटेन्शन वर्क हैं और मदद करने का, एनकरेज करने का, इनसेन्टिव देने का काम है वह विभाग की तरफ से काफी कुछ किया गया है।

सभापति महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय पहले कृषि विश्वविद्यालय हो गया, फिर जनरल विश्वविद्यालय हो गया, फिर उसको कृषि विश्वविद्यालय किया गया फिर वहां की जनता ने जनरल विश्वविद्यालय कराया तो यह सारी घटनायें आपकी जानकारी में हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है अभी जब बातचीत हो रही थी तो उदयपुर से आने वाले मन्त्री महोदय का कहना था कि हम इस विश्वविद्यालय को इस हालत में रखने में इन्टरेस्टेड नहीं हैं। राजस्थान के किसी भी कोने में आप बना सकते हैं—

(व्यवधान)

जो बात हुई है, वह बता रही हूं....।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : अगर एक नया नहीं खोला जायगा तो फिर विवाद में पड़ जायगा विश्वविद्यालय।....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया सुनें, आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : इस विश्वविद्यालय का क्या नाम दिया जाय और क्या नाम नहीं दिया जाय यह बहुत ही डिसप्यूट का मामला हो जाता है। इस जगह रखना चाहिये, उस जगह रखना चाहिये, यहां से उठाना नहीं चाहिये इसलिये जब कभी राज्य के वित्तीय साधन प्रोवाइड कर सकेंगे, हमें नया विश्व-

(श्रीमती कमला)

विद्यालय बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आज जो सबसे बड़ी बाधा है विश्वविद्यालय बनाने में वह है उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए आज करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है। आई. सी. आर. के जो डी. डी. है मैंने उनसे खुद बात की थी जब यह महकमा मेरे पास में था तो उन्होंने कहा था कि आप इतने करोड़ रुपयों का इन्तजाम करवा दीजिये ताकि हम मान लेंगे कि आप विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं इसलिये वह भी काफी बड़ा खर्चा पहले एडवान्स में स्टेट के पास होना जरूरी है। जब हम जा करके इसको कर सकते हैं।

जहां तक माननीय सदस्यों ने, एक सदस्य ने यह भी कहा कि जो खेती की वस्तुएं हैं, उत्पादन है वह जब भाव कम होने लगे तो राज्य सरकार इसके लिये क्या करती है। आपको मालूम है जब भी जिन्स के भाव एक सीमा से नीचे जाने लगते हैं तो भारत सरकार की तरफ से जो समर्थन मूल्य कायम किया हुआ है वह राजस्थान सरकार भी लागू करती है और पहले के मुकाबले में काफी बढ़े हुए समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने कायम किये हुए हैं।

सरसों की खरीद के बारे में काफी कुछ यहां चर्चा हुई और बहुत कुछ सरकार को श्रोलमा मिला। उसके बावजूद मैं आज यह कहना चाहती हूं कि और राज्यों ने किसानों के हक में अपने खर्चे को बचाने के लिये कुछ भी नहीं खरीदा वहां राजस्थान सरकार ने लगभग 65 हजार से अधिक को सरसों खरीदी और लगभग 26-27 करोड़ रुपयों का भुगतान किसानों को करवाया है। इसमें किसान के हक में ही काम किया है और कुछ कर सकते थे और करने चाहिये थे, यह बात दूसरी है और कर सकते थे अगर भारत सरकार से पैसा मिलता लेकिन जितना किया है वह अकेले राजस्थान सरकार ने किया है और किसी भी भारत की सरकार ने किसान को मदद देने के लिये नहीं किया। इसलिये यह जो व्यवस्थायें आज की हुई है किसान को मदद करने के लिये, आगे बढ़ाने के लिये, खेती की तरक्की के लिये है लेकिन इतना बड़ा देश है इतनी बड़ी भौगोलिक इसकी कठिन परिस्थितियां हैं और इसको बढ़ाने की, और इतना काम करने की गुंजाइश है कि हमारी योजनाओं में अगर 5-7 योजनायें भी लगातार इसी काम में लगायें तो भी हम बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सामर्थवान हो पायें कि नहीं हो पायें यह भी आप जानते हैं। इसलिये सभी गांवों में, समाज सेवा के कामों में भी, शिक्षा के कामों में भी, बिजली के काम में, सभी काम प्रायोरिटी में कहीं न कहीं लगाने पड़ते हैं इसलिये एक ही आइटम पर सारा बजट प्रावधान या प्लान प्रावधान लगा दें, ऐसा राज्य को करना सम्भव भी नहीं है इसलिये सारी समस्यायें, सारी कमी, सारा आयोजन हम एक साल में, दस साल में, दो योजना में कर पायें यह आप खुद भी जानते हैं राजस्थान की जैसी भौगोलिक स्थिति है। इसलिये आप मांग को पारित करें।

मांग संख्या 37 का पारण

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं मांग को मतदान के लिये रखता हूं....

278

(अनेक मा. सदस्यों के एक साथ बोलने से अनवरत व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य.... आर्डर प्लीज। कृपया विराजें, मेरा अनुरोध है, कृपया सहयोग करें। कृपया सहयोग करें। कृपया....।

मैं मांग संख्या 37 को मतदान के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य....।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 47,85,41,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही 22 जुलाई, 1985 सोमवार को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9–37 बजे सोमवार दिनांक 22 जुलाई, 1985 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 398 की सूची

"परिशिष्ट–क"

माडा योजना के अन्तर्गत तहसील जमवारामगढ़ में ग्राम पंचायत वार स्वीकृति एवं पूर्ण निर्माण कार्य

क्रमसं.	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत कार्य				पूर्ण कार्य			
		कूप	प्रा. शाला	एनि- कट	माध्यम विद्या.	कूप	प्रा. शाला	एनि- कट	मा. विद्या.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बिलोट	3	–	1	1	1	–	1	1
2.	माथासुला	3	2	1	–	3	1	1	–
3.	भावली	3	1	1	–	3	–	1	–
4.	सानकोटड़ा	1	–	–	–	1	–	–	–
5.	थली	3	–	1	–	3	–	1	–
6.	नीमला	3	1	–	–	2	–	–	–
7.	डागरवाड़ा	1	–	–	–	1	–	–	–
8.	कुटोलाव	2	–	–	–	1	–	–	–
9.	भावंड़िया	2	–	1	–	2	–	1	–
10.	मानोता	5	2	1	–	2	1	–	–
11.	खरवाड़ा	4	1	–	–	1	–	–	–
12.	मंहुगी	1	1	–	–	–	1	–	–
13.	नेवर	3	–	–	–	1	–	–	–
14.	टोडामीणा	1	–	–	–	–	–	–	–
15.	इन्द्रगढ़	2	–	–	–	2	–	–	–
16.	सामपुरा	1	–	–	–	1	–	–	–

280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	नटाटा	1	–	–	–	1	–	–	–
18.	लांगडियाबास	2	2	–	–	2	1	–	–
19.	राहोरी	2	–	–	–	–	–	–	–
20.	धर्मपुरा	4	1	–	–	2	–	–	–
21.	लालवास	2	1	–	–	2	–	–	–
22.	बासना	1	–	–	–	–	–	–	–
23.	पाचड़	–	1	–	–	–	1	–	–
	योग:-	50	13	6	1	31	5	5	1

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

दूदू क्षेत्र में प्राथमिक शालायें

401. श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कितनी कितनी प्राथमिक शालायें कहां-कहां खोली जा चुकी हैं तथा अब कहां कितनी खोलना शेष हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र में अब किन-किन गांवों में प्राथमिक शालायें खोली जाने का प्रस्ताव है, तथा कब तक खोल दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) दूदू विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत प्राथमिक शालाओं की संख्या 134 है जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। ये सभी प्राथमिक शालायें खोली जा चुकी हैं। इनमें से अब कोई शाला खोला जाना शेष नहीं है।

(2) इस क्षेत्र में 31 प्राथमिक शालायें खोले जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। शिक्षा विभाग से नई पाठशालाओं को स्वीकृति प्राप्त होने पर ही शालायें खोले जाने की स्वीकृति दिये जाने पर इस विभाग द्वारा विचार किया जावेगा।

विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	क्र.सं.	विद्यालय का नाम
1	2	1	2
1.	प्रा. वि. दूदू	6.	,, उदयपुरिया
2.	प्रा. वि. भोजपुर	7.	,, नागरण
3.	प्रा. वि. छप्या	8.	,, पवालिया
4.	,, श्रीरामनगर.	9.	,, बिजोलाव
5.	,, गैजी	10.	,, बागेत

282

1	2	1	2
11.	प्रा वि. गुढासहायपुरा	38.	प्रा. वि. माल्यावास
12.	,, बासड़ा	39.	,, रैगर बस्ती काचरोदा
13.	,, पालूखुर्द	40.	,, मातेड़ा
14.	,, क. साबरदा	41.	,, हिरनोदा
15.	,, मोजमाबाद	42.	,, रोजड़ी
16.	,, भाग	43.	,, ढोण्डा
17.	,, डोगरा	44.	,, ढानी नरान
18.	,, घमाणा	45.	,, श्रीरामपुरा
19.	,, किशनपुरा	46.	,, मालेड़ा
20.	,, खटवाड़	47.	,, सांखड़ा
21.	,, मीरापुरा	48.	,, चैनपुरा
22.	,, रामपुरामूंटिया	49.	,, मोरसर
23.	,, महेशपुरा	50.	,, हनुकड़ा
24.	,, सवाईमाधोसिंहपुरा	51.	,, सोलावता
25.	,, डेडू	52.	,, मोरुदा
26.	,, खेड़ीसुवा	53.	,, पील्यावास
27.	,, क. सावली	54.	,, भरखोलड़
28.	,, गंगालीखुर्द	55.	,, कन्देबली
59.	,, फरियादपुरा	56.	,, गोपालपुरा
30.	,, काचरोदा	57.	,, रिणगी
31.	,, खेडीराम	58.	,, सिरोहीखुर्द
32.	,, ढीण्डा	59.	,, बिचून
33.	,, शार्दुलपुरा	60.	,, बोलमपुरा
34.	,, सूरसिंहपुरा	61.	,, कछवाकावास
35.	,, हरिपुरा	62.	,, कापड़ियावास खुर्द
36.	,, श्योसिंहपुरा	63.	,, कपड़ियावास कला
37.	,, भासिंहपुरा	64.	,, महेशवास

1	2	1	2
65.	प्रा. वि. कचनार	92.	प्रा. वि. दयालपुरा
66.	,, नयागांव	93.	,, गणेशपुरा
67.	,, गोपालपुरा	94.	,, नोरंगपुरा
68.	,, पानवास	95.	,, खेड़ीचारणान
69.	,, पालूकला	96.	,, मरवा
70.	,, बोराज	97.	,, प्रादरवा
71.	,, बोराज कन्या	98.	,, छाफरी
72.	,, देवला	99.	,, सीतारामपुरा
73.	,, सुरपुरा	100.	,, नागल
74.	,, कोटेश्वर	101.	,, सरथला
75.	,, चाडिया	102.	,, मोरथहा
76.	,, रेल्वे स्टे. प्रासलपुर	103.	,, पानवांकला
77.	,, कन्या उग्रास	104.	,, साली
78.	,, गुढा बेरवल	105.	,, चोरं
79.	,, झरना	106.	,, जड़ावता
80.	,, केसरीसिंहपुरा	107.	,, पीगून
81.	,, नासनोता	108.	,, लदेरा
82.	,, गिरधारीपुरा	109.	,, सिरोहीकला
83.	,, लापोडिया	110.	,, सांखून
84.	,, सिनोदिया	111.	,, हटुपुरा
85.	,, कचनारिया	112.	,, बीगसेलाव
86.	,, नमरी	113.	,, नीमली
87.	,, ईटाखोई	114.	,, नयागांव
88.	,, रहलाना	115.	,, स्योपुरा
89.	,, छापरवाड़ा	116.	,, केरियाबुर्जद
90.	,, कन्या मेवा	117.	,, बोकड़ावास
91.	,, रसीली	118.	,, जेकमपुरा
		119.	,, मीरावता

284

1	2	1	2
120.	प्रा. वि. देवपुरा	128.	प्रा. वि. मानसिंहपुरा
121.	,, कल्याणपुरा	129.	,, कन्या मरवा
122.	,, सीतारामपुरा	130.	,, काकड़वाली ढाणी
123.	,, माजीपुरा	131.	,, कन्या खुडियाला
124.	,, जावली	132.	,, रेबारियों की ढाणी
125.	,, बेनीखेड़ा	133.	,, कन्या देवास
126.	,, केरियाखुर्द	134.	,, मधुपुरा
127.	,, श्रीनिवासपुरा		

खोले जाने वाले शेष प्राथमिक शालाओं की प्रस्तावित सूची

क्र. सं. 1	पंचायत का नाम 2	गांव का नाम 3
1.	दांतरी	बानडी
2.	बिचून	बासेड़ा
3.	,,	कारिया
4.	रोजड़ी	ढाणी नेटवाल
5.	,,	पूरा का बास
6.	बोबास	बामनिया बास
7.	,,	बस्ती भायडा
8.	,,	गुढा कुमावतान
9.	ममाना	खेड़ा

1	2	3
10.	ग्राम दानी ग्राम	खेड़ी मलूका
11.	दातरी	किता
12.	ग्राम दानी ग्राम	ढाकावाला उर्फ सरदारपुरा
13.	साली	खाजपुरा
14.	शार्दुलपुरा	भावसा
15.	श्रीरामपुरा	कोठेड़ा
16.	हुवसपुरा	सिगला
17.	,,	दाबड़ी
18.	,,	कात्यां
19.	कोरमोणा	गोविन्दपुरा
20.	श्रीरामपुरा	मंडवी
21.	सीधी	डोगरी
22.	,,	श्रीरामपुरा
23.	,,	रेटी
24.	गाडोता	गाबोती
25.	हुरसोली	चरामडा
26.	,,	गोपीपुरा
27.	रहलाना	महून गांव
28.	साली	सुर्री
29.	लवा	पूगीथला
30.	,,	बालापुरा
31.	शार्दुलपुरा	बाघपुरा

बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सामान की अनियमित खरीद

402 श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ जिला अलवर, में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मार्च, 1983 में उपभोक्ता भण्डार अलवर से गुड एवं चना खरीदा गया था ? यदि हां, तो कितना किस भाव तथा उपभोक्ता भण्डार अलवर को खरीदी गई सामग्री का कितना भुगतान कब और कैसे किया गया ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा खरीदी गई सामग्री का भुगतान करने के बाद भी फरवरी, 1984 तक विभाग को सामग्री प्राप्त नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा खरीद की गई सामग्री में अनियमितताएं पाये जाने पर फरवरी, 1984 में आडिट पार्टी समाज कल्याण विभाग द्वारा अपनी टिप्पणी में बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजगढ़ को दोषी मानकर राशि ब्याज सहित वसूल करने को कहा ? यदि हां, तो कृपया निम्न जानकारी सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

1. अधिकारी का नाम व पता
2. आडिट द्वारा आरोपों का विवरण,
3. आडिट द्वारा निर्देशित राशि वसूल करने का विवरण।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट अ)

(2) जी हां। सामग्री की दरें बढ़ जाने के कारण भण्डार बढ़ी दर पर सप्लाई करना चाहता था जबकि विभाग का कहना था कि भुगतान के समय की दरों पर सप्लाई किया जाय इस विवाद में विलम्ब हुआ।

(3) जी नहीं। आडिट पार्टी ने केवल रकम अवरूद्ध होने की अवधि के लिये राशि के ब्याज की वसूली के लिए कहा था। वांछित जानकारी सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट ब)

परिशिष्ट—'अ

बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजगढ़ द्वारा खरीदी गयी सामग्री का तथा उनके भुगतान का विवरण।

क्र. सं.	नाम सामग्री	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशि	भण्डार द्वारा भुगतान प्राप्त करने का दिनांक	भुगतान का माध्यम
1.	चना	200 क्विंटल	263/- रु. प्रति क्विंटल	76100/-	10-6-83	डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा
2.	गुड़	100 ,,	235/- रु. प्रति क्विंटल			

(8)

परिशिष्ट—'ब'

1. अधिकारी का नाम पता

(1) श्री टी. एन. जोशी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजगढ़।

2. आडिट द्वारा आरोपों का विवरण

(1) जांच के दौरान पाया गया कि उक्त राशि का भुगतान उक्त वर्णित डी. डी. के द्वारा 10-6-83 को दिया गया एवं दिनांक 29-2-84 तक भी सामग्री उपभोक्ता भण्डार से नहीं प्राप्त की गई।

288

(2) बाल विकास परियोजना अधिकारी से की गई वार्ता पर बताया गया कि दरें ऊंची होने के कारण सामग्री नहीं उठाई गई। उपभोक्ता भण्डार ने अपने प्रफोर्मा इनवइसेव पर स्पष्ट अंकित कर दिया था कि उक्त दरें 31-3-83 तक ही लागू रहेंगी। दिनांक 10-6-83 तक (क्योंकि पत्र व्यवहार के अनुसार उपभोक्ता भण्डार को भुगतान 10-6-83 को ही प्राप्त हुआ था, जबकि कार्यालय की रोकड़ पंजिका के अनुसार भुगतान 6-4-83 को ही बताया जा चुका था) दरों की बढ़ोतरी के संबंध में बिना निश्चित किये एवं बिना सामग्री उठाये ही बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया।

(3) जांच के दौरान उपलब्ध पत्र व्यवहार अवलोकन करने पर पाया गया कि इस राशि को अनावश्यक अवरूद्ध करने की जिम्मेदारी परियोजना अधिकारी पर ही आती है। बिना सामग्री उठाये भुगतान क्यों किया गया। लगभग 11 माह की अवधि सरकारी राशि रुपये 76,100 उपभोक्ता भण्डार, अलवर में ब्लोक रही।

(4) पूर्व वित्तीय वर्ष 82-83 में पोषाहार मद में राशि रुपये 76,100 का बिल पोषाहार क्रय बिना ही बजट को बुक बताया गया है, जो बजट एवं वित्तीय नियमों की स्पष्ट अवहेलना है।

(3) आडिट द्वारा निर्देशित राशि वसूल करने का विवरण

कार्यरत परियोजना अधिकारी (श्री टी. एन. जोशी) ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 7,10 एवं 218 की स्पष्ट अवहेलना की है तथा उक्त नियमों के नियम 23 के अन्तर्गत राज्य सरकार को उक्त राशि के अवरूद्ध के कारण होने वाली हानि की ब्याज राशि रुपये 8241 (13 प्रतिशत वार्षिक दण्डनीय) के लिये व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार है। तथा अवरूद्ध राशि के पूर्णतया निर्णत नहीं होने तक की दिनांक के लिये 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज और जोड़ा जाकर वसूल किया जावे। उपभोक्ता भण्डार से उक्त राशि प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे। निदेशक महोदय से निवेदन है कि इस संबन्ध में प्रशासनिक स्तर से वांछित कार्यवाही करावे।

जयनारायण व्यास नगर, बीकानेर में मकानों का निर्माण

403. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा हुडको की सहायता से मध्यम आय वर्ग के लिये जयनारायण व्यास नगर बीकानेर में बनाये गये 1100 मकानों में घटिया किस्म का मेटेरियल लगाया गया है ?

(2) क्या इन मकानों के दरवाजे एवं खिड़कियों में पैकिंग के काम में आने वाली लकड़ी का उपयोग किया गया है, पट्टियों की मोटाई भी जो शिड्यूल के अनुरूप नहीं रखी गयी है, कमरों की ऊंचाई तयशुदा स्पेसीफिकेशन से कम रखी गई तथा फर्श व छतों पर घटिया मेटेरियल डाला गया है ?

(3) क्या आवंटियों द्वारा बार-बार इस ओर ध्यान दिलाने के बावजूद इस मामले में कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई ? क्या सरकार इस मामले की जांच का इरादा रखती है ?

(4) अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के इन मकानों के लिये आवश्यक सुविधायें, जैसे पक्की सड़कें और गटर लाइन की व्यवस्था नगर विकास न्यास द्वारा आज तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या नगर विकास न्यास, बीकानेर आवंटियों से बिना मकान का कब्जा दिये पिछले डेढ़ वर्ष से मासिक किश्तें वसूल कर रहा है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं, व कब्जे आज तक क्यों नहीं दिये गये ?

(6) क्या मकानों की घटिया किस्म अथवा मकानों में किसी प्रकार की कमी के कारण आवंटियों द्वारा कब्जा नहीं लिया जा रहा है ?

(7) क्या न्यास द्वारा गठित मकानों की निरीक्षण कमेटी ने मकानों की जांच कर जो 14 कमियां उक्त मकानों में बताई थी उस पर न्यास अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) आवंटियों द्वारा इस संबंध में रिप्रेजेन्टेशन देने पर एवं मौका निरीक्षण करके निर्माण कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करते हुये माइनर डिफेक्टस को दूर किया गया एवं किये कार्य के अनुकूल ही न्यास द्वारा नियमानुसार भुगतान किया गया ।

(4) इन मकानों के लिये आवश्यक सुविधायें जैसे सड़क, पानी-बिजली की लाइन आदि उपलब्ध करवादी गयी है। सड़क फिलहाल डब्ल्यू. बी. एम. बनी हुई है व ग्रिट भी मौके पर डाली जा चुकी है। न्यास को डामर उपलब्ध होते ही सड़क पर डामर का कार्य करवा दिया जावेगा । इस योजना में कुओं (सोकेज वेल) का ही शुरू से प्रावधान था जो बना दिये गये थे । अतः गटर लाइन की आवश्यकता नहीं है ।

(नगरीय विकास मंत्री)

(5) नगर विकास न्यास नियमानुसार आवंटियों से त्रैमासिक किश्तें वसूल कर रहा है। कब्जा लेने के नोटिस पूर्व में आवंटियों को दे दिये गये थे व 100 में से 74 व्यक्तियों ने कब्जे ले भी लिये हैं व रहना शुरू कर दिया है।

(6) जी नहीं।

(7) न्यास द्वारा गठित निरीक्षण कमेटी (निर्माण कमेटी) द्वारा मकानों की जांच कर पूर्व में कुछ कमियां बतायी गयी थीं तत्पश्चात् माइनर डिफैक्टस दूर कर दिये थे। पुनः निरीक्षण कमेटी द्वारा मकान देखे गये उसके बाद ही कमेटी की राय के अनुसार कार्यवाही की गयी। अन्तिम भुगतान नियमानुसार किया गया।

गोखरू की खरीद

404. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) :

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर के आदेश संख्या 2/761-65 दिनांक 17-12-1984 द्वारा नन्द किशोर शर्मा एण्ड कम्पनी को गोखरू बड़ा सप्लाई करने का आर्डर दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 31-1-85 को उक्त फर्म ने 71 बोरी गोखरू बड़ा रसायन शाला अजमेर को सप्लाई कर दिया ? यदि हां, तो कितनी लागत का कितना, और किस रेट का ?

(3) दिनांक 11-2-1985 को इस माल को वापस करने के लिये रसायन शाला अजमेर में जो लोकल परचेज कमेटी की बैठक हुई, उसने इस माल को किन कारणों से स्वीकार नहीं किया ?

(4) क्या यह सही है कि पुनः दिनांक 22-3-1985 को हुई लोकल परचेज कमेटी की बैठक में उक्त 71 बोरी गोखरू में से 64 बोरी गोखरू स्वीकार कर लिया गया ? यदि हां, तो किन नियम एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। 25,056.00 रुपये का 1600 किलो दर 14.50 प्रति किलो (बिक्री कर अतिरिक्त)

(3) दिनांक 11-2-1985 को स्थानीय क्रय समिति ने 71 बोरी में से 4-5 बोरियों का ही नमूना लिया। जिन बोरियों में से नमूना लिया गया उनका माल विभागीय नमूने के अनुसार नहीं होने, माल पतला छोटा और गुना (घुला) हुआ होने से स्वीकार नहीं किया गया।

(4) जी हां। दिनांक 11-2-1985 के निर्णय के विरुद्ध व्यापारी ने निदेशक, आयुर्वेद को यह प्रतिवेदन दिया कि समिति द्वारा समयाभाव के कारण कुछ बोरियां देखकर ही समस्त माल अस्वीकार कर दिया

(आयुर्वेद मंत्री)

हैं अतः शेष बोरियों का भी स्थानीय क्रय समिति द्वारा परीक्षण किया जावे। जिस पर निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर ने व्यवस्थापक रसायनशाला, अजमेर को लिखा कि यदि समयाभाव के कारण सम्पूर्ण माल का परीक्षण नहीं किया हो तो समिति के समक्ष इस तथ्य को विचारार्थ रखा जाये। अतः यह प्रकरण दिनांक 22-3-85 को पुनः स्थानीय क्रय समिति के समक्ष रखा गया। क्रय समिति द्वारा सभी बोरियों का पुनः परीक्षण किया गया। जिसमें 64 बोरियां विभागीय नमूने के अनुसार पायी जाने पर स्वीकार की गयी तथा शेष 7 बोरी।

गोखरू नमूने के अनुसार नहीं होने से अस्वीकार की गयी।

स्थानीय क्रय समिति व्यापारी द्वारा सप्लाई किये गये माल को विभागीय नमूने के अनुसार पाये जाने पर ही स्वीकार करती है। अतः 71 बोरी में से 64 बोरी गोखरू नमूने के अनुसार होने से स्वीकार की गयी।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रुप सचिव की नियुक्ति

405. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 3 ग्राम पंचायतों पर एक ग्रुप सचिव की नियुक्ति है?

(2) क्या यह भी सही है कि हर तीन ग्राम पंचायतों पर एक कृषि विस्तार कार्यकर्ता की कृषि विभाग की तरफ से नियुक्ति है?

(3) कार्य को देखते हुए क्या सरकार ग्रुप सचिव एवं कृषि विस्तार कार्यकर्ता को मिलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव की नियुक्ति करने का विचार रखती है? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस समय ग्रुप सचिव का कोई भी पद नहीं है। पंचायत के सचिव का कार्य ग्राम सेवक पदेन पंचायत सचिव कर रहे हैं। जैसलमेर जिले की हर पंचायत के लिये एक ग्राम सेवक पदेन सचिव का पद है। अन्य जिलों में 4,000 से अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायत में एक तथा 4000 से कम जनसंख्या की दो पंचायतों में एक ग्राम सेवक पदेन सचिव का पद है।

(2) जी नहीं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से नहीं बल्कि कृषि विभाग से कृषि विस्तार कार्यकर्ता के पद स्वीकृत हैं।

(3) जी नहीं। कृषि विस्तार कार्यकर्ता के पद विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत हैं जिन्हें अन्य कार्यों के लिये नहीं मिलाया जा सकता।

महुआ और रतन जोत के विक्रय से हानि

406. श्री देवेन्द्र कुमार कटारा (गढ़ी) :

श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

292

(श्री कुबेर सिंह)

(1) क्या यह सत्य है कि जनजाति निगम बारां, क्षेत्र का महुआ दिनांक 7-11-1985 को विक्रय समिति द्वारा 181.25 रु. प्रति क्विंटल की दर से विक्रय किया गया ? जिसे 5-3-1983 को निगम के प्रबन्धक, वित्त ने 15 प्रतिशत कम पर पार्टी को माल तुला दिया ? जिससे निगम को 22.587 रुपये की हानी हुई ?

(2) क्या यह सत्य है कि जनजाति निगम के लघु वन उपज विक्रय समिति ने दिनांक 7-11-1982 को रतन जोत 248/– रुपये प्रति क्विंटल से नीलाम किया, जिसे दिनांक 18-11-1983 तक माल नहीं उठाने के कारण, सौदा निरस्त कर देने से आगामी नीलाम दिनांक 7-12-1983 को 305/– प्रति क्विटल में विक्रय होने के उपरान्त भी जब दिनांक 27-12-1983 को बाजार मूल्य 325/– प्रति क्विंटल थे, तब उपज 248/– रु. प्रति क्विंटल में विक्रय कर निगम को 27,875/– की क्षति पहुंचाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विक्रय समिति द्वारा दिनांक 7-11-82 को महुआ 181.25 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से विक्रय किया गया। नीचे बचा हुआ कुछ माल नमूने से निम्न स्तर का होने से प्रबन्धक वित्त, जो उस समय प्रबन्धक वन का कार्य कर रहे थे, द्वारा प्रबन्ध निदेशक से अनुमती होने की शर्त पर 15 प्रतिशत कम मूल्य पर तुलवाया गया। परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया तथा पार्टी की रोकी गई राशि से 15 प्रतिशत अस्थाई छूट की राशि वसूल करली गई। इस सौदे में राजस संघ को हानि नहीं हुई।

(2) जनजाति निगम की लघु वन उपज विक्रय समिति ने दिनांक 7-11-82 को रुपये 248/– प्रति क्विन्टल की दर से रतनजोत नीलाम नहीं की। लेकिन दिनांक 7-11-83 को उदयपुर में रतनजोत 248/– प्रति क्विन्टल से नीलाम किया गया था। पार्टी द्वारा धरोहर राशि दिनांक 11-11-83 तक जमा करानी थी 18-11-83 तक नगद भुगतान कर माल उदयपुर से उठाना था। न तो पार्टी द्वारा निर्धारित धरोहर राशि समय पर जमा कराई गई और न ही उस अवधि तक मुख्यालय पर पार्टी को देने के लिए उदयपुर में पूरा माल उपलब्ध था। वन/राजस्व विभाग द्वारा ट्रांजिट पास जारी नहीं करने के कारण माल क्षेत्र से उदयपुर तक लाने में विलम्ब हुआ। उपरोक्त परिस्थितियों में सौदा निरस्त नहीं किया गया। पार्टी को अनुबन्ध के अनुसार 891 क्विन्टल माल दिया जाना था लेकिन 455 क्विन्टल ही माल दिया गया, क्योंकि अप्रेल, 84 तक इतना ही माल उदयपुर में लाया जा सका दिनांक 7-12-1983 को बांसवाड़ा क्षेत्र में एकत्रित रतनजोत की नीलामी का मूल्य 305 रुपये प्रति क्विन्टल आया। उपरोक्त दोनों सौदे अलग अलग थे। अतः एक सौदे के मूल्य के आधार पर दूसरे सौदे पर 27,875 रुपये की हानि का आंकलन करना उचित नहीं है।

27 दिसम्बर, 83 को राजस संघ द्वारा रतनजोत का कोई विक्रय नहीं किया गया,

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

अतः उस दिन के बाजार भाव की सूचना रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री की खरीद में अनियमितता

407. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) :

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय में स्टेशनरी खरीदने के लिये क्या वर्ष मे एक बार ही टेन्डर आमंत्रित किये जाते है ? यदि हां, तो उसके पश्चात् स्टेशनरी की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाती है ?

(2) सन् 1984 85 में मुद्रणालय ने कब टेन्डर आमन्त्रित किये कब स्वीकृत किये एव उसके तहत प्रथम खरीद के कब एवं किस फर्म को आदेश दिये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री की अनियमित एवं अतिरिक्त 30 लाख रुपये की खरीद माह मार्च 1985 में प्रतिबन्ध होते पर भी की गई ? यदि हां, तो किन वस्तुओं की एवं किन फर्मों से ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें। इसकी जांच कराई गई है. या नहीं ? यदि जांच पूर्ण हो गई है, तो विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि 28 फरवरी, 1985 को डिस्पेच रजिस्टर में नम्बर लगाकर खाली छोड दिया गया ताकि मार्च में दिये जाने वाले सामग्री क्रय आदेशों को पुरानी तारीखों में दिखाया जा सके ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) भण्डार राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर मे स्टेशनरी क्रय करने के लिये वर्षों में सामान्यतः एक ही बार अनुमोदित मांग एवं निर्धारित बजट को दृष्टिगत रखते हुये निविदा आमंत्रित किये जाते है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा गठित लेखन सामग्री क्रय समिति द्वारा सामग्रियों का चयन कर उनकी दरों का अनुमोदन किया जाता है। यदि वर्ष के दौरान इन सामग्रियों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है साथ ही आवंटित बजट राशि में प्रावधान रहता है तो उसको दृष्टिगत रखते हुये वार्षिक निविदा के अन्तर्गत अनुमोदित फार्मों के पक्ष में पूरक आदेश जारी कर आपूर्ति कर ली जाती है।

(2) वित्तीय वर्ष 84-85 के लिये लेखन सामग्रियों क्रय करने हेतु नियमानुसार दिनांक 18-2-84 को निविदा सूचना पत्र जारी कर निविदा आमंत्रित की गई जिनकी प्राप्ति तिथि दिनांक 19-4-84 को निर्धारित की गई। इन निविदाओं की समिति द्वारा विस्तृत जांच किये जाने के पश्चात् सामग्रियों के चयन संबंधी प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिये दिनांक 2-7-84, 3-7-84, 12-7-84 व दिनांक 19-10-84 को लेखन सामग्री क्रय समिति की बैठक में सम्पन्न हुई। समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुपालन में विभाग द्वारा स्वीकृति पत्र जारी कर अनुमोदित फर्मों को एग्रीमेन्ट करने के पश्चात् क्रयादेश दिनांक 20-7-84 से 7-12-84 के मध्य जारी किये गये। इन सामग्रीयों के लिये कब एव किस फर्म को आदेश जारी किये गये की सूची सलग्न है।

(3) जी नहीं। अत: जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां। ये नम्बर मात्र भूल से खाली रह गये और भी खाली है। अत: पुरानी तारीखों में क्रय आदेश दिखाने या किसी को दोषी करार देने का प्रश्न नहीं उठता है।

294

वार्षिक निविदा के अन्तर्गत सामग्रियों के लिये कब एवं किस फर्म को आदेश जारी किये गये ।

क्र. सं.	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	क्रयादेश की तिथि
1	2	3	4
1.	मै. आनन्द बैग कम्पनी, जयपुर	क्लाथ आलय बैक्स	20-7-84
2.	मै. अश्वनि एन्टर प्राइजेज, जयपुर	टैग्स	,,
		लैऐज	,,
		फाइल पैड	,,
		फाइल फलैप्स	,,
3.	मै. नेशनल कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज, जयपुर	डुप्लीकेटिंग इंक श्योरी	,,
		,, ,, गैस्टेटनर	,,
4.	मै. शिवे इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, जयपुर	स्टाम्प पैड इंक	25-7-84
		पैन इंक 500 एम. एल.	,,
		पैन इंक 60 एम. एल.	,,
5.	मै. जे. एन. एण्ड कम्पनी, जयपुर	पेन्सिल कार्विग	28-7-84
		बोडकिन्स	,,
		एडेसिव पाउडर	,,
		पेन्सिल शार्टहैण्ड	,,
		स्टेपलर मशीन	,,
6.	मै. आर. के. इण्डस्ट्रीज, जयपुर	स्टाम्प पैड मिडियम	,,
		क्लाथ पेस्ट 700 एम. एल.	,,
		,, 5 ग्रोस	,,
7.	मै. महेश स्टेशनरी मै. क., जयपुर	एनवलप 18 × 12	,,
		एनवलप सफेद 18 × 12 से. मी	,,

1	2	3	4
		पिनकुशन	28-7-84
		पैन ट्रे	,,
8.	मै. अशोका उद्योग, जयपुर	पिन्स 2.5 से.मी.	,,
		पिन्स 3 से.मी	,,
9,	मै. पेपर ट्रेडर्स, जयपुर	स्टेप्लर पिन्स	30-7-84
		पैन सुपिरियर	,,
10.	मै. एज्यूकेशनल इक्वीपमेंट एण्ड एप्लाइसेज जयपुर	एनवलप सफेद 15×11.6 सी.एम.	,,
11.	मै. प्रदीप ट्रेडिंग कं., जयपुर	फूट रूल	,,
		स्टेंसिल पैन	,,
		पेपर बैग ग्रायरन	,,
12.	मै. विकास सेल्स कारपोरेशन, जयपुर	क्लिप बोर्ड	,,
		कालबैल साधारण	,,
		पैन सुपिरियर	,,
13.	मै. प्रीमायर ट्रेड एजेन्सीज बम्बई	सिगनेचर प्लेट	3-8-84
		पेन्सिल रबड़	,,
14.	मै. खण्डेलवाल उद्योग, जयपुर	जैम क्लिप	7-8-84
15.	मै. आर. के. इण्डस्ट्रीज, जयपुर	स्टाम्प पैड स्माल	,,
		टाइप ग्रायल कुबरिकेटिंग	,,
16.	मै. एस के. कारपोरेशन, जयपुर	ब्लार्टर	8-8-84
		पैन मीडियम	,,
17.	मै. देहली पेपर प्राडक्ट देहली	पेन्सिल कार्बन 18×22	,,
		टाइप कार्बन छोटे	,,
		टाइप कार्बन बड़े	,,
18	मै. जे. एन. एण्ड कम्पनी, जयपुर	पैन नाईफ	9-8-84
		पेन्सिल काली	,,
		पेन्सिल लाल नीली	,,

296

1	2	3	4
		टाइप ब्रुश	9-8-84
		सीजर	,,
		एडेसिव टेप	,,
19.	मै. कोरस इण्डिया, बम्बई	स्टेन्सिल पेपर	,,
		टाइप रबड़	,,
20.	मै- भारत कार्बन एण्ड रिबन, देहली	स्टेन्सिल पेपर	,,
21.	मै. सुदर्शन केमिकल इण्डस्ट्रीज, गंगानगर	पेन्सिल शार्ट हैण्ड	17-8-84
22.	मै. महेश स्टेशनरी मै कं., जयपुर	काल बैल सुपिरियर	,,
		पंच टू होल	,,
23.	मै. जैन इण्डस्ट्रीज जयपुर	एनवलप सफेद 12 × 10 से.मी.	,,
		शार्ट हैण्ड नोट बुक	,,
24.	मै. एज्युकेशनल इक्वीपमेंट एण्ड एम्पलाइसेज, जयपुर	क्राफ्ट पेपर एनवलप 9 4	21 8-84
		,, ,, ,, 11 5	,,
		,, ,, ,, 5 4	,,
25.	मै. महेश स्टेशनरी मै. कं., जयपुर	क्राफ्ट पेपर एनवलप 18 × 12	,,
26.	मै. गोयल ब्रादर्स, जयपुर	मैजरिंग टेप 30 मीटर	11-9-84
		,, 15 ,,	,,
		,, 2 ,,	,,
27.	मै. देहली प्रोजेक्ट, देहली	टाइपरिबन	9-10-84
28.	मै. प्रदीप ट्रेडिंग कम्पनी	करेक्टिंग फ्लूड	15-11-84
		वाटर कलर	,,
		पोस्टर कलर	,,
		ग्रीस प्रूफ पेपर	,,

297

1	2	3	4
29.	मै. के. एल. एण्ड कम्पनी, जयपुर	ट्रेसिंग पेपर	17-11-84
		अमोनिया लिकर	"
		बोर्ड पिन्स	"
30.	मै. विक्रम सेल्स कारपोरेशन, जयपुर	पेन्सिल ड्राइंग	"
		पेन्सिल कलर्ड सैट	"
		ड्राइंग पेपर	"
31.	मै. महेश स्टेशनरी मै. कं., जयपुर	ड्राइंग इंक	"
32.	मै. पेपर ट्रेडर्स, जयपुर	कोम्बिवल पेन सैट	"
33.	मै. शिवनारायण रामप्रताप, जयपुर	सैक्शनल ड्राइंग पेपर	"
34.	मै. एस. के. कारपोरेशन, जयपुर	अमोनिया लीकर	"
		सैट एक्वायर	"
		प्रार्चीटक्चल स्केल	"
35.	मै बोम्बे ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई	पेन्सिल ड्राइंग	4-12-84
36.	मै. देहली पेपर प्रोडक्ट, देहली	पेपर कार्बन 16 26	5-12-84
		कार्बन डबल साईडेड	"
37.	मै. हलेश्वर एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली	अमोनिया पेपर	7-12-84
38.	मै. प्राग्रेसिव पेपर प्रोसेसिंग, दिल्ली	फैरो पेपर रोल	"
39.	मै. श्रीराम एण्टर प्राइजेज, जयपुर	पेन्सिल,शापनर	8-8-84
		पिन कुशन	"
40.	मै. राजस्थान वैक्स प्रोडक्ट, जयपुर	मोमबत्ती	28-7-84
41.	मै. प्रीमियर ट्रेड एजेन्सीज, बम्बई	ड्राइंग निब	17-11-84

प्रतापगढ़ (अलवर) में परिवार नियोजन प्रक्रिया में महिला की मृत्यु

408. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 21-5-1985 को प्रतापगढ़ जिला अलवर में परिवार नियोजन की गई महिला परभाती पत्नी प्रभुदयाल निवासी मुलाबा गुवाड़ा (अजबगढ़) की मृत्यु चिकित्सा प्रभारी की लापरवाही के कारण हुई? यदि नहीं, तो मृत्यु का क्या कारण है?

(2) यदि हां, तो सम्बन्धित चिकित्सा प्रभारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं, रोगी की मृत्यु दिनांक 10-6-85 को सेरीब्रल हेमरेज (मष्तिष्क में रक्त स्राव एव बेहोशी) के कारण हुई है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

इन्दिरा गांधी नहर के श्रमिकों को विश्व खाद्य कार्यक्रम से सुविधायें

409. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर के श्रमिकों को विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सहयोग के लिए क्या राजस्थान सरकार एवं विश्व खाद्य संस्था में कोई समझौता हुआ है? यदि हां, तो कृपया समझौते की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) 1985 के अन्त तक विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत कितना गेहूं, दूध, दालें एवं तेल इन श्रमिकों के लिए राज्य सरकार को देना था, एवं इस कार्यक्रम के तहत कितने श्रमिकों को प्रतिदिन कितना सामान आवंटित करने का प्रावधान है?

(3) क्या राज्य सरकार को हजारों श्रमिकों द्वारा राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो राशन कार्ड नहीं बनने के कारण इन श्रमिकों को मिलने वाली राहत कहां जा रही है?

(4) मुफ्त राशन के गेहूं का सरकार श्रमिकों से कितना पैसा वसूल करती है, एवं इस कल्याण कोष से कितना पैसा प्राप्त हुआ है? इस कल्याण कोष का क्या उपयोग निर्धारित किया गया था, एवं कैसे उपयोग किया गया है?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार एव विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच तीन अनुबन्ध अवधि 10/68 से 9/73, 12/75 से 5/79 एवं 8/80 से 12/85 के लिये सम्पन्न हुए। इन समझौतों के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर कार्यरत श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को प्रचलित बाजार दर से लगभग 50 प्रतिशत की दर पर विभिन्न देशों द्वारा बिना कीमत के दिये गये खाद्य पदार्थों गेहूं, तेल, दूध, चूर्ण एव दाल देने का प्रावधान है। वर्तमान अनुबन्ध की प्रति संलग्न है।

(इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री)

(2) वर्तमान अनुबन्ध के अनुसार 8/80 से 12/85 तक प्राप्त होने वाले वास्तविक प्राप्त हुए, व श्रमिकों को 30-4-85 तक वितरित किये गये खाद्य पदार्थों की सूचना संलग्न है। अनुबन्ध के अनुसार 30,000 श्रमिकों व इससे दुगने उनके आश्रितों यानि कुल 90,000 व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति व प्रतिदिन निम्न प्रकार खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है—गेहूं 400 ग्राम, तेल 30 ग्राम, दुग्ध चूर्ण 15 ग्राम, दाल 30 ग्राम, दुग्ध चूर्ण मार्च, 85 से आवश्यकता नहीं होने के कारण बन्द कर दिया गया है।

(3) श्रमिकों की संख्या व उनका कार्य स्थान स्थिर नहीं होने के कारण कुछ ऐसी शिकायतें पहिले प्राप्त हुई थीं, जो अब नहीं रही हैं। पहिले श्रमिकों के राशन कार्ड कहीं कहीं नहीं बनने के कारण खाद्य पदार्थों की बिक्री कुछ कम हुई।

(4) सरकार श्रमिकों को प्रचलित बाजार दर से लगभग 50 प्रतिशत की दर पर पैसा वसूल करती है जो वर्तमान में निम्न प्रकार है-गेहूं रु. 120.00 प्रति क्विंटल, तेल 10/- प्रति किग्राम, दालचना 2.50/- प्रति किग्राम, मटर 3.00 प्रति किग्राम दूध पाउडर 15/- प्रति कि ग्राम, दूध पाउडर मार्च, 85 से नहीं लिया जा रहा है।

अप्रेल, 85 तक विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित खाद्य पदार्थों से निम्नलिखित राशि अर्जित हुई है—

प्रथम चरण 9/68 से 9/73	रुपये 2,32.43 लाख रुपये
द्वितीय चरण 12/75 से 5/79	रुपये 3,25.58 लाख रुपये
तृतीय चरण 8/80 से 4/85	रुपये 7,49.47 लाख रुपये
योग	रुपये 13,07.48 लाख रुपये

अनुबन्ध के अनुसार यह अर्जित राशि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण एवं क्षेत्रीय विकास हेतु सुविधायें जैसे—अस्पताल, पशु चिकित्सालय ट्रान्जिट कैम्प, उनके आवास के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, उनके बच्चों के लिए विद्यालय निर्माण एवं चिकित्सा सुविधा, वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास आदि पर व्यय करने का प्रावधान है।

उक्त अर्जित कोष में से माह मार्च, 85 तक 464.41 लाख रुपये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में व्यय हो चुके हैं तथा 200 लाख रुपये विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना संख्या 2600 को सिंचित क्षेत्र में भूमि आवंटियों को ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत करने हेतु स्थानान्तरित किया जा चुका है।

PLAN OF OPERATIONS AGREED UPON BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE UNITED NATION/FAO WORLD FOOD PROGRAMME CONCERNING ASSISTANCE FOR LABOUR WORKING ON THE RAJASTHAN CANAL (RPOJECT NO. 259 Exp. II)

WHEREAS The Government of India (Hereinafter referred to as "the Government") and the United Nations/FAO World Food Programme (hereinafter referred to as "WFP") have entered into a Basic Agreement concerning assistance from the World Food Programme wich Agreement was signed by the Government and WFP on 16 July, 1968 and

WHEREAS The Government has requested assistance from WEP for the purpose of implementing a project for food assistance to labour working on the Rajasthan Canal and

WHEREAS WFP has agreed to provide such assistance.

NOW THERFORE the Government and WFP, being desirous of mutual Co-Operation in implementing the aforementioned project, have agreed as follows :

ARTICLE—I

Purpose and description of Government Project and of WFP assistance to it

The Rajathan Canal Project, when complected, will be one of the largest canal systems in the world, was designed to bring the impounded and flow waters of the Beas and Ravi rivers to a large waste stretch of desert land in north west Rajasthan. The share of water available to Rajasthan from the surplus Beas and Ravi

waters is 10 6 billion cubic metres of which the project envisages the use of 9.4 billion cubic metres.

Actual construction work on the Rajasthan Canal Project started in 1958 and involves a total gross area of 2 0 million hectares, of which 1.3 million hectares are cultivable with a potential intensity of irrigation of 110 percent. 204 km. of feeder canal (completed), 445 km. of main canal (262 km. completed), and about 7,000 km. of distribution system (about 43 percent completed) will be co structed under the project. The development of the command area and settlement activities in this previously almost uninhabited area are taking place as construction progsses.

The labour employed on this project work under very ardous conditions in areas of extreme climate whe social amenities are lacking and where even makreting facilities are almost non-existent. In order to attract and retain workers WFP assistance was approved in April 1967 originally for a period of three years. WFP food was sold to workers in the project at special prices. Following an interim evalutio i in 1972 an expansion of the project for a further three years as approved by the IGC. WFP assistance to this Exp. I phase has terminated in May, 1979.

Because of the long-term nature of the Rajasthan Canal Works which will not be completed u til 1984, the Government has reguested additional WFP assista ce for a further period of five years. A seco d eveluation of the project was undertaken by a WFP/FAO/ILO mission in November, 1978. However, since the worldwide demand for WFP assistance execeds the availability of resources to the programme, it has been necessary to reduce the period of assistance to three years and revise the work targets accordingly.

302

During the proposed three-year period, the activities set out in Article III 2 (a) will be carried out. It is estimated that the execution of these works will require 32 4 million mandays and will employ on an average more than 30,000 workers daily over the period of WFP assistance.

Women will be given equal opportunities as men for employ-mention this project and will benfit from WFP food assistance. Apart from employment opportunities, the women of the area will benefit from the social amenities that will be provided from the WFP sale proceeds fund They with also derive economic benefits from the agricultural development result in from the construction of the canal and the settlement of the area.

ARTICLE—II

Obligations of W. F. P.

In addition to the terms and conditions agreed to by the Government and WFP as set forth elsewere in this plan of opertion WFP undertakes to assume the following specific obligations.

Deleted and Substituted as per amendment enclosed

1. Supply of food aid

(a) WFP will supply to the Govrnment, at the port of Kandla or Bombay the following commodities in quantities which will not exceed those specified for each herein below, and total value of which (inclusive of the cost of freight and superintendence) is estimated at US S 9 093,500 :

(i) 5,420 metric tons of vegetable oil.

(ii) 1,460 metric tons of dried skim milk.

(iii) 2,920 metric tons of pulses.

(b) Out of the 5,420 metric tons of vegetable oil referred to abov approximately 2,500 metric tons of vegetable oil will be taken over by the Government which will, in exchange, make available good quality wheat to the same value for use in the Project. The pri.es at which the exchange will be based shall be the estimated CIF Bombay prices, to be determined by WFP for vegetable oil donated to the programme under the pledtes, at the time of delivery of WFP supplied vegetable oil for exchange with wheat locally at the price fixed by the Government of India for distribution to the publ c.

(c) WFP assistance will be provided for a period of three years from the date of comme cement of distribution of commodities.

(d) The above commodities will be supplied in instalments according to the curre t needs of the project. The first instalment will be shipped at the earliest opportunity after WFP has been i formed by the Governme t of the completion of preprator y measures in accordance with Article III. Instalments to be shipped after 31 december, 1980 will be contingent on the availabilty of resources i general a d of individual commoditioes in particular.

(e) WFP will mak arrangeme its for appropriate insurance of all shipments of commodities to the port of Kandla or Bombay and make the necessary claims o carriers on undorwriters on the basis of the report of an independent superintendent to be appointed by WFP. The commodities will be delivered subject to safe arrival, but where substantial loss or damage has occurred during shipment, WFP, will, as far as possible, replace lost or damaged commodities.

(f) WFP will as far as possible, keep the Government informed of the progress of arrangements for the supply of commodities.

2. Supervisory and advisory Services

(a) WEP will render apprpriate advisory services to the Govt. in connexion with the handling, storage, transportation and distribution of commodities.

(b) WFP will provide the services of a resident WFP project officer who will assist and advise the Rajasthan Canal Board with regard to the supervision of handling, storage, tra sportation and distribution of commodities.

3 project evaluetion

(a) WFP will undertake with ahe cooperatian of the Govt. and, as appropriate in collaboration with other United Nations agencies, evaluation of the proejct to assess :

(i) the efficancy of the operations undertaken.

(ii) the extent to which the purpose of the food aid is achieved

(iii) its effects on the internal production ard markets of cereals. edible oil, milkpowder and pulses and of similar products in India and on the external trade of the country in these and similar products, and

(iv) the impact of the food aid on the improvement of the nutritional status and the economic and social development of the country on along-term basis.

(b) The evalution referred to in sub-paragraph (a) above will be undertaken at intervals of not less than 12 months, it being understood that the continuation of WFP assistance, and the level thereof, will be contingent upon the satisfactory findiings of each evaluation.

(c) Any terminal evaluation reports on the project will be submitted to the Govt. for its comments and subsequently to the United Nations/FAO Committee on Food Aid Policies and Programmes together with such comments.

ARTICLE III

Obligation of the Govt.

In addition to the terms and conditions agreed to by the Govt. and WFP as setforth elsewhere in this plan of operations, the Govt. undertakes to assume the following specific obligations :

Responsibility for implementation.

(a) The project will be implemented under the responsibility of the Govt. which will, out of its own resources or from other sources, provide all personnel, premises, supplies, equipment, services and transportation and will defray expenditure necessary for the project, other than the items for which specific obligation is assumed by WFP under Article II.

(b) The Govt. hereby designates the Rajasthan Canal Board to execute the project on behalf of the Govt. and further designates the Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation as the channel of communication between the Govt. and WFP in respect of policy matters relating to the project and chairman or Secretary of the Rajasthan Canal Board in respect of detailed matters of operation.

(c) The responsibility of the Govt. will include the provision of:

(i) **Staff for food assistance** consisting of Project Manager, 6 assistant Project Mangaers, 1 Accounts Officer, 1 Office Superintendent/Inspector of storage and handling, 8 Store

306

Keepers, 2 Accountants, 16 Guards and 56 other staff at an estimated cost equivalent to US $ 230,000.

X (ii) **Unloding and clearanace** of the commodities supplied by WFP at the port ot Kandla or Bombay at an estimeted cost equivalent to US $ 105,000.

Delivery of,, and title to, WFP commodities shipped on liner terms will be taken by the Govt. in accordance with the customary c. i. f. conditions. Whent he commodities are shipped on charter terms the Govt. will ensure prompt berthing and rapid unloading of the vessel and will take delivery and title in the ship' s hold. From the point of delivery all expenses, including the cost of import duties, taxes,levies, as well as harbour, wharfage, lighterage, landing, sorting and similar dues, will be paid or waived by the Government, except that demurrage or despatch, as the case may be, in connection with the discharge of WFP commodities shipped on charter terms will be for the account of WFP. If any of these charges are collected by the carrier on behalf of the local port authority under government-endorsed procedures before the vessel's arrival and WFP must pay these charges, they will be promptly refunded by the Government. The Government will allow WFP-appointed superintendents to survey the condition of commodities during discharge or immediately after its completion so that an out-turn certificate can be prepared and action can be taken against the carrier or insurance underwriter for losses and/or damages. Any demurrage caused by the Govt, not taking delivery ex-conveyance would be for its own account.

X **Deleted and Subsituted as per Amendment encloeed**

X (iii) **Adequate handling and appropriate transport**: of WFP commoditics from the port to storage centers and ultimately to distribution points at an estimated cost equivalent to US $ 525,000.

iv/ **Appropriate storage premises, inspection of storage warehouse hygiene, disinfestation, fumigation and/or reconditioning of commodities** at an estimated cost equivalent to US $ 10,000.

@v/ **Deleted Local food** : approximately 27, 00 meatric tons of wheat at an estimated cost at the site of distribution equivalent to US $ 4, 500,000.

vi/ **Cash Wages for the labour compoment of the project** at an estimated cost equivalent to US $ 40,000, 000.

vii/ **A contribution towards the local operating costs of the WFP office**: the facilities to be provided and the amount to be paid annually will be negotiated separately between the Govt. and WFP in accordance with the decision taken by the Committee on Food Aid Policies and Programmes at its 8th Session (document WFP/CFA : 8/20, paragraph 131).

viii/ **The provision of a quantity of good quality wheat** to the Rajasthan Canal Board inexchange for 2, 500 m. t. of vegetable oil that would be supplied by WFP as referred to in Article II (1) (b) above. The Govt. of India will also supply the balance of the wheat required for the implementation of the Project, which amounts to a total of 39, 000 m. t. out of its own resources.

X **Deleted and Sustituted as per Amendment enclosed** @

ix **Other services including** local foremen, supervisors of local foremen and technicians detailed for the execution of the works at an estimated cost equivalent to US $ 20, 000, 000.

2. Utilisation of commodities and sale proceeds

a) The Government will issue to each manual worker and low-paid employee working on the Rajasthan Canal a family ration card listing all of his eligible dependents. Upon presentation of this card the Govt. will sell the commodities provided by WFP through shops established specially for this purpose at approximately 50 percent of the open market prices of these commodities to an average of 30,000 workers. The balance quantity of wheat which will be supplied by the Government of India from its own resources will be sold at a price fixed by the Government from time to time for wheat released through its Food-for-Work Programme. The proceed from the sale of Govt. supplied wheat will be used by the state Govt. for development of the project area. Each worker will be entitled to purchase commodities for himself and for each of his eligible dependents in accordance with the undermentioned daily per-capita ration for each day of work performed on the project, subject to the proviso that if more than one member of the same family works on any day, only one member will be entitled to purchase WFP rations for himself and other eligible family members that day. The following will be daily percapita ration :

Wheat	400 grammes

Edible oil	30 grammes
Dried skim Milk	15 grammes
Pulses	30 grammes

The workers will carry out the following activities which involves 32.4 million mandays of labour over the three-year period of WFP assistance.

(1)	Earth work on the main canal, lift canal system and flow canal system.	62 million cubic metres.
(2)	Lining works	
	(i) Main Canal	125 kilometres
	(ii) Lift canals distributory system and canal disty. system.	1000 kilometres
(3)	Water course lining	6000 kilometres
(4)	Buildings	300 units
(5)	Bridges	180 sites
(6)	Roads	300 kilometres
(7)	Forest plantations	7800 hectares

3/6

(8) Pasture development 45000 hectares

The balance of Indian rupees 28,591,951 equivvlent to US 3,573,994 remaining unutilised from the sale of WFP commodities at the termination of the original project and its first expansion of the prjoect, together with the sale proceeds accruing from WFP assistance during the second expansion phase of the project will be deposited in a separate interest-bearing account a d made readily available for expenditure on the following activities in the project area.

(i) the provision of mobile health units for workers, as well as medical and health facilities in the project area, including the provision of medical and para medical personnel, and other social amenities to workers such as shelters, transit camps, sa itation facilities, safe water supply, schools and recreation centres;

(ii) Programme for the eradication and control of communicable diseases such as malaria, draco-ntiasis etc.

(iii) the provision of veterinary facilities and facilities for development of animal husbandry as well asshelters for camels and work animals used in construction activities in the canal area;

(iv) the establishment of forest nurseries and plan-tations;

(v) any other purpose to further the project as mutually agreed upon by WFP and the Government.

A minimum of sixty percent of the balance sales proceeds that have previously accrued and not spent and sales proceeds which will accrue as a result of WFP assistance of Exp. II phase of this project will be either spent or committed through signed contracts or similar means on the items.

1. To be provided by the Govt. on the basis set out in Articles-III-1 (c) (viii). of expenditure indicated above within 24 months of the commencement of distribution of commodities. Not less than fifty percent of the sales proceeds will be spent on items (i) and (ii) above.

(b) To the extent possible, direct employment of labour by the Rajasthan Canal Board will be expanded. In the case of contractual labour, the contractor's obligation towards the provision of basic amenities for workers will be clearly defined and the conditions of employment offered to contract labour will be equivalent to that enjoyed by labour employed directly by the Canal Board.

(c) The Government will undertake to ensure the prompt issue of ration cards to entitled labourers and low paid project employees and ensure the minimization of delays in payment of wages by contractors through the issue of written instructions and regular checks so as to avoid workers being deprived of their rations as a result of non availability of cash to purchase them.

(d) The Government will make such arrangements as may be

312

necessary for the beneficiaries tobe instructed in the proper use nuf{oamiliar foods.

(e) The Government will take measures to prevent unauthorized sale of commodities.

(f) In the event of failure on the part of the Government to utilise any of the commodities furnished by WFP and funds generated by the sale of WFP commodities in the manner stated i Article II 2(a) above, WFP return to the point of original delivery of such commodities and reimbursement of such funds to WFP.

3. Readiness for commencement

(a) On completion of the measures Preparatory to the commencement of food assistance in the project, the Ministry of Agriculture and Irrigation of the Govt. of India will notify WFP in writing of the amounts of funds authorised for expenditure, of the arrangements made for each of the items enumerated in Article-III 1(c), of the supply of wheat under Article III 1(c)-item (viii) and of the latest estimate of the number of beneficiaries.

(b) The Govt. will endevdour to adopt the measurs specified in the foregoing sub-paragraph as expeditiously as possible, it being understood that WFP reserves the right to postpone to implementation of the project to reduce the quantity or modify the composition of the food aid or to cancel the project if the Govt. fails to transmit to WFP a satisfactory notification of readiness within three

months from the date of entry into force of the present plan of operations, unless the causes for delay which the Govt. may indicate prior to the expiry of the aforesaid three-month period are recognised by WFP as being attributable to factors beyond the control of the Government.

4. Facilities for observing the project :

The Government will provide WFP, its officers and consultants with facilities for observing the operation of the project at all stages.

5. Information concerning the project :

(a) The Government will furnish WFP such relevant documents, accounts, records, statements, reports and other information as WFP may request concerning the execution of the project or concerning the fulfilment by the Government of any of its responsibilities under this plan of operations.

(b) Progress reports :

The Rajasthan Canal Board will at the end of each calender quarter provide to WFP dareport on the progress of the project containing the information as set forth in the anneture to this plan of operations. Ten copies of the report will be sent through the W. F. P. representative accredited to India.

(c) Additional records :

The Government will maintain a d furnish to W. F. P. upon

request such further records on the performance of the project as may be for carrying out the evaluation of the project in accordance with Article II 3. These records should provide information according to an evaluation plan to be agreed upon between WFP and the Govrnment establishing the scope and approximate the time intervals of the evaluation.

×(d) **Accounts and audit :**

The Government Will keep an account for commodities provided by WFP and the Government seperately from other project supplies and will furnish WFP annualy* and on termination** of WFP aid to the project with accounts which have been audited and certified by the Chief Accounts Officer, Rajasthan Canal Project, Bikaner. The Accounts will show the quantity of each commodity received form WFP and the Government, the receipts, issue, losses and balances at each storage centre, the quantities distributed and the number of beneficiaries to whom they were distributed In respect of the commoditis which are sold in the country, the Government will keep accounts of their sale and proceeds derived there from together with the accounts of disbursements. Similar

---

* The term "annually" "signified" at the end of twelve calendar months begining with the month in which the first shipment of commodities for the project was received by the Government at the end of each Government fiscal year" as may be appropriate for purposes of auditing the accounts.

** As defined in Article IV 3 of the plan of operations.

× Deleted and Substituted Per Amendment Enclosed.

accounts will be kept of funds released as result of WFP aid. The accounts audited and certified by the Chief Accounts Officer, Rajasthan Canal Project, Bikaner will be forwarded to WFP by the Government annually and on termination of WFP aid to the Project.

8 **Continuation of the Purpose of the Project.**

The Government will continue to pursue the basis purpose project and ensure proper maintenance of completed irrigation works after assistance from WFP has ended.

ARTICLE IV.

General Provisions.

1. The provisions of this plan of operations will be interpreted in light of the Basic Agreement referred to in the preamble.

2. This plan of operations will come into force upon signature of the Government and WFP.

3. The project will be considered terminated after (i) distvibution of WFP commodities is completed and (ii) an salesproceeds funds released as a result of WFP aid have been expended for the purpose set out in the plan of operations.

4. (a) This plan of operations may be modified or terminated before complete fulfilment by mutual consent between the parties to this plan of operations as expressed in an exchange of letters.

(b) In the event of a failure any one party to fulfil any of its obl gations under this plan of operatio s the

3/6

other party may either (i) suspend the discharge of its own obligations by giving written notice to that effect to the defaulting party or (ii) terminate the plan of operations by giving written notice of sixty days to the defaulting party.

(c) Any WFP commodities remaining unused in India on completion of the project or the termination of the present plan of operations by mutual consent will be disposed of as may be mutually agreed upon between the parties to this plan of operations.

5. The obligations assumed by the Government under Article V of the aforesaid Basic Agreement shall service the suspension or the termination of this Plan of operations uuder the foregoing Section 3 to the extent necessary to permit order liquidations of operations and withdrawal of the property, funds and assets of WFP and the officials and other persons performing services on behalf of WFP in the execution of this plan of operations.

IN WITNESS WHERE OF, the undersigned being duly authorised have signed this plan of operations.

Done in three copies in English.

At New Delhi on 4th March, 1980 for the Government of India.

Signature.....................

Name............Dr. M. S. Swaminathan........

Title..............Secretary,

Department of Agriculture........

Co-operation,

Ministry of Agriculture,

Krishi Bhawan, New Delhi.

At New Delhi on 4th March, 1980 for the World Food Programme.

Signature.........................

Name..........Mr. Bernardo de Azevede

Title.........WFP Deputy Executive Dir.

AMENDENT II TO PLAN OF OPERATIONS

To amend the Plan of Operations signed on 4 March 1980 between the Government of India and the World Food Programme for the implementation of Project 259 Exp. II, Food Assitance to labour Working on the Rajasthan Canal.

....

The following amendments are hereby incorporated into the Plan of Operations signed on 4th March, 1980 and amended on 25th January, 1982 :

(1) Article II 1. (a) is deleted and substituted by.

"(a) WFP will supply to the Government at the port of Kandla or Bombay, the following commodities in quantities which will not exceed those specified for each hereinbelow, and the total value of which (inclusive of the cost of freight and super-intendence) is estimated at U S. $ 16,330,300.

(i) 31 600 metric tons of wheat

(ii) 4;240 metric tons of vegetable oil.

(iii) 2,920 metric tons of pulses

(iv) 1,460 metric tons of dried skim milk"

(2) Article III 1c (ii) is deleted and substituted by :

"Unloading and clearance of the commodities supplied by WFP at the port of Kandla or Bomby at an estimated cost equivalent of US $ 800,000 Delivery of, and title to, WFP commodities shipped on liner terms will be taken by the Government in accordance with the customary CIF conditions When the commodities are shipped on charter terms the Government will ensure prompt berthing and rapid unloading of the vessel and

will take deliverv and title in the ship's hold. From the point of delivery all expenses including the cost of import duties, taxes, levies, as well as harbour wharfage lighterage, landing, sorting and similar dues, will be paid or waived by the Government, except that any demurrage caused by the Government not complying with these conditions would be for its own account If any of these charges are collected by the carrier on behalf of the local port authorities under Government endorsed procedures before the vessel's arrival and WFP must pay these charges, they will be promptly refunded by the Government. The Government will allow WFP appointed Superintendents to survey the condition of commodities during discharge or immediately after its completion so that an out-turn certificate can be prepared and action can be taken against the carrier or insurance underwriter for losses and/or damages.

(3) Article III 1c (iii) is deleted and substituted by :

"Adequate handling and appropriate transport of WFP commodities from the port to storage centres and ultimately to distribution points at an estimated cost of equivalent to US. $ 588,000"

(4) Article III 1 (c) (v) is deleted. Consequently, Article III 1(c) (vi), Article III 1 (c) (vii), Article III 1 (c) (viii) and Article III 1 (c) (ix) are renumbered as Article III 1 (c) (v) Article III 1 (c) (vi), Article III 1 (c) (vii) and Article III 1(c) (viii) respectively.

(5) Article III 5 (d) is deleted and substituted by :

(d) Accounts and audit :

The Government will keep, an account for, commoditirs provided by WFP and the Government separately from other Project supplies and will furnish WFP annually* and on termination ** of WFP aid the Project with accounts which have been audited and certified by the Govt. Auditor (Comptroller & Auditor General of India) The accounts will show the quantity of each commodity received from WFP and the Government, the receipts, issues, losses and balances at each storage centres, the quantities distributed and the number of beneficiaries to whom they were distributed. In respect of the commodities which are sold in the country the Governmet will keep accounts of their sale and the proceeds derived therefrom, together with the accounts of disbursements. Similar accounts will be kept of funds released as a result of WFP aid. The accounts audited and certified by the Govt. Auditor (Comptroller & Auditor General of India), will be forwarded to WFP by the Government annually* and on termination** of WFP aid to the Project."

All other terms and conditions of the Plan of Operations remained unchanged.

For Government of India	For the world Food Programme
Signature Sd/-	Signature Sd/-
Name B K. TAIMNI,	Name Trevor Page
Director of Agriculture	Title Deputy Representative
& Cop.	Date 10th January, 1983.
Krishi Bhawan, New Delhi.	

* The term "annually" signifies" at the end of twelve calendar months beginning with the month in which the first shipment' of WFP commodities for the Project was received by the Govt.' or "at the end of each Govt. fiscal year" as may be appropriate for purposes of auditing the accounts.

** As desined in Article IV 3 of the plan of Operations.

AMENDMENT V TO PLAN OF OPERATIONS

To amend the plan of operations signed on 4 th March 1980 between the Government of India and the World Food Programme for the implementation of Project 259-Exp. II Assistance for labour Working on the Rajasthan Canal.

The following amendments are hereby incorporated in the Plan of operations signed on 4 th March, 1980 and amended on 25 th January, 1982, 20 January, 1983, 27 October, 1983 and 22 March, 1984,

(1) **ARTICLE II 1 (a)** is deleted and subsituted by :
"WFP will supply to the Government at the port of Kandla or Bombay the following commidities quantities which will not exceed these speciflied for each herein below and the total Value of which (inclusive of the cost of freight and superintendence) is estimated at US $ 14,740,800;

(i) 37,760 metric tons of Wheat
(ii) 3,920 metric tons vegitable oil
(iii) 2,430 metric tons of pulses
(iv) 716 metric tons of dried skin milk"

(2) **ARTICLE II 1 (b)** The first sentence " out of the 4,240 metric tons of vegetable oil referred to above approximately 1 320 metric tons of vegetable oil will be taken over by the Government which will, in exchange make available good quality wheat to the same value for use in the project" is deleted and substitute by :—

322

'Out of the 3,920 metric tons of vegetable oil referred to above approximately 1,320 metric tons of vegetable oil will be taken over by the Government which will, in exchange, make available good quality wheat to the same value for use in the project."

All other terms and conditions of the Plen of operations remein unchanged.

For the Government of India For the World Food Programme

Signatures	Sd/-	Signature	Sd/-
Name	(B. K. Taimni)	Name	Gaston AJben
Title	Joint Secretary	Title	Senior Adviser

Ministry of Agriculture
(Deptt. of Agri of Agriculture)
Krishi Bhawan, New Delhi. Dated 23 Nov, 1984
Dated 11-2-1985

AMENDMENT VI TO PLAN OF OPERATIONS

To amend the plan of operations signed on 4 March, 1980 between the Government of India and the World Food programme for the implementation of project 259-Exp. II. Assistance for Labour Working on the Indira Gandhi Nahar Project.

The following amendments are hereby incorporated in the Plan of operations signed on 4 March 1980, and amended on 25 January, 1982, 20 January, 1983, 26 October, 1983, 22 March, 1984 and 11 February, 1985 :

(1) **ARTICLE II 1 (a)** is deleted and substitute by :

"WFP will supply to the government, at the port of Kandla or Bombay the following commodities in quanti- which will not exceed those specified for each here in below and the total value of which (inclusive of the cost of freight and superintendence) is estimated at US $ 16.025.250 :

(i) 41,274 metric tons of wheat

(ii) 4,370 metric tons of vegetable oil

(iii) 2,746 metric tons of pulses

(iv) 716 metric tons of dried skim milk"

(2) **ARTICLE II 1 (b)** The frist sentence "out of the 3 920 metric tons of vegetable oil referred to above approximately 1,320 metric tons of vegetable oil will be taken over by the Government which will in exchange make available good quality wheat to the same value for use in the Project" is deleted and substitute by :-

"Out of the 4,370 metric tons of vegetable oil referred to above approximately 1,320 metric tons of vegetable oil will be taken over by the Government which will, in exchange, make available good quality wheat to the same value for use in the project"

(3) **ARTICLE II 1 (c)** : is deleted and substitute by :

"WFP assistance will be provided for a period of 5 years and 5 months from the date of commencement of distribution of commodities upto 31 December, 1985".

(4) **ARTICLE III (2) (a)** on page 6 para 1 line 2 the phrase "the period of 4 years and 11 months" is deleted and substituted by :

"the period of 5 years and 5 months"

All others terms and conditions of the Plan of Operations remain unchanged.

for the Government of India	For the World Food Programme
Signature : Sd/–	Signature : Sd/–
Name : B. K. TAIMNI	Name : Gaston Eyben
Title : JOINT SECRETARY,	Title : Senior Adviser
Ministry of Agri, Govt. of India	Date : 12.2.1985
Date : 16.2.1985	

विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत 8/80 से 12/85 तक की खाद्य पदार्थों के विषय में सूचना।

क्रमांक	खाद्य नाम	अनुबन्ध के अनुसार 8/80 से 12/85 तक प्राप्त होने वाली मात्रा (टनों में)	8/80 से 4/85 तक की वास्तविक प्राप्ति (टनों में)	8/80 से 4/85 तक का वास्तविक वितरण (टनों में)	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	गेहूं	48356	37507	37545	230 टन परियोजना 2600 से ऋण लिया।
2.	खाद्य तेल	3050	2586.50	2321	
3.	दालें	2746	1911.00	1737	
4.	दुग्ध चूर्ण	716	716	716	दुग्ध चूर्ण की आपूर्ति आवश्यकता नहीं होने के कारण मार्च, 85 से बन्द कर दी गई है।

जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

410. **श्री मुलताना राम** (जैसलमेर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर जिले में सातवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जाति की कितनी दुकानें स्वीकृत की गई ?

(2) स्वीकृत दुकानों में कितनी बनाई गई ? यदि सम्पूर्ण दुकानों का निर्माण नहीं हुआ है, तो क्या कारण रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करवा कर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि 3 वर्षों में अभी तक एक भी दुकान बनाकर अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं दी गई ? यदि हां, तो कब तक दुकानें बना कर आवंटित की जावेंगी ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में सातवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान (मार्च, 1985 तक) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये कुल 75 दुकानें बनाने की स्वीकृति दी गई थी।

(2) स्वीकृत दुकानों का अभी तक पूर्ण निर्माण नहीं हो सका है। नगरपालिका द्वारा किन कारणों से अभी तक निर्माण नहीं करवाया गया, इसकी जांच कराई जा रही है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार दुकान निर्माण के काय में भूमि के विवाद के कारण विलम्ब हुआ।

(3) जी हां, दुकानों का निर्माण नगर पालिकाओं द्वारा किया जाता है। नगर पालिका जैसलमेर तथा पोकरण से व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर दुकानें शीघ्र निर्मित कराने की कार्यवाही की जावेगी।

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था

411. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में प्रतिदिन कुल कितना पेयजल दिया जाता है, तथा क्षेत्र में प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता है ?

(2) पानी के अभाव की पूर्ति हेतु इस क्षेत्र में विभाग किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना धन व्यय कर रहा है, तथा ये योजनायें कब तक पूरी हो जावेंगी ?

(3) इस विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत ठेकेदारों व फर्मों, जिनके द्वारा योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, कृपया उनका विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में प्रतिदिन करीब 107 लाख लीटर जल वितरित किया जाता है। तथा क्षेत्र में प्रतिदिन करीब 147.5 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है।

(जन स्वास्थ्य अभियन्त्रिकी मन्त्री)

(2) योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। योजनाओं की क्रियान्विति धन उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी।

(3) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत ठेकेदारों व फर्मों जिनके द्वारा योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

भाग संख्या 2 की सूची

योजनाओं पर किये जाने वाले व्यय का विवरण

क्र.सं.	जल योजना का प्रारूप	कुल स्वीकृत लागत (रु.)	कार्यों के पूर्ण होने का समय
1.	पम्प एवं टंक योजना	20,000	पूर्ण हो गये हैं।
2.	—,,—	10,000	31-7-85
3.	—,,—	50,000	31-7-85
4.	—,,—	10,000	31-7-85
5.	—,,—	30,000	हैंडपम्प 31-7-85
6.	—,,—	30,000	पाइप लाइन 31-7-85
7.	क्षेत्रीय जल योजना	2,40,000	हैंडपम्प 31-3-86
8.	—,,—	35,300	पाइप लाइन 31-3-85
9.	—,,—	—	हैंडपम्प 31-7-85 पाइप लाइन 31-3-86
10.	हैंड पम्प योजना	10,000	31-7-85
11.	—,,—	10,000	पूर्ण
12.	—,,—	10,000	पूर्ण

328

1	2	3	4
13.	हैंड पम्प योजना	20,000	31-7-85
14.	—,,—	10,000	पूर्ण
15.	—,,—	10,000	पूर्ण
16.	—,,—	10,000	31-7-85
17.	हिरनमगरी सैक्टर नं. 3,4,5 एवं 6 हेतु विस्तार जल योजना, उदयपुर	48.77	दिसम्बर, 1985
18.	माछला मगरा पहाड़ी पर 14 लाख लीटर क्षमता के वितरण जलाशय का कार्य जल योजना, उदयपुर।	3.36	जनवरी, 1986
19.	पाइप लाइन कार्य सेलुम्बर चौराहे से माइन्स एवं जियोलोजी के वर्क शोप तक। जल योजना, उदयपुर।	0.40	अक्टूबर, 1985
20.	पाइप लाइन कार्य सवेरी कोलोनी ग्रायंड, उदयपुर।	0.19	—,,—
21.	पाइप लाइन कार्य भोपा मंगरी उदयपुर।	0.16	—,,—
22.	पाइप लाइन कार्य पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर।	0.22	—,,—
23.	पाइप लाइन कार्य टेकरी, उदयपुर	0.23	—,,—
24.	पाइप लाइन कार्य हिरनमगरी सैक्टर न. 5 प्रभातनगर, उदयपुर	0.61	दिसम्बर, 1985
25.	पाइप लाइन का कार्य गाडरियावास	0.053	—,,—
26.	पाइप लाइन कार्य कुम्हारों का भट्टा माली कोलोनी, उदयपुर	0.23	—,,—

भाग संख्या 3 की सूची

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जल योजनाओं पर कार्य करने वाले ठेकेदारों का विवरण :—

क्र. सं.	ठेकेदारों/मै. का नाम
1.	श्री राधेश्याम भल्ला, उदयपुर।
2.	श्री उदयपुर ड्रिलर्स को-आपरेटिव सोसायटी, उदयपुर।
3.	मै. नेशनल बोरिंग भीलवाड़ा।
4.	मै. जयश्री बोरिंग भीलवाड़ा।
5.	मै. के. के. ड्रिलिंग भीलवाड़ा।
6.	मै. (सी) कन्सट्रक्शन शोभागपुरा, जिला उदयपुर।
7.	मै. मेहबूब एण्ड कम्पनी, भीलवाड़ा।
8.	मै. बी. आर. के. कन्सट्रक्शन सब्जी मण्डी, उदयपुर।
9.	मै. फकीर मोहम्मद, ठेकेदार घोली बावड़ी, उदयपुर।
10.	मै. उग्रसेन गुप्ता, कोटा।
11.	श्री भैरूलाल सोलंकी, ठेकेदार खटीकवाड़ा, उदयपुर।

बांसवाड़ा जिले के अन्वरूनी क्षेत्रों में प्रसूति सेवा

412. **श्री शोपत सिंह** (हनुमानगढ़): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की डूंगलवानी पंचायत हल्के में अप्रेल, 1985 में आदिवासी महिलाएं प्रसूति सेवा के अभाव में मौत की शिकार हो गई थी ? यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए ?

उत्तर

डूंगलवानी पंचायत बांसवाड़ा जिले में अप्रेल माह, 1985 में दो महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्त स्त्राव हो जाने के कारण हुई डूंगलवानी में एक आयुर्वेदिक औषधालय है तथा दो प्रशिक्षित दाई व तीन स्वास्थ्य दर्शक की सेवायें उपलब्ध है उक्त ग्राम से 4-5 कि.मी दूरी पर लघु स्वास्थ्य केन्द्र घंटाली स्थित है जिसकी कार्य परिधि में यह गांव आता है। आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण सेवाओं के प्रति रूझान एवं उपलब्ध सेवाओं को समय पर उपयोग करने हेतु और शिक्षा विस्तार किया जायेगा।

नागौर जिले में भू-जल भण्डारों का सर्वेक्षण

414. **श्री दामोदर दास आचार्य** (नागौर) : क्या भू-जल विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में भू-जल विभाग द्वारा किस-किस तहसील का सर्वे कर लिया गया है ? इनमें कौन-कौन से गांवों में कृषि कुए खोदने के लिए जल उपलब्ध हुआ है ? निकट भविष्य में इस भू-जल का दोहन करने के लिए राज्य सरकार क्या योजना बना रही है ?

(2) राज्य सरकार नागौर व मुण्डवा पंचायत समिति में उपलब्ध भू-जल भण्डारों का उपयोग करने के लिए क्या परियोजना बना रही है।

उत्तर

(1) नागौर जिले में भू-जल विभाग द्वारा सभी तहसीलों का सर्वे कर लिया गया है। कृषि योग्य कुएं खोदने लायक गांवों की सूची सलंग्न है। भू-जल विदोहन हेतु ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विभाग से नलकूप निर्माण करवाने के लिए बैंकों से कृषकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर इस योजना की क्रियान्विती की जाती है।

(2) भू-जल सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर उपलब्ध भू-जल भण्डारों के उपयोग हेतु विशिष्ठ योजना संगठन द्वारा लघु सिंचाई योजना मुण्डवा तथा लघु सिंचाई योजना नागौर पचायत समिति तैयार कर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्वीकृत कराई जा चुकी है जो नागौर सहकारी भूमि बैंक, नागौर के माध्यम से चलाई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भूमि का उपयोग नहीं करने पर अधिग्रहण

415. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 27 अप्रेल, 1979 को एक समझौता मैं. कैपसटन मोटर व जय डिक्स प्रा. लि. और सरकार के मध्य हुआ था ? यदि हां, तो इसमें कौन कौन उपस्थित थे ? कृपया सूची व समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस बैठक में जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है ? यह बैठक किनके आदेशों से हुई थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फैसले के अनुसार मै. कैपसटन मोटर को 3 वर्ष में दो कारखानों के बीच की भूमि का उपयोग करना था, यदि हां, तो अब क्या स्थिति है ?

(4) क्या यह भी सही है कि यदि 3 वर्ष में उपयोग नहीं करते हैं तो तत्काल नगर विकास न्यास, जयपुर उस भूमि को अधिग्रहण कर लेने के लिये स्वतन्त्र होगा ?

(5) क्या जिस भूमि का उपयोग नहीं किया गया, उसे जे.डी.ए. द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 27-4-79 को तत्कालीन आयुक्त एवं शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के कक्ष में मैसर्स कैपसटन मोटर एवं जय डिक्स की भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में एक बैठक हुयी थी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। उक्त निर्णय में उपस्थित व्यक्तियों के नाम अंकित है।

(2) जी नहीं, अभी यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह बैठक तत्कालीन शासन सचिव एवं आयुक्त नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री ओंकार सिंह जी ने बुलाई थी।

(3) मैसर्स कैपसटन मोटर की भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का मामला अभी विचाराधीन है। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पार्टी की 13·09 एकड़ भूमि 1981 की बाढ़ में नाले के कारण कट गयी है। पार्टी के पास केवल 71·50 एकड़ भूमि रह गयी है जिसमें दो उद्योग मैसर्स कैपसटन मोटर एवं जय डिक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा उनसे सम्बंधित गतिविधियां चल रही हैं।

(4) बैठक दिनांक 27-4-79 में लिये गये निर्णय के अनुसार इकाई की भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा इकाई की 38 बीघा 11 बिस्वा भूमि का तो कब्जा न्यास प्रविकरण को संभला दिया गया है शेष भूमि का मामला।

(5) अभी विचाराधीन है।

332

A meeting was held in the Chamber of Commissioner & Secretary to Government, L.S.G. & Urban Development & Housing Department on 27th April, 1979 regarding acquisition of land of M/s Capstan Meters and M/s Jai Drinks Pvt. Ltd. and was attended by the following :—

1. Shri Onkar Singh
   Commissioner & Secretary to Government.
2. Shri Girdharilal Bhargava,
   Chairman, U.I.T., Jaipur.
3. Shri S. K. Airen,
   Secretary, U.I.T., Jaipur.
4. Shri Kamla Kant,
   Superintending Engineer, U.I.T., Jaipur.
5. Shri Y K. Bhatt,
   Deputy Town Planner, U.I.T., Jaipur.
6. Shri R.C. Sharma,
   Deputy Town planner, Sectt. UDH
7. Shri M.P. Jaipuria,
   for M/s Capstan Meters & M/s Jai Drinks Pvt. Ltd.

After detailed discussions, the following deicisions were taken :

1. A 80 ft. wide road from Jawaharlal Nehru Marg to Tonk Road will be constructed and this road will pass through some length of the lands of the above firms as shown in the area plan.
2. Shri M.P. Jaipuria agreed to the acquisition of the land earmarked for ware Houses in the Master Plan as shown in the area plan. He has also agreed to leave a strip of 100 ft. wide along the railway boundry for purposes of road and future expansion of railway boundary.

3. It was decided that Shri Jaipuria will start construction of civil works in the land between Capstan Meters and Jai Drinks Pvt. Ltd. within 6 months after clearance from the Industries Department to which he will apply within three months. He has promised to occupy the whole area by factories, ancillary works and staff quarters etc. within a period of 3 years from the date of clearance from the Industries Department, failing which the U.I.T., Jaipur will be free to resume the land.

4. The lands other than those to be taken by the U.I.T. Jaipur as mentioned in the fore-going paragraphs will be deacquired.

5. It was also decided that whatever land is required by Rukmani Devi Jaipuria and M. P. Jaipuria Charitable Trusts, presently occupied by the above firms, will be surrendered by the above firms to the U.I.T. which in turn will lease out to the charitable trusts for 99 years at a nominal price of Rs. 500/- per acre and Rs. 50/- per acre per year as lease money in accordance with the decision already taken in the past. The construction of hospital, school and temple will be started within one year.

Sd/- Onkar Singh
Commissioner & Secy., U.D.H. Department.

Sd/- Girdhari lal Bhargav
Chairman, U.I.T., Jaipur.

Sd/- S K. Airen
Secretary, U.I.T., Jaipur.

Sd/- Kamla Kant
Superintending Engineer, U.I.T.

Sd/- Y.K. Bhatt
Dy. Town Planner, U.I.T.

Sd/- R.C. Sharma
Dy. Town Planner Secretariat.

Sd/- M.P. Jaipuria
for M/s Capstan
Meters & M/s Jai
Drinks Pvt. Ltd.
April 17, 1979

मेल नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, भरतपुर

416 श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिलान्तर्गत भरतपुर में मेल नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल कब खोला गया, तथा इसमें कितने छात्र भर्ती किए गये ?

(2) क्या यह छात्र भरतपुर में नियमित ट्रेनिंग पर रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या भरतपुर के नाम पर भर्ती ट्रेनिज को जयपुर में ट्रेनिंग दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या इन ट्रेनिज के लिए जयपुर में आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार की इसी सत्र के दौरान भरतपुर में ही प्रशिक्षणार्थियों को नियमित प्रशिक्षण देने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भरतपुर में मेल नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल नहीं खोला गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) भरतपुर के छात्रों को जयपुर स्थित जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में भर्ती किया गया है। पुरुष नर्स प्रशिक्षण छात्रों को राजस्थान में कहीं भी आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती।

(4) उपयुक्त भवन व्यवस्था होने पर इस पर विचार किया जाना संभव होगा।

अजमेर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करना

417 श्री राजकुमार जयपाल (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले का औद्योगिक दृष्टि से विकास नहीं हो पाया है, चूंकि उसे पिछड़े जिले के लिये उपलब्ध सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं ?

(2) क्या मुख्य मंत्री महोदय ने 1973-77 के मुख्य मंत्री काल में अजमेर जिले को पिछड़ा घोषित कराने हेतु सिफारिश की थी ?

(3) क्या सरकार अजमेर को पिछड़ा जिला घोषित करने हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, अजमेर जिले में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा 6 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया है। इनके विकास हेतु 1,24,41,811.48 रुपये की राशि व्यय की है, इसके अलावा एक एच एम टी वाच एसेम्बली यूनिट व एक डी. जी टल. इलेक्ट्रोनिक वाच यूनिट भी स्थापित की गई है। अजमेर जिले में, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से घोषित पिछड़े जिलों में वर्गीकृत "सी" श्रेणी के जिलों के समान

(श्री उद्योग मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा पूंजी विनियोजन अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(2) जी नहीं। परन्तु मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार लघु उद्योगों को राज्य के स्रोतों से 15 % अनुदान की सुविधा एक वर्ष के लिये दी गई थी।

(3) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले भारत सरकार द्वारा ही घोषित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा तो भारत सरकार को संपूर्ण प्रदेश को ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के प्रस्ताव पूर्व में हो भिजवाये हुये हैं।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को प्रदत्त अनुदान

418. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना तथा अन्य योजनाओं द्वारा अनुसूचित जाति तथा जन जाति के व्यक्तियों को दिये जाने वाले अनुदान की राशि में कमी कर दी गयी है? यदि हां, तो कबसे, कितनी तथा क्यों?

(2) क्या सरकार अनुसूचित जाति तथा जन जाति के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण के साथ अनुदान को पूर्व की तरह 50 प्रतिशत करने के आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी हां, पूर्व में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत तथा अन्य योजना के अन्तर्गत लघु कृषकों तथा सीमान्त कृषकों को दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया जिसे दिनांक 22.11.84 के आदेश से पुनः 25 प्रतिशत एवं 33.33 प्रतिशत कर दिया गया। इसका उद्देश्य अधिक लोगों को लाभ देने का है।

(2) जी नहीं, ऐसा किये जाने से लाभान्वितों की संख्या में कमी होती है।

भादरा तहसील में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था पर व्यय

419. श्री लाल चंद (भादरा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पिछली साल जब उग्रवादियों द्वारा भाखड़ा नहर तोड़ी गई थी तब भादरा तहसील में वैकल्पिक पीने के पानी की क्या कोई व्यवस्था की गई थी?

(2) यदि हां, तो, उसमें कितनी धन-राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई थी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कार्यों पर की गई धन राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

भाग 2 की सूची

कार्य एवं धन व्यय का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या व राशि		नये निर्माण किये गये डी. सी. डी. की सं. एवं राशि (पूर्ण यूनिट)		किराये पर लिए गये कृषकों के कुए (किराया एवं डीजल)		खुले कुए (प्राइव्हेट) चालू किये गये सं. व राशि		व्यय की राशि का कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भादरा	–	–	3	89,698	2	17 575	–	–	1,07,273
2.	जलयोजना जोगीवाला									
	1. जोगीवाला	–	–	2	39,088	3	32,607	2	9 436	81,131
	2. अजीतपुरा	2	10,740	1	29,334	–	–	2	9,436	34,370
	3. भीरानी	3	16,110	–	–	–	–	–	–	16,110
	4. डाबड़ी	3	16,110	1	39,775	1	2,440	1	4,718	63,043
	5. भांगवा	–	–	–	–	–	–	1	4,718	4,718
	6. उत्तरावास	2	10,740	–	–	–	–	–	–	10,740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. मोठसरा	2	10740	–	–	–	–	–	–	10,740
	8. भीमनवास	2	10,749	–	–	–	–	–	–	10,740
	9. चपान	2	10,740	–	–	–	–	–	–	10,740
3.	विस्तार जलयोजना पटवा	1	5,370	–	–	–	–	–	–	5,370
4.	विस्तार मोजाता	2	10,740	–	–	–	–	–	–	10,740
5.	जलयोजना सागडा	–	–	–	–	1	2,036	–	–	2,036
6.	जलयोजना गर्वी बड़ी	–	–	–	–	–	–	2	2,850	2,850
7.	क्षे. यो. डगरानाकलाना	–	–	–	–	5	62,570·50	–	–	62,570
8.	,, मलसेडा	–	–	1	26,555	3	34,467	1	1,800	62,822
9.	,, शाहवाला	–	–	–	–	1	14,180	1	464	14,644
10.	वरम्बलवास	1	5,370	–	–	–	–	–	–	5,370
11.	शेरपुरा	1	5,370	–	–	–	–	–	–	5,370
12.	वीरान	2	10,740	–	–	–	–	–	–	10,740
13.	छानी बड़ी	–	–	1	24,131	–	–	1	2,853	26,984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	निठराना	–	–	–	–	3	4,188	–	–	4,188
15.	जलयोजना करणपुरा मलसीसर	–	–	2	74,505	2	23,103	–	–	97,608
16.	करणपुरा ग्राम	–	–	–	–	1	1,680	–	–	1,680
17.	घेउ	2	10,746	–	–	–	–	–	–	10,746
		25	1,34,256	11	3,23,086	22	1,94,846	11	36,275	6,88 463

सीकर जिले के उप स्वास्थ्य केन्द्र

429. **श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में सन् 1984-85 में स्वास्थ्य उप केन्द्र किस-किस स्थान पर खोले गये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें। क्या नये खोले गये उप केन्द्रों पर पर्याप्त स्टाफ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) 1985-86 में कहां-कहां स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले जायेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984-85 में सीकर जिले में स्वीकृत उप केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्ष 1984-85 में सीकर जिले में 52 स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत हुये हैं जिनमें से 6 उप केन्द्रों पर स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है। शेष 46 अन्य स्थानों पर प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर नियुक्ति करना सम्भव हो सकेगा।

(2) राज्य में 1985-86 में मापदण्ड के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से नये उप केन्द्र खोले जाने हैं जिनके स्थानों के चयन हेतु प्रक्रिया जारी है।

भाग-1 की सूची

क्र सं	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत उप केन्द्र का नाम	कार्यरत अथवा नहीं
1	2	3	4
1.	धोद	1. अनोख	नहीं
		2. पुराछोटी	हां
		3. मण्डोली	नहीं
		4. खुरवी	"
		5. सबलपुरा	"
		6. सेवद छोटी	हां
		7. करनपुरा	नहीं

1	2	3	4
		8. सामी	नहीं
		9. दुजोद	,,
2.	दांतारामगढ़	10. ढूकिया	हां
		11. पोका	नहीं
		12. सेसम	,,
		13. मोटलास	,,
		14. करा की ढाणी तन बानुड़ा	,,
		15. नोजी की ढाणी तन ग्यरासी	,,
3.	खण्डेला	16. हरीपुरा झडेली	,,
		17. भादवाड़ी	,,
		18. रूपपुरा उदलवास	,,
		19. तिवाड़ी ढाणी	,,
		20 अन्नतपुरिया	,,
		21. लोहरवाड़ा	,,
		22. खिरोटी	,,
4.	फतेहपुर	23. ढाकास	,,
		24. रूकनसर	,,
		25. भयासरा	,,
		26. जालेऊ	,,
5.	पिपराली	27. दवेगढ़	हां
		28. कुड़ली	नहीं
		29. सकराय	,,
		30. सांगरवा	नहीं
6.	श्रीमाधोपुर	31. कल्याणपुरा	हां
		32. कोटयादी	नहीं
		33. खिहड़ी	,,

1	2	3	4
		34. सुराणी	नहीं
		35. नालोट	,,
7.	लक्ष्मनगढ़	36. भैरूपुरा	,,
		37. जाजोद	,,
		38. बिदासर	,,
		39. तणवा	,,
		40. खेड़ी दतुजला	,,
		41. सोला	,,
		42. पालड़ी	,,
		43. क़िरडोली	,,
		44. साखू	,,
8.	नीमका थाना	45. चला	,,
		46. गासीपुरा	,,
		47. मधाउण्डाकोल	,,
		48. दलपतपुरा	,,
		49. सूतु	,,
		50. ढाणी ग्रहीरान	हां
		51. रायपुर जागीर	नहीं
		52. माऊंडाकला	,,

बाड़मेर जिले के लिए लिफ्ट नहर सिंचाई

421. श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यही है कि बाड़मेर जिले के लिदे इन्दिरा गांधी नहर से निकाली जाकर लिफ्ट केनाल लाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो ऐसी नहर योजना को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी, और कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) इस प्रकार की नहर के प्रथम व अंतिम बिन्दु कौन-कौन से होंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां। योजना का विस्तृत सर्वेक्षण व रूपरेखा तैयार करने का कार्य विचाराधीन प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय होने के बाद ही प्रारम्भ किया जावेगा।

(2) इस सम्बन्ध में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

छात्रावास अधीक्षकों के पदों का चयन

422. **श्री किरोड़ी लाल** (महुआ): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1983-84 में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास अधीक्षकों के चयन हेतु कितने अभ्यर्थी आमंत्रित किये गये थे ? कितनों को नियुक्ति पत्र दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि छात्रावास अधीक्षकों के चयन में की गई अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास अधीक्षकों के चयन हेतु 1695 अभ्यर्थियों को आमन्त्रित किया था जिनमें से 50 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिये गये।

(2) समाज कल्याण विभाग के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई।

विघटित उपनिवेशन तहसीलों के विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण

423. **श्री डूंगरराम पंवार** (टीबी): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन तहसील, रावतसर, नोरंगदेसर, हनुमानगढ़ तोड़ कर सम्बन्धित राजस्व तहसीलों को रिकार्ड दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त तीनों तहसीलों के मामले निपटा दिये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों उपनिवेशन तहसीलों के आवंटन सम्बन्धी काफी मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्या मामलों का निपटारा करने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों तहसीलों से सम्बन्धित आवंटन अधिकारी सहायक उपनिवेशन आयुक्त, हनुमानगढ़ का पद दिनांक 19-10-1984 से रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस रिक्त स्थान को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इन तहसीलों के शेष मामले जो तहसीलों द्वारा निपटाये जाने थे वे अब सम्बन्धित राजस्व तहसीलों द्वारा निपटाये जा सकेंगे।

(2) उपरोक्त दोनों तहसीलों के आवंटन संबंधी कुछ मामले विचाराधीन हैं। यह मामले सहायक उपनिवेशन आयुक्त द्वारा निपटाये जाने थे जो पद अभी रिक्त हैं।

(3) जी हां। सहायक आयुक्त उपनिवेशन, हनुमानगढ़ का पद समाप्त करने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित प्लाट्स

424. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बालोतरा में रीको द्वारा आवंटित प्लाट्स औद्योगिक क्षेत्र प्रथम एवं द्वितीय से दूषित पानी की निकासी हेतु क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट्स समतल करके नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्लाट्स खड्डे में हैं, एवं सड़कें व नालियां ऊपर हैं, जिसका नुकसान आबंटियों को उठाना पड़ रहा है ?

(4) रीको द्वारा क्या समुचित सुविधायें, यथा सड़कें, बिजली, टेलीफोन आदि प्रदान की हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बालोतरा में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र प्रथम एवं द्वितीय चरण में आवंटित प्लाट्स से दूषित पानी की निकासी हेतु एक पाइप सड़क के नीचे से डाला हुआ है।

(2) जी नहीं। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट्स रीको द्वारा समतल करके ही दिये गये हैं।

(3) जी नहीं। सड़क व नालियों का तल तकनीकी दृष्टि को मद्दे नजर रखते हुये रखा गया है इसलिये इससे उद्यमियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है।

(4) जी हां। रीको द्वारा सड़कें, बिजली, टेलीफोन आदि की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

राजस्व रेकार्ड से वंचित ग्राम

425. **अहमद अली** (फतेहपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनका राजस्व रेकार्ड में नाम नहीं है ? कृपया विवरण सदन की मेज रखें।

344

(श्री अदक अली)

(2) क्या यह भी सही है कि दो ग्रामों का राजस्व रेकार्ड में एक ग्राम के नाम से ही इन्द्राज है ? यदि हां, तो कृपया ऐसे ग्रामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे ग्रामों को राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक ग्राम के रूप में इन्द्राज करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक !

उत्तर

(1) ऐसे गांवों की संख्या अल्प समय में प्राप्त करना संभव नहीं है।

(2) अनेक ऐसे ग्राम हैं जो घोषित राजस्व ग्राम के अन्तर्गत दर्ज हैं।

(3) जिन ढाणियों/मजरों की आबादी 250 या इससे अधिक है उसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 3 के उप खण्ड 5 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही राजस्व मण्डल/जिलाधीशों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर की जा रही है।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 510 की शिकायत)

प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र ओर से बोगासिंह पुत्र श्री दलीप सिंह वास्ते

श्रीमान सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग सीलिंग, जयपुर

विषय :-मुख्त्यारसिंह, बलवीरसिंह, बलदेवसिंह, गमदूरसिंह पिसरान करतारसिंह जाति जटसिख साकिन मसानी तहसील टीबी जिला श्री गंगानगर पर 800 बीघा रकबा सीलिंग प्रावधानों की उपेक्षा करके काबिज है। वास्ते जांच एवं कानूनी कार्यवाही करने के।

प्रसांग :-पूर्व पत्र दिनांक 28-5-79 एवं 3-7-79 व माननीय राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली पत्र संख्या 2336 पी/11.79 दिनांक 4-6-79

प्रार्थी राज्य हित में निम्न प्रकार निवेदन करता है :—

1. यह कि मौजा मसानी तहसील टीबी जिला श्रीगंगानगर में मुख्त्यारसिंह, बलवीरसिंह, बलदेवसिंह, गमदूरसिंह, मगरूरसिंह, पिसरान करतारसिंह जाति जट सिख के पास वाके चक 13 जी.जी.आर. 198 बीघा इस प्रकार करीब 800 बीघा रकबा उपरोक्त चारों भाइयों के पास है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मय नाबालिगान के 19 सदस्य इनके परिवार में है।

2. यह कि सीलिंग प्रावधानों की सही पालना की जावे तो उपरोक्त मुख्त्यारसिंह आदि ज्यादा से ज्यादा 250 बीघा रकबा रख सकते है।

3. यह कि चूंकि उपरोक्त मुख्त्यारसिंह वगैरा निहायत चालाक एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को धोका देने के आदि हैं अतः मुख्त्यारसिंह आदि के नाजायज नामान्तकरण, नाजायज बेयाना में नाजायज हस्तान्तरण आदि कर के राज्य सरकार को अत्यन्त क्षति कारित की है जो कि तुरन्त जांच करके इन्हें दण्डित किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि मुख्त्यारसिंह वगैरा ने दिनांक 20-4-72 को रकबा वाके चक 13 जी.बी.आर. पत्थर नम्बर 190/299 किला नम्बर $\frac{21 \text{ ता } 24}{4}$ 190/299 किला

नम्बर 2 ता. 9 11/8 ता 20, 194/274 किला नम्बर 10, 11, 10, 21/4, 191/279 किला नम्बर 21 ता 23/3 कुल 29 बीघा रकबा फर्जी, बेनामी. बिना रकम लिये व अपने सगे मामा के पुत्र जसवीरसिंह पुत्र शेरसिंह जटसिख साकिन मसानी जो कि वास्तव में हरियाणा में रहता है के नाम करा दिया है जो कि कतई गलत है व सीलिंग कानून के अनुसार भी सन् 1972 के बेबना में बोनाफाइड हो तो माने जाते हैं अन्यथा न ही जब कि मौजूदा केस में तो ना तो खरीददार काश्तकार है। ना राजस्थान के रहने वाले है व ना ही ऐसे है जो विक्रेता के सम्बन्धि न हो इस प्रकार उपरोक्त बेयनामें कतई बोनाफाइड नहीं है एवं कानून की आंखों में धूल झोंक कर कानून की अवहेलना की है काबिल जांच के है। नकल इन्तकाल संलग्न है।

5. यह कि इसी प्रकार एक बेबनामा दिनांक 20-4-74 को बाबत आराजी वाके चक 13 जी.जी आर. पत्थर नम्बर 193/274 किला नम्बर 13.17.18/3 पत्थर 192/274 किला नम्बर 9 ता 14 पत्थर नम्बर 190/277 किला नम्बर 21 ता 25 पत्थर नम्बर 1 ता 5/5 7 ता 10/4 11-14/2 कुल 29 बीघा रकबा अपने हकीकी मामा शेरसिंह के दूसरे पुत्र जीतसिंह पुत्र शेरसिंह के नाम फर्जी, बिना बदल, बेनामी, एवं कानून को धोका देने की गर्ज से करा दिया है जबकि एक्ट बेयनामा तारीख 1-1-73 के बाद का है व किसी सूरत में मान्य नहीं है। इस प्रकार मुख्त्यारसिंह आदि ने कानून को धोखा दिया है। नकल इन्तकाल संलग्न है।

6. यह कि मुख्त्यारसिंह वगैरा की बहन, मु. जीतो उर्फ हरमिन्द्रकोर पत्नी बख्तावरसिंह है जिसके नाम अपनी आराजी का गलत इन्तकाल करा रखा है जबकि करीब 15 साल से यह शादी शुदा है। वोटर लिस्ट सन् 1974 संलग्न है।

7. यह कि इसके अलावा मूलो उप मलकीयत कौर पत्नी रामसिंह जो किसी पंच सिलवाना है के नाम भी आराजी का इन्तकाल करा रखा है जबकि करीब 15 सालसे यह शादी-शुदा है। वोटर लिस्ट सन् 1974 संलग्न है।

8. यह कि इसके अलावा भोलो उप नसीबकौर पत्नी गुरुदेवसिंह साकिन डावा जिसकी शादी को 25 साल हो चुके हैं के नाम भी गलत इन्तकाल करा रखा है वोटर लिस्ट 1974 संलग्न है।

9. यह कि इसके अलावा कारों उर्फ छोटी तथा मूरों भी इनकी बहीनें हैं। जिनको वोटर लिस्ट नहीं मिल सकी है इनके नाम भी जमीन मुखत्यारसिंह वगैरा ने लगा रखी है जबकि कारों उर्फ छोटी मसनवाला तहसील पीलीबंगा व मूरों तहसील गंगानगर में करीब 18-20 साल पूर्व शादी शुदा है।

10. यह कि इसके अलावा भी प्रार्थी को यदि बुलाया जावे तो प्रार्थी और भी सूचना देने को राजी है यदि श्रीमानजी सख्त कदम उठावे व राज्य हित में कोई विशेष कार्यवाही करें तो राज्य सरकार को काफी फायदा हो सकता है। अन्यथा मुखत्यारसिंह आदि के हौसले और बुलन्द होंगे एवं कानून को अपने हाथों में लेकर राज्य सरकार की जड़े खोखली करने में कतई पीछे नहीं हटेगें।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुखत्यारसिंह, बलवीरसिंह, बलदेवसिंह, गमदरसिंह, मगरुरसिंह पिसराना करतारसिंह जाति जटसिख साकिन मसानी तहसील टीबी जिला श्रीगंगानगर के सीलिंग केस को री-ओपन करके जांच की जावे राज्य सरकार को करीब 550 बीघा रकबा मिल सके।

तारीख 14-9-79

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 514 की सूची)

उपकेन्द्र जहां भवन बने हुए हैं परन्तु काफी समय से स्टाफ उपलब्ध नहीं है :–

1. डूंटवा
2. बिछावाडी
3. रसोदर
4. सरनाऊ

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 515 की सूची)

दो वर्षों के रोगियों का विवरण

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम	रोगियों का वर्ष	आउट डोर	इन्डोर
1.	राजकीय चिकित्सालय, हनुमानगढ़	1983	1,18,039	25,940
		1984	1,03,391	25,689
2.	राजकीय चिकित्सालय, सरदारशहर	1983	30,632	1,550
		1984	35,336	2,387

क्र. सं.	नाम पद	हनुमानगढ़ चिकित्सालय में स्वीकृत पदों की सं.	सरदारशहर चिकित्सालय में स्वीकृत पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	4	–
2.	सी. ए. एस.	7	6
3.	मेलनर्स श्रेणी प्रथम	1	–
4.	मेलनर्स श्रेणी–द्वितीय	7	5
5.	स्टाफ नर्स	1	1
6	प्रसाविका	2	–
7.	रेडियोग्राफर	1	–
8.	लेब. टेक्निशियन	1	1
9.	वरिष्ठ लिपिक	1	1

1	2	3	4
10.	कनिष्ठ लिपिक	1	1
11.	डेन्टल टेक्निशियन	1	–
12.	सिस्टर	–	1
13.	एक्सरे-टेक्निशियन	–	1
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	1

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न सं. 525 की सूची)

क्र. सं.	नाम नगरपालिका	दुकान निर्माण की संख्या	दुकान आवंटित की संख्या
1.	नागौर	15	–
2.	मेड़ता सिटी	10	10
3.	कुचामन सिटी	15	–
4.	डीडवाना	10	10
5.	परबतसर	5	5
6.	बांवा	5	5

357

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न सं. 527 की सूची)

1 अप्रेल, 1983 से 20 जून, 1985 तक इन्दिरा गांधी नहर में उपलब्ध व केपेसिटी फैक्टर के अनुसार पानी की आवश्यकता का सिंचाई क्षमता के अनुसार विवरण।

परिशिष्ट—क

अवधि	हरिके पर इ.गां.न में छोड़े गये पानी की मात्रा (क्यूसेक्स दिन)	औसत मात्रा क्यूसेक्स	भाखड़ा नहरों व घग्घर नदी में छोड़े गये पानी की मात्रा (क्यूसेक्स दिन)	नहरों को पक्का करने के लिए छोड़े गये पानी की मात्रा (क्यूसेक्स दिन)	इ.गां.न. के लिए छोड़े गये वास्तविक पानी की मात्रा (क्यूसेक्स दिन) सिंचाई हेतु (2–4–5)	औसत उपलब्धि क्यूसेक्स	इ.गां.न. की सिंचाई हेतु उपलब्ध क्षमता (क्यूसेक्स)	अनुमोदित औसत केपेसिटी फैक्टर	केपेसिटी फैक्टर के अनुसार पानी की औसत आवश्यकता (क्यूसेक्स)	आवश्यकता से अधिक व कम पानी की औसत मात्रा (क्यूसेक्स)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 अप्रेल, 83 से 20 जून, 83 तक	518770	6404	38892	64800	415078	5124	7660	0 425	3255	(+) 1865
21 जून, 83 से 20 सित., 83	633749	6889	56568	73600	503581	5474	7660	0.714	5469	(+) 05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 सित., 83 से 20 जून, 84	1840940	6719	95912	202400	1542628	5630	7660	0.602	4611	(+) 1019
21 जून, 84 से 20 सित., 84	959428	10429	218182	78600	667646	7257	7660	0.714	5469	(+) 1788
21 सित., 84 से 20 जून, 85	1336298	4883	98016	206400	1031882	3780	7660	0.602	4611	(—) 831

परिशिष्ट–8

(तारांकित प्रश्न संख्या 529 की सूची)

पाली जिले में गत 1 अप्रैल, 1984 से 31 मई, 1985 तक तहसील तथा एस.डी.ओ. कार्यालय में स्थानान्तरित वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिकों की सूची :—

क्र.सं.	आदेश सं. व दिनांक	लिपिक का नाम मय पद	कहां से	कहां को
1.	2833/ 14-5-84	श्री हमीरसिंह व.लि.	तहसील पाली	कोषालय, पाली
2.	,,	,, लक्ष्मीनारायण व.लि.	उपखण्ड कार्यालय, बाली	कोषालय, पाली
3.	,,	,, विजयसिंह ,,	कोषालय, पाली	उपखण्ड कार्यालय बाली
4.	,,	,, भंवानी शंकर ,,	आदेश की प्रतीक्षा में	तहसील, पाली
5.	2857/ 14-5-84	,, टीकमदास क.लि.	तहसील पाली	उपखण्ड कार्यालय, पाली
6.	,,	,, प्रवीणकुमार क.लि.	उपखण्ड कार्यालय, पाली	तहसील, पाली
7.	2029/ 22-5-84	,, भंवरलाल व.लि.	कोषालय, पाली	उपखण्ड कार्यालय, जैतारण
8.	,,	,, जगदीशप्रसाद गुप्ता, व.लि.	उपखण्ड कार्यालय जैतारण	कोषालय, पाली
9.	3040/ 31-5-84	,, विजयसिंह व लि.	उपखण्ड कार्यालय, बाली	कोषालय, पाली
10.	,,	,, भंवरलाल दवे व.लि.	कोषालय, पाली	उपखण्ड कार्यालय, बाली

1	2	3	4	5
11.	3653/ 29-6-84	,, जोहरीलाल व. लि.	ए.सी.एम. मुख्यालय	उपखण्ड कार्यालय, सोजत
12.	,,	,, भंवरलाल प्रेमी व.लि.	जिलाधीश (विकास) पाली	उपखण्ड कार्यालय, पाली
13.	,,	,, नरपतसिंह ,,	जिलाधीश कार्यालय (चुनाव) पाली	उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, बाली
14.	,,	,, अर्यसिंह ,,	जिलाधीश (सहायता) पाली	तहसील कार्यालय, रायपुर
15.	,,	,, फतेहसिंह ,,	कोषालय, पाली	उपजिलाधीश, जैतारण
16.	,,	,, सावतसिंह ,,	कोषालय, पाली	उपजिलाधीश, पाली
17.	,,	,, अमरसिंह ,,	उपजिलाधीश, पाली	उपजिलाधीश, बाली
18.	,,	,, शुद्धराज ,,	जिला रसद कार्यालय, पाली	कोषालय, पाली
19.	,,	,, गोरधनदास ,,	उपजिलाधीश, बाली	उपजिलाधीश, सोजत
20.	,,	,, अकबर खां ,,	,, ,,	जिलाधीश, पाली
21.	3653/ 29.6.84	श्री कृष्णमल व. लि.	उपजिलाधीश सोजत	ए. सी. एम. मुख्यालय,
22.	,,	,, देवराज	,, ,,	जिला रसद, पाली
24.	,,	,, ओमप्रकाश ,,	,, ,,	जिलाधीश चुनाव, पाली
24.	,,	,, चन्द्रप्रकाश ,,	,, ,,	जिला रसद पाली
25.	,,	,, पोकरराम ,,	उपजिलाधीश जैतारण	उपजिलाधीश, सोजत
26.	,,	,, रामेश्वर ,,	,, ,,	तहसील सोजत
27.	,,	,, महेशदान ,,	तहसील सोजत	उपजिलाधीश सोजत
28.	,,	,, उमरावसिंह ,,	तहसील जैतारण	,, जैतारण

1	2	3	4	5
29.	3653/ 29.6.88	श्री राधेश्याम क. लि.	तहसील रायपुर	जिलाधीश सहायता,पाली
30.	3713/ 29.6.84	,, लादूसिंह क. लि.	जिलाधीश न्यायिक पाली	उपजिलाधीश सोजत
31.	,,	,, श्रवणकुमार ,,	एस. सी. एम, मुख्यालय,पाली	तहसील पाली
32.	,,	,, कमलप्रकाश ,,	जिलाधीश भण्डार पाली	उपजिलाधिश जेतारण
33.	,,	,, आत्मगिरी ,,	जिलाधीश केशियर पाली	तहसील, रायपुर
34.	,,	,, प्रभुदयाल ,,	जिला रसद, पाली	तहसील, देसूरी
35.	,,	,, नित्यप्रकाश ,,	उपखण्ड कार्यालय मु. रु. पाली	तहसील, पाली
36.	,,	,, श्यामलाल ,,	,,	उपजिलाधीश, पाली
37.	,,	,, नारायणलाल ,,	,,	तहसील, देसूरी
38.	,,	,, शम्भूराम ,,	एस. पी. पी. पाली	उपजिलाधीश, बाली
39.	,,	,, अचलाराम ,,	कोषालय,पाली	तहसील, खारची
40.	,,	,, ओमकारदान	,,	तहसील, देसूरी
41.	,,	,, भंवरसिंह ,,	,,	उपजिलाधीश सोजत
42.	,,	,, शिवसिंह ,,	,,	तहसील, देसूरी
43.	,,	,, बद्रीसिंह ,,	उपजिलाधीश, पाली	तहसील, सोजत
44.	,,	,, रमेशचन्द्र ,,	तहसील, पाली	उपखण्ड कार्यालय मु. रु. पाली
45.	,,	,, हेदर खां	तहसील, पाली	,,
46.	,,	,, अक्षयकुमार ,,	जिला रसद कार्यालय, पाली	उपतहसील, रोहट
47.	,,	,, गोतमचन्द ,,	,,	उपखण्ड कार्यालय,

1	2	3	4	5
48.	3713/29-6-84	श्री माधोलाल क.लि.	उपखण्ड कार्यालय बाली	तहसील, बाली
49.	3713/29-6-84	श्री जफर हुसैन क.लि.	उपखण्ड कार्यालय, बाली	तहसील, पाली
50.	,,	,, मदनलाल ,,	,,	,,
51.	,,	,, अर्जुनसिंह ,,	,,	तहसील, खारची
52.	,,	,, बच्चनबाबु ,,	उपखण्ड कार्यालय सोजत	,,
53.	,,	,, नन्द कुमार ,,	,,	,,
54.	,,	,, जगदीशलाल ,,	,,	तहसील, सोजत
55.	,,	,, करणसिंह ,,	उपखण्ड कार्यालय जैतारण	कोषालय, पाली
56.	,,	,, कु.हैलन ,,	,,	जिलाधीश, पाली
57.	,,	,, भंवरलाल ,,	,,	तहसील, रायपुर
58.	,,	,, भैरूलाल ,,	,,	तहसील, जैतारण
59.	,,	,, लक्ष्मणलाल ,,	तहसील बाली	उपखण्ड कार्या. बाली
60.	,,	श्रीमती इन्द्राप्रेमसिंह ,,	,,	कोषालय, पाली
71.	,,	श्री प्रेमसिंह ,,	,,	उपखण्ड कार्यालय (भू.रू.)पाली
62.	,,	,, हीरासिंह ,,	तहसील सोजत	जिलाधीश(भंडार)
63.	,,	,, चैनसिंह ,,	,,	जिलाधीश (विकास)पाली
64.	,,	,, गजरासिंह ,,	तहसील जैतारण	जिलाधीश(संस्था)
65.	,,	,, टीकमचंद ,,	,,	उपखण्ड कार्यालय जैतारण

1	2	3	4	5
66.	3713/26-6-84	श्री नारायणलाल क.लि.	तहसील, रायपुर	उपखण्ड कार्या. जैतारण
67.	,,	,, प्रसादाराम ,,	,,	तहसील, जैतारण
68.	,,	,, बद्रीलाल ,,	तहसील, खारची	जिला रसद कार्या. पाली
69.	,,	,, छोगालाल ,,	,,	,,
70.	,,	श्रीमतीकलावती ,,	,,	उपजिलाधीश, सोजत
71.	,,	,, ताजूखां ,,	,,	कोषालय, पाली
72.	,,	,, हरजीराम ,,	तहसील देसूरी	उपखण्ड कार्या. बाली
73.	,,	,, मेलाराम ,,	,,	,,
74.	,,	,, मोहनलाल ,,	,,	कोषालय, पाली
75.	,,	,, मानाराम ,,	,,	जिला रसद अधि. पाली
76.	,,	,, नरपतसिंह ,,	,,	जिलाधीश (न्यायिक)पाली
77	,,	,, सोहनलाल ,,	उपतहसील रोहट	तहसील देसूरी
78.	4113/7-7-85	श्री उमरावसिंह व.लि.	उपखण्ड कार्या. जैतारण	कोषालय, पाली
79.	,,	,, दौलतसिंह ,,	कोषालय, पाली	उपखण्ड कार्या. सोजत
80.	,,	,, कृष्णमल ,,	ए.सी.एम. (मुख्यालय)	उपखण्ड कार्या. सोजत
81.	,,	सांवतसिंह ,,	उपखण्ड कार्या. पाली	ए.सी.एम. (मुख्या.)

1	2	3	4	5
82.	4113/7-7-85	श्री पोकरराम व लि.	उपखण्ड कार्या. सोजत	तहसील जैतारण
83.	,,	,, शुदराज ,,	तहसील जैतारण	उपखण्ड कार्या. सोजत
84.	,,	,, गोरधनदास ,,	उपखण्ड कार्या. सोजत	उपखण्ड कार्या. जैतारण
85.	,,	,, आत्मगिरी क.लि.	तहसील रायपुर	उपखण्ड का. पाली
86.	,,	,, श्यामलाल ,,	उपखण्ड कार्या. पाली	तहसील रायपुर
87.	,,	,, शिवसिंह ,,	तहसील देसूरी	उपखण्ड (भू.रू.) पाली
88.	,,	,, हैदरखां ,,	उपखण्ड (भू.रू.) पाली	तहसील देसूरी
89	,,	,, सार्दूलसिंह ,,	उपखण्ड कार्या. सोजत	जिलाधीश, पाली
90.	,,	,, राधाकृष्ण ,,	जिलाधीश पाली	उपखण्ड कार्या. सोजत
91.	6672/15-10-84	,, धनराज व.लि.	तहसील देसूरी	जिलाधीश (विकास)
92.	,,	,, जगनदास ,,	जिलाधीश(विकास)	तहसील देसूरी
93.	,,	,, हैलन क.लि.	जिलाधीश, पाली	तहसील जैतारण
94.	,,	श्री भैरूलाल ,,	तहसील जैतारण	जिलाधीश, पाली
95.	,,	,, सोहनलाल ,,	कोषालय, पाली	तहसील, बाली
96.	,,	,, लखाराम ,,	तहसील, बाली	कोषालय पाली
97.	2537/17-6-85	,, भगवतीप्रसाद ,,	जिलाधीश(टंकण)	तहसील पाली
98.	869/20-2-85	,, करणसिंह ,,	कोषालय, पाली	तहसील रायपुर
99.	,,	भाजादसिंह ,,	तहसील रायपुर	कोषालय, पाली

1	2	3	4	5
100.	1320/28-3-85	श्री घनराज व.लि.	जिलाधीश(विकास)	तहसील, बाली
101.	,,	,, जगनदास ,,	आदेश की प्रतीक्षा में	जिलाधीश (विकास)
102.	1809/6-5-85	,, जोहरीलाल ,,	उपखण्ड कार्या. सोजत	जिलाधीश(कोर्ट)
103.	,,	,, प्रतापसिंह ,,	उपखण्ड कार्या बाली	जिलाधीश (चुनाव)
104.	,,	,, भवर प्रेमी ,,	उपखण्ड कार्या. पाली	जिला रसद का. पाली
105.	,,	,, नरपतसिंह ,,	उपखण्ड कार्या. बाली	,,
106.	,,	,, केशरसिंह ,,	उपखण्ड (भू.रू.)पाली	तहसील मा. जंक्शन
107.	,,	,, भंवरलाल ,,	उपखण्ड कार्या बाली	कोषालय, पाली
108.	,,	,, जयसिंह ,,	तहसील रायपुर	कोषालय, पाली
109.	,,	,, भवानीशंकर ,,	तहसील पाली	उपखण्ड कार्या पाली
110.	,,	,, श्यामलाल ,,	जिलाधीश (जागीर)	,,
111.	,,	,, निसारमहमद ,,	जि.ग्रा.वि.प्र. पाली	तहसील पाली
112.	,,	,, शुद्धराज ,,	उपखण्ड कार्या. सोजत	ग्रा.वि.प्रभि. पाली
113.	,,	,, पनराज ,,	तहसील बाली	,,
114.	,,	,, कृष्णमल ,,	उपखण्ड कार्या. पाली	उपखण्ड कार्या. सोजत
115.	,,	,, ओमप्रकाश ,,	जिलाधीश(चुनाव)	,,
116.	,,	,, देवराज ,,	जिला रसद कार्या. पाली	,,

1	2	3	4	5
117.	1809/6-5-85	श्री रामजीलाल व.लि.	तहसील मा. जंक्शन	तहसील सोजत
118.	,,	,, गोरधनदास ,,	उपखण्ड कार्या. जैतारण	ए.सी.एम. (मुख्यालय)
119.	,,	,, रामेश्वर प्रसाद ,,	तहसील सोजत	तहसील रायपुर
120.	,,	,, उमरावसिंह का.स.	कोषालय, पाली	उपखण्ड कार्या. जैतारण
121.	,,	,, राधेश्याम व.लि.	जिलाधीश (सहायता)	,,
122.	,,	,, अकबर खां ,,	जिलाधीश (विकास)	उपखण्ड कार्या. बाली
123.	,,	,, दौलतसिंह ,,	उपखण्ड का. सोजत	उपखण्ड कार्या. बाली
124.	,,	,, मांगीलाल ,,	तहसील बाली	,,
125.	,,	,, हिंगलाजदान ,,	तहसील देसूरी	तहसील बाली
126.	,,	,, उगमसिंह ,,	भू. रूपान्तरण, पाली	उपतहसील सुमेरपुर
127.	,,	,, जगनदास ,,	जिलाधीश (विकास)	तहसील देसूरी
128.	,,	,, राधाकिशन क.लि.	उपखण्ड कार्या. सोजत	न्यायालय (जिलाधीश) पाली
129.	,,	,, सत्यदेव ,,	तहसील पाली	भू. रूपान्तरण, पाली
130.	,,	,, ओंकारदान ,,	तहसील देसूरी	,,
131.	,,	,, सोहनप्रकाश ,,	,,	,,
132.	,,	,, आत्मगिरी ,,	उपखण्ड का. पाली	जि. रसद कार्या. पाली

1	2	3		4	5
133.	1809/6-5-85	श्री बद्रीसिंह	क.लि.	तहसील सोजत	जिलाधीश (भंडार) पाली
134.	"	" राधेश्याम	"	जिलाधीश (टंकण)	उपखण्ड कार्या. पाली
135.	"	" रतनसिंह	"	तहसील सोजत	उपखण्ड कार्या. सोजत
136.	"	" जगदीशसिंह	"	"	"
137.	"	" बच्चनबाबू	"	तहसील खारची	"
138.	"	" नरेन्द्रश्याम	"	जिलाधीश (पंचायत)	"
139.	"	" बंशीदास	"	तहसील जैतारण	उपखण्ड कार्या. जैतारण
140.	"	" रामसिंह	"	तहसील रायपुर	"
141.	"	" ओकाराम	"	तहसील जैतारण	उपखण्ड कार्या. जैतारण
142.	"	" पुखराज	"	तहसील बाली	उपखण्ड कार्या. बाली
143.	"	" हैदरखां	"	तहसील देसूरी	कोषालय, पाली
144.	"	" अक्षयकुमार	"	उपतहसील रोहट	तहसील पाली
145.	"	" गौतमचन्द	"	कोषालय पाली	तहसील पाली
146.	"	" जगदीशचन्द्र	"	तहसील बाली	उपतहसील रोहट
147.	"	" शफी मो.	"	उपखण्ड का. सोजत	तहसील सोजत
148.	"	" घनश्याम	"	"	"
149.	"	" लक्ष्मणलाल	"	"	"
150.	"	" अर्जुनसिंह	"	"	तहसील मारवाड़ जंक्शन
151.	"	" ताजुखां	"	कोषालय, पाली	"
152.	"	" नारायणलाल	"	उपखण्ड का. जैतारण	"
153.	"	" रामनिवास	"	"	तहसील जैतारण
154.	"	" मूलचन्द	"	"	"

1	2	3	4	5
155.	1809/6-5-85	श्री करणसिंह क.लि. मीणा	तहसील रायपुर	तहसील जैतारण
156.	"	" मोहनलाल "	तहसील जैतारण	तहसील रायपुर
157.	"	" अमराराम "	उपखण्ड कार्या. जैतारण	"
158.	"	" प्रभुदयाल "	तहसील देसूरी	"
159.	"	" मानाराम "	जि. रसद कार्या. पाली	तहसील बाली
160	"	" देवाराम "	तहसील देसूरी	"
161.	"	" चुनाराम "	"	"
162.	"	" हुकमसिंह "	उपखण्ड कार्या. बाली	तहसील देसूरी
163.	"	" कानसिंह "	जिलाधीश(चुनाव)	"
164.	"	" मूलाराम "	उपखण्ड कार्या. बाली	"
164.	"	" ललीतकुमार "	उपतहसील सुमेरपुर	"
165.	"	" तेजसिंह "	तहसील खारची	"
167.	"	" खूमाराम "	"	"
168.	"	" भैरूलाल "	जिलाधीश पाली	तहसील मारवाड़ जक्शन
169.	"	" अचलाराम "	तहसील खारची	जिलाधीश (श्रावक)कार्या. पाली
170.	2170/21-5-85	अर्जुन सिंह "	"	तहसील सोजत
171.	"	" पूनाराम "	तहसील सोजत	तहसील मारवाड़ जक्शन
172.	"	" नन्दकुमार "	तहसील खारची	कार्या. भूमि रूपान्तरण पाली
173.	"	" खुमाराम "	तहसील देसूरी	तहसील मारवाड़ जक्शन
174.	"	" चुनाराम "	तहसील बाली	तहसील देसूरी
175.	2170/21-5-85	" ललीतकुमार "	तहसील देसूरी	तहसील बाली
176.	"	" लक्ष्मणलाल "	उपखण्ड कार्या. बाली	तहसील सोजत

पाली जिले में दिनांक 1-4-84 से 31-5-85 तक की अवधि में निरीक्षक भू. अ./सहायक सदर कानूनगो/आफिस कानूनगो के किये गये स्थानान्तरणों की सूची।

1. जिलाधीश (भू.अ.) पाली के आदेश क्रमांक 1182 दिनांक 18-4-84 के द्वारा

		कहां से	कहां को
1.	श्री रूपनाथसिंह	आफिस कानूनगो, पाली।	भू.अ.नि. उपखण्ड अधि. (भूमि रूपान्तरण) पाली
2.	श्री भैरूंसिंह	भू. अ. नि. उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) पाली	भू. अ. नि. सेवाड़ी तहसील पाली

2. जिलाधीश (भू. अ.) पाली के आदेश क्रमांक/संस्था/84/3127 दिनांक 12-7-84

क्र. सं.	नाम कर्मचारी		कहां से	कहां को
1.	सुभाष गुप्ता	ओ. के.	तहसील पाली	भू. अ. नि. खाण्डेरावत, बाली
2.	गोडसिंह	भू. अ. नि.	गहवाड़ा (पाली)	बगड़ी (सोजत)
3.	मदनसिंह	,,	पाली तहसील, पाली	भू. अ. नि. सुमेरपुर
4.	गुमानसिंह	,,	रोहट पाली	,, पाली (पाली)
5.	बद्रीप्रसाद	,,	सोड (पाली)	,, नहवाड़ा, पाली
6.	रूपाराम	,,	मुन्दोण, पाली	ओ. के. तहसील पाली
7.	रणजीतसिंह	,,	पाली (पाली)	भू. अ. नि. देसूरी (देसूरी)
8.	पन्नालाल	,,	सुमेरपुर, पाली	,, गुन्दोज, प
9.	भैरूंसिंह	,,	खेड़ा, पाली	,, पाली (पाली)
10.	गोडसिंह	,,	ढोला, पाली	,, मगरतलाब देसूरी
11.	भैरूंसिंह गेहलोत	,,	सेवाड़ी, पाली	ओ. के. तहसील कार्यालय, पाली
12.	जालमसिंह	भू. अ. नि.	देसूरी (देसूरी)	भू. अ. नि. नाडोल (देसूरी)
13.	ओंकारमल	,,	रानी, देसूरी	,, ढोला, पाली

1	2		3	4
14.	मोहनलाल	भू. प्र.नि	मगरतालाब, देसूरी	भू. प्र. नि. खोड़, पाली
15.	रामकरण	,,	नाडोल, देसूरी	,, सेवाड़ी, पाली
16.	राममनोहर	ओ. के.	तहसील कार्यालय म प्र.	,, मंडावत(सोजत)
17.	मुरसिंह	भू. प्र. नि.	मारवाड़ जंक्शन (मा.प्र.)	,, जैतारण(जैतारण)
18.	उगमसिंह	,,	तन्डी, सोजत	ओ. के. तहसील मा. प्र.
19.	रूपसिंह	,,	मंडावत, सोजत	भू.प्र.नि. मारवाड़ जंक्शन
20.	रामाकिशन	,,	मांडवास, सोजत	,, सेंदड़ा, रायपुर
21.	सुरजपुरी	ओ. के.	तहसील कार्यालय, रायपुर	,, बेड़ा, पाली
22.	चम्पालाल	,,	पिपलियाकलां रायपुर	,, शिवपुरा, सोजत
23.	चम्पालाल	,,	सेन्दड़ा, रायपुर	,, चांडवास, सोजत
24.	भवरलाल	ओ. के.	तहसील कार्यालय जैतारण	,, पिपलियाकलां, रायपुर
25.	आनन्दप्रकाश	भू. प्र. नि.	जैतारण (जैतारण)	ओ. के. तहसील कार्यालय, जैतारण
26.	गोविन्दलाल	,,	निमाज (जैतारण)	ओ. के. तहसील कार्यालय रायपुर
27.	धनराज सहा.सदर कानूनगो		जिलाधीश (भू. प्र.) पाली	भू. प्र. नि. रोहट, पाली
28.	रघुनाथसिंह	भू. प्र. नि.	उपखण्ड अधिकारी (भू. प्र.) पाली	सहायक सदर कानूनगो (भू. प्र) पाली
29.	जयदेवसिंह	,,	ढंबर, पाली	भू. प्र. नि. निम्बाज जैतारण
30.	रामदास	,,	साड़ेराव, पाली	,, रानी, देसूरी

3. जिलाधीश (मू. प्र.) पाली के पत्रांक सस्थापन/5432 दिनांक 2-11-84

क्र. सं	नाम	कहां से	कहां को
1.	श्री सुभाष गुप्ता	निरीक्षक मु. प्र. वृत साण्डेराव तह. पाली	मू. प्र. नि. प्रवकाश शाखा पाली
2.	,, गोविन्दलाल	ग्रोफिस कानूनगो सहा. रायपुर	ग्राफिस कानूनगो तह. जैतारण
3.	,, ग्रानन्द प्रकाश	ग्राफिस कानूनगो, तह, जैतारण	निरीक्षक मू. प्र. वृत शिवपुरा तह. सोजत
4.	,, सत्तारबक्स	मू. प्र. निरीक्षक वृत शिवपुरा तह. सोजत	ग्राफिस कानूनगो तह. सोजत
5.	,, जेठसिंह	पदोन्नति से	मू. ग्रभिलेख निरीक्षक वृत डाबर तह. पाली
6.	,, उम्मेदसिंह		मू. ग्रभिलेख निरीक्षक वृत निमाज तह. जैतारण

4. जिलाधीश (मू. प्र.) पाली के ग्रादेश क्रमांक/संख्या 85/171 दिनांक 7-1-85

1.	श्री रतनलाल मीणा (मु.प्र.) निरीक्षक	ग्रादेश की प्रतिक्षा में	साण्डेराव

5. जिलाधीश (मू. प्र.) पाली के ग्रादेश क्रमांक मू. प्र./वि. प्र./84/5614 दिनांक 9-11-84

1.	श्री किशनसिंह	निलम्बन से बहाल	मू. प्र. नि. भूमि रूपान्तरण, पाली

उपखण्ड ग्रधिकारी, पाली

जिलाधीश (मू. प्र.) पाली

परिशिष्ट "ग"

पाली जिले में 1 अप्रेल, 1985 से 31 मई, 1985 तक तहसील तथा उपखण्ड कार्यालय में कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिकों के स्थानान्तरण के बाद फिर उसी स्थान पर पहुंचे लिपिकों की सूची :

क्र. सं.	नाम लिपिक मय पद		कहां से	कहां को
1.	श्री विजयसिंह	वरिष्ठ लिपिक	उपखण्ड कार्या., बाली	कोषालय, पाली
2.	,, भंवरलाल	,,	उपखण्ड कार्या., बाली	कोषालय, पाली
3.	,, अकबर खां	,,	जिलाधीश (विकास)	उपखण्ड कार्यालय बाली
4.	,, कृष्णमल	,,	उपखण्ड कार्या., पाली	उपखण्ड कार्यालय सोजत
5.	,, देवराज लोढ़ा	,,	जिला रसद कार्यालय, पाली	उपखण्ड कार्यालय सोजत
6.	,, ओमप्रकाश	,,	जिलाधीश (चुनाव)	उपखण्ड कार्यालय सोजत
7.	,, बच्चूबाबू	कनिष्ठ लिपिक	तहसील मा. जंक्शन	उपखण्ड कार्यालय सोजत
8.	,, ताजूखां	,,	कोषालय पाली	तहसील मारवाड़ जंक्शन
9.	श्रीमती कलावती	,,	उपखण्ड कार्यालय सोजत	तहसील मारवाड़ जंक्शन
10.	श्री खूमाराम	,,	तहसील देसूरी	तहसील मारवाड़ जंक्शन
11.	,, अर्जुनसिंह	,,	तहसील मा. जंक्शन	तहसील सोजत
12.	,, चुनाराम	,,	तहसील बाली	तहसील देसूरी

जिला कलेक्टर, पाली

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न सं. 530 की सूची)

राजस्थान राज्य में नमक उत्पादन के क्षेत्र :-

सूची "क"

क्रमांक	नमक क्षेत्र का नाम	राजस्थान मू राजस्व लवण क्षेत्र निगम 1970 के अन्तर्गत घषित क्षेत्रफल।	कृषि से अकृषि परिवर्तित नियमों के अन्तर्गत आवंटित भूमि का क्षेत्रफल	तहसील	जिला	विशेष विवरण।
1.	सांभर झील	–	–	सांभरलेक	जयपुर	यह नमक क्षेत्र में हिन्दुस्तान साल्टस लि. की ईकाई मै. सांभर साल्टस लि. (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) के अधीन कार्यरत है।
2.	डीडवाना	–	–	डीडवाना		यह तीनों नमक उत्पादन क्षेत्र राजकीय उपक्रम विभाग के अघिन कार्यरत हैं।
3.	पचपदरा	–	–	पचपदरा		
4.	खेड़	1861 बीघा 2 बिस्वा		"		

1	2	3	4	5	6	7
5	कुचामन खारड़ा	1541.5 एकड़	26 बीघा	नांवा	नागौर	यह क्षेत्र उद्योग विभाग के नियंत्रण में है इन सभी क्षेत्रों में राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत किसी इकाइयों के पक्ष में भूमि का आवंटन लीज पर किया गया है। इसमें निजी इकाइयों द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों में खातेदारी कृषि भूमि को भी राजस्व विभाग द्वारा लवण भूमि में परिवर्तन कर खातेदारों के पक्ष में आवंटन किया गया है। इनमें निजी इकाइयों द्वारा नमक उत्पादन किया जा रहा है। डेडिया क्षेत्र में निजी इकाइयों को नमक उत्पादन के लिए भूखण्डों के आवंटन हेतु विभाग द्वारा भूखण्डों के
6.	सरगोठ	509.5 एकड़	23 एकड़ (58बीघा)	"	"	
7.	उल्हाड़ा	54.5 एकड़	–	"	"	
8.	खारड़िया	95.0 एकड़	–	"	"	
9.	तालछापर	1076.68 एकड़	384 बीघा 8 बिस्वा	सुजानगढ़	चूरू	
10.	मलार रिण	10000 एकड़	885 (मलार)	फलोदी	जोधपुर	
11.	बापरिण					
12.	पोकरण	2700 एकड़	–	पोकरण	जैसलमेर	
13.	गुढ़ी	5834.37 एकड़	–	"	"	
14.	काणोदरावलता	6205 एकड़	–	जैसलमेर	"	
15.	मीठड़ी	–	58 एकड़	नांवा	नागौर	
16.	जावदीनगर	–	1699बीघा 16बिस्वा	"	"	
17.	गोविन्दी	–	145 बीघा 10बिस्वा	"	"	
18.	राजास	–	360 बीघा 12बिस्वा	"	"	
19.	गुढ़ा	–	122बीघा 5 बिस्वा	"	"	

1	2	3	4	5	6	7
20.	मोहनपुरा	–	25 बीघा	मांवा	नागौर	सीमांकन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।
21.	नावां	–	77 बीघा	लाडनूं	नागौर	
22.	खानपुर खारड़ा	–	50 बीघा	"	"	
23.	रेवासा	–	146बीघा 18बिस्वा	दाता-रामगढ़	सीकर	
24.	डेढिया	3380 बीघा 3 बिस्वा	–	फलौदी	जोधपुर	

परिशिष्ट--10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 531 की सूची)

राजस्थान वित्त निगम विक्रय की गई इकाइयों की सूची

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	बेची गई इकाई का नाम	विक्रय मूल्य (रु लाखों में)	क्या क्रेता इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया	अतिरिक्त वित्तीय सहायता	वर्तमान में चालू है या बन्द है	अगर पुनः बन्द हुई तो बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ष 1980-81.					
1.	मैसर्स राजस्थान स्टील प्रोडक्ट्स, भीटवाड़ा	0.78	हां	नहीं	चालू है	-
2.	,, मेहता आइसक्रीम फैक्ट्री, नागौर	0.19	,,	,,	,,	-
3.	,, जयश्री उद्योग, विश्वकर्मा, जयपुर	3.85	,,	,,	,,	-
4.	,, जयपुर स्टील कास्टिंग एण्ड फोरजिंग प्रा. लि. वि., जयपुर	1.81	,,	,,	बन्द है	-

1	2	3	4	5	6	7
5. मैसर्स	राजस्थान प्लास्टिक एण्ड आयरन वर्क्स, विश्वकर्मा, जयपुर	1.70	हां	नहीं	चालू है	–
6. ,,	अरुण वीविंग एण्ड डाइंग वर्क्स, सीकर	1.04	,,	,,	बन्द है	–
7. ,,	बडाया फैब्रिक्स, विश्वकर्मा, जयपुर	1 60	,,	,,	चालू है	–
8. ,,	अरुण आयल मिल, निवाई, टोंक	2.10	,,	,,	,,	–
9. ,,	दी गम अरेबिक प्रोसेसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लि., उदयपुर	24.93	,,	रकम रु. 4.75 लाख हां	,,	–
10. ,,	माडर्न शुगर वर्क्स, खानपुरा, झालावाड़	4.16	,,	नहीं	चालू है	–
11. ,,	गुप्ता मैटल इण्डस्ट्रीज, भिवाडी	1.12	,,	,,	,,	–
12. ,,	रतन राइस एण्ड फ्लोर मिल, गंगानगर	0.56	,,	,,	,,	–
13. ,,	श्री पदम चन्द्र जैन, बांसवाड़ा	1.15	,,	,,	,,	–
14. ,,	स्टील इण्डिया, विश्वकर्मा, जयपुर	3.23	,,	,,	,,	–

1	2	3	4	5	6	7
15.	मैसर्स परफैक्ट एग्रो इंडस्ट्रियल एन्टरप्राइजेज वी. के. आई. ए., जयपुर	2.48	हाँ	नहीं	चालू है	–
16.	,, टी एण्ड डी इक्विपमेंट, वी. के., जयपुर	0.90	,,	,,	,,	–
17.	,, स्पीनेक्स इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि., अलवर	2.91	,,	हाँ रकम रु. 0.35 लाख	,,	–
18.	,, स्टील फर्नीचर्स, अलवर	0.90	,,	नहीं	,,	–
19.	,, राजस्थान केमिकल लेबोरेट्रीज, अलवर	1.35	,,	हाँ रु. 1.01 लाख	,,	–
20.	,, गोविन्दसिंह धर्मप्रकाश, जोधपुर	1.36	,,	नहीं	,,	–
21.	,, प्रेम प्लास्ट प्रा. लि., विश्वकर्मा, जयपुर	1.63	,,	,,	,,	–
22.	,, जयपुर बेरियम प्रोडक्टस एण्ड केमिकल्स विश्वकर्मा, जयपुर	3.77	,,	,,	,,	–
23.	,, अजब केमिकल्स, विश्वकर्मा, जयपुर	1.20	,,	,,	,,	–
24.	,, यादवमेटल वर्क्स, अलवर	1.70	नहीं	,,	बन्द है	–

1	2	3	4	5	6	7
25.	मैसर्स पटेल डीजल सर्विस, भरतपुर	0.23	हां	नहीं	चालू है	–
26.	,, अजय केमिकल्स, विश्वकर्मा, जयपुर	1.13	नहीं	,,	बन्द है	–
27.	,, बृज ग्राइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, भरतपुर	0.60	हां	,,	चालू है	–
28.	,, राधेश्याम शर्मा, जयपुर	0.98	,,	,,	,,	–
29.	,, कन्हैयालाल, जयपुर	0.32	,,	,,	,,	–
30.	,, नाथूलाल, जयपुर	0.34	,,	,,	,,	–
31.	,, सुमित्रा माथुर, जयपुर	0.32	,,	,,	,,	–
32.	,, फेब्रमेक इन्जिनियरिंग, कोटा	1.61	,,	,,	,,	–
वर्ष 1981-82						
33.	,, न्यू वेज एन्टरप्राइजेज, अलवर	1.57	नहीं	,,	बन्द है	–
34.	,, राजस्थान यूटेन्सील्स, भिवाड़ी	0.81	हां	,,	चालू है	–
35.	,, गणेश पोलिथिन, अजमेर	0.35	,,	,,	,,	–
36.	,, जय इंडस्ट्रीज, अजमेर	0.30	,,	,,	,,	–

1	2	3	4	5	6	7
38.	मैसर्स भावना स्टोन, जोधपुर	21.65	हां	नहीं	चालू है	–
39.	,, ए. के. फोटोकापियर्स, टौंक	0.10	,,	,,	,,	–
40.	,, मान डाइंग कम्पनी, पाली	1.50	,,	,,	,,	–
41.	,, राजस्थान गेफाइट प्रा. लि., उदयपुर	6.44	,,	,,	,,	–
42,	,, नालन्दा इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	6.55	,,	,,	,,	–
43.	,, महाराजा सिंह दाल मिल, भरतपुर	1.40	,,	,,	,,	–
44	,, खण्डेलवाल ग्राइस मिल, भरतपुर	0.92	,,	,,	,,	–
45.	,, भारत इण्डस्ट्रीज. जयपुर	1.51	,,	,,	,,	–
46.	,, गुरुनानक ग्राइल मिल प्रा. लि., जयपुर	3.01	,,	हां रुपये 5.93 लाख	,,	–
47.	,, एलिगेंट टाइल्स, जयपुर	7.52	,,	नहीं	,,	–
48.	,, धीरज ग्लास इण्डस्ट्रीज, जयपुर	2.47	,,	,,	,,	–
49.	,, दगतोष इन्डस्ट्रियल को पो , जयपुर	2.38	,,	,,	,,	–
50.	,, बाम्बे होजरी, जयपुर	2.04	,,	,,	,,	–

1	2	3	4	5	6	7
51.	मैसर्स ग्रार. सी. एजेन्सी, जयपुर	0.26	हां	हां रुपये 0.43 लाख	चालू है	–
52.	,, सोलंकी आर्ट प्रिन्टर्स, जयपुर	2.25	,,	नहीं	,,	–
53.	,, ग्रजीत सक्सेना, जयपुर	0.57	,,	,,	,,	–
54.	,, छाजू लाल वर्मा, जयपुर	2.17	,,	,,	,,	–
55.	,, जन सेवा ग्रारोग्य सदन, सीकर	2.00	,,	,,	,,	–
56	,, बालाजी ग्रायल मिल्स, सीकर	3.55	,,	,,	,,	
वर्ष 1982-83						
57.	,, पुरोहित ग्राइस फैक्ट्री, वि.. जयपुर	4.77	,,	,,	,,	–
58.	,, राज ग्लास कन्टेनर्स वि., जयपुर	1.27	नहीं	,,	बन्द है	–
59	, पुरोहित प्लास्टिक रिप्रोसेस मेन्यु., ग्रलवर	0 32 केवल मशीन	,	,,	,,	–
60.	,, ग्रचरज ग्रायल मिल, जीलिया–11, ग्रजमेर	0.47	हां	,,	चालू है	–

1	2	3	4	5	6	7
61.	मैसर्स पंकज प्रायल मिल, बांसवाड़ा	0.77	हां	नहीं	चालू है	–
62.	„ राजेन्द्र ट्रेडिंग कं. इं.ड. एरिया, बालोतरा	2.52	„	„	„	–
63.	„ पारीक उद्योग, बूंदी	0.15	„	„	„	–
64.	„ शर्मा इण्ड., चूरू	0.60	„	„	„	–
65.	„ गोल्डन प्लास्टिक उद्योग, चूरू	0.05	„	„	„	–
66-	„ कपूर केमिकल्स, दौसा	0.97	„	„	„	–
67.	„ सुन्दर संस, इं.ड. प्रा. लि., जयपुर	5.30	„	„	„	–
68.	„ मारुति स्टोन प्रेशर, जयपुर	0.68	„	„	„	–
69.	„ जेकब जोसक, जयपुर	0.60	„	„	„	–
70,	„ जैन एण्ड कम्पनी, सांगानेर	0.52	„	„	„	–
71.	„ डायमण्ड होटल, जयपुर	3.66	„	„	„	–
72.	„ जयमल मार्बल इण्डस्ट्रीज, मकराना	0.45	„	„	„	–
73.	„ फतेह मोहम्मद, मकराना	1.61	„	„	„	–
74.	„ पापड़िया मार्बल इण्ड., मकराना	1.40	„	„	„	–

1	2	3	4	5	6	7
75.	मैसर्स पीलीबंगा ग्रायल मिल, पीलीबंगा	3.36	हां	नहीं	चालू है	—
76.	" जगदीश इसबगोल इण्ड., सिरोही	0.62	"	"	"	—
77.	" विजय ड्रग हाउस, ग्राबूरोड	0.63	"	"	"	—
78.	" रेश्मा ग्राइरन इण्ड., टोंक	1.24	नहीं	"	बन्द है	—
79,	" मोहम्मद नूर पुत्र ग्रल्लाह नूर, टोंक	0 07	"	"	"	—
80.	" मैटल्स एण्ड मैटल्स, टोंक	0.18	हां	"	चालू है	—
81.	" महावीर कोल्ड स्टोरेज एण्ड ग्राइस फैक्ट्री, निवाई	1.60	नहीं	"	बन्द है	—
82.	" विजय ग्राइल मिल, उदयपुर	0.45	"	"	चालू है	—
83.	" महामाया माईनिंग इण्ड., वि., जयपुर	13.10	हां	"	"	—
84.	मैसर्स एम. के. सा मिल, ग्रजमेर	0.23	नहीं	नहीं	बन्द है	—
85.	,, कांकरियां दाल मिल, ग्रजमेर	2.41	नहीं	नहीं	बन्द है	—
86.	,, ग्रखिलेश इंडस्ट्रीज, ग्रजमेर	1.18	नहीं	नहीं	बन्द है	—
87.	,, सन्सू कृषि यन्त्र उद्योग, भिवाड़ी	2.56	हां	नहीं	चालू है	—

1	2	3	4	5	6	7
88.	मैसर्स अलवर ड्रग एण्ड सेनेटरी प्रोडेक्ट, अलवर	0.18	नहीं	नहीं	बन्द है	–
89.	,, यूनाइटेड इन्जिनियरिंग वर्क्स अलवर	1.51	हां	नहीं	चालू है	–
90.	,, राजस्थान सर्जिकल, अलवर	3.50	हां	2.97	चालू है	–
91.	,, टैक्नोमैक इन्डस्ट्रीज, अलवर	2.91	नहीं	नहीं	बन्द है	–
92.	,, राजस्थान बिलेड, अलवर	2.01	नहीं	नहीं	बन्द है	–
93.	,, पी. गेनिक कैमिकल्स, अलवर	1.72	नहीं	नहीं	बन्द है	–
94.	,, मेलिबल कास्टींग एण्ड इन्जिनियरिंग, अलवर	2.31	नहीं	नहीं	बन्द है	–
95.	,, प्यारे लाल एण्ड कम्पनी, भरतपुर	0.90	हां	नहीं	चालू है	–
96.	,, सुरेश चन्द्र मित्तल, भरतपुर	1.52	हां	नहीं	चालू है	–
97.	,, घन लक्ष्मी आयल मिल, बाड़मेर	1.09	नहीं	नहीं	बन्द है	–
98.	,, नोरेन्द्र आयल मिल, भिलवाड़ा	2.75	हां	नहीं	चालू है	–
99.	,, कैलाश एन्टरप्राइजेज, भिलवाड़ा	1.25	हां	नहीं	चालू है	–
100.	,, झंवर इण्डस्ट्रीज, उदयपुर	3.26	हां	नहीं	चालू है	–
101.	,, प्रकाश स्टोव इण्ड. चूरू	0.08	हां	नहीं	चालू है	–
102.	,, पदम इण्ड. चूरू	0.24	हां	नहीं	चालू है	–

1	2	3	4	5	6	7
103.	मैसर्स जय नारायण किशनकुमार, जयपुर	1.50	हां	नहीं	चालू है	–
104.	,, वाटसन कैपलूस, जयपुर	1.11	हां	नहीं	चालू है	–
105.	,, बाबूलाल बुनकर, जयपुर	0.85	नहीं	नहीं	बन्द है	–
106.	,, अशोक कुमार जैन, जयपुर	0.30	हां	नहीं	चालू है	–
107.	,, नाथू लाल, जयपुर	0.26	हां	नहीं	चालू है	–
108.	,, श्री राम पाल रैगर, जयपुर	0.72	हां	नहीं	चालू है	–
109.	,, जीवन राम रैगर, जयपुर	0.57	हां	नहीं	चालू है	–
110.	,, रोपटन इण्ड., जयपुर	0.50	नहीं	नहीं	बन्द है	–
111.	,, राधा कृष्ण चौधरी, जयपुर	1.21	हां	नहीं	चालू है	–
112.	,, गोपाल एण्ड कम्पनी, जयपुर	1 44	हां	नहीं	चालू है	–
113.	,, गणेश पाइप एण्ड, जयपुर	0.85	हां	नहीं	चालू है	–
114.	,, चिमन लाल, जयपुर	0.18	हां	नहीं	चालू है	–
115.	,, आशिष कामिशयल सेंटर, जयपुर	5.57	हां	नहीं	चालू है	–
116.	,, रयाली राम कन्हैया लाल, जयपुर	2.05	हां	नहीं	चालू है	–
117.	,, अर्जुन लाल, जयपुर	1.09	हां	नहीं	चालू है	–

1	2	3	4	5	6	7
118.	मैसर्स रामा टैक्सटाईल, जयपुर	0.35	हां	नहीं	चालू है	–
119.	,, गणेश आयरन एण्ड स्टील इण्ड., भीलवाड़ा	1.08	हां	नहीं	चालू है	–
120.	,, राजेन्द्र नाथ भार्गव, जयपुर	0.72	हां	नहीं	चालू है	–
121.	,, हुमैन इन्जिनियरिंग वर्क्स, झालावाड़	0.65	हां	नहीं	चालू है	–
122.	,, प्रि कैसलिन स्टोन पोलिशिंग, झालावाड़	0.18	हां	नहीं	चालू है	–
123	,, शिव शा आयल मिल, झालावाड़	0.19	हां	नहीं	चालू है	–
124.	,, राजस्थान थ्रेड बाइंडिंग, झालावाड़	0.17	हां	नहीं	चालू है	–
125.	,, श्री बलराम, झालावाड़	1.64	हां	नहीं	चालू है	–
126.	,, एस. एल. इण्ड, कोटा	1.45	हां	नहीं	चालू है	–
127.	,, मारवाड प्रोसेसिंग, पाली	3.47	हां	नहीं	चालू है	–
128.	,, श्रीराम यांत्रिक उद्योग, गंगानगर	1.75	हां	नहीं	चालू है	–
129	,, सरोज इन्टरनेशनल, टौंक	0.07	हां	नहीं	चालू है	–
130.	,, जय आयल मिल, टौंक	0. 5	हां	नहीं	चालू है	–
131.	,, सेठिया मेंटल एण्ड एलाइड, उदयपुर	11.00	हां	नहीं	चालू है	–
132.	,, गुलाब प्रिन्टिंग प्रेस, उदयपुर	0.80	नहीं	नहीं	बन्द है	–

1	2	3	4	5	6	7
133	मैसर्स गरणपति उद्योग, बी.के.आई., जयपुर	2.47	हां	नहीं	चालू है	–
134	,, श्री आई. एस. मित्तल, डूंगरपुर	1.35	हां	नहीं	चालू है	–
135.	,, श्री पी. एम. जैन, डूंगरपुर	1.35	हां	नहीं	चालू है	–
136.	,, नन्द लाल, झालावाड़	0.32	हां	नहीं	चालू है	–
137.	,, श्री नारायण मीणा, जयपुर	1.01	हां	नहीं	चालू है	–
138.	,, नवल किशोर सेन, जयपुर	0.90	हां	नहीं	चालू है	–
139.	,, राजेन्द्र कुमार शर्मा, जयपुर	0.39	हां	नहीं	चालू है	–
140.	,, प्रकाश चन्द्र पालीवाल, जयपुर	0.34	हां	नहीं	चालू है	–
141.	,, विकास इण्ड जयपुर	1.50	हां	नहीं	चालू है	–
142.	,, अरावली टूल्स प्रा. लि. अलवर	4.51	नहीं	नहीं	बन्द है	–
143.	,, यादवेन्द्र टैक्सटाइल्स, जयपुर	0.32	हां	नहीं	चालू है	–
144.	,, मारूति स्टोन क्रेशर, जयपुर	1.01	हां	नहीं	चालू है	–
145	,, डाइमेंशनल प्लास्टिक ग्लास, जयपुर	10.50	हां	नहीं	चालू है	–
146	,, जय इस्पात इण्ड. चूरू	0.66	हां	नहीं	चालू है	–
147.	,, अन्नपूर्णा इण्ड चूरू	0.35	हां	नहीं	चालू है	–

1	2	3	4	5	6	7
148.	मैसर्स इन्टरनेशनल फेल्टस, जयपुर	4.40	हां	हां (4 40 लाख)	चालू है	–
149.	,, आनन्द टूल्स, विश्वकर्मा, जयपुर	10.50	हां	नहीं	चालू है	–
150.	,, जी. सी. टिन प्रोडक्ट, जयपुर	5.34	नहीं	नहीं	बन्द है	–
151.	,, टंडन कोल्ड स्टोरेज, जयपुर	13.98	हां	नहीं	चालू है	–
1984–85						
152.	,, बन्सल पाइप प्रा. लि. अलवर	61.00	नहीं	नहीं	बन्द है	–
153.	,, राजस्थान कोटन वेस्ट, भिवाड़ी	2.05	हां	हां (1.80 लाख)	चालू है	–
154.	,, नवभारत हैण्डलूम, भिवाड़ी	1.60	नहीं	नहीं	बन्द है	–
155.	,, विष्णु आइस फैक्ट्री, भिवाड़ी	2.50	हां	नहीं	चालू है	–
156.	,, राजस्थान यूटेन्सील, भिवाड़ी	2.04	नहीं	नहीं	बन्द है	–
157.	,, बटर बर्थ इण्डिया प्रा लि., भिवाड़ी	1.58	नहीं	नहीं	बन्द है	–
158.	,, सन्तोष आइरन एण्ड फाउण्ड्री, भरतपुर	1.95	नहीं	नहीं	बन्द है	–
159.	,, प्योर ड्रग फार्मासूटिकल, विश्वकर्मा, जयपुर	0.64	नहीं	नहीं	बन्द है	–

1	2	3	4	5	6	7
160.	मैसर्स पारन टैक्नो टेक्सटल, विश्वकर्मा जयपुर	1.75	नहीं	नहीं	बन्द है	—
161.	,, प्रिन्स इजि. विश्वकर्मा, जयपुर	0.77	नहीं	नहीं	बन्द है	—
162.	,, राजस्थान इन्जी. एण्ड केवल्स, जयपुर	2.62	हां	नहीं	चालू है	—
163.	,, मोरेन शेरा लेबोरेटरिज, जयपुर	3.30	हां	नहीं	चालू है	—
164.	,, आनन्द मिनरल, जयपुर	5.55	हां	नहीं	चालू है	—
165.	,, पोलिक्रिम्स प्रा. लि, जयपुर	6 55	नहीं	नहीं	बन्द है	—
166.	,, महाराजा ड्रेसेज, जयपुर	0 26	हां	नहीं	चालू है	—
167.	,, आशा ब्रिक्स फैक्ट्री, भीलवाड़ा	1.55	हां	नहीं	चालू है	—
168.	,, श्रीमती स्नेहलता बोरडिया, भीलवाड़ा	1.28	,,	,,	,,	—
169.	,, गोवर्धन लाल अग्रवाल, भीलवाड़ा	0.45	,,	,,	,,	—
170.	,, राजस्थान सर्जिकल प्रोड., भीलवाड़ा	3.15	,,	,,	,,	—
171.	,, गणेश आइरन एण्ड स्टील इण्ड., भीलवाड़ा	1.10	,,	,,	,,	—
172	,, पकज आयल मिल्स, बासवाड़	140	नहीं	नहीं	बन्द है	—

1	2	3	4	5	6	7
		(भूमि एवं भवन)				
173.	मैसर्स बांसवाड़ा इन्ड. कारपो., बांसवाड़ा	2.00	नहीं	नहीं	बन्द है	–
174.	,, धरी प्रिन्टिग प्रेस, बांसवाड़ा	0.18	,,	,,	,,	–
175.	,, बांगूहींथ उद्योग केन्द्र, बांसवाड़ा	0.03	हां	,,	चालू है	–
176.	,, लक्ष्मी ग्राइस फैक्ट्री, बांसवाड़ा	2.62	,,	,,	,,	–
177.	,, जैन प्लास्टिक, बांसवाड़ा	–	,,	,,	,,	–
178.	,, बजरंग आरा मशीन, चित्तोड़गढ़	0.18	,,	,,	,,	–
179.	,, खेरादी मार्बल इन्ड., चित्तोड़गढ़	1.50	,,	,,	,,	–
180.	,, बजरंग स्टोन पालिस, चित्तोड़गढ़	0.55	,,	,,	,,	–
181.	,, जीवन ग्राइस केन्डी, चित्तोड़गढ़	0.55	,,	,,	,,	–
182.	,, श्रीराम इन्जीनियरिंग वर्क्स, चित्तोड़गढ़	0.58	,,	,,	,,	–
183.	,, श्री नाथ इन्ड., चित्तोड़गढ़	0.40	,,	,,	,,	–
184.	,, अशोक इन्ड.—चित्तोड़गढ़	0.91	,,	,,	,,	–
185.	,, हिमाल मार्बल, चित्तोड़गढ़	0.65	,,	,,	,,	–
186.	,, महादेव स्टोन पालिस, चित्तोड़गढ़	0.60	,,	,,	,,	–

1	2	3	4	5	6	7
187.	मैसर्स स्टार पेपर बेग इन्ड., चित्तोड़गढ़	0.50	हां	नहीं	चालू है	—
188.	,, नेशनल ग्राफसेट प्रेस, कोटा	1.39	,,	,,	,,	—
		(भूमि एवं भवन)				
189.	,, कार्बोहाइड्रेट केमिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोटा	1.55	नहीं	नहीं	बन्द है	—
		(भूमि एवं भवन)				
190.	,, महावीर ग्राइस केन्डी, बूंदी	0.22	नहीं	नहीं	बन्द है	—
191.	,, नाजिया एन्टरप्राइजेज, बूंदी	0.13	,,	,,	,,	—
192.	,, लक्ष्मी इन्ड., बूंदी	0.38	,,	,,	,,	—
193.	,, एवन ग्राइस केन्डी, झालावाड़	0.27	हां	,,	चालू है	—
194.	,, लक्ष्मी एन्टरप्राइज बुक, झालावाड़	0.19	नहीं	,,	बन्द है	—
195.	,, राजेश साइकिल, झालावाड़	1.16	,,	,,	,,	—
196.	,, ग्रोमेगा फूड प्रो., श्री गंगानगर	1.25	हां	,,	,,	—
197	,, महाकाली इण्ड., श्री गंगानगर	0.59	,,	,,	,,	—
198.	,, मोलानी डाइंग वर्क्स, बीकानेर	1.94	,,	,,	,,	—
199.	,, ब्रजरज ग्रायल मिल, अजमेर	1.51	नहीं	,,	,,	—
200.	,, राजेन्द्र सिरेमिक्स एण्ड फायर ब्रिक्स, अजमेर	2.1[illegible]	,,	,,	,,	—
201.	, व्यास इण्ड., अजमेर	0.11	,,	,,	,,	—
202.	,, गोरी गणेश ग्राइंडिंग मिल, अजमेर	1.71	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7
203.	मैसर्स भगवती आयरन फाउण्ड्री, अजमेर	0.93	नहीं	नहीं	बन्द है	–
204.	,, हरि कृष्ण भगवान दास	0.65	,,	,,	,,	–
205.	मैसर्स लक्ष्मी डीजल पम्प सर्विस, पाली	0.27	हां	नहीं	चालू है	–
206.	,, श्री फोटो कापियर्स, नागौर	0.12	,,	,,	,,	–
207.	,, श्री राम आयल इंड. टौंक	0.08	नहीं	,,	बंद है	–
208.	,, मधु सरीता ग्रामोद्योग ,,	0.05	,,	,,	,,	–
209.	,, जी. सी. आयल मिल, ,,	1.31	,,	,,	,,	–
210	,, राजस्थान स्टोन क्रेशर,,	1.43	,,	,,	,,	–
211.	,, गोयल प्रिंटिंग प्रेस, ,,	0.28	,,	,,	,,	–
212.	,, अंजनी फाउन्ड्री ,,	0.22	,,	,,	,,	–
213	,, शिव शंकर आरा मशीन,	0.13	,,	,,	,,	–
214.	,, भारत सोप आयल मिल,सवाई माधोपुर	0.40	हां	,,	चालू है	–
215.	,, श्री डी. के जैन, डूंगरपुर	1.21	नहीं	,,	बंद है	–
216.	,, पी. एस. जैन, ,,	1.75	हां	,,	चालू है	–
217.	,, छीतर लाल मीना, बूंदी	1.30	,,	,,	,,	–
218.	,, अजन्ता हाथ कर्घा,	0.14	नहीं	,,	बंद है	–
219.	,, श्री ओम प्रकाश सैनी, सीकर	0.76	हां	,,	चालू है	–
220.	,, श्री जगदीश प्रसाद पिलानिया, सीकर	0.40	हां	,,	,,	–
221.	,, बृजलाल सैनी, सीकर	0,12	,,	,,	,,	–

(387)

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान वित्त निगम

इकाइयां जिन्हें विक्रय के बाद खरीददारों के अतिरिक्त ऋण दिया गया:

क्र. स.	इकाई का नाम जिसे निगम द्वारा बेचा गया	क्रेता का नाम	विक्रय राशि (राशि लाख में)	अतिरिक्त ऋण विक्रय के बाद स्वीकृत किया गया (राशि लाख में)	वर्तमान में चालू है अथवा बंद है।
1	2	3	4	5	6
1.	मैं. गम अरेबिक प्रोसेसर्स व डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, उदयपुर	मैं. एन. देवीदास एंड कं. उदयपुर	24.93	4.75	चालू है।
2.	,, स्पोजेक्स इलेक्ट्रिकल प्रा. लि. अलवर	,, मेगपाई इलेक्ट्रोनिक्स अलवर	2.91	0.35	,,
3.	,, राजस्थान कैमीकल्स लेबोरेट्रिज अलवर	,, लायन डाइकेम, अलवर	1 35	1.01	,,
4.	,, गुरुनानक आइस मिल, जयपुर	,, गोयल आइल एंड दाल मिल	3.01	5.93	,,

1	2	3	4	5	6
5.	मैसर्स राजस्थान कॉटन वेस्ट, भिवाडी, अलवर	मै. हिन्दुस्तान एस्बेस्टोज	2.05	1.80	चालू है
6.	„ इन्टरनेशनल फेल्ट्‌स वी. के. आई. जयपुर	„ एस. फैल्ट्स, वि. कर्मा जयपुर	4.40	4.40	„
7.	„ श्री राम यांत्रिक उद्योग, गंगानगर	„ कोठारी आइस फैक्ट्री गंगानगर	1.75	1.76	„
8.	„ आर. सी. एजेन्सीज, जयपुर	„ आनन्द मैटल्स	0.26	0.43	„
9.	„ राजस्थान सर्जीकल, अलवर	„ ए. ओ. गैसेज, जयपुर	3.50	2.97	„

परिशिष्ट "क"

राजस्थान वित्त निगम

निगम द्वारा विक्रय के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया

राजस्थान वित्त निगम बंद एवं रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए सर्वप्रथम यह कोशिश करता है कि मूल ऋणी स्वयं उत्पादन शुरू करे। इसके लिए विशेष सुविधाएं एवं रियायतें जैसे कि दण्डनीय ब्याज में माफी किश्तों का पुनः निर्धारण, अतिरिक्त वित्तीय सहायता, बेंको को कार्यशील पूंजी हेतु सिफारिश तथा राज्य सरकार के अन्य विभागों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों के लिए सिफारिश।

जब मूल ऋणी स्वयं उत्पादन शुरू नहीं कर पाता अथवा अपनी असमर्थता प्रकट करता है तो निगम ऐसी इकाई में सर्वप्रथम इकाई के प्रवर्तकों को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 30 के अन्तर्गत निगम की समस्त बकाया राशि का भुगतान एक साथ करने की मांग करता है तथा साथ में यह भी चेतावनी देता है कि यदि निश्चित अवधि तक यह राशि जमा नहीं करायी गई तो राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इस नोटिस के बावजूद भी यदि उद्यमी इकाई में पुनः उत्पादन शुरू नहीं करता है तो इकाई की परिसम्पत्तियों का राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्बन्धित इकाई की परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण कर विक्रय के लिए कार्यवाही करता है। किसी भी इकाई की परिसम्पत्तियों का विक्रय निगम या तो मूल ऋणी की सहमती से या खुली नीलामी द्वारा करता है।

1. मूल ऋणी की सहमती :

जब मूल ऋणी स्वयं लिखित में निगम को अपनी सहमती देता है कि उसकी इकाई की परिसम्पत्तियां अमुक व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाये। तथा खरीददार लिखित में उन्हें क्रय करने का निवेदन करता है तो निगम ऐसे मामलों में निगम द्वारा तय की गयी विक्रय राशि का एक निश्चित भाग अग्रिम जमा करवाता है तथा शेष खरीददार के पक्ष मे ऋण मान लिया जाता है जिसे वह तिमाही किश्तों में निश्चित ब्याज दर पर चुकाता है। साधारणतया विक्रय राशि चुकाने के लिए 5 वर्ष का समय दिया जाता है।

2. नीलामी द्वारा विक्रय :

इसके अन्तर्गत निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है :—

(1) अधिग्रहण के पश्चात निगम इकाई के विक्रय के लिए राज्य में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में विक्रय के लिए विज्ञापन देता है। कुछ विशेष मामलों में विज्ञापन राज्य के बाहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में भी दिये जाते हैं तथा छोटे एवं ग्रामीण इलाकों में स्थित उद्योगों के लिए माइक, पैम्पलेट आदि द्वारा प्रचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा प्रकाशित सामग्री में भी ऐसी इकाइयों का विवरण होता है।

(2) विज्ञापन के पश्चात निश्चित समय एवं स्थान पर, तिथि पर इकाई के विक्रय के लिए बोली लगाई जाती है। इस नीलामी के लिए निगम के नियमानुसार एक नीलामी कमेटी होती है।

(3) बोली के पश्चात नीलामी कमेटी अपनी सिफारिशों के साथ नीलामी कार्यवाही का विवरण बोली स्वीकार करने के लिए अधिकृत अधिकारी के पास भेजता है।

(4) किसी बोली को स्वीकार करने के लिए अधिकृत अधिकारी इकाई की परिसम्पत्तियों के वर्तमान बाजार मूल्यों को देखते हुए बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करता है।

(5) यदि यह बोली स्वीकार कर ली जाती है तो अधिकतम बोलीदार को नीलामी के समय पर घोषित शर्तों के अनुसार परिसम्पत्तियों का कब्जा दे दिया जाता है।

(6) साधारणतया निगम विक्रय राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम जमा करता है। तथा शेष को ऋण में बदल देता है जो कि खरीददार 5 वर्षों में चुकाता है।

विक्रय के पश्चात विक्रय राशि का समायोजन मूल ऋणी के खाते में किया जाता है इसके पश्चात यदि कोई राशि शेष बकाया रहती है तो उसकी वसूली मूल ऋणी से की जाती है। मूल ऋणी नहीं चुकाता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जाता है। इसके अलावा लघु उद्योगों के मामलों में निगम निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय निगम की क्रेडिट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत क्लेम दायर करता है। यदि बकाया राशि से अधिक विक्रय राशि प्राप्त होती है तो मूल ऋणी को वापस निगम के निर्धारित नियमानुसार लौटायी जाती है।

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 532 की सूची)

विकास अधिकारियों के रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	जिला
1.	भादरा	श्रीगंगानगर
2.	धौलपुर	धौलपुर
3.	बान्सूर	अलवर
4.	सायला	जालौर
5.	मालपुरा	टोंक
6.	सूरजगढ़	झुंझुनू
7.	सोजत	पाली

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 534 का विवरण)

भाग संख्या 2 की सूची

ग्राम मावन्डा कलां के जिन मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं डाली गयी है उन मोहल्लों की सूची

1. जोगियों का मोहल्ला
2. जोड़ी के नीचे
3. हरिजन मोहल्ला

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न सं. 538 की सूची)

पंचायत समिति क्षेत्र महुवा में वर्ष 85-86 में लगाये जाने वाले हैण्ड पम्पों की सूची :-

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड संख्या	लगाये जाने वाले हैण्ड-पम्पों की संख्या
1.	हाडोली	2	1
2.	ईसरपुरा	3	2
3.	नांगल मेम्रो	4	2
4.	नांगल कोलारा	9	2
5.	रोदलपुर	10	3
6.	नांगलचरण	11	2
7.	खेडली खुर्द	24	1
8.	खेडली कलां	25	1
9.	हरिपुरा	26	1
10.	मान्यापुरा	37	2
11.	पारला	41	3
12.	बाली	47	1
13.	मोटूका	53	1
14.	पाली	54	1
15.	लादनपुर	62	2
16.	मगरखा	63	1
17.	बहारखो	64	1
18.	पीपलवाडा	80	1
19.	मूडकोरी	81	1
20.	विशाल चक	85	1
21.	विरुन्दा	91	1
22.	कुटकापुरा	109	1

1	2	3	4
23.	मीना खेड़िया	110	1
24.	पहाड़ी	121	1
25.	ढेहरा	135	1
26.	अलीपुरा	149	5
27.	सुमेरसिंह (मीना नांगला)	14	1
28.	नौरंगवाड़ा (मीना नांगला)	82	1
29.	लालपुर	119	1
30.	रतनपुरा	141	3
14-बी.	पाली (पाली की नगला)	54	1
			47

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 539 की सूची)

उप केन्द्रों की सूची जहां प्रसाविकाओं के पद रिक्त हैं।

क्र. सं.	पंचायत समिति	प्रा. स्वा. केन्द्र	उप केन्द्र
1.	छीपाबड़ोद	सारथल	1. बिलेण्डी 2. असनावर 3. सहजनपुर 4. झनझनी
2.	छबड़ा	जैपला	1. कड़ैयाहाट 2. भानाहेड़ी 3. बापचा 4. झरखेड़ी 5. मदनखेड़ी

परिशिष्ट- 15

(अतारांकित प्रश्न सं 541 का ज्ञापन)

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष सहाब महोदय,
राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन,
जयपुर।

विषय:- संचालन मण्डल की 65 वीं बैठक में कुछ मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संचालन मण्डल की 65 वीं बैठक में मीटिंग की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। अतः हमें चर्चा करने हेतु समय देने की अनुमति प्रदान करें।

(1) कार्पोरेशन के पास लगभग 50 हजार खाली बोरियां पड़ी हैं। अगर ये बोरियां किसानों को दे दी जाती तो निगम को 2 लाख रुपये की बचत हो जाती और निगम के द्वारा खर्च किये गये 4 लाख रुपये का सदुपयोग हो जाता। इसे क्यों नहीं किया गया, सकारण जवाब दें।

(2) कार्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा सूझबूझ के काम न करने के कारण निगम के पास हजारों क्विंटल मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूं, सरसों आदि का बीज गत 2-3 साल से पड़ा सड़ गया। इन्हें निरस्त कर नीलाम कर दिया गया जिससे निगम को लगभग एक करोड़ 20 लाख रुपये से भी ज्यादा का शुद्ध नुकसान हुआ है संबंधित अधिकारियों एवं एम. एम. डी. साहब से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर इनसे पूछा जावे। इनकी लापरवाही से निगम को 1.20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है इसके लिये जिम्मेदार कौन है।

(3) गोदामों को ध्यान में रखते हुए हमें 4-5 हजार केरेटस की जरूरत है, जो मौजूद है पहले से जबकि निगम द्वारा 10,000/- केरेटस क्रय किये गये हैं जिन पर करीब 15 लाख रुपया खर्च किया गया है इन केरेटस का निगम में कोई उपयोग नहीं होगा।

(4) दिनांक 20.4.85 को उड़न केरेटस साधारण के टेण्डर पास हुये थे और न्यूनतम रेट 79-89 रुपये आई थी। एक दूसरी पार्टी ने इसी काम को 77-00 रुपये में करने के लिये एम. डी साहब को लिखित में निवेदन किया था जिससे निगम को 10,000/- रुपये से भी अधिक का फायदा हो सकता था लेकिन एम. डी साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया जबकि ऐसा पूर्व में किया गया है।

(5) गत वर्ष कलकत्ता की पार्टी के नाम जूट बैग्स के टेण्डर हुये थे उसमें पार्टी ने फर्जी दस्तावेज पेश कर निगम से 6 लाख रुपये उठा लिये और बैग्स आज तक नहीं भेजे। अब 6 लाख रुपये का कौन जिम्मेवार है तथा इसकी जांच कराई जाय कि इसमें निगम के अधिकारियों का हाथ तो नहीं है।

(6) कृषि भवन में कार्पोरेशन भवन का कार्य अभी 2 साल बाद चौथी मंजिल होगा। रुपये निगम ने 35 लाख वर्ष पूर्व ही दे दिया ऐसा क्यों किया गया। निगम को 35 लाख 3 वर्ष का ब्याज 6 लाख रुपये का नुकसान होगा।

(7) सन् 1981 में कार्पोरेशन ने. यू. आई. टी. के मालवीय नगर में 7 लाख रुपये की जमीन खरीदी थी वह जमीन नाले में बह गई बताई तथा 7 लाख रुपये अभी तक नहीं लौटाये गये एम. डी साहब ने इसके लिये क्या प्रयास किया।

(8) निगम की 4 वर्ष की बैलेंस सीट संचालन मन्डल एवं आम सभा द्वारा बार-बार आग्रह करने पर आज तक तैयार नहीं हुई। बैलेंस सीट बनने से निगम को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है :-

(क) इस सेक्शन में कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं।
(ख) बैलेंस सीट बनाने के प्रयास में कर्मचारियों को ओवर टाइम कितना दिया गया
(ग) इतना होते हुये भी बैलेंस सीट 4 साल में क्यों नहीं बनी। पूर्ण विवरण सहित जानकारी दें।

(9) निरस्त बीजों के टेण्डर काल किये गये जिसमें मक्का की दरें 101=00 से 121=00 तक आई थी। एक पार्टी ने एम. डी. साहब को लिखित में दिया था कि मैं सारी मक्का 125/- रुपये प्रति क्विंटल में उठाने को तैयार हूं। इससे निगम को 8-10 हजार रुपये की अतिरिक्त आय होती है इसकी जानकारी कल 10-6-85 को संचालन मंडल को क्यों नहीं दी गई।

(10) गुजरात से 4000/- रुपये क्विंटल निम्न श्रेणी का बाजारा क्यों खरीदा जा रहा है। इसमें 12 लाख रुपये की दवाई लग जायेगी। और नहीं बिका तो निगम को 45 लाख का नुकसान होगा इसके लिये जिम्मेवार कौन होगा।

(11) निगम के पास गत 6 माह में रिजेक्ट किये गये बीज की करीब 60 हजार कहां पड़े हैं आज अगर इन्हें नीलाम किया जावे तो निगम को कम से कम 3 लाख रुपये की आय हो सकती है ऐसा क्यों नहीं किया गया।

(12) निगम का क्रय विक्रय सं. स. एक डीलरों की तरफ निगम का गत कई वर्षो से लाखों रुपया बकाया पड़ा है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह पैसा वसूल नहीं हो रहा है। एम. एम. स्पष्ट बताये कि इनकी तरफ निगम का कितना पैसा बकाया है तथा आपने इसकी वसूली के लिये क्या प्रयास किये भविष्य के लिये नई नीति निर्धारित की जावे।

(13) कार्पोरेशन का कई किसानों की तरफ लाखों रुपया बीज का बकाया है एम. पी. पूर्ण जानकारी दें।

(14) निगम के पास 6-7 वाहन हैं जिन पर लाखों रुपये रख रखाव पर खर्च किये जाते हैं पूर्ण जानकारी बोर्ड को करावें।

(15) उच्चस्तरीय जांच कराई जावे और भी कई तथ्य प्रकाश में आयेंगे जिसमें इन अधिकारियों की लापरवाही से निगम को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है।

भवदीय,

ह.

(नाथू लाल माली)

मोहनपुरा, जयपुर

संचालक राजस्थान स्टेट सीड्स

कार्पोरेशन, जयपुर

दिनांक 11.6.85

कापी :-

(1) एम. डी. साहब, आरएसएससी

(2) समस्त संचालक, आरएसएससी

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 548 का विवरण)

वर्ष 1981-82 में दूरभाष पर व्यय

माह तथा वर्ष	कार्यालय/लोकल कार्यो पर व्यय/किराया	निजी काल पर व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4
अगस्त, 1981	6060-20	—	6060-20
सितम्बर, 1981	—	—	—
अक्टूबर, 1981	992-50	—	992-50
नवम्बर, 1981		316-00	316-00
दिसम्बर, 1981	289-50	409-00	698-50
जनवरी, 1982	—	—	—
फरवरी, 1982	—	—	—
मार्च, 1982	2262-70	—	2262-70
	9604-90	725-00	10329-90
अप्रेल, 1982	750-00	—	750-00
मई, 1982	54-00	—	54-00
जून, 1982	3998-85	—	3998-85
जुलाई, 1982	7850-00	—	7850-00
अगस्त, 1982	1432-85	—	1432-85

1	2	3	4
सितम्बर, 1982	7119-50	—	7119-50
अक्टूबर, 1982	24-00	—	24-00
नवम्बर, 1982	3638-50	1579-50	5218-50
दिसम्बर, 1982	—	—	—
जनवरी, 1983	2250-00	1553-00	3803-00
फरवरी, 1983	2705-00	767-00	3472-00
मार्च, 1983	—	—	—
	29822-70	3899-50	33722-20
अप्रैल, 1983	—	—	—
मई, 1983	5071-50	364-00	3435-50
जून, 1983	—	—	—
जुलाई, 1983	—	—	—
अगस्त, 1983	—	—	—
सितम्बर, 83	5177-50	2141-20	7318-70
अक्टूबर, 1983	600-00	—	600-00
नवम्बर, 1983	9099-50	1864-50	10964-00
दिसम्बर, 1983	6411-00	219-50	6630-50
जनवरी, 1984	2535-10	1849-00	4584-50
फरवरी, 1984	3511-00	276-00	3787-00
मार्च, 1984	309-00	—	309-00
	30714-60	6614-20	37428-80

1	2	3	4
अप्रेल, 1984	2537	118	2655
मई, 1984	2608	848	3456
जून, 1984	2282-80	541	2823-80
जुलाई, 1984	2434-80	1245	3679-80
अगस्त, 1984	3383-60	3854	7237-60
सितम्बर, 1984	—	—	—
अक्टूबर, 1984	107-00	6	113-00
नवम्बर, 1984	2954-00	1823-00	4777-00
दिसम्बर, 1984	101-00	58-00	159-00
जनवरी, 1985	3955-00	1901-00	5856-00
फरवरी, 1985	2089-00	2409-50	4498-50
मार्च, 1989	2205-20	128-00	2333-20
योग	24657-40	12931-50	37588-90
अप्रेल, 1985-86	1161-80	1278-00	2439-80
मई, 1985	—	—	—
योग	1161-80	1278-00	2439-80
कुल योग	95961-40	25548-20	121509-60

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न सं. 550 के आय व्यय के आंकड़े)

अनुसूची—I

AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION
SUKHADIA UNIVERSITY
DURGAPURA : JAIPUR

STATEMENT SHOWING INCOME & EXPENDITURE FOR THE LAST FIVE YEARS IN RESPECT OF RESEARCH FARMS

Name of Farm	1980-11 (Actual)		1981-82 (Actual)		1982-83 (Actual)		1983-84 (Actual)		1984-85 (R.E.)	
	Income	Expenditure	Income	Expdt.	Income	Expdt.	Income	Expdt.	Income	Expdt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Durgapura (JPR)	64,760	1,12,724	1,10,976	1,13,513	86,966	1,26,001	1,17,515	1,17,978	1,25,000	1,34,100
Navgaon (Alwr)	2,05,797	1,63,241	43,8716	95,021	1,28,620	1,21,806	67913	1,12,856	80,000	1,61,000

462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Banswara	1,24,230	1,05,145	78,798	1,03,667	1,15,149	1,08,145	1,14,265	1,20,530	40 000 +70,000	1,41.100
Mandore (JDR)	18,546	58,124	24,834	79,872	75,549	78,793	84,585 *	1,81,650 *	80,000 +50,000	1,96,900
Borkhera(Kota)	83,471	36,028	1.15,221	87,159	1,31,027	55,858	96,626	62,901	70,668 ×××	53,470
Sriganganagar	3,79,282	1,29,996	3,55,216	1,26,980	3,03,309	1.33,431	3,98,133	2,13,684	4,00 000	1,94,300
Tabiji(Ajmer)	11,797	56,088	12,682	45,441	—	46,276	1,44,485	63,953	50 000	63,900
Arjia(Bhilwara)	53,903	42,189	14,225	58,188	20,580	1,11,674	80,254	81,804	75,000	78,000
Aklera(Jhalawar)	32,064	53,923	2,633	66,779	68	80,957	—	38,056	75,000	56,900
Diggi (Tonk)	21,087	44,676	8,672	50,764	94,495	27,680	1,05,760	39,529	85,000	44,000
Sumerpur(Pali)	41,567	58,044	61,617	42,440	91,354	41,252	— *	— *	—	—
Hanumangarh	1,95,583	89,459	84,856	74,463	1,78 490	79,618	2.05,705	1.01,303	2,00.000	1,11,600

* Income and Expenditure of Sumerpur farm has been included in Mandore farm (Jodhpur)

××× Additional income for the year 1984-85 to be received.

Note : Expenditure figures contain expenditure under head contingency.

अनुसूची-2

INCOME EXPENDITURE IN RESPECT OF OTHER FARMS UNDERTHE CONTROL OF THE UNIVERSITY

Rs. 00000

Name of Farm	1982-83 (Actual)		1983-84 (Actual)	
	Income	Expdt.	Income	Expdt.
1. Vallabh Nagar (UDR)	1.56	5.57	2.14	—
2. Kushal Bhag (UDR)	-	-	-	-
3. LRS Nohar	-	-	-	-
4. LRS Chandan	-	-	-	-
5. Raj College of Agri. (UDR)	4.21	8.85	6.73	—
6. S.K N. College Farm Jobner.	3.18	5.92	3.56	—
7. C T A E Farm (UDR)	0.73	0.35	0 70	—
8. C V. & A.S. (Bikaner)	4.72	8 61	5.58	—
9. Mechanised Farm(Rojari)	-	2.66	6.12	10.25
10. Mechanised Farm(Kota)	25.99	25.53	28.00	36-38

अनुसूचि-3

क्र. सं.	फार्म का नाम	मुख्य कार्यक्रम	सत्यापन/जांच कार्य	कुल जमीन (हेक्टर)
1.	कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा	मूंगफली, गेहूं, जौ, सब्जियां	बाजरा, ग्वार, सब्जियां	80.00
2.	„ „ श्री गंगानगर	कपास, चुकन्दर, जल प्रबन्ध, पोध कार्य	कपास, ग्वार, गन्ना, गेहूं, चना, सरसों (सिंचित)	85.00
3.	„ „ बांसवाड़ा	मक्की (सरद), चावल (अपलेण्ड)	कपास, गेहूं, जौ, चना	41.00
4.	„ „ नोगांव (अलवर)	अरहर, चना, मटर, सरसों	खरीफ फसलें, बाजरा, गेहूं, दालें रबी फसलें, जौ, सरसों, चना	64.00
5.	„ „ फतेहपुर–शेखावाटी	फसल वानिकी शुष्क खेती अनुसन्धान बाजरा, खरीफ दलहन, मूंग, मोठ, ग्वार, चावला	मूमफली, तिल, चना	150 00
6.	„ „ मण्डोर	तिल, बाजरा, मोठ	सरसों, ग्वार	48.00
7.	„ „ कोटा	चावल, ज्वार, गन्ना, अलसी, तिल जल प्रबन्ध	गेहूं चना, जौ	52.00
8.	„ „ सुमेरपुर	–	बाजरा, ग्वार, मूंग, कपास, सरसों गेहूं, जौ, चना, जीरा	22 20

1	2	3	4	5
9.	कृषि अनुसन्धान उप केन्द्र, हनुमानगढ़	—	श्रीगंगानगर के कार्य का सत्यापन, एस.पी.एच. मूमफली, फसलें उत्पादन के तरीके पर अनुसंधान	29.35
10.	,, ,, तबीजी (अजमेर)	—	कपास	22.00
11.	,, ,, अरजीया	—	कपास, मूमफली, मूंग, तिल, मक्का, ज्वार, गेंहूं, जौ, चना, सरसों	38.40
12.	,, ,, डिग्गी	—	खरीफ फसलें गेहूं, सरसों, शुष्क खेती	52.00
13.	,, ,, अकलेरा	—	कोटा के कार्य का सत्यापन एवं शुष्क खेती का मुख्य कार्यक्रम	43.00
14.	कृषि यांत्रिक फार्म उम्मेदगंज, कोटा	बीज उत्पादन	—	397.00
15.	कृषि फार्म रोजरी, बीकानेर	,,	—	513.00

परिशिष्ट–18

(अतारांकित प्रश्न सं. 551 की सूची)

कार्यालय नगर पालिका सांगोद

मदवार वास्तविक आय वर्ष 1983–84

भवन व भूमिकर	चूंगीकर	गाड़ियों पर कर	पथकर	टर्मिनल टैक्स	यात्री कर	कुल योग करों पर आय	उपविधियों से आय	सम्पत्ति से आय	अधि. व नियमों से आय	शास्तियां	वाटरवर्क्स की आय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
—	257668.06	—	—	—	—	257668.06	137565.25	14966.00	35999.00	3376.40	—

विनियोग पर ब्याज की आय	सरकार द्वारा वार्षिक सहायता की राशि	विशेष अनुदान	विविध	आवर्तक आय का योग	भूमि विक्रय से आय	विशिष्ट सहायता व ऋण	विविध	अनावर्तक आय का योग	कुल आवर्तक अनावर्तक आय का योग
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1326.30	6754.00	—	16372.23	534927 24	202065.10	62500.00	177020 04	441585 14	976512.38

कार्यालय नगर पालिका सांगोद
मदवार वास्तविक आय वर्ष 1984—85

भवन व भूमिकर	चुंगीकर	गाड़ियों पर कर	पथकर	टर्मिनल टैक्स	यात्री कर	योग कुल करों पर	उपविधियों से आय	सम्पत्ति से आय	अधि. नियमों से आय	शास्तियां	वाटरवर्क्स से आय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
—	246056.95	—	—	—	—	246056.95	120500.10	23711.00	36596.00	5223.60	—

विनियोग पर ब्याज की आय	सरकार द्वारा वार्षिक सहायता की राशि	विशेष अनुदान	विविध	आवर्तक आय का योग	भूमि विक्रय से आय	विशिष्ट सहायता व ऋण	विविध	अनावर्तक आय का योग	अनावर्तक व आवर्तक आय का कुल योग
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
719.95	78715.00	—	3494.09	515016.69	24929.10	95000.00	119616.64	239545.74	754562.43

कार्यालय नगर पालिका सांगोद
मदवार वास्तविक व्यय सन् 1982—83

सामान्य शासन वेतन	कर वसूली चुंगी कर	भवन कर	अन्य कर	सार्व. हित सफाई व जनस्वा.	सार्व रक्षा	औषधालय	बिजली	पानी	पशुग्रह	शिक्षा	उद्यान	सार्व. मरम्मत	आवर्तक व्यय का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120207 32	111300 17	–	–	209433.37	–	–	33320.78	10670 65	2293.50	1944 25	–	14384.11	583554.05

विकास कार्यों पर व्यय	नवीन सम्पत्ति क्रय पर व्यय	ऋणों की वापसी पर व्यय	विविध	योग आवर्तक व्यय	कुल योग (आवर्तक व अनावर्तक) व्यय
15	16	17	18	19	20
16231.44	3189.25	—	79361.50	98782.19	602336 24

वर्ष 1982-83 में कर्मचारियों का वेतन	विकास पर व्यय
4,40,940.86	30,615.55

कार्यालय नगर पालिका सांगोद
मदवार वास्तविक व्यय वर्ष 1983—74

सामान्य शासन वेतन	कर वसूली चुंगीकर वेतन	कर वसूली भवन-कर	कर वसूली अन्य कर	सार्वजनिक सफाई व जन-स्वा.	सार्वजनिक रक्षा	औषधालय	बिजली	पानी	पशुग्रह	शिक्षा	उद्यान	सार्व. मरम्मत	योग आवर्तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15469.41	172136.39	–	–	296593.98	–	–	35662.31	6957.50	2035.00	–	–	596.55	23193.17

कुल योग 691244.31

विकास कार्यों पर व्यय	नवीन सम्पत्ति क्रयपर व्यय	ऋणों की वापसी पर व्यय	विविध	योग अनावर्तक व्यय	कुल योग (आवर्तक+अनावर्तक) व्यय
15	16	17	18	19	20
53191.17	5424.87	–	168584.51	232200.55	923444.86

वर्ष 1983-84 में कर्मचारियों का वेतन	विकास पर व्यय
6,22,799.78	81,384.34

कार्यालय नगर पालिका सांगोद
मदवार वास्तविक व्यय 1984—85

सामान्य शासन वेतन	कर वसूली चुंगीकर वेतन	कर वसूली भवन कर	कर वसूली अन्य कर	सार्व. हित व जन स्वास्थ्य	सार्व रक्षा	औषधालय	बिजली	पानी	पशुग्रह	शिक्षा	उद्यान	सार्व. मरम्मत	योग आवर्तक आय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122553.04	116382.69	–	–	237602.43	–	–	42243.62	11710.20	4137.00	267 00	—	23764 95	558660.93

विकास कार्यों पर व्यय	नवीन सम्पत्ति क्रय पर	ऋणों की वापसी	विविध	योग आवर्तक व्यय	कुल योग (आवर्तक व अनावर्तक व्यय)
15	16	17	18	19	20
125743.34	—	—	74684.12	200437.43	759088.39

वर्ष 1984-85 में कर्मचारियों का वेतन	विकास पर व्यय
4,76,538.16	1,49,508.29

नगर पालिका सांगोद जिला कोटा (राजस्थान)

नगर पालिका बोर्ड सांगोद की निम्न माहों में मीटिंग नहीं हुई

23-2-82 से 31-12-92	1-1-83 से 31-12-83	1-4-84 से 31-12-84	1-4-85 से 1-9-85
अक्टूबर, नवम्बर	फरवरी, अप्रेल, जून, जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर	जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर नवम्बर, दिसम्बर	जनवरी, फरवरी, मार्च

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न सं. 555 की सूची)

परिशिष्ट अ

उन शहरों में पंजीकरण जहां पर 100 से कम हुआ है :-

क्र. स.	शहर का नाम	आयवर्ग					
		आ. दु. क	अल्प	मध्यम-अ	मध्यम-ब	उच्च	योग
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनूपगढ़	4	7	15	3	-	29
2.	बाडमेर	35	21	10	13	-	79
3.	बिलाड़ा	2	4	6	1	-	13
4.	बरियानवाली	3	1	—	—	-	14
5.	बिसाऊ	1	—	—	—	-	1
6.	बयाना	4	6	6	5	-	21
7.	बाड़ी	2	4	6	3	-	15
8.	भीनमाल	13	6	17	3	-	39
9.	भादरा	15	10	13	6	-	44
10.	चूरू	15	12	14	15	-	56
11.	चिड़ावा	1	3	5	3	-	12
12.	डिडवाना	—	9	6	3	-	18
13.	डूंगरगढ़	—	1	—	—	-	1
14.	डीग	3	8	14	2	-	27
15.	फतेहनगर	7	34	27	12	1	81
16.	फतेहपुर	1	1	—	—	-	2
17.	गढ़माना	15	5	1	1	-	22
18.	जैसलमेर	19	31	17	3	2	72
19.	जैतराण	13	5	9	5	-	32
20.	जालोर	[illegible]	18	10	15	3	50
21.	कोटपूतली	11	30	28	25	3	97

	1		2		3		4
2	कांकरोली	3	11	13	9	—	36
23.	केकड़ी	—	3	3	1	—	7
24.	केशवरायपाटन	—	1	1	1	—	3
25.	कुचामन	2	5	13	4	2	26
26.	कामां	6	9	14	7	1	37
27.	करोली	10	13	20	11	—	54
28.	लूणकरणसर	6	6	2	1		15
29.	लाडनू	2	—	5	—		27
30.	मकराना	12	6	5	4		27
31.	नागौर	13	5	8	5	1	32
32.	नसीराबाद	9	15	22	10	—	56
33.	नीम का थाना	9	6	5	9	—	29
34.	नवलगढ़	—	—	—	—	1	1
35.	फलौदी	5	14	15	13	—	47
36	पीपाड़	2	1	4	—	—	7
7.	पिलानी	12	6	8	12	—	38
8.	पीलीबंगा	3	7	26	7	—	43
9.	फुलेरा	—	3	2	2	—	7
0.	राजसमंद	13	11	12	2	—	38
1.	रावला	12	3	2	—	—	17
2.	रामगढ़	—	1	—	—	—	1
3.	रतनगढ़	4	4	2	—	—	10
4.	राजगढ़	3	1	8	3	—	15
.	रावतसर	1	2	1	1		5
.	रायसिहनगर	6	18	6	13		43
.	सलूम्बर	4	22	13	7		46

1	2	3		4		5	
48.	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	1	1	—	—	-	2
49.	श्री माधोपुर	4	6	5	1	-	16
50.	सरदारशहर	2	1	7	—	-	10
51.	सुजानगढ़	2	2	6	3	-	13
52.	सोजत सिटी	5	8	10	6	-	29
53.	सांगोद	3	-	1	—	-	4
54.	उदयपुर वाटी	2	—	—	—	-	2
55.	विजयनगर	13	19	22	6	1	61
56.	रींगस	—	1	—	—	-	1
57.	समदड़ी	—	1	—	—	-	1
58.	देवली	3	—	5	—	-	8
59.	राजगर	5	1	1	—	-	7
60.	माउन्ट आबू	—	—	—	—	-	-
61.	शिवगंज	—	—	—	—	-	-
62.	माण्डलगढ़	—	—	—	—	-	-
	योग	345	429	471	256	15	1516

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

बोर्ड की 109 वीं बैठक दिनांक 25-2-84 बिन्दु सख्या 16 की सार प्रतिलिपि

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

109.16

1. माननीय सदस्यों की सूचना विभिन्न शहरों में पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्रों की सूची "अ" प्रस्तुत की गई, जिसमें 100 से कम प्रार्थना पत्र जहां प्राप्त हुए हैं उनकी पंजीकरण राशि वापिस लौटाई जा रही है।

2. सूची "बी" में उन शहरों का विवरण है जिसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है और मकान भी बनाये गये हैं।
3. सूची "सी" में वे शहर हैं जिनमें भूमि उपलब्ध है, और योजना हुडको को भेजी जाने के लिए तैयार की रही है।
4. सूची "डी" में वे शहर हैं जहां पर भूमि उपलब्ध नहीं है इस पर विचार: जहां पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि 100 से ऊपर जहां रजिस्ट्रेशनहै वहां पर भूमि प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जाए न हो तो ऐसी सूचना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

सूची

क्र. सं.	शहर का नाम	धन भुगतान किया	शेष जमा धन
1.	चूरु	36,000/-	15,700/-
2.	जैसलमेर	90,660/-	15,850/-
3.	जैतारण	6,000/-	2,300/-
4.	नागौर	40,650/-	15,950/-
5,	करोली	93,700/-	18,800/-
6.	बाड़मेर	69,250/-	27,000/-
7.	जालोर	101,300/-	14,300/-
8.	फलौदी	1,35,700/-	10,300/-
9.	बिलाड़ा	19,650/-	1,800/-
10.	पिपाड़	22,300/-	6,750/-
11.	कांकरोली	73,0000-	21,200/-
12.	राजसमंद	39,250/-	11,350/-
13.	फतेहनगर	1,73550/-	16 700/-
14.	सलूम्बर	1,21,900/-	500/-
15.	केकेड़ी	21,000/-	—
16.	नसीराबाद	1,30,750/-	5,550-/
17.	विजयनगर	14,000/-	3,000/-
18.	शाहपुरा	2,300/-	—
19.	अनूपगढ़	56,900/-	20,100/-

1	2	3	4
20.	घरसाना	6,650/-	18,750/-
21.	रावलामंडी	13,550/-	13,650/-
22.	बिराचावाली	1,800/-	3,300-/
23.	लूणकरणसर	18,500/-	7,400/-
24.	श्री माधोपुर	21,300/-	3,900/-
25.	रामगढ़	1,800/-	—
26.	नीमकाथाना	68,700/-	7,350/-
27.	फतेहपुर	3,300/-	3,600/-
28.	नवलगढ़	10,000/-	—
29.	चिड़ावा	25,400/-	6,800/-
30.	पिलानी	13,350/-	10,000/-
31.	बिसाऊ	500/-	—
32.	केशोराय पाटन	9,400/-	—
33.	डीडवाना	25,800/-	4,500/-
34.	कुचामन सिटी	77,300/-	8,300/-
35.	मकराना	38,450/-	3,750/-
36.	लाडनूं	16,000/-	—
37.	सरदारशहर	24,300/-	—
38.	रतनगढ़	11,200/-	3,500/-
39.	राजगढ़ (चूरू)	33,800/-	7,000/-
40.	सुजानगढ़	34,300/-	6,900/-
41.	सोजतसिटी	59,400/-	18,650/-
42.	डीग	41,800/-	22,200/-
43.	बयाना	47,700/-	2,000/-
44.	बाड़ी	56,850/-	3,000/-
45.	कांमा	1,01,900/-	2,800/-
16.	भीनमाल	51,000/-	14,800/-
47.	पीलीबंगा	73,400/-	250/-

1	2	3	4
48.	रावतसर	9,400/-	200/
49.	भादरा	80,650/-	9,750/-
50.	उदयपुर वाटी	1,000/-	—
51.	फुलेरा	4,600/-	6,900/-
52.	रायसिंह नगर	68,800/-	23,100/-
53.	देवली	1,000/-	500/-
54.	राजनगर	3,000/-	2,150/-
55.	सांगोद	3,500/-	3,750/-
56	कोटपुतली	2,15,800/-	38,400/-

निम्न छः शहरों में कोई राशि नहीं लौटाई गई है :—
(1) डूंगरपुर (2) रींगस (3) लवदडी (4) मांडलगढ़ (5) माउंट आबू
(6) शिवगंज

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 556 की सूची)

ब्यावर-बराखन मार्ग पर अतिरिक्त बसें चलाने बाबत प्राप्त मांग पत्र का विवरण

क्र.सं. मांग का विवरण	मांग प्राप्त की दिनांक	किस माध्यम से प्राप्त हुई
1 2	3	4
1-ब्यावर-बराखन मार्ग पर निगम की एक और बस निम्न समयानुसार चलाने बाबत : ब्यावर से बराखन से 800 1400	28-6-84	सरपंच, बराखन द्वारा माननीय परिवहन मंत्री महोदय के माध्यम से
2-ब्यावर-बराखन मार्ग पर संचालित सेवा की समय सारिणी अहमदाबाद मेल के समय से मिलान करते हुए रखी जावे और इस मार्ग पर और परिचक्र बढ़ादे जावें।	21-9-84	श्री विष्णु बाजारी, विधायक
3-ब्यावर से बराखन मार्ग पर एक और रोडवेज बस चलाने तथा पहले से चल रही रोडवेज बस का टाइम निम्नानुसार करने बाबत : ब्यावर से बराखन से 1830 700	3-1-85	सरपंच, बराखन

1	2	3	4
	4-ब्यावर से बराखन मार्ग पर वर्तमान में चल रही बस के समय में परिवर्तन एवं एक और नई बस सेवा प्रारम्भ करने बाबत :	4-4-85	सरपंच, बराखन द्वारा ब्यावर के विधायक महोदय के माध्यम से
	ब्यावर से — बराखन से		
	1830 — 0700 (वर्तमान सेवा का समय परिवर्तन)		
	0800 — 1630 (नई सेवा)		
	5-रोडवेज द्वारा संचालित वर्तमान बस सेवा का परिवर्तन निम्नानुसार करने बाबत।	9-7-85	सरपंच, बराखन
	ब्यावर से — बराखन से		
	1830 — 0700		

नोट :—समय परिवर्तन हेतु प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर को दिनांक 3-3-84 को निवेदन किया गया. जो स्वीकृत नहीं किया गया। दिनांक 6-4-85 को पुन. आवेदन किया गया है जिस पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 557 का अनुबन्ध-पत्र

NOW : THIS IDENTURE WITNESSETH AS FOLLOWS :

1. That the lessor agrees to let the said plot and the leasee has agreed to occupy the said plot for a period of NINTY-NINE YEARS on rent here-inafter specified for the purpose of setting up .... industry for which the leasee had applied under provisions of Rajasthan Industrial Areas Allotment Rules, 1959, commemcing from the date of taking over possessoin of the land as above mentioned.

2. That the possession of the said plot has been delivered to the Leasee on and with effect from ....

3. That the population of the City where said plot is situated is 3 lacs and above, and the Lease has agreed to pay the rent of the said plot at the rate of @ Rs. .... in the case of the said plot.

4. That the Lesee here by convenants with the Lessor as under :–

(i) That the Lessee shall duly pay the stipullted rent of the said plot ta the Lessor or his authorised agent on or before the seventh day of each calendar year for which the re t is due at such place or places, is rthe Lessor may from time to time prescribe.

(ii) The renr as aforesaid excludes all kinds of taxes which the Municipal Board, Panchayat or any other Civic Body has imp-

osed or my impose during the period of lease in respect of the said plot and the LESSEE agree to pay such taxes to the authorities concerned direct.

(iii) The LESSEE hereby agree to pay the LESSOR alongwith the rent for the first year a further sum of Rs.................................. (Rupees ....) by way of development charges in accordance with the Provisions of Rule 3 (i) of the Rajasthan Industrial Areas Allotment Rules, 1959.

(iv) The LESSEE shall set up on the said plot of land.............. .... indsutry for which land has been leased to him by the LESSOR within a period of two years from the date of taking over possession of the land as above mentioned, and in case of his failure to do so the said plot shall revert to the LESSOR unless the period of two years is extended by the Lessor on valid grounds :

(v) The LESSEE shall construct, erect and build on the said plot of land only such buildings, sheds and structuures as are required by him for setting up industry aforesaid and also such other residential quarters as are required for these engaged or to be engnged in the said factory.

(vi) The LESSEE agrees not to construct or build any structures or buildings on the said plot of land or on portion of it, which may have the object of using it as a commercial undertaking' other than for the industry aforesaid for which the said plot has been leased.

(vii) The LESSEE shall not sublet under set or sell its lease, hold rights under the lease deed without the written consent of

the LESSOR, provided however, that the Lessee shall have the right to assign or to assign or to mortgage its lease hold rights hereby dem sed in favour of a Financial Institutions or Institutions for the purposes of availing of Financial assistance including guarantees from . such financial institutions for the development of industries for which the said land has been leased to the Lessee and the said financial Institution or Institutions will be at liberty to enforce their title to the lease-hold property. Provided further mortgage or assignment made by the LESSEE in favour of any Financial Institutions within a period of three months from the date of such motgage or assignment.

(viii) The annual rent as afforesaid shall be subject to revision after every thirty years and the enhancement in rent at each such revision shall not exceed 25% of the rent payable for the period immediately preceding such revision. The LESSEE hereby agrees to pay such enhanced rent to the LESSOR as result of the revision aforesaid.

(ix) The LESSEE shall have an option to renew the said lease for a further for a further period of NINETY NINE YEARS after an expiry of the present terms of lease.

(x) In case any default is made by the LESSEE in respect of any of the terms and conditions aforesaid plot or the land shall revert to the Lessor provided that in case the Lease has assigned or mortgaged its lease hold right hereby demised in favour of any institutions or institutions for purposes of availing of financial assistance as mentioned in clause (vii) here of the Lessor of the said plot give notice thereof to the assignee of mortgage as the case may be and in case the default is not rectified either by the

Company or by the assignee or the mortgage within a period of three months from the date of receipt of the said notice the said plot or land can revert to the Lessor and the Lessee shall have to remove therefrom at its cost all the building and structures constructed by him their off. In case of his failure to do so the LESSOR shall have a right to dispose the said structures or buildings in any way he likes and to refund the proceeds to the LESSEE after recovering all the sums due to him from the LESSEE.

5. The cost and expenses incidential to the preparation, execution and registration of this lease including stamp duty shall be borne and paid by the LESSEE.

In witness where of the parties here to have set their respective hands on the date mentioned against their signatures :

1. Witness	1. Signed for and on behalf of the Governor of the State of Rajasthan.
2. Witness :	2. Signed by the said LESSEE ....
Date	Date..........................

SCHEDULED

Plot of land No.................... measuring .... acres.

Bounded on the ....

Area.. acres.

Khasra No..............................

North : ....

East : ....

South : ....

West : ....

in village/Industrial Estate/Area...

Tehsil.................................. District ....

The following clause will apply in case of the parties who have deposited advance lasse money and devlomcnt charges. It will be typed after clause 4 (x) as under :

"(xi) The Lessee agrees that the payment of rent in advance for a number of years will not create any right to him in the land which are not granted by this deed or under the Rajasthan Industrial Areas Allotment Rules, 1959.

The Leasee further agrees that the payment of rent in advance fora number of years by him will not affect the right of the leassor to enhance the rent in terms of clause (viii) above,"

ESTATE/ARE..................

LEASEDEED

This Lease is made on the.................... day of.................

9 between M/s...

(i) Through their sole proprietor Shri...................................

S/o Shri..........................aged....................Caste..............

Resident of..

(ii) A partnership firm having :-

(1) Shri...............................S/o Shri.............................

Aged...................Caste..........................resident of....

....

(2)

(3)

as partners, through their authorised partner Shri...................

.... S/o.................... ....Aged...........

Caste..............................Resinent of..................................

(iii) A Limited/Private Limited Company, through its Managing Director Shri.......................... S/o Shri.......................... Aged.............................Caste........................ Resident of.... .... (Hereinafter called the Leassee), which expression shall, unless excluded by or repug ant to the context, include his heirs, successors executors, admi listrators and assign of the first part and the Gover or of the State of Rajasthan (Hereinafter called the Lessor), which expression

shall unless excluded by or repugnant to the context include his successors in office and permitted assigns of the second part.

Whereas the Lessor has agreed to grant and the Lessee has agreed to accent the Lease of a plot of land measuring........ .... acre, situtated in Industrial Estate/Area.................

....

AND MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN THE SCHEDULE HERETO (hereinafter called the 'plot') upon the conditions hereinafter appearing.

परिशिष्ट--22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची)

(एक अप्रैल, 1980 से अब तक ग्राम पंचायत दुजार को मिली अनुदान (अंशदान) राशि का विवरण)

क्रमांक	अनुदान मिलने की दिनांक	अनुदान वर्ष	अनुदान राशि	सांड सहायता अनुदान	कुल अनुदान राशि का योग 4+5	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	22.4.81	80-81	1729.50	2040.00	3769.50	
2.	9.7.81	"	"	"	1729.50	
3.	8.6.82	81-82	6916.34	2295.00	9211.34	
4.	2.11.83	82-83	6916.00	1372.50	8288.50	
5.	17.8.84	83-84	8905.49	675.00	9580.49	
	योग		26196.83	6382.50	32579.33	

परिशिष्ट "ब"

सूची अनुदान की राशि खर्च की गयी का विवरण

क्रमांक	अनुदान राशि प्राप्त दिनांक	कार्य का नाम जिस पर राशि खर्च की गई	खर्च करने की दिनांक	राशि जो खर्च की गई
1	2	3	4	5
1.	1729.50	1. शाला पानी हौज मंगलपुरा	22.4.81	341.85
	22 4.81	2. सहायक सचिव वेतन	"	900.00
2.	1729.50	3. चपरासी वेतन	"	850.00
	9.7.81	4. स्टेशनरी	"	53.50
		5. स्थायी सामान	9.7.81	25.00
		6. शाला मंगलपुरा	"	1288 65
				3459.00
3.	6916.34	जे. ई. एन. वेतन	8.6.82	89.00
	8.6.82	1. सोहनलाल माली मंगलपुरा को	"	1775.00

1	2	3	4	5
		निर्माण कार्य के उदरत के चुकाये		
		2. मोहनलाल माली मंगलपुरा को निर्माण कार्य के उदरत के चुकाये	8-6-82	1300.00
		3. जी. ए. बी. लाडनू में जमा करायी शेष राशि	"	3752.34
				6916.34
4.	6916.00 2.11.83	पोस्ट आफिस लाडनूं में 6916.00 राशि को जमा करायी	2.11.83	
		1. सहायक सचिव वेतन	17.11.83	700.00
		2. खादी भण्डार से दरी खरीदी	14.12.83	280.42
		3. मोहनलाल माली मंगलपुरा को निर्माण कार्य पेटे उदरत चुकाया	11 2.84	2500.00
		4. रामेश्वर लाल मंगलपुरा को निर्माण कार्य पेटे उदरत चुकाया	"	1500.00
		5. रास्ता दुरस्ती सफाई खर्च	18.30.84	108.00
		6. शेष राशि पोस्ट आफिस में जमा रही	"	
				5088.42

1	2	3	4	5
5.	8905.49	1. पंचायत समिति को खाली बोरियों के दिये	17.8.84	389.20
	17.8 84	2: पंच प्रशिक्षण में दिये	"	108.00
		पोस्ट आफिस में जमा कराये 8411 29		
		3. स्टेशनरी खरीद	25.8 84	56.00
		4 रामेश्वर प्रसाद माली मंगलपुरा को निर्माण कार्यों के उधरत दिये	26.8.84	1400.00
		5. पंचायत एक्ट खरीदा	12.9.84	45.00
		6.. सहायक सचिव वेतन	26.10.84	500.00
		7. सोहनलाल मगलपुरा को निर्माण कार्यों के पेटे उधरत दिये	30 11.84	500 00
		8: रामेश्वर मंगलपुरा को निर्माण कार्यों के पेटे उधरत दिये	7 12 84	1000.00

1	2	3	4	5
		9. सहायक सचिव वेतन	31.3.84	400.00
		10. " "	9.4.84	600.00
		11. चेमाराम लाडनूं को बड़े कुये पर बनाई जाली के लिये	12.6.84	1000.00
				5995.20
		शेष राशि पोस्ट आफिस में जमा रही।		

सांड सहायता अनुदान राशि खर्च की गई का विवरण

क्र. सं.	सांड सहायता प्राप्त राशि	अनुदान दिनांक वर्ष	कार्यों का नाम जिस पर राशि खर्च की गई	खर्च करने की दिनांक	राशि जो खर्च की गई
1	2	3	4	5	6
1.	2040–00	80–81	चारा पूस गवार लारी आदि पर	80–81	2040–00
2.	2295–00	81–82	" "	22.4.81	429.00
			" "	6.10.81	36.00
			" "	6.10.81	465.00
			" "	1.11.81	900.00
			" "	5.11.81	465.00
					2295.00
3.	1372–50	82–83	" "	31.7.82	1372.50
4.	675–00	83–84	" "	18.7.83	675.00
					6382.50

पंचायत अनुदान मिलने, पोस्ट आफिस में जमा कराने व निकालने का विवरण

क्र सं.	अनुदान मिला		पोस्ट आफिस/जी. ए. बी. में जमा कराये		सरपंच द्वारा पोस्ट आफिस/जी.ए.बी. से राशि उठायी		सरपंच द्वारा उठायी गयी (पोस्ट आफिस जी.ए.बी.) राशि का रोकड़ पुस्तिका में जमा		कार्य पर खर्च की गई राशि		पंचायत बैठकों की मंजूरी
	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	22.4.81	1729.50	–	–	–	–	–	–	परिशिष्ट "ब" में दर्ज है।		अनुदान की राशि खर्च करने के प्रस्ताव पंचायत की वि[illegible]
2.	9.7.81	1729.50	–	–	–	–	–	–	"		
3.	8.6.82	6916.34	12.6.82	3752.34	20.9.82	1700.00	20.9.82	1700.00	"		
					28.3.83	1000.00	28.3.83	1000.00	"		
					8.4.84	1000.00	8.4.84	1000.00	"		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	2.11.83	6916.00	2.11.83	6916.00	10.11.83	2000.00	10.11.83	2000.00	परिशिष्ट ब में		बैठक में
					11.2.84	4000.00	11.2.84	4000.00	वर्ज है		लिये हुये
5.	17.8.84	8905.49	17.8.84	8411.09	25.8.84	1500.00	25.8.84	1500.00	"		हैं।
					23.10.84	500.00	23.10.84	500.00	"		
					29.11.84	500.00	29.11.84	500.00	"		
					7.12.84	1000.00	7.12.84	1000.00	"		
					9.4.84	1000.00	9.4.84	1000.00	"		
					22.6.84	1000.00	22.6.84	1000.00	"		

सांड सहायता अनुदान मिलने, पोस्ट आफिस में जमा कराने निकालने का विवरण

क्र.सं.	सांड सहायता मिला अनुदान		पोस्ट आफिस/जी.ए.बी. में जमा कराये		सरपंच द्वारा पोस्ट आफिस/जी.ए.बी. से उठाई राशि		सरपंच द्वारा पोस्ट आफिस/जी.ए.बी. में उठाई गई राशि का रोकड़ पुस्तिका में जमा		कार्य पर खर्च की गई राशि		पंचायत बैठकों की मंजूरी
	वर्ष	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1980–81	2040.00	–	–	–	–	–	–	परिशिष्ट "ब" पर दर्ज है।		सांड सहायता अनुदान के खर्च करने के प्रस्ताव विभिन्न बैठकों में लिये हुये हैं।
2.	1981–82	2295.00	–	–	–	–	–	–	"		
3.	1982–83	1372.50	–	–	–	–	–	–	"		
4.	1983–84	675.00	–	–	–	–	–	–	"		